राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक–4] नवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का बीसवां दिवस [संख्या–7

बुधवार

दिनांक 13 मार्च, 1991

(विधान सभा की बैठक मध्याह्न पूर्व 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

व्यवस्था का प्रश्न

भीलवाड़ा गोली काण्ड पर सरकारी वक्तव्य की मांग

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जिस प्रकार से साम्प्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है। हमारा निवेदन है कि आप प्रश्नकाल को स्थगित करें....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा में गोलीकाण्ड हुआ है इसलिए सब कार्यवाही को स्थगित करके भीलवाड़ा गोलीकाण्ड पर चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अमीन खां : यह सरकार की नीति गलत है, लोग मर रहे हैं, रोज गोलियां चल रही है। इसके बाद भी सरकार सोई हुई है कोई जांच नहीं करती है। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : भीलवाड़ा में गोलीकाण्ड हुआ, लोग मारे गये, इसके बारे में चर्चा की जाय और प्रश्नकाल को स्थगित किया जाय....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यदि एक एक बोलें तो बात समझ में आयेगी। (व्यवधान) श्री प्रद्युम्नसिंहजी कुछ बोल रहे हैं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : बोल रहे हैं ? मैं भी बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप भी बोलिए फिर।

डा. चन्द्रभान : आज प्रश्नकाल स्थगित करके भीलवाड़ा के ऊपर चर्चा होनी चाहिए यह मेरा आपसे अनुरोध है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो हालत प्रदेश में हो रही है। चारों तरफ साम्प्रदायिक तनाव फैल रहा है और इस साम्प्रदायिक तनाव के मूल में लोकसभा के आगे आने वाले चुनाव में सुनियोजित ढंग से इस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है, शासक दल की ओर से, हमें उस सख्त एतराज है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हो। प्रश्नकाल आज गौण हो गया है मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है आप हमारे विपक्ष के हितों की रक्षा करेंगे। राजस्थान के हितों की रक्षा करेंगे। इस अविलम्ब कार्य के लिए आप प्रश्नकाल को स्थगित करें और इस पर चर्चा आरम्भ करें।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री दिग्विजय सिंह)

यह निश्चित रूप से गम्भीर विषय है। आज आप शाम का समय निश्चित कर दें। मैं स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री महिपाल सिंह : पहले इस पर विचार किया जाय। गम्भीर विषय है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चन्द्रभानजी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यदि बीगोद में जो दंगे हुए थे उस पर इस सदन में चर्चा हो जाती और सरकार सतर्कता बरतती तो भीलवाड़ा के दंगे नहीं होते। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि बीगोद से भीलवाड़ा में फैल गया है और अब यह पूरे प्रदेश में फैल सकता है। इसलिए प्रश्नकाल को स्थगित करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सदस्य यह बात कह रहे हैं कि बीगोद पर चर्चा हो जाती। मैं बीगोद के लिए कुछ स्टेटमेंट देने के लिए तैयार था लेकिन मैंने आपसे निवेदन किया था, माननीय सदस्य से भी मैंने निवेदन कर दिया था आज के लिए। यह कहना कि कोई बीगोद पर चर्चा होने के बाद प्रदेशभर में दंगा रुक जाता तो यह बात सही नहीं है। भीलवाड़ा में कोई दंगा नहीं हुआ है बल्कि दंगा होने से रुका है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : दंगा हुआ है आप कैसे कह सकते हैं कि दंगा नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय हेतरामजी बोल रहे हैं।

श्री गोपीराम : कोई दंगा नहीं हुआ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक आदमी मर गया कोई दंगा नहीं हुआ ? तो क्या खेल हो रहा था ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय हेतरामजी।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो कुछ भीलवाड़ा में हुआ उससे निश्चित तौर पर साम्प्रदायिक दंगा रुका है....(व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्यवीर : कोटा में इतना भयंकर दंगा हुआ था तब आप कहां गये थे। आपके जमाने में पच्चीसों दंगे हुए थे। (व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : दंगा नहीं हुआ है। पुलिस को व्यवस्था करने के लिए गोली चलानी पड़ी है .. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह गृहमंत्री नहीं हैं जो वक्तव्य दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : पुलिस की सतर्कता से दंगा होते-होते बच गया। वास्तविकता तो यह है कि इस प्रकार की सभाएं और जुलूस हिन्दुस्तान के हर कोने में होते हैं। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा में जो कुछ हुआ है, निश्चित तौर

(श्री हेतराम बेनीवाल)

पर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की हालत है उसको देखते हुए चिन्ताजनक है और जिस तरह से गांवों और आस-पास के लोग इकट्ठे होकर पुलिस के साथ भिड़न्त हुई। मैं समझता हूं माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा कि केवल स्टेटमेंट दिया जाय उसको मैं उचित नहीं समझता।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा प्रश्नकाल के तुरन्त बाद....

श्री हेतराम बेनीवाल : इसलिए मैं समझता हूं कि प्रश्नकाल के तुरन्त बाद चर्चा का समय रख लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल के तुरन्त बाद गृह मंत्रीजी इस पर अपना स्टेटमेंट दें और आप चर्चा कर लें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह पूर्व घोषित जुलूस था....

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह निवेदन किया था कि आप शाम का समय तय कर दें। प्रश्नकाल के तुरन्त बाद नहीं। चार बजे स्टेटमेण्ट दे दूंगा। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, चार बजे तक इन्तजार नहीं कर सकते हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह जुलूस पूर्व घोषित था, पुलिस चाहती तो इसमें सुनियोजित ढंग, सुव्यवस्थित ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से इन्तजाम कर सकती थी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर मामला है। जब भारत सरकार के प्रधान मन्त्री और राज्य के मुख्य मंत्री भीलवाड़ा की धरती पर आये हो और उस दिन वहां इस तरह की घटना हो जिसमें दो लोगों की जान चली जाय और कई लोग घायल हो जायं इसलिए इस पर पहले विचार करना चाहिए। प्रश्नकाल पहले भी स्थगित होते रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने आदेश दिया उसको निश्चित तौर पर राज्य सरकार माने। (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : सरकार भी बी. जे. पी. की और दंगे करने वाले भी बी. जे. पी. के। इसलिए प्रश्नकाल को स्थगित करके इस पर चर्चा की जाय। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : असत्य आरोप हैं। (व्यवधान)

व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें। इस सम्बन्ध में सन् 1955 में 30 सितम्बर को कोटा शहर में दंगा हुआ था और श्री वेदपाल त्यागी ने स्थगन प्रस्ताव रखकर मांग की थी कि प्रश्नकाल को समाप्त किया जाय और चर्चा शुरू की जाय। उस समय तत्कालीन अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि मैं इस प्रश्न को आवश्यक व महत्व का नहीं समझता कि जिसके लिए विधान सभा की कार्यवाही स्थगित की जाय इसलिए इसको मैं अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं करता। किन्तु साथ ही यह चाहता हूं कि सम्बन्धित मंत्री इस विषय में सदन के सामने कुछ प्रकाश डालें।" उपरोक्त निर्णय के उपरान्त कुंवर

(श्री अध्यक्ष)

विश्वेन्द्र सिंह के निवेदन पर कि सदन को विश्वास में लिये जाकर यह व्यवस्था की जाय तो अध्यक्ष ने कहा "The decision is there and I sympathise with the feelings of the hon" ble leaders of the opposition but there are rules to that effect. The condition in one city cannot, in my opinion, be sufficient enough to adjourn the business of the House. Moreover what the House or the hon'ble Members of this House are anxious about is to know the condition there. They can seek information and draw the attention of the House to the state of affairs that is pravailing in that city by short notices, questions and for that I have rather requested the Minister concerned to give a statement."

श्री ईश्वरलाल सैनी : उसमें कितने लोग मरे थे ? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, इस मामले की गम्भीरता को समझयेगा। बीगोद के मामले में जो भी आपने व्यवस्था दी, उसको हमने स्वीकार किया।

श्री अध्यक्ष : मैंने सारी बात पर गम्भीरता से सोचने के बाद, इस सदन में जो कुछ हुआ है उसका आपके सामने उल्लेख किया है। क्योंकि गृह मंत्रीजी आज ही चार बजे आपके सामने स्टेटमेंट देकर और उस पर आप जो इस सम्बन्ध में चर्चा करना चाहें, चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, इसलिए प्रश्नकाल को स्थगित करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यदि प्रश्नकाल के बाद आप चर्चा कराते हैं, तो हम स्वीकार कर सकते हैं। चार बजे तक इन्तजार नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री बुलाकीदास कल्ला।

(अनुपस्थित)

श्री रामप्रसाद।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कृपया हमारा निवेदन सुन लें। भीलवाड़ा जिले से आने वाले माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते हैं। आप उन्हें सुनें।

श्री अध्यक्ष : अच्छा आप विराजें, उनको बोलने दीजिय।

श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो रूलिंग दी है, आज तक राजस्थान में जो घटनाएं घटी हैं, उनके बिल्कुल ही विपरीत परिस्थिति इस घटना की है। आज तक राजस्थान के इतिहास में ऐसी घटना नहीं घटी। जिस तरह की घटना हुई, आज मुझे सूचना मिली है, मैंने अभी जिला प्रशासन से बात की है और मैं आपको बताना चाहता हूं। जिला प्रशासन ने कल विश्व हिन्दू परिषद को जुलूस निकालने की इजाजत दी थी, और उसके आधार पर विश्व हिन्दू परिषद के लोग और वहां के...(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा मंत्री) : चर्चा शुरू कर दी।

श्री अध्यक्ष : यह अपनी बात कह रहे हैं भीलवाड़ा जिले की, इनको सुन लीजिये आप।

श्री हीरासिंह चौहान : आपने इजाजत दे दी क्या ? जब चार बजे के लिए तय कर दिया....

श्री अध्यक्ष : प्लीज,जल्दी बोल लीजिये, दो मिनट में।

एक माननीय सदस्य : इससे अच्छा तो आप पटवा जी की बात सुन लें।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आपके द्वारा व्यवस्था दे दी गई है चार बजे की, तो फिर बोलने का क्या मतलब ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पटवा जी भी दो मिनट बोलेंगे।

श्री देवेन्द्र सिंह : मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिलाधीश ने वहां जाकर कहा, कल संयोग से मुख्य मंत्रीजी, गृह मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी सब वहां पर गये और उनकी डाइरेक्शन्स पर जिलाधीश ने वहां पर जाकर कहा कि आपको जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, यह तो चर्चा ही शुरू कर दी। इसका मतलब क्या है ? आपकी रूलिंग का कोई मतलब ही नहीं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलने दीजिये। प्लीज बैठें।

श्री रामकिशन : पाइंट ऑफ आर्डर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर है।

श्री देवेन्द्र सिंह : मैंने शुरू में ही कह दिया कि ऐसी घटना राजस्थान में कभी नहीं घटी। वहां पर जो सरकार ने आदेश दिया, मुख्य मंत्री ने आदेश दिया जिला प्रशासन को कि आप स्वयं वहां पर जाकर ज्ञापन ले लीजिए, वहां पर जुलूस निकला तो हंगामा होने की सम्भावना है। कलक्टर वहां पर गया, वहां पर विधायक मौजूद थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन जिला अध्यक्ष मौजूद थे, वर्तमान अध्यक्ष मौजूद थे। कलक्टर ने कहा कि यह ज्ञापन आप मुझे दे दीजिये, जुलूस निकालने की इजाजत नहीं, इसलिए नहीं निकालें। इस पर तनाव हुआ। न तो वहां पर दूसरी पार्टी थी, न तो मुस्लिम वहां पर मौजूद थे। वहां पर दूसरे रास्ते से जुलूस निकालने की इजाजत दी, दूसरे रास्ते को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उसके बाद सरकार मना करे और सरकार के लोग वहां पर गोली चलावें, मैं समझता हूं राजस्थान में ऐसी घटना कभी नहीं घटी। इस पर तत्काल व्यवस्था देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्रीमती रमा पायलट।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यदि प्रश्नकाल के बाद जवाब आता है, तब तो हम मानते हैं, नहीं तो नहीं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय,

(श्री हरिदेव जोशी)

भीलवाड़ा में जो घटना घटी है, वह अपने आप में बहुत ही खेद जनक है।

एक माननीय सदस्य : आप तो बहुत लेट आये हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : अगर किसी सरकार विरोधी संस्था ने यह कार्य किया होता तो ऐसा समझा जाता कि सरकार को असहयोग करने वाले ही लोग सरकार को हैरान करना चाहते हैं इसलिए यह सब हुआ है। मगर रूलिंग पार्टी देश के अन्दर अव्यवस्था पैदा करे और यह हालत पैदा करे कि पुलिस को गोली चलानी पड़े, तो इससे अधिक शर्मनाक चीज और हो नहीं सकती। इसलिए हम चाहते हैं कि इस केस के अन्दर जो लोग दोषी हैं उनको सजा दीजिये, वह तो एक बात हुई। और रूलिंग पार्टी का रोल इस स्टेट के अन्दर क्या है ? भारतीय जनता पार्टी का इस देश के अन्दर रोल क्या है, यह घटना एक प्रकार से इसको एक्सपोज करती है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी जुडशियल इन्क्वायरी हो और उस जुडीशियल एन्क्वायरी की रिपोर्ट को सदन के सामने रखा जाये, प्रदेश के सामने रखा जाये कि जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां यह हो रहा है, प्रांत में यह हो रहा है। जो पार्टी देश के अन्दर हुकूमत करना चाहती है और जोरों से तैयारी कर रही है, उसके हाथ में अगर देश की सत्ता सौंपें तो क्या होगा।

श्री अध्यक्ष : अब यह व्यवस्थाएं हैं। आप जरा बैठिये। रूलिंग पार्टी को देश चलाना है। (व्यवधान) आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : एक भी व्यक्ति, जो उनकी इच्छा के खिलाफ हैं, वह जिन्दा नहीं रहेगा और स्लाटरिंग होगा इस देश के अन्दर उन लोगों का जो उनसे मेल नहीं खाते हैं। आज क्या कारण है कि पुलिस ने रास्ता बताया था कि आप इधर से जाइये, उसको छोड़कर दूसरी जगह से वह जाने लगे। पुलिस ने कहा आप ज्ञापन देना चाहते हैं, ज्ञापन दे दीजिए। उसको भी उन्होंने नहीं माना। इसके मायने यहीं हैं कि दीदाह दानिश्ता विश्व हिन्दू परिषद् और भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकार से अंग है, वह आज देश के अन्दर अव्यवस्था पैदा करना चाहती है, कयास पैदा करना चाहती है, डराना चाहती है और आने वाले इलेक्शन्स के अन्दर इस भय के वातावरण के अन्दर देश को धकेलना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठोड़ : यह चर्चा शुरू कर दी क्या ? प्रश्नकाल स्थगित कर दिया क्या ?

श्री अध्यक्ष : वह समाप्त कर रहे हैं। आप समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : प्रश्न यह नहीं है कि प्रश्नकाल....

श्री अध्यक्ष : अब मैं प्रश्न ले रहा हूं। श्री गोविन्द सिंह गुर्जर... (व्यवधान) इस बारे में चर्चा होगी, आपको बोलने का मौका मिलेगा। चर्चा होगी।....चर्चा होगी। माननीय श्री गोविन्द सिंह गुर्जर। श्री सालिगराम। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के नेता को पहले बोलने का अवसर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल। श्री सालिगराम। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष की व्यवस्था के बाद में....(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : अगर आज एक भी....

श्री अचलाराम : लाठी, गोली चलाने वाली सरकार देश की रक्षा नहीं कर सकती। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : प्रश्नकाल के बाद ले लीजिये। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : प्रश्नकाल के तुरन्त बाद ले लीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नत्थी सिंहजी कुछ बोल रहे हैं। नत्थीसिंहजी।

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के बाद ले लीजिए। राज्य सरकार समझती है। प्रश्नकाल के पश्चात् ले लीजिए। (व्यवधान) प्रश्नकाल के तुरन्त बाद ले लिया जाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री नत्थी सिंह : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, माननीय विपक्ष के नेता और सदन के नेता से कि यह एक अहम् प्रश्न है, इसलिए प्रश्नकाल के तुरन्त बाद इसी पर चर्चा हो जाये। जो जवाब हो, वह सदन में बता दें।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, पहले विपक्ष के नेता को समय दिया जाये, फिर उसके बाद व्यवस्था दी जाये।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप आसन की व्यवस्था को चेलेन्ज कर रहे हैं। अभी आसन की व्यवस्था को....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्यमंत्री) : सदन में चर्चा तो होनी है, इसमें तो किसी प्रकार का कोई सन्देह ही नहीं है। इसका जवाब देने के लिए भी हम तैयार थे। हमने आपसे व्यवस्था मांगी थी कि चार बजे हम इसका उत्तर दे दें, लेकिन यदि आपको इतनी ही ताकीद है तो प्रश्नकाल के बाद यदि आप व्यवस्था दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : चलिये। श्री गोविन्दसिह गुर्जर।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। आप प्रश्न....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : नहीं, नहीं, मैं....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। प्रश्न।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : 283।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : 283 में कल्ला साहब का मेरे पास यह है।

श्री अध्यक्ष : लिखा हुआ है, आपके पास। अच्छी बात है, चलिये। 283

बीकानेर नगर विकास न्यास एवं नगरपालिका की भूमि पर विभिन्न विभागों द्वारा अतिक्रमण

283. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर शहर में जलदाय विभाग उत्तर रेल्वे, विद्युत एवं अन्य सरकारी विभागों ने कहां-कहां नगर विकास न्यास एवं नगरपालिका की जमीनें कब्जे में कर रखी हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पुराने मीटर गेज रेल ट्रेक पर ब्राड गेज लाइन डालने की कार्यवाही रेल्वे द्वारा गुप-चुप रूप से की जा रही है? मास्टर प्लान में रेल फाटकों को हटाने के लिए क्या-क्या प्रावधान किये गये हैं? क्या सरकार मास्टर प्लान को क्रियान्वित करने हेतु रेल्वे को नोटिस देकर अविलम्ब डाइवर्सन ट्रेक डलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या बीकानेर शहर के मास्टर प्लान के अन्तर्गत आने वाली जमीनें अधिग्रहित कर ली गई? यदि नहीं, तो कब तक अधिग्रहित कर ली जावेगी?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) बीकानेर शहर में नगर परिषद् की जो जमीनें जलदाय विभाग, उत्तर रेल्वे, विद्युत विभाग व अन्य सरकारी विभागों ने कब्जे में की हुई है। उनकी सूची परिशिष्ट "अ" एवं नगर विकास न्यास बीकानेर की भूमि पर अन्य विभागों द्वारा कब्जे की भूमि की सूची परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) बीकानेर के मास्टर प्लान में वर्तमान में छोटी लाइन जो शहर में से होकर गुजरती है, को पश्चिम और दक्षिण में डाइवर्सन करने का प्रस्ताव है। यह रेल लाइन 1996 के प्रस्तावित शहरी विकास क्षेत्र की सीमा से बाहर प्रस्तावित की गई है। ऐसा करने से फाटक बन्द होने से यातायात में जो अवरोध उत्पन्न होता है वह भी दूर हो सकेगा।

(3) जी नहीं। न्यास की जैसे-जैसे योजनाएं बनती जाती है, उनके अनुसार अधिग्रहण की कार्यवाही की जाती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जो भाग एक में माननीय मंत्री महोदय ने यह माना है कि भूमि अधिग्रहित की गई है, मैं यह जानना चाहूंगा कि इस अधिग्रहित भूमि का सम्बन्धित विभागों को मुआवजा दिया गया है, या नहीं दिया गया और यदि नहीं दिया गया, तो क्यों नहीं दिया गया? भाग, दो में जो आपने बात बताई है कि यहां ब्राडगेज का कार्य डाइवर्सन ट्रेक के ऊपर हो रहा है, या करवाया जायेगा, जैसा कि मास्टर प्लान में है, तो उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि अभी जो काम हो

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

रहा है, ब्राडगेज का वह पुरानी जो मीटर-गेज की लाइन है, उसी के ऊपर हो रहा है, डाइवर्सन ट्रेक के ऊपर नहीं हो रहा है, इसके सम्बन्ध में आपका क्या कहना है।

खण्ड तीन के सम्बन्ध में आपने जो कहा है कि मास्टर प्लान के अन्तर्गत आने वाली जमीनों को हम नहीं ले रहे हैं, उनकी भी जरूरत नहीं है, वह तो ठीक है। लेकिन यह जो डाइवर्सन ट्रेक के लिए जमीन जरूरी है, उसको आपने ले लिया या नहीं लिया, ताकि ब्राडगेज का काम उस डाइवर्सन ट्रेक के ऊपर चालू हो सके।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न एक में मैंने अधिग्रहित किया, यह नहीं कहा। कोई भी भूमि अधिग्रहित नहीं की गई, बाकी सरकारी विभाग वहां चल रहे हैं। यह जमीन नहीं है, यह एक भवन है जिसमें विभिन्न सरकारी कार्यालय चालू हैं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : जमीन के ऊपर हैं भवन।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने भवनों के लिए कहा है, माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आप उस जमीन का यूज तो कर रहे हैं। उसका कोई मुआवजा देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, मैं तो यह पूछना चाहता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह अधिग्रहण का सवाल ही नहीं है, ये तो हमारे सरकारी भवन हैं और उन सरकारी भवनों में कार्यालय चल रहे हैं। उसकी सूचना है यह तो। आप दुबारा देख देख लें, सरकारी भवनों में जो कार्यालय चल रहे हैं उनका सवाल है यह तो।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आपके कब्जे में हैं, आप उनको काम में ले रहे हैं। आप उनको पैसा देना चाहते हैं कि नहीं?

श्री भंवरलाल शर्मा : किनको?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : जिनकी वह जमीन है।

श्री भंवरलाल शर्मा : सरकारी भवन है भई।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आपके जल-दाय विभाग का हो चाहे....

श्री केदार नाथ शर्मा : अध्यक्ष जी, प्रश्न यह है कि इन महकमों का कब्जा न्यास की जमीन पर है, परिषद की जमीन पर है। आप उसको रैगुलराइज करना चाहते हैं या उनको हटाना चाहते हैं वहां से।

श्री भंवरलाल शर्मा : इनको रैगुलराइज करेंगे, हटायेंगे कैसे। रैगुलराइज करेंगे। पैसा भी मांग रहे हैं। कुछ विभागों ने दिया नहीं है, उसकी हम कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : दो भागों का जवाब रह गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : खण्ड तीन में मैंने उत्तर दिया। प्रश्न है कि क्या बीकानेर शहर के मास्टर प्लान के अन्तर्गत आने वाली जमीनें अधिग्रहित कर ली गई हैं। मैंने उत्तर दिया है, जी नहीं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैंने आपसे पूछा है कि डाइवर्जन ट्रेक के लिए जिस भूमि की जरूरत है वह आप अधिग्रहीत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। डाइवर्जन ट्रेक जो बन रहा है वह अभी शहर के अन्दर से ही बन रहा है जहां मीटर गेज बिछी हुई है। 58 बार वह फाटक बन्द होता है, अगर वहां लाइन बना दी गई ब्रॉड गेज की तो और ज्यादा बन्द होगा।

श्री अध्यक्ष : यह रेल्वे लाइन के डाइवर्सन की बात कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, उसमें अगर आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से अधिग्रहीत करेंगे, हम योजना को पूरी करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री रामप्रसाद।

प्रश्न संख्या 284

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

नैक्स्ट, श्रीमती रमा पायलट, श्री गोविन्द सिंह गुर्जर।

ब्यावर के साम्प्रदायिक दंगों की जांच

285. **श्रीमती रमा पायलट** (हिण्डोली), **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) एवं **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर शहर में दिनांक 24-10-1990 को हुए साम्प्रदायिक दंगों की जांच विधायकगण सर्वश्री रघुवीर सिंह कौशल, मदनलाल सैनी व हीरासिंह चौहान द्वारा की जाकर रिपोर्ट माननीय मुख्य मंत्री को दी गई थी ?

(2) उक्त समिति की रिपोर्ट में क्या प्रशासन को दोषी माना गया है ? यदि हां, तो सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री शान्तिलाल चपलोत) : (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, वह कह दें कि मेरे को इस तरह की कोई माननीय विधायकों की रिपोर्ट नहीं मिली है।

श्री शांतिलाल चपलोत : प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपके पास तीन विधायकों की ब्यावर के दंगों के सम्बन्ध में रिपोर्ट आयी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य रामनारायण वर्मा, यह अखबार मत पढ़िये इस तरह, नियम विरुद्ध है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : तीन आदमियों की रिपोर्ट आपके पास नहीं आयी ? उक्त रिपोर्ट में यह माना गया है कि दंगों की जिम्मेदारी प्रशासन की है। आप बता दीजिये, मैं सन्तुष्ट हो जाऊंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : नहीं आयी।

श्री शान्तिलाल चपलोत : किसी प्रकार की कोई कमेटी नहीं गयी और न किसी प्रकार की रिपोर्ट ही आयी है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आपके पास रिपोर्ट आयी कि नहीं आयी, मैं तो यह पूछ रहा हूं ।

श्री हेतराम बेनीवाल : ये तीन सदस्य विधानसभा के सदस्य हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री सालिगराम

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की ओर से कभी नहीं भेजा गया था, हमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भेजा था और रिपोर्ट भी प्रदेश अध्यक्ष को दी गयी । सरकार के पास लम्बे-चौड़े हाथ हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री सालिगराम, श्री गोविन्दसिंह गुर्जर ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : प्रश्न संख्या 286 ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, रमा पायलट के प्रश्न का उत्तर देंगे गोविन्दसिंह जी, सालिगरामजी के प्रश्न का उत्तर देंगे गोविन्दसिंहजी और सालिगराम जी का प्रश्न होगा तो उसका उत्तर देंगे गोविन्दसिंह जी । मैं तो एक जानकारी करना चाहता हूं....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मेरे को तो आपको मैडल देना चाहिए ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या कांग्रेस जातियों में विभाजित हो गयी कि एक जाति के प्रश्न को दूसरी जाति के आदमी पूछ नहीं सकते ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : नहीं, बी. डी. कल्ला हैं, जुबेर खान हैं, ये सभी हैं, सबका कह रहा हूं । आपको तो मेरे को शाबाशी देनी चाहिए । इतनी मेहनत कर रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दे रहा हूं शाबाशी, आपको शाबाशी इस हद तक देता हूं कि ये सब नहीं हों तो आप अकेले बहुत हैं ।

जल संसाधन विकास निगम द्वारा सिंचाई हेतु ट्यूबवैल का निर्माण

286. **श्री सालिगराम** (बयाना) व **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद : क्या भू-जल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में जल संसाधन विकास निगम अपनी स्थापना की तिथि से अब तक कितने ट्यूबवैल सिंचाई के लिए खोद चुका है ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) सरकार किसानों को ट्यूबवैल खोदने के लिए इस निगम से क्या सहायता उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मंत्री, भू-जल (श्री मान्धाता सिंह) : (1) राजस्थान जल संसाधन विकास निगम ने अपने स्थापना वर्ष 1984 से जनवरी, 1991 तक की कुल अवधि में 1377 सिंचाई कुओं में बोरिंग कर उनकी नल-कूप के अनुसार क्षमता बढ़ायी । इसके अतिरिक्त 116 नल-कूप भू-जल सर्वेक्षण हेतु, पेयजल हेतु व अन्य विभागों एवं संस्थाओं के लिए खोदे गये । जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) राज्य सरकार द्वारा कृषकों के

(श्री मान्धाता सिंह)

समूह के लिए एक सामुदायिक नल-कूप सिंचाई योजना चालू है। योजना की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें।)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, योजना की प्रति मेरे को उपलब्ध नहीं हुई। मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि योजना की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है, लेकिन मेरे को कागज मिले हैं उनमें तो है नहीं।

श्री मान्धाता सिंह : सदन की मेज पर तो रख दी गई है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : उसकी कापी हमें भी मिलती है, मंत्री महोदय।

श्री मान्धाता सिंह : मैं भिजवा देता हूं, आपके पास भिजवा दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : वह दे दें आप।

अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन विकास निगम का निर्माण, जैसा कि आपने भी माना है, लघु सिंचाई की बढ़ोतरी के लिए हुआ था। आपके विभाग ने इसमें क्या काम किया। वह 116 कुए खोदने की आपने बात बतायी। इन 116 कुओं में से 48 कुएं तो भू-जल विभाग के सर्वेक्षण के (Explosatory) में हैं, 45 पी. एच. ई.डी. के लिए खोदे हैं और 23 दूसरे विभागों, संस्थाओं के लिए खोदे हैं। इसमें यह बता दीजिए कि किसान के लिए कितने कुएं खोदकर दिये, एक सवाल तो मेरा यह है। दूसरे, आपने सामुदायिक नलकूप योजना का जिक्र किया है। यह योजना 1989-90 में चालू हुई और 6 जिलों के लिए इनको चालू किया गया था। उस समय करीब 67 स्थानों का चयन किया गया था और उसकी रिपोर्ट बनाकर बैंकों में ऋण देने के लिए भेजी गई थी। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में चम्बल के अलावा कोई पेरीनितल रिवर नहीं है, जितना जल है वह जमीन के नीचे है। इस बात को मद्दे नजर रखते हुए इसी तरह के हरियाणा, गुजरात और पंजाब के माइनर इरिगेशन ट्यूबवैल कार्पोरेशन्स के अनुरूप यह कार्पोरेशन यहां बनाया गया था। मकसद था किसानों को कुएं खोदकर देना। उसमें जोखिम भी होती है कि कभी खोदा और पानी नहीं आया। उसकी पूर्ति हम किस तरह कर सकते हैं या किसी प्रकार का अनुदान सरकार देती है। आपने जिक्र किया है कि सामुदायिक नलकूप योजना में 50 प्रतिशत अनुदान सरकार देती है अगर पांच आदमी मिलकर एक कुआं खोदना चाहें। लेकिन मुझे अफसोस है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण पढ़ा उसमें भी जिक्र नहीं है कि इस ट्यूबवैल कार्पोरेशन के तहत, योजना के तहत आप किसानों को ट्यूबवैल खोदकर देंगे। ये पी. एच. ई. डी. वालों के लिए है, उनको तो खुद के पास ही बहुत साधन हैं। किसानों के लिए कितने कुएं खोदने का आपका लक्ष्य है। यह जो सामुदायिक योजना है, जैसी कि मुझे जानकारी है, वह आपने बन्द कर दी है और उसके ऊपर सरकार पुनर्विचार कर रही है। क्या यह सच है?

श्री डूंगरराम पंवार : आपकी पार्टी को कितने कुओं की जरूरत है?

श्री हेतराम बेनीवाल : 26 तो अपने लिए कुएं खोद लो इनके साथ ही।

श्री मान्धाता सिंह : अध्यक्ष महोदय, किसानों के ट्यूबवैल खोदने के लिए हमारे पास में व्यवस्था है....

श्री अध्यक्ष : सवाल है कि कुएं में गिरेगा कौन ?

एक माननीय सदस्य : अब यह ट्यूबवैल का मामला है।

श्री मान्धाता सिंह : अभी माननीय सचेतक जी ने फर्माया कि ट्यूबवैल खोदने की व्यवस्था है। **(व्यवधान)**

जैसा कि एक माननीय सदस्य ने फर्माया, इस 16 तारीख के बाद यह तय हो जायेगा कि डार्क जोन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद में यह व्यवस्था कर दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री विश्नोई जी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : ऐसा है कि आप किसानों के नलकूप इस लिए निर्मित नहीं करा पाये कि पहले यदि नलकूप में पानी निकलता था तो केन्द्रीय सरकार एक अनुदान देती थी उस अनुदान से उस कुएं को खुदा हुआ माना जाता था और यदि पानी निकल जाता था तो उससे कीमत वसूल की जाती थी, तो वह अनुदान पुनः केन्द्रीय सरकार ने चालू कर दिया या राज्य सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था की है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मनीराम सियाग।

श्री मनीराम सियाग (लूनकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जनवरी माह में 28-29 तारीख को केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय की ओर से एक पार्टी सर्वे करने के लिए आई थी, उसमें यहां के राजस्थान के अधिकारी भी थे, मेरे लूनकरणसर विधान सभा क्षेत्र में काफी लम्बा-चौड़ा मीठे पानी का बेल्ट नीचे है और वह नहर सिंचाई योजना से भी बाहर है तो क्या जल संसाधन मंत्री यह आशय रखते हैं कि लूनकरणसर में किसानों के ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवैल खुदवा कर सिंचाई योजना के लिए उपलब्ध करवायेंगे ? दूसरा, मेरा निवेदन है कि बीकानेर जिले में 4 रिग्स मशीनें थीं वह सारी की सारी जोधपुर ट्रांसफर कर दी गई हैं, वहां पर एक रिग मशीन भी नहीं है, तो क्या निकट भविष्य में बीकानेर जिले में उपलब्ध करवाने वाले हैं। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रश्न करना चाहूंगा कि भू-जल सर्वेक्षण में किस प्रकार के जल को कृषि योग्य एवं किस प्रकार के जल को पेयजल हेतु उपयुक्त माना गया है। नाइट्रेट फ्लोराइड की कितनी मात्रा के पानी को कृषि योग्य एवं पेयजल योग्य माना गया है? दूसरा, मेरा प्रश्न है कि सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्टेट डवलपमेंट कितने प्रतिशत होना चाहिए ? तीसरा, मेरा प्रश्न है....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : यह पेयजल का नहीं है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : हां, कृषि का ही कह रहा हूं। तीसरा, मेरा प्रश्न है कि भू-जल विभाग भू-जल क्षमता कितने लीटर प्रति घंटा को सफल नलकूप की श्रेणी में मानता है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह दहिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि अण्डर ग्राउण्ड पानी है उसका दोहन ही किया जाता है तो क्या संग्रहण करने की जो नयी तकनीक है उसका उपयोग राजस्थान सरकार करना चाहती है? क्या गुजरात प्रान्त के अन्दर ट्यूबवैल नदी के बेसिन में खोदकर अण्डर ग्राउण्ड जो पानी है उसको बढ़ाने की उन्होंने स्कीम बना रखी है उस स्कीम को यहां लागू कर स्टोरेज बढ़ाना चाहती है? तीसरा, इसी तरह से राजस्थान सरकार ने इर्रिगेशन के इन्जीनियर्स को अमेरिका भेज कर बेसमेंट स्कीम के लिए ट्रेनिंग दिलवाई थी उस बेसमेंट स्कीम के तहत अण्डर ग्राउण्ड स्टोरेज को बढ़ाने की व्यवस्था लागू कर सरकार किसानों को लाभान्वित करना चाहती है?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट सवाल था कि क्या यह सामुदायिक योजना वर्तमान में चल रही है? अगर चल रही है तो किस प्रकार से किसान लाभ उठा सकते हैं? एक तो यह बता दीजिए। दूसरा, जैसा आपने डार्क जोन की समस्या बतायी है तो जिन सरप्लस स्थानों का आपने चयन किया है, उनकी सर्वेक्षण रिपोर्ट भी आ चुकी है, वह डार्क जोन के बाहर हैं तो क्या आप उनमें नलकूप खुदवायेंगे? तीसरा, मेरा प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, कि जिस तरह से गुजरात या हरियाणा में वाटर चार्जेज लेकर डिपार्टमेंट खुद नलकूप खुदवाये और किसानों को जो पानी दे उसका चार्ज करे, इस प्रकार की व्यवस्था यहां पर लागू करना चाहती है? इन तीन बातों का स्पष्ट उत्तर दिलवायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।.... आप बिराजें।

श्री मान्धाता सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय सदस्यों ने फर्माया कि राज्य सरकार की कोई ऐसी स्कीम है या नहीं, ट्यूब वैल्स खुदवाने की राज्य सरकार के पास स्कीम थी, उनको अनुदान भी हम पहले देते थे और जहां तक सवाल है नये ट्यूब वैल्स का उसकी रिपोर्ट भी 16 तारीख तक आ जायेगी उसके बाद में ट्यूब वैल्स के लिए....(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : रिपोर्ट तो पालियामेंट भग होने की आ रही है। (व्यवधान)

श्री मान्धाता सिंह : मैं एक-एक तो बता रहा हूं। जैसा कि माननीय सदस्यों ने अभी फर्माया कि ट्यूब वैल्स कैसे लगाये जाते हैं, उसकी रिपोर्ट कैसी है....(व्यवधान) मेहरबानी करके आप सुन लें उसके बाद में आप चाहे जितना....

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : मेहरबानी तो श्री भैरोंसिहजी ने की है।.... (व्यवधान)

श्री मान्धाता सिंह : वह मेहरबानी श्री भैरोंसिहजी ने की है या किस-किस ने की.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आर्डर प्लीज ।

श्री मान्धाता सिंह : जैसा कि अभी माननीय सदस्यों ने फर्माया 20 हजार लीटर प्रति घंटा की क्षमता को....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अच्छा, मैं नैक्स्ट प्रश्न को बुलाता हूं । श्री चुन्नीलाल खण्डार । नैक्स्ट क्वेश्चन । आप जवाब सुनना नहीं चाहते हैं । बिराजें आप । नैक्स्ट ।

खण्डार क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत

287. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1990-91 में खण्डार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को सड़कों के पेच रिपेयर हेतु कितनी-कितनी राशि, किस-किस सड़क पर स्वीकृत की गई थी ? उक्त अवधि में किस-किस ठेकेदार से, किस-किस सड़क का कार्य करवाया गया एवं विभाग द्वारा किस किस सड़क का पेच रिपेयरिंग का कार्य किया गया ? कितनी-कितनी धनराशि किस-किस सड़क पर खर्च की गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) सवाईमाधोपुर से खण्डार, पाली, बालोतरा, तलाबड़ा, फलोदी, भगवतगढ़ शिवाड़ सड़कों की पेच रिपेयर अब तक भी नहीं होने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़कों की पेच रिपेयर की राशि अधीक्षण अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता की मिली भगत से बिना कार्य किए ही उठा ली गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों को पेच रिपेयर कराने एवं दोषी कर्मचारियों को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) वर्ष-1990-91 में खण्डार विधान सभा क्षेत्र की सड़कों के पेच रिपेयर हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गई उसका सड़कवार विवरण संलग्न सूची '1' के कालम नम्बर 4 में दर्शाया गया है । उक्त अवधि में केवल एक सड़क(मई-गंडावर) पेच रिपेयरिंग का कार्य मात्र 2645 रुपये का श्री रामविलास, संवेदक से करवाया गया था । इस सड़क के अतिरिक्त सभी सड़कों का पेच रिपेयरिंग कार्य विभागीय स्तर पर करवाया गया है । जिन-जिन सड़कों पर पेच रिपेयरिंग हेतु राशि व्यय की गयी है, उसका विवरण संलग्न सूची '1' के कालम संख्या 5 में दर्शाया गया है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी एक मिनट ।

माननीय सदस्य मैं पिछला प्रश्न(तारांकित प्रश्न सं. 286) स्थगित करता हूं। (व्यवधान)

अब आप इसे दुबारा पढ़ दीजिये ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : (1) वर्ष 90-91 में खण्डार विधान सभा क्षेत्र की सड़कों के पेच रिपेयर हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गयी उसका सड़कवार विवरण संलग्न सूची '1' के कालम नम्बर 4 में दर्शाया गया है । उक्त अवधि में केवल एक सड़क (गई-गंडावर) के पुच रिपेयरिंग का कार्य मात्र 2645 रुपये का श्री रामविलास, संवेदक से करवाया

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

गया था। इस एक सड़क के अतिरिक्त सभी सड़कों का पेच रिपेयरिंग कार्य विभागीय स्तर पर करवाया गया है। जिन-जिन सड़क पर पेच रिपेयरिंग हेतु राशि व्यय की गई है, उसका विवरण संलग्न सूची '1' के कालम संख्या 5 में दर्शाया गया है।

(2) सवाईमाधोपुर से खण्डार, पाली, बालेर, तलावड़ा, फलोदी, भगवतगढ़, शिवाड़ सड़कों की आवश्यकतानुसार पेच रिपेयरिंग 15 जनवरी, 1991 तक की जा चुकी है। पुनः हुए पेचों की रिपेयरिंग प्रारम्भ की जा रही है क्योंकि पेच रिपेयरिंग का कार्य एक निरन्तर प्रक्रिया है।

(3) जी नहीं। किए गए कार्य के अनुसार ही व्यय किया गया है। अतः कर्मचारियों को दण्डित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री चुन्नीलाल : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सवाई माधोपुर से खण्डा, पाली, बालेर, तलावड़ा, फलोदी, भगवतगढ़, शिवाड़, इन सड़कों के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई और उसमें से अब तक कितनी राशि खर्च हो चुकी है?

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ता हुआ यह प्रश्न है। इस प्रश्न में इन्होंने दूसरे खण्ड में दिया है कि 15 फरवरी 1991 तक पेच रिपेयरिंग का कार्य हो चुका है और नीचे एक लाइन और लिख दी है कि अब पेच रिपेयरिंग का कार्य पुनः जारी किया जाएगा तो 15-1-91 तक का पेच रिपेयरिंग का कार्य होकर के फिर पुनः इसको कर रहे हैं। इसका मतलब कुल मिलाकर के गोलमाल यह जो पेच रिपेयरिंग का कार्य होता है इसमें सारे विभाग इस पैसे का क्या कर जाते हैं और मौके पर कोई पेच रिपेयरिंग का कार्य नहीं होता है। इसलिए इस सारे मामले का इस प्रश्न से ही मालूम पड़ रहा है कि पेच रिपेयरिंग का कार्य नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मेरा और है। मंत्री महोदय जब जवाब दें तो एक और बताएं कि विभागीय रूप से इस प्रकार की कई अनियमितताएं होती हैं। हमारे नीम का थाना में भी एक....

श्री अध्यक्ष : यह नीम का थाना कहां से आ गया, बैठिये आप। श्री मोतीलाल मीणा।

श्री मोतीलाल मीणा (सवाईमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह खण्ड दो में जो सवाई माधोपुर से खण्डार, पाली, बालेर, तलावड़ा फलोदी भगवतगढ़ शिवाड़ सड़कों का आपने फर्माया कि काम कम्प्लीट करवा दिया गया है। मेरा स्पष्ट आरोप है कि यहां कोई दो पैसे का कार्य नहीं हुआ है। मैंने एक्स. ई.एन. सवाई माधोपुर से पूछा कि यहां काम करवा दिया गया है तो उन्होंने कहा कि ठीक है हमने सड़क पर पचास हजार का काम करवाया है। भगवतगढ़ सड़क है, पाली है, तलावड़ा है जहां दो पैसे का काम नहीं किया गया है। मेरा आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, मंत्री पर स्पष्ट आरोप है कि हर महीने सवाई माधोपुर जाना और एक्स. ईएन. पी. डब्ल्यू. डी. के नाम से रेस्ट

(श्री मोतीलाल मीणा)

हाउस में ठहरना और जनता की शिकायतों के लिए नहीं मिलना यह बड़ा अन्याय का मामला है....(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ऐसे मंत्री का यहां बैठना नामुमकिन है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे चाहूंगा कि इन्होंने बताया है कि काम करवा दिया गया है और एक पैसे का काम भी नहीं करवाया गया है।

श्री अध्यक्ष : हो गया, बैठिये आप।

श्री मोतीलाल मीणा : सवाई माधोपुर से सड़क जाती है भगवतगढ़, जो मेरे गांव के पास गुजरती है इसका जवाब चाहिये। जो काम नहीं किया गया है और जवाब दिया है कि काम पूरा कर दिया गया है। ऐसे एक्स. ईएन., ए. ईएन., जे. ईएन. के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खां।

श्री जुबेर खां (रामगढ़) अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जितने भी यह सड़क रिपेयर के काम हैं पिछले पांच-छः साल से जिन ठेकेदारों ने ठेके ले रखे हैं और किसी वजह से काम नहीं कर रहे हैं, सरकार उन सड़कों को इन ठेकेदारों के चगुल से निकाल कर किस तरह से बनवाने की नीति रखती है और ऐसी सड़कों को जो अधूरी हैं और जिनका पैसा स्वीकृत हुआ पड़ा है, विभिन्न ठेकेदारों को ठेके दे रखे हैं उन सड़कों को कब तक मंत्री जी पूरा करवा देंगे यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामनारायण वर्मा : एक सवाल है मेरा।

श्री अध्यक्ष : हां, पूछिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसका जवाब मैं दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : अलग से हो जाएगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मानीय अध्यक्ष महोदय, खण्डार से आने वाले माननीय विधायक ने जो पूछा है कि स्वीकृत राशि क्या थी और व्यय क्या हुई, सूची '1' के कालम नम्बर 4 पर सारी स्वीकृत राशि दी हुई है और कालम नं. 5 पर फरवरी 1991 तक कितनी राशि व्यय हो गई है यह भी दर्शाया गया है। अगर आप चाहें तो मैं उस राशि को पढ़कर बता सकता हूं।

नम्बर 2, इस बार मास स्केल पर सड़कों का सुधार राज्य सरकार द्वारा कराया गया है। इसमें कुछ सड़कें ऐसी हैं कि जिसमें पिछले दस साल तक कोई रिपेयर का काम नहीं हुआ। यह पहली बार है जब इस प्रकार के रिपेयरिंग का काम मास स्केल पर सघन रूप से कराया गया है।

श्री मोतीलाल मीणा : यह असत्य है....(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बैठो तो सही, सुनो तो सही। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब सुनिए प्लीज बैठिए।

श्री मोतीलाल मीणा : इस साल एक भी पैसा....(व्यवधान)

(18)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं करें।

श्री मोतीलाल मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी बोलिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, नीम का थाना से आने वाले सदस्य महोदय ने खण्ड दो में मुझे आपने कहा है कि पेच रिपेयरिंग का काम दुबारा प्रारम्भ हो रहा है। एक सड़क रहती है, पेच बनाना लगातार एक निरन्तर प्रक्रिया है....(व्यवधान) पूरी बात सुन लीजिए। मैं आपके मार्फत कहना चाहता हूं कि उसकी सूची दे रहा हूं। ईसरदा सिवाड़ा सड़क है, 14 किलोमीटर लम्बी है, इसके पेच डवलप का कार्य पूरा कर दिया, दो किलोमीटर ऐसी सड़क है जिसमें कुछ थोड़े से पेच और डवलप हो गए हैं और इस कारण से उस सुधार का कार्य दुबारा शुरू किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, सूरवाल से भगवतगढ़ दूसरी सड़क है जिसकी लम्बाई 16 किलो मीटर है इसके कुल पेच डवलप कर दिए गए हैं 15 जनवरी तक।

श्री मोतीलाल मीणा : नहीं किए गए हैं, अध्यक्ष महोदय, यह असत्य है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं लिखेंगे, इनका नोट नहीं करेंगे।

श्री मोतीलाल मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, आप क्या बोल रहे हैं, अंकित नहीं हो रहा है। आप विराजिये। (व्यवधान) आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। माननीय मंत्री जी।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष जी, जांच कमेटी बैठाई जाय पहले। (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं तीसरी सड़क की चर्चा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से करना चाहता हूं....(व्यवधान) मैं केवल विभागीय जानकारी के आधार पर ही नहीं, मैं खुद की जानकारी के आधार पर वह सड़कें बताना चाहता हूं जो ठीक हुई हैं... (व्यवधान)

श्री मोतीलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष जी, जांच कमेटी की घोषणा कर दी जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त होता है....आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो बैठिये फिर, सुनिये... मिस्टर रामकिशोर प्लीज सिट डाउन। हां, बोलिए आप।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, इन्द्रगढ़ के सवाई माधोपुर 18 किलोमीटर की सड़क है। बहरावण्डा खुर्द खण्डार से लेकर खण्डार तक 16 किलो मीटर की सड़क है। खण्डार से तलावड़ा 8 किलोमीटर की सड़क है, रामेश्वर घाट दस किलोमीटर की सड़क है। अगर कोई भी एक भी बता देगा तो ललितकिशोर चतुर्वेदी इस्तीफा देकर चला जाएगा।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त होता है। (व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नों एवं उनके उत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट संख्या–4 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

वैर के डार्क जोन क्षेत्र का पुनः सर्वेक्षण

284. **श्री रामप्रसाद लढ्ढा (वैर)** : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले की तहसील वैर क्षेत्र को सन् 1980 से डार्क जोन एरिया घोषित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि तहसील वैर के अधिकांशतः गांवों में ट्यूब वैल लगे हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा डार्क जोन एरिया का पुनः सर्वे करवा कर डार्क जोन को हटाने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। भरतपुर जिले की तहसील वैर क्षेत्र को सन् 1980 में नहीं बल्कि अप्रेल, 1984 से डार्क जोन में वर्गीकृत किया गया है। वैर के दोनों भू-जल धारक इकाई क्षेत्रों में भू-जल निकासी की विकास स्थिति 85 प्रतिशत से अधिक होने के कारण उक्त क्षेत्र को डार्क एरिया में वर्गीकृत किया गया।

(2) जी हां। डार्क जोन अब हटा दिया गया है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

दस्यू प्रभावित क्षेत्र सपोटरा की सड़कों हेतु केन्द्रीय सहायता

482. **श्री प्रभूलाल मीणा** (सपोटरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सपोटरा विधान सभा क्षेत्र दस्यू प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र हेतु राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को दस्यू उन्मूलन योजना के अन्तर्गत कितनी राशि की कितनी सड़कों के प्रस्ताव भेजे हैं ? क्या स्वीकृति प्राप्त हो गई ?

(2) हाडौती से केलादेवी रोड पर अब तक कौन-कौनसी योजना में कितनी-कितनी राशि खर्च की गई ? क्या सरकार इस रोड को बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। किन्तु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा सवाई माधोपुर एवं धौलपुर जिलों में चम्बल नदी के बीहड़ क्षेत्रों को विशेष समस्या ग्रस्त क्षेत्र माना गया है जिसमें सपोटरा विधान सभा क्षेत्र का हिस्सा भी सम्मिलित है। अतः विशेष समस्याग्रस्त क्षेत्र योजना के अन्तर्गत भारत सरकार को भेजे गये प्रस्तवों एवं प्राप्त स्वीकृतियों की सूची–1 संलग्न है।

(2) हाड़ौती से कैलादेवी सड़क किमी. 0/0 से 31/0 पर विभिन्न योजनाओं में अब तक किया गया व्यय निम्न प्रकार है :—

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

1.	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम रुपये	5,64,933
2.	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	2,76,875
3.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	2,05,649
4.	अकाल राहत कार्य	73,552
		रुपये 11,21,009

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत इस सड़क का कुछ भाग बूकना से अमरवाड़ 8 किमी. तथा लोहारा से कैलादेवी (3.5 किमी.) कुल 11.5 किमी. लम्बाई में मार्च, 1992 तक पूर्ण करना सम्भव हो सकेगा।

शेष सड़क कार्य (19.5 किमी. लम्बाई) योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं तथा सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कराया जाना सम्भव सो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

रायसिहनगर (श्रीगंगानगर) की सड़कें

483. **श्री रामस्वरूप** (रायसिहनगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछली पंचवर्षीय योजना में जिला श्रीगंगानगर के विधान सभा क्षेत्र रायसिहनगर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कितनी सड़कें पक्की बनाने के लिए स्वीकृत की गई थी ?

(2) उपरोक्त अधूरी सड़कों की स्वीकृति कौन-कौन सी तारीखों में दी गई थी और ये सड़कें कब तक पूरी पक्की बन जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) ये सड़कें कौन-कौन से पंचायत मुख्यालयों तक पक्की बनी हुई है और कौन-कौन से पंचायत मुख्यालयों तक नहीं ? यदि सड़क पक्की नहीं बनाई गई, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार रायसिहनगर के प्रत्येक पंचायत मुख्यालय को पक्की सड़क से जोड़ना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) पिछली पंचवर्षीय योजना में जिला श्रीगंगानगर के विधान सभा क्षेत्र रायसिह नगर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कुल (6+7) 13 कार्य पक्की सड़कें बनाने की स्वीकृति दी गई थी।

(2) उपरोक्त सड़कों में 6 सड़कों की स्वीकृति 18.6.84 को तथा 3 सड़कों की स्वीकृति 21.10.89 को तथा 4 सड़कों की 22.1.90 को दी गई है। कार्य पूर्ण करने की तिथि संलग्न सूची "अ" में दर्शाई गई है।

(3) इन सड़कों से कोई पंचायत मुख्यालय नहीं जुड़ेगा।

(4) जी हां। रायसिह नगर विधान सभा क्षेत्र में कुल 50 पंचायत मुख्यालय है। जिनमें से 24 पंचायत मुख्यालय सड़कों से

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

जुड़े हुए है। तथा शेष पंचायत मुख्यालय को पक्की सड़क से जोड़ना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

धमोतर, इगला (चित्तौड़गढ़) के छात्रावासों का निर्माण

484. **श्री छगनलाल** (बड़ी सादड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बड़ी सादड़ी (चित्तौड़गढ़) निर्वाचन क्षेत्र के धमोतर व इगला के छात्रावास भवन निर्माण की स्वीकृति हुई है? यदि हां, तो कब व कितनी राशि की?

(2) छात्रावास भवन के निर्माण के लिये अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

(3) छात्रावास भवन का निर्माण कर कब तक समाज कल्याण विभाग को सौंप दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ-4 (18) (4) टी. ए. डी./88-89 जयपुर दिनांक 31-3-90 के तहत धमोतर के लिये 17.12 लाख रुपये एवं पत्र संख्या 9692 दिनांक 11-7-89 के तहत डूंगला के लिये 11.50 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

(2) धमोतर के छात्रावास भवन के कार्य को प्रारम्भ करने हेतु कार्य आदेश दे दिया गया है। जबकि डूंगला में भवन निर्माण हेतु पुनः निविदाएं मांगी गई है।

(3) दोनों भवन माह मार्च, 1992 तक पूर्ण कर विभाग को सौंप दिये जाने की सम्भावना है।

बांसवाड़ा जिले में अकाल राहत के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

485. **श्री फतेहसिंह** (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बांसवाड़ा जिले में अकाल राहत के अन्तर्गत निर्मित कितनी सड़कें अधूरी हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने वर्ष 1990-91 में अधूरी सड़कें स्वीकृत की हैं? यदि हां, तो कौन-कौन सी? यदि नहीं तो क्यों?

(3) क्या सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र में कुशलगढ़ से टिमेड़ा, मोयन, घाटी से टिमेड़ा, रामगढ़ से हिम्मतगढ़ वाया उकाला, डूंगरा से शेर ब्रिज वाया जादीमपुरा, मस्का मदुड़ी से कसारवाड़ी वाया टाड़ी बड़ी की अधूरी सड़कों को पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ क्षेत्र में डूंगरा, सातसेरा पर 2 किलोमीटर सड़क स्वीकृत है? यदि हां, तो उसका अभी तक निर्माण कार्य आरम्भ क्यों नहीं किया गया है? अब कब तक यह सड़क निर्मित हो जायेगी?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में अकाल राहत कार्यों में निर्मित 57 सड़कें अधूरी हैं। सूची "1" संलग्न है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी हां, अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत निर्मित अधूरी सड़कों में से 11 सड़कें वर्ष 1990-91 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की है । स्वीकृत सड़कों की सूची "2" संलग्न है ।

(3) अधूरी सड़कों को योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूर्ण कराया जाना सम्भव हो सकेगा । चालू वित्तीय वर्ष(1990-91) में इनमें से चार सड़कों के कार्य हेतु जो स्वीकृतियां जिलाधीश बांसवाड़ा द्वारा दी गई हैं उनका विवरण संलग्न सूची "3" में दर्शाया गया है ।

(4) जी हां, इस सड़क पर कि.मी 11/500 से 13/500 (दो कि. मी.) सड़क विशेष मरम्मत कार्यक्रम के अन्तर्गत सन् 1990-91 में रुपये 2.50 लाख के लिए स्वीकृत है । इस कार्य को माह जुलाई, 1990 से प्रारम्भ कर दिया गया है । इस सड़क का कार्य मई, 1991 तक पूर्ण होनें की संभावना है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

रेलवे स्टेशन डेगाना पर सड़क सुधार एवं नाली कार्य हेतु स्वीकृत राशि

486. **श्री रिछपालसिंह** (डेगाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या डेगाना स्टेशन पर सड़क के सुधार एवं नाली कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा नौ लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं ?

(2) क्या उपर्युक्त स्वीकृत राशि में से 4.75 लाख रुपयों का प्रावधान वर्ष 1990-91 वित्तीय वर्ष में खर्च करने का रखा गया है ? यदि हां, तो यहां निर्माण कार्य अभी तक क्यों नहीं शुरू किया जा रहा है जबकि वित्तीय वर्ष 1990-91 समाप्ति की ओर है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) सड़क निर्माण कार्य में विलम्ब से, निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हो सकेगा? यदि हां, तो इससे आने वाले बरसात के मौसम में आम जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ेगी ? इससे बचने के क्या उपाय किये जायेंगे ? जानकारी मय पूर्ण ब्यौरे के सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । कार्य प्रगति पर है । वित्तीय वर्ष 90-91 में निर्धारित भौतिक लक्ष्य 1 कि. मी. लम्बी डामर की सड़क का कार्य पूर्ण होने की संभावना है ।

(3) जी हां । सड़क तथा नाली का निर्माण कार्य आने वाली बरसात के मौसम से पूर्व पूर्ण कर दिया जायेगा ताकि जनता को असुविधा न हो ।

मेडिकल कालेज चिकित्सालय उदयपुर में डाक्टर राजकुमारी की मृत्यु प्रकरण

487. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या वर्ष 1988 में मेडिकल कालेज चिकित्सालय, उदयपुर में डाक्टर राजकुमारी की मृत्यु हुई थी ? यदि हां, तो

(श्री रामनारायण वर्मा)

मृत्यु के कारणों तथा इसके लिए दोषी चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के नाम सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मृत्यु के बाबत कोई जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट के परिणामों तथा दोषियों के खिलाफ की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस बाबत रेजीडेंट डाक्टर्स ऐसोसिएशन राजस्थान द्वारा भी हड़ताल की गई थी ? यदि हां, तो मांग-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए दोषी डाक्टरों का अन्यत्र स्थानांतरण किया गया था ? यदि हां, तो अब वे डाक्टर कहां पर पदस्थापित हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, डा. राजकुमारी की मृत्यु "Aaphylactic–Shock" से हुई। इस सम्बन्ध में डा. गिरीश वर्मा, सहायक आचार्य मेडिसिन को दोषी पाया गया है।

(2) जी हां, जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की पटल पर रख दी गई है। दोषी पाये गये डाक्टर के विरुद्ध रा. सि. से.(वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां, रेजीडेण्ट डाक्टर्स एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत किये गये मांग-पत्र की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी हां, दोषी पाये गये डाक्टरों को मेडिकल कालेज, उदयपुर से अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया था। डा.गिरीश वर्मा को मेडिकल कालेज, जोधपुर पदस्थापित कर दिया गया है। जो डाक्टर जांच उपरांत दोषी नहीं पाया गया उसे बाद में उदयपुर लगा दिया गया।

(रिपोर्ट के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

सिवाना क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र

488. **श्री हुकमाराम मेघवाल**(सिवाना): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में अब तक कितने स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए ? कितने और खोले जाने हैं ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन केन्द्रों में कितने पद रिक्त हैं? रिक्त स्थानों को कब तक भरे जाने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में अब तक 44 उप केन्द्र खोले गए हैं। वर्तमान में और अधिक उप-केन्द्र खोलना संभव नहीं है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में उपकेन्द्र 3000 की जनसंख्या पर एक के हिसाब से भारत सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध कराने पर खोले जाते हैं।

(2) 16 उपकेन्द्रों पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पद रिक्त हैं जिन्हें प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर भरा जाना संभव हो सकेगा।

(24)

टी. बी. हास्पीटल (उदयपुर) के कर्मचारियों के विरुद्ध ज्ञापन

489. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टी. बी. हास्पिटल, बड़ी (उदयपुर) में कार्यरत कर्मचारियों/चिकित्सकों के विरुद्ध राज्य सरकार को ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिसमें पैसे लेने, किसी दुकान विशेष से दवाएं खरीदने और हास्पीटल में दवाई व सामान खरीदने में कमीशन आदि को लेकर विभिन्न आरोप हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि टी. बी. हास्पीटल, बड़ी (उदयपुर) का सम्पूर्ण स्टाफ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उनके विरुद्ध जांच करने तथा जांच से पूर्व सम्पूर्ण स्टाफ को बदलने की मांग की गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

(3) क्या टी. बी. हास्पीटल, बड़ी (उदयपुर) में सराय बनाने का कोई प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस सराय बनाने के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया ?

(4) क्या यह सही है कि टी. बी. हास्पीटल, बड़ी में जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है और चार-दीवारी न होने से आये दिन वहां के कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्पत्ति को खतरा पैदा हो रहा है ? यदि हां, तो इस बाउण्ड्रीवाल बनाने के सम्बन्ध में विभाग क्या विचार कर रहा है?

(5) क्या ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा कारगर ढंग से उपलब्ध कराने के लिए अलग से किसी निदेशालय बनाने के या जिला स्तर पर जिलाधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता प्रशासन अनुभव करता है ? यदि हां, तो इसके लिये विभाग क्या कदम उठा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां, इस सम्बन्ध में एक शिकायत डॉ. वी. एस. वर्मा, सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध प्राप्त हुई है। शिकायत की जांच कराये जाने पर आरोपों में तथ्य नहीं पाया गया।

(2) जी नहीं। इस प्रकार का कोई मामला राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) टी. बी. हॉस्पीटल बड़ी (उदयपुर) की सम्पूर्ण भूमि अभी राजस्व खाते में चिकित्सालय के नाम स्थानान्तरित नहीं की जा सकी है। अतः अतिक्रमण के सम्बन्ध में सही स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा रही है। अस्पताल की बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु इस वर्ष रु. एक लाख छप्पन हजार की राशि स्वीकृत की गई है।

(5) जी हां। जिला स्तर पर ग्रामीण सेवाओं के प्रभावी ढंग से संचालन हेतु एक पृथक अधिकारी–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पदनाम से लगा दिये गये हैं।

फलासिया (उदयपुर) के रेफरल चिकित्सालय

490. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री कुबेर सिंह)

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में कितने रैफरल अस्पताल वर्तमान में कार्यरत हैं, इनमें वर्तमान में क्या-क्या पद विभिन्न श्रेणियों के स्वीकृत हैं ? उसमें से वर्तमान में कौन-कौन व्यक्ति कब से किस-किस पद पर कार्यरत हैं ? कितने पद कब-कब से रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार द्वारा रैफरल हॉस्पीटल में क्या-क्या सुविधाएं दिये जाने का प्रावधान है ?

(3) क्या क्रम संख्या 2(दो) के अनुसार क्रम संख्या 1(एक) में एक्स-रे मशीन होना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या उक्त अस्पतालों में एक्स-रे मशीन है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या एक्स-रे मशीन खराब है ? यदि हां, तो कब से ?

(5) क्या सरकार उक्त अस्पताल में स्टाफ पदस्थापित करने एवं मशीनें ठीक करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में वर्तमान में एक रैफरल अस्पताल कार्यरत है।

(2) वांछित विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) रैफरल हॉस्पीटल में 30 बैड्स स्वीकृत होते हैं इसमें विशेष सेवायें तथा एक्स-रे, लेबोरेटरी एवं अन्तरंग रोगियों के भर्ती हेतु सुविधायें उपलब्ध रहती हैं इसके अलावा बाह्य रोगियों का उपचार भी किया जाता है। जी हां, इस अस्पताल में एक 100 एम. ए. की एक्स-रे मशीन राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है जिसे आई. जी. ई. इण्डिया कम्पनी ने 30-12-89 को स्थापित किया गया।

(4) प्रारम्भ से ही एक्स-रे मशीन का ट्रांसफार्मर डेमेज होने के कारण चालू हालत में नहीं है।

(5) जी हां, रिक्त पदों को शीघ्र भरा जा रहा है। एक्स-रे मशीन का ट्रांसफार्मर कम्पनी द्वारा भेज दिया गया है जिसे लगाया जा रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

लाखेरी (बून्दी) में रैफरल अस्पताल

491. श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या मंत्री महोदय ने अगस्त 1990 में बून्दी जिले के लाखेरी में 50 शय्याओं वाली क्षमता का रैफरल अस्पताल वर्ष 1991-92 के बजट में खोले जाने की घोषणा की थी ?

(2) यदि हां, तो क्या वर्ष 1991-92 में लाखेरी में रैफरल अस्पताल खोल दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) निदेशालय को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है।

(2) लाखेरी पंचायत समिति केशोरायपाटन में आता है एवं इस पंचायत समिति का 30 शैय्या युक्त रैफरल अस्पताल कापरेन

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

में स्थित है। अतः लाखेरी में रैफरल अस्पताल खोला जाना संभव नहीं है।

टोंक जिले के चिकित्सालयों पर व्यय

492. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

टोंक जिले में चिकित्सा विभाग द्वारा वर्ष 1989-90 एवं वर्ष 1990 से 15 फरवरी, 1991 तक किस-किस कार्य के लिए कहां-कहां पर कितनी कितनी राशि खर्च की गई एवं प्रत्येक वर्ष में प्रशासनिक खर्चा कितना-कितना हुआ ? प्रत्येक का अलग-अलग वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वांछित विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

चिकित्सालय अधिकारी प्रभारी चौमू के विरुद्ध विभागीय जांच प्रकरण

493. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा एव स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या डॉ. ओमप्रकाश शर्मा पूर्व चिकित्सा प्रभारी राजकीय चिकित्सालय चौमू ने सरकारी आवास खाली कर दिया ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक खाली करा लिया जायेगा जबकि डॉ. शर्मा क स्थानान्तरण मई 1990 में ही जिला सीकर में हो गया था ?

(2)क्या डॉ. ओमप्रकाश शर्मा के खिलाफ की जा रही विभागीय जांच पूरी हो गई है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राजकीय चिकित्सालय चौमू के परिवार में दानदाता द्वारा लगाई गई लोहे की चद्दरें जो डॉ. शर्मा द्वारा अपने गांव निजी काम में करीब 3-4 साल पहले ले गये थे, वह वापिस लौटाई अथवा नहीं ?

(4)क्या डॉ. शर्मा का स्थानांतरण मई, 1990 में आम जनता व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर किया गया था ?

(5) क्या डॉ शर्मा के खिलाफ जनता द्वारा मय सबूतों के सरकारी गबन की शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं, डॉ. शर्मा से सरकारी आवास खाली कराये जाने की नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(2)जी नहीं, जांच अधिकारी से रिपोर्ट अपेक्षित है।

(3) जी नहीं।

(4) डॉ. शर्मा का स्थानांतरण मई, 90 में राजकीय चिकित्सालय, चौमू से प्रशासनिक कारणों से किया गया है।

(5) इनका सम्बन्ध प्रश्न के भाग दो से है जिसमें इसका उत्तर दिया गया है।

चिकित्सालयों हेतु कन्टीन्जैंसी राशि

494. **श्री किशनाराम नाई** (श्री डूंगरगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री किशनाराम नाई)

(1) किस-किस श्रेणी के चिकित्सालयों में कितनी-कितनी कन्टीन्जेन्सी राशि दवाइयों हेतु उपलब्ध कराई जाती है ?

(2) उक्त राशि की स्वीकृति हेतु क्या उद्देश्य होता है ?

(3) क्या यह अल्प राशि इस मंहगाई के समय में सरकार उचित समझती है?यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इस राशि को बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी और कब तक ?

(4) विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में किस-किस श्रेणी के चिकित्सालय कहां-कहां तथा कब से चालू हैं ?

(5) उक्त चिकित्सालयों में कितनी-कितनी राशि गत दो वर्षों से उपलब्ध कराई गई हैं ?

उत्तर

(1) भेषज एवं औषधियों के पद में विभिन्न श्रेणियों के चिकित्सालयों में राशि का आवंटन निम्न मानदण्ड के आधार पर किया जाता है।

अस्पताल : अन्तरंग रोगी–1200/– प्रति रोगी प्रतिवर्ष

बाह्य रोगी–1.50– प्रति रोगी प्रतिवर्ष

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रु. 1200/– प्रतिवर्ष

डिस्पेंसरी रु. 10,000/– प्रतिवर्ष

उच्चीकृत केन्द्र (एडपोस्ट) रु. 3000/– प्रतिवर्ष

उपकेन्द्र रु. 2000/– प्रतिवर्ष

(2) रोगियों को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु उक्त राशि का आवंटन किया जाता है।

(3) जी नहीं।

(4) वर्तमान में इस राशि का बढ़ाया जाना संभव नहीं है। विभाग उपलब्ध राशि का सही ढंग से उपयोग करने के प्रयास करता है जिसे अधिक से अधिक रोगियों को लाभ पहुंचाया जा सके।

(5) वांछित विवरण निम्न प्रकार से है :—

नाम	स्वीकृत वर्ष	दवाइयों हेतु उपलब्ध कराई गई राशि	
		वर्ष 89–90	90–91
1	2	3	4
1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, श्री डूंगरगढ़	88–89	36,000	36,000

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

	1	2	3	4
2.	नेत्र चिकित्सालय श्री डूंगरगढ़	78–79	36,000	36,000
3.	प्रसवोत्तर केन्द्र	85–86	2,000	2,000
4.	ब्लाक प्रास्वाके बिग्गा	60–61	12,000	12,000
5.	प्रा. स्वा. केन्द्र, दुलचासर	83–84	10,000	10,000
6.	,, ,, लखासर	90–91	8,000	8,000
7.	,, ,, तोलियासर	,,	8,000	8,000
8.	,, ,, मोमासर	84–85	12,000	12,000
9.	मा. शि. क. केन्द्र बिदासर	जनवरी, 57	2,000	2,000
10.	डिस्पें, (शहरी)स्टेट टाइम बिदासर		10,000	10,000

परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर द्वारा गबन प्रकरण

495. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पिछले वर्षों में परिवार कल्याण-प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर से प्राथमिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा केन्द्र पीसांगन के नाम 9000/– रुपये की राशि कैश-बुक द्वारा उठाना प्रमाणित है ? यदि हां, तो इस गबन राशि के लिए कौन कर्मचारी व अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है । इस विषय में अब तक विभाग द्वारा किस अधिकारी से जांच करवाई गई और जांच के क्या परिणाम रहे ? जांच रिपोर्ट की प्रति मय सबूतों के, सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त अजमेर कार्यालय से 15,000 रुपये पी.एच.सी. श्रीनगर के नाम से भी पिछले वर्षों में खर्च बतायी गई है ?

(3) क्या उक्त राशि के गबन के बारे में विभाग को कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या इस गबन में कार्यरत प्रभारी डाक्टर व लिपिक दोषी हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जांच रिपोर्ट के अनुसार डॉ. कान्तिलाल जैन, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, पीसांगन व श्री ललित नारायण माथुर, कैशियर स्वास्थ्य व परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर आन्तरिक जांच दल द्वारा दोषी पाये गये। परन्तु श्री ललित नारायण माथुर, कैशियर द्वारा रुपये 9000/– राज्य कोष में जमा कराने के कारण मुख्य दोषी माने गये हैं। प्राथमिक जांच इन्टरनल विभागीय आडिट द्वारा की गई थी। जांच प्रस्तावित है।

(2) जी नहीं। रुपये 13,620/– की राशि नसबन्दी आपरेशनों की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाकर कैशियर द्वारा खर्च किया जाना बताया गया है। जिसकी जांच सहायक लेखाधिकारी से कराई जा रही है।

(3) जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

(4) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही कार्यवाही संभव है।

जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर की लिफ्टें

496. **श्री हरीश कामनानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में मरीजों के उपयोगार्थ कितनी लिफ्ट लगी हुई थी ? वर्तमान में कितनी कार्यरत है ? कितनी कितने समय से खराब पड़ी है ?

(2) क्या सरकार इन खराब पड़ी लिफ्टों को ठीक कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या सरकार की इस चिकित्सालय में कुछ नयी लिफ्ट लगाने की योजना है ? यदि हां, तो इसके टेण्डर कब दिये गए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में चार लिफ्ट लगी हुई हैं। जिनमें से दो लिफ्ट कार्यरत हैं एवं दो खराब हालत में है। वे गत 8 वर्षों से खराब है।

(2) जी हां। इनमें से एक लिफ्ट को हटाकर नई लिफ्ट लगाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी नहीं।

ब्यावर के प्रेस श्रमिकों हेतु ई. एस. आई. व्यवस्था

497. **श्री चम्पालाल जैन** (ब्यावर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

ब्यावर के प्रेसों में कार्यरत श्रमिकों के लिए "ई. एस. आई." व्यवस्था अब तक क्यों नहीं लागू की गई जबकि वहां 90 प्रतिशत श्रमिक अनुसूचित जाति के हैं ? सरकार अब कब तक इसे लागू करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत ब्यावर

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

नगर पालिका सीमाओं में स्थित उन सभी प्रेस जिनमें 20 या अधिक कर्मचारी/श्रमिक नियोजित है, में ई. एस. आई. योजना लागू कर व्यवस्था की हुई है ।

विभाग में रोस्टर पंजिका

498. **श्री रामप्रसाद** (बैर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चिकित्सा विभाग में नियुक्ति, पदोन्नति सम्बन्धी रोस्टर रजिस्टर नहीं रखे जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि रोस्टर के अभाव में चिकित्सा विभाग में अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों को उनका अधिकार नहीं दिया जाता है तथा उनका पूरा का पूरा वर्तमान एवं बैकलॉग का कोटा समाप्त कर दिया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(3) क्या सरकार रोस्टर रजिस्टर तैयार करवाकर उसके अनुसार नियुक्तियां/पदोन्नतियां देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं ।

(2) जी, नहीं ।

(3) प्रश्न नहीं उठता ।

बांसवाड़ा जिले में अकाल राहत के अन्तर्गत विचाराधीन सड़कें

499. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में अकाल राहत के अन्तर्गत कितनी सड़कें निर्माणाधीन हैं तथा कितने प्रतिशत सड़कें पक्की करने का प्रावधान है ?

(2) यदि बांसवाड़ा जिले में अकाल राहत के अन्तर्गत चलाये गये अधूरे कार्यों को पूरा करने की कितनी राशि का प्रावधान है ?

(3) क्या सरकार की अकाल राहत कार्य आगे लगातार चलाने की योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

(4) अकाल राहत के अन्तर्गत बांसवाड़ा जिले में कितने तालाबों का कार्य किया गया तथा कितनी राशि खर्च की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) बांसवाड़ा जिले में (1) बड़-ली पाड़ा मानजी (2) रामगढ़ (3) नवाखेड़ा भूतपाड़ा (5) डामडीपाल (6) नाथपुरा खरवाली में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बांध के निर्माण पर कितनी राशि खर्च की गई ? उक्त बांधों का कार्य पूर्ण करने के लिए अब और कितनी धन राशि खर्च की जायेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्तमान में बांसवाड़ा जिले में अकाल घोषित नहीं है अतः कोई सड़क

(अकाल राहत मंत्री)

अकाल राहत के अन्तर्गत निर्माणाधीन नहीं है।

(2) वर्तमान में अधूरे कार्यों को पूरा करने हेतु राशि का प्रावधान नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) सम्वत् 2046 में बांसवाड़ा जिले में जवाहर रोजगार योजना (अकाल राहत) के अन्तर्गत सिचाई विभाग के माध्यम से 8 तालाबों पर कार्य करवाया गया एवं 8.78 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। उक्त 8 तालाबों की सूची निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	नाम तालाब	व्यय राशि (लाखों में)
1.	धारना पिकअप वियर	1.63
2.	रेलपाड़ा	1.17
3.	कांजलिया तालाब	1.11
4.	डावरीमाल तालाब	1.19
5.	धोडादरा तालाब	1.41
6.	करमंदीया तालाब	0.83
7.	भंवरानपुरा तालाब	0.33
8.	वोरी बानधाटी तालाब	1.11
		8.78 लाख

(5) अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत इन बांधों के निर्माण पर खर्च की गई राशि निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	कार्य का नाम	अब तक व्यय राशि
1.	बडलीपाड़ा मानजी	403819
2.	रामगढ़	310962
3.	नवाखेड़ा	212468
4.	भूतपाड़ा	459794
5.	डावरीपाल	2066707
6.	नाथपुरा खरवाली	974805
		4428555

अकाल नहीं होने के कारण वर्तमान में और राशि खर्च करने की कोई योजना नहीं है।

भेड़, बकरी व ऊंट पालकों को सहायता

500. श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अकाल, बाढ़ की विपत्ति के समय अन्य पशुपालकों की भांति भेड़, बकरी व ऊंट पालकों को भी किस रूप में सहायता दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार भविष्य में अकाल व बाढ़ की विपत्ति के समय अन्य पशुपालकों की तरह भेड़, बकरी व ऊंट पालकों को भी सहायता देने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। भेड़, बकरी व ऊंट साधारणतया रेगिस्तान में प्रचुर मात्रा में

(अकाल राहत मंत्री)

उगने वाली कटीली झाड़ियों, खेजड़ी, बबूल आदि की पत्तियों की चराई करते हैं । इससे उनके लिए चारे की पूर्ति हो जाती है । अत: उनके लिए अतिरिक्त चारे की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है ।

(2) ऐसी कोई योजना विचाराधीन नही है ।

पाली जिले में बाढ़ से क्षतिग्रस्त भवनों व कुओं हेतु मुआवजा

501. श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सुमेरपुर) एवं **श्री अचलाराम** (देसूरी) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में बाढ़ के दौरान कुल कितने मकान क्षतिग्रस्त हुए तथा कितने कुऐं ढ़ह गये या जमीने बह गई ? क्रमवार एवं नामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए कुल कितनी राशि किन-किन गांवों के किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी दी गई ? क्रमवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) ढह गये कुओं की मरम्मत के लिये जिले के किन-किन गांवों के किन-किन किसानों को कितनी-कितनी राशि दी गई ? क्रमवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) पाली जिले में वर्ष 1990 में आई बाढ़ के दौरान कुल 6165 मकान क्षतिग्रस्त हुए तथा 541 कुऐ बाढ़ से ढ़ह गये व 7480 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई । क्रमवार एवं नामवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । (परिशिष्ट अ, ब, स)

(2) क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए कुल 32 85 लाख रुपये की सहायता दी गई । गांववार व्यक्तियों को दी गई सहायता के विवरण की क्रमवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । (परिशिष्ट "अ")

(3) इस प्रकार की सहायता हेतु जिला कलक्टर, पाली को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विभागीय कार्यालय के स्थानान्तरण से उपभोक्ताओं को असुविधाएं

502. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा शहर में जारी किये जा रहे नल उपभोग के बिलों में नियत तिथि से तुरन्त बाद जमा कराई गई राशि भी अंकित कर भेज दी जाती है, जिससे उपभोक्ताओं को बिल राशि जमा कराने में काफी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्यों तथा इस व्यवस्था में विभाग द्वारा क्या व कब तक सुधार कर दिया जायेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर शहर की कुछ उत्तरी बस्तियों यथा कागदीवाड़ा, छीपीवाड़ा इत्यादि के बिलों की राशि में सुधार/शिकायतों का सम्बन्धित कार्यालय मिस्त्रीखाना (गणगौरी बाजार)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

से हटाकर शहर के पश्चिम में उक्त बस्तियों से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर पानीपेच कर दिया गया है जिससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त कार्यालय को पुनः मिस्त्रीखाना या ट्रीटमेंट प्लान्ट (आमेर रोड़) में स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि पुरानी जमा कराई गई राशि नये बिलों में बार-बार चढ़ाकर भेज देने से विभाग की भी काफी बकाया उपभोक्ताओं पर हो रही है ? यदि हां, तो 31-1-1991 को बस्ती कागदीवाड़ा के उपभोक्ताओं पर कितनी-कितनी पुरानी राशि, किस-किस माह की बकाया थी ? विवरण मय उपभोक्ता के नाम, सर्विस क्रमांक, माह जिसकी बकाया है, सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कुछ विशेष परिस्थितियों वश ऐसा होना सम्भव है। स्थिति में सुधार के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(2) राजस्व उपखण्डों के पुनर्गठन के फलस्वरूप सन्दर्भित क्षेत्रों को पानीपेच के निकट स्थित उपखण्ड द्वितीय के अधीन कर दिया गया था। इन्हें अब मिस्त्रीखाना स्थित राजस्ल उपखण्ड के अधीन पुनः करना विचाराधीन है।

(3) जी नहीं। विवरण परिशिष्ट 'क' में संलग्न हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सलूम्बर के गांवों की सम्पर्क सड़कें

503. **श्री फूलचन्द मीणा** (सलूम्बर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 500 से 1000 की आबादी वाले गांवों को सम्पर्क सड़कों से जोड़ने की सरकार की नीयत है ? यदि हां, तो सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र (उदयपुर) के ऐसे कितने गांव शेष हैं जो इस नीति में आते हैं किन्तु सम्पर्क सड़क से नहीं जुड़े हैं ? सूची मय नक्शे के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्षा ऋतु में सलूम्बर में कई पंचायतों का सम्पर्क सड़क के अभाव में टूट जाता है ? यदि हां, तो नीचे लिखी सड़कों को इस वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर सरकार स्वीकृत कर निर्माण कराने का विचार रखती है :–

1. जगत से गिगला 19 कि. मी. डामरीकरण एवं पुल निर्माण।
2. जगत से झामेश्वर जी 12 कि. मी.।
3. कुरावड़ से लालपुरा–झामेश्वरजी 8 कि. मी.।
4. सलूम्बर से बिडावल 17 कि. मी.।

उत्तर

(1) योजना आयोग के निर्देशानुसार (1971 की जनगणना पर आधारित) गांवों को सड़कों से जोड़ने की राज्य सरकार की नीति निम्न प्रकार से है :—

(34)

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(अ) सामान्य क्षेत्र

(क) आबादी 1500 से अधिक — 100% गांव

(ख) आबादी 1000 से 1500 — 50% गांव

(ब) जनजाति, तटीय तथा मरूस्थली क्षेत्र

(क) आबादी 1000 से अधिक — 100% गांव

(ख) आबादी 500 से 1000 — 50% गांव

(स) पहाड़ी क्षेत्र

(क) आबादी 500 से अधिक — 100% गांव

(ख) आबादी 200 से 500 — 50% गांव

सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र ,जो जनजातीय क्षेत्र है, में 500 से 1000 की आबादी वाले कुल 46 गांव है जिनमें से 33 गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं तथा शेष 13 गांव है । निर्धारित नीति के अनुसार उपरोक्त जनसंख्या के कुल गांवों में से 50% से अधिक गांवों को पहले से ही सड़कों से जोड़ा जा चुका है । शेष गांवों की सूची एवं नक्शा संलग्न है ।

(2) जी हां ।

1. जगत से गिगला सड़क की कुल लम्बाई 20 कि. मी. है जिसमें 3 किमी. मेटल 16 किमी. ग्रेवल तथा 1 किमी. कच्ची है । इस सड़क पर गीगला नदी पर काजवे बनाने की आवश्यकता है । इसको डामरीकरण तथा काजवे बनाने की कुल अनुमानित लागत रुपये 105.00 लाख है ।

2. जगत से जम्बेश्वर सड़क कुल लम्बाई 12 किमी. है तथा इसको बनाने तथा जामड़ी नदी पर काजवे बनाने की कुल अनुमानित रुपये 95 लाख है ।

3. कुशवड़ से लालपुरा-झामेश्वर सड़क की कुल लम्बाई 8 किमी. है । जो कच्चा है । इस पर गांव लालपुरा के आगे नाले पर एक काजवे बनाने की आवश्यकता है । इस सड़क के निर्माण कार्य की कुल अनुमानित लागत रुपये 64.00 लाख है ।

4. सलूम्बर से वेडावल सड़क की कुल लम्बाई 19 किमी. है जिसमें प्रथम 6 किमी. लम्बाई में डामर कार्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रगति पर है । शेष 13 किमी. में 6.5 किमी. में ग्रेवल सड़क व 6.5 में कच्चा है । इसको डामरीकरण करने की कुल अनुमानित लागत रुपये 73.00 लाख है । उक्त सड़कों को पूर्ण करवाना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

उदयपुर में पर्यटकों के लिए सुविधाएं

504. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पर्यटन विभाग द्वारा संचालित

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

होटलों में ग्रामीण लोगों को आधी कीमतों पर भोजन सुविधा भारत सरकार के पर्यटन मंत्री की घोषणानुसार दिलाने पर सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो यह सुविधा कब से दी जायेगी?

(2) क्या पर्यटन के विकास के लिए उदयपुर में यात्री निवास बनाने के सम्बन्ध में सरकार के सामने कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह यात्री निवास कब तक बन जाने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में इस तरह का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) पर्यटन विभाग द्वारा उदयपुर में एक यात्री निवास निर्माण के 40.25 लाख रुपये की लागत का प्रस्ताव भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय को वर्ष 1988 में स्वीकृति हेतु भेजा गया है। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही इसके निर्माण की कार्यवाही सम्भव होगी।

हरिजन अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामले

505. **श्री अचलाराम** (देसूरी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) एक अप्रेल, 1990 से आज तक किन-किन थानों में कितने-कितने मुकदमे हरिजन अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज हुए ?

(2) उक्त मुकदमों में किन-किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ? किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध चालान पेश किये गये ? किन-किन मुकदमों में अन्तिम रिपोर्ट दे दी गई ? किन-किन मुकदमों में किन कारणों से चालान पेश नहीं किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1.4.90 से 23 फरवरी, 1991 तक राज्य में हरिजन अत्याचार निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में दर्ज हुए मुकदमों की सूची थानावार संलग्न परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(2) उक्त मुकदमों में गिरफ्तार व्यक्तियों की सूची परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

वांछित सूचना परिशिष्ट 'ख' में अंकित कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

वांछित सूचना परिशिष्ट 'क' कालम 6 में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में हादसे की जांच

506. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में जुलाई, 1990 में मिनी उर्स के दौरान हुई 6 जायरीनों के जान लेवा हादसे की जांच कोटा के सम्भागीय आयुक्त द्वारा कराई गई ? क्या जांच पूर्ण हो गई है ? यदि हां, तो रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

रूप से प्रकाशित नहीं करने के क्या कारण है ? अब यह रिपोर्ट कब तक प्रकाशित कर दी जायेगी ?

(2) जांच में पुलिस व प्रशासन के जो अधिकारी दोषी पाये गये उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। जांच पूर्ण हो गई है। जांच रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

(2) जांच रिपोर्ट अभी विचाराधीन है।

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामले

507. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में 1 जुलाई, 1990 से 31 दिसम्बर, 1990 तक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत कितने मुकदमे न्यायालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के अन्तर्गत दर्ज किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सूची में कितने इस्तगासों में यह कहा गया है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया अतः इस्तगासा करना पड़ा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) ऐसे मुकदमों को दर्ज क्यों नहीं किया गया ? क्या इसकी कोई जांच करवाई गई ? यदि हां, तो जांच के बाद दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) खण्ड 1 में वर्णित सूची में से कितने मुकदमों में चालान प्रस्तुत किया गया व कितने मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट दे दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) जिन मुकदमों में एफ. आर. दे दी गई उनमें से कितने मुकदमों में न्यायालय द्वारा प्रज्ञान किया गया व जिन मुकदमों में प्रज्ञान किया गया क्या उनमें गलत तरीके से फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राज्य में 1 जुलाई, 1990 से 31 दिसम्बर, 1990 तक अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत 273 मुकदमे न्यायालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के अन्तर्गत दर्ज किये गये। सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अन्तर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता में दर्ज 273 अभियोगों में 19 अभियोगों में मुस्तगीसों ने यह दर्ज कराया है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। परिशिष्ट "क" में वर्णन अंकित है।

(3) धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दर्ज अभियोगों में से 19 अभियोगों में परिवादीगण पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज न करना कहा है किन्तु ये तथ्य

[गृह मंत्री]

असत्य है क्योंकि जिनमें जांच कराई गई तो ये बात असत्य पाई गई।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति निवारण अधिनियम, 1989 में धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहित के अन्तर्गत दर्ज कुल 273 अभियोगों में से 46 अभियोगों में मुल्जिमान के विरुद्ध चालान न्यायालय में पेश किये गये हैं। 199 अभियोगों में एफ. आर. (अदम वक़) दी गई तथा शेष 28 अभियोग अन्वेषणाधीन है।

(5) कुल 199 अभियोग में एफ. आर. दी गई। न्यायालय द्वारा किसी भी एफ.आर. दिये गये अभियोग में प्रसंज्ञान नहीं लिया गया है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें)

जे. आर. वाई. योजनान्तर्गत कार्यों की स्वीकृति

508. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): क्या विशिष्ठ संगठन योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोटा जिले में जे. आर. वाई. के अन्तर्गत जिला कलक्टर के द्वारा कोई कार्य स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो विभागानुसार कितनी-कितनी धन राशि कौन-कौन से काम के अन्तर्गत स्वीकृत की गई है?

(2) क्या आवंटित बजट का उपयोग किया गया है? यदि नहीं,तो क्यों? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां, विभागानुसार स्वीकृत कार्यों की सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न हैं।

(2) जी नहीं। कार्य अभी प्रगति पर हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें)

फागी (जयपुर) क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत राशि

509. श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा (फागी): क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले की विधान सभा क्षेत्र फागी की ग्राम पंचायतों को वर्ष 1985 से 1991 तक इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत कितनी-कितनी राशि कितने-कितने आवास गृहों के निर्माण हेतु आवंटित की गई है? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सभी आवासीय कोलोनियां पूर्ण हो गई है? यदि नहीं, तो क्यों? पूर्ण व अपूर्ण कोलोनियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अधूरे मकानों को कब तक पूर्ण करवा दिया जावेगा?

(4) क्या पंचायत समिति फागी एवं चाकसू में इन्दिरा आवासीय योजना हेतु और प्रस्ताव पंचायतों से आये हैं? यदि हां, तो कहां से कितने-कितने और इन्हें स्वीकृत करने के बारे में सरकार का क्या विचार है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले की विधान सभा क्षेत्र फागी की ग्राम पंचायतों को वर्ष 1985 से 1991 तक इन्दिरा आवासीय योजनान्तर्गत रुपये 31.228 लाख की राशि 298 इन्दिरा आवास गृहों के निर्माण हेतु आवंटित की गई है। पंचायतवार सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। कुल स्वीकृत 298 आवासों में से 55 आवास ही पूर्ण हो चुके हैं तथा 84 आवासों का कार्य अपूर्ण है। 159 इन्दिरा आवासों का कार्य प्रगति पर है। यह आवास वर्ष 1990–91 में स्वीकृत किये गये हैं। अपूर्ण रहने का मुख्य कारण सरपंच/लाभार्थी द्वारा रुचि नहीं लेना है।

(3) अपूर्ण मकानों का यथा सम्भव 31 मार्च, 1991 तक पूर्ण करा दिया जावेगा।

(4) हां, पंचायत समिति फागी में 8 पंचायतों से 129 एवं पंचायत समिति चाकसू में 8 ग्राम पंचायतों से 47 प्रस्ताव और प्राप्त होने की सूचना है। वर्ष 1990–91 में इन्दिरा आवास के लक्ष्य फागी में 100 तथा चाकसू में 114 के थे। लक्ष्यों के विरुद्ध फागी में 112 एवं चाकसू में 114 इन्दिरा आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं। लक्ष्य के अनुसार इस वर्ष आवास स्वीकृत कर दिये गये हैं इसलिए प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

विभाग द्वारा उदयपुर जिले में व्यय राशि

510. **श्री शान्तिलाल** (राजसमंद) : क्या एकीकृत ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण उदयपुर ने वित्तीय वर्ष 1990–91 में उदयपुर जिले में कौन-कौनसी सिंचाई परियोजनाओं, एनीकट्स तालाब एवं फीडरस् के निर्माण की स्वीकृति दी है ?

(2) उक्त प्रत्येक कार्य के लिए कितना-कितना धन खर्च करना प्रस्तावित किया था ?

(3) उक्त निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) प्रत्येक कार्य पर स्वीकृत राशि का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) उक्त निर्माण कार्यों में से निम्न कार्य पूर्ण हो गये है :—

1.	सालम सागर	आमेर
2.	बंगेडी फीडर	मावली
3.	बोयणा फीडर	मावली

4. शेष कार्य प्रगति पर है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–13 देखें)

जोधपुर जिले की पंचायत समितियों द्वारा निर्माण कार्य

511. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(1) जोधपुर जिले की पंचायत समितियों द्वारा एन. आर. ई. पी. के तहत 1988 से 1990 तक कितने निर्माण कार्य आरम्भ किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में कितने कार्य अधूरे हैं तथा उस समय में मानव दिवसों की संख्या क्या थी ?

(3) क्या उक्त कार्यों की मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? भुगतान राशि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में पंचायत समितियों द्वारा एन. आर. ई. पी. के तहत वर्ष 1988 से 1990 तक कुल 488 निर्माण कार्य आरम्भ किये गये।

(2) उक्त निर्माण कार्यों में 136 कार्य अधूरे हैं। उस समय से 6,98,565 मानव दिवसों का सृजन किया गया।

(3) उक्त कार्यों की मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है तथा वर्षवार भुगतान की स्थिति निम्नानुसार है :—

1988	रु. 52.32 लाख
1989	रु. 38.487 लाख
1990	रु. 3.60 लाख

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

निम्बाहेड़ा-नीमच मार्ग पर ओवर ब्रिज

512. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर नियोजन विभाग द्वारा निम्बाहेड़ा-नीमच मार्ग पर जे. के. फैक्ट्री के पास ओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया है ? यदि हां, तो यह ब्रिज कब तक बनाने की योजना है ?

(2) क्या यह सही है कि अजमेर रतलाम को राज्य मार्ग घोषित करने की भी कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या अजमेर से रतलाम तक के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की कोई योजना केन्द्र सरकार को पेश की गई है ? यदि हां, तो इसमें क्या प्रगति हुई ?

उत्तर

(1) जी हां। नगर नियोजन विभाग के "निम्बाहेड़ा के लैंड यूज प्लान 2006" के पृष्ठ संख्या 53 पर निम्बाहेड़ा-नीमच मार्ग (राजमार्ग संख्या 4) पर जे. के. फैक्ट्री के पास रेलवे लाइन के ऊपर एक ओवर ब्रिज बनाये जाने का प्रस्ताव अंकित है। इस ब्रिज के निर्माण का कार्य योजनान्तर्गत प्राथमिकता एवं राज्य सरकार एवं भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय के अन्तर्गत रोड सेफ्टी फण्ड के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कराया जाना संभव हो सकेगा।

(2) अजमेर से नसीराबाद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा तक पहले से ही राज्य मार्ग घोषित है। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हां। योजना केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

(90).

जोधपुर-दौसा राष्ट्रीय राज मार्ग

513.श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर(जमवा-रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि मनोहरपुर-दौसा राष्ट्रीय राज मार्ग स्वीकृत है ? यदि हां, तो इस सड़क का कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

जी हां । केन्द्रीय सरकार से कार्य के तकमीने की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य आरम्भ किया जा सकेगा ।

रोड़ नं. 15 का डामरीकरण

514. श्री छगनलाल (बड़ी सादड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने देवारी, डबोक, मंगलवाड़, बड़ी सादड़ी, छोटी सादड़ी, नीमच, मध्य प्रदेश सड़क सीमा तक रोड़ नं. 15 के डामरीकरण की स्वीकृति दी है ? यदि हां, तो क्या राज मार्ग के नियम के अन्तर्गत इस सड़क का कार्य पूरा हो चुका है ? यदि नहीं तो कब तक पूरा हो जावेगा?

(2) क्या इस सड़क से उगला से बागन सिंचाई डेम के बीच की सड़क को इस सड़क से जोड़ने की कोई योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां । इस सड़क की स्वीकृति "मिसिंग लिंक बड़ी सादड़ी से डूंगला" के निर्माण हेतु क्रमांक स्टेट हाईवे–15/250/5054/एम. एन. पी./प्लान/89-90/ दिनांक 21-10-1989 द्वारा 6.5 कि.मी. लम्बाई में रुपये 15.00 लाख की दी गई है ।

इस स्वीकृति के तहत 4 कि. मी. लम्बाई में डामरीकरण दिसम्बर, 1981 तक पूर्ण होने की संभावना है । शेष 2.5 कि. मी. लम्बाई में दो बड़ी नदियां आती हैं जिसकी पुलियाओं का कार्य राशि की कमी के कारण नहीं किया जा सकेगा । इन कार्यों को पूर्ण करवाना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

(2) जी नहीं । उगला से बागन बांध की सड़क सिंचाई विभाग की है ।

विभाग द्वारा फर्नीचर रिकार्ड पुस्तिका उपलब्ध कराने का प्रस्ताव

515. श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधायकों व भवन निर्माण समिति ने विधायकों को आवंटित फर्नीचर की कीमत विधायकों को सूचित करने के निर्देश दिये थे? यदि हां, तो फर्नीचर की तादाद व मूल्य की सूचना अब तक क्यों नहीं भेजी गई ?

(2) क्या यह सही है कि फर्नीचर रिकार्ड पुस्तिका तैयार कर प्रत्येक विधायक व उपभोक्ता को देने का विभाग के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

उक्त पुस्तिका कब तक तैयार करके दे दी जावेगी।

(3) क्या यह भी सही है कि विद्युत् शाखा (पी. डब्ल्यू. डी.) द्वारा गीजर सर्दी का सीजन निकलने तक भी नहीं लगे जबकि उसकी खरीद किये काफी समय हो गया है?

(4) क्या यह भी सही है कि हीटर आवश्यकता से कम खरीदे गये व खरीद की जानकारी उपभोक्ताओं को नहीं दी गई?

उत्तर

(1) जी हां। विधायकों को जो फर्नीचर माह दिसम्बर, 1990 तक इश्यू किया गया है उसकी तादाद एवं मूल्य की सूचना विधायकों को भेजी जा चुकी है। माह जनवरी, 1991 एवं फरवरी, 1991 में जो फर्नीचर इश्यू किया गया है उसकी सूचना तैयार की जा रही है।

(2) उपरोक्त सूचना फर्नीचर रिकार्ड पुस्तिका में अंकित करने के पश्चात ही विधायकों को दी गई है।

(3) जयपुर में विधायकों के आवास गृहों में गीजर लगाने हेतु सरकार की स्वीकृति 7.50 लाख रुपये की दिनांक 13-12-90 को जारी की गई थी। अविलम्ब निविदायें प्राप्त करके गीजर की प्रदाय एवं लगाने हेतु दिनांक 10-1-91 को वर्क आर्डर जारी कर दिया गया तथा दिनांक 5-3-1991 तक 103 गीजर लगाये जा चुके हैं।

(4) जी नहीं। हीटर आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में खरीदे गये थे व स्टोर में उपलब्ध थे। किसी भी विधायक द्वारा की गई हीटर की मांग पेंडिंग नहीं रही।

विधानसभा क्षेत्र जोधपुर शहर की सड़कों का डामरीकरण

516. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर में कितनी सड़कों का सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मार्च, 1990 से फरवरी 1991 तक डामरीकरण किया जा चुका है एवं 31 मार्च, 1991 तक कौन-कौन सी विचाराधीन सड़कों का डामरीकरण कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) 1985 से दिसम्बर, 1989 व जनवरी 1991 से फरवरी, 1991 तक जोधपुर शहर में सड़कों के रख-रखाव व मरम्मत में कितनी राशि खर्च की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जोधपुर जिले में वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़क, की मरम्मत की गई? यदि हां, तो 1990-91 में इन सड़कों की मरम्मत पर कितनी धन राशि खर्च हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर में सड़कों का सा.नि.वि. द्वारा मार्च, 1990 से फरवरी, 1991 तक डामरीकरण का कार्य पूरा किया जा चुका है जो संलग्न सूची

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

"1" में दर्शायी गई है। 31 मार्च, 1991 तक 3 सड़कों का डामरीकरण कर दिया जायगा जो संलग्न सूची नं. "2" में दर्शायी गई है।

(2) जोधपुर शहर में सड़कों के रख-रखाव व मरम्मत पर निम्न प्रकार से राशि व्यय की गई :—

	सा.नि.वि. की सडकों पर	नगरपालिका की सड़कों पर
(ए) सन् 1985 से दिस., 89 तक	495.05	25.26
कुल योग	520.31	
(बी) जनवरी, 1991 से फर., 1991 तक	29.11	11.83
कुल योग	40.94	

वर्षवार विवरण सूची "3" में संलग्न है।

(3) जी हां। जोधपुर जिले में वर्षा से क्षतिग्रस्त 99 सड़कों पर वर्ष 1990-91 में माह फरवरी, 1991 तक रुपये 77.50 लाख की धनराशि खर्च की गई, विवरण संलग्न सूची "4" में दर्शाया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अलवर जिले की अधूरी सड़कें

517. डा. उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में गत पांच वर्ष से कौन-कौन सी सड़कें अधूरी पड़ी हैं तथा ये कब तक पूर्ण कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? जिला अलवर की सड़कों का ब्ल प्रिन्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार का जिले में कौन-कौन सी नये वित्त वर्ष में नई सड़कें बनाने का विचार है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 32 सड़कें गत 5 वर्षों से अधिक समय से अधूरी पड़ी हैं। जिनका प्रपत्र संलग्न है।

(i) **न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम :—**

क्रम संख्या 1 से 11 तक के सड़क कार्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत हैं। जिनमें से 8 कार्य प्रगति पर है। इनको पूर्ण किये जाने की संभावित तिथि संलग्न प्रपत्र "एक" में दर्शाई गई है। शेष तीन कार्यों को पूर्ण न कर सकने के कारण भी प्रपत्र "एक" में अंकित है।

(ii) **जवाहर रोजगार योजना :—**

क्रम संख्या 12 से 32 तक के 21 अधूरे सड़क कार्य जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हैं। इनमें से 18 कार्य प्रगति पर हैं तथा क्रम संख्या 16, 20 व 31 के तीन कार्य शुरू नहीं हो सके हैं। जिनके कारण संलग्न प्रपत्र 2 में वर्णित है। इन 21 सड़कों को पूरा करना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं तथा राज्य सरकार के वित्तीय

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कराया जाना संभव हो सकेगा ।

जिला अलवर की सड़कों का ब्ल्यू प्रिंट सदन के पटल पर प्रस्तुत है । जिसमें उपरोक्त 32 सड़कों को क्रम संख्यावार दर्शाया गया है ।

(2) अलवर जिले में नये वित्तीय वर्ष 91-92 में नयी सड़कें बनाने का कार्य योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है । नये वित्तीय वर्ष में नई सड़कों को बनाने का प्रारूप अभी विचाराधीन है ।

(प्रपत्र विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नगर परिषद्, टोंक द्वारा कर्मचारियों के वेतन से काटी गयी राशि

518. श्री महावीर प्रसाद (टोंक) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टोंक नगरपरिषद् में सभी कर्मचारियों की वर्ष 1990 से अब मक आर. डी. खाते की काटी गयी राशि पोस्ट आफिस में जमा नहीं करायी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि वेतन में से यह राशि काटी गयी है ? यदि हां, तो किस-किस कर्मचाही की कितनी-कितनी राशि काटी गयी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जनवरी, 1990 से अब तक कर्मचारियों के वेतन से काटी गयी राशि पोस्ट आफिस आर. डी. खाते में जता नहीं करवाई जा सकी । कर्मचारियों को नकद भुगतान होने वाली राशि हर माह दे दी जाती थी परिषद् में आय की कमी के कारण कटौतियों की राशि विभिन्न मदों में जमा नहीं कराई जाती रही जिसमें आर. डी. की कटौती भी शामिल थी । हर माह वेतन देने की शीघ्रता एवं धनाभाव के कारण शुद्ध देय राशि ही दी जाती रही ।

(2) माह जनवरी 1990 से अब तक समस्त कर्मचारियों को आर. डी. की राशि 2,33,080/– रुपये काटी गई है । विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 519

(स्थगित)

कृषि उपज मंडी समिति खैरथल (अलवर) का आय व्ययक लेखा

520. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) **एवं श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मंडी समिति खैरथल (अलवर) की वर्तमान वित्तीय स्थिति क्या है ? उक्त मंडी समिति के दस वर्षों के आय-व्यय का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) कृषि उपज मण्डी, खैरथल, द्वारा गत दस वर्षों में कहां से कहां तक कितनी किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया गया

49

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

व उन पर कितनी कितनी राशि व्यय हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कस्वा जालाब बास-मनेठी से बाया बंध साबी नदी होते हुए कस्बा- बीजवाड़ चौहान तक मात्र तीन किलोमीटर सड़क निर्माण होने से उक्त संपूर्ण क्षेत्र एक ओर राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 8 से तथा दूसरी ओर कृषि उपज मण्डी खैरथल सहित स्टेशन हरसोली इत्यादि से भी जुड़ जाता है ? यदि हां, तो उक्त कच्चे टुकड़े हर कृषि उपज मण्डी द्वारा कब तक सड़क निर्माण कराने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मण्डी समिति खैरथल अलवर में दिनांक 28-2-91 को 1,09,35, 560.00 रुपये शेष है।

गत दस वर्षों का आय-व्यय विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	वर्ष	आय	व्यय
1.	80-81	13,29,563.97	14,27,768.82
2.	81-82	17,32,918.34	10,32,099.03
3.	82-83	21,42,182.09	24,16,602.19
4.	83-84	19,37,849.01	22,17,258.00
5.	84-85	23,58,915.21	16,13,797.39
6.	85-86	29,64,209.41	15,85,147.93
7.	86-87	38,30,417.41	14,94,970.86
8.	87-88	41,96,963.96	26,57,786.02
9.	88-89	50,03,236.55	36,73,910.69
0.	89-90	64,93,094.93	54,42,251.07

(2) गत दस वर्षों में कराये गये सड़क निर्माण का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। यह सड़क मण्डी समिति द्वारा प्रस्तावित सड़कों की प्राथमिकता में नहीं आती है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

(45)

अतारांकित प्रश्न संख्या 521
(स्थगित)

ग्राम पचायत मुण्डवाड़ा अलवर द्वारा कराये गये निर्माण कार्य

522. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत मुण्डवाडा तह.मुण्डावर (अलवर) को गत 10 वर्षों (जनवरी, 1980 से अब तक) में किस-किस मद से कितनी-कितनी वित्तीय सहायता कब-कब प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त राशि में से सरपंच/ग्राम-पंचायत ने किस-किस विकास कार्य व अन्य कार्य पर कहां-कहां कितनी-कितनी राशि कब-कब खर्च की? विवरण मय कार्य के नाम, अवधि व उस पर खर्च की गई राशि सहित ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1980 से अब तक ग्राम मुण्डवाडा द्वारा ग्राम भोजपुरी हुलमाना कला व हुलमाना खुर्द में किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं कराया गया तथा न ही उक्त ग्रामों में अनुसूचित जाति अनु. जनजाति के परिवारों को किसी प्रकार की सहायता पहुंचाई गई? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं, ग्राम पंचायत मुण्डवाडा कलां में 1980 से अब तक ग्राम भोजपुरी, हुलमाना कलां एवं हुलमाना खुर्द में विकास कार्य करवाये गये हैं तथा उक्त ग्रामों में अनु. जाति व अनु. जनजाति के परिवारों को भी लाभान्वित किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

कृषि उपज मंडी समिति बून्दी द्वारा सड़कों का निर्माण

523. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कृषि उपज मंडी समिति बून्दी के कार्य सीमा क्षेत्र में कितनी एवं कौनसी तहसीलें आती हैं?

(2) कृषि उपज मंडी समिति बून्दी के अन्तर्गत आने वाले गौण मंडी यार्ड कौन-कौन से हैं?

(3) क्या उपरोक्त वर्णित सीमा क्षेत्र एवं गौण मंडी यार्ड के क्षेत्र में सड़क कार्यों की स्वीकृतियां हुई हैं? यदि हां, तो उनका विवरण तहसीलवार तथा गौण मंडी यार्डवार सदन की मेज पर रखें।

(4) कृषि उपज मंडी समिति बून्दी के कार्य क्षेत्र में कितने विधान सभा क्षेत्र की सीमाएं आती हैं? किस विधानसभा क्षेत्र में कितना कितना सड़क कार्य कृषि उपज मंडी बून्दी या कृषि विपणन बोर्ड राजस्थान के माध्यम से करवाया जा रहा है या करवाया जाना है?

(5) क्या नैनवा विधान सभा क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों द्वारा उनके क्षेत्र में सड़क

(श्री रामनारायण वर्मा)

निर्माण कार्य करवाये जाने हेतु पत्र व्यवहार किया है ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं तो अब कब तक अन्तिम निर्णय ले लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति बून्दी के सीमा क्षेत्र में तीन तहसीलें, हिण्डोली, बून्दी व नैनवा आती है।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति, बून्दी के अन्तर्गत तालेड़ा, हिण्डोली व देई घोषित गौण मण्डी यार्ड है।

(3) जी हां, तहसील व गौण मण्डी यार्ड वार विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	सड़क का नाम	तहसील	गौण मण्डी यार्ड
1.	सम्पर्क सड़क कोटा बून्दी रोड़ से बड़खेड़ा	बून्दी	तालेड़ा
2.	सम्पर्क सड़क तालेड़ा से तादड़ी	,,	,,
3.	सम्पर्क सड़क ठोकरिया से लीलेड़ा	,,	,,
4.	सम्पर्क सड़क कोध्या रेल्वे स्टेशन	,,	,,
5.	सम्पर्क सड़क नोताड़ा	,,	,,
6.	सम्पर्क सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग से नोताड़ा भोपतपुरा	,,	,,
7.	सम्पर्क सड़क रामगंज बालाजी से उमरच ग्राम	,,	,,

(4) कृषि उपज मण्डी समिति बून्दी के कार्य क्षेत्र में तीन विधान सभा क्षेत्र क्रमशः बून्दी, हिण्डोली एवं नैनवा की सीमाएं आती है जिनमें सड़कों का विवरण निम्न प्रकार हैं :—

क्र. स.	सड़क का नाम	वि. सभा क्षेत्र	दिस. 90 तक व्यय
1	2	3	4
1.	सम्पर्क सड़क कोटा बून्दी रोड़ से बड़खेड़ा	बून्दी	61672/–
2.	सम्पर्क सड़क तालेड़ा से सादड़ी	,,	410634/–

(कृषि मंत्री)

1	2	3	4
3.	सम्पर्क सड़क ठीकरिया से लीलेड़ा	बून्दी	497949/–
4.	सम्पर्क सड़क कोध्या रेल्वे स्टेशन	,,	73215/–
5.	सम्पर्क सड़क नोताड़ा	,,	निल
6.	सम्पर्क सड़क रामगंज बालाजी से उमरच ग्राम	,,	कार्य आदेश प्रसारित
7.	सम्पर्क सड़क राष्ट्रीय राज मार्ग से नोताड़ा भोपतपुरा ग्राम	,,	,,

(5) जी हां। जन प्रतिनिधियों के पत्र मण्डी समिति को टिप्पणी व प्रस्ताव भेजने हेतु भेजे गये हैं जो मण्डी समिति में विचाराधीन है।

पंचायत समिति डूंगला [चित्तौड़गढ़] में कृषि उपज मण्डी का निर्माण

524. **श्री छगनलाल** (बड़ी सादड़ी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने पंचायत समिति डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ में कृषि उपज मंडी की कोई योजना स्वीकृत की है ? यदि हां, तो कब स्वीकृत की ?

(2) यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ?

(3) क्या सरकार ने इस मण्डी के निर्माण के लिए कोई जमीन खरीदी है ? यदि हां, तो कहां पर व कब और कितनी राशि की खरीदी है ?

(4) क्या कृषि उपज मण्डी को उक्त जमीन का कब्जा प्राप्त हो गया है ? यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) भूमि अवाप्ति के बाद ही कोई परियोजना स्वीकृत की जा सकती है।

(3) गौण मण्डी यार्ड डूंगला में ग्राम पंचायत डूंगला की खसरा नं. 736 एवं 737 चरनोट की भूमि प्राप्ति की कार्यवाही जारी है।

(4) भूमि का मण्डी समिति को कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। उपरोक्तानुसार कार्यवाही जारी है।

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी (चित्तौड़गढ़) की प्राथमिक शालाएं

525. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा [छोटी सादड़ी] पंचायत समिति के अधीन कितनी प्राथमिक शालाएं हैं जो अध्यापकों के अभाव में बन्द पड़ी हैं या फिर एक दो अध्यापक ही चला रहे हैं ? रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र पंचायत समिति निम्बाहेड़ा में 88 व छोटी सादड़ी में 75 प्राथमिक विद्यालय हैं । अध्यापकों के अभाव में दोनों पंचायत समितियों में कोई प्राथमिक विद्यालय बन्द नहीं है । विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में पंचायत समितिवार अध्यापकों के रिक्त पदों की स्थिति निम्न प्रकार है :—

निम्बाहेड़ा	15 रिक्त
छोटी सादड़ी	2
	कुल 17 पद रिक्त

जिला स्थापना समिति में अध्यापकों के चयन की कार्यवाही चल रही है जिसके पूर्ण होते ही रिक्त पद भर दिये जायेंगे ।

जिला चित्तौड़गढ़ के मन्दिरों की आय

526. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में कितने मंदिरों के ट्रस्टों को चढ़ावे में गत 5 वर्षों में कितनी राशि प्राप्त हुई ? ट्रस्टवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या आय स्रोत एवं व्यय मद पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण है ? यदि हां, तो किस रूप में ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) उक्त आय में से कितनी-कितनी राशि किस-किस विकास कार्य में व्यय हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित निम्न पंजीकृत प्रन्यासों में उनके सामने अंकित राशि विगत पांच वर्षों में चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुई है :—

क्र. सं.	प्रन्यास का नाम	विगत पांच वर्षों में प्राप्त चढ़ावे की राशि
1	2	3
1.	मंदिर श्री सांवलियाजी, ग्राम मण्डफिया	4 करोड़ 54 लाख
2.	मंदिर श्री भदेसरिया भैरूनाथ मन्दिर ट्रस्ट, गांव भदेसर	14201.00

(देवस्थान मंत्री)

1	2	3
3.	मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण ट्रस्ट, प्रतापगढ़	2870.10
4.	मन्दिर श्री जातला माताजी, ग्राम पांडोली	8180.10
5.	मन्दिर श्री चारभूजाजी, छोटी सादड़ी	34,96.00
6.	मन्दिर श्री जैन श्वेताम्बर, निरोल, तह. अरनोद	668.50
7.	मन्दिर श्री कल्याणरायजी, कपासन (महादेव)	1503.00
8.	मन्दिर श्री तगस मोतीसिंहजी, चित्तौड़गढ़	8769.00
9.	मन्दिर श्री गुप्तेश्वर महादेव, चित्तौड़गढ़	1333.00
10.	मन्दिर श्री गुप्तेश्वरजी महादेव, प्रतापगढ़	1,94,119.00
11.	मन्दिर श्री सांवलियाजी, ग्राम वागुन्दा, तह. भदेसर	2,14,398.00

(2) राजस्थान सा. प्र. अधि. 1959 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत प्रन्यासों पर देवस्थान विभाग का आय-व्यय लेखा नियंत्रण, लेखा अंकेक्षण, लेखा निरीक्षण, राशि के दुरुपयोग, गबन आदि की जांच एवं बजट तथा अन्य लेखा आडिट सूचनाएं प्राप्त करने तथा शिकायतों की जांच कर प्रन्यासधारियों के विरुद्ध प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने का नियंत्रण है।

(3) उक्त में से मन्दिर श्री भदेसरिया भैरूनाथ, भदेसर, श्री लक्ष्मीनारायण ट्रस्ट, प्रतापगढ़, श्री जातला माताजी, ग्राम पांडोली श्री चारभूजाजी, छोटी सादड़ी, श्री जैन श्वेताम्बर, निरोल, तहसील अरनोद, श्री कल्याण रायजी, कपासन, श्री सगस मोतीसिंहजी, चित्तौड़गढ़, श्री गुप्तेश्वर महादेव, चित्तौड़गढ़, श्री गुप्तेश्वरजी महादेव, प्रतापगढ़ की चढ़ावे की आय का उपयोग मन्दिर के आवश्यक व्यय सेवा पूजा, भोग प्रसाद, पौशाक, उत्सव, मरम्मत पर ही हो जाता है। शेष दो मन्दिर श्री सांवलियाजी ग्राम मण्डफिया तथा श्री सांवलियाजी, ग्राम वागुन्दा द्वारा विकास कार्यों पर निम्न प्रकार व्यय किया गया है :—

(50)

(देवस्थान मंत्री)

1. मन्दिर श्री सांवलियाजी, ग्राम मण्डफिया

वर्ष	विकास कार्य	राशि
1985–86	रोड लाइट व्यय	4910/–
	ग्राम मण्डफिया डामर रोड	2,92,848/–
	जल व्यवस्था	5,762/–
	वृक्षारोपण	90,000/–
	रेफरल अस्पताल	5,59,952/–
	रेफरल पशु चिकित्सालय भवन निर्माण	2,06,777/–
	सांवलिया सेतु निर्माण	5.43,882/–
	चिकारडा रोड एनिकट	2,86,583/–
	चित्तौड़ अस्पताल हेतु	40,000/–
	हा. सै. स्कूल, भादसोडा	30,000/–
1986–87	रोड लाइट	4,549/–
	जल व्यवस्था	69,397/–
	रेफरल अस्पताल	4,80,393/–
	पशु चिकित्सालय भवन निर्माण	6,70,746/–
	सांवलिया सेतु एनीकट	29,365/–
	चिकारडा रोड एनीकट	1,830/–
	नाली निर्माण	38,301/–
	एप्रोच रोड, भादसोडा	3,57,542/–
	गोदा खड़ा रोड अनुदान	63,746/–
1987–88	भवन मरम्मत	8,264/–
	चिकित्सालय शिविर व्यय	2,25,834/–
	चिकित्सा सहायता	35,160/–
	रोड लाइट	4,607/–

(देवस्थान मंत्री)

1	2	3
1987–88	रेफरल अस्पताल	4,004/–
	पशु रेफरल अस्पताल	8,639/–
	नाली निर्माण	67,258/–
	एप्रोच रोड भादसोडा निर्माण	45,998/–
	वृक्षा रोपण	22,300/–
	सार्वजनिक ट्यूब वैल	2,23,480/–
1988–89	जल व्यवस्था	2,39,607/–
	पशु रेफरल अस्पताल विकास हेतु अनुदान	11,135/–
	मण्डफिया भादसोड़ा रोड निर्माण	46,837/–
	वृक्षा रोपण	983/–
	सड़क निर्माण हेतु	8.44,421/–
1989–90	सड़क निर्माण पर व्यय	13,69,294/–
	भवन मरम्मत पर व्यय	24,415/–
	एनीकट निर्माण पर व्यय	14,250/–
	पशु रेफरल अस्पताल हेतु अनुदान	5,892/–
	2. मन्दिर श्री सांवलियाजी ग्राम बागुन्दा	
	मन्दिर जीर्णोद्धार, निर्माण एवं मन्दिर में कांच जड़ाई	26,843/–

सांवलिया मन्दिर, मण्डफिया चित्तौड़गढ़ की आय

527. **श्री शान्तिलाल (राजसमन्द)** : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम मण्डफिया, जिला चित्तौड़गढ़ स्थित "सांवलिया मन्दिर" की जनवरी 1985 से जनवरी 1991 तक प्रत्येक माह की कितनी-कितनी आय हुई, आय के स्रोत क्या रहे हैं।

(2) एक जनवरी 1985 एवं 31 जनवरी 1991 को ट्रस्ट के पास कितना बैलेंस था ?

(श्री शान्तिलाल)

(3) उक्त अवधि में किन-किन मदों पर कितना-कितना धन व्यय किया गया एवं प्रत्येक कार्य हेतु व्यय करने में क्या वित्तीय प्रक्रिया अपनाई गई है ? समस्त रिकार्ड सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) ग्राम मण्डफिया जिला चित्तौड़गढ़ स्थित श्री सांवलियाजी मन्दिर की माह जनवरी, 85 से जनवरी, 91 तक कुल आय 6,94,938|50,52 रुपये हुई । आय का माह वारी विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया हैं । मन्दिर प्रन्यास की आय चढ़ावे, दुकानों, गोदामों एवं धर्मशालाओं के किराये, बर्तन, बिस्तर तथा घोड़ी गहनों के किराये विनियोजित राशि के बजाय पिक्चर मशीन एवं कृषि भूमि से हुई है ।

(2) इस प्रन्यास के पास 1 जनवरी, 1985 को रुपया 1,07,243.58 तथा 31 जनवरी, 1991 को रोकड़ रु.5,267.50 एवं विभिन्न बैंकों व पोस्ट आफिसों में 1,34,12,960/54 रुपये बैलेन्स था ।

(3) प्रन्यास द्वारा मदवार किये गये व्यय का विवरण वर्ष 1985-86 से 1989-90 तक आडिटेड एकाउन्ट्स की प्रति संलग्न है । वित्तीय वर्ष 1990–91 के लेखा वर्ष समाप्ति पश्चात् तैयार किये जावेंगे ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

देवस्थान विश्रान्ति गृह, उदयपुर में स्वीकृत पद

528. **श्री शम्भूदयाल बडगूजर** (केकड़ी) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) देवस्थान विश्रान्ति गृह, उदयपुर में किस-किस श्रेणी के कौन-कौन से पद स्वीकृत है एवं इन पदों पर कौन-कौन व्यक्ति कब-कब से कार्यरत है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कनिष्ठ लिपिक का कार्य-भार सौंप रखा है ? यदि हां, तो किस कर्मचारी को, कब से व क्यों तथा किसके आदेश से ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार अयोग्य कर्मचारी को वहां से अविलम्ब हटाकर अन्य योग्य कर्मचारी का पदस्थान किये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) देवस्थान विश्रान्ति गृह, उदयपुर में विभिन्न श्रेणियों के निम्न पद स्वीकृत है ।

1. मैनेजर
2. कनिष्ठ लेखाकार
3. कनिष्ठ लिपिक
4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

उपर्युक्त पदों पर निम्न प्रकार कर्मचारी वर्तमान में उनके सामने अंकित दिनांक से कार्यरत हैं ।

(देवस्थान मंत्री)

क्र.सं.	पद	कर्मचारी का नाम	कार्यरत रहने का दिनांक
1.	मैनेजर	श्री शान्तिलाल कांकरिया	1.3.84
2.	कनिष्ठ लेखाकार	वर्तमान में रिक्त	—
3.	कनिष्ठ लिपिक	श्री मोहम्मद युनुस शेख	7.1.81
4.	,,	श्री धनराज मीणा	7.8.86
5.	क. लिपिक के पद के स्थान पर प्रबंधक द्वितीय श्रेणी कार्यरत	श्री ज्ञानलाल लोढा	2.8.90
6.	च. श्रे. क. (चौकीदार, फराश हरिजन आदि)	श्री कालूखां	23.7.88
		,, गिरधारीलाल	1.1.85
		,, सुशीलकुमार	1.8.83
		,, रामनारायण	1.5.89
		,, रणछोडराम	3.11.89
		,, नारायणलाल	1.9.78
		,, रूपलाल	1.9.78
		,, छगनलाल	3.11.89
		,, मदनलाल	1.1.79
		,, बंशीलाल	3.11.89

(2) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(3) अयोग्य कर्मचारी पदस्थापित नहीं है। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

पाली जिले में उपभोक्ता सामग्री वितरण की दुकानें

529. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पाली जिले में आवश्यक उपभोक्ता सामग्री के विक्रय हेतु कुल कितनी दुकानें किस-किस को कब-कब से स्वीकृत हैं? कितनी जनसंख्या व इकाइयों पर एक दुकान खोली गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

(2) वित्तीय वर्ष 1990-91 में इन दुकानों को कब-कब, क्या-क्या सामग्री, कितनी-कितनी मात्रा में उपलब्ध कराई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उपभोक्ताओं की ओर से इन दुकानदारों के विरुद्ध वर्ष 1990-91 में दुकानें नहीं खोलने और आवश्यक उपभोक्ता सामग्री ब्लेक में बेचने आदि अनियमितताओं की शिकायतें हुई थी ? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध, कब-कब हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पाली जिले में आवश्यक उपभोक्ता सामग्री के विक्रय हेतु कुल जितनी दुकानें जिस-जिस को जब-जब से स्वीकृत हैं, उनकी जनसंख्या व इकाइयों जिस पर दुकानें खोली गई हैं, की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वित्तीय वर्ष 1990–91 में इन उचित मूल्य की दुकानों को उपलब्धी के आधार पर गेहूं, चांवल, चीनी, खाद्य तेल एवं केरोसीन उपलब्ध कराया गया है।

(3) जी, हां। वर्ष 1990-91 में दुकानें नहीं खोलने कालाबाजारी करने, खाद्यान्न एवं चीनी नहीं उठाने आदि अनियमितताओं के सम्बन्ध में उपक्ताओं से प्राप्त शिकायतें एवं प्रवर्तन स्टाफ से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जिस-जिस के विरुद्ध जब-जब शिकायत एवं रिपोर्ट प्राप्त हुई और उन पर जो कार्यवाही की गई, का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत कृषकों को आवंटित विस्फोटक सामग्री

530. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या भू-जल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग कुओं की खुदाई हेतु विस्फोटक छड़ों का उपयोग करता है ?

(2) क्या यह सही है कि कम्पोनेंट प्लान के तहत वैर तथा रूपवास तहसील के अनुसूचित जाति के 19 कृषकों के कुओं की खुदाई के लिए 1500 छड़ें विभाग द्वारा जारी की गई थी ? क्या वे किसानों को नहीं मिली ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त मामले की जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो किसके द्वारा तथा कौन व्यक्ति दोषी पाया गया एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ब्लास्टिंग इकाई को विस्फोटक सामग्री आवश्यकतानुसार माहवार कार्य निष्पादन कराने के लिए (स्टाक उपयोग हेतु) जारी की जाती है न कि प्रत्येक कृषक या उसके कुएं के नाम से। कम्पोनेन्ट प्लान के तहत पंचायत समिति वैर में कूप ब्लास्टिंग के सम्बन्ध में स्वीकृत 34 कुओं में से 30 कुओं में कार्य किया गया। पंचायत समिति

(भू-जल राज्य मंत्री)

रूपवास में स्वीकृत 27 में से 18 कुओं को ब्लास्टिंग से गहरा करने की रिपोर्ट फिल्ड से प्राप्त हुई थी।

(3) विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रूपवास से यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि केवल 9 कुओं में कार्य अपूर्ण रूप से तथा अन्य 9 कुओं में कार्य बिल्कुल नहीं किया गया। शिकायत के सन्दर्भ में प्राथमिक जांच करवाने पर यह पाया गया कि कुछ अनियमितताएं हुई हैं। प्राथमिक जांच निगम के कनिष्ठ भू-जल वैज्ञानिक द्वारा कराई गई थी। प्रथम जांच के निष्कर्ष के आधार पर सम्बन्धित ब्लास्टिंग इकाई के प्रभारी श्री एस एम. आजाद, ब्लास्टर को निलम्बित किया जा चुका है तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है।

राजस्थान मोटर गैराज के वाहन

531. श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू) : क्या राजस्थान स्टेट मोटर गैराज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान मोटर गैराज विभाग के पास कुल कितने वाहन किस-किस किस्म के हैं ?

(2) मोटर गैराज विभाग के पास मौजूदा वाहनों में से कितने वाहन बेकार या खराब पड़े हैं ?

(3) गल्फ वार के कारण पैट्रोलियम पदार्थों की खपत में बचत के फलस्वरूप विभाग ने क्या-क्या उपाय किये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या किन्हीं मंत्रियों या अधिकारियों को एक से अधिक कारें दे रखी हैं ? यदि हां तो उनके नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मोटर गैराज विभाग के पास कुल निम्न प्रकार के वाहन हैं :—

क्र सं.	किस्म वाहन	गैराज मद	सेन्ट्रल पूल मद.
1.	केडलक	1	—
2.	कोन्टेसा	6	—
3.	प्रिमियर एनई–118	1	—
4.	बुलेट प्रूफ एम्बेसेडर	3	—
5.	एम्बेसेडर	108	22
6.	जीप	—	7
7.	जिप्सी	—	6
8.	ट्रंक	—	1
9.	मेटाडोर	—	1
10.	फियेट	—	2
	कुल :-	119	39.

(2) मोटर गैराज विभाग में कुल 18 वाहन बेकार या खराब पड़ी हुई हैं।

(3) पैट्रोलियम पदार्थों की खपत में बचत के लिए विभाग ने निम्न उपाय किये हैं :—

56

(स्टेट मोटर गैराज राज्य मंत्री)

1. चालकों के लिए एक स्लिप प्रारम्भ की गई है जो वाहन के साथ भेजी जाती हैं और उपयोगकर्ता से उसमें पूरा विवरण अंकित करने की अपेक्षा की जाती है। इससे वाहन चालक पर प्रभावी नियंत्रण रहेगा।

2. पूर्व में मंत्रिगणों के स्थानीय वाहन के लिए पैट्रोल की वार्षिक खपत सीमा 3650 लीटर थी जिसे कम करके 2400 लीटर राज्य सरकार द्वारा किया गया है।

3. रविवार के दिन सरकारी वाहनों के के चालन पर पाबंदी लगाई गई है।

4. सरकारी अधिकारियों के वाहन को निजी उपयोग में लाने पर भी पाबंदी लगाई है। और कतिपय अधिकारियों को निवास से कार्यालय तक आने-जाने के लिए 100/– रु. प्रतिमाह वाहन किराया की दर से सुविधा प्रदान की गई है। पूर्व में 500 किमी. तक निजी काम में लिए जाने की सुविधा को समाप्त किया गया है।

5. माननीय मंत्रीगण के दौरे के लिए 7 दिन की सीमा तय की गई है।

6. इस बात पर सख्त निगरानी रखी जाती है कि वाहनों का अनावश्यक उपयोग न हो।

7. वाहनों के अनाधिकृत एवं अनावश्यक उपयोग को रोकने के लिए राज्य स्तर पर तथा जिलों में वाहन निरीक्षण दल गठित किये गये हैं।

(4) प्रत्येक मंत्री को एक कार स्थानीय उपयोग हेतु आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त जब वे दौरे पर जाते हैं तो उन्हें मोटर गैराज से दूसरी कार आवंटित की जाती है। किसी भी अधिकारी को एक से अधिक कार नहीं दे रखी है।

श्रम न्यायालयों व न्यायाधिकरणों में विचाराधीन मुकदमे

532. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के विभिन्न श्रम न्यायालयों व न्यायाधिकरणों में कितने श्रम विवाद दो से चार 6 से 8 व 10 वर्ष से भी ज्यादा समय से विचाराधीन हैं ?

(2) क्या सरकार श्रमिकों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए औद्योगिक विवादों को शीघ्र निपटाने के बारे में कोई कार्य योजना रखती है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) श्रम विभाग में कितने विवाद समझौता अधिकारियों के समक्ष एक साल से भी ज्यादा समय से विचाराधीन हैं ? इन्हें शीघ्र निपटाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) राज्य के श्रम न्यायालयों में जो विवाद वर्ष 1990 के अन्त तक दो से चार, 6 से 8 व 10 वर्ष से भी ज्यादा समय से विचाराधीन रहे उनका विवरण निम्नानुसार है :—

(श्रम राज्य मंत्री)

अवधि	विचाराधीन विवादों की संख्या
दो से चार	3999
6 से 8	536
10 वर्ष से भी ज्यादा	112

(2) राज्य सरकार श्रमिकों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए पुराने लम्बित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रता से निपटाने के लिए कार्यवाही कर रही है। विचाराधीन मामलों की संख्या में हो रही निरन्तर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एक न्यायालय इस वर्ष भीलवाड़ा में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत होने के उपरान्त प्रारम्भ हो गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में दो श्रम न्यायालय और खोलने का प्रस्ताव है। इसके अलावा राज्य में जयपुर को छोड़कर शेष श्रम न्यायालयों को भ्रष्टाचार सम्बन्धी एवं मोटर दुर्घना सम्बन्धी दावे सुनने के अधिकार प्रदत्त किये हुये हैं जिसके कारण उन्हें श्रम विवादों को निपटाने में पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। यह प्रश्न राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है कि श्रम न्यायालयों से यह अतिरिक्त कार्य हटा लिया जावे।

(3) वर्ष 1990 के अन्त में समझौता अधिकारियों के पास एक वर्ष से ज्यादा समय के 45 औद्योगिक विवाद विचाराधीन हैं। इन्हें शीघ्र निपटाये जाने की दृष्टि से श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर पुराने विचाराधीन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने हेतु हिदायतें दी जाती हैं। इसके अलावा वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर समझौता अधिकारियों के नये कार्यालय खोले जाते हैं।

जिला परिषद् नागौर की उच्च प्राथमिक शालाएं

533. **श्री मोहनलाल** (परबतसर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में जिला परिषद् के अन्तर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कितने हैं ? इन विद्यालयों में कितने अध्यापकों के किस-किस श्रेणी व विषय के पद कब से रिक्त हैं ? सूची मय विद्यालय के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला नागौर में किस-किस पंचायत समिति में कितने-कितने अध्यापकों के पद कब से रिक्त हैं ? सूची पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(3) इन रिक्त पदों की पूर्ति के लिए जिला परिषद् स्तर पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) जिला नागौर में वर्ष 1988-89 व 1989-90 में खोले गये कितने प्राथमिक विद्यालय व शिक्षा उप केन्द्र बन्द कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब से ? सूची विद्यालय का नाम व पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या इन प्राथमिक विद्यालयों को सरकार पुनः खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(श्री मोहनलाल)

(6) क्या यह विद्यालय बन्द करने से ग्रामीण आँचल के बालक प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह रहे हैं ?

उत्तर

(1) जिला परिषद् नागौर के अन्तर्गत 330 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में 365 स्थान रिक्त हैं रिक्त पदों की सूची विषयवार एवं स्कूलवार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिला नागौर की पंचायत समितियों में अध्यापकों के रिक्त पदों की सूची पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जिला परिषद् नागौर द्वारा दिनांक 28.1.91 को 368 अध्यापकों का चयन कर चयन सूची पंचायत समितियों को पदस्थापन हेतु भेज दी गई है।

(4) जिला नागौर में वर्ष 1988-89 में 54 प्राथमिक विद्यालय खोले गये थे जिन्हें वर्ष 1989-90 में पंचायत शिक्षा केन्द्रों में परिवर्तित कर दिये गये थे। वर्ष 1989-90 में 169 शिक्षा केन्द्र खोले गये जिन्हें पंचायत शिक्षा केन्द्रों की योजना समाप्त होने के कारण बन्द कर दिया गया है।

(5) निर्धारित नीति के अनुसार प्राथमिक विद्यालय खोले जाते हैं, इन बन्द शिक्षा केन्द्रों में जो भी इस नीति के अन्तर्गत आयेंगे उन्हीं स्थानों पर अगले वित्तीय वर्ष में प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे।

(6) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में सड़कों का निर्माण

534. **श्री प्रभुलाल मीणा** (सपोटरा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सपोटरा विधान सभा क्षेत्र के किसानों की उपज कृषि उपज मण्डी गंगापुर में बिकने आती है जिससे मण्डी समिति को बहुत भारी बिक्री कर की आमदनी होती है ?

(2) क्या मण्डी समिति ने सपोटरा क्षेत्र में किसानों की सुविधा के लिए सड़कें बनवाई हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या मण्डी समिति, सपोटरा क्षेत्र में सड़कें बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) वर्ष 1990-91 में समिति ने कितनी राशि सड़कों के निर्माण हेतु खर्च की ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में किसान अपनी उपज, विक्रय हेतु गंगापुर सिटी मुख्य मण्डी यार्ड में लाते हैं एवं सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में नारोली घोषित कौण मण्डी यार्ड है वहां पर भी कृषक कृषि उपज को विक्रय हेतु लाते हैं।

(कृषि मंत्री)

(2) सपोटरा क्षेत्र में किसानों की सुविधा के लिए दो सम्पर्क सड़कों का निर्माण कराया गया है :—(1) मास्टर प्लान के अन्तर्गत ग्राम जोड़ली सड़क (2) लिंक रोड़ खिरकिड़ी (काम के बदले अनाज योजना)

(3) जी नहीं। मण्डी समिति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण कोई प्रावधान नहीं है।

(4) वर्ष 1991-92 में सड़क निर्माण के लिए कोई भी राशि व्यय नहीं की गई।

ग्राम पंचायत निकूंम (चित्तौड़गढ़) को प्रदत्त आर्थिक सहायता

535. **श्री छगनलाल** (बड़ी सादड़ी) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत निकूंम, जिला चित्तौड़गढ़ को वर्ष 1988-89, 1989-90 एवं 90-91 में विभिन्न योजनाओं के तहत कितनी-कितनी राशि कब-कब दी गई है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजनाओं में प्राप्त राशि एवं पंचायत द्वारा निःशुल्क भू-खण्ड आवंटन में भारी अनियमितता एवं गबन किया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गबन घोटाले की जांच करवा कर सरपंच के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

(3) उक्त पंचायत द्वारा निःशुल्क व नीलामी द्वारा भू-खण्ड किस-किस को आवंटित किये गये? सूची मय पंचायत द्वारा किये गये अनुमोदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) कलक्टर के यहां प्राप्त शिकायत पर जांच जारी है। सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष पर निर्भर करेगी।

(3) सूचियां सदन की पटल पर रख दी गई हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य में शिक्षण केन्द्र के स्थान पर प्राथमिक शाला खोलने का विचार

536. **श्री रामेश्वर प्रसाद** (जमवा-रामगढ़) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पूर्व सरकार ने राज्य में शिक्षण केन्द्र खोले थे?

(2) क्या यह सही है कि जिन शिक्षण केन्द्रों में 50 छात्र संख्या एवं भवन होने पर भी उन शिक्षण केन्द्रों को बन्द कर दिया गया है?

(3) क्या सरकार उन शिक्षण केन्द्रों की जगह प्राथमिक शाला खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) नीति अनुसार जिन गांवों में प्राथमिक पाठशाला खोलने का निर्णय हो जाता है, उनमें स्कूल खोल दिये जावेंगे।

जलदाय विभाग द्वारा व्यवसायिक दर के स्थान पर सामान्य दर वसूली का विचार

537. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हाथ से कार्य करने वाले कारीगर जो अपने घर पर कार्य करते हैं, विभाग द्वारा उनसे पानी की दर व्यवसायिक दर पर वसूल की जाती है? यदि हां, तो इसे कब तक बन्द कर दिया जावेगा ?

(2) क्या सरकार इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय ले तब तक मीटर से आने वाली व वास्तविक मान्यता दर अथवा फ्लेट रेट लेने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार उन कारीगरों से जो जल का उपयोग कम करते हैं जैसे नगीने घिसने वाले, स्वर्णकार, लुहार, सुथार, जुलाहे जो हाथ के कारीगर हैं उनसे व्यवसायिक दर के स्थान पर सामान्य दर वसूली का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि जलदाय विभाग मीटर से पूरे राज्य में पानी की दर वसूल नहीं कर पाता ? ऐसे कितने मकान हैं जहां फ्लेट रेट से पानी आपूर्ति के बिल का भुगतान होता है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान प्रणाली को बन्द करने हेतु अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। जलप्रदाय नियमों में व्यवसायिक दरों का सामान्य दरों में निर्धारण, उपभोग की गई मात्रा के सिद्धान्त पर आधारित नहीं है।

(4) जी हां। सम्पूर्ण राज्य में लगभग 6,49,421 फ्लेट रेट जल सम्बन्ध हैं। जिलेवार संख्या प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–18 देखें)

(अतारांकित प्रश्न संख्या 538)

(स्थगित)

टौंक जिले को खाद्य सामग्री का कोटा आवंटन

539. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टौंक के लिए वर्ष 1990-91 में किस-किस महीने में समस्त खाद्य सामग्री का कितना-कितना कोटा आवंटित किया गया ?

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(2) किस-किस महीने में आवंटित सामग्री को कितनी-कितनी मात्रा में उठाया गया ? आवंटित कोटा पूरा न उठाने का क्या कारण था ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टोंक जिले को वर्ष 1990-91 में खाद्य सामग्री का जितना-जितना कोटा प्रति माह आवंटित किया गया है का विवरण परिशिष्ट "क" में दर्शाया जा चुका है।

(2) जिस-जिस महीने में जितनी-जितनी मात्रा उठाई गई है, का विवरण प्रश्न के भाग (1) में संलग्न परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है। आवंटित कोटे की पूरी मात्रा नहीं उठाने का कारण मांग कम होना व थोक विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होना है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें)

विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में डीजल वितरण लाइसेन्स

540. श्री रखब चन्द मीणा(प्रतापगढ़): क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र में डीजल वितरण के लिए किन-किन व्यक्तियों को कब-कब डीजल वितरण लइसेन्स जारी किये गये ? फार्म का नाम व लाइसेन्स नम्बर व ग्राम तथा वितरणकर्ता का नाम आदि विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पिछले चार माह में किन-किन डीलरों को किन-किन तारीखों को कितना कितना डीजल दिया गया ? रसद विभाग द्वारा किन-किन तारीखों में निरीक्षण किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रति दिन काश्तकारों को ट्रैक्टर व डीजल पम्प के लिए कितना-कितना डीजल सुलभ कराया गया है ? गत चार माह का दैनिक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) गत चार माह में राज्य सरकार द्वारा कितना कोटा प्रतापगढ़ व अरनोद तहसील के लिए निर्धारित था और कितना हर महीने दिया गया ?

(5) क्या प्रतापगढ़, अरनोद तहसील में ब्लेक में डीजल वितरण किया जाता है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही सरकार द्वारा की गई ? भविष्य में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) डीजल वितरण के लिए लाइसेन्स पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1990 के अन्तर्गत जारी किये जाते हैं। इस आदेश के अन्तर्गत प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र में दो लाइसेन्स जारी किये गये हैं। जिन-जिन व्यक्तियों को डीजल वितरण के लाइसेन्स जारी किये गये हैं उन फर्मों के नाम, लाइसेन्स नम्बर, ग्राम तथा वितरण कर्ता का नाम आदि का विवरण संलग्न परिशिष्ठ—"1" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) पिछले चार माह में किन-किन डीलरों को किस-किस तारीखों को कितना-

(62)

(खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री)

कितना डीजल दिया गया, का विवरण परिशिष्ट—"2" में संलग्न है। रसद विभाग के निरीक्षकों को इन पैट्रोल पम्पों पर प्रतिदिन उपस्थित रहकर डीजल का वितरण उनकी निगरानी में करवाया जाता है।

(3) काश्तकारों को ट्रैक्टर व डीजल पम्प के लिए जितना-जितना डीजल गत चार माह में सुलभ कराया गया है, उसका विवरण परिशिष्ट—"3" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) प्रतापगढ़ व अरनोद तहसील के लिये डीजल का कोटा निर्धारित नहीं है। प्रतापगढ़ मुख्यालय पर भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन एवं हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन के दो पैट्रोल पम्प हैं, उनके द्वारा गत चार माह में प्राप्त किये गये डीजल का विवरण प्रश्न के भाग—2 की सूची में दिया जा चुका है।

(5) प्रतापगढ़ व अरनोद तहसील क्षेत्र में डीजल ब्लेक होने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। भविष्य में यदि कोई मामला प्रकाश में आयेगा तो नियमों के अन्तर्गत तत्परता से कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

राज्य सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानों पर निगरानी समिति का गठन

541. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषदों द्वारा अपनी बैठकों में जो सिफारिशें की गई हैं उन पर राज्य स्तर पर क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषदों ने निर्धारित अवधि में बैठकें नहीं की, उनके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

(3) क्या राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर निगरानी समिति का गठन करने का आदेश जिलाधीश (रसद) को प्रदान किया हुआ है?

(4) यदि हां, तो क्या इन जिलों में इन आदेशों की पालना में निगरानी समितियों का गठन किया जा चुका है? अजमेर जिले की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषदों में सदस्य, सचिवों द्वारा परिषद की अपनी बैठक में जो सिफारिशें की गई हैं, राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों को सीधे ही आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया जाता है।

(2) किसी जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक निर्धारित अवधि में नहीं होने की जानकारी राज्य सरकार को नहीं है। अतः राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही का प्रश्न नहीं है।

(3) जी, हां।

(4) जी हां। अजमेर जिले की सूची सदन की मेज पर रख दी गई।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(63)

मैसर्स रघुवर इण्डिया लि. जयपुर के यहां छापा

542. श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़): क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बगैर लाइसेन्स वनस्पति घी बनाने के सम्बन्ध में दुर्गापुरा स्थित मैसर्स रघुवर इण्डिया लि.जयपुर के यहां छापा मारा था ? यदि हां, तो छापे के दौरान कुल कितना अवैध वनस्पति घी पाया गया था तथा कम्पनी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि कलक्टर के यहां पैरवी करने के लिए एडवोकेट सुमेर चन्द भण्डारी को नियुक्त किया गया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री भण्डारी ने कम्पनी के खिलाफ काला बाजारी करने के लिए कलक्टर से मुकदमा दायर करने का आग्रह किया था । यदि हां, तो कलक्टर ने अभी तक कम्पनी के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि उच्च न्यायालय श्री भण्डारी की पैरवी करने की इजाजत देर से दिये जाने के कारण सारा जब्त माल न्यायालय के आदेश पर छोड़ना पड़ा ? श्री भण्डारी को देर से नियुक्त किये जाने का कारण क्या था ?

(5) मैसर्स रघुवर इण्डिया लिमिटेड जयपुर के प्रबन्ध संचालक मण्डल के नामों की सूची मय पते के सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । 23,000 टीन वनस्पति घी छापे के दौरान जब्त किया गया । जिला कलक्टर, जयपुर के यहां इसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–6 क में कार्यवाही विचाराधीन है ।

(2) जी, हां ।

(3) श्री भण्डारी द्वारा दिनांक 1-1-91 को कम्पनी के खिलाफ कालाबाजारी करने के लिए जिला कलक्टर से आग्रह किया गया, किन्तु कम्पनी के विरुद्ध इस्तगासा दायर करने के लिए जिला कलक्टर द्वारा पूर्व में ही दिनांक 6-7-90 को ही आदेश दे दिये गये थे ।

(4) जी, नहीं । श्री भण्डारी की नियुक्ति विधि विभाग की अनुमति से हुई ।

(5) मैसर्स रघुवर इण्ड़िया लि. जयपुर के प्रबन्ध संचालक मण्डल के नामों की सूची एवं पते सदन की मेज पर रख दिये गये हैं ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-21 देखें)

उपखण्ड दौसा की तहसीलों में उचित मूल्य की दुकानें

543. श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई): क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(65)

(श्री रामकिशोर सैनी)

(1) उपखण्ड दौसा की तहसील बसवा, सिकराय, लालसोट व दौसा में उचित मूल्य की कुल कितनी दुकानें हैं ?

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में चीनी, कैरोसिन, अनाज व अन्य राशन के विक्रय के लिए कुल कितने डीलर नियुक्त किये हुए हैं? प्रत्येक ग्राम पंचायत के अनुसार उक्त समस्त खाद्य व अन्य सामग्री के वितरण के डीलरों के नाम व पते, दुकान किस स्थान पर स्थित है तथा किस-किस क्षेत्र या वार्डों को उनसे सामान वितरित किया जाता है, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्रय-विक्रय सहकारी समिति, बांदीकुई को वर्ष 1990 में कुल कितनी चीनी, तेल, खाद, बीज आदि दिया गया व उक्त क्रय विक्रय सहकारी समिति ने किस प्रकार वितरण किया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उपखण्ड दौसा की तहसील बसवा, सिकराय, लालसोट व दौसा में दो सौ तिरेपन उचित मूल्य की दुकानें हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कैरोसिन, चीनी, अनाज व अन्य राशन विक्रय के लिए 66 डीलर नियुक्त हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत के अनुसार खाद्य सामग्री वितरण करने वाले डीलरों के नाम, पते, स्थान तथा जिस-जिस क्षेत्र या वार्डों को उनके द्वारा सामान वितरण किया जाता है, उसका विवरण परिशिष्ट "क" व "ख" में सदन की मेज पर रख दिया है।

(3) ग्राम विकास सहकारी समिति, बांदीकुई के नाम से कोई संस्था नहीं थी। बांदीकुई क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. के नाम से संस्था है, जिसको वर्ष 1990 में 18191 क्वि. चीनी, 99.90 खाद तेल व 1000 क्विंटल गेहूं, 66.44 क्वि. खाद्य व 237 क्विंटल 10 किलो बीज दिया गया। समिति द्वारा इन वस्तुओं के वितरण का विवरण परिशिष्ट "ग" एवं "घ" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिलों में उपभोक्ता फोरम का गठन

544. **श्री सालिगराम**(बयाना), **श्रीमती रमा पायलट** (हिण्डौली) **व श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पालना में 15 जून, 1990 तक सभी जिलों में उपभोक्ता फोरम गठित करने का फैसला किया गया है ? यदि हां, तो अब तक किन-किन जिलों में इनका गठन हो चुका है तथा किन-किन को उक्त फोरम का अध्यक्ष व सदस्य मनोनीत किया गया है ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पालना में राज्य के चार जिलों (बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर एवं नागौर) के अतिरिक्त सभी जिलों में दिनांक 26-11-90 को अधिसूचनाएं जारी कर जिला फोरम

(खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री)

का गठन किया जा चुका है। उक्त तिथि को जारी अधिसूचना में जिला मंच के अध्यक्ष, उसी जिले के जिला एवं सैशन न्यायाधीश को मनोनीत किया गया है, जबकि मंच के दो सदस्य, जिनमें एक महिला को सदस्य रखा है, अधिनियम के तहत मनोनीत किए गए हैं। जिन-जिन को फोरम का अध्यक्ष व सदस्य मनोनीत किया गया है, का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

जयपुर शहर के नागरिकों को रसोई गैस कनैक्शन

545. **श्री शम्भूदयाल बड़गूजर** (केकड़ी): क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर शहर के नागरिकों को रसोई गैस कनेक्शन दिये जाने हेतु सरकार ने आवेदन पत्र आमंत्रित किये थे?

(2) क्या उक्त आवेदकों की वरीयता निश्चित कर दी गई है? यदि हां, तो प्रत्येक की वरीयता क्या-क्या है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आवेदकों में से कितनों को कनेक्शन दे दिये गये?

(4) क्या शेष प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को भी जल्दी ही कनेक्शन दिये जाने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी हां। प्रत्येक की वरीयता निश्चित् कर दी गई है।

(3) अब तक 11,385 आवेदकों को कनेक्शन दे दिये गये हैं।

(4) तेल कम्पनियों को जैसे-जैसे गैस कनेक्शन केन्द्र सरकार से प्राप्त होंगे, प्रतीक्षा सूची के शेष आवेदकों को उपलब्ध कराये जायेंगे।

विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

546. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डग विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने ग्राम हैं जो बिजली लाइन से एक किलोमीटर दूरी पर हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसे ग्रामों का विद्युतीकरण करने की राज्य सरकार की क्या योजना है? वर्ष 1981–92 में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण करने की योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डग विधान सभा क्षेत्र में 7 ग्राम ऐसे हैं जो बिजली लाइन से लगभग 1 किमी. दूर स्थित हैं। सूची "अ" संलग्न है।

(उर्जा मंत्री)

(2) ऐसे ग्रामों में से स्वीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण राज्य सरकार द्वारा योजना मद में आवंटित वित्त एवं वार्षिक लक्ष्यानुसार आगामी वर्षों में किया जा सकेगा। वर्ष 1991–92 की वार्षिक योजना के अन्तिम रूप से निर्धारण के पश्चात् ही वर्ष में प्रस्तावित ग्रामों का जिलेवार निर्धारण किया जा सकेगा। अतः विवरण दिया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–23 देखें)

बिजली के मिनीमम चार्जेज की वैकल्पिक व्यवस्था

547. **श्री सालिगराम** (बयाना) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार बिजली के मिनीमम चार्जेज समाप्त करने का विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो इसकी एवज में क्या वैकल्पिक व्यवस्था सरकार के विचाराधीन है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा बिजली के मिनीमम चार्जेज समाप्त करने का कोई विचार नहीं है। मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं पर राज्य सरकार के आदेशानुसार माह फरवरी, 1990 से ही मिनीमम चार्जेज नहीं लिए जा रहे हैं।

(2) उपर्युक्त कारण वश वैकल्पिक व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

तहसील टोडाभीम (सवाई माधोपुर) में ट्रांसफार्मर लगाने का विचार

548. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला सवाई माधोपुर की तहसील टोडाभीम में विद्युत ट्रांसफार्मर का कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र में इसके कारण रात्रि में बिजली बन्द रहती है ?

(2) क्या सरकार तहसील टोडाभीम में बड़े ट्रांसफार्मर लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) सरकार टोडाभीम को-आपरेटिव ग्रामीण विद्युतीकरण के कितने लक्ष्य अब तक पूरे कर चुकी है ?

(4) क्या सरकार टोडाभीम में 3 एम. वी. का ट्रांसफार्मर लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला सवाईमाधोपुर की तहसील टोडाभीम विद्युत मण्डल के अधीन क्षेत्र में कोई भी पावर ट्रांसफार्मर लगाने का वर्तमान में कोई कार्य नहीं चल रहा है।

(2) टोडाभीम तहसील में 3.15 एम. वी. ए. क्षमता का एक ट्रांसफार्मर उपलब्धतानुसार स्थापित करने की योजना है।

(67)

(ऊर्जा मंत्री)

(3) इस क्षेत्र में 148 ग्रामों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य था उसमें से 146 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है शेष 2 ग्रामों में लाइन का कार्य बाकी है।

(4) सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफार्मर उपलब्ध होने पर लगाने का प्रयास किया जावेगा।

पंचायत समिति बामनवास में विद्युतीकरण योजना

549. श्री कुन्जीलाल मीणा (बामनवास) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्य पंचायत समिति बामनवास में चल रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि पूर्व में सहायक अभियन्ता कार्यालय बामनवास में था जिसको नादौती स्थानान्तरित कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या इसे वापस पचायत समिति मुख्यालय बामनवास पर रखने का सरकार इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, पंचायत समिति, बामनवास क्षेत्र में दो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजनाएं चल रही हैं।

(2) विद्युत मण्डल के आदेश दिनांक 23.5.1984 द्वारा कोटा वृत्त का पुनर्गठन करते समय सहायक अभियन्ता, नादौती के पद को समाप्त कर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम नादौती का कार्य सहायक अभियन्ता (ग्रा.वि.) बामनवास मुख्यालय पीपलाई को दे दिया गया था। तत्पश्चात् मुख्य अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के आदेश दिनांक 11.6.1984 द्वारा सहायक अभियन्ता (ग्रा. वि.) बामनवास को सहायक अभियन्ता (ग्रा. वि.) नादौती में विलय कर दिया। इस कार्यालय को पुनः बामनवास रखने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है।

राज्य विद्युत मण्डल का स्टाफ रखने की पद्धति का आधार

550. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य विद्युत मण्डल द्वारा बीकानेर स्थित लेखाधिकारी कार्यालय बी. सी. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल से 27 कर्मचारियों को जिनमें लेखाकार एवं अन्य कर्मचारी सम्मिलित हैं स्थानान्तरित किये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि 1967 से अब तक उक्त कार्यालय में स्टाफ वहीं कार्यरत है जो 1967 में था ? क्या विभाग वर्तमान कार्यभार को ध्यान में रखते हुए स्टाफ में बढ़ोतरी का विचार रखता है ?

(3) वर्ष 1967 में उक्त कार्यालय का कार्यभार, बिलों की संख्या एवं स्टाफ की संख्या कितनी थी ? वर्तमान में कार्यभार, बिलों की संख्या कितनी है एवं इसकी तुलना में स्टाफ कितना है ?

(4) राज्य विद्युत मण्डल का

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

स्टाफ रखने की पद्धति का आधार क्या है ?

(5) क्या यह सही है कि पाली का ए. ओ. आफिस आज भी जोधपुर में चल रहा है ? यदि हां, तो राज्य में ऐसे कौन-कौन से कार्यालय हैं जो अन्य स्थानों पर चल रहे हैं ?

(6) कितने व्यक्तियों को पुनः बीकानेर स्थित विभिन्न कार्यालयों में लगाया गया ? इसका आधार क्या है ? शेष कर्मचारियों को क्या बीकानेर पदस्थापित करने का विचार है ? क्या राज्य विद्युत मण्डल वर्तमान कार्य अधिकता को ध्यान में रखते हुए नये पद सृजित करने का विचार रखती है ?

(7) क्या यह सही है कि अलवर एवं राज्य के अन्य हिस्सों में स्टाफ मण्डल के मानदण्ड के अनुसार है ? यदि हां, तो उसी मानदण्ड के अनुसार बीकानेर में कितने कर्मचारी अलग-अलग श्रेणीवार होने चाहिये ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि लेखाधिकारी बीकानेर वृत्त के कार्यालय के 27 कर्मचारियों को जिनमें लेखाकार व अन्य कर्मचारी सम्मिलित हैं, का स्थानान्तरण किया गया। बीकानेर वृत्त के विभाजन और हनुमानगढ़ वृत्त के गठन के फलस्वरूप यह कार्यवाही आवश्यक थी।

(2) बीकानेर में स्टाफ की कोई कमी नहीं है। प्रायः सभी स्वीकृतपद भरे हुए हैं। विद्युत मण्डल की विकट आर्थिक स्थिति के सन्दर्भ में वहां के पदों को बढ़ाना सम्भव नहीं है।

(3) वर्ष 1967 में उक्त कार्यालय में 66 कर्मचारी कार्यरत थे परन्तु कार्यभार एवं बिलों की संख्या इस समय बता पाना मुमकिन नहीं है क्योंकि इस प्रकार की सूचनाएं संकलित करके रखी नहीं जाती हैं। वर्तमान में करीब 6000 बिलों को पारित किया जाता है तथा स्वीकृत पदों की संख्या 61 है। कार्य बढ़ने के बावजूद भी जैसा कि उत्तर संख्या 2 में बताया गया है, स्टाफ बढ़ाना संभव नहीं है। कई स्थानों में काफी पद खाली हैं। जबकि बीकानेर में सभी पद भरे हुए हैं। अतः अतिरिक्त स्टाफ लगाना भी होगा तो पहले रिक्त स्थान भरे जायेंगे।

(4) स्टाफ कार्यभार व वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए रखा जाता है।

(5) जी नहीं। लेखाधिकारी (पाली वृत्त) का कार्यालय पाली में ही कार्य कर रहा है। ऐसा कोई अन्य वृत्त लेखाधिकारी कार्यालय नहीं है जो अन्य जगह कार्य कर रहा हो। प्रारम्भ में वहां भी यही समस्या आई थी क्योंकि जोधपुर वृत्त का विभाजन कर, पाली वृत्त का गठन किया था।

(6) छः व्यक्तियों को पुनः बीकानेर स्थित लेखाधिकारी कार्यालय में प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है। शेष कर्मचारियों को पुनः बीकानेर पदस्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नये पदों के गठन का कोई औचित्य नहीं है। भर्ती करनी भी पड़ी तो उन स्थानों के लिए की जायेगी जहां काफी अधिक स्थान रिक्त हैं। बीकानेर में ऐसी स्थिति नहीं है।

(7) अलवर एवं राज्य के अन्य हिस्सों

(ऊर्जा मंत्री)

में लेखाधिकारी कार्यालयों में स्टाफ स्वीकृत मानदण्डों, कार्यभार एवं मण्डल की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए गत दस वर्षों से समय समय पर निर्धारित एवं पुनः निर्धारित किये गये हैं। इन्हीं मानदण्डों तथा अनुमानित कार्यभार के आधार पर लेखावृत्त कार्यालय बीकानेर में वर्ष 1989 में स्टाफ निर्धारित किया गया है। अतः आज भी वही है।

विधान सभा क्षेत्र जैतारण के ग्रामों का विद्युतीकरण

551. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण के कौन-कौन से गांव विद्युतीकरण योजना में शामिल नहीं है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन्हें कब तक विद्युतीकरण करने की भविष्य में योजना है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण का कोई भी ग्राम वष 1981 की जनगणना पुस्तिकानुसार विद्युतीकरण योजना में शामिल होना शेष नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जैतारण के सभी 95 ग्राम विद्युतीकृत किये जा चुके हैं। अतः भविष्य में किसी भी ग्राम के विद्युतीकरण की योजना की आवश्यकता नहीं रह गई है।

इंदिरा गांधी सेंटर फार ह्यूमन इकोलाजी, एनवायरलमेंटल एण्ड पोलुशन स्टेडी की रिपोर्ट

552. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद): क्या भू-जल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार का ध्यान "इंदिरा गांधी सेंटर फार ह्यूमन इकोलाजी एनवायरमेंटल एण्ड पोलुशन स्टेडीज की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट की ओर गया है, जिसमें कहा गया है कि स्वच्छ पानी न मिलने और वह भी 100 से 150 मीटर की गहराई में होने के कारण राज्य के शुष्क इलाकों की स्थिति भविष्य में और भी बदतर हो सकती है ? इस रिपोर्ट के अनुसार खराब पानी कई वर्षों से सिंचाई कार्य में निरन्तर उपयोग से जमीन का खारापन बढ़ रहा है जो रेगिस्तान के बढ़ने का प्रमुख कारण है ? इस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

विभाग को "इन्दिरा गांधी सेन्टर फार ह्यूमन इकोलोजी एनवायरमेंटल एण्ड पोलुशन स्टेडी" नाम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं संभव है कि उक्त प्रतिवेदन इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया हो परन्तु वास्तविक प्रतिवेदन उपलब्ध न होने से उस पर टिप्पणी करना संभव नहीं है। परन्तु यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि शुष्क क्षेत्र विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में भू-जल स्तर सर्वत्र 100 से 150 मीटर गहरा नहीं है, अधिकतर क्षेत्रों में यह

(भू-जल राज्य मंत्री)

इससे काफी कम है। इसी प्रकार कुछ क्षेत्रों में पानी पीने व सिंचाई हेतु उपयुक्त है और ऐसे क्षेत्रों में भू-जल से सिंचाई करने से जमीन में खारापन आदि का बढ़ना जरूरी नहीं है। वैसे भी राजस्थान के कई क्षेत्रों में जहां कि पानी काफी खारा है, किसान भू-जलसे सिंचाई कर रहे हैं। हालांकि प्रारम्भिक बीजारोपण हेतु वर्षा के जल की आवश्यकता होती है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 553

(स्थगित)

राज्य के आयुर्वेदिक औषधालयों हेतु राशि का प्रावधान

554. **श्री फूलचन्द** (नीम का थाना) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वित्तीय वर्ष 1989—90 व 1990-91 में राजस्थान के औषधालयों के लिए दवाइयों के मद में कितनी राशि का प्रावधान है? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त राशि दवाइयों के लिए पर्याप्त है? यदि नहीं, तो क्या सरकार राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) घटक द्रव्यों व कच्ची औषधियों के क्रय हेतु विभागीय बजट में निम्न प्रकार बजट प्रावधान उपलब्ध है :—

(राशि लाखों में)

वर्ष	मूल स्वीकृत प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1989-90	54.00	54.04
1990-91	55.35	73.35

(2) जी नहीं। कच्ची औषधियों एवं घटक द्रव्यों के क्रय हेतु विभागीय बजट में वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन है। राज्य की वित्तीय संसाधनों की सीमान्तर्गत प्रतिवर्ष बजट में वृद्धि की जा रही है। वर्ष 1991-92 के बजट में इस निमित्त 95.98 लाख रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

नगर परिषद् सीमा क्षेत्र जोधपुर में अनाधिकृत निर्माण

555. **श्री हरिश्चन्द्र** (नांवा) एवं **श्री रामकिशोर सैनी** (बांदीकुई) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम भदवासिया-पुन्दला, जोधपुर तहसील (नगर परिषद् सीमा क्षेत्र) में खसरा सं. 58/2 की 12 बीघा भूमि पर बिना योजना/बिना भू-खण्ड आवंटित किये बिना विकास-राशि भुगतान/बिना न्यास द्वारा निर्माण स्वीकृत के कुछ अवैध भू-खण्ड धारक अथवा ग्रीन बैल्ट कृषि भूमि धारक अवैध निर्माण कर रहे हैं और न्यास ऐसे निर्माण कार्यों को रोकने में अनदेखी कर रहा है?

(2) क्या अवैध निर्माणकर्ता के विरुद्ध

(श्री हरिश्चन्द्र)

नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने उचित कार्यवाही की है; यदि नहीं, तो क्यों ? सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या अवैध निर्माण हटा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो कब तक हटा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(1) न्यास द्वारा ऐसे अवैध निर्माणकर्ता के विरुद्ध हटाने की कार्यवाही की जा रही है ।

(3) ऐसे अवैध निर्माण को अविलम्ब हटाने के निर्देश दिये जा रहे हैं ।

नगर परिषद् जोधपुर के डाक्टर द्वारा बीमा व्यवसाय

556. **श्री हरिश्चन्द्र** (नावां) एवं **श्री रामकिशोर सैनी** (बांदीकुई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर परिषद् के डा: चिमन सिंह परिहार अपने प्रभाव को काम में लेकर गत 6 वर्षों से अधिक समय से एल. आई. सी. का बीमा व्यवसाय करते रहे हैं ?

(2) क्या सरकार उपरोक्त अधिकारी का यहां से स्थानान्तरण करने के पश्चात् निष्पक्ष जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) डा: चिमन सिंह परिहार के विरुद्ध इस प्रकार की शिकायतों पर सी. सी. ए. रूल्स 16 व 17 के तहत कार्यवाही की जा रही है ।

(2) डा. चिमन सिंह परिहार के विरुद्ध शिकायतों की जांच में सी. सी. ए. रूल्स 16 व 17 के तहत कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है ।

जनजातीय क्षेत्रीय विकास मण्डल की गतिविधियां

557. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनजातीय क्षेत्रीय विकास मण्डल के जनजाति समुदाय के उत्थान की दिशा में मुख्यतः क्या-क्या गतिविधियां हैं ?

(2) क्या सरकार ने जनजाति समुदाय को पहुंचाने वाले लाभ की समीक्षा करवाई है ? यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले?

(3) क्या जनजाति विकास प्लान के तहत इस क्षेत्र के विकास हेतु कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां तो अब तक किये गये विकास कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जनजाति समुदाय के उत्थान के लिये मुख्यतया क्षेत्रीय विकास की योजनाएं, सामुदायिक विकास की योजनाएं एवं व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं ।

जनजाति क्षेत्र में राजस्व संघ के माध्यम से जनजातियों को बिचौलियों के शोषण से मुक्त कराने, उन्हें सस्ते दामों पर

(जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री)

उपभोक्ता वस्तुएं तथा कृषि उत्पादन उपलब्ध कराने एवं उनकी गरीबी को दूर करने के उद्देश्य से उपभोक्ता सामग्री का वितरण कृषि उपादानों का वितरण, लघु वन उपज का संग्रहण एवं विपणन, मत्स्य बीज उत्पादन आखेट एवं विपणन, उपभोक्ता ऋण का वितरण, मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण आदि मुख्य गतिविधियां क्रियान्वित की जाती हैं।

विकास योजनाओं का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-क सदन की पटल पर रख दिया गया है

(2) जी, हां। विभिन्न योजनाओं का अध्ययन समय-समय पर किया जाता रहा है। कुछ योजनाओं का अध्ययन जो जनजाति अनुसंधान संस्था द्वारा कराया गया है और उनसे जो निष्कर्ष निकले हैं उनका संक्षेप ब्यौरा परिशिष्ट-ख सदन के पटल पर रख दिया गया है। विभिन्न योजनाओं से क्या लाभ प्राप्त हुआ उसके गहन अध्ययन हेतु वर्ष 1991-92 के बजट में प्रावधान रखा गया है।

(3) जी हां। जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास हेतु पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं जिनमें क्षेत्रीय विकास, सामुदायिक विकास एवं व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं सम्मिलित की गई हैं, जिनका उल्लेख परिशिष्ट-'क" पर किया गया है। इन तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में जो मुख्य-मुख्य कार्य हुए हैं उसकी सूची परिशिष्ट-"ग" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अनु. जनजाति छात्रों को शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता

558. **श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)**: क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में जनजाति के उत्थान हेतु वर्ष 1977 से अब तक कितनी-कितनी बजट राशि किस-किस मद में स्वीकृत की गई? मदवार कितना-कितना बजट कब-कब व्यय किया गया तथा कितना लेप्स हुआ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में जनजाति के कितने-कितने लोग किन-किन जिलों में कितनी-कितनी संख्या में निवास करते हैं? जनजाति के बच्चों को शिक्षा देने हेतु सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जनजाति के उत्थान हेतु अंकेक्षण मिलान की सूचना वर्ष 1982-83 से उपलब्ध है। इससे पूर्व की सूचना विभिन्न विभागों के पास उपलब्ध है। वर्ष 1982-83 से 1989-90 तक बजट और व्यय की विस्तृत सूचना परिशिष्ट-क सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) राज्य में वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 41.83 लाख जनजाति के लोग निवास करते हैं। जिलेवार सूचना परिशिष्ट-ख सदन की मेज पर रख दी गई है। जनजाति के बच्चों को शिक्षा देने हेतु सरकार ने प्राथमिक शालाएं, उच्च प्राथमिक शालाएं और और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोल रखे हैं। बच्चों को शिक्षा के प्रति

(जनजाति क्षेत्रीय विकास, राज्य मंत्री)

प्रेरित करने के लिए निःशुल्क छात्रावास सुविधाएं, पोशाकें पुस्तकें व लेखन सामग्री दी जाती है। शिक्षा की योजनाओं का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-ग सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर की कार-जीप का व्यय

559. **श्री फूलचन्द मीणा** (सलूम्बर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

उदयपुर-जनजाति आयुक्त कार्यालय में कितनी कार, जीपें हैं ? इन पर वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में मरम्मत, डीजल एवं अन्य व्यय कितना हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जनजाति आयुक्त कार्यालय, उदयपुर में वाहनों की स्थिति निम्नानुसार है।

	कार	जीप	मैटाडोर	जिप्सी	व्यय 1989-90	फरवरी, 91 90-91
आयुक्त कार्यालय	2	3	1	1	99,697/-	106100/-
अतिरिक्त आयुक्त (माडा) कार्यालय	1	—	—	1	40,600/-	20847/-

विधान सभा क्षेत्र सिवाना बाड़मेर के गांवों का विद्युतीकरण

560. **श्री हुक्माराम** (सिवाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना के कितने गांवों को बिजली से जोड़ दिया गया है ? तथा कितने गांवों को जोड़ना शेष है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) शेष गांवों में कब तक बिजली पहुंचा दी जायगी ?

(3) सिवाना विद्युत सब स्टेशन को बालोतरा 32 के. वी. लाईन से जोड़े जाने की स्वीकृति मिलने के बावजूद अभी तक नहीं जोड़ने के क्या कारण हैं ? अब कब तक जोड़ दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना के 121 ग्रामों को बिजली से जोड़ दिया गया है ? 12 ग्रामों को बिजली से जोड़ना शेष है। सूची "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) शेष 12 गांवों में से 3 ग्रामों का विद्युतीकरण इस वर्ष 1990-91 में किया जाना प्रस्तावित है व शेष 9 ग्रामों का विद्युतीकरण योजना मद में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आवंटित वित्त एवं वार्षिक लक्ष्यानुसार आगामी वर्षों में किया जाना संभव हो सकेगा।

(3) बालोतरा 132/33 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन से सिवाना तक 35 कि. मी. 33 के. वी. लाईन खींचने का कार्य प्रगति पर है. जिसके इसी वित्तीय वर्ष 1990-91 में पूर्ण होने की संभावना है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-24 देखें)

पंचायत समिति, बेगूं एवं भैंसरोड़गढ़ के गांवों का विद्युतीकरण

561. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बेगूं पंचायत समिति क्षेत्र एवं भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में कितने-कितने गांव विद्युतीकरण से वंचित हैं? उक्त गांवों को कब तक विद्युतीकृत करने का सरकार विचार रखती है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत वर्ष उपरोक्त दोनों पंचायत समितियों के कितने-कितने ग्राम विद्युतीकरण हेतु घोषित किये गये, उनमें से प्रत्येक गांव में कितने-कितने कुओं को कृषि कनेक्शन दिये गये? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बेगूं पंचायत समिति एवं भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में क्रमशः 69 एवं 83 ग्राम अविद्युतीकृत हैं। इनमें से पंचायत समिति बेगूं एवं भैंसरोड़गढ़ के क्रमशः 53 एवं 17 ग्राम वर्तमान में क्षेत्र की चल रही ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजनाओं में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत हैं। इन स्वीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण योजना मद में आवंटित वित्त एवं वार्षिक लक्ष्यानुसार आगामी वर्षों में किया जा सकेगा। अतः निश्चित समयावधि बता पाना फिलहाल संभव नहीं है। गांवों की सूची "अ" संलग्न है।

(2) गत वर्ष पंचायत समिति बेगूं एवं पंचायत समिति भैंसरोड़गढ़ के क्रमशः 21 एवं 5 ग्राम विद्युतीकृत किये गये हैं। इन ग्रामों में क्रमशः 14 एवं 1 कुल 15 कृषि कनेक्शन दिये गये हैं। ब्यौरा सूची 'ब" संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-25 देखें)

जोधपुर नगर की आवासीय भूमि का आवंटन

562. श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार द्वारा आदेश क्र.एफ.एन. 6-1-207/76/1843 दिनांक 14-3-1983 द्वारा नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम 1976 की धारा 21 के तहत जोधपुर सर्किट हाउस के आस-पास पूर्व व पश्चिम दिशा की आवासीय 58900 वर्ग मीटर भूमि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की आवासीय समस्या सुलझाने हेतु दिनांक 10-5-1983 को मैसर्स जोधाणा रियल

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

ऐस्टेट डवलपमेंट कम्पनी जोधपुर को दी गई थी ?

(2) उस भूमि पर जो भवन निर्माण हो चुके हैं क्या ये मकान समाज के कमजोर वर्गों के हैं ?

(3) क्या उक्त भूमि पर जो निर्माण कराया गया है वह निर्माण नगर सुधार न्यास, जोधपुर के आदेश से हुआ है ? यदि नहीं तो फिर निर्माण कैसे होने दिया गया ?

(4) क्या उक्त मकान 1976 के अधिनियम की धारा 21 के तहत अवैध हैं? यदि हां, तो राज्य सरकार इन मकानों को अवाप्त कर समाज के समजोर वर्ग को देने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है।

उत्तर

(1) जी हां। 10-5-82 को विभाग द्वारा योजना का तकनीकी अनुमोदन किया गया तथा सक्षम अधिकारी, जोधपुर के आदेश एफ 6 (1) 207/76/1843 दिनांक 14-12-83 द्वारा योजना में निहित भूमि 58,900 वर्ग मीटर को नगर भूमि (अधिनियम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम 1976 के अध्याय 3 से मुक्त घोषित किया गया है।

(2) जी हां, योजना कमजोर वर्ग के लोगों के लिए स्वीकृत की गई थी ? निर्मित भवनों में कुछ अधिक क्षेत्र लाने व सैट बैक का वायलेशन करने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर एस्टेट की धारा 21 (2) के तहत नोटिस जारी किया गया।

(3) नगर सुधार न्यास के आदेशों से निर्माण नहीं हुआ है। यद्यपि वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर भूमि एवं भवन कर विभाग जयपुर धारा 21 में स्कीम स्वीकृत करने हेतु राज्य सरकार की ओर से प्राधिकृत एवं सक्षम अधिकारी है फिर भी सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 14-12-83 के क्लाज 10 के अनुसार पार्टी द्वारा नगर सुधार न्यास जोधपुर से मानचित्र पास कराने चाहिए थे। इस सम्बन्ध में पार्टी को नगर सुधार न्यास द्वारा नोटिस भी दिये गये थे। जिसके खिलाफ पार्टी ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये।

(4) स्वीकृत स्कीम अनुसार भवनों का निर्माण नहीं होने से स्कीम निरस्त करने हेतु अलसर एक्ट की धारा 21 (2) में कम्पनी को नोटिस दिये जाने के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिका दायर की गई है। रिट याचिका संख्या 1854/85 अभी तक विचाराधीन है तथा आदेश दिनांक 9-9-85 द्वारा स्थगन दिया गया है। यथास्थिति रखने के आदेश है। अतः इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के निदेशानुसार ही कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।

निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति

563. **श्रीमती रमा पायलट** (हिण्डोली) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में विद्युत संकट को देखते हुए निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो सरकार

(श्रीमती रमा पायलट)

को अभी तक किन-किन क्षेत्रों के लिए किन-किन से व कहां-कहां से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ?

(2) इन प्रस्तावित परियोजनाओं से कितनी मेघावाट विद्युत आपूर्ति की सम्भावना है ?

(3) इन परियोजनाओं को सरकार कब तक परीक्षण कर अनुमोदित कर देगी व किन-किन शर्तों पर स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आर्थिक अभाव के कारण विद्युत आपूर्ति को पूरा करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुसार 2 × 250 मेगावाट चित्तौड़गढ़ विद्युत परियोजना का कार्य मै. सेन्चुरी टेक्सटाइल एण्ट इण्डस्ट्रीज लि. बम्बई को दिया गया है। इसके अलावा 2 × 250 मेगावाट विद्युत परियोजना सूरतगढ़ में लगाने का कार्य भी निजी क्षेत्र में देने के लिए राज्य सरकार ने गत दिनों में अखबारों में विज्ञप्ति द्वारा सुझाव मांगे हैं व निम्न के सुझाव प्राप्त हुए हैं :—

(क) एन. ई. सी. इन्जीनीयर्स (प्रा. लि.) नई दिल्ली।

(ख) एम्बेसी आफ रिपब्लिक आफ पोलेण्ड।

(ग) जी. ई. ए. इण्डिया, मद्रास।

(घ) बेस्टलोक एलीवेटेड फ-लोरस, बम्बई।

(ङ) आईसन् इन्जीनियरिंग, वेस्ट जरमनी।

(च) फेडर लायड कार्पोरेशन, नई दिल्ली।

(छ) ऐशिया फाउण्डेशन एण्ड कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, बम्बई।

सूरतगढ़ तापीय परियोजना हेतु मै. टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनीज, बम्बई ने अपनी इच्छा व्यक्त की है। विभिन्न योजनाएं निजी क्षेत्र में लगे अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में लगे इस बारे में मन्थन चल रहा है अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

(2) चित्तौड़गढ़ व सूरतगढ़ प्रत्येक से 500 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की सम्भावना है।

(3) विभिन्न स्तरों पर प्रयास चल रहे हैं—एक थर्मल स्टेशन पर 700 से 1000 करोड़ की लागत आती है। अतः एक बड़े निर्णय के लिए उचित व सक्षम व्यक्तियों की तलाश करनी पड़ती है जिसमें समय लगना स्वाभाविक है। भारत सरकार के स्तर पर निजी क्षेत्र के सन्दर्भ में कानून में विभिन्न संशोधन भी विचाराधीन हैं। अतः इसके पश्चात् ही इस सन्दर्भ में विशेष गति आयेगी।

पंचायत समिति सोजत एवं मारवाड़ जंक्शन के राजस्व गांवों में विद्युतीकरण

564. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति सोजत व मारवाड़ जंक्शन में नये गठित राजस्व ग्रामों सहित कितने-कितने राजस्व ग्रामों में अब तक विद्युतीकरण हो चुका है ?

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

(2) उक्त गांवों में से प्रत्येक पंचायत समिति के कौन-कौन से गांवों का इस वर्ष विद्युतीकरण होगा ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1981 की जनगणना पुस्तिका में अंकित पाली जिले की पंचायत समिति सोजत के सभी 107 एवं पंचायत समिति खारची (मारवाड़ जंक्शन) के सभी 111 राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्व में ही किया जा चुका है।

(2) उक्त दोनों पंचायत समितियों के समस्त ग्राम पूर्व में ही विद्युतीकृत हैं। अतः इस वर्ष किसी ग्रामों के विद्युतीकरण का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

पंचायत समिति लालसोट में कृषि कनेक्शन

565. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि मार्च, 1990 से अब तक सहायक अभियन्ता कार्यालय लालसोट द्वारा पंचायत समिति लालसोट में कृषि कनेक्शन लक्ष्य से बहुत ही कम दिये गये हैं? मार्च, 1990 से अब तक पंचायत समिति लालसोट में कितने कनेक्शन दिये गये हैं? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

मार्च, 1990 से अब तक पंचायत समिति लालसोट में 198 कृषि कनेक्शन दिये गये हैं जिसे बहुत कम नहीं आंका जा सकता। पिछले वर्ष मार्च तक 230 कनेक्शन दिये गये थे जबकि इस बार मार्च संम्भावित आंकड़ों को जोड़ने पर पिछले वर्ष के मुकाबले इस संख्या से बढ़ोतरी होगी। सहायक अभियन्ताओं के बार-बार स्थानान्तरण से भी कार्य में अवरोध हुआ है माहवार दिये गये कृषि कनेक्शनों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	माह	जारी किये गये कनेक्शनों की संख्या
1.	मार्च, 1900	30
2.	अप्रेल, 1990	—
3.	मई, 1990	—
4.	जून, 1990	—
5.	जुलाई, 1890	—
6.	अगस्त, 1990	—
7.	सितम्बर, 1990	—
8.	अक्टूबर, 1990	4
9.	नवम्बर, 1990	5
10.	दिसम्बर, 1990	18
11.	जनवरी, 1991	54
12.	फरवरी, 1991	87
	योग :—	198

विधान सभा क्षेत्र बेगूं (चित्तौड़गढ़) में सड़कों का निर्माण

566. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में किन-किन सड़कों का निर्माण कार्य सरकार के विचाराधीन है ?

(2) उक्त विचाराधीन निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा देने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य योजना अन्तर्गत प्राथमिकताओं तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(2) उपरोक्तानुसार।

नेहरू सर्किल विकास योजना राजगढ़ (अलवर) हेतु भूमि अवाप्ति

567. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका राजगढ़ (अलवर) की "नेहरू सर्किल विकास योजना" हेतु श्री रामदयाल जांगिड़ की कुल कितनी भूमि अवाप्त की गई ?

(2) अवाप्त की गई भूमि के बदले श्री रामदयाल को कितनी भूमि किस स्थान पर एवं कितना रुपया नगद मुआवजे के रूप में दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि श्री रामदयाल ने बदले में दी गई भूमि से अधिक पर कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो उक्त अतिक्रमण को हटाने के बाबत अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) श्री रामदयाल जांगिड़ की 5668 वर्ग फीट जमीन नेहरू सर्किल राजगढ़ में विकास योजना हेतु अवाप्त की गई।

(2) अवाप्त की गई भूमि के बदले श्री रामदयाल जांगिड़ को नेहरू सर्किल राजगढ़ पर प्लाट नम्बर 18 व 19 दिये गये थे जिनका क्षेत्रफल 2411 वर्ग फिट था। मुआवजा राशि 200/- रुपये नगद दी गई थी। विवरण निम्न प्रकार है :—

कितनी भूमि अवाप्त की गई	बदले में कितनी भूमि दी गई	भूमि किस स्थान पर दी गई	कितना रुपया मुआवजा दिया गया
5658 वर्गफीट भूमि अवाप्त की गई	2411 वर्गफीट भूमि बदले में दी गई	नेहरू सर्किल विकास योजना राजगढ़ पर दी गई	200/- मुआवजा राशि नगद भुगतान की गई

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) जी नहीं।

नगर विकास न्यास, जोधपुर के कबीर नगर की आवासीय योजना

568. **श्री प्रभुराम ग्रासिया** (पिंडवाड़ा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास, जोधपुर ने वर्ष 1982-83 में आवासीय योजना कबीर नगर के करीब 500 भूखण्डों का आवंटन किया था ? क्या उक्त आवंटियों से विकास शुल्क भी वसूल किया गया ? यदि हां, तो कितना तथा उक्त राशि से उक्त नगर में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त कबीर नगर में पेयजल एवं बिजली की व्यवस्थाएं कब तक करवा दी जायेंगी।

उत्तर

(1) जी हां। विकास शुल्क भू-खण्डों की कीमत में शामिल था। इस योजना में सड़क, नाली व पुलियाओं का निर्माण किया जा चुका है।

(2) इस योजना में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए न्यास द्वारा 25.15 लाख रुपये दिनांक 2.5.89, 19.7.89 एवं 30.8.90 को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में जमा करा दिये गये हैं। उक्त विभाग से पेयजल व्यवस्था हेतु बराबर प्रयास किया जा रहा है। बिजली की व्यवस्था के लिए न्यास द्वारा 1.82 लाख रुपये का कार्य करवा दिया गया था, लेकिन तार चोरी चले जाने के कारण बिजली चालू नहीं हो पाई है जिसे अन्य व्यवस्था करवाकर चालू करवाने का प्रयास किया जा रहा है।

(अतारांकित प्रश्न संख्या 569)

(स्थगित)

नगर विकास न्यास एवं नगर परिषदों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र

570. **श्री बंसीलाल पटवा** (भीलवाड़ा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य के विभिन्न जिलों में नगर विकास न्यास तथा नगर परिषदों ने किन-किन व्यक्तियों को कृषि भूमि तथा गैर कृषि भूमि के विकास की दृष्टि से पिछले पांच वर्षों में कितनी-कितनी भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये ? क्या यह भूमि आबादी क्षेत्र में थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य के विभिन्न जिलों में नगर विकास न्यास तथा नगर परिषदों में जिन-जिन व्यक्तियों को कृषि भूमि तथा गैर कृषि भूमि के विकास की दृष्टि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये हैं उनकी उपलब्ध सूचना के अनुसार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नगर परिषद् जोधपुर द्वारा सड़कों की मरम्मत

571. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर शहर की गलियों की कितनी सड़कों का रखरखाव व मरम्मत का कार्य जोधपुर नगर परिषद् द्वारा मार्च, 1990 से फरवरी, 1991 तक किया जा चुका है व 31 मार्च, 1991 तक कौन-कौन सी सड़कों का कार्य पूरा हो जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) जोधपुर शहर में मार्च, 1990 से फरवरी, 1991 तक कितनी सोडियम लाइटें/फिक्सर व बल्ब खम्भों पर लगा दिये गये हैं व कितने लगाना शेष है ? क्या 31 मार्च, 1991 तक शेष कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) जोधपुर शहर में 1985 से 1989 तक नगर परिषद् जोधपुर द्वारा सड़कों के रखरखाव/मरम्मत व गटर के ढक्कनों पर कितनी राशि खर्च की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जोधपुर शहर की सड़कों के रखरखाव व मरम्मत कार्य जो नगर परिषद्, जोधपुर द्वारा मार्च, 1990 से फरवरी, 1991 तक कराये जा चुके हैं, का विवरण एवं 31 मार्च, 1991 तक जो कार्य पूर्ण होंगे, का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) जोधपुर शहर में मार्च, 1990 से फरवरी, 1991 तक रोशनी व्यवस्था हेतु लगाये गये सामान व जो लगाया जाना शेष है, का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) जोधपुर शहर में 1985 से 1989 तक नगर परिषद्, जोधपुर द्वारा सड़कों के रखरखाव/मरम्मत व गटर के ढक्कनों पर जो राशि व्यय की गई, का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-26 देखें)

राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था का गठन

572. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था का गठन कब हुआ ? इस संस्था ने अब तक कितने सम्मेलन किये तथा सम्मेलनों में की गई सिफारिशों पर कितने प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किये गये ? प्रतिवेदनों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(2) सरकार ने इन प्रतिवेदनों का अध्ययन कर कितने प्रस्तावों को अब तक स्वीकृति दी है ? स्वीकृत प्रस्तावों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था का गठन 1954-55 में हुआ है । संस्था द्वारा दिनांक 16-17 फरवरी, 1983 को, 15-16 जुलाई, 1984 को तथा 22-23

(स्वायत्त शासन मंत्री)

दिसम्बर, 1985 को अखिल राजस्थान नगर-पालिका अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किये गये हैं। प्रतिवेदनों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) की गई कार्यवाहियों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)।

नगर परिषद् जोधपुर द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति

573. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर परिषद्, द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 (एफ) की पालना के विरुद्ध 873 कर्मचारियों को पद सृजित किये बिना 1986 में नियुक्ति दे दी गई थी, तत्पश्चात् उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि नगर परिषद् द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष सेवा से पृथक् किये गये कर्मचारियों को वापस लिये जाने का आश्वासन दिया ? यदि हां, तो क्या उस आश्वासन की पालना अब तक नहीं की गई ?

(3) क्या यह सही है कि सेवा पृथक किये गये 873 कर्मचारियों में से न्यायालय के आदेश के बाद मात्र 26 कर्मचारियों को ही पद सृजित करके लिया गया ? यदि हां, तो शेष 847 कर्मचारियों के विषय में राज्य सरकार ने सेवा में वापिस लेने के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया ?

उत्तर

(1) नगर परिषद्, जोधपुर द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 (एफ) की पालना के विरुद्ध 873 कर्मचारियों को पद सृजित किये बिना नियुक्ति देने नियोजन कार्यालय के माध्यम से नियुक्ति नहीं देने एवं बजट में पदों का प्रावधान किये बिना नियुक्ति दिये जाने के कारण सेवा से पृथक किया गया था।

(2) यह सही है कि नगर परिषद् द्वारा अनावश्यक आर्थिक हानि से बचने के लिए कानूनी सलाह के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष सेवा से प्रथक किये गये उन कर्मचारियों को जिन्होंने रिट दायर की थी पुनः सेवा में लिये जाने का आवश्वासन दिया गया था। आश्वासन की पालना कर दी गई है।

(3) सेवा पृथक किये गये कर्मचारियों में से 26 कर्मचारियों को पुनः सेवा में लिया गया है। शेष 847 को पद रिक्त नहीं होने व परिषद् की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण नहीं लिया गया।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रमजान खां, सदस्य, विधान

(श्री अध्यक्ष)

सभा की ओर से बाड़मेर व जैसलमेर के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं को समुचित विद्युत सप्लाई नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री मोहनलाल चौहान व 3 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले के विभिन्न गांवों में शीतलहर से फसल के नष्ट हो जाने के फलस्वरूप काश्तकारों को मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री गोविन्द सिंह गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 28 फरवरी, 1 मार्च, 1991 की रात्रि को अजमेर में नया बाजार स्थित चांदी की एक दुकान से 15-20 लाख रुपये की चोरी हो जाने व पुलिस की अकर्मण्यता के सम्बन्ध में।

(4) श्री प्रभुलाल पटेल व श्री हरिसिंह (महुआ) सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र सपोटरा की जनता को पेयजल की भीषण समस्या से राहत दिलवाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय दिया जायेगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से आज सदन में वक्तव्य दिया जा रहा है अतः इनको स्वीकार करने में असमर्थता है लेकिन माननीय सदस्यों को चर्चा में भाग लेने की अनुमति होगी।

(1) प्रो. केदार नाथ व डा. चन्द्रभान तथा 13 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से बीगोद जिला भीलवाड़ा में दिनांक 8.3.91 को शीतला अष्टमी का जुलूस निकाले जाने पर हुई पत्थरबाजी, आगजनी तथा वहां व्याप्त साम्प्रदायिक तनाव के सम्बन्ध में।

(2) श्री जनार्दनसिंह गहलोत व श्री हेतराम बेनीवाल तथा 6 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 12 मार्च, 1991 को भीलवाड़ा में विश्व हिन्दू परिषद द्वारा निकाले जा रहे जुलूस को रोक देने से जिले में व शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाने व पुलिस की फायरिंग से जन-धन की हुई क्षति के सम्बन्ध में।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि बाड़मेर में 253 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवकों के स्वीकृत 252 पदों के मुकाबले 161 ग्राम सेवकों के पद रिक्त होने के कारण बेरोजगार लोगों में व्याप्त असन्तोष तथा पंचायतों की व्यवस्था बिगड़ने के सम्बन्ध में श्री अमीन खां, सदस्य, द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य किये जाने में असमर्थ हूं क्योंकि सदन में अन्य माध्यम से पूरे प्रान्त के सम्बन्ध में इस विषय पर चर्चा हो चुकी है जिसमें सरकार ने शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है।

मुझे माननीय सदस्यों को अग्रेत्तर यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से सूचना प्राप्त नहीं हुई है इनको स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं लेकिन माननीय सदस्य (प्रस्तावक) को दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी :—

(श्री अध्यक्ष)

(1) दिनांक 20 दिसम्बर, 1990 को जयपुर में नेपाली नौकर सन्त बहादुर की मालिक के घर हुई रहस्यमय मौत के संबंध में नेपाली सेवा समाज में व्याप्त भारी आक्रोश के सम्बन्ध में सर्वश्री हरिसिंह, बी. डी. कल्ला व 4 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव।

(2) तहसील लालसोट के माध्यमिक विद्यालय मण्डावरी तथा माध्यमिक विद्यालय खेदलाखुर्द में काफी समय से अध्यापक नहीं लगाये जाने के कारण छात्रों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में श्री परसादी लाल मीणा द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव।

अग्रेत्तर माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि श्री गोविन्द सिंह गुर्जर, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रान्त में विद्युत व्यवस्था में निरन्तर ह्रास तथा किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिलने, उद्योगों में भारी कटौती किये जाने तथा किसानों में विद्युत सम्बन्ध के लिए अधिक राशि प्राप्त किये जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव के बारे में राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि काश्तकारों में इस बारे में पिछले वर्षों के मुकाबले कहीं अधिक सन्तोष है इस वर्ष 30 हजार से अधिक कुओं का विद्युतीकरण किया जा चुका है, जो एक कीर्तिमान है। जहां तक बिजली उपलब्ध कराने का प्रश्न है, इस वर्ष पीक लोड 380 लाख यूनिट तक पहुंच गया जबकि गत वर्ष 338 लाख यूनिट तक ही था इस वर्ष करीब 340 करोड़ रुपये तक की बिजली (पिछले वर्षों के मुकाबले 100 करोड़ रुपये अधिक) केन्द्र सरकार व पड़ौसी राज्यों से खरीदी जाकर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई गई। मौजूदा समय में कोई कटौती नहीं है जबकि पिछले वर्षों में काफी कटौती हुई है। अन्य राज्यों के मुकाबले प्रान्त की स्थिति काफी सन्तोषजनक है। एतदर्थ स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री लक्ष्मीचन्द मेहता, सदस्य, विधान सभा की ओर से जालोर जिले की की सांचोर पचायत समिति के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों व अध्यापकों की कमी के कारण व्याप्त अनुशासनहीनता एवं छात्रों की समुचित शिक्षा नहीं होने के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में पानी, सड़क एवं बिजली की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में।

(3) श्री रिछपाल सिंह मिर्धा, सदस्य, विधान सभा की ओर से डेगाना विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में उत्पन्न पेयजल संकट के निराकरण के सम्बन्ध में।

(4) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर शहर के अस्पताल को नवीन ग्रामीण अस्पताल में हस्तानान्तरित कर दिये जाने व सुविधाएं मुहैय्या नहीं करवाये जाने से जनता में व्याप्त आक्रोष के सम्बन्ध में।

(5) श्री रतनाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जालोर खुर्द की

(श्री अध्यक्ष)

सरहद में कीमती धातु की खान को निजी व्यक्ति को देने से करोड़ों रुपये के राजस्व का घाटा होने के सम्बन्ध में।

(6) श्री गुलाम मुस्तुफा खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर शहर व उसके विभिन्न गांवों में बिजली की भयंकर कमी के कारण पीने का पानी व कृषकों के नलकूप बन्द रहने की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में।

(7) श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 20 फरवरी, 1991 की सायं अलीगढ़ से धौलपुर व आगरा से धौलपुर संचालित की जा रही बसों का राज्य पद परिवहन निगम के निरीक्षक दस्ते द्वारा निरीक्षण करते समय हमला कर दिये जाने के सम्बन्ध में।

(8) डा. चन्द्रभान, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुन्झुनूं जिले के मण्डावा क्षेत्र की अलसीसर पंचायत समिति के खारे पानी के 54 गांवों की जनता को बिजली के अभाव में जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण लूट व अन्य जलदाय परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री महावीर प्रसाद जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर की मेडिकल शाखा द्वारा अनुचित रूप से लाभ उठाने के बावजूद निरन्तर घाटे में रहने की स्थिति की जांच के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

माननीय गृह मंत्रीजी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री जुबेर खां : पाइंट आफ आर्डर।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री मोहनलाल चित्तोड़िया : मेरा नागौर रायड़ा की फसल के शीतलहर से नुकसान होने से....स्थगन प्रस्ताव था उसके बारे में क्या व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष : वह एक साथ आ रहा है।

श्री बंशीलाल पटवा : मैंने भी भीलवाड़ा से सम्बन्धित काल अटेन्शन दे रखा है।

श्री अध्यक्ष : आप पूछ लेना। माननीय गृह मंत्री जी।

श्री दिग्विजय सिंह : मेरा निवेदन है कि समय रहेगा तो मैं चर्चा करते समय मंगवा लूंगा। और चर्चा करते समय.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप शुरू कर रहे हैं। आप शुरू करिये। पटवाजी आप बोलिये।

श्री रामनारायण वर्मा : मेरा पाइंट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, मुझे आसन ने निर्देश दिया था कि आपको प्रश्न पूछने का समय दिया जायेगा। मैं निवेदन कर रहा हूं उसके बाद माननीय मंत्रीजी को बोलने का मौका दिया गया लेकिन मुझे

(श्री रामनारायण वर्मा)

मौका नहीं दिया गया। मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं भगवतगढ़ रोड़ का।

श्री अध्यक्ष : यह पाइंट आफ आर्डर नहीं है। दिस इज नो पाइंट आफ आर्डर।

श्री रामनारायण वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो अधिकार है उस अधिकार को सुरक्षित रखने के बजाय मंत्रीजी को बचायें, मेरी बात नहीं कहने दें। यह कर्मचारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : भीलवाड़ा के मामले में पहले स्टेटमेण्ट आना चाहिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, आपको ही बुला रहा हूं। चूंकि इस समय एडजोर्नमेण्ट मोशन आया हुआ है और आप देरी कर रहे हैं। श्रीमान् हेतरामजी आपका ही है। आपका एडजोर्नमेण्ट मोशन है, है कि नहीं, बोलिए आप।

श्री नत्थीसिंह (नेता, जनता दल) : पहले स्टेटमेण्ट आना चाहिए,बाद में बोलेंगे। हम जानना चाहते हैं कि गवर्नमेण्ट की क्या स्थिति है? पहले गवर्नमेण्ट का स्टेटमेण्ट आये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेण्ट तैयार होकर आ रहा है। जब तक स्टेटमेण्ट आये, तब तक मैं श्री हरिसिंह जी को पुकारता हूं। श्री हरिसिंह जी। (व्यवधान) स्टेटमेण्ट तैयार होकर आ रहा है। तैयार होकर आ रहा है। (व्यवधान) आप बोल रहे हैं। आपके सीनियर नेता बोल रहे हैं। (व्यवधान) श्री हेतराम जी। श्री हेतराम जी बोलें।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मामला है। इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए मैं समझता हूं इस पर गृह मंत्री जी का स्टेटमेण्ट पहले आना चाहिए। उसके बाद हम बोलेंगे। इस मामले को हल्का बनाने की राज्य सरकार कोशिश कर रही है। आसन पर आप बिराजमान हैं, आपको यह नहीं करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री जी कह रहे हैं स्टेटमेण्ट तैयार होकर आ रहा है।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह कब तैयार होकर आ रहा है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोलिए ना। मैं बोलूंगा क्या आपकी जगह। आप बोलिए।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि अभी 5-7 मिनट में तैयार होकर आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष : 5-7 मिनट में आ जाएगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : तब तक हाउस एडजोर्न कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप सुन तो लीजिए। आप चुप तो बैठेंगे नहीं। बोलते रहिये। 5 मिनट हो जायेंगे (व्यवधान) मेरी व्यवस्था तो आप सुनना ही नहीं चाहते। आप अपनी ही कहना चाहते हैं। कहते रहिये, 5 मिनट निकल जायेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : लेकिन कहें क्या ?

श्री अध्यक्ष : तो बैठिये, जो कह रहे हैं वह सुन लीजिए ।

श्री सम्पतराम (खैरथल) : अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार की तरफ से बयान देने का सवाल पैदा होता है तो हो सकता है किन्हीं कारणों से उसकी पूरी सूचना उपलब्ध नहीं हो और पूरी सूचना होना ही इस सदन के हित में है । पूरी सूचना तो आनी ही चाहिए लेकिन उससे पहले आप किसी भी माननीय सदस्य को सब्जेक्ट मैटर पर बोलने के लिए इजाजत दें, यह उचित नहीं होगा । इसको स्टेंड स्टिल कर दीजिये, स्थगित कर दीजिए, अन्य बिजनिस ले लीजिए और माननीय मंत्री महोदय जब स्टेटमेण्ट देने के लिए तैयार हो जाय तो ले लीजिए । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सम्पतराम जी की बात से सहमत हूं और अन्य बिजनिस में दिनांक 20 दिसम्बर, 1990 को नेपाली नौकर के सम्बन्ध में श्री हरिसिंह जी के एडजोर्नमेण्ट मोशन पर बोलने के लिए लेता हूं ।

श्री हरिसिंह जी । अनुपस्थित ।

श्री नत्थी सिंह : सूचना नहीं आई है तो सदन को स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलाल मीणा बोलना नहीं चाहते । चलिए मैं तब तक 295 पुकारता हूं (व्यवधान) आ जायेगा 5 मिनट में । 295 । श्री लक्ष्मीचन्द मेहता । (व्यवधान) हो गया, 5 मिनट में आ जाएगा । आते ही सब काम रोक कर फिर वह ले लूंगा ।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, बीगोद के मामले में । बीगोद पर स्टेटमेण्ट दे दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है बीगोद का स्टेटमेण्ट शुरू करवा दूं ? गृह मन्त्री जी ।

श्री राजेन्द्र पारीक : बीगोद नहीं पहले भीलवाड़ा पर आसन की व्यवस्था हो चुकी या तो वक्तव्य हो या इस मामले में हाउस एडजोर्न हो (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माथुर साहब बोल रहे हैं । इतना तो ध्यान रखिये । सैनी जी इतना तो ध्यान रखिये कि आपके नेता बोल रहे हैं । हां, बोलिए माथुर साहब ।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, इस घटना को घटे हुए 24 घण्टे से ज्यादा समय हो गया और बहुत ही महत्वपूर्ण और गम्भीर घटना भीलवाड़ा के अन्दर हुई है । फिर सरकार किस प्रकार का काम करती है ? इसकी जानकारी ही नहीं आ रही है और जब आपने खुद कहा कि स्टेटमेंट पहले दिलाया जायेगा, मैं समझता हूं कि स्टेटमेंट पहले दिलाया जाये उसके बाद में ही कोई कार्य लिया जाय ।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : 5 मिनट इन्तजार नहीं कर सकते कमाल की बात है । (व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, भंवरलाल जी की बात से सहमत

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

हैं लेकिन आसन की तरफ से व्यवस्था हो चुकी। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने इंसिस्ट किया इसलिए उत्तर देने के लिए 10-5 मिनट में सूचना आएगी। मैं आपको स्टेटमेण्ट दे दूंगा। इसके बाद आप चर्चा शुरू कर दें। (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी कि प्रश्नकाल के तुरन्त बाद स्टेटमेंट आयेगा। सरकार स्टेटमेण्ट देने के लिए तैयार नहीं है तो फिर कृपया तब तक के लिए इस सदन को स्थगित कर दिया जाय। इससे पहले कोई कार्यवाही नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी।

श्री किशनाराम नाई : आपने 295 पर बोलने की व्यवस्था दे दी। (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : पहले स्टेटमेण्ट आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री जी बोलेंगे, सुनिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : आपको जानकारी नहीं है, इसलिए हम दे रहे हैं।

शासकीय वक्तव्य

विश्व हिन्दू परिषद के जुलूस पर गोलीकाण्ड से उत्पन्न स्थिति

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अब तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पर मैं स्टेटमेण्ट दे रहा हूं। विश्व हिन्दू परिषद के आव्हान पर दिनांक 12-3-91 को देश में "मन्दिर लौटाओ" कार्यक्रम के अन्तर्गत जुलूस एवं सभाएं करने का कार्यक्रम था जो राजस्थान के विभिन्न जिलों में भी आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम अन्य स्थानों पर शान्तिपूर्ण रहा किन्तु दुर्भाग्यवश भीलवाड़ा शहर में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनी।

दिनांक 12-3-91 को भीलवाड़ा में करीब 12 बजे दुधाधारी मन्दिर पर भीड़ एकत्रित होना प्रारम्भ हुई जिसमें विश्व हिन्दू परिषद् के स्थानीय नेतागण भी सम्मिलित थे। दोपहर 1-10 बजे के आस-पास लगभग तीन से साढ़े तीन हजार व्यक्ति जमा हो गये थे। जिलाधीश भीलवाड़ा एवं पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा भी उसी स्थल पर मौजूद थे। जिलाधीश भीलवाड़ा ने जुलूस ना निकालने के लिए जैसा कि दिनांक 11.3.91 को विश्व हिन्दू परिषद् के नेताओं को स्पष्ट कह दिया था और फैसला भी हो गया था कि किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाला जायेगा। केवल दुधाधार मन्दिर पर दोपहर एक बजे जनसभा का आयोजन ही किया जायेगा। इस जनसभा के बाद दुधाधार मन्दिर पर ही जिलाधीश को इस मौके पर ज्ञापन दिया जायेगा। किन्तु विश्व हिन्दू परिषद् के कार्यकर्ताओं ने यह बात उस स्थल पर ही नहीं मानी और जुलूस निकालने के लिए कहते रहे। विश्व हिन्दू परिषद् नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने भी जनता को समझाने का प्रयास किया परन्तु जनता ने उनकी बात नहीं मानी और इस बीच में विश्व हिन्दू परिषद् के नेतागण वहां से

88

(श्री दिग्विजय सिंह)

प्रस्थान कर गये और एकत्रित भीड़ ने, अनियंत्रित भीड़ के मॉब का रूप धारण कर लिया और बड़ा मन्दिर की ओर प्रस्थान करना शुरू कर दिया। तब दिन के 1.10 बजे थे। दूधाधारी से जुलूस में 3 बैलगाड़ियां, 3 ऑटो रिक्शा, झण्डे व लाठियां आदि थी। दोपहर 1.20 बजे जुलूस को वहीं रोका गया और समझाया। जिलाधीश ने उनसे कहा कि आप द्वारा मुझे जुलूस के बाद ज्ञापन देना है। मैं यहीं उपस्थित हूं, मुझे ज्ञापन यहीं दे दो तो बड़ा मन्दिर, धान मण्डी, गुल मण्डी, मुख्य बाजार और रेल्वे स्टेशन की ओर से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह संवेदनशील क्षेत्र है तथा वहां जुलूस के जाने पर साम्प्रदायिक दंगा होने की प्रबल सम्भावना है। जुलूस में सम्मिलित भीड़ द्वारा यह बात नहीं मानी गई तो 1.40 बजे प्रशासन को इस दबाव को कानून विरुद्ध दबाव घोषित करना पड़ा व उन्हें तीतर-बितर करने के लिए आदेश दिया। पुलिस द्वारा तितर-बितर नहीं होने पर बल प्रयोग किया गया गलियों तथा छतों से असामाजिक तत्वों द्वारा भारी पथराव शुरू हो गया जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए घायलों में उप महा निरीक्षक पुलिस, जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक शामिल हैं। इसके बाद वहां अश्रु गैस का प्रयोग किया गया जो नाकाम रहा। लाठी का प्रहार करना वहां सम्भव नहीं था क्योंकि गलियां व रास्ते इत्यादि सकड़े थे। दोपहर 1.50 बजे प्रशासन ने भीलवाड़ा के पुराने शहर में कर्फ्यू की घोषणा की और चेतावनी दी कि यदि भीड़ तितर-बितर नहीं हुई तो मजबूरन गोली चलानी पड़ेगी। इसके उपरान्त भी जुलूस में सम्मिलित भीड़ तितर-बितर नहीं हुई। तब अतिरिक्त जिलाधीश, शहर के आदेश पर दोपहर लगभग दो बजे भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोली चलाई गई। भीड़ वहां से हट गई और छतों एवं गलियों में जा घुसी तथा धान मण्डी, दुधाधारी मन्दिर, संजय कालोनी, माण्डलगढ़ रोड़ पर रास्ता अवरुद्ध कर दिया व पत्थरबाजी की जिससे राहगिरों के चोटें आई व सरकारी वाहनों को क्षति पहुंची। दुकानों को आग लगाने का प्रयास भी किया गया। लगभग तीन घण्टे तक यह अव्यवस्था बनी रही व पुलिस को कई स्थानों—धान मण्डी, दुधाधारी मन्दिर व सांगानेरी गेट पर गोली चलानी पड़ी। बाद दोपहर लगभग साढ़े चार बजे चार सौ-पांच सौ स्त्रियों की अनियन्त्रित भीड़ स्थानीय अस्पताल में घुस गई व डाक्टर व स्टाफ के साथ मारपीट की व अस्पताल के अन्दर भारी तोड़-फोड़ की। भीड़ द्वारा फायर ब्रिगेड की चार जीपों व दो ट्रकों को क्षति पहुंचाई गई। इस घटना में सम्मिलित पचास व्यक्ति एवं सात पुलिस कर्मी जख्मी हुए। भीड़ के 17 एवं पुलिस के 4 व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से तीन व्यक्ति गोली लगने से घायल हुए और दो व्यक्ति—सर्वश्री रतनलाल सैन व सुरेश चन्द जैन पुलिस की गोली से मारे गये। पुलिस ने कुल 34 चक्र चलाये थ्री नॉट थ्री बोर के एवं सात चक्र गोलियां 9 एम. एम. की चलाई गई। अश्रु गैस के 19 सैल एवं 30 अश्रु गैस के हैण्ड ग्रेनेड चलाये। इस विषय में मुकदमा संख्या 159/91 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 332, 353, 307, 334, 435, 427, 324, 188 आदि भारतीय दण्ड संहिता भीलवाड़ा कोतवाली में दर्ज हुआ। अभी तक 25

(श्री दिग्विजय सिंह)

व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। स्थिति अभी तनावपूर्ण किन्तु नियंत्रण में है। इस घटना के विरोध में विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा आज दिनांक 13.3.91 को भीलवाड़ा, माण्डलगढ़, बनेड़ा एवं शाहपुरा के बंद का आयोजन किया गया है। प्रशासन द्वारा भीलवाड़ा के पुराने शहर में कर्फ्यू लगाया गया है। इस घटना की सूचना मुझे चित्तौड़ में मिली। मैं तुरन्त ही विजय सिंह झाला, सिंचाई मंत्रीजी के साथ भीलवाड़ा के लिए रवाना हो गया एवं वहां पहुंच कर श्री कालूलाल गुर्जर, खान मन्त्री, जिलाधीश, भीलवाड़ा, पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा एवं अन्य अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की व घटनास्थल का जायजा लिया। इसमें सन्देह नहीं है कि प्रशासन द्वारा स्थिति से समय पर एवं दृढ़ता से निपटा गया एवं सामयिक कदम उठाकर एक भयंकर साम्प्रदायिक दंगे को होने से निश्चित रूप से बचाया गया है। मेरे द्वारा प्रशासन को घायल व्यक्तियों के भलि-भांति इलाज के लिए आदेश दे दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : मेरी सुन लीजिए। अभी यह सवाल उठाया गया था कि यह परम्परा के विपरीत होगा कि माननीय सदस्य पहले बोलें और वह उस पर स्टेटमेण्ट दें। स्टेटमेण्ट देने के बाद जो प्रक्रिया है और जो व्यवस्थाएं यहां पर आज तक दी गई हैं, मैं 1964 की एक व्यवस्था पढ़ कर सुना देना चाहता हूं ताकि वह ध्यान में रखें आप....

श्री हेतराम बेनीवाल : पुरानी हो गई है बहुत। 1964 का वक्त ही बदल गया है।

श्री अध्यक्ष : "श्री रामकिशन के यह कहने पर कि इनको बोलने का मौका ही नहीं दिया, अध्यक्ष ने कहा, 19.3.64 को, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि पहले माननीय सदस्य अपनी बात रखें, उसके बाद मंत्री महोदय को अपनी बात रखने दें। मंत्री महोदय द्वारा अपनी बात रखने के बाद में आवश्यक हो तो एक-दो बातों का स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। उसका जवाब मंत्री महोदय द्वारा दिया जाय। इसके बाद भी यदि शंकाएं रहती हैं, और जानकारी माननीय सदस्य चाहते हों तो उसके लिए हमारे नियमों में अन्य प्रावधान हैं, उनके अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं। आप इस प्रक्रिया को निभायेंगे। मेरे पास नाम है, मैं नाम बोल रहा हूं, श्री जनार्दन सिंह गहलोत। प्रश्न पूछेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर। श्रीमान् आपने जो 1964 की व्यवस्था यहां पर पढ़ कर सुनाई, यहां सदन में इस प्रकार के भी मौके आये हैं जब महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर स्टेटमेण्ट होने के बाद तीन-तीन घण्टे चर्चा हुई है....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : छह-छह घंटे, अध्यक्ष महोदय। आप खुद मौजूद थे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : छह-छह घण्टे यहां पर चर्चा हुई है। कृपया आप समय सीमा में माननीय सदस्यों को न बांधे।

श्री अध्यक्ष : मैंने तो नियम आपको बताया है, नियम पालना करना, नहीं करना, आपकी मर्जी पर है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : नहीं, परम्परा भी है....

श्री प्रद्युम्न सिंह : परम्परा भी है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैंने तो इस सदन की परम्परा, 1964 के अध्यक्ष की व्यवस्था सुनाई है। आप उसको माने, न माने, नियमों को ताक पर रखें, आपकी मर्जी है। मैं तो सदन का गुलाम हूं। श्री जनार्दन सिंहजी....

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम आपसे नहीं....

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंहजी, सवाल करिये। बिराजिये।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, आप सदन की शान है, गुलाम नहीं हैं आप।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जिस प्रकार से भीलवाड़ा में विश्व हिन्दू परिषद् और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट।

श्री सम्पत राम : माननीय अध्यक्षजी, आपने जो यह शब्द कहा है कि मैं सदन का गुलाम हूं, यह सदन का अपमान है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, सदन सर्वोपरि है। मैंने सोच-समझ कर कहा है....

श्री सम्पत राम : आप इसको एक्सपंज करिये।

श्री अध्यक्ष : और यह मैंने नहीं, मेरे पूर्ववर्ती और आपके मावलंकर साहब ने, बिठ्ठल भाई पटेल ने कहा है कि हम सदन के सेवक हैं, मैंने गुलाम कहा है...(व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : सेवक और गुलाम में जमीन-आसमान का अन्तर है।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, छोड़िये, छोड़िये आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप सदन के गुलाम नहीं, आप सदन के अध्यक्ष है....

श्री सम्पत राम : आप तो सेवक का इस्तेमाल कर लीजिए, गुलाम को इसमें से निकाल दें।

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये....(व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल भीलवाड़ा के अन्दर....

डा. चन्द्रभान : गुलाम की जगह संरक्षक लिखवाइये आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह एक्सपंज करवाइये साहब।

श्री रामस्वरूप मीणा : कार्यवाही में से गुलाम शब्द को निकाला जाये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप यदि यह कहते कि नियमों का गुलाम हूं तब तो समझ में आने वाली बात थी लेकिन सदन के तो आप सिरमौर हैं....

श्री अध्यक्ष : यह चर्चा का विषय नहीं है...

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, कल जिस प्रकार से भीलवाड़ा में घटना घटी वह राजस्थान के लिए एक गम्भीर मामला बनता है। वैसे तो राजस्थान के अन्दर पिछले एक वर्ष के अन्दर... (व्यवधान)

श्री किशनाराम नाई : भाषण नहीं, प्रश्न पूछिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर.... (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : यह कोई तरीका है क्या इनका, जब चाहे तब खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय किशनारामजी, ऑर्डर प्लीज। यह अपना सवाल बना रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : यह कौन होते हैं पूछने वाले, इस प्रकार खड़े हो जाते हैं। मामले की गम्भीरता को समाप्त कर रहे हैं आप...

श्री अध्यक्ष : सवाल बनाने दीजिए....

एक माननीय सदस्य : भूमिका बना रहे हैं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी से इतनी तकलीफ हो रही है, अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया....

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिए आप।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा में जिस प्रकार की कल घटना घटी, जैसा माननीय गृह मंत्रीजी ने स्वयं ने अपने स्टेटमेण्ट में कहा कि विश्व हिन्दू परिषद् के द्वारा यह जुलूस निकाला जा रहा था। सबसे पहले तो गृह मंत्रीजी ने सदन से एक बात छिपा कर सही मायने में उन तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर बोला है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जुलूस में मौजूद थे और वहां के भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी जुलूस में मौजूद थे। आपने अपने स्टेटमेण्ट में इस बात का जिक्र नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिन्दू परिषद् राम की दुहाई दे-दे कर राजस्थान के अन्दर हत्याएं करा रही है, चाहे वह साम्प्रदायिक दंगे करा रही है...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल पटवा : असत्य, असत्य...

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : यह दल है? पहले जयपुर के अन्दर, फिर चौमूं के अन्दर और जोधपुर में इसी भारतीय जनता पार्टी ने दंगे कराये....(व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : भाषण नहीं, सवाल पूछिये....(व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : और उसी प्रकार का काम करा है भीलवाड़ा में.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ....इसमें पूर्व मुख्य मंत्रीजी शिवचरण माथुर का हाथ है, उनके द्वारा भेजे गये +++ यह दंगे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज...(व्यवधान) माननीय दिलावरजी, बैठिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, इनका राम निकल गया है, क्या बात करते हैं? राम के बारे में इनको....(व्यवधान)

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय उजलाजी, बैठिये। (व्यवधान) बैठिये, बैठिये, माननीय उजलाजी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर कहा....(व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : किसी भी सार्वजनिक फंक्शन में किसी भी राजनैतिक पार्टी का कार्यकर्ता जा सकता है....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : हमें मालूम है कि राजा मानसिंह जब चुनाव की सभा के लिए आये तो उनको गोली से भून दिया....

एक माननीय सदस्य : पहले+++ बैठाइये।

श्री अध्यक्ष : माननीय उजलाजी, बैठिये। माननीय उजलाजी।

श्री रामनारायण वर्मा : उजलाजी, कब तक आप राम के नाम पर रोटियां सेकेंगी?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये,बिराजिये।

श्री मदनलाल सैनी : सामाजिक कार्यक्रम में कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता भाग ले सकता है, उसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल थे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। हां, बोलिए।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता.... माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता......

श्री कालीचरण सराफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर। मेरा निवेदन यह है कि हम चूंकि सत्तापक्ष के सदस्य हैं और इस तरह के प्रस्ताव नहीं दे सकते.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्यों नहीं दे सकते।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह क्या पाइन्ट आफ आर्डर हुआ? किस बात का पाइन्ट आफ आर्डर है?....

श्री कालीचरण सराफ : बात तो सुनिये।

एक माननीय सदस्य : बात तो सुनाना सीखो।

श्री कालीचरण सराफ :...जितने विपक्ष के लोग बोलें उतना ही सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, जनार्दन सिंह जी। पाइन्ट ऑफ आर्डर उठ रहा है।

श्री कालीचरण सराफ : मेरा कहना यह है कि जितने विपक्ष के माननीय सदस्य बोलें क्योंकि वन साइडेड वर्शन नहीं आये....

श्री अध्यक्ष : मेरे पास कोई नाम आयेगा तो देख लूंगा।

श्री कालीचरण सराफ : ....सत्ता पक्ष के लोगों को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए....

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : कोई नाम आयेगा तब ना।....हां बोलिए, जनार्दन सिंहजी बोलिए।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता ने हमें सेवा के लिए यहां बैठाया है। ट्रेजरी बेन्चेज की तरफ बैठे लोगों को इस बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए....

श्री अध्यक्ष : आप तो सवाल करिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं कह रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : प्रारम्भ में आपकी भूमिका ठीक थी मगर सवाल कीजिये आप। (व्यवधान) माननीय सदस्य आप सवाल करिये। सवाल के रूप में करिये आप।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिन्दू परिषद् ने जिस प्रकार भीलवाड़ा के अन्दर दंगे कराने की जो साजिश की है.... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह गलत बोल रहे हैं। नहीं बोल सकते यह....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप इतने सेन्सेटिव क्यों होते हैं....बैठिये प्लीज....(व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : जिस प्रकार से दंगे कराने की कोशिश की है...अखबारों में यह छपा है....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ... वहां दंगा नहीं हुआ है। वहां पर....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सवाल क्या है आपका.... (व्यवधान) मंत्री महोदय....माननीय मंत्री जी बैठिये....आप (श्री गहलोत) सवाल कीजिए, प्लीज। देखिये समय हो जायेगा। सवाल करिये....आप तो अच्छे सवाल कर सकते हैं।....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, ने यह बात तो कही है अध्यक्ष महोदय। यह बात भी मुझे मालूम है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं ने जिलाधीश महोदय को यह कहा कि आप जाकर विश्व हिन्दू परिषद्....

श्री अध्यक्ष : इस बात को सवाल के रूप में क्यों नहीं रखते ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सवाल के रूप में ही कर रहा हूं। मुख्य मंत्रीजी ने....

श्री प्रद्युम्न सिंह : बैकग्राउण्ड भी तो बनाना पड़ता है ना।

श्री अध्यक्ष : बहुत बना लिया।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मुझे यह मालूम है अध्यक्ष महोदय कि सदन के नेता महोदय के आदेश पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने....(व्यवधान)

श्रीमती उर्जला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : ....माननीय अध्यक्ष मुख्य मंत्री जी ने जिलाधीश महोदय

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

को यह आदेश दिया कि यह दंगे नहीं बढ़ें इसलिए पहले कलेक्टर जाकर वहीं ज्ञापन दे लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपने नेताओं की छवि बिगाड़ने में पीछे नहीं है, लोगों की हत्यायें कराने में आगे है.... (व्यवधान) गरीब जनता को मरवा दे। बराबर पुलिस को प्रशासन चलाना मुश्किल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य और भारतीय जनता पार्टी की सरकार....

श्री अध्यक्ष : अनलिमिटेड टाइम नहीं है। अब आप समाप्त करें....(व्यवधान).... सवाल पूछिये....समाप्त करें....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : भूतपूर्व मुख्य मंत्री का दबाव था....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजिए आप (श्री कालीचरण सराफ) : (व्यवधान) आप जल्दी सवाल कीजिये देखिये। मेरे पास 20 आदमियों की लिस्ट है....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल ही कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : हां, सवाल करिये।.... आपको 5 मिनट और देता हूं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, 5 मिनट में कोई नहीं बोलेगा तो 5 से छठी मिनट नहीं लूंगा। उसमें से कोई खड़ा हुआ तो गिनती बढ़ा लेना।....(व्यवधान)....माननीय मंत्री महोदय, अब इधर बैठने वाले लोगों को इस बात की आशंका है कि वे मंत्री महोदय से यह पूछना चाहते हैं कि एक ओर भारतीय जनता पार्टी का राज्य है और उस राज्य के अन्दर सरकार क्योंकि इस प्रकार के आदेश अधिकारी उस पर सख्ती से क्या कन्ट्रोल करें पुलिस प्रशा- या कलक्टर कोई भी सख्ती करे तो उनके सामने मुश्किल है कि वहां के भारतीय जनता पार्टी के एम. एल. ए. खुद ही दंगा करायें और खुद ही गोलियां चलवा लें....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, प्लीज... (व्यवधान) ... माननीय सदस्य क्या कर रहे हैं आप.... (व्यवधान) माननीय दिलावर साहब आप खड़े हुए तो ठीक नहीं होगा।... आप शांति से सुनिये....मैंने इनको पांच मिनट का समय दिया है और आप लोग ही डिस्टर्ब करेंगे तो यह हाउस नहीं चलेगा इस तरह से।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी जिन्होंने यह वक्तव्य दिया है सही माने में....

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : माननीय अध्यक्ष जी, + + + शब्द जो प्रोसीडिंग्स में आया है उसको निकलवाइये....इन्होंने कांग्रेस के + + + कहा है....

श्री अध्यक्ष : असंसदीय शब्द अपने आप निकल जायेगा। (व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी, मैं मानता हूं वह भारतीय

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

जनता पार्टी के सदस्य नहीं हैं लेकिन उनकी बड़ी कठिनाई है कि वह तथ्यों को दबाना चाहते हैं। वह अपनी रिपोर्ट दे दें तो गृह मंत्रीत्व जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इस आन्दोलन को कर रहे हैं और वहां पर जुलूस निकाल कर उस क्षेत्र के अन्दर प्रदर्शन करना चाहते हैं.... (व्यवधान) तो गृह मंत्रीजी उन तथ्यों को छिपाना चाहते हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम नहीं आयें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपने वक्तव्य में यह जिक्र किया है कि वहां पर कुछ नेताओं ने समझाने की कोशिश की। तो वह नेता कौन थे जो समझाने की बात कर रहे थे। विश्व हिन्दू परिषद् के कौन नेता थे और भारतीय जनता पार्टी के कौन नेता थे और वहां से कौन चले गये और जुलूस में आखिर तक कौन रहे थे? इस बात का भी स्पष्ट जवाब आ जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह भी पूछना चाहता हूं कि 10 लोग जो पकड़े गये हैं वह लोग कौन हैं और उनके नाम क्या हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी पूछना चाहता हूं कि इस जुलूस की जैसा कि घटना का पहले ही मालूम पड़ गया था 11 तारीख को जिलाधीश महोदय ने यह कह दिया कि आपको जुलूस की स्वीकृति नहीं दी जायेगी और उसके बाद इस जुलूस को निकालने के लिए कौन लोग ज्यादा सख्ती से काम कर रहे थे? उन नेताओं को क्या गिरफ्तार किया गया है? और इसमें कितने लोग पुलिस की फायरिंग से और वहां पर मुझे मालूम पड़ा है कि वहां पर पत्थरों की बौछार के अलावा सरियों से भी लोगों के सिर फोड़े गये हैं और वहां पर निहत्थे लोग जो बाजार से निकल रहे थे उन लोगों पर सरियों से हमला किया जिसमें कि कई लोग इस जुलूस में नहीं थे उनके ऊपर भी चोटें आई हैं। तो ऐसे लोगों के चोटें आई हैं। तो ऐसे कितने लोगों को चोटें आई हैं? उसके लिए भी गृह मंत्री जी इसमें बतायें। हमारे इस सारे मामले के अन्दर जो भी घटना घटी है वह राजस्थान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं कि अगर कहा जाये तो अतिश्योक्ति नहीं होगी कि भैरोंसिंह जी का एक साल सही माने में राजस्थान की जनता के लिए खून लेने वाला साल रहा है....

श्री अध्यक्ष : श्री चन्द्रभान।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : और उन्होंने आज इस प्रकार की हालत पैदा कर दी कि हमारे नेता महोदय ने इस सम्बन्ध में जो कहा कि ज्यूडीशियल इन्क्वायरी की, ताकि कम से कम उन भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिन्दू परिषद् के जो लोग इसमें शामिल हैं उनका पता चल सके।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए। श्री चन्द्रभान जी आप बोलिये। महावीर जी प्लीज कीप क्वाइट।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से....

श्री अध्यक्ष : आप 5 मिनट में समाप्त कीजिये।

डा. चन्द्रभान : मैं माननीय मंत्री जी से तीन-चार सवाल करना चाहता हूं....10 मार्च को भी मैंने बीगोद के साम्प्रदायिक

(डा. चन्द्रभान)

दंगे को ले करके स्थगन प्रस्ताव दिया था और मैंने यह आशंका प्रकट की थी कि बीगोद भीलवाड़ा के बहुत करीब है, करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है और बीगोद के दंगे का असर भीलवाड़ा पर पड़ेगा, अन्य जगहों पर पड़ेगा, इसलिए प्रशासन शासन को सतर्कता बरतनी चाहिए। लेकिन उस स्थगन प्रस्ताव पर अभी तक जवाब नहीं आया, वह स्टेटमेंट अभी तक भी नहीं आया और माननीय रमजान खां जी ने, जो मंत्री हैं, उस दिन बहुत सरसरी तौर पर कह दिया, जो कार्यवाही में नोटेड है कि वहां कोई ऐसी स्थिति नहीं है, वहां एकदम शांति हो गयी है, कोई तनाव नहीं है जबकि दस मार्च को आर. एस. एस. का पथ....

श्री रमजान खां : हां तो बीगोद के लिये कहा था मैंने, बीगोद के लिये।

डा. चन्द्रभान :-बीगोद और यह जुड़ा हुआ है।

एक माननीय सदस्य : वह तो छोटी-मोटी घटना है, इससे बड़ी घटना इन्होंने कर दी फिर दुबारा।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, दस मार्च को आर. एस. एस. का पथ संचालन था। उसमें भी अवरोध किया गया और उस दिन भी वहां तनाव बढ़ा। यह भी मैंने आपके नोटिस में....

एक माननीय सदस्य : यह भीलवाड़ा के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे हैं या बीगोद के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये खड़े हुए हैं।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य जो वहां से आते हैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आर. एस. एस. का पथ संचालन का कार्यक्रम भीलवाड़ा में हो रहा था न कि बीगोद में। उसके रास्ते को लेकर के वहां पर झगड़ा हुआ था और कल यह वारदात उस समय हुई जब हमारे देश के प्रधान मंत्री जी वहां से 70 किलोमीटर की दूरी चित्तौड़ आये हुए थे। माननीय मुख्य मंत्री जी भी वहां थे, सिंचाई मंत्री भी थे, गृह मंत्री भी थे, कहने का मतलब पूरी राजस्थान की सरकार थी और यह बात नोटिस में आ चुकी थी। जिला प्रशासन ने गृह मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी के नोटिस में यह बात ला दी थी और आपने यह आदेश भी दिया था कि जुलूस नहीं निकालना चाहिये। तो यह तय हो गया था, पहले से यह सुनियोजित था कि 12 तारीख को समूचे राजस्थान में और देशभर में मन्दिर को बचाने के लिए वी. एच. पी. का जुलूस का कार्यक्रम था और यह कह दिया गया था कि उस दिन देख लिया जायेगा, 12 तारीख को फैसला हो जायगा। पहले से ऐसी स्थिति बनी हुई थी। इसके बावजूद इतनी बड़ी घटना दो लोगों की जानें चली जाती हैं, और ढाई सौ लोग घायल हो जाते हैं, पुलिस का एक डी. आई. जी., एस. पी., कलक्टर पिट जाता है और गृह मंत्री जी फिर भी कहते हैं, इनकी एक आदत बन गई है, पुलिस और प्रशासन की यह हमेशा तारीफ करते हैं, मैं कहूंगा कि इस सरकार को समझ लेना चाहिये, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपकी जिम्मेदारी बनती है, कभी हिण्डौन में गोली कांड होता है, कभी बीलवाड़ी में पुलिस की फर्जी मुठभेड़ में लोगों की जानें चली जाती

(डा. चन्द्रभान)

हैं, कभी बीगोद में होता है, कभी भीलवाड़ा में। यह सिलसिला कब बन्द होगा। इस तरफ बैठे हुए माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जब अयोध्या में वह 30 अक्टूबर थी, दो नवम्बर थी, आपने कहा कि कारसेवकों की जान किसने ली....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप सवाल पूछिये।

(12.42 म. प.)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

डा. चन्द्रभान : मैं, सभापति महोदय, इस सरकार से पूछना चाहता हूं, अबकी बार यह जो कार सेवक मन्दिर की मांग कर रहे थे, इनकी जान किसने ली? कौनसी पार्टी का शासन है राजस्थान में। यदि भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता हो तो उसे सरकार से इस्तीफा देना चाहिये। गृह मंत्रीजी, जब से आप गृह मंत्री बने हो हमने हमने पहले भी सावचेत किया है लेकिन आप परिस्थितियों को या तो समझे नहीं या जान-बूझकर इनके टूल बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के और आपके चर्चे.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनको दर्द है मंत्री नहीं रहे इसलिए।

डा. चन्द्रभान : मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल न्यायिक जांच से काम नहीं चलेगा, केवल मुआवजे से काम नहीं चलेगा। मुआवजा तो आपको देना ही है और आप देंगे भी, न्यायिक जांच भी आप करवायेंगे। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपको कार्यवाही करनी है। लेकिन आपको सरकार और शासन में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यदि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है तो, सभापति महोदय, राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं रह जायगी। इसलिये अन्त में मेरा फिर इस सरकार से यही निवेदन है कि परिस्थितियों की गम्भीरता को समझें, मुख्य मंत्रीजी, यदि यही हालात चलते गये तो राजस्थान में लोकतन्त्र नहीं रहेगा, राजस्थान में धर्म निरपेक्षता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और यह सरकार और यह व्यवस्थाएं नहीं चल पायेंगी। इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच हो। जो मृतक हो चाहे वह विश्व हिन्दू परिषद् के कार्यकर्ता हो, चाहे जो भी उसमें थे, उनको एक-एक लाख रुपये का मुआवजा मिले। दोषी अधिकारियों को मालूम था, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और माननीय गृह मंत्रीजी को इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए, तत्काल घोषणा करनी चाहिए।

श्री सभापति : श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं गृह मंत्रीजी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि आप राजस्थान के गृह मंत्री हैं, दिग्विजय सिंह दल के नेता हैं, आपने जब समर्थन करने का सवाल पैदा किया, राजस्थान की जनता के सामने जब समर्थन करने का तय किया था तो आपने यह घोषणा की थी कि मैं यह हाथी, घोड़े, मुझे याद है वह शब्द कि यह

(श्री हेतराम बेनीवाल)

जो बी. जे. पी. के लोग हाथी घोड़ों का जुलूस निकालते हैं, मुझे वह नीति पसन्द नहीं है, और मैं इनमें इनका साथ नहीं दूंगा, यह मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं, पहले बी. जे. पी. से कि राजस्थान में हाथी घोड़ों की परमीशन देगी तो मैं साथ नहीं दूंगा, मुझे एक बात बताइये आप कि क्या राम मन्दिर लौटाने का प्रोग्राम जो वी. एच. पी. ने बनाया, आपने गृह मंत्री होते हुए जिलाधीश, एस. पीज. को क्या निर्देश दिलवाये कि जुलूस निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिये ? क्योंकि जुलूस की जो मुख्य मांग थी वह यह थी कि राम मंदिर वहां बनाया जाय जहां मस्जिद बनी हुई है, उसको हटाया जाय । मुझे दूसरा सवाल आपसे यह पूछना है....

श्री कालीचरण सराफ : मस्जिद है ही नहीं वहाँ ।

एक माननीय सदस्य : आपने देखा है क्या ?

श्री हेतराम बेनीवाल : कुछ भी है.... (व्यवधान) दूसरा मुझे आपसे यह पूछना है, सभापति महोदय....

श्री सभापति : कृपया विघ्न नहीं डालें । कृपया बिराज जाइये ।

एक माननीय सदस्य : यह राम मंदिर पर बोल रहे हैं ।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं जुलूस पर बोल रहा हूं । मैं इस बात पर बोल रहा हूं कि जुलूस निकालने का आपको पता है कि वह ऐसा इलाका है, वह इस तरह का क्षेत्र है जिस क्षेत्र में दंगे हुए हैं, जहां आगे आदमी मरे हैं और उस क्षेत्र के अन्दर आपने जुलूस निकाला । दूसरा सवाल यह है, वह जो जुलूस है उसमें क्या नारे लग रहे थे, आपने यह नहीं बताया । अखबारों तक में आया है, जो पेपर छपे हैं राजस्थान में उनमें यह छपा है, आपत्तिजनक नारे लग रहे थे, आप तो वहां जाकर आये हैं, माननीय गृह मंत्रीजी हाउस को बतायें, सदन को बतायें कि जो जुलूस निकला उसमें क्या नारे लग रहे थे, मेरी सुचना के अनुसार नारे यह लग रहे थे कि....

एक माननीय सदस्य : मन्दिर वहीं बनायेंगे ।

श्री हेतराम बेनीवाल : मन्दिर वहीं नहीं बनायेंगे, वन्दे मातरम् कहना होगा हिन्दुस्तान में रहना है तो । .. (व्यवधान) सुनो ।

श्री मदन दिलावर : हिन्दुस्तान में रहना होगा तो वन्दे मातरम् कहना होगा । (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शांति बनाये रखें ।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, भारत में अब रहना होगा, वन्दे मातरम् कहना होगा । (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बैठ जाइये।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं एक बात कहूंगा....

श्री बालचन्द आर्यवीर : सही बात है, भाई, यदि भारत में रहना होगा तो वन्दे मातरम् कहना ही होगा । इसमें क्या है ? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : जो भारत में रहेगा, वन्देमातरम् नहीं कहेगा तो आप क्या कर लेंगे ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । हेतराम जी । हेतरामजी बोल रहे है, उनको सुनिये ना हेतरामजी बोल रहे हैं । (व्यवधान) आप बोल चुके हैं । हेतरामजी बोल रहे हैं ।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं सवाल पूछ रहा हूं । वहां पर इस तरह के नारे नहीं लगे ? माननीय सभापति महोदय, मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं, वहां बी. जे. पी. के नेता, बी. जे. पी. के एम. एल. ए., वी. एच. पी. के बड़े-बड़े नेता हाजिर थे उसके बावजूद भी यह भी नारे लगे हैं कि मुसलमानों के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान । यह नारे भी उस खड़े जुलूस में लगे हैं ।

श्री बंशीलाल पटवा : ऐसा नहीं हुआ । (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : गलत, गलत । किस तरह से असत्य बोल रहे हैं, माननीय सदस्य । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य असत्य बोल रहे है । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसका सबूत लायें ।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं सवाल पूछ रहा हूं, यह गृह मंत्री बैठे हैं, माननीय सभापति महोदय, इस बात की सूचना मैं गृह मंत्री से मांग रहा हूं । मैं नहीं कह रहा हू । मैं उनसे सूचना मांग रहा हूं, क्या इस तरह के नारे लगे ? (व्यवधान) वह आप क्यों कह रहे हो ? आप थे वहां ? वह गृह मंत्री बोलेंगे । वह लोग बोल रहे हैं जो वहां गये नहीं । (व्यवधान) दूसरा एक सवाल मुझे यह पूछना है कि जिस मोहल्ले में वह जाने की जिद कर रहे थे, जुलूस एक मन्दिर के आगे जाकर रुक गया । मन्दिर के आगे भीड़ इकट्ठी हो गई । नेता सारे वहां थे । मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि भीड़ उस मोहल्ले में क्यों जाना चाहती थी ? प्रशासन ने जिस मोहल्ले में जाने से रोका, क्या बी. जे. पी. के नेता, बी. जे. पी. के एम. एल. ए और माननीय सदस्य जो आज सत्ता में बैठे हैं उनसे कहना चाहूंगा क्या आपके होते हुए अगर जनता, अगर लोग यह जिद करें कि हम एक वर्ग के लोगों को वहां जायेंगे, उनके घरों पर जायेंगे....

एक माननीय सदस्य : गलत ।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपका क्या फर्ज बनता है ? (व्यवधान)

श्री सभापति : बैठ जाइये, माननीय सदस्य ।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह गृह मंत्रीजी ने कहा है....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बोलिये, अपनी बात समाप्त कीजिये । (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं कहना चाहूंगा, उस वक्त गृह मंत्रीजी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि वह भीड़ वहां इस बात की मांग कर रही थी, नेता लोग चले गये । यह गृह मंत्री के स्टेटमेंट में आया है । तो वह नेता लोग भीड़ को यह कह कर चले गये कि हम यहां से चले जाते हैं, तुम मुसलमानों को देख लेना (व्यवधान) मैं कहना चाहूंगा, इस बात को गृह मंत्री जी

(श्री हेतराम बेनीवाल)

स्पष्ट करें कि क्या इस तरह भीड़ जिसमें की मुख्य नेता हों, सत्ताधारी एम. एल. ए. हों, इनकी पार्टी के बड़े- बड़े नेता हों, जिस वक्त इस तरह की स्थिति आ जाय कि वह भीड़ को छोड़कर चले जायं, यह क्या दर्शाती है ?

श्री बंशीलाल पटवा : असत्य बात बोल रहे हैं आप। लास्ट मोमेंट तक मैं वहीं था।

श्री सभापति : पटवाजी, आपको मौका मिलेगा....(व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : एक गृह मंत्री जी ने कहा है कि कलक्टर अपने दफ्तर में बैठते हैं वहां वह नहीं रहे, जो मांगपत्र देने गये उनका मांग पत्र लेने के लिए मन्दिर के पास आये। यह कौनसी परम्परा है कि जिला कलक्टर अपने दफ्तर से उठकर मन्दिर में उनका मांग पत्र लेने के लिए जाय। कल को दस आदमी मुस्लिम सम्प्रदाय के इकट्ठे होकर कहेंगे मस्जिद के आगे हमार मांगपत्र लो। कल को सिक्ख इकट्ठे होंगे और कहेंगे गुरुद्वारे में माग पत्र लो। निश्चित तौर से हमारे प्रशासन को, मैं कहना चाहूंगा गृह मंत्री जी हमारे प्रशासन को आपने जो रंग दिया है वह इस बात को दर्शाता है कि इतना हौसला बढ़ गया है कि वह पूरा का पूरा जुलूस इस तरह से बागी हो गया और कलक्टर ने वहां पर मन्दिर के आगे जाकर उनसे मांगपत्र लिया.... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपका प्रजातन्त्र में जुलूस निकाला जायगा तो याद रखिये, कहीं पर नहीं रहोगे। यह कम्युनिस्ट पार्टी केवल + + × पार्टी है। यह भूल गये, इन + + + पर प्रतिबन्ध लगेगा तो कम्युनिस्ट पार्टी इस धरती पर नहीं रहेगी।(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : सभापति महोदय, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा और मैं वही सवाल पूछ रहा हूं जो गृह मंत्री जी ने भाषण दिया है। क्योंकि आपने स्टेटमेंट में कहा है कि छतों पर, गलियों की छतों पर लोग पत्थर बरसा रहे थे।

श्री डूंगरराम पंवार : वह कांग्रेसी थे।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह जो छतों पर बरसा रहे थे, जब आपने कह दिया है माननीय मंत्री ने तो मुझे बता दीजिये वह कौन लोग थे।

श्री महावीरप्रसाद जैन : हेतरामजी थे....

श्री हेतराम बेनीवाल : जिन पत्थरों से कलक्टर घायल हुआ, एस. पी. घायल हुआ, आपकी पुलिस के लोग घायल हुए। छतों पर पत्थर चला रहे थे वह कौन से सम्प्रदाय के कौन लोग थे, किस पार्टी के थे। उसके बाद माननीय गृह मंत्री के स्टेटमेंट में आया है कि भीड़ ने दुकानों को आग लगा दी। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि भीड़ ने लगायी आग पुलिस पर और हम भी मानते हैं यह दंगा साम्प्रदायिक दंगा नहीं था। यह साम्प्रदायिक दंगा करने वालों को पुलिस से रोकने का ढंग था। पुलिस और उन लोगों में दंगा था जो साम्प्रदायिक दंगा करना चाहते हैं। (व्यवधान)

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री सभापति : आप कृपया बिराज जाइये, आपको मौका मिलेगा ।

श्री हेतराम बेनीवाल : सभापति महोदय, अगर सत्ता पक्ष के लोग इस तरह अनुशासन की धज्जियां उड़ायेंगे तो निश्चित तौर से ...

श्री सभापति : आप प्रवोक मत कीजिए, विषय पर बोलिए ।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं प्रवोक नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, इसके बाद गृह मंत्री जी ने कहा कि दुकानों को लूटा, वह क्या इस दंगे के अन्दर जो लोग जुलूस में शामिल थे, उन्होंने लूटा । स्टेटमेंट में आई है यह बात, आग लगा दी.... (व्यवधान) उनके स्टेटमेंट में आई है दुकानों के आग लगाने की कोशिश की, यह स्टेटमेंट में आया है....तो किसने लगाने की कोशिश की, यह आना चाहिए । मैं यह पूछना चाहता हूं कि किसने कोशिश की ? जुलूस निकालने वालों ने कोशिश की । किन की दुकानों पर आग लगाने की कोशिश की ? असली क्या वजह थी यह स्पष्ट आना चाहिए ।

एक माननीय सदस्य : जो मौजूद थे, उन्हीं ने कोशिश की थी ।

श्री हेतराम बेनीवाल : दूसरा, माननीय मंत्रीजी ने बताया कि भीड़ अस्पताल में घुस गई । मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि भीड़ जो राम का नाम ले रही थी, मंदिर बना रही थी, उन्होंने अस्पताल में जो लोग चले गये, जो अस्पताल में घायल हो गये....

एक माननीय सदस्य : वह लाल झण्डे वाले थे ।

श्री हेतराम बेनीवाल : वह लाल झण्डे वाले हों चाहे पीले झण्डे वाले हों, जो अस्पताल में चले गये उनको भी नहीं छोड़ा। यह आपकी संस्कृति है इस लिये किन लोगों ने पीटा वहां जाकर उनके खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज हुआ, गृह मंत्री जी ने कुछ नहीं बताया अपने बयान में । क्या कोई मुकदमा भी दर्ज हुआ । इतनी बड़ी लड़ाई....

श्री सभापति : संक्षिप्त में ।

श्री हेतराम बेनीवाल : जितना बड़ा काण्ड है उतने ही सवाल होंगे ।

एक माननीय सदस्य : आपका टाइम पूरा हो गया ।

श्री हेतराम बेनीवाल : टाइम पूरा तो आपका हो गया । उसके बाद माननीय गृह मंत्रीजी से एक सवाल पूछना चाहता हूं । गृह मंत्री जी और मुख्य मंत्रीजी दोनों बैठे हैं । इन्टेलीजेन्स विभाग, सी. आई. डी. पूरे राजस्थान का प्रशासन इनको सूचना देता है । क्या यह प्रोग्राम जो इन्होंने बनाया, किन तरह बना, क्या कुछ कारण थे? क्योंकि अस्पताल तक भीड़ गई । उसके पीछे सारा कुछ हुआ क्या इसकी सूचना गृह मंत्री जी को थी और थी तो उन्होंने इसके क्या इन्तजाम किये ? क्योंकि यह लगता है....जुलूस निकलने के बाद मन्दिर के आगे कलक्टर गये हैं, पुलिस गई है; अगर पहले से सूचना होती तो निश्चित तौर पर वहां पहले से व्यवस्था तैयार होती और इस तरह की भीड़ इकट्ठा ही नहीं होती । दूसरा एक सवाल पूछना है कि क्या यह भीड़ अकेले भीलवाड़ा की थी जैसा अखबार में छपा है, कि 500 लोग इकट्ठे हुए तो इससे ऐसा लगता है कि जिले भर से लोग इकट्ठे हुए ।

(श्री हेतराम बेनीवाल)

दूर-दूर कस्बों से इनके कार्यकर्ता चल कर आये। क्या पुलिस, सी. आई. डी. और राजस्थान की सरकार को इस बात का पता था? या तो इस बात का पता नहीं था तो निश्चित तौर से राजस्थान की सरकार अकर्मण्य है और इस तरह की स्थिति में इनको गम्भीरता से विचार करना है कि राजस्थान का क्या होगा और अगर पता था तो फिर गृह मंत्री जी जान-बूझकर अपनी कुर्सी के लिए चुप्पी साध गये, क्या वजह है? मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि इस तरह के दंगे के बाद क्या राज्य सरकार यह सोचती है कि यह जो कुछ घटना हुई है उसका असर सारे प्रान्त में पड़ेगा और जिस सम्प्रदाय को उस वक्त परेशान करने जा रहे थे क्या दुबारा उस घटना के बाद जो दो लोग मारे गये, 250 घायल हो गये इतना बड़ा नुकसान हो गया। इस सारे वातावरण को लेकर वी. एच. पी., मैं नहीं कहता बी. जे. पी. के नेता उसमें आगे आएंगे। क्योंकि उनका राज है। परन्तु क्या आप वी. एच. पी. को काबू में कर पाएंगे कि वह पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर इस तरह के प्रदर्शन, इस तरह के प्रोग्राम नहीं बनावे।

मैं अन्त में कहना चाहूंगा माननीय गृह मंत्री जी से कि सख्ती के साथ इस बात को रोका जाय कि राजस्थान के किसी भी हिस्से में इस घटना को लेकर कोई जन एकत्र, कोई प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। यही मुझे आपसे कहना है।

श्री सभापति : श्री बंशीलाल पटवा। (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : सभापति महोदय, सन् 1964 की व्यवस्था दे रहे हैं? (व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सभापति महोदय, यह परम्परा नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : स्थगन प्रस्ताव में जिनके नाम हैं, उनको पुकारिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : देखिये दोनों तरफ से बात आ जानी चाहिये। जिनके नाम स्थगन प्रस्ताव में हैं, उनके नाम पुकार रहा हूं। कृपया बिराजिये। वे भीलवाड़ा से आते हैं। (व्यवधान) अच्छा ठीक है। श्री सुनील विश्नोई (अनुपस्थित) श्री देवेन्द्र सिंह।

श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा) : माननीय सभापति महोदय, हमारे भीलवाड़ा जिले में विश्व हिन्दू परिषद और बजरंगदल के नाम से दो संस्थाएं यह लोग बताते हैं, वे संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की कुछ नहीं है। यदि इकाई एग्जिस्ट करती है तो ये सारी संस्थाएं सीधे रूप से बी. जे. पी. से सम्बन्धित हैं और जो कुछ स्टेटमेंट माननीय गृह मंत्रीजी ने दिया है, वह तथ्यों से परे हैं। इस संबन्ध में कुछ पाइन्टेड क्वेश्चन मैं माननीय गृह मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा।

पहली बात तो यह है कि 11 तारीख को क्या विश्व हिन्दू परिषद और इन लोगों ने मिल करके वहां कोई जुलूस निकाला और क्या वह शान्ति से वहां निकल गया? क्या यह भी सही है कि 12 तारीख को विश्व हिन्दू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिल करके दूसरा बड़ा जुलूस निकालना चाहते थे और प्रशासन ने उसकी इजाजत दे दी थी? क्या यह भी सही है कि उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश

(श्री देवेन्द्र सिंह)

पर जिलाधीश ने मौके पर जाकर के यह कहा कि वहां पर बी. जे. पी. के जो नेता मौजूद थे श्री रामस्वरूप जी गुप्ता, श्री बंशी लाल जी पटवा, श्री नाथूलाल जी पटवारी और वहां के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राम रिछपाल जी मुहाल। भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां मौजूद थे। उनसे जिलाधीश जी ने जाकर के क्या यह कहा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी का ऐसा आदेश है कि आप जुलूस नहीं निकाले और आप इस सभा को सम्बोधित कर दें। मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह जुलूस विश्व हिन्दू परिषद् का था और विश्व हिन्दू परिषद् के नेताओं को आपने कहा और प्रशासन ने बात की और विश्व हिन्दू परिषद् के कौन नेता थे जिनसे उन्होंने बात की और उनके नाम आपने नहीं बताये और यदि विश्व हिन्दू परिषद् का जुलूस था और विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं से बात करने की बजाय उन्होंने इन जनसंघ के नेताओं से, बी. जे. पी. के नेताओं से बात करके उस सभा को सम्बोधित करने का उनको क्यों आदेश दिया? इनसे क्यों रिक्वेस्ट की? यदि रिक्वेस्ट करते तो विश्व हिन्दू परिषद् के लोगों से करते कि आप इस सभा को सम्बोधित करके जो कुछ ज्ञापन आपको देना है, आप मुझे यहां दीजिये। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई प्रदर्शन हो और कलक्टर स्वयं अपने दफ्तर में भी यदि बुलाता तो 5 आदमियों से ज्यादा किसी प्रतिनिधि मण्डल को नहीं बुलाता। कलक्टर स्वयं वहां जा करके 2-3000 आदमी थे, और कहा कि मैं ज्ञापन लेने आया हूं। मैं समझता हूं कि उनका सीधा मतलब था कि प्रशासन उसमें शामिल था। प्रशासन के आदेश से वह वहां गया और प्रशासन ने कहा कि आप वहां जाकर के ज्ञापन ले आवो और जुलूस को वहीं शांत कर दो।

इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह विश्व हिन्दू परिषद् का जुलूस था अथवा बी. जे. पी. का जुलूस था? दूसरी, बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या यह सही है कि वहां पर श्री नाथूलाल जी पटवारी को चोटें आई? वह अस्पताल में भर्ती हैं? क्या यह भी सही है कि श्री बंशीलाल जी पटवा को वहां पर लाठियों से पीटा गया? क्या यह भी सही है कि वहां पर बी. जे. पी. के कार्यकर्ताओं पर लकड़ियां चली? और जैसा अभी बंशीलाल जी पटवा स्वयं कह रहे हैं कि मैं स्वयं वहां आखिर टाइम तक मौजूद था। जब विश्व हिन्दू परिषद् का जुलूस था, विश्व हिन्दू परिषद् का कार्यक्रम था तो आपको वहां आखिरी टाइम तक रहने की क्या जरूरत थी? क्या यह भी सही है कि यह जुलूस इतना उत्तेजित हो गया कि प्रशासन को मजबूरन दूसरे रास्ते से उनको जुलूस निकालने की इजाजत दी गई? उसको उन्होंने नहीं माना और उस पर वहां की भीड़ ने श्री बंशीलाल जी पटवा को और श्री रामस्वरूप जी गुप्ता को घेर करके मजबूर किया और प्रशासन से यह कहलवाया कि नहीं, आप इस रास्ते से नहीं जायेंगे, उस रास्ते से जायेंगे और इन्होंने कहा कि इस रास्ते से ही जुलूस निकालेंगे। उसके बाद, वहां पर यह सारी घटना घटी। क्या यह बात सही है कि इनकी उपस्थिति में यह सारी घटना घटी? क्या यह भी सही है कि जो दुकानों में आग लगाना बताया जा रहा है? माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो दुकानों में आग लगी

(श्री देवेन्द्र सिंह)

है, वह उस घटना से सम्बन्धित नहीं है। वह घटना हो चुकी, उसके बाद दूर जाकर के उन दुकानों में आग लगाई जिन दुकानों में आग लगी है, यह किस सम्प्रदाय की दुकानें हैं ? इस बात को आप बताने की कृपा करें। इस घटना से इसका सम्बन्ध नहीं है और वहां पर कम्यूनिटी टेंशन क्रिएट करने के लिए उन दुकानों में आग लगाई गई। वे दुकानें किस सम्प्रदाय की है, यह आप बताने की कृपा करें ? आपने कहा कि वहां पर फायरिंग हुई। कितने राउण्ड वहां फायरिंग हुई और कितने लोग उस फायरिंग में घायल हुए, कितने लोग मरे और कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं ? यह बताने की कृपा करें। क्या यह सही है कि जो सैनी, जिसकी मृत्यु हुई है, उसकी लाश वहां 4 घण्टे तक लावारिस पड़ी रही और जिसे उठाने वाला कोई नहीं मिला। न तो प्रशासन ने उसको देखा और न विश्व हिन्दू परिषद् के लोगों ने देखा और न बी. जे. पी. के लोगों ने देखा। रास्ते चलते एक आदमी ने कहा कि एक लाश पड़ी है, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और उस लाश को पहुंचाने की व्यवस्था की। क्या यह भी सही है कि जैन, जो दूसरा व्यक्ति मरा है, उसका दाह संस्कार रात्रि में किया गया ताकि वहां पर और कोई उपद्रव न हो और उसके परिवार जनों को मजबूर किया गया कि इस लाश को रात्रि में ही जलाया जाय ? इन सभी बातों पर, मैं चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी जवाब दें। अन्त में, मैं ज्यूडिशियल इन्क्वायरी की मांग करता हूं। यह षड़यन्त्र कोई कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। यह षड़यन्त्र आपके खिलाफ है। इस षड़यन्त्र में बी.जे.पी. के लोग शामिल हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों से सावधान हों क्योंकि लोग आपसे यह उम्मीद करते हैं कि आप स्वच्छ प्रशासन दे सकते हैं। लेकिन आप इनके चंगुल में ऐसे फंस गये हैं कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते. कहना नहीं चाहते और वस्तु स्थिति को सामने नहीं लाना चाहते। यदि आप वस्तु स्थिति से अवगत थे और आप वहां पर मुस्तैदी से इस बात को रोकते तो निश्चित रूप से यह झगड़ा नहीं होता। मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आज इन्होंने भीलवाड़ा बन्द कराया है, आज बनेड़ा बन्द कराया है, शाहपुरा बन्द कराया है, गुलाबपुरा बन्द कराया है, दीगोद बन्द कराया है, आसीन्द बन्द कराया है, माण्डलगढ़ बन्द कराया है। मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपने सख्ती से काम नहीं लिया, तो ये आपके घड़े के लोग आपको बदनाम करके रख देंगे। भीलवाड़ा में और गोलियां चलेगी, और लोग मारे जायेंगे और उसके बाद ये आपको मजबूर करेंगे कि आप इस्तीफा दो। इसलिए मैं आपको इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूं कि आप सावधान हो जाइये, इन लोगों को निकालो। आप अपने स्तर पर इस व्यवस्था को सम्भालें। यही मुझे आपसे निवेदन करना है।

श्री सभापति : माननीय श्री केदार नाथ।

श्री केदारनाथ शर्मा (श्रीगंगानगर) : सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज सारे देश में सरचार्ज्ड एटमोसफियर है, उसे और एग्रीवेट नहीं करें अपने भाषणों से और अपनी दलीलों से। राजस्थान भी इससे बचा

(श्री केदारनाथ शर्मा)

नहीं है। इस स्टेटमेंट का पार्ट है कि वहां पर प्रशासन ने लाठी चार्ज किया। पहले कण्ट्रोल करने के लिए और फिर आंसू गैस चलाई और जब भीड़ कंट्रोल नहीं हो पाई तो फायरिंग की। आपने प्रीकोशन ली, आपने मौका दिया लीडर्स को और भीड़ को ताकि वहां अण्डर कण्ट्रोल आ जाय। आप अपनी बात को कहने के लिए चले गये। जब बसकी बात नहीं रही तो उन्हें फायरिंग करनी पड़ी। उसके बाद दो आदमी मारे गये। यह पार्ट जस्टीफाइड है, मैं समझता हूं कि प्रशासन ने अच्छा किया। मैं यह भी उचित समझता हूं कि अगर उनको माइनोरिटी कम्यूनिटीज के मौहल्ले में जाने की इजाजत दी जाती तो वहां बहुत बड़ा कारनेज हो जाता और सारा राजस्थान रॉक हो जाता यह मैं मानकर चलता हूं। बहुत सख्ती से आपने काम किया और मगर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपको पता था कि इतना सरचार्ज्ड एटमोसफीयर में जुलूस निकलना और मीटिंग करना भी ठीक नहीं था। आपने मीटिंग की इजाजत दी मन्दिर के पास, यह आपने अच्छा नहीं किया क्योंकि सारे देश का वातावरण, इतने टेम्बर्स का हाई ग्राफ पहुंचे हुए हैं। उस कम्युनिटीज में आल इण्डिया लेवल पर विश्व हिन्दू परिषद् से यह शुरू कर दिया कि तनाव को देखते हुए यह देश के लिए बहुत खतरनाक चीज है और हमारा सबका फर्ज है कि इस देश में सिक्योरिटी चाहते हैं, लॉ एण्ड आर्डर चाहते हैं और वे चाहते हैं इतने इलेक्टोरेट्स से फ्री बहुत पैसेज मिले बहुत दिनों के लिए केन्द्र की सरकार से। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सभापति महोदय, इन लोगों का यह मकसद था कि भीलवाड़ा में माइनोरिटीज का दबाव रहे। जिनके इंटेशन का यह मतलब था कि आप डयूरस रखें और अपने प्रभाव में रखें। हो सकता है कि न तो वहां मंशा थी कि ये किसी मोटिव को इन्वलूड नहीं कर रहे। मैं बी. जे. पी. का नाम नहीं लेना चाहता मगर जब भीड़ इकट्ठी हो गई सभापति महोदय, हमने देखा कि 25-30 आदमियों ने जुलूस निकाला, जलसा निकला। भीड़ इकट्ठी करना आसान है और भीड़ को कण्ट्रोल करना बहुत कठिन है। अनेकों नारे, इतने इमोशनल नारे, इतने प्रवोक करने वाले नारे। मैं वो तो नहीं कहता कि पाकिस्तान चले जाओ मगर जो सरकार मन्दिर नहीं दे पाएगी, वह सरकार इस्तीफा दे दें। बहुत बड़ा इश्यू यह है कि मन्दिर के नाम से सारे देश में आप एक ऐसा वातावरण पैदा कर दो। आज सभापतिजी, साइक्लोजिकल डिवीजन पैदा हो गया हिन्दू और मुसलमान में कि ओवर एग्रीवेट न हो। यू. पी. और बिहार में फिजिकल डिवीजन हो गया यहां तो साइक्लोजिकल है। अगर आप चाहते हो कि यह फिजिकल डिवीजन इस देश में न हो, अपने प्रांत में न हो। जो पहले जयपुर में, जोधपुर में, झालावाड़ में कुछ हुआ दो-चार महीने पहले। तो माननीय मुख्य मंत्रीजी यह आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गृह मंत्रीजी मौके पर गये, अच्छा किया आपने। मुख्य मंत्रीजी ने इन्स्ट्रेक्शन दी कि वहां पर जुलूस न निकाला जाय, यह भी आपने अच्छा किया। दो-चार मेसेंजर भी भेजे आपने ताकि वाहूजर सेंस प्रिवेल करेगी यह आपने अच्छा किया। मगर आइन्दा के लिए जो पुलिस इन्तजाम करेगी उसको आप स्पेशल ट्रेनिंग दीजिये, स्पेशल ट्रिब्यूनल कायम

(श्री केदारनाथ शर्मा)

कर दीजिये। जो लोग इसमें शामिल हों वे बच नहीं पाये और उनको पूरा पनिश्मेण्ट मिले और जिन माइनोरिटिज कौम का नुकसान हुआ है आज तक उनको आप मुआवजा दो ताकि उनमें आत्म विश्वास पैदा हो जाय। कुछ ऐसे अखबार जो ऐसी स्पीचेज इमोश्नली पब्लिक करते हैं, जो मिसचीफ मोंगर हैं। आपको मालूम है कि वह कौन लोग है जो दिन रात नारे लगाते हैं, दिन रात ऐसी कैंपेन करते हैं उनका जाब्ता माननीय मुख्य मंत्रीजी आपको करना पड़ेगा। चुनाव कौन जीते, कौन हारे अगर देश का इन्टरनल सिस्टम हमारा समाप्त हो गया, अगर पोलिटिकल सिस्टम हमारा समाप्त हो गया इस देश में कोई सरकार केन्द्र में रहे उसकी कोई कीमत नहीं रह जायेगी इस देश में अगर देश का सारा यह सिस्टम समाप्त हो गया तो। मैं सोचता हूं उस ओर ड्रिफ्ट कर रहे हैं, इस देश की सारी धाराएं आज उस ओर ड्रिफ्ट कर रही हैं। अगर पोलिटिकल सिस्टम, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम समाप्त हो जायेगा तो इस देश में कोई रह नहीं पायेगा। मैं आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करता हूं, आखिर आपने जो भी कदम उठाये पर इसका जाब्ता जरूर कर लीजिये। जो कमेटी थी, आपको जलसा की इजाजत नहीं देनी चाहिये थी। आपको धारा 144 उसी वक्त लगा देनी चाहिए थी। जो मुस्लिम मौहल्ले थे उनको कॉर्नण्ड कर देना चाहिए था। यह ठीक किया आपने बाद में इन्तजाम किया। मेरा ख्याल है कि आपके होते हुए जुलूस बाजारों में वहां आग लगाने की कोशिश की और वहां के हास्पिटल में, मैं सोचता हूं कि आपकी फोर्स इनएडिक्वेट वहां पर थी या फिर उसको काबू नहीं कर पाई। इसलिए बहुत सोच कर आगे अगर हम लोग सभापतिजी, इस देश में अपनों को ट्रेनिंग दे देते मुकाबला करने में, स्पेशल ट्रिब्यूनल कायम कर देते, जो भी दोनों तत्वों में शरारती तत्व थे उन दोनों में जाब्ता करना चाहिये उनको ऐसा कन्वीक्शन होता और ऐसा उनको पनिश्मेंट होता ताकि आइन्दा वह रिपीट नहीं करते और जिस काम का नुकसान हो उसको पूरा मुआवजा देते रहते तो उनमें आत्मविश्वास पैदा हो जाता। इसलिए मैं आज भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, अगर इस देश में माइनेरिटीज चाहे सिख हों, चाहे मुस्लिम, अगर उनमें आत्म-विश्वास पैदा नहीं कर पाये तो उनमें कोई दिमागी शांति नहीं होगी। इस देश की इन्टरनल सिक्योरिटी रह नहीं पायेगी। इसलिए इसका जाब्ता राजस्थान में कीजिये। बाकी कभी कम्युनल सिचुएशन पर बयान देने का वक्त आयेगा तब बात करेंगे। मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आइन्दा के लिए यह रीपिट न हो, इसका फैलाव न हो, सिचुएशन एग्रीवेट न हो। आप एमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर क्या सुधार कर रहे हैं, आप अपने लेवल पर वहां क्या सुधार कर रहे हैं. क्या आपको डाइरेक्शन देनी है गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी मिल करके जरूर इसका कोई जाब्ता करेंगे। यही बात कहते हुए समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री नत्थीसिंह जी।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, मैं पहले सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि राम

(श्री नत्थीसिंह)

मन्दिर लौटाओ के जो प्रदर्शन, जुलूस और जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, क्या राज्य सरकार को अहसास था कि राजस्थान में जयपुर में, ब्यावर में, जोधपुर में राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के मामले को लेकर 24 अक्टूबर को जो कुछ हुआ था उससे राजस्थान का अल्पसंख्यक वर्ग भयभीत और आतंकित है और जब यह अहसास था हमारी सरकार को तो क्या उसका यह कर्तव्य नहीं था कि वह उस बात को देखे कि राम मन्दिर लौटाओ के नाम पर फिर से उसी तरह की पुनरावृत्ति कहीं राजस्थान में नहीं हो। मैं यह भी पूछना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी चले गये, क्या उनको यह अहसास था? यह बात मैं इसलिये पूछ रहा हूं कि 23 अक्टूबर को उनको यह अहसास नहीं था, 24 अक्टूबर को जयपुर में जो कुछ हुआ उस वक्त भी मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था मेरी प्रजेन्स में कि असामाजिक तत्वों को कब्जे में ले लें नहीं तो कोई बड़ा झगड़ा हो सकता है। होम कमिश्नर और डी. जी. ने कहा तब उनको यह अन्दाज था कि नहीं यह तो स्वतः ही हो रहा है। जो उस दिन भारत बन्द का आन्दोलन है उसमें कोई झगड़ा नहीं होगा उनको यह अन्दाज था लेकिन वह अन्दाज बिल्कुल फेल हुआ। मीटिंग में क्या हुआ और उसका नतीजा क्या हुआ, क्या इस तरह से जब उन्होंने (व्यवधान) आप जरा सुनलें। जब हैलीपैड से उतरे और उन्होंने जिलाधीश को यह कहा कि आप जुलूस नहीं निकालने देने के बजाय राम मन्दिर पर जाइये वहीं उनका ज्ञापन ले लीजिये। क्या उनको इस बात का अहसास था कि जो 23 तारीख को मुख्य मंत्री जी समझते थे कि जयपुर में कुछ नहीं होगा, वह स्वयं स्पोंटेनियस है। क्या यह दोनों दफे मुख्य मंत्रीजी का असेसमेंट इसलिये फेल हुआ कि उनके दल के या उनके दल के समर्थक लोग उनकी बात को अहमियत नहीं देते या उनके साथ उनका कम्युनिकेशन गैप है। आपकी बगल में बैठे स्वायत्त शासन मंत्रीजी उनका कम्युनिकेशन गैप नहीं है। तो क्या यह घटना इसलिये घटी और इस तरह की बात होनी थी तो....

श्री सभापति : कृपया शांत रहें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : महावीरजी आप बैठ जाओ, आप बार-बार बीच में + + +। माननीय सभापति महोदय, वह बार-बार बीच में खड़े हो जाते हैं। और बाधा पैदा करते हैं।

श्री सभापति : बैठिये।

श्री नत्थीसिंह : सभापति महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूं, राजस्थान में जो दल सरकार में है वही दल या उनके समर्थित दल कोई कार्यक्रम आयोजित करे तो क्या प्रशासन के साथ-साथ उस दल की भी जिम्मेदारी नहीं है कि इस बात की सावधानी रखें कि किसी तरह की दुर्घटना या दंगा नहीं हो जाय। मैं पूछना चाहता हूं, जैसा यहां पर कहा गया कि विश्व हिन्दू परिषद के लोग, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और दूसरे लोग वहां मौजूद थे और जब

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री नत्थीसिंह)

कलक्टर ने उनसे कहा कि जुलूस नहीं निकालेंगे, हम इजाजत नहीं देना चाहते। तो उन्होंने कह दिया कि आप क्या होते हो। क्या इस प्रदेश में इस सरकार के होते हुए प्रवृत्ति को हावी होने दिया जा रहा है कि प्रशासन को पंगु कर दिया जाय, उसे निष्क्रिय एक तरह से हैल्पलेस कर दिया जाय ताकि वह कुछ नहीं कर सके। ऐसी स्थिति में क्या इस प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम हो पायेगी। जयपुर के बाद, जोधपुर के बाद, ब्यावर के बाद और इससे पहले अभी बीगोद में हुआ वहां के बाद यह एक ऐसी घटना है जो यह बताती है कि राज की पार्टी से सम्बन्धित लोग प्रशासन को कतई पंगु बना देना चाहते हैं। (व्यवधान) वह समझते हैं कि वह हमारे अधीनस्थ हैं उनको मुख्य मंत्रीजी का ही नहीं हमारा भी कोई भी हुक्म मानना पड़ेगा। यह परिस्थिति अगर आपने पैदा की है तो निश्चित रूप से इस प्रदेश में शासन तन्त्र जैसी कोई स्थिति नहीं रहेगी, कोई शान्ति व्यवस्था फिर नहीं रह सकती। इसके बाद एक सवाल और पूछना चाहता हूं। प्रशासन को अगर यह पता था, जैसा यहां कहा गया है, आपको इन्टेलीजेन्स की रिपोर्ट थी तो किसी भी हालत में उस जुलूस को वहां से बढ़ने नहीं देने के लिए सारी ताकत क्यों नहीं लगाई? क्यों बढ़ने दिया उसको आगे? इसके साथ-साथ मैं दूसरी बात आपसे जानना चाहता हूं, अभी प्रोफेसर केदार साहब ने कहा कि आगे के लिये कदम उठायें। आगे का मुझे तो पूरा का पूरा अन्देशा है कि जब 24 अक्टूबर को भारत बन्द हुआ था उस वक्त देश की जो परिस्थिति थी और अब चुनाव, लोक सभा भंग होने का समय आ गया, अब उस चीज को फिर गर्माने की कुछ तत्वों में आदत आ गई है। उन्होंने एक तरह से इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस मामले में गर्मी लाने के लिए आतंकित करना चाहते हैं अल्प संख्यकों को। इस प्रदेश में इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है, राम मन्दिर लौटाओ के नाम पर कि माइनोरिटीज अपने आपको असहाय समझें, वह चुनाव में जा नहीं पाये, उनको अगह इस तरह से भयभीत किया जायेगा और राम मन्दिर के नाम पर वोट हासिल किये जायेंगे तो यह अत्यन्त ही निन्दनीय और भर्त्सनीय काम होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी और यह राज्य सरकार समय रहते इस बात को चेतावनी के साथ देखे। कौन आपको मजबूर कर रहा है। आप चाहे कितना भी कहें, आपके दल के लोग, आपके समर्थक लोग, इस प्रदेश में हिंसा का वातावरण, साम्प्रदायिक तनाव का वातावरण बना रहे हैं। आप इसको काबू में नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये आप पर शासन चलाने की जिम्मेदारी नहीं रह गई है। आप भी हैल्पलेस तरीके से चल रहे हैं। फिर तो राजस्थान अत्यन्त गम्भीर संकट में है। इसके लिए आपको पार्टीबाजी से ऊपर उठकर सब से संभल कर एक व्यवस्था करनी चाहिए कि निश्चित रूप से हम किस तरीके से इस स्थिति से निपट सकें कि यह माहोल नहीं रहे।

आज सदन में कोई बात कही जाती है तो इधर से खड़े हो जाते हैं। कितने हल्केपन से ले रहे हैं। दो-दो लोग मरे हैं। किसी भी वर्ग का हो, किसी भी दल का हो, उनकी जानें गई हैं, लोगों की दुकानों में आग

(श्री नत्थीसिंह)

लगाने का प्रयास हुआ है, उनको जान-माल का खतरा पैदा हो गया है। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है उस स्थिति को क्या चलने देना चाहते हैं। अगर नहीं चलने देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहते है? सरकार की ओर से साफ तौर पर नीतिगत और एक्शन के रूप में हम कार्यवाही देखना चाहते हैं। मैं मुख्य मंत्री से कहता हूं कि हमारे गृह मंत्रीजी को क्यों फंसाते हैं। वह दो दुविधा में दो पार्टी के बीच फंसे हुए हैं। और आपसे बहुत आतंकित हैं और इधर से भी देखकर आतंकित हो जाते हैं। इसलिये हिण्डोन के मामले में कुछ नहीं कर पाये।

श्री सभापति : हिण्डौन का मामला नहीं चल रहा है।

श्री नत्थीसिंह : भीलवाड़ा के मामले में भी मैं कहता हूं आप हिम्मत से बतायें कि क्या आप इनसे भयभीत नहीं हैं? क्या कोई कदम उठाना है? तो ऐसे कदम उठायें जिससे कि भीलवाड़ा में जिन्होंने किया है उनको डेटरेंट पनिशमेंट मिले और फिर कोई ऐसी बात नहीं हो।

श्री सभापति : श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनूं): माननीय सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था और लोगों के विश्वास का सवाल है। इसके पार्टी की दलगत भावना में नहीं फंसायें।

मैं गृह मंत्री जी से कुछ सवाल करना चाहता हूं। पहला सवाल गृह मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि दो-तीन हजार लोग विश्व हिन्दू परिषद के आह्वान पर भीलवाड़ा में जुलूस निकाल कर जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हो गये थे।

श्री डूंगरराम पंवार : जिलाधीश नहीं। जिला कलक्टर। "जिलाधीश" तानाशाही का शब्द है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद: जिलाधीश और जिला कलक्टर में फर्क नहीं होता है। आप दो-तीन क्लास पढ़े हो और मैं तीन विषयों का पोस्ट ग्रेजुएट हूं मुझे शिक्षा मत दो।

श्री डूंगरराम पंवार : यह गुलामी का शब्द है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : भैरोंसिंहजी किस-किस को मंत्री बना दिया। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मेरे सवाल पूरे नहीं होगे तब तक मैं नहीं बैठूंगा चाहे मेरे को कितना भी डिस्टर्ब कर दो। पहला सवाल यह है कि क्या पूर्व में प्रशासन ने विश्व हिन्दू परिषद् को जुलूस निकालने की इजाजत दे दी थी? दूसरा सवाल जैसा कि गृह मंत्रीजी ने कहा बाद में भीड़ उत्तेजित हो गई और मुख्य मंत्री के निर्देश पर यह तय किया गया कि ज्ञापन जिलाधीश महोदय उसी स्थान पर ले लें। वहीं सभा करलें। उनको जुलूस निकाल कर जिलाधीश महोदय तक नहीं आना है इस बात की पाबंदी लगा दी गई थी। गृह मंत्री ने कहा उस जमाव को अवैधानिक जमाव करार दे दिया गया था। मैं पूछना चाहता हूं कि जब उस भीड़ को गैर कानून जमाव करार दे दिया गया था क्या तब भी माननीय पटवाजी उस भीड़ में मौजूद थे?

तीसरा सवाल, जैसा गृह मंत्रीजी ने

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

कहा पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया उसके बाद अश्रु गैस छोड़ी और उसके बाद भी जब भीड़ इस बात पर आमादा थी कि हम बाजार में होकर अपना जुलूस नहीं लायें, हम दूसरे समुदाय की बस्तियों में होकर ही जिधर हमारी मर्जी हो उस रास्ते से हम जायेंगे। हमारी मर्जी होगी वो नारे लगायेंगे। तब उनको रोका गया। वर्ना जो रास्ता बताया उसी रास्ते से आ जाते और उस समय जैसा गृह मंत्री ने कहा जब गोली चलाने का आदेश दिया और भीड़ वहां से भागी तो मैं पूछना चाहता हूं कि स्टेशन रोड पर स्थित मुसाफिर खाना और उसकी दुकानों को कितनी क्षति पहुंचाई गई।

चौथा सवाल गृह मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि गलती दो में से एक की है। गृह मंत्री ने यह नहीं बताया कि उक्त घटना क्रम के लिए दोषी विश्व हिन्दू परिषद् के नेताओं को मानेंगे जिसने भुलावा देकर के लोगों को वहां जमा किया और उनकी जान और उनको गम्भीर रूप से घायल होने के लिए मजबूर किया और उनको अपने जाल में फंसाया। इसके लिए विश्व हिन्दू परिषद् दोषी है या जिला प्रशासन को उक्त घटना-क्रम के लिए गृह मंत्रीजी दोषी करार देते हैं। दोनों में से कौन दोषी है? यह बतायें।

पांचवां सवाल यह है कि माननीय सभापति महोदय, लड़ाई की भावना जिसमें जान होती है उससे होती है, निर्जिवों से नहीं होती। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता यह विश्व हिन्दू परिषद् के कायर लोग चाहे जयपुर में दंगे हुए हों, चाहे चौमू में दंगे हुए हों, क्या कब्रिस्तान के मुर्दे भी राम मन्दिर में रोड़ा अटकाने जा रहे थे। चौमू में मन्दिर तोड़ा, जयपुर में भी मजार तोड़ी और वहां अस्पताल में उन घायल लोगों को जो पहले ही घायल हो गये थे उनके पास क्या करने गये थे? वहां जाने क्यों हमला बोल दिया?

मेरा छठा सवाल यह है, गृह मंत्रीजी ने यह कहा कि मकानों की छतों पर से पुलिस कर्मियों और प्रशसनिक अधिकारियों पर पथराव किया गया तो वहां के स्थानीय प्रशासन के लोग भलीभांति जानते हैं कि यह मकान किसके हैं। जिन मकानों पर से पथराव हुआ क्या उन मकानों में से पथराव करने वाले लोगों के विरुद्ध भी कोई मुकदमा दर्ज किया है क्या सरकार ने, प्रशासन ने, इनके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया है? यह जानकारी सदन को देंगे और यदि नहीं तो ऐसा क्यों किया गया? उनको क्यों छोड़ा गया, ताकि उनको आगे इस बात के लिए प्रोत्साहन मिले।

अन्तिम सवाल यह है कि इस प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द का जो माहौल था। हमको इसकी जड़ में जाना चाहिए। हम देश की एकता और अखण्डता की बात करते हैं। हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं। हम कहते हैं अल्पसंख्यक राष्ट्रीय धारा से नहीं जुड़ रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अल्प-संख्यकों को भी इस देश से उतना ही प्रेम है, हम भी राष्ट्रीय धारा में उतने ही हिस्सेदार हैं और उतने ही राष्ट्र के विकास के लिए जिम्मेदार हैं यह स्थिति इसलिए

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

उत्पन्न हुई कि विश्व हिन्दू परिषद् ने पूरे राजस्थान में दीवारों पर यह नारे लिखे हैं कि "गर्व से कहो हम हिन्दू हैं"। मैं आज कहना चाहूंगा गृह मंत्रीजी को, इतना जानना चाहता हूं कि क्या आप इस बात का प्रयास करेंगे कि इस तरीके के नारे को मिटा कर उसकी जगह यह लिखा जाय कि "गर्व से कहो हम भारतीय हैं।" दूसरा नारा यह लिखा गया है कि "हिन्दू-हिन्दू एक रहेंगे" इससे भी बिखराव पैदा होता है। सरकार इस तरह के नारों को मिटाये उसकी जगह लिखवाये कि हिन्दू और मुस्लिम एक रहेंगे। मैं गृह मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि इस तरह के नारे को हटाकर क्या, यहां साम्प्रदायिक सद्भावना और साम्प्रदायिक सौहार्द भाव बना रहे इसका प्रयास करेंगे। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि राज्य सरकार आदेश निकाल दे कि जिस मकान के ऊपर एक हफ्ते के बाद इस तरह के भड़कीले और साम्प्रदायिक नारे लिखे पाये जायेंगे उसको तीन महीने का कारावास या इतने हजार जुर्माना किया जायेगा। सुबह सूरज निकलने से पहले-पहले लोग खुद ही इस तरह के नारों को मिटा देंगे और हमारे देश में जो माहौल बिगड़ रहा है वह सुधर जायेगा।

श्री किशनगोपाल कोगटा : सद्दाम हुसेन के नारे लगाये उनको क्या कहेंगे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं गलत बात का कभी समर्थन नहीं करता।

श्री सभापति : श्री लक्ष्मीलाल।

श्री डूंगरराम पंवार : दीवारों पर हिन्दू नहीं लिखें तो क्या क्रिश्चियन लिखें। क्या लिखें बताओ।....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मेरी बात आपकी समझ में नहीं आयेगी, आपके पास बुद्धि नहीं है। मेरी बात समझने के लिए बुद्धि चाहिए वह आपके पास नहीं है।

श्री डूंगरराम पंवार : मैं जानता हूं आप कितने विद्वान् हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : शांति बनाये रखिये।

श्री डूंगरराम पंवार : क्या बुद्धि का ठेका आपने ही लिया है। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : लम्बा होने से गुण नहीं आ गये।

एक माननीय सदस्य : लम्बा तो पहाड़ है....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीलाल : सभापति महोदय, जैसा गृह मंत्री महोदय ने बताया है कि यह जो जुलूस का आयोजन किया गया था, वह विश्व हिन्दू परिषद् के तत्वाधान में किया गया था। जब इस जुलूस के लिए भीलवाड़ा शहर में दो-ढाई-तीन हजार आदमी वहां पहुंच गये तो उसके बाद आपने, जिला प्रशासन ने उनको गुलमण्डी से होकर निकलने के लिए मनाही कर दी। तब उसके बाद गृह मंत्री महोदय ने अपने स्टेटमेण्ट में बताया है कि विश्व हिन्दू परिषद् के लोग जब नहीं माने तो उनको छोड़कर चले गये। मैं, सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि विश्व हिन्दू परिषद् के नेतृत्व में यह जुलूस था, तब वह चले गये बी.जे.पी. के कार्यकर्ता और वह सब वहां थे तो फिर

(श्री लक्ष्मीलाल)

जुलूस को किसलिए वह छोड़ गये । तो क्या उन्होंने वहां जुलूस को स्थगित किया ? क्या उसके बाद कहा कि अब जुलूस नहीं निकलेगा ? क्या भारतीय जनता पार्टी के और विश्व हिन्दू परिषद् के जितने भी कार्यकर्ता थे, उनकी हठधर्मी नहीं थी कि जब जिला प्रशासन संवेदनशील एरिया से उनको निकलने के लिए मना कर रहे थे तो वे हठधर्मी के कारण उधर होकर जाना चाहते थे। वही हठधर्मी से आज भीलवाड़ा जिले के तमाम शहरों में उसी तरह विश्व हिन्दू परिषद् और बी. जे. पी. के कार्यकर्ता फिर अराजकता फैलाकर के फिर हिंसात्मक वारदात करने पर उतारू हैं ? मैं माननीय सभापति महोदय, यह जानना चाहता हूं कि यह जो मरने वाले लोग हैं, ये कौन से राजनीतिक दल के आदमी है ? यह गृह मंत्री महोदय, इसका पता लगाये ।

दूसरा, मैं जानना चाहता हूं कि जितने भी बी. जे. पी. के लोग हैं, जो इसके अन्दर घायल हुए हैं । तो क्या बी.जे पी. या विश्व हिन्दू परिषद् दोनों का मिलाजुला षड़यन्त्र नहीं था और इस तरह की अराजकता जो हुई है, क्या वह अब भी आगे बढ़ाने को तत्पर हैं ? मैं, सभापति महोदय, यह जानना चाहता हूं कि इस जुलूस का जो उद्देश्य था, उसमें यह नारे थे कि मन्दिर दो या गद्दी छोड़ो । तो मैं सीधा सा सवाल जानना चाहता हूं कि हमारा प्रशासन और हमारे गृह मंत्रीजी उन जुलूस वालों को मन्दिर देना चाहते हैं या गद्दी छोड़ना चाहते हैं ? जो भी हो वह फैसला करके बता दें ।

श्री सभापति : श्री प्रद्युम्नसिंहजी ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, मैं सम्मानीय गृह मंत्रीजी से कुछ मुद्दों पर जानकारी चाहूंगा । मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी, गृह मंत्रीजी, कि आप दबाव में आ करके, अपने साथियों के दबाव में आकर के आप इस सदन में गलत बयानी करेंगे । मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं । या तो आप इन लोगों का साथ छोड़ दीजिये वरना आपकी छवि भी खराब हो जायेगी ।

यह अखबार "राजस्थान पत्रिका" आज का मैंने पढ़ा और यह आम धारणा है कि यह अखबार सरकार का समर्थक अखबार है । सरकार का समर्थक अखबार है । मैं अपशब्द इस्तेमाल नहीं करता । इन्होंने खुद लिखा है इस अखबार के अन्दर कि भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिन्दू परिषद् ने जुलूस निकाला । विश्व हिन्दू परिषद् और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर जुलूस निकाला । फिर क्या करण है, श्रीमान्,आपने खाली विश्व हिन्दू परिषद् का नाम लिया, बी. जे. पी. का नाम नहीं लिया अपने स्टेटमेण्ट के अन्दर । आप क्या इसकी सफाई देंगे इस बात की ? एक पहला प्रश्न तो आपसे यह पूछूंगा ।

सभापति महोदय, मूल के अन्दर कारण दूसरा है । इस पार्टी के अन्दर भी दो तरह की विचारधारा है । एक तो मोडरेट्स हैं । उनका नेतृत्व माननीय वाजपेयी करते हैं । दूसरे एक्सट्रिमिस्ट हैं, जिनका नेतृत्व माननीय अडवाणीजी और जोशीजी करते हैं, आपके अध्यक्षजी । लेकिन दोनों में टकराव है । हमारे मुख्य मंत्रीजी वाजपेयीजी के समर्थक हैं । जग-जाहिर बात है । अखबारों में भी निकलता है । और दूसरा दल यहां पर

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

राजस्थान के अन्दर जो है, वह अडवाणीजी का दल है। मुख्य मंत्रीजी के आदेश के बावजूद उनको जलील करने के लिए यह सब हुआ। मैं तो मुख्य मंत्रीजी से कहता हूं कि आप काहे के लिए मुख्य मंत्रीजी हैं। इस्तीफा दीजिये आप। जब आपकी पार्टी के लोग नहीं मानते हैं, आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। मैं आपके इस्तीफे की मांग करता हूं। आपसे और गृह मंत्रीजी आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप भी इनका साथ छोड़ दीजिये, दूसरा महकमा ले लीजिये। आप इस महकमे को नहीं चला पायेंगे।

सभापति महोदय, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि यह निश्चित है कि लोक सभा भी भंग हो गई, चुनाव होने जा रहे हैं। राजस्थान के अन्दर बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक दंगे कराये जायेंगे वोट हासिल करने के लिए। मैं इस बात की आपको चुनौती दे देता हूं। इसको रोकने के लिए क्या उपाय है आपके पास? एक ही जिले के अन्दर दो दिन पहले बीगोद के अन्दर उपद्रव हुआ है और दो दिन बाद ही भीलवाड़ा के अन्दर उपद्रव हुआ। सभापति महोदय, जैसा माननीय देवेन्द्र सिंहजी ने कहा, वहां पुलिस फायरिंग हुई। दुकानें आपने क्यों जलाई? दुकानें जला दीं। झगड़ों में उनका कोई लेना-देना नहीं। झगड़ा पुलिस और बी. जे. पी.—वी. एच. पी. के बीच हुआ और माइनोरिटी के लोगों की आपने जाकर दुकानें जला दी। आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया? माननीय मंत्रीजी, आप बतायें, आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया और कौन-कौन किस पार्टी को बीलोंग करता है? कोई गिरफ्तारी आपने की नहीं अभी तक। जयपुर के दंगों में आपने गिरफ्तारी अभी तक नहीं की तो आप भीलवाड़ा में क्या गिरफ्तार करोगे। गृह मंत्रीजी मैं आपको चुनौती देता हूं, आपने कितने मुकदमे कायम किये? गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तार करने की स्थिति के अन्दर आप हैं नहीं। यह मेरा आपसे निवेदन है, या तो आप इस पद को छोड़ दें वरना ये लोग आपकी छवि को खराब कर देंगे, आपके राजनीतिक जीवन को समाप्त कर देंगे।

सभापति महोदय, अब मुख्य मंत्रीजी जो मोडरेट हैं, अब आप बतायें कितनी हास्यपद स्थिति है, कलक्टर और एस. पी. मजबूरी में जाकर के ज्ञापन लेने वहां पर जा रहे हैं। आप कलक्टर भी रहे होंगे। रहे कि नहीं रहे? लेकिन आपके कलक्टर और एस. पी. जुलूस का ज्ञापन लेने वहां जा रहे हैं। हंसी आती है इस प्रशासन पर और इस राज पर। आपने उनकी दया पर उनको छोड़ रखा है। नहीं, आप नहीं जाओगे, मुख्य मंत्री कह आये। कह दिया लोगों को। आपकी सरकार पर, आपकी पार्टी पर मुख्य मंत्रीजी की कोई पकड़ नहीं है। उनका कहना कोई नहीं मानता है और उसका ही यह नतीजा हुआ कि यह उपद्रव वहां हुआ और पुलिस क्या करती? पुलिस गोली नहीं चलाती तो क्या करती? मैं आपसे पूछ रहा रहा हूं कि क्या करती पुलिस? आपने जयपुर में तो एक्शन लिया नहीं लेकिन मैं निश्चित रूप से आज भविष्यवाणी करता हूं कि आप कलेक्टर और एस. पी. का विधान सभा समाप्त होते ही तबादला करेंगे। आप डी. आई. जी. का तबादला करेंगे। मैं आज यहां कह सकता हूं कि यह विधान सभा सत्र

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

समाप्त होगा और आप तीनों को ही वहां से बदलेंगे। यह आपको मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। सभापति महोदय, यह तो इनकी स्थिति है। डूंगरपुर में इन्होंने क्या किया? डी. एस. पी. ने वहां कार्यवाही की। उसको ही बदल दिया इन्होंने। उसको बदल दिया इन्होंने जिसने कार्यवाही की।

तो जो इनकी पार्टी की लाइन है, सीधी है कि जब तक केन्द्र में स्थिर सरकार रही तब तक तो डर रहा। मुफ्ती सईद आये तो यहां पर गृह मंत्री को घुसने नहीं दिया इलाके में। वह कह गये कि मैं जाकर डिसमिस करा दूंगा इस सरकार को। तब इनके दिमाग में रहा डर। उसके बाद बीगोद का दंगा हुआ नहीं। दंगा ही नहीं हुए कहीं। मालूम था कि सरकार बर्खास्त हो जायेगी और रोटी रोजी से चले जायेंगे। यह सरकार के वहां इस्तीफा होते ही वहां पर मुख्य मंत्रीजी के प्रधान मंत्रीजी मित्र हैं, अन्तरंग मित्र हैं। सइयां भये कोतवाल तो डर काहे का। तो भय क्यों? इन्होंने कहा कि बर्खास्तगी तो है नहीं। राज्य में रह करके चुनाव लड़ेंगे। दंगे कराओ और वोट प्राप्त करो, यह इनकी नीति है, श्रीमान्।

आपने जयपुर के दंगों की आज दिन तक जुडिशियल इन्क्वायरी की हमारी मांग स्वीकार नहीं की क्योंकि आपकी पोल खुलती। आपके काले कारनामे, आपने जो निहत्थे लोगों का खून बहाया है जयपुर के अन्दर, वह बात सामने आती। हम आपसे बराबर मांग कर रहे हैं कि जयपुर के दंगों की न्यायायिक जांच कराओ। तो मैं आपसे मांग करता हूं, आप जुडिशियल इन्क्वायरी भीलवाड़ा की करायेंगे? हमारे नेता महोदय ने भी आपसे मांग की है कि आप जुडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा करें।

श्रीमान्, मैं आपसे एक ही बात और पूछना चाहता हूं। मुझे तो सबसे बड़ी चिन्ता है कि मई तक, जिस दिन तक लोक सभा के चुनाव नहीं होंगे, राजस्थान के अन्दर बड़े पैमाने पर दंगे प्लान्ड वे के अंदर सुनियोजित तरीके से दंगे कराये जायेंगे। उन दंगों को रोकने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं, आप उसको भी बतायें यहां पर।

श्री सभापति : प्लीज, डोंट इण्टरवीन।

श्री शांतिलाल चपलोत (राज्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय प्रद्युम्न सिंहजी को चुनौती देता हूं और यह सिद्ध करना चाहता हूं कि इस तरह से कांग्रेस ने तय कर लिया है कि साम्प्रदायिक दंगा कराना है। इसलिए इस बात को बराबर उजागर करने का कह रहे हैं +++

श्री डूंगरराम पंवार : दंगे कराने के लिए यह +++ इनके पास मौजूद हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : राजस्थान की जनता मानती है, मैं इसको मना नहीं करता हूं। कांग्रेस के राज में भी दंगे हुए थे, लेकिन दंगे कांग्रेस ने नहीं वह भी इन्होंने ही करवाये थे। (व्यवधान)

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। शांति बनाये रखें।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने लोक सभा भंग कर दी है और 5 जून को नई लोक सभा के गठन की सूचना दी है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग करूंगा कि विधान सभा का बजट भी पास कराके, भंग करके साथ के साथ चुनाव करवायें।

श्री जगतसिंह दायमा : यह आपका लास्ट चांस है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। (व्यवधान) मंत्रीजी आसन ग्रहण कीजिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या राजस्थान के गृह मंत्रीजी यह बतायेंगे, सत्ता दल के लोगों की प्रदेश में....

श्री डूंगरराम पंवार : पारीक साहब और नत्थी सिंहजी को कहा था, कांग्रेस का साथ मत दो, नहीं तो डुबो देंगे। डुबा दिया ना।

श्री सभापति : कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

श्री डूंगरराम पंवार : आप तो डूबने वाली नैय्या पर सवार हो गये हैं, हम क्या करें? (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री जगतसिंह दायमा : वहां तो दाल नहीं गली। (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : सभापति महोदय, यह जो बोल रहे हैं। हम इसलिए अपना दल छोड़ रहे हैं। इसलिए हम दल-बदल कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : पाइंट आफ आर्डर।

श्री जगतसिंह दायमा : अब तो कांग्रेस और जनता दल (नत्थीसिंह) मिल-जुलकर लड़ो।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : हम तो आप दोनों के खिलाफ लड़ेंगे। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि मंत्रि-मण्डल के कुछ सदस्य जिस ढंग से सदन में बोल रहे हैं, उप मंत्री माननीय डूंगररामजी ने +++ शब्द का प्रयोग किया। ऐसे +++ इनके पास मौजद हैं। दूसरा, जगतसिंहजी दायमा बीच-बीच में उठकर के और जो मंत्रिमण्डल के सदस्य और शांति-लाल जी चपलोत....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बैठे। बैठ जाइये। (व्यवधान) मंत्रीजी आसन ग्रहण कीजिए। शब्द को निकाल दिया जाये (व्यवधान) शब्द निकाल दिया गया है। मंत्रीजी आसन ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : इनको नहीं बताया, इनके पास मौजूद हैं। अब भी कह रहा हूं।

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(116)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आप चुनाव के एरिया में चलेंगे, तब पता चल जायेगा।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री जगतसिंह दायमा : जनता दल और कांग्रेस एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, क्या?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री जगतसिंह दायमा : नत्थीसिंह जी और राजीव गांधी को एक साथ बैठा रहे हो? (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : हमारा और इनका दल भी अलग है। घबराओ मत।

श्री जगतसिंह दायमा : यह तो हम मान रहे हैं। लड़ेंगे यह भी मान रहे हैं, परन्तु उसका अन्त क्या होगा, आप जानते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : श्रीमान्, मैं आपसे एक....

श्री जगतसिंह दायमा : 25 के 25 जीतेंगे। छब्बीस हैं और 25 लड़ेंगे।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपस में लड़ोगे, वह कहेगा आपने मरवा दिया, आप कहेंगे उन्होंने मरवा दिया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इन दंगों की पृष्ठभूमि का, जो भीलवाड़ा में दंगे हुए हैं, उनकी पृष्ठभूमि का एक और कारण है, श्रीमान्, जिसकी तरफ मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले जयपुर के अन्दर बी. जे. पी. का महाधिवेशन हुआ....

श्री सभापति : यह सम्बन्धित नहीं है। कृपया प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सम्बन्धित था। उसमें प्रश्नावली जारी की गई, पूरे हिन्दुस्तान के अखबारों में आया है और उस प्रश्नावली के एक प्रश्न में, देश में चुनाव होने की स्थिति में साम्प्रदायिक दंगों का भाजपा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बुरा असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा.....

श्री जगतसिंह दायमा : वहां पर दो आदमी गये हैं, + + +

श्री प्रद्युम्नसिंह : अच्छा असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। अब आप देखिये....

श्री जगतसिंह दायमा : + + + राजनीतिक मुद्दे क्यों जोड़ रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय मंत्रीजी बिराजिये।

श्री जगतसिंह दायमा : उसके ऊपर भी राजनीति।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि प्रश्नावली भरी गई, हरिद्वार के जिलाध्यक्षजी द्वारा। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, उन्होंने उत्तर दिया, अच्छा असर पड़ेगा, साम्प्रदायिक दंगों का।

अनेक माननीय सदस्य : + + +

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(117)

श्री हेतराम बेनीवाल : इस मन्दिर की नींव तो इन्होंने ही रखवाई है, आप तो बाद में आये हो।

श्री प्रद्युम्नसिंह : भगवान के लिये + + + मत करो। लोगों को मार-मार कर वोट प्राप्त मत करो, लोगों में साम्प्रदायिक सद्भावना रहने दो, यह सब मत करो। आप इस पार्टी में रहने लायक नहीं हैं, गृह मंत्रीजी।

श्री मदनलाल सैनी : ऐसे कागज तो आप....यह कोई पार्टी का कागज नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप इन दंगों को कम नहीं कर पायेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सारे राजस्थान की जनता देख रही है कि किस प्रकार से आपकी पार्टी स्टैण्ड है। राजस्थान में गोलियां चली, लाठियां चली और आप सहानुभूति रखने के बजाय, केवल वह हिन्दू हैं इसलिए उनके खिलाफ प्रचार कर रहे हो। आपकी हिन्दू विरोधी भावना झलकती है।

श्री सभापति : श्री बंशीलाल पटवा। श्री बंशीलाल पटवा। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : बंशीलाल पटवा कैसे हमारा नम्बर है। (व्यवधान) + + +

श्री सभापति : आर्डर प्लीज आर्डर प्लीज। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। बिराजिये। (व्यवधान) कृपया बैठ जायें। (व्यवधान) बैठिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : बंसीलाल जी पटवा बिल्कुल नहीं बोलेंगे।

श्री सभापति : इनका काल अटेंशन मोशन है इसलिए यह बोलेंगे।...(व्यवधान)

श्री चम्पालाल बांठिया : ये वहां पर मौजूद थे, असलियत जानते हैं। ये उन चारों को बेनकाब करना चाहते हैं।...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पटवाजी ने पट्टा गिरा दिया। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : पटवा जी ने पट्टा गिरा दिया, फिर बोल रहे हो।

श्री सभापति : कृपया व्यवस्था बनायें। सदन की प्रक्रिया जैसी है उसके अनुसार व्यवस्था रखें।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, पटवा जी ने पट्टा गिरा दिया, फिर बोल रहे हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : किसी को बोलने से कोई रोक नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजिये, व्यवस्था बनाए रखिये। (व्यवधान) कृपया व्यवस्था में सहयोग दीजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : सारे राजस्थान का पट्टा गिरा दिया पटवा जी और बोलते हो ऊपर से।

श्री सभापति : कृपया व्यवस्था में सहयोग दीजिये।

+ + + शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि बंशीलाल जी पटवा का काल अटेंशन सुबह कोई नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी की ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी। बंशीलाल जी पटवा से पहले सरकार की तरफ से वक्तव्य आ चुका था।

श्री सभापति : मैंने अन्य आदमियों को भी बोलने की इजाजत दी है, मैंने आपके सदस्यों को भी बोलने की इजाजत दी है।

श्री राजेन्द्र पारीक : अन्य आदमियों को जो आपने दिया है वह उनका अधिकार था, + + +

श्री सभापति : जिन-जिन के स्थगन प्रस्ताव नहीं थे उनको भी बोलने की इजाजत दी गई है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : किसी भी सदन को बोलने का कोई मौका नहीं दिया गया।

श्री सभापति : कृपया व्यवस्था में सहयोग दें।

श्री राजेन्द्र पारीक : ये तो खुद + + + है उसके।

श्री सभापति : कृपया विराजें। श्री बंशीलाल पटवा।

श्री राजेन्द्र पारीक : जब सरकार का वक्तव्य आ चुका उसके बाद बंशीलाल जी पटवा का प्रश्न नहीं रह जाता।

श्री सभापति : इनका काल अटेंशन मोशन इस विषय पर है और ये उस क्षेत्र के हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : ये दंगे कराने वाले हैं, ये क्षेत्र के लिए दंगे कराने वाले हैं।

श्री सभापति : कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप इनको बोलने का अवसर नहीं देंगे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, कृपया बैठ जाइये। श्री बंशीलाल पटवा।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, क्या आसन की तरफ से इस प्रकार की व्यवस्था हुई है, क्या सत्तारूढ़ पार्टी ने कोई कालिंग अटेंशन दिया है ?

श्री सभापति : दिया हुआ है, जी हां, इसी विषय पर काल अटेंशन दिया हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : कालिंग अटेंशन सत्तारूढ़ पार्टी ने दिया है और प्रतिपक्ष ने एडजार्नमेंट मोशन दिया है, तो क्या आसन की तरफ से यह व्यवस्था दी गई है कि दोनों का अमाल्गमेंट कर दिया जाता है ? अगर यह व्यवस्था नहीं दी गयी है तो जिन्होंने एडजार्नमेंट मोशन रखा है उनको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होगा और अगर उनकी तरफ से कालिंग अटेंशन नहीं है तो उनको इस प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं है। पटवा जी वहां पर मौजूद थे या नहीं थे, अगर कोई विशेष परिस्थितियों में आप ऐसा समझते हैं कि उनका बोलना तथ्यों को

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री परसराम मदेरणा)

सामने रखने के लिए जरूरी है इन दी लाइन आफ दी स्टेटमैंट बाई होम मिनिस्टर, फिर जिन्होंने एडजार्नमैंट मोशन दिया है उनके नाम तो पहले आप एग्जास्ट कीजिये। उसके बाद आसन कोई भी व्यवस्था दे सकता है।

श्री सभापति : जिन्होंने एडजार्नमैंट मोशन दिया है। उन सबको बोलने का समय दिया जा चुका, वह लिस्ट एग्जास्ट हो चुकी। आसन से माननीय अध्यक्ष महोदय स्वयं ने यह व्यवस्था दी है कि इसके साथ-साथ ही काल अटेंशन मोशन वाले भी अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें। इसलिए इस सारी लिस्ट के एग्जास्ट होने के बाद मैं बंशीलाल जी....

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, काल अटेंशन पटवा साहब ने तो नहीं दिया है, भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने तो नहीं दिया है न ?

श्री सभापति : उन्होंने नहीं दिया है, बंशीलाल जी पटवा ने दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रतिपक्ष और दूसरे माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिए।

श्री सभापति : श्री बंशीलाल जी ने अपना काल अटेंशन मोशन दिया है। इसलिए मैं उसको समय दे रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, स्टेटमेंट के बाद क्वेश्चन में कोई प्राब्लम नहीं है लेकिन भाषण नहीं होने चाहिए।

श्री सभापति : जैसा अब तक पूछा गया है उसी तरीके से वह भी पूछेंगे।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सभापति महोदय, कोई भी मामला सदन में आ जाता है तो सदन की प्रापर्टी हो जाती है। ऐसा है फिर तो सभी माननीय सदस्यों को प्रश्न करने का अधिकार है। फिर सब करेंगे, सबको अधिकार है।

श्री सभापति : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है, इन्होंने काल अटेंशन मोशन दिया है इसलिए मैं इनको बोलने की इजाजत दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : मुझे भी बोलने की इजाजत दी जाय।

श्री सभापति : आपने काल अटेंशन मोशन दिया है क्या ?

श्री राजेन्द्र पारीक : राजस्थान में इतना बड़ा हादसा हो गया साम्प्रदायिकता का....

श्री सभापति : आपने काल अटेंशन मोशन दिया है क्या ?

श्री राजेन्द्र पारीक : मेरा नाम दिया हुआ है।

श्री सभापति : मेरे पास नाम नहीं है आपका।

श्री राजेन्द्र पारीक : सचेतक महोदय ने मेरा नाम आपके यहां भेजा है।

श्री सभापति : मेरे पास नाम नहीं है आपका। श्री बंशीलाल पटवा।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, हमने भी नाम दिया था बोलने के लिए, हमारा नाम कहां गया, यह बताया जाय पहले। आपने हमको अवसर क्यों नहीं दिया बोलने के लिए। आप हमको अवसर दो पहले। उनसे पहले हमको अवसर दो। जिन्होंने दंगे कराये उनको तो आप अवसर देते हैं और हमारे लिए आप अवसर नहीं दे रहे हो। अगर आप अवसर नहीं दोगे तो सदन नहीं चलेगा।

श्री सभापति : आपको अवसर दिया जायेगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : पहले हमको अवसर दीजिये।

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : पहले हमको अवसर दो।

श्री सभापति : एक साथ दो अवसर नहीं मिल सकते।

श्री रामस्वरूप मीणा : अगर आप हमको अवसर नहीं देते हैं तो सदन नहीं चलेगा।

श्री सभापति : आपको भी दे देंगे अवसर।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपने अवसर नहीं दिया हमको।

श्री सभापति : आपको अवसर मिल जायेगा, आपको अवसर दे देंगे।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय सभापति महोदय, भीलवाड़ा नगर में गत दिन लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ी गई, गोलियां भी चलाई गयीं। कुछ बातें जो यहां पर सदन में कही गई हैं मैं उन माननीय सदस्यों के अपमान की दृष्टि से नहीं कहना चाहता हूं लेकिन कई बातें जो तथ्यों के विपरीत कही गयीं। भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिन्दू परिषद् को लेकर कई बातें इस तरह की कही गयीं कि हम लोग साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, साम्प्रदायिक दंगा कराना चाहते हैं। कई बातें यहां कही गयी कि वहां दुकानें जला दी गयीं....

श्री राजेन्द्र पारीक : यह वक्तव्य गृह मंत्रीजी का है।

श्री सभापति : कृपया शांति बनाये रखें।

श्री बंशीलाल पटवा : नहीं, उसमें नहीं है।

श्री दिग्विजयसिंह : मैंने वक्तव्य में यह नहीं कहा है कि दुकानें जला दी गयीं। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल पटवा : ज्यादा चिन्ता हमको होनी चाहिए, हमारे कार्यकर्ता मरे।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : छिपा रहे हो, मजबूरी है आपकी।

श्री हेतराम बेनीवाल : गृह मंत्रीजी, आपने यह कहा है कि दुकाने जलाने की कोशिश की।

श्री दिग्विजयसिंह : इसमें और उसमें बहुत फर्क है। जलाने में और प्रयास में बहुत फर्क है। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल पटवा : गृह मंत्रीजी का

(श्री बंशीलाल पटवा)

पूरा वक्तव्य मैंने सुना। कहीं भी उसमें यह नहीं लिखा है कि आग लगा दी गयी, दुकानें जलाई गयीं। कोशिश की और कोशिश करने में बड़ा फर्क है, बड़ा अन्तर है. मैनिपुलेशन है। यह मैनिपुलेशन जो किया गया है, मैं वहां मौजूद था....(व्यवधान) आप सुनना चाहते हैं सुन लीजिये।

श्री सभापति : किसलिए आप बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं।

(2.00 म. प.)

श्री बंशीलाल पटवा : आप सुनना नहीं चाहते हैं? हमने इतनी देरी तक सारी बातें सुनी हैं आपकी। सच्चाई जब प्रकट की जा रही है तो आप उस पर इस तरह से बोलना चाहते हैं। मेरा यह निवेदन है कि वहां पर मौके पर मैं था, भाजपा के कार्यकर्ता थे। सुन लीजिए, आपको जवाब देना हो दे दीजिये। मैं जो कुछ कह रहा हूं उसमें यदि असत्य लगे तो मुझे भी टोक दीजिए, लेकिन सुन लीजिए। मैं कोई आलोचना की दृष्टि से नहीं कहना चाहता हूं। आप लोगों ने सवाल उठाया, एडजार्नमेंट मोशन मूव किया। कोई एतराज नहीं, डेमोक्रेसी में राइट्स है किसी सवाल पर डिबेट्स होनी चाहिए, अशान्ति होती है तो चर्चा होनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि मैं मौजूद था, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी थे, स्वीकार कर रहे हैं हम। एक्स जिलाध्यक्ष भी थे, और भी थे। राज भारतीय जनता पार्टी का है इस नाते कि प्रशासन को सहयोग किस तरह से मिले, साम्प्रदायिक तनाव नहीं बढ़े, सद्भावना बनी रहे। यह सच्चाई है, भीलवाड़ा में भी सच्चाई है और बीगोद में भी सच्चाई है। सुन लीजिए। मेरी राजनीति है वार्ड नम्बर सात, जो गुड़ मण्डी का क्षेत्र है। आपके एक्स मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं, इनके साथ मैंने काम किया है, जो उस वार्ड के चेयरमैन थे। उस वार्ड से जहां मुस्लिम आबादी 60 प्रतिशत थी और 40 प्रतिशत हिन्दू थे, 1974 तक जीत कर आया हूं आज भी मैं सोचता हूं कि मुस्लिम समाज में भीलवाड़ा में आप लोगों की जितनी ख्याति नहीं है उतनी मेरी है। पिछले चुनाव में भी मुस्लिम समाज के आदमियों ने कितने वोट दिये हैं, वह जाकर पता कर लेना। (व्यवधान) सुनिये बात, भीलवाड़ा में क्या हुआ है। जो, तथ्यों को छुपाया नहीं जायेगा, जो कुछ हुआ है। वहां पर एम. एल. ए. भी मौजूद, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मौजूद थे और कभी इस तरह का सवाल तय नहीं हुआ है... (व्यवधान) बिराजें।

श्री सभापति : क्यों इन्टरप्ट कर रहे हैं। कृपया शांति बनाये रखें।

श्री बंशीलाल पटवा : सुनना पड़ेगा। आपकी बात जब हमने सुनी है तो हमारी बात भी सुनिये और केवल अपनी मर्जी से मैन्यूप्लेट करके मनगढ़न्त बातें कह देंगे तो मेरे ख्याल से यह अच्छा भी नहीं है न आपके स्तर के लिए अच्छा है और न मेरे स्तर के लिए अच्छा है। मेरा निवेदन यह है कि हम मौजूद थे और जुलूस निकला भी नहीं था। जुलूस की शुरुआत हुई थी, पांच-पचास फीट लोग आगे बढ़े थे। हम लोग यहां से पहुंचे थे, वहां पर समझाने की कोशिश की, प्रशासन की दृष्टि से भी समझाने की कोशिश की, उनको भी समझाने की कोशिश की कि जुलूस नहीं निकालें, सभा कर लें। कलक्टर

(श्री बंशीलाल पटवा)

ज्ञापन लेने नहीं गया, मौके पर व्यवस्थाएं देखने गया। उन्होंने कहा कि ज्ञापन मुझे यहीं दे दीजिये।....सुन लीजिये आपको कुछ कहना है तो बाद में कह दीजियेगा। आपके पास तथ्य है तो वह बोल दीजिये। मेरे पास जो तथ्य हैं वह मैं बोल रहा हूं.... (व्यवधान)

दूसरा, मेरा निवेदन है कि इस तरह से समझाने की कोशिश की गई। भीड़ में एक जिद् थी कि जुलूस निकलेगा। इसके अतिरिक्त यह बात क्यों पैदा हुई, उसके एक दिन पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बाल स्वयं सेवकों का पद संचलन, पद संचालन नहीं, एक माननीय सदस्य ने पद संचालन कहा था। यह पद संचालन है।

डा. चन्द्रभान : मैं आर. एस. एस. में नहीं रहा इसलिए गल्ती हो सकती है।

श्री बंशीलाल पटवा : नहीं, कोई बात नहीं है। गलती मेरे से भी हो सकती है। गांधीजी भी 100 पर्सेण्ट करेक्ट नहीं थे तो बंशीलाल पटवा भी गलती कर सकता है। यू डोंट माइन्ड। मेरा निवेदन यह है कि जब पद संचलन निकला तो वहां पर कुछ मुस्लिम परिवार के वर्ग विशेष के लोगों ने यह कहा कि इधर से नहीं गुजरेगा। उन्होंने कहा कि यह रास्ते में कहीं इस तरह की आवागमन में रुकावट नहीं हो जाय, वहां पर बड़ी सूझ-बूझ से प्रशासन ने काम लिया शांतिपूर्वक पद संचलन निकल गया, टेंशन नहीं बढ़ा। लेकिन वह बात दिमाग में थी। इसके साथ-साथ उसके पहले जहां के लिए आपने कहा है संवेदनशील (सेंसेटिव) गुड़ मण्डी में झगड़ा हो सकता था वहां पर इस तरह की सम्भावना भी नहीं थी लेकिन ऐहतियात के तौर पर....(व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह दहिया : एडजोर्नमेंट मोशन में यह आयेगा।

श्री सभापति : आप बिराजें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रेमसिंह दहिया : आप इस तरह से भाषण कर रहे हैं, मात्र प्रश्न पूछिये। भाषण नहीं दें, सभापति महोदय, इनसे कह दीजिये।

श्री सभापति : आप बिराजें।

श्री बंशीलाल पटवा : मेरा काल अटेंशन है, मेरा ध्यानाकर्षित करने का अधिकार है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : भीलवाड़ा का मामला है सुनना पड़ेगा।

श्री बंशीलाल पटवा : मेरा निवेदन है कि इस कारण से थोड़ी सी सतर्कता बरती गई। कुल मिलाकर जुलूस वहां नहीं निकले. सभा हो जाय या थोड़ा सा एवाइड करके कलेक्ट्री में जाकर ज्ञापन दे दें इस तरह के विचार सामने आये। यह जिद् थी। इतने में कुछ लोग आगे बढ़े। इस बीच मैंने यह समझाया कि भई जिद् मत करो, थोड़ा रूक जायं और आपस में बैठकर बातचीत कर लेते हैं, पर कुछ लोग आगे बढ़े। उसी दौरान मैं पीछे गया जहां पर विश्व हिन्दू परिषद् के सेक्रेटरी थे उनको कहने गया कि आप छोड़ा आगे जाकर व्यवस्था देखिये। इस बीच में पता नहीं क्या हुआ, लाठी चली, अश्रुगैस के गोले छोड़े गये .. मैं वहां से थोड़ी

(श्री बंशीलाल पटवा)

दूर था, जो मैं जानता हूं वह कह रहा हूं कि क्या हुआ...(व्यवधान) आप नहीं थे तो फिर क्यों पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? आपको मालूम है तो आप बता दीजिये। सुन लीजिये। अश्रुगैस के गोले छोड़े गये, इस बीच में ज्यों ही एक गोला दुधाधारी मन्दिर में जब चला गया। ऐसी स्थिति में उसके बाद में गोली चली, कैसे चली। फिर बाहर आकर कलक्टर को मैंने समझाया कि कुछ औरतें फंस गई थी उनको किसी तरह से निकाला जाय। कुल मिलाकर जुलूस भी आगे बढ़ा नहीं, उसी ग्राउण्ड को टेरेटरी में यह सब कुछ हुआ। वहां पर एक व्यक्ति की जान गई और एक दूसरे सुरेश चन्द जैन को गोली लगी। कुल मिलाकर घटना यह है लेकिन मेरा इस विषय में इतना सा कहना है कि यदि एस. पी. थोड़ा सा धैर्य से काम लेते, सिटी मजिस्ट्रेट थोड़ा सा धैर्य से काम लेते तो यह हादसा टाला जा सकता था। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : तो आप यह कहना चाह रहे हैं कि सिटी मजिस्ट्रेट और एस.पी. दोषी हैं। माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि वह धैर्य से काम लेते तो यह हादसा टाला जा सकता था तो क्या उन्हें दोषी मानें?

श्री सभापति : इनका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, इनको बोलने दीजिये।

श्री बंशीलाल पटवा : इस तरह की बातें हो सकती हैं तथ्यात्मक जो आंकड़े थे वह गृह मंत्रीजी महोदय ने प्रस्तुत किये हैं। इसके साथ-साथ मेरा निवेदन यह है कि इसकी जांच कराई जाय और जो भी व्यक्ति दोषी हों उनको दण्डित किया जाय क्योंकि दो व्यक्तियों की जानें गई हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की मृत्यु हुई है पीड़ा हमको ज्यादा होनी चाहिये पर पता नहीं आपको क्यों पीड़ा हो रही है।

श्री राजेन्द्र पारीक : जुडिशियल जांच होनी चाहिए।

श्री बंशीलाल पटवा : लेकिन इस तरह की जो स्थिति बनी, है उसके पीछे कोई कारण हो सकता है लेकिन तथ्यात्मक जांच हो सकती है। सरकार ने जानकारी रखी पर मेरा तो निवेदन है कि इसकी जांज कराई जाय और दोषी को दण्डित किया जाय।

श्री सभापति : श्री किशनगोपाल कोगटा (व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय, यह सही है कि भीलवाड़ा की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना का विवरण सदन में रखते हुए माननीय सदस्यों ने मेरे प्रति जो सहानुभूति व्यक्त की है उसके लिए तो मैं आप सबका बहुत आभारी हूं।...मुझे इस बात का अभिमान है....

श्री चन्दनमल वैद : हम आपके शुभ चिन्तक हैं।

श्री शिवचरण माथुर : यह वास्तविकता है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैंने किसी को टोका नहीं है, जरा सुनें। मुझे भी कह रहे थे कि आप साहस रखिये।...

श्री हेतराम बेनीवाल : यह आप बोले ही टोक रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार की सहानुभूति मेरे प्रति दिखाई उससे निश्चित रूप से मेरे हाथ मजबूत होंगे। इस घटना के सम्बन्ध में कई बातें आपने पूछी और इसी प्रकरण में आपने हिन्दु-मुस्लिम साम्प्रदायिक दंगे आदि इस प्रकार की बातें भी सदन में रखीं। मैं पहले तो स्पष्ट करना चाहता हूं कि लोकतन्त्र में दलों को, संस्थाओं को और व्यक्तियों को कुछ संवैधानिक अधिकार हैं। उन अधिकारों की अवहेलना यदि सरकार करती है तो मैं समझता हूं कि लोकतन्त्र के साथ वह सरकार न्याय नहीं करती है और यदि जिनको यह अधिकार है उन अधिकारों का कोई व्यक्ति, पार्टी और कोई संस्था दुरुपयोग करती है तो उस संस्था के कार्यों की प्रशंसा नहीं की जा सकती है। मैं प्रारम्भ में ही यह कहना चाहूंगा कि आज राम मन्दिर की मांग करना अलोकतांत्रिक है? और यदि मांग करना अलोकतांत्रिक है तो यह मांग उठी थी जिस समय श्री राजीव गांधी हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री थे....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : इसलिए तो आप सरकार चला रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये। अब अगर यह बात आप बोलेंगे तो बोलना मुझे भी आता है। मैं रोटी सेक रहा हूं या पानी पी रहा हूं मुझे भी बोलना उसी भाषा में थमता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : चैलेन्ज किया था कि गृह मंत्री में हिम्मत हो तो रथयात्रा जयपुर में रोक कर बतायें। इसके बाद बाकी क्या रह जाता है?

श्री सभापति : श्री पारीकजी बिराजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि राम मन्दिर की मांग करना अवैधानिक होता, अलोकतांत्रिक होता तो राजीव गांधी मांग पूरी करने वाली संस्था को अवैध घोषित करते। लेकिन सारा संस्सार जानता है कि कि इस संस्था को अवैध घोषित नहीं किया। यह भी आपको जानकारी होगी कि इस संस्था की मांग पर पूर्व गृह मंत्री श्री बूटासिंहजी ने पूर्व प्रधान मंत्री जी की अनुमति से उसी स्थान पर शिलान्यास करवाया। शिलान्यास शांतिपूर्वक हुआ, इसके लिए बूटासिह जी की प्रशंसा करूंगा।

आपने यह देखा होगा कि जिस समय शिलान्यास हुआ उसके तीन दिन बाद, तारीख तो मुझे याद नहीं रही, समाचार पत्रों में यह समाचार छपा कि विश्व हिन्दू परिषद् वाले मन्दिर बनाने की जो बात कर रहे हैं, यह मन्दिर यहां नहीं बना सकते, मन्दिर तो बूटासिंह जी ही बनाएंगे। जब चुनाव हुआ और जालौर से बूटासिह जी हार गये तो यह भी उन्होंने प्रेस के सामने स्वीकार किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी से नहीं हारा, मैं गलती से राम से लड़ गया था और उसी के कारण से मैं पराजित हुआ हूं। अब यह सारी भूमिका रही, यह बात मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से विश्व हिन्दू परिषद् और भारतीय जनता पार्टी वालों में जिस तरह की बातें कही गई, अगर भारतीय जनता पार्टी के सम्बन्ध में या विश्व हिन्दू परिषद् के सम्बन्ध में आप

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यह कहें कि वह कोई एक इस प्रकार की बात....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया डिस्टर्ब न करें।

एक माननीय सदस्य : बूटासिंह जी ने कभी नहीं कहा था कि मैं राम से लड़ गया। यह बात गलत कह रहे हैं मुख्य मंत्रीजी।

श्री सभापति : कृपया ग्रासन ग्रहण कीजिये। बैठ जाइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने केवल यह बात इसलिए कही है कि अगर गैर कानूनी बात होती तो उस समय भी इस पर प्रतिबन्ध लग सकता था, प्रतिबन्ध नहीं लगा। मुझे और कोई भूमिका नहीं बनानी।

अब प्रश्न आया भीलवाड़ा का। भीलवाड़ा के सम्बन्ध में जब मुझे जानकारी मिली कि भीलवाड़ा में इस प्रकार का प्रोशेसन निकालना चाहते हैं। यह कोई भीलवाड़ा में ही नहीं निकला है, पूरे राजस्थान में इस प्रकार के जुलूस निकले हैं। सारे हिन्दुस्तान में इस प्रकार के जुलूस निकले हैं। राजस्थान में कोटा, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर कोई स्थान नहीं होगा जिस स्थान पर इस प्रकार के जुलूस नहीं निकले। सब जगह जुलूस निकले हैं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में शांति से जुलूस निकल गये और भीलवाड़ा में शान्ति नहीं रही। अब इसका कारण क्या है? अब यह प्रश्न आया कि लोग हल्ला करना चाहते थे, माइनोरिटीज को दबाना चाहते थे। बीगोद में जब झगड़ा हुआ तो मैंने अधिकारियों से कहा कि बीगोद के झगड़े की हवा भीलवाड़ा में आ सकती है और इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि जिस व्यवस्था में अगर विश्व हिन्दू परिषद् जुलूस निकालना चाहे तो ऐसे रास्ते से निकाले जो रास्ता कम्युनल टेंशन के नाते सेंसिटिव नहीं हो और इस कारण से इस रास्ते के सम्बन्ध में बातचीत कर ली जाए। पूरे राजस्थान में सब जगह बातचीत हुई। पूरे राजस्थान में रास्ता तय हुआ, शान्तिपूर्वक जुलूस निकाला गया और भीलवाड़ा में जब यह प्रश्न आया कि वह जुलूस ऐसे रास्ते से निकालना चाहते है कि जहां पर इस प्रकार का तनाव हो सकता है, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, मैंने कहा था कि जो भी संवेदनशील इलाका है उस इलाके से इस प्रकार का जुलूस नहीं निकाले इसका पूरा प्रबन्ध किया जाए। इस बात को आपने भी स्वीकार किया है। बार-बार आपने भी कहा है, मैं सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि यह बात उन्होंने स्वीकार की कि मुख्यमंत्री के नाते जो भी मुझे करना चाहिए था वह मैंने उस समय किया।

मैं सार्वजनिक रूप से भी कह चुका हूं, मैं सदन में भी कह चुका हूं फिर कहना चाहता हूं कि मैं चाहे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं, चाहे विश्व हिन्दू परिषद् का सदस्य हूं लेकिन मुख्य मंत्री के नाते, मुख्य मंत्री का कोई धर्म नहीं है, मुख्य मंत्री का धर्म है राज धर्म का पालन करना। मैं हिन्दू हूं इसे कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है और हिन्दू होने का गर्व है इसको कहने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है। लेकिन हिन्दू होते हुए भी मैं जब मुख्य मंत्री के पद पर हूं तो राज धर्म का पालन करना मेरा धर्म

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है और कोई दूसरा धर्म नहीं हो सकता। ...लिए मैंने आवश्यकता समझी कि इस ...ते से जुलूस को नहीं निकलने दिया ...। मैंने जिला प्रशासन को कह दिया कि ...चीत कर लो, अगर दूसरे रास्ते से वह ...लना चाहते हैं, दूसरे रास्ते से निकल ...। जहां चाहते हैं वह जुलूस निकालें ...न सेंसिटिव एरिया है उनको नहीं ...लने देऊंगा और आपको पूरी व्यवस्था ...रनी है।

सभापति महोदय, प्रश्न आया यहां एक माननीय सदस्य ने कहा कि कलक्टर को मन्दिर के ऊपर सभा नहीं करनी चाहिए थी। कलक्टर को मन्दिर के ऊपर जाना नहीं चाहिए था। वे उस एरिया में जाना क्यूं चाहते थे? माननीय माथुर साहब बैठे हैं, बाकी के लोग परिचित नहीं होंगे, मेरे से ज्यादा भीलवाड़ा से ये परिचित हैं। रास्ते में कई जगह अगर माइनोरिटीज की दुकान हैं, मकान हैं, मस्जिद है, उन चीजों को अवाइड करना है, यह मैं समझता था कि अवाइड करना चाहिए। वह कोई मुसलमानों के मोहल्ले में नहीं जा रहे, जैसा आप लोगों ने कहा कि मुसलमानों के मोहल्ले में जा रहे थे, मोहल्ले में नहीं जा रहे थे, जुलूस लेकर जा रहे थे मोहल्ला रास्ते में आ रहा था। अब आप विचार कर लें।

हिन्दुस्तान है जिसमें कई त्यौहारों के मेले निकलते हैं। कई बार ईद का मेला, मोहर्रम निकलता है, कई बार जन्माष्टमी का निकलता है, कई बार रामनवमी का जुलूस निकलता है, कहीं तेजाजी का जुलूस निकलता है, कहीं पाबूजी का जुलूस निकलता है और रामदेवजी का जुलूस निकलता है। तो क्या हम यह मानकर चलें कि जहां मुसलमान होंगे वहां पर हिन्दुओं का जुलूस नहीं निकलेगा और जहां हिन्दू होंगे वहां पर मुसलमानों का जुलूस नहीं निकलेगा। मैं इस व्यवस्था का पक्षधर नहीं हूं। लोगों की धार्मिक स्वतन्त्रता है। उस धार्मिक स्वतन्त्रता के आधार पर उन्हें अपने धर्म का प्रचार करना, धर्म को मानना, धर्म की व्यवस्था करना लेकिन इसके साथ-साथ इस बात की भी आवश्यकता है कि इस व्यवस्था के कारण से कोई अव्यवस्था न फैल जाए। उसकी रोकथाम करने की सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य सरकार उस जिम्मेदारी पर खरी उतरी है।

अब प्रश्न आता है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि न तो मन्दिर में कोई सभा हुई, जिस समय सभा होने की बात थी और मेरे दिमाग में आई, यह बंशीलाल जी पटवा बैठे हैं, कालूलाल जी गुर्जर मन्त्री हैं। मैंने इन दोनों को गाड़ी देकर भेजा और मैंने कहा कि वहां जाओ। उन लोगों से मैंने टेलीफोन पर बात की तो कहने लगे कि अपने लोग तो सब काबू में आ जाएंगे लेकिन कल उस प्रोग्राम के अनुसार जो बाहर से लोग आने वाले हैं उनको किस प्रकार से नियन्त्रित किया जाए। इसके लिए जयपुर से कुछ आदमी आप भेजें। तब मैंने कालूलालजी को भेजा, बंशीलालजी पटवा को भेजा। जिस रामस्वरूप जी की बात आप कह रहे हैं उन रामस्वरूप जी से भंवरलाल जी शर्मा और गृह मंत्री दोनों ने बात की। उन्होंने कहा जयपुर से किसी आदमी को भेजो। हमने जयपुर से भी आदमी भेजे। जयपुर से आदमी भेजे उन लोगों ने समझा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दिया कि इस रास्ते से नहीं जाना। समझौता यह हुआ कि जो मन्दिर के अन्दर सभा नहीं हुई, माननीय शिवचरण जी जानते हैं कि उस मन्दिर के पास स्थान है जहां पर लोग इकट्ठे हो सकते हैं। आखिर बाहर से लोग आए थे।

श्री शिवचरण माथुर : मन्दिर के सामने तो केवल रास्ता है कोई स्थान नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह जगह जो भी है वो ही है। रास्ते में ही खड़े थे, जो भी रास्ता हैं, स्थान है उस स्थान के ऊपर इकट्ठे हो जाए, वहां से आगे नहीं बढ़े। उस जगह से रास्ता बन्द कर दिया जाए कि मन्दिर से आगे नहीं जाएंगे, लोगों ने यह मान लिया कि मन्दिर पर जो बाहर से लोग इकट्ठे आएंगे उनको एड्रेस करके वहीं से डिसबर्स कर दिया जाएगा और डिसबर्शन के बाद जो लोग कलक्टर को वहां जुलूस ले जाकर ज्ञापन देना चाहते थे, वह जुलूस निकले नहीं और ज्ञापन कलक्टर यहीं ले ले। इसमें मैं समझता हूं समझदारी की बात है, इसमें कोई इस प्रकार की बात नहीं है कि कलक्टर वहां आया क्यों। उसको अवाइड करने के लिए कलक्टर यदि वहां चले गये हैं तो उसमें आपत्ति क्या है। आज से 15-20 वर्ष पहले मुझे याद है कि जयपुर में भंवरलाल जी शर्मा के नेतृत्व में जुलूस लेकर गये। इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि कलक्टर को भीड़ ने यह कहा कि आप बाहर आओ और कलक्टर बिल्कुल प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर खड़े रहे कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। मैंने जाकर कलक्टर को कहा कि आप लाठीचार्ज करवाना चाहते हो, कि नहीं, गोली चलवाना चाहते हो, नहीं, मैंने कहा कि अश्रु गैस के गोले छुड़वाना चाहते हो कि नहीं। तो मैंने कहा कि कलक्टर ऐसी कौनसी बड़ी हस्ती है कि जयपुर में जहां दस बारह हजार आदमी कलेक्ट्रेट के सामने खड़े हैं, आपको माला तो पहनाएंगे नहीं लेकिन कोई आपकी आलोचना नहीं करेगा। पानी की समस्या है, उनका ज्ञापन लेकर आ जाओ। कलक्टर फिर तैयार हुए और वहां चले और हुआ ऐसा कि भाषण तो मैं देना चाहता था पानी के मामले में और कलक्टर ने माइक लेकर भाषण देकर सारी भीड़ को रवाना कर दिया। आफिसर अगर इस प्रकार की बुद्धि से काम लेता है तो उसे नाराजगी प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। उस आफिसर की तारीफ करनी चाहिए जिस आफिसर ने इस झगड़े को अवाइड करने के लिए सारे रास्ते की व्यवस्था की, वहां पर सब प्रकार की व्यवस्था की और उस व्यवस्था के बाद में काम हो सका। उसमें वहां प्रशासन ऐसा हो गया केवल इस बात के लिए हो गया कि कलक्टर मन्दिर के पास ज्ञापन लेने के लिए क्यों चला गया। मैं समझता हूं कि ज्ञापन लेकर उसने समझदारी का काम किया। उसने कोई इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की। सभापति महोदय, जहां साम्प्रदायिक तनाव की बात कर रहे हैं मैं समझता हूं माथुर साहब राजस्थान में साम्प्रदायिक तनाव कोई पहली बार आज नहीं हुआ यह सही है कि जो जयपुर में हुआ उसका मुझे आज भी दुःख है, जबर्दस्त दुःख है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। (व्यवधान) आप सुन तो लीजिए। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि देश में साम्प्रदायिक तनाव हो, उससे कम से कम मुझे और मेरी पार्टी को तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

खुशी होने वाली नहीं है। आज आप समझें कि वोट के लालच में साम्प्रदायिक तनाव कराये जावे अगर यही सही है तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि कौन आदमी होगा, इस विधान सभा में बैठे हुए जो राम के पक्ष में नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं नहीं हूं।

श्री जुबेर खां : राम भक्तों की संख्या कम कर दी। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : एक भी आदमी इस पक्ष में नहीं है कि मस्जिद तोड़ना चाहे। यह बात आप कहो तो हम ताली बजायेंगे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं भी इस पक्ष में हूं कि मस्जिद नहीं तोड़ी जाये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : यह मस्जिद तोड़कर मन्दिर बनाने की बात बहुत खराब है। इसीलिए वातावरण बिगड़ रहा है।

श्री सभापति : कृपया बिराजिये।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : मस्जिद नहीं टूटेगी तो झगड़ा नहीं होगा हिन्दुस्तान में।

श्री सभापति : कृपया डिस्टर्ब मत कीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज सारे देश में समाज की मान्यता है....

श्री चन्दनमल बैद : आपने बात कही कि मस्जिद तोड़ने के पक्ष के नहीं है तो तालियां इधर से ही बजी, उधर से नहीं बजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे खुशी है कि आप मेरी बात पर तालियां बजाने तक तो आए।

श्री चन्दनमल बैद : हमेशा तालियां बजायेंगे लेकिन जब ताली नहीं बजायेंगे जब असत्य बात कहेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, यह टोका-टाकी करेंगे तो कोई नहीं बोल पायेगा। मैं कांग्रेस के चीफ ह्वीप से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का व्यवहार नहीं करें। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मस्जिद तोड़ने की बात आई कहां से, किसने कही मस्जिद तोड़ने की बात। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजिये।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्री जी ने तोड़ने की बात तो नहीं कही है। लेकिन प्रेम से हटाकर दूसरी जगह रखने की बात कही है। मतलब क्या है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, यह बात तो सही है कि परसराम मदेरणा जी ने इस बात को स्वीकार किया कि मस्जिद तोड़ने की बात किसी ने नहीं कही।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मस्जिद के गुम्बज कौन तोड़ रहा था ?

श्री सभापति : यह सही नहीं कि भाषण के प्रत्येक सेन्टेन्स पर आप टोकें। कृपया सुनने का कष्ट कीजिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारे हिन्दू समाज की भावना है कि जहां राम का जन्म हुआ उस जमीन, स्थान पर राम का मन्दिर बनना चाहिए। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : सारे दूसरी बात कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जनता की एक ही भावना है, आपकी नहीं होगी। मुझे इस बात की खुशी है कि डा. चन्द्रभान जी ने इस बात को माना कि मन्दिर बनना चाहिए।

डा. चन्द्रभान : लेकिन बाबरी मस्जिद भी नहीं टूटनी चाहिए।

श्री नत्थीसिंह : विश्वनाथ प्रतापसिंह-जी ने कहा था कि हम बना दें मन्दिर लेकिन मस्जिद नहीं हटेगी। वह तो हटेगी ना, टूटेगी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इसी राम मन्दिर को वोट लेने का अपन माध्यम बनायेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : राज टूटता ही नहीं।

श्री केदारनाथ शर्मा : अगर यह मान जाते तो राज ही क्यों जाता।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं यही कह रहा हूं कि राम से मत भिड़ो। राम से भिड़े तो एक राज तो जाते हुए आपने देख लिया और दूसरा राज भी पीछे पीछे जाते हुए देख लिया। राम से टक्कर मत लो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुख्य मंत्रीजी आप ही की आठ सीटें रह जायेंगी। राजस्थान के अन्दर। और हिन्दुस्तान के अन्दर।

श्री नत्थीसिंह : मुख्य मंत्रीजी यह तो आप भी जानते हैं कि जिस फार्मूले को लेकर आप गये थे, अटलजी गये थे जसवंत जी ने हाथ से लिखा था। वह सरकार ने मान लिया लेकिन आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने नहीं माना। पार्टी ना ही जयपुर में आपकी बात मानती है न भीलवाड़ा में आपकी बात मानती है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं नत्थीसिंह जी, मैं तो केवल आपको सावधान करना चाहता हूं। देखिये इस शिलान्यास के बाद उस समय के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को पराजित होना पड़ा। होना पड़ा मानते हो ना आप। और आरोप उन पर यह लगाया कि राम....

श्री नत्थीसिंह : हमने कुछ और ही सीखा। आपने हमने कोई दूसरे मुद्दे उठाए थे शिलान्यास नहीं जिससे पराजित हुए। भूल गये वह मुद्दे।

डा. चन्द्रभान : बोफोर्स के थे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : बात तो सुनो। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि उसके बाद जो एनेलेसिस किया उसकी कापी मेरे पास भी मिल जाएगी। उसमें इस बात का उल्लेख है। मैं बता रहा हूं....

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

(व्यवधान) आप बात तो सुनो। राम के नाम पर साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाया गया और उसी के कारण कांग्रेस पराजित हुई। आप नहीं मानते ? आप फिर क्यों हारे ?

श्री चन्दनमल बैद : आपके प्रचार से असत्य इरादे से....(व्यवधान)

(2.25 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपने बोफोर्स का असत्य मुद्दा उठाकर जनता को गुमराह किया हिन्दुस्तान की जनता को। हम तो आपको कहते हैं कि....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट आप विराजिये। आप जवाब सुनना चाहते हैं ? मेहरबानी करके सुनिये।

श्री नत्थीसिंह : बड़े प्रेम से सुन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप मेहरबानी करके व्यवधान नहीं करें। इन्ट्रप्शन का भी एक तरीका होता है।

एक माननीय सदस्य : आप जवाब सुनवाइये। भीलवाड़ा के ऊपर प्रश्न था.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्ट्रप्शन का भी एक तरीका होता है। इन्ट्रप्शन की भी एक परम्परा है, व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। कृपया इन्ट्रप्शन उस तरीके से करिये। सब खड़े होकर एक साथ कर रहे हैं। बिराजिये आप। फिर आप खड़े हो गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं उन्हीं बातों का जवाब दे रहा था जो विपक्ष की तरफ से उठायी गई। हमारी तरफ से कोई नई बात नहीं है। मैं माननीय नत्थीसिंह जी के सवाल का जवाब दे रहा था। यह कह रहे थे उनके नेता, सरकार के नेता थे दिल्ली की सरकार के नेता थे, उस समय आपको जानकारी है कि उन्होंने एक आर्डिनेन्स इश्यू किया था।

श्री नत्थीसिंह : जो लिखकर दिया वह किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे इस बात की खुशी है कि आपके प्रधानमंत्री मेरे लिखे हुए के अनुसार चलते थे।

श्री नत्थीसिंह : आप तो हमारे साथ सहयोगी थे। + + +

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल सही है। लेकिन आप सुनो तो सही। प्रधान मंत्री उनके हैं, और काबू में मेरे हैं। अब इसका अन्दाज लगा लो आप। (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : प्रधान मंत्री को काबू में रखने की कोशिश की है। यह राजस्थान पत्रिका में निकला है कि चन्द्रशेखर जी को बनाया तो भैरोंसिंहजी ने ही बनाया और किसी का नहीं लिखा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या बनाया ?

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री नत्थीसिंह : आप वहां गये ना कि लोक सभा भंग हो या नहीं हो, कहीं सहयोग नहीं हो जाये कांग्रेस से आपका। तो सारे सम्पादकों का एक ही अर्थ है कि भैरोंसिंह जी शेखावत पहुंच गये और उन्होंने ठीक-ठाक कर दिया चन्द्रशेखरजी को, नहीं तो वह बहक जाते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं तो अपने आपको राजस्थान का मुख्य मंत्री होना सौभाग्यशाली मानता हूं कि प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रतापसिंह जी मेरे काबू में हैं और चन्द्रशेखर जी मेरे काबू में है। अब इससे आप अन्दाज लगा लीजिए।

श्री नत्थीसिंह : लेकिन खुद की पार्टी आपके काबू में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब किसी की पार्टी किसके काबू में है, अगर विश्वनाथ प्रतापसिंह जी के काबू में पार्टी होती तो इसके तीन टुकड़े सारे हिन्दुस्तान भर में नहीं होते। (व्यवधान) मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि विश्वनाथ प्रतापसिंह जी और चन्द्रशेखर जी के बीच में न लाएं तो ज्यादा अच्छा है। हम आपस में ही निपट लें तो ज्यादा ठीक रहेगा।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि ये प्रश्न भावनाओं से जुड़ गये और भावनाओं को किस प्रकार से इस ढंग से चेनेलाइज किया जाय कि हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिक तनाव न हो। मैं आपको बता दूं, आप चाहे मुझ पर कितने ही आरोप लगायें, मैंने जब चन्द्रशेखर जी और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से इस सम्बन्ध में बातचीत की थी तो बातचीत का केवल आधार था कि किस प्रकार से तनाव कम हो और आपस में किसी प्रकार का साम्प्रदायिक सौहार्द्र न बिगड़े। यह मैं आपको आज कह सकता हूं आप चाहे मानें या न मानें कि पिछले 10 वर्षों से इस बात की कोशिश कर रही थी कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और विश्व हिन्दू परिषद् दोनों मिलकर इसका फैसला करें। लगातार इस बात की मांग हो रही थी। आप कम से कम इस बात की क्रेडिट तो मुझे दे देते कि इन दोनों को ले जा करके मैंने एक मेज पर आमने-सामने बैठा दिया। क्या आप यह चाहते हैं कि मेज पर बैठाने के पीछे यह धारणा थी कि साम्प्रदायिक तनाव बढ़े? केवल मात्र धारणा यह थी कि आपस में बैठेंगे तो साम्प्रदायिक तनाव कम होगा, आपस में बातचीत का रास्ता खुलेगा। एक आदमी अपने पक्ष का और दूसरा अपने पक्ष का मामला आपस में बैठकर विचार करेंगे। उस समय तक क्या हुआ था? बहुत लोगों ने कोशिश की, सारे समाचार पत्रों ने एडिटोरियल लिखे कि दोनों बैठकर आपस में फैसला कर लें लेकिन दोनों को कोई एक जगह नहीं ला सका। यह हमारी पार्टी की इच्छा थी कि उस पार्टी ने मुझे अधिकृत किया और मैंने सारे पक्षों से बातचीत करके उनको आमने-सामने बैठा दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिन्दू परिषद् इन दोनों के ऊपर साम्प्रदायिकता का आरोप लगाते हुए यहां तक चले जाय कि गृह मंत्री जी तो कह ही नहीं रहे हैं कि दुकानें जलीं और यहां कहा जा रहा है कि दुकानों को जलाया गया और दुकानों को लूटा गया। देवेन्द्र सिंहजी के बारे में तो मैं कह नहीं सकता वे भीलवाड़ा में हों लेकिन... (व्यवधान) मैं तो सबसे यह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कह रहा हूं। केवल आप भीलवाड़ा में हों तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी तक आप लोगों में से भीलवाड़ा में कोई गया नहीं और आप विवरण इस प्रकार रख रहे हैं कि लाठी चार्ज जैसे आपके सामने हुआ हो, पत्थरबाजी आपके सामने हुई हो, गंगा मन्दिर के सामने कलक्टर ने घुटने आपके सामने टेके हों, वहां पर दुकानें आपके सामने जली हों, दुकानें आपके सामने लुटी हों। इस प्रकार का विवरण कोई प्रत्यक्षदर्शी दे सकता है लेकिन आप तो बिना देखे ही इस तरह की अनर्गल बात कर रहे हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं है।

एक माननीय सदस्य : क्या आप देख कर आये हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता दूं, आप कम से कम इस बात की दाद दें। मैंने सुबह पहले गृह मंत्री जी को कहा कि प्रधानमंत्री चित्तौड़ आ रहे हैं। आप चित्तौड़ बाद में जायं पहले आप भीलवाड़ा में सब लोगों से मिल करके इस टेंशन को खत्म करिये।

श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा) : गृह मंत्रीजी भीलवाड़ा गए। सिर्फ आपकी पार्टी के लोगों से इसलिए मिले कि वह झगड़ा बराबर रहे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कुछ भी कहें मुझे उस पर आपत्ति नहीं है। मैंने तो केवल एक बात की।....

श्री देवेन्द्र सिंह : आज भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप वहां शान्ति कराना चाहते हैं तो इनको आप कह दें कि सब दलों के लोगों से मिलें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मैं करूंगा। यह आपका कहना सही है। यह सही है कि आप लोगों को शामिल लेना चाहिए क्योंकि आपको शामिल किए बिना शान्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री देवेन्द्र सिंह : शान्ति कराने वाले हम लोग हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : मुख्य मंत्रीजी, हम आपसे यह तो अपेक्षा नहीं रखते थे कि विपक्ष के लिए आप इस तरह से बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी मांग की गयी कि मुझे त्यागपत्र देना चाहिए। आप मांग करें, वाजिब है। मैं समझता हूं कि यदि इसी प्रकार से सरकार को बर्खास्त किया जाय, भंग किया जाय, इस प्रकार की मांग की गई है, मैं ऐसा समझता हूं कि आप अपनी छाती पर हाथ रख कर देखें तो हिन्दुस्तान में जो साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं....

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़) : यह तो आप हमेशा ही इस बात को कहते हैं और उदाहरण भी देते हैं। हमारे नेता ने सीधी जुडिशियल इन्क्वायरी की बात कही है उसको आप स्वीकार क्यों नहीं करते ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने बीगोद में, मांडलगढ़ में इन्क्वायरी कराई है ?

श्री शिवचरण माथुर : कोटा में कराई ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोटा में कराई तो 18 आदमी मरे थे। आपकी कांस्टीट्यूएंसी में बीगोद में दंगे हुए, आपकी कांस्टीट्यूएंसी में नन्द गांव में दंगे हुए। इन सारे दंगों की आपने जुडिशियल इन्क्वायरी कराई ?

श्री शिवचरण माथुर : इनका प्रश्न नहीं उठा। कोटा में जहां जुडिशियल इन्क्वायरी की मांग आई। यहां भी विचार करना होगा कि जुडिशियल इन्क्वायरी करने का प्रश्न होता है क्या ?(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनूं): इन्होंने तो नहीं कराई तो क्या आप भी नहीं करायेंगे ?

श्री नत्थीसिंह : क्या आप इनके ही पद चिह्नों पर चल रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपका भी जवाब दूंगा। नत्थीसिंह जी इन पद चिह्नों पर मैं चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं यह तो सदन जानता है लेकिन यह निश्चित बात है कि इनके पद चिह्नों पर आप चल रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : न हम इनके पद चिह्नों पर चल रहे हैं और न आपको बरूसने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि नत्थीसिंह जी के पद चिह्न तो सब जगह हैं।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक गम्भीर घटना है, इसे साइड ट्रेक न करें और अयोध्या को छोड़ दें। अयोध्या और भीलवाड़ा अलग-अलग जगह हैं। आप केवल भीलवाड़ा के सम्बन्ध में कुछ कहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और किसी की बात मानूं या न मानूं लेकिन पंडित जी आपकी बात मैं मानता हूं। यदि आपने जिस समय माननीय सदस्य बोल रहे थे, राम का और बाकी का जिक्र कर रहे थे और साम्प्रदायिकता के आरोप लगा रहे थे तो कोई रोक देता तो मैं भाषण नहीं देता। (व्यवधान) ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा की जो सारी घटना हुई है उस घटना को सरकार ने रोका इस बात को आपने स्वीकार किया। ऐसा मैं समझता हूं कि उस समय सरकार रोकथाम नहीं करती तो दंगों का क्या स्वरूप होता इसका केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। अब आप अन्दाज लगाइये कि जैसा मैंने कहा कि दंगे चाहे कोई करें मैं मेरे अलावा यदि परिवार के लोग भी दंगे में शामिल होंगे, मेरी पार्टी के लोग शामिल होंगे, विश्व हिन्दू परिषद के लोग शामिल होंगे, बजरंग दल के या और कोई पार्टी के लोग शामिल होंगे तो कानून कानून के हिसाब से चलेगा, किसी के साथ कोई रियायत नहीं होगी। यह मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं और इसका प्रमाण दूसरा मिल नहीं सकता। आपने कहा बी. जे. पी. जुलूस निकाल रही है, विश्व हिन्दू परिषद जुलूस निकाल रहा है, आपने कहा बजरंग दल जुलूस निकाल रहा था और राजस्थान का मुख्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी का और वह आदेश दे दें कि जुलूस आगे नहीं बढ़ेगा ? तो इससे आप क्या समझेंगे। कम से कम मेरी नीयत पर और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पार्टी की नीयत पर आपको सन्देह नहीं करना होगा । (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : आपकी पार्टी आपकी बात मानती कहां है ? आपको तो चाहती है आप हट जावो, आप कुर्सी छोड़ दो, आपको पलीता लगा रहे हैं। आपकी पार्टी वाले गृह मंत्री जी को भी ले डूबेंगे।

डा चन्द्रभान : ये विश्व हिन्दू परिषद् वाले भारतीय जनता पार्टी को सुरजीतसिंह बरनाला बना देंगे ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : चन्द्रभानजी आप बैठ जावो ।, यह बात भी सही है कि पार्टी के कारण ही मैं मुख्य मंत्री बना हूं । (व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिए। पार्टी ही साथ नहीं होगी तो यह भी सही है कि मैं मुख्य मंत्री नहीं रहूंगा । (व्यवधान) ये दलबदलू यहां बैठे हैं। गुजरात में उस सरकार का समर्थन कौन कर रहा है ? उत्तर प्रदेश में कौन समर्थन दे रहा है ? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : समर्थन देना बात दूसरी है, सरकार में शामिल होना बात दूसरी है । आपने तो राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह को ऐसा धोखा दिया कि चारों खाने चित्त आए । जिनके सहारे कुर्सी प्राप्त की उन्हीं को धोखा दिया ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जिस समय आप राज्य मंत्री थे, गृह विभाग या कुछ लिखा हुआ था, माथुर साहब या चन्दनमलजी तो जानते हैं, 1967 के अन्दर गोली चलाई, दल बदलवाया और राज किया, उस समय तो आपको + + + नहीं आई ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : तब दलबदल कानून नहीं था, 1967 के अन्दर दलबदल कानून नहीं लागू था । और आपने यू. पी. में क्या किया था ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : और आपने अब कर लिया, वह सारे काम आपने अब कर लिये ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हमारी तो आपसे ज्यूडीशियल इन्क्वायरी की मांग है, आप इसको स्वीकार करें ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरे बोलने से कितनी पीड़ा हो रही है ? मैं तो इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक अजीब बात कही कि उस समय दल-बदल कानून लागू नहीं था । इसका मतलब अगर चोरी बनने का कानून नहीं हुआ होता तो चोरी करने का अधिकार होगा । अब मैं यह कहता हूं कि हिन्दुस्तान में पहला दलबदल, माथुर साहब, आपने भी वह पुस्तक पढ़ी होगी, पहला दलबदल राजस्थान में हुआ था । यह दलबदल शुरू राजस्थान में हुआ है और इस दल बदल के कारण से कई बार आपकी सरकार बनी है । कम से कम आप तो दल बदल की बात मत करिये ।

श्री ईश्वर लाल सैनी : कानून भी हमारी सरकार ने बनाया है ।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां-हां, ठीक है। इसको मैं दल बदल नहीं कहता। आखिर वैचारिक मतभेद होते हैं, वैचारिक मतभेद के आधार पर पार्टी में स्पिलिट हुई है और आप यह समझते हैं कि पार्टी में वैचारिक मतभेदों के आधार पर....

श्री शिवचरण माथुर : प्रभावित कर रहे हैं मुख्य मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ?

श्री अध्यक्ष : आप सभी मुझे प्रभावित करने की कोशिश करें....

श्री शिवचरण माथुर : आपको प्रभावित कर रहे हैं मुख्य मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष : मैं काला कोट पहन कर बैठा हूं उस पर मेरे को कोई रंग नहीं चढ़ेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अध्यक्ष महोदय को जानता हूं....

श्री शिवचरण माथुर : आप जब कह रहे हैं कि विचारों में मतभेद था, आप अध्यक्ष महोदय को प्रभावित करना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना बता दूं, आप अध्यक्ष महोदय को जानते नहीं, मैं चालीस वर्ष से साथ हूं, यह व्यक्ति किसी से प्रभावित होता हो, यह तो मैंने आज तक मेरे जन्म में नहीं देखा और अब इसलिए मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि दल बदल के मामले में आपको इतनी चिड़ क्यों पैदा हो रही है ? जहां दल बदल नहीं है, लोकतन्त्र में वैचारिक मतभेद को किस सीमा तक हम ले जा सकते हैं उसकी सीमा बंधी हुई है। यह वैचारिक मतभेद था और उस मतभेद के कारण से लोग इधर आ गये...

श्री नत्थीसिंह : इसलिए मजबूरी थी, आपको 18-18 बनाने पड़े। वैचारिक मतभेद वहीं पुरा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नत्थीसिंहजी, आप कम से कम इतना तो ध्यान रखिये कि आपने जब पार्टी से अलग होने की घोषणा की, कांग्रेस वालों के साथ मिलने की तैयारी कर ली थी।

श्री नत्थीसिंह : बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। बिल्कुल असत्य बात है। सरासर असत्य है। हमने कहा कि हम कांग्रेस के साथ कतई नहीं मिलेंगे। दिल्ली से फैसला हुआ, यहां हुआ। असत्य बात करते हैं....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नत्थी सिंह जी ने मंत्री बनने की तैयारी कर ली थी। कांग्रेस के साथ मिल कर नत्थीसिंह जी मुख्य मंत्री बनने की तैयारी में थे....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, हम उस दल के सदस्यों ने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे....

श्रीमती उजला अरोड़ा : हाथ मिलाकर फोटो खिचाया है, फोटो देखिये।

डा. चन्द्रभान : हमारा स्टैण्ड क्लियर है। आप भीलवाड़ा के मामले में जवाब दीजिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह दल बदल पर बहस हो रही है क्या ?

(श्री हेतराम बेनीवाल)

अगर यह दल बदल पर बहस हो रही है तो इसको संचालित करने के लिए....

श्री जगमालसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कांग्रेस से मिलकर सरकार बनाने का कोई सवाल नहीं था। अध्यक्ष महोदय, दो तारीख को तो विभाग तक बांट दिये थे और पद बांट दिये थे केबिनेट के और सारे पचपन के पचपन सदस्य मौजूद थे। इनको न केवल यहां की चिन्ता थी बल्कि तर्क यह था कि यहां कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया तो चिमनभाई की सरकार गिर जाएगी। यह तो गुजरात की चिन्ता कर रहे थे।

श्री नत्थीसिंह : कुछ तो सच बोलो.... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्षजी, भीलवाड़ा के कांड को बड़े हल्के तरीके से ले रहे हैं. मुख्य मंत्रीजी, इसको गम्भीरता से लिया जाय....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : केवल न्यायिक जांच की मांग की गई थी, उसको विषय से हटाकर अन्यत्र ले जाया जा रहा है। न्यायिक जांच की मांग स्वीकार करें, किस्सा खत्म हुआ। बार-बार यह कह रहे हैं कि उस वक्त यह हुआ, उस वक्त यह हुआ था इससे आपके इस कांड की महत्ता कम नहीं हो जाती।

श्री अध्यक्ष : अब आप बहुत सीनियर बनने की कोशिश मत करिये। बैठिये आप, बिराजिये। (व्यवधान) प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। आप बैठिये, बैठिये। हो गया।

श्री राजेन्द्र पारीक : इस घटना की अपनी एक महत्ता है।

श्री अध्यक्ष : अपनी मर्यादा से ज्यादा आदमी को नहीं बोलना चाहिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इनको निकाल दें तो अच्छा रहेगा।

एक माननीय सदस्य : आप भीलवाड़ा के सम्बन्ध में बोलिये। इतना गम्भीर मुद्दा है, कहां का कहां ले जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बैठिये। कृपया....

श्री हेतराम बेनीवाल : एक बार महावीर जी को भी कहिये। दोनों तरफ देखें आप।

श्री प्रेमसिंह दहिया : भीलवाड़ा की न्यायिक जांच करवाइये।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्षजी, हमारा यह अनुरोध है, हम बीच में कोई व्यवधान नहीं डालना चाहते लेकिन मुख्य मंत्रीजी भीलवाड़ा के बारे में अपना वक्तव्य तो दें। भीलवाड़ा के वक्तव्य में बीच में नहीं बोलेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो अब तक भीलवाड़ा के विषय में बोल रहा था। माननीय सदस्यों ने जो आपत्ति की उनका यदि उत्तर नहीं दूं तो माननीय सदस्य यह मान सकते हैं कि उनको मुख्य मंत्री ने इग्नोर किया।

श्री सम्पत सिंह : झगड़ा खत्म हो जाय, मन्त्रिमण्डल और बढ़ा लो। मन्त्रिमण्डल और बढ़ जाय, झगड़ा ही खत्म हो जाय।

श्री नत्थीसिंह : काहे को बढ़ाओ। विधान सभा भंग करो और सब में ही चुनाव करा लो, पता चल जायेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुख्य मंत्रीजी, अब दुःख तो हमें इस बात का हो रहा है कि तमाम जिन्दगी तो आपने दल बदल की भर्त्सना की यहां से, और आज आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। हमें बहुत अफसोस हो रहा है इस बात का।

श्री नत्थीसिंह : मजबूरी है।

श्री सम्पतसिंह : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : आप सुमित्राजी पर पाइन्ट आफ आर्डर ला रहे हैं ?

श्री सम्पतसिंह : नहीं।

श्री अध्यक्ष : तो ?

श्री सम्पतसिंह : हां, उन्हीं पर। मैं बहुत गम्भीरता से निवेदन करता हूं इस सदन में, आपके कार्यालय में दल बदल पर पिटीशन्स जारी हैं और उन पर अन्वेषण जारी है और दल बदल पर इस तरह रिफ्लेक्शन होगा। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं, अपनी-अपनी पार्टी से और खास तौर से....(व्यवधान) सुन लीजिए। अगर आप कहते हैं तो सुनने का भी माद्दा रखना चाहिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्षजी ने परमिशन दी किसलिये है, आप हमसे किस लिए पूछ रहे हैं ?

श्री सम्पतसिंह : हां, तो अध्यक्षजी से ही मैं निवेदन कर रहा हूं। आप कम से कम उनसे यह पूछ लें, खास तौर से जनता दल के सदस्यों से, कि वह भारतीय जनता पार्टी के साझे में चुनाव लड़े थे या नहीं लड़े थे ? दल हमने बदला या इन्होंने बदला ?

श्री नत्थीसिंह : बिल्कुल नहीं लड़े थे साझे में। यह बात असत्य है। हमने सीटों का समझौता करके चुनाव लड़ा था।

श्री सम्पतसिंह : आप भारतीय जनता पार्टी का झण्डा लेकर चुनाव लड़े थे।

श्री नत्थीसिंह : आपने लगाया होगा, मैंने तो भारतीय जनता पार्टी का कभी झंडा नहीं लगाया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। आपने कहा है कि इन्टरप्शन नहीं करेंगे।

श्री सम्पतसिंह : अध्यक्ष महोदय, कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य जब राज्य सभा में कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे और फिर लोक दल में आये, वह क्या था ?

श्री नत्थीसिंह : वह था और जिसके पीछे-पीछे लगेत्तर की तरह आप फिरते रहे, आज तक पिताजी कहते रहे, गुरूजी कहते रहे और उस दिन +++ वह क्या था ?

श्री सम्पतसिंह : आप जब सारी उम्र

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

132

(श्री सम्पतसिंह)

+++हमने एक दिन+++ तो ऐसी कौनसी आफत आ गई ।

श्री नत्थीसिंह : आपको तो मैं जानता हूं, कैसे टिके हुए हो, क्या हो और अब क्या होओगे ? यह मैं जानता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप एक-दूसरे की अच्छी तरह जानते हैं, यहां नहीं बतायें । (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : यह पहले+++इस लिए मंत्री बन रहे हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपनी जानकारी यहां नहीं दें तो अच्छा हो । माननीय मुख्य मंत्रीजी ।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री जी जो बात कह रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये अब, प्लीज ।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रीजी कह रहे हैं कि हम लोग मिल कर चुनाव लड़े थे....

श्री अध्यक्ष : अब आप अपना परिचय क्यों दे रहे हैं ? आप बिराजिए ।

डा. चन्द्रभान : लेकिन इन्होंने विश्वनाथ प्रतापसिंह की सरकार को गिराया, यह भी जनता जानती है ।

श्री अध्यक्ष : फिर वही बात ? बिराजिये । माननीय मुख्य मंत्रीजी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह दल-बदल की बात बार-बार उठी थी इसलिए मैंने इस प्रसंग में कुछ बातें कही । मैं इस प्रसंग में नहीं जाना चाहता लेकिन अभी नत्थीसिंह जी ने एक बात विचित्र कही । मैं ऐसा समझता हूं कि अगर मैं साम्प्रदायिक होता और मेरी पार्टी साम्प्रदायिक होती....

श्री नत्थीसिंह : मैंने तो कभी नहीं कहा ।

एक माननीय सदस्य : आपके लिए नहीं कहा है, पार्टी है....

श्री नत्थीसिंह : कहां से सुनी, यह बात ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, अध्यक्ष महोदय, आज सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्रीजी तो यह कह रहे हैं कि अध्यक्ष जी को चालीस साल से देख रहा हूं, किसी चीज से प्रभावित होते नहीं और उनके मंत्रिमण्डल के सदस्य कह रहे हैं कि दल-बदल पर यहां चर्चा होगी तो उसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा । मतलब नेता की बात को ही आप काट रहे हैं ।

श्री सम्पतसिंह : इस सदन की परम्पराओं की जब आप दुहाई देते हैं तो आपको अपने पक्ष में परम्पराएं माननी चाहिए ।

श्री नत्थीसिंह : परम्परा, परम्परा । आहा-आहा....

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री सम्पतसिंह : यह मोड़े से आहा-आहा करने का कोई शब्द संसद में नहीं है....

श्री नत्थीसिंह : + + +

श्री सम्पतसिंह : यह को-ऑपरेटिव बैंक नहीं है, राज्य की विधान सभा है, यहां तर्क चलते हैं।

श्री नत्थीसिंह : + + + नहीं चलता है यहां और अभी तो वक्त आ रहा है, वहां पता चलेगा + + +

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य एक-दूसरे को सम्बोधित नहीं करें। यह सदन के नियमों के प्रतिकूल है। कृपया जो बात कहनी है, अध्यक्ष के मार्फत कहें।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्षजी, मुख्य मंत्री के सहयोगी....

श्री अध्यक्ष : आप मुझे कहिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपसे मुखातिब होकर कह रहा हूं कि जिस तरह से मुख्य मंत्री जी के सहयोगी....

श्री रामस्वरूप मीणा : बड़े अफसोस की बात है।

श्री अध्यक्ष : अब मैं इसको समाप्त करना चाहूंगा। अब आप चर्चा ज्यादा नहीं चला सकते।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप इन सब का परिचय करवायें।

श्री अध्यक्ष : अब आप कृपया बैठ जायें। मुख्य मंत्रीजी

श्री हेतराम बेनीवाल : एक-एक का परिचय करवायें।

श्री अध्यक्ष : अब यह चर्चा समाप्त करूंगा मैं, मुख्य मंत्रीजी को समाप्त करने दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मुख्य मंत्रीजी और सदन के नेता महोदय, इस सदन में इस इश्यू को, गैर कांग्रेसवाद को लेकर आपने भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य पर जो आरोप लगाये कि आप कांग्रेस के पास जा रहे थे लेकिन पूरे देश भर में आपने जो चुनाव का प्लांट लिया है वह इतना फ्रेजाइल्ड था और आपका जो गुब्बारा था यह फूट चुका है और गैर कांग्रेसवाद के नाम की कोई चीज नहीं रही है। आनेवाले लोक सभा के जो मध्यावधि चुनाव हैं, मुख्य मंत्री जी, वह जो परिणाम लायेंगे, जो मैं आज कुछ कह करा हूं क्योंकि आपने यह प्लेज लिया। आप इस इश्यू पर चुनाव लड़ें कोई बात नहीं आपका जो प्लेज था वह इतना फ्रेजाइल था इसलिए अपने आपके वेट से वह डिस्मेन्टल हो गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर विषयान्तर होऊंगा अगर परसराम जी का मुझे उत्तर देना है तो।....नहीं दूं ?

कई माननीय सदस्य : भीलवाड़ा।

एक माननीय सदस्य : भीलवाड़ा की बात करो आप तो अभी।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्री महोदय भीलवाड़ा तक ही अपने आपको सीमित रख रहे हैं, कन्फाइण्ड रख रहे हैं

+ + + शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री परसराम मदेरणा)

तो आपके होम मिनिस्टर ने यह स्टेटमेन्ट कि विश्व हिन्दू परिषद् ने पूर्व घोषित कार्य-क्रम के अनुसार जुलूस निकाला और जब भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य स्वयं वहां पर मौजूद थे और वह स्वयं यह कह रहे हैं कि हमारे एक्स भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वहां मौजूद थे और वह यह भी कह रहे हैं कि वर्तमान अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद थे और वह यह भी कह रहे हैं कि वहां पर सम्बोधन करने के लिए विश्व हिन्दू परिषद् के किसी लीडर को आप नहीं कह रहे हो। इन तीनों में यह तय हुआ कि यह सम्बोधन कर देंगे और उसके बाद जुलूस निकल जायेगा। जहां तक ज्ञापन देने का प्रश्न है कुछ भी आपने निर्णय लिया ताकि यह जुलूस आगे नहीं निकले और सरकार वहां बनी रहे लेकिन आपका यह कहना कि आपके भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ही वहां नहीं है केवल विश्व हिन्दू परिषद् के नेतागण और कार्यकर्ता थे और उनसे हमने पहले दिन बात कर ली और 11 तारीख की बात वह मुकर गये, जो उन्होंने आश्वासन दिया था और उस आश्वासन से मुकरने के बाद वह जुलूस निकालने पर आमादा हो रहे थे तो एक वाया मीडिया निकला कि एक मीटिंग कर ली जाये और मीटिंग करने के बाद एड्रेस सम्बोधित करके आप यहां से डिसबर्स हो जाइये। मेरा स्टेट प्रश्न यह है कि यह जो आपका आज पूरा कार्यक्रम है इसमें सिर्फ विश्व हिन्दू परिषद् ही यह जुलूस निकाल रही है या इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसमें सम्मिलित थे। तो होम मिनिस्टर साहब वहां एम. एल. ए. भी मौजूद हैं, दूसरे मौजूद हैं, सब हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक शब्द भी आपने स्टेटमेंट में उल्लेख नहीं किया इसका क्या कारण है ? आप छिपाना क्यों चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपके स्पष्टीकरण के लिए कह दूं कि राम के प्रति जो भावना जागी है उन सबमें हम शामिल हैं।

श्री परसराम मदेरणा : राम की बात तो मैं पहले कह चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर....

(2.52 म. प.)

(श्री यदुनाथसिंह उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, अगर बंसीलाल पटवा वहां गये, आपने शायद सुना होगा कि मैंने भेजा था। श्री बंशीलाल जी पटवा ने कोशिश की, विश्व हिन्दू परिषद् के कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी ने जितनी कोशिश की लेकिन भीड़ में तो सब तरह के लोग होते हैं। अब आप यह कहें उसमें कांग्रेस के कार्य-कर्ता शामिल नहीं थे। अब जहां राम का सवाल आता है न कांग्रेस है, न भारतीय जनता पार्टी है और न विश्व हिन्दू परिषद् है....

श्री देवेन्द्र सिंह : आप एक भी नाम बता दें फलां शामिल था। हम कह रहे हैं कोई शामिल नहीं था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नाम भी बता दूंगा। वहां कांग्रेस है ही नहीं और जो थोड़ी बहुत है वह शामिल थे।

श्री देवेन्द्रसिंह : कांग्रेस तो कैसे नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : राजस्थान का एक प्रमुख अखबार राजस्थान पत्रिका इम्पार्टेण्ट अखबार है। अखबार यह कह रहा है कि ढाई तीन हजार विश्व हिन्दू परिषद् और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। यह अखबार कह रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कब मना कर रहा हूं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने वक्तव्य में यह बातें छिपाई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो वक्तव्य में कहा वह बात इन्होंने भी कही है और मैं भी कह रहा हूं कि विश्व हिन्दू परिषद् ने यह आयोजित किया था। सारे देश भर में किया था। सारे देश में जुलूस निकाले हैं। राजस्थान के सब हिस्सों में जुलूस निकाले हैं। तो मैंने कब कहा कि विश्व हिन्दू परिषद् ने यह नहीं किया और मैं यह भी कहता हूं कि विश्व हिन्दू परिषद् के साथ ही इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गये हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है और इसलिये मैं कहता हूं कि सभी दलों के लोग उसमें शामिल थे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, नहीं। आप इसका सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को ही दें। बाकी और कोई पार्टी के साथ तो बताओ आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह मान लेऊं कि आप लोग जो सब बैठे हैं वह कोई भी इसमें शामिल नहीं था। यह मान लूं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसे साम्प्रदायिक जुलूसों से हमारा कोई लेना-देना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर साम्प्रदायिक दंगों में कांग्रेस शामिल नहीं होती तो यह आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में क्या हुआ ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपकी पार्टी ने करवाये हैं यह। आर. एस. एस. के लोग हैं इसकी जड़ में। सारे हिन्दुस्तान में दंगे करवा रहे हैं और इन दंगों के जरिये कुर्सी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं मिलेगी। मैं भी जानता हूं कि साम्प्रदायिक दंगे होंगे तो समस्यायें कई खड़ी होंगी। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि साम्प्रदायिक दंगे नहीं होने चाहिए और इसी आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर राजनैतिक चर्चा करने के बजाय राजस्थान में साम्प्रदायिक तनाव किस प्रकार से कम हो इसके बारे में यदि कोई कंस्ट्रक्टिव बात कही जाती तो मैं ऐसा समझता हूं कि मैं आप लोगों के साथ बैठकर इस प्रकार का रास्ता निकालने को तैयार हूं जिसके कारण से कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं हो सके और अब यह बात तो आयी नहीं और यहां राम जी को ले आये। अब रामजी को ले आये तो....

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप ला रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो नहीं ला रहा हूं। और वह तो मेरे मन में बैठे हैं। मैं तो लाया नहीं। मेरे तो रामजी मन में हैं ..

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : तब आप कहां थे जब आपकी दो सीटें आयी थीं दिल्ली में ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा तो, उपाध्यक्ष महोदय, रामजी में मन है और इनका राम निकल गया हो तो मुझे पता नहीं है। मैं केवल इसलिये कहना चाहता हूं कि जहां तक यह व्यवस्था आपने की है, इस प्रकार के दंगे हुए मैं समझता हूं कि जितनी आपको पीड़ा है उससे ज्यादा मुझे पीड़ा है। पीड़ा केवल इसी बात की नहीं है कि इस सदन के अन्दर मेरी या मेरी सरकार की आलोचना हुई है या पार्टी की आलोचना हुई है— केवल इस बात की पीड़ा नहीं है— दो व्यक्ति उस गोलीकाण्ड में मरे हैं मुझे इस बात का भी दुःख है कि विपक्ष ने उन दो के ऊपर सद्भावना का एक शब्द भी नहीं कहा....

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं था। उनके लिये भी मांग की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मान लूं कि आपने कही है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जनता दल वालों ने कहा यह सही है कि यह संस्कार भूले नहीं जा सकते। संस्कार धीरे-धीरे भूलेंगे।

डा. चन्द्रभान : विश्व हिन्दू परिषद् का कार्यकर्ता या जनता दल का या कांग्रेस का आखिर वह है तो जनता। पुलिस ने गोली चलाई। पुलिस की गोली से मरे इसलिए मैंने कहा। और कोई विश्व हिन्दू परिषद् या आर. एस. एस. के संस्कार नहीं हैं मेरे अन्दर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अन्त में एक ही बात कहना चाहता हूं कि गोलीकाण्ड हो जाये और सारे गोलीकाण्ड के बाद में विपक्ष को पहली बार हिन्दुस्तान में यह मौका मिला है कि प्रशासन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा है....

डा. चन्द्रभान : कैसे नहीं कहा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कांग्रेस के लोगों ने पुलिस की तारीफ की है। गोलीकाण्ड हो जाये और पुलिस की तारीफ करें....

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपकी भी तारीफ की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहली बार आपको आभार व्यक्त कर दिया। आपने पुलिस की प्रशंसा की उसका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : आपके राज्य की आपके प्रशासन की तारीफ की है लेकिन आपकी पार्टी की बुराई की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह सही है आपने मेरी तारीफ की। मैं मुख्य मंत्री हूं और मैंने रोकथाम के लिये या विरोधात्मक कार्यवाही की उसकी आपने प्रशंसा की और पुलिस की आपने बुराई नहीं की और दो तीन माननीय सदस्यों ने कहा कि पुलिस ने जो एक्शन लिया वह वाजिब था। मैं तो केवल एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि आज तक राजस्थान विधान सभा के इतिहास में इस प्रकार की घटना हो जाये और पुलिस की तारीफ हो यह बात नहीं है लेकिन पुलिस ने तारीफ वाला काम किया इसलिये आपको तारीफ करनी पड़ी है अब पुलिस की तारीफ कर रहे हैं। लोगों ने रोकने की कोशिश की और यहां आप कह रहे हैं कि जुडिशियल इन्क्वायरी के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय माननीय गृह मंत्री जी जवाब देना चाहते थे केवल समय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मांगा था। आज सुबह यह आये, मैं भी सुबह आया, सारे घटनाक्रम की जानकारी चाहे दूरभाष से मिलती हो, चाहे टेलीफोन से मिलती हो, लेकिन यह तो विश्वास करेंगे कि आज जिस प्रकार की व्यवस्था है उस व्यवस्था में घटनाक्रम की सही ब्यौरेवार कोई जानकारी मिल जाय, यह सम्भव नहीं है। लेकिन मैंने जब कल इनसे कहा कि आप सीधे भीलवाड़ा जाइये, मौके पर जाइये, सारी चीजों को देखकर आइये, देखने के बाद में कल विधान सभा में स्टेटमेंट देना पड़ेगा। मैंने सुबह आते ही टेलीफोन किया कि विधान सभा में इस मामले को उठाया जायगा, पूरी तैयारी करके हमें चलना है। अब तैयारी करने में आप यह समझें कि सारा घटनाक्रम हमको यहां बैठे-बैठे मालूम हो जाय या आफिसर्स भी हमको दे दें, आज आफिसर्स के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि पूरा जिला बन्द है; अब उस जिले के बन्द होने के कारण से उसकी व्यवस्था करें या इस घटनाक्रम के एक-एक आंकड़े वह लिखकर भेजें कि सवा चार बजे क्या हुआ, दो बजे क्या हुआ, एक बजे क्या हुआ, किस आदमी ने पत्थर फेंके, किस मकान से पत्थर फेंके, कहां से गोली चली, किसके लगी, हॉस्पिटल कौन पहुंचा और यदि दूसरे दिन कोई दंगे हो जाय तो आप कहेंगे कि सारी पुलिस भीलवाड़ा में इस दंगे के काम में लगी थी और पूरा जिला बन्द पड़ा था उस समय पुलिस ने कोई इन्तजाम नहीं किया, मैं समझता हूं मुख्य मंत्री रहे हैं शिवचरण जी माथुर, इनको पता होगा कि कितनी और किस प्रकार की जिम्मेदारी रहती है मुख्यमंत्री की और प्रशासन की, इसलिए कम से कम इनकी तो सहानुभूति इस मामले में मेरे साथ ही होनी चाहिये। (व्यवधान) आपने धन्यवाद दिया है इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। और इस आधार पर जब तक पूरी जानकारी राज्य सरकार को तथ्यवार, ब्यौरेवार प्राप्त नहीं होगी उस समय किसी प्रकार की जुडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा करना उचित नहीं होगा। इसलिये जब भी मेरे पास जानकारी आयेगी, मुझे कोई संकोच नहीं होगा कि अगर कोई विवादास्पद मामले रहे और जुडिशियल इन्क्वायरी से ही उनका निर्णय होना है, वह करवाई जायेगी। लेकिन इस समय ऐसे तथ्य नहीं हैं और जो तथ्य सदन में दिये हैं वह तो पुलिस की तारीफ हुई है इसलिये कोई जुडिशियल इन्क्वायरी कराने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बस अब समाप्त हुआ। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : न्यायिक जांच होनी चाहिये।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा मामला है, यह तनाव क्यों हुआ, झगड़ा क्यों हुआ, आदमी क्यों मरे, इस सबकी न्यायिक जांच होनी चाहिये। पुलिस का क्या रोल है इसकी भी। लेकिन मुख्य मंत्री जी सरकार चलाते हुए कहते हैं कि हमारे पास तथ्य नहीं हैं यह बिल्कुल इस मामले को टालना चाहते हैं राजनैतिक रूप से। इसके खिलाफ मैं मेरा दल जनता दल बहिर्गमन कर रहा

(श्री नत्थीसिंह)

है। (व्यवधान) इनकी नीतियों के खिलाफ बहिर्गमन करता हूं।

(जनता दल के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस दल यह मांग करता है कि बी.जे.पी. और विश्व हिन्दू परिषद् का दंगे भड़काने के अन्दर जुलूस के अन्दर जो रोल रहा उसकी न्यायिक जांच की जावे, जो साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं उनकी जांच की जावे। चूंकि मुख्य मंत्री ने हमारी मांग स्वीकार नहीं की है इसलिये हमारा दल भी सदन से बायकाट करता है, उपाध्यक्ष महोदय।

(कांग्रेस (आई) के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : चलिये, पधारिये।

295। माननीय सदस्य, शांति बनाए रखें।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री): बीगोद का स्टेटमेंट।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में। 295 के बाद है।

श्री दिग्विजय सिंह : बीगोद का स्टेटमेंट अध्यक्षजी की व्यवस्था थी।

श्री उपाध्यक्ष : 295 के बाद। श्री लक्ष्मी चन्द मेहता।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

सांचोर में अध्यापकों की कमी

श्री लक्ष्मी चन्द मेहता (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 295 के अन्तर्गत एक नोटिस दिया है। जालौर जिले की सांचोर पंचायत समिति में राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों एवं द्वितीय वेतन शृंखला के अध्यापकों की कमी साल भर से होने से राज्य में पाठशालाओं में अनुशासनहीनता एवं बालकों की शिक्षा पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जिस सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री जी का बार-बार ध्यानाकर्षण करने के पश्चात् भी कोई नियुक्तियां नहीं की गई हैं, अतः इस विषय को सदन में उठाना चाहता हूं। कृपया कार्य संचालन की नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत इस प्रश्न को उठाने की अनुमति दिलाई जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां सांचोर, हाडेचा, जाब, मालवाड़ा, धरावला डूंगरी हायर सैकण्डरी पाठशालायें हैं और जाब में तो दो साल से न प्रधानाध्यापक है और 14 अध्यापकों की पोस्टिंग नहीं हुई है गये साल से। इस साल भी अब तक न प्रधानाध्यापक लगे, न हाडेचा में, न सांचोर में। इस प्रकार अध्यापकों की कमी होने के कारण बच्चों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय जी से मिला। पूर्व शिक्षा डायरेक्टर माननीय ललितजी पंवार से भी मिला था। मगर आज दिन तक उनका पोस्टिंग नहीं हुआ है। साल खत्म होने को आया है, बच्चों के भविष्य के बारे में अन्धकार रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़ दीजिये, पढ़ दीजिये।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : पढ़ लिया।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कानून की हालत है, दहेज के लालच

(श्री रामस्वरूप मीणा)

में बहुओं को मारा जा रहा है, साहब, ऐसे विषयों के बारे में पहले....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री रामस्वरूप मीणा : इस बारे में पहले विचार किया जाये साहब ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा ।

टोडाभीम में पानी, बिजली एवं सड़कों की समस्या

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में पानी, सड़क एवं बिजली की समस्या के बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि जिला सवाईमाधोपुर के विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील नादौती व टोडाभीम में पानी की भयंकर समस्या बनी हुई है। यह जिला एकमात्र वर्षा के पानी पर निर्भर है और वर्षा होती है तो वहां पानी मिलता है। इसके अलावा पानी का कोई दूसरा स्रोत नहीं है। ऐसा इलाका जहां केवल मात्र वर्षा के ऊपर निर्भर रहना पड़े, जिस क्षेत्र में पानी की इतनी भयंकर समस्या हो जाय और सरकार वहां पर कोई ध्यान नहीं दे ? ऐसी भयंकर समस्या बनी हुई है। कुओं के अन्दर जो जल था वह बिल्कुल सूख गया है। वर्षा के अभाव में तालाब भी सूख गये हैं। नादौती तहसील का वह इलाका जो केवल मात्र वर्षा के पानी पर निर्भर है, पानी के लिये तरस रहा है। सिंचाई के लिये पानी तो मिलना दुर्लभ है, पीने के लिये भी पानी नहीं है। ग्राम कूंजेला, ग्राम केमला, रोसी, सोप शहर, गडखेरा, गडमोरा, गुढाचन्द्रजी आदि गांवों के अन्दर पानी की भयंकर समस्या है। इन गांवों के अन्दर जो योजनाएं सरकार ने चलाई थीं, आज वह योजनाएं भी बंद हो गई हैं। उन योजनाओं का पानी भी खतम हो गया है और वहां नये नलकूप भी नहीं खोदे गये हैं। ऐसी भयंकर समस्या नादौती के अन्दर पैदा हो गई है। जानवरों को पानी जो केवल मात्र तालाबों से मिलता था वह पानी भी सूख गया है। अतः, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप वहां पर तुरन्त इस प्रकार की जो नादौती में समस्या पैदा हो गई है उसकी व्यवस्था करावें। इसके साथ-साथ तहसील टोडाभीम में पानी का स्तर नीचे चले जाने के कारण जो हैण्डपम्प पिछली सरकार ने लगाये थे वह हैण्डपम्प भी अब सूख गये हैं। इसके साथ ही किसानों की जो फसल के लिये पानी मिलता था उस के सूख जाने के कारण अबकी बार वहां पर बड़ा भयंकर अकाल पड़ गया है। इसलिये मैं इस पानी की समस्या को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में जो भयंकर जल की समस्या सामने आ गई है उसके बारे में तुरंत नयी जल योजनाएं जो अधूरी पड़ी हुई हैं उनको पूरा किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो जो वह लिखा हुआ है वही पढ़िये।

श्री रामस्वरूप मीणा : हां, मैं वही पढ़ रहा हूं, साहब। जल्दी से जल्दी नये हैण्डपम्प और नल योजनाएं चालू की जायं ताकि वहां की पानी की समस्या हल हो सके। दूसरी समस्या है, सड़क। इसके साथ ही इस क्षेत्र में सड़कें जो ग्रामों को जोड़ती

(श्री रामस्वरूप मीणा)

हैं, लिंक रोड हैं वह सब मिलाने वाली रोड अधूरी पड़ी हुई हैं। पिछली सरकार के टाइम में कुछ सड़कें बनी थीं जिनको अधूरा छोड़ दिया गया था। उनमें महावीरजी से शिवपुरा नागज होती हुई एक टोडाभीम की सड़क है जो कि महान् धार्मिक स्थान महावीरजी को मिलाती है, उस सड़क को अधूरा छोड़ने के कारण सारे इलाके में यातायात व्यवस्था बन्द पड़ी हुई है। इसलिए उस सड़क को जल्दी पूरा किया जाय। इसके साथ धोपर, भादरपुरा से हिण्डौन जाने वाली सड़क और बहुत सी लिंक रोड हैं जो कि इस क्षेत्र में मिलती हैं, गांवों को जोड़ती हैं, अधूरी पड़ी हुई हैं, रोड़ी पड़ी हुई है, पैदल चलना भी दुश्वार हो रहा है। ऐसी सड़कों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय। इसके साथ ही हमारी नादौती की सड़कें गुडाचन्द्रजी, गढ़गोरा को जोड़ती हैं, वहां के गांवों को जोड़ती हैं जो गुडाचन्द्रजी की तरफ जाती हैं उन सड़कों को भी तत्काल पूरा किया जाय।

दूसरी समस्या उस क्षेत्र में बिजली की है जो किसानों के लिए बहुत भयंकर है। उस क्षेत्र में अभी तक बहुत से ग्राम विद्युत के अभाव में दुखी हैं सारे क्षेत्र को विद्युतीकरण के बारे में पूर्ण बतला दिया गया है लेकिन मैं कुछ गांवों का उदाहरण, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार के सामने पेश कर रहा हूं। जिन गांवों को विद्युत से पूर्ण बता दिया गया है, बिजली वहां पर कागजों में दिखा दी गई है लेकिन अभी तक वहां पर बिजली नहीं लगी। उन गांवों के नाम हैं—मोहनपुरा, गांवड़ी और नादौती क्षेत्र के भी हमारे कुछ गांव हैं जहां खम्भे लगा दिये गये, तार आज तक खींचे नहीं और न उन गांवों को बिजली दी गई। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिन गांवों को विद्युतीकृत बताया गया है उन गांवों में तुरन्त ही ट्रांसफार्मर रखवा कर किसानों को तुरन्त बिजली की व्यवस्था की जाय।

बिजली की दूसरी समस्या, किसानों पर वहां भारी टैक्स लगाया गया है। एक-एक किसान को बिजली का कनेक्शन लेने के लिए 20-20 हजार खर्च करने पड़ते हैं उसको भी कम किया जाय और जो ट्रांसफार्मर किसानों के जल गये उनकी जल्दी से जल्दी व्यवस्था करके किसानों को दिलाया जाय। फसल में आखिरी पानी चल रहा है और इस समय उनको पानी नहीं मिला जिससे उनकी फसल सूख गई है इसलिए जो फसल सूखी है उसका मुआवजा भी उनको दिलवाया जाय।

अतः श्रीमान्‌जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की उक्त समस्याएं हल करने के बारे में और आप वहां पर नये हैण्ड पम्प लगवायेंगे, पुराने हैण्ड पम्प जो टूट गये हैं, उनको गहरा करवायेंगे। जो नल योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं उनको तुरन्त चालू करवायेंगे और वहां पर पानी की समस्या को हल करेंगे। जो लिंक रोड अधूरी पड़ी हुई हैं उनको बनवायेंगे और इसके साथ ही जो अन्य सड़कें हैं, उनको चालू करवायेंगे। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, हो गया। नोट नहीं करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है, नियमों का पालन करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। श्री नाथूराम अहारी।

पुराने अस्पताल को नये ग्रामीण अस्पताल में ट्रान्सफर करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं डूंगरपुर में जो पुराने समय से हास्पिटल था उसे नये ग्रामीण हास्पिटल में ट्रांसफर करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रस्ताव पेश कर रहा हूं।

डूंगरपुर जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है। जिला हैड क्वार्टर पर एक राजकीय चिकित्सालय लम्बे समय से चल रहा है वैसे यहां की स्थिति के अनुसार हास्पिटल में पूरी व्यवस्था नहीं है। जैसा शैय्याएं, डाक्टर, दवाई, स्टाफ आदि वर्ष 1985-86 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने यहां पर एक नवीन ग्रामीण हास्पिटल बनाने का तय किया। अकाल राहत की राशि एवं जन सहयोग से नये ग्रामीण हास्पिटल भवन का निर्माण किया गया तथा तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री हरिदेव जोशी ने इस नये ग्रामीण हास्पिटल में नया स्टाफ देने की घोषणा की थी लेकिन अभी वर्तमान भाजपा की सरकार ने शहर के हास्पिटल को ग्रामीण नये भवन में स्थानान्तरित कर शहर हास्पिटल को खाली कर दिया है। जब शहर के हास्पिटल को खाली किया है तब से शहर की जनता अनशन पर बैठी है। लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार सुन नहीं रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार जब से शासन में बैठी है लम्बे-लम्बे वायदे करती है, हम ज्यादा से ज्यादा विकास कर रहे हैं। क्या यह डूंगरपुर शहर के लिए विकास किया है? श्रीमान्, यह विकास नहीं, विनाश है। डूंगरपुर की आबादी करीब 27-28 हजार है। शहर के लिए आपको अलग से हास्पिटल या रेफरल हास्पिटल की स्वीकृति देनी चाहिए। नहीं तो जनता माफ नहीं करेगी।

मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करता हूं कि यथा शीघ्र नये हास्पिटल की स्वीकृति देकर डूंगरपुर में अनशन पर बैठे लोगों की आवाज की कद्र करेंगे तथा जनता की कठिनाई दूर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनाराम चौधरी।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, यहां गृह मन्त्री जी बैठे हैं उन्होंने भी इसमें आदेश कर दिये थे। उस लड़की के हत्यारों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया। गृह मन्त्री जी बैठे हैं, इन्होंने आदेश दे दिये, उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : नियमों का पालन करें, माननीय सदस्य। क्या कार्यवाही नहीं चलने देंगे आप?

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं महत्वपूर्ण विषय को आपके सामने रख रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नियमों में उठाइये ना, किताब पढ़िये आप नियमों की।

ग्राम जालेरा खुर्द में बढ़िया किस्म की धातु का निकलना

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा जिला जालौर में गांव जालेरा खुर्द में जो एक बहुत बढ़िया किस्म की धातु, माइन्स जो वहां से निकाल रहे हैं। वह बहुत ही बढ़िया किस्म की, बहुत ही उच्च क्वालिटी की धातु है।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रस्ताव पढ़िये।

श्री रतनाराम चौधरी : वही है। वहां प्राइवेट आदमियों ने सरकार को अन्धेरे में रखकर लाइसेंस हासिल कर लिया और सरकार को करोड़ों रुपये का घाटा दिला रहे हैं, इसकी जांच करवाई जाय।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि कुछ वर्षों पहले श्री सक्सेना जो करडा माइन्स पर नौकरी कर रहे थे, उस वक्त करडा माइन्स के पास लगती सीमा जालेरा खुर्द की जमीन का सर्वे करवा कर वहां बढ़िया क्वालिटी की धातु होना पाया तो अपनी नौकरी को छोड़ कर, दूसरे लोगों को साथ लेकर इस अधिकारी ने स्वयं पार्टनर के रूप में मिलीभगत से अपना लाइसेंस प्राप्त कर लिया। जालेरा खुर्द का सर्वे करवाने के बाद बढ़िया क्वालिटी की धातु होना पाया तो श्री सक्सेनाजी ने व अन्य अधिकारियों ने मिलीभगत से भीनमाल के एक प्राइवेट आदमी को साथ लेकर पूंजीपति एवं अन्य लोगों की भागीदारी करके इस अमूल्य धातु, माइन्स का लाइसेंस प्राप्त कर लिया। जो करडा माइन्स में नौकरी कर रहे थे, श्री सक्सेना जी भी उसमें भागीदार और पार्टनर बन गये और सक्सेना जी ने करडा में जो नौकरी कर रहे थे उस पद का त्याग कर दिया क्योंकि जालेरा खुर्द की माइन्स हर वर्ष करोड़ों रुपये की कमाई और लाभ दे रही है। जब करडा में सरकारी माइन्स है तो उसके पास वाली माइन्स प्राइवेट लोगों को क्यों दी गई, क्यों लाइसेंस दिया गया? जबकि करडा माइन्स से जालेरा खुर्द की खान में करडा से भी बढ़िया क्वालिटी की धातु निकल रही है। क्या राज्य सरकार उनकी जांच करवायेगी? दोषी अधिकारियों की मिलीभगत से लाइसेंस दिया जाकर राज्य सरकार को करोड़ों रुपये की आमदनी से वंचित रखा गया। कृपया जांच करवाकर प्राइवेट लाइसेंस को निरस्त कर पुनः सरकार इस माइन्स को अपने हाथ में लें। दोषी अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार उचित कार्यवाही करावें और एक नेक ईमानदार किसी अधिकारी या अन्य तरीके से जांच करवाई जाकर सारे मामले की शुरूआत से आज तक की जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करावें एवं इस अमूल्य खान को तुरन्त सरकार प्राइवेट आदमियों के हाथ से मुक्ति दिलवाकर अपने हाथ में लें। यही बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। हमारे खनिज मन्त्री जी यहां नहीं बिराजे हुए हैं। जो अन्य मन्त्री महोदय हैं.... — — —

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये । अंकित नहीं हो रहा है ।

श्री रतनाराम चौधरी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाम मुस्तुफा खान । (अनुपस्थित)

श्री रतनाराम चौधरी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर । माननीय सदस्य, बिराजिये ।

बस सं. RNP 1027 रा. रा. प. प. नि में बिना टिकट यात्रा

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 20-2-91 को सायं 5.30 बजे यातायात निरीक्षक श्री रामगोपाल मेघवाल, श्री राधेश्याम शर्मा एवं सहायक यातायात निरीक्षक श्री चरण सिंह, श्री जमना लाल मीणा के फ्लाइंग दस्ते ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का निरीक्षण किया । वाहन संख्या आर. एन. पी. 1027 जो कि अलीगढ़ से धौलपुर मार्ग पर संचालित थी, का धौलपुर से एक किमी. पूर्व रुकवाकर निरीक्षण किया तो उक्त वाहन में 20 यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पाये गये जिन्होंने अपनी यात्रा धौलपुर तक करीब-करीब पूर्ण कर ली थी एवं परिचालक द्वारा निरीक्षण पूर्व ही उक्त सभी यात्रियों से किराया राशि वसूल कर ली थी । निरीक्षण के वक्त वाहन पर परिचालक श्री कैलाश सिंह परमार एवं चालक श्री गौतम सिंह धौलपुर आगार के कार्यरत थे ।

निगम वाहन निरीक्षण पश्चात् परिचालक श्री कैलाश सिंह परमार के मार्ग विपत्र संख्या 993573 पर श्री रामगोपाल मेघवाल यातायात निरीक्षक द्वारा टिप्पणी अंकित की जा रही थी तब श्री कैलाश सिंह परमार परिचालक, उक्त वाहन ने झपट्टा मारकर टिकट बुक एवं मार्ग विपत्र छीन लिया । इस प्रकार झपट्टा मारकर छीनने में मार्ग विपत्र एवं टिकट बुक का कुछ हिस्सा निरीक्षकों के पास रह गया, बाकी हिस्सा फट गया । उक्त चालक एवं परिचालक ने बिना टिकट पकड़े जाने पर मौके पर यात्रियों को काफी भड़काया ।

उक्त वाहन को चैक करने के पश्चात् आगरा से धौलपुर की ओर जा रही वाहन संख्या 8839 को रुकवाकर निरीक्षकगण चैक कर रहे थे, तभी अचानक अनधिकृत रूप से वाहन संख्या आर. एन. पी. 1027 के चालक श्री गौतम सिंह एवं परिचालक श्री कैलाश सिंह परमार अपने कुछ साथियों को धौलपुर से पकड़ कर ले आये एवं जिन्होंने निरीक्षक दल पर अचानक हमला बोल दिया । जिप्सी चालक श्री भवानी सिंह ने फौरन वहां से जिप्सी को तेजी से दूसरी ओर ले जाने का प्रयास किया किन्तु फिर भी एक पत्थर से जिप्सी के कांच तोड़ दिये तथा यातायात निरीक्षक श्री रामगोपाल मेघवाल को भी पत्थर मार कर घायल कर दिया । ऐसी स्थिति में चालक श्री भवानी सिंह जिप्सी को भगाकर थाना मानिया जिला धौलपुर जो घटनास्थल से 2-3 किमी. की दूरी पर स्थित है, ले आया तथा पुलिस में मामले की एफ. आई. आर. संख्या 48/91

××× उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री मदन दिलावर)

धारा 147, 336, 341, 323 तथा 427 के तहत परिचालक श्री कैलाश सिंह परमार एवं चालक श्री गौतम सिंह तथा अन्य साथियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर हमलावर भाग खड़े हुए। अनधिकृत रूप से हमलावरों द्वारा लाई गई बस को मानिया थाने लाया गया। किन्तु आश्चर्यजनक रूप से उक्त अनधिकृत हमले में प्रयुक्त हुई वाहन संख्या आर. एन. पी. 1027 को पुलिस द्वारा जब्त नहीं किया गया तथा क्षतिग्रस्त जिप्सी को ही उलटे हिरासत में ले लिया गया। इस पूरे प्रकरण में विवादित वाहन चालक एवं परिचालक श्री गौतम सिंह व कैलाश सिंह परमार के प्रभाव में आकर पुलिस ने सारी कार्यवाही पीड़ित पक्ष के विरुद्ध कर दी। उलटे इस भाग-दौड़ में अपराधी परिचालक श्री कैलाश सिंह के बस से कूदने आदि से पांव में जो चोट आई, उसको आधार मानकर निरीक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही की।

निगम निरीक्षकों की जिप्सी संख्या आर. जे. 14/0079 की तोड़फोड़ एवं निरीक्षक दस्ते पर प्राण घातक पत्थरों से हमला करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही पुलिस द्वारा नहीं की गई बल्कि जिप्सी को ही दो घण्टे जब्त करके थाने में रखा गया जबकि अनधिकृत रूप से लाए गये निगम वाहन आर. एन. पी. 1027 को पुलिस द्वारा जब्त नहीं किया गया और ना ही चालक परिचालक सहित 14 हमलावरों में से एक भी अपराधी को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किया।

ऐसी स्थिति में किस प्रकार निरीक्षकगण भ्रष्ट परिचालक एवं असामाजिक तत्वों का मुकाबला कर सकेंगे। अतः आप उचित कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की पेयजल समस्या से सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो लिखकर दिया है, उससे बाहर एक भी शब्द अंकित नहीं होगा।

पंचायत समिति, अलसीसर के 54 गांवों को मीठा पानी

डा. चन्द्रभान : ठीक है। उपाध्यक्ष महोदय, झुन्झनू जिले के मण्डावा विधान सभा क्षेत्र की अलसीसर पंचायत समिति के 54 गांव ऐसे हैं जिनमें मीठा पानी नहीं है। 54 गांव खारे पानी के गांव हैं। इन गांवों की जनता को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु लुट्टू जलदाय परियोजना सहित तीन परियोजनाएं कार्यरत हैं। लेकिन बिजली के अभाव तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की लापरवाही से इन गांवों में पानी नहीं पहुंच रहा है। केन्द्र सरकार के सहयोग से स्वीकृत योजना के अनुसार खारे पानी को मीठे पानी में बदलने हेतु 16 गांवों में लगी डिसेलीनेशन और डिफ्लोटेशन के जो प्लांट लगे हुये हैं उन प्लांटों में से आधे से ज्यादा खराब पड़े हैं। इसलिए 54 गांवों की जनता को दूषित एवं खारा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। खारा पानी पीने की वजह से ग्रामीण जनता कई रोगों की शिकार हो रही है तथा वहां का पशुधन भी नष्ट हो रहा है।

(डा. चन्द्रभान)

मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि सरकार इस सम्बन्ध में तत्काल कदम उठाये और मण्डावा क्षेत्र की अलसीसर पंचायत समिति की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन।

सहकारी संस्थाओं में बिचौलियों को समाप्त करना

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : प्रक्रिया के नियम 295 के तहत औचित्य के सवाल पर सहकारिता मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में सहकारी संस्थाओं जैसे सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, भूमि विकास बैंक, मार्केटिंग, ग्राम सहकारी समितियां, उपभोक्ता संघ, दुग्ध उत्पादन समितियां, डेयरी फैडरेशन, राजस्थान फैडरेशन, नागरिक सहकारी बैंक, हाउसिंग सोसायटियां, बुनकर संघ आदि-आदि का सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सरकार का सहकारिता के माध्यम से बिचौलियों को समाप्त कर लोगों का जीवन स्तर उठाना उद्देश्य था किन्तु दुर्भाग्य से पिछले कामकाज के तरीकों से राजनैतिक संरक्षण के कारण से संस्थाएं भ्रष्टाचार का केन्द्र बन चुकी हैं एवं व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। व्यक्ति-व्यक्ति का विश्वास टूट चुका है। गरीबों का, किसानों का रोजमर्रा का नियमित कार्य भी रुक गया है। उद्देश्य और कारण ही मानों समाप्त हो गये हैं। इसके औचित्य पर ही प्रश्न चिह्न लग गया है। पिछली बार विधानसभा में एक हजार करोड़ रुपये का घोटाला केवल जयपुर शहर की गृह निर्माण सहकारी समितियों की जांच के दौरान सामने आया किन्तु आज तक भी उन लोगों पर सक्षम कार्यवाही नहीं हुई है।

इसी प्रकार राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड जयपुर की मेडिकल शाखा द्वारा भी जनता व सरकार को लूटा जा रहा है। क्योंकि राज्य कर्मचारियों को उपभोक्ता संघ की दुकानों से ही दवा खरीदनी आवश्यक है। इसका अनुचित लाभ उठाकर उपभोक्ताओं व सरकार के करोड़ों रुपये बेदर्दी से लूटे जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर राजस्थान राज्य उपभोक्ता संघ का स्टॉक कण्ट्रोल फार्म जिसका कि नम्बर 20987 दिनांक 23-2-1991 के संघ के गोदाम नम्बर 7 द्वारा मै. मधु एजेन्सीज, फिल्म कॉलोनी, जयपुर से इनवाइस नम्बर 7656 दिनांक 21-2-1991 द्वारा 3,777.97 पैसे की ग्लूकोज की बोतलें खरीदी जिनको संघ ने उपभोक्ताओं को 5422.34 पैसे में विक्रय की। इससे यह ज्ञात होता है कि संघ ने खरीद से करीब 45 पर्सेण्ट मुनाफा कमाया जो कि सहकारिता के सिद्धान्तों के विपरीत है। इससे यह प्रतीत होता है कि उपभोक्ता संघ सहकारिता के नाम पर किस प्रकार लूटता है, धोखा देता है एवं राजकीय खजाने से अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों रुपयों का नुकसान पहुंचाने के बावजूद भी घाटे में जा रहा है जिसकी उच्च स्तरीय जांच अत्यन्त आवश्यक है एवं जिन अधिकारियों द्वारा इतना मुनाफा नियमों के विपरीत लिया है एवं उपभोक्ता सहकारिता की छवि को बिगाड़ा है उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही तत्काल किया जाना आवश्यक है।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

अतः मैं माननीय सहकारिता मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक अत्यन्त गम्भीर लोक महत्व का विषय है।

विषय की गम्भीरता को देखते हुए उपभोक्ताओं की व राज्य कोष की लूट को बचाया जावे एवं अनियमित कार्यवाही पर सक्षम तरीके से कार्यवाही की जावे। धन्यवाद।

सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र

प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र। माननीय श्री जगमाल सिंह यादव, यातायात मंत्री।

श्री जगमाल सिंह यादव (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 (2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 26वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1989–90 सदन की मेज पर रखता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

पंचायत समिति लालसोट में कृषि कनेक्शन में विलम्ब

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसादीलाल, श्री हबीबुर रहमान, श्री हरिसिंह (महुआ)।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र की पंचायत समिति लालसोट में किसानों को कृषि के कनेक्शन दिये जाते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी अपनी बात कह दें फिर आप कह देना।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं बाद में बोल लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक रहेगा।

श्री रामनारायण विश्नोई (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, पंचायत समिति लालसोट में सहायक अभियन्ता, लालसोट, उपखण्ड द्वारा विगत तीन वर्षों में निम्नानुसार कृषि कनेक्शन दिये गये—

वर्ष 1987–88	161
वर्ष 1988–89	132
वर्ष 1989–90	230

इस वित्तीय वर्ष 1990–91 का मंडल द्वारा कृषि कनेक्शन देने का कार्यक्रम था। सम्बन्धित आदेशों के स्पष्टीकरण माह अक्टूबर, 1990 में दिये गये। तदुपरान्त कृषि कनेक्शन देने की कार्यवाही अन्य उपखण्डों की भांति सहायक अभियन्ता, लालसोट द्वारा की गयी। माह अप्रेल, 1990 से फरवरी, 1991 तक 168 कृषि कनेक्शन दिये गये बाद में 49 कृषि कनेक्शन तुरन्त योजना के अन्तर्गत एवं शेष 119 कृषि कनेक्शन कार्यक्रमानुसार सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत दिये गये। पंचायत समिति लालसोट में वर्ष 1990-91 के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्न प्रकार से माने जा सकते हैं—

ऐसे कृषि आवेदक जिनके मार्च, 1990

(श्री रामनारायण विश्नोई)

तक मांग पत्र जारी किये थे एवं राशि जमा हो चुकी थी—464

सामान्य श्रेणी के आवेदकों की संख्या जिनके आवेदन पत्र मार्च, 1982 तक प्राप्त हुए वे 135।

अनुसूचित जाति व जन जाति आवेदकों की संख्या जिनके आवेदन पत्र जो मार्च, 1985 तक प्राप्त हुए, 564.

तुरन्त प्राथमिक योजना में फरवरी, 1991 तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या 439, कुल योग 1602 है।

इतनी अधिक संख्या में प्रार्थना पत्रों के लम्बित होने एवं तुरन्त प्राथमिक योजना में लक्ष्य से अधिक प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के कारण मार्च, 1991 तक सभी लम्बित प्रार्थना पत्रों को निपटाना सम्भव नहीं है फिर उन्हीं प्रार्थना पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है जो तकनीकी दृष्टि से साध्य पाये जायेंगे। क्योंकि तुरन्त प्राथमिक योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुए इतने अधिक प्रार्थना पत्रों पर लगभग दो माह में कार्य करना सम्भव नहीं था इस कारण विद्युत मंडल ने इस समयावधि को बढ़ाने का निर्णय लिया ताकि उपभोक्ताओं को अनावश्यक निराशा न हो और मांग पत्र जारी करने के उपरान्त एवं उपभोक्ताओं द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त कनेक्शन जारी करने में लगभग तीन माह का समय लग सकता है। प्रार्थना पत्रों के तकमीने सीमित कर्मचारियों एवं संसाधनों के बावजूद बनाने की कार्यवाही की जा रही है। ऐसी आशा है कि लगभग 100 कृषि कनेक्शन लालसोट, उपखण्ड द्वारा माह मार्च, 1991 में देना सम्भव हो सकेगा। अतः शेष लम्बित प्रार्थना पत्रों को भी शीघ्र निपटाया जायेगा। पिछले वर्ष मार्च तक 230 कनेक्शन दिये गये थे जबकि इस बार मार्च में सम्भावित आकड़ों को जोड़ने पर पिछले वर्ष के मुकाबले में संख्या में बढ़ोतरी होगी। लालसोट, उपखण्ड में वर्तमान में 33 के. वी. सभी फीडर एवं 11 के. वी. की 50 प्रतिशत तक की लाइनों पर क्षमता से अधिक भार है एवं सुधार किये बिना कृषि कनेक्शन जारी करना तकनीकी दृष्टि से साध्य नहीं है। 33 के. वी. तन्त्र प्रणाली में सुधार होते ही 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन का लालसोट में बनाया जाना 1992-93 में प्रस्तावित है। तथा दौसा, लालसोट लाइन का कार्य वर्ष 1991-92 में होना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 33 के. वी. की नई उप चौकियों का निर्माण कार्य किया जाना भी आवश्यक है।

श्री परसादीलाल मीणा : जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने अपने जवाब में कहा कि पंचायत समिति, लालसोट में कनेक्शन देने के सम्बन्ध में देरी की गई और कनेक्शन लक्ष्य के मुताबिक जो राज्य सरकार की नीति है उसके मुताबिक बहुत कम कनेक्शन दिये गये। मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि आपने तुरन्त योजना की फाइलें इतनी अधिक, इतना प्रचार किया कि वहां पर 400-450 फार्म्स आये और आपने कनेक्शन किये केवल 50 जबकि फाइलों को आये आज छह-छह महीने हो गये। आपने पैसा ले लिया, आपने पैसा जमा कर लिया, आपने किसानों को यह कहा कि हम दो महीने में कनेक्शन देंगे जबकि आपने केवल 50 कनेक्शन जारी किये हैं और 400

(154)

(श्री परसादीलाल मीणा)

कनेक्शनों के तो आपने एस्टिमेट या तखमीना रिपोर्ट आज तक तैयार नहीं की है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि आपने घोषणा की थी कि मार्च, 1982 तक के सामान्य वर्ग के तहत और मार्च, 1985 तक के एस. सी., एस.टी. के जितने भी आवेदक हैं और आपका चेयरमैन रोज टी.वी. पर यह घोषणा करता है कि हम सामान्य श्रेणी के 1982 तक के कनेक्शन 31 मार्च, 1991 तक दे देंगे। मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा, जैसा कि आपने आंकड़े दिये कि 449 तो आपके पास तुरन्त योजना के हैं, 464 आपके पास पहले के पैंडिंग हैं जिनके पैसे जमा कर रखे हैं, जिनके "एल" फार्म आपने ले रखे हैं, किसानों ने फिटिंग करा रखी है। आपने उनको भी आज तक लटका रखा है। मैंने गत विधान सभा सत्र में भी इस तरह का 295 का एक मोशन दिया था और उसके जवाब में आपने कहा था कि हम एक नीति में परिवर्तन करके, आपका जवाब मेरे पास है, कि लालसोट में किसी प्रकार से इन कनेक्शनों को समय पर पूरा करेंगे, इसके लिये नीति में परिवर्तन करेंगे परन्तु मुझे बड़ा दुःख है कि आपके डिप्टी सेक्रेटरी ने चेयरमैन को एक पत्र लिखा और उस पत्र की फोटो कापी मेरे पास है। सामान की कमी के कारण यह कनेक्शन नहीं दिये गये। आपने यह बताया कि हमारे पास सामान नहीं है। तो इन कनेक्शनों का क्या होगा। आपने इस सम्बन्ध में, एक साल हो गया अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। तो यह 464 कनेक्शन जिनके पैसे आपने जमा कर रखे हैं और उसके बाद सामान्य वर्ग के 135 और 564 एस. सी., एस. टी. के जो मार्च, 1985 तक के आवेदक हैं उनको कनेक्शन देने की कार्यवाही यदि आप करेंगे तो आपके कितने कनेक्शन हो जायेंगे ? आप कितने कनेक्शन करेंगे ? कुल 1212 कनेक्शन 31 मार्च, 1991 तक देने हैं तो क्या आप दे देंगे ? आप किस प्रकार देंगे ? मैंने यह गत वर्ष भी आपको बता दिया था और आपके विभाग ने यह कहा था कि हम नीति में परिवर्तन करेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपने मार्च, 1982 तक सामान्य वर्ग के, एस. सी., एस. टी. के 1985 तक के डिमाण्ड नोटिस अभी तक जारी नहीं किये। तो कनेक्शन कैसे देंगे आप ? या तो आपका चेयरमैन असत्य बोल रहा है या आपकी गवर्नमेंट मानती नहीं। आप कृपया स्पष्ट कीजिये कि इतने जो पैंडिंग हैं, 464 लोगों ने आपके बोर्ड में पैसा जमा करा रखा है और 450 लोगों ने तुरन्त योजना में फाइलें लगा रखी हैं। इस प्रकार कुल कितने कनेक्शन, आप जोड़ तो लगा लें, इन कनेक्शनों को किस प्रकार करेंगे। या तो आप किसानों को यह कह दीजिये कि आपके कनेक्शन नहीं होंगे, पैसा रिफण्ड करें और बिजली बोर्ड को भंग करें और उनके खिलाफ कार्यवाही करें। आप इस प्रकार कैसे धोखा देंगे। आप फिर 100 कनेक्शन कर देंगे। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि आपने पूरे साल में कितने कनेक्शन किये हैं ? आपके 364 तो पहले के पैंडिंग थे उसमें से 168 और 168 में भी आपने कनेक्शन जो तुरन्त योजना के हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपका बिजनेस है, आपका बोर्ड जानें और आप जानें। आप कनेक्शन देने में वास्तव में लालसोट के लोगों के साथ बहुत बड़ा

(श्री परसादीलाल मीणा)

विश्वासघात किया है। मैं आपकी जानकारी में लेना चाहूंगा कि वर्ष 89-90 में जिन गांवों में विद्युतीकरण किया गया था, फरवरी, 90 में जिन गांवों में काम चला था, उन गांवों में लाईनों का काम जहां छोड़ा था वहीं का वहीं पड़ा है। किसी ने एक खम्बे के तार के हाथ तक नहीं लगाया। एक जानकारी और देना चाहूंगा कि जिन-जिन गांवों में 89-90 में विद्युतीकरण किया गया आपने उन गांवों में एक भी कनेक्शन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आप विद्युतीकरण कर रहे हैं, विद्युतीकरण किसे मानेंगे? लाईनें या खम्बे गाड़ने से विद्युतीकरण मानेंगे।

दूसरी बात बतायी आपने कि लालसोट में कनेक्शन देना सम्भव नहीं होगा। 33 के. वी. का सब स्टेशन लगाना पड़ेगा, 132 का स्टेशन लगाना पड़ेगा। आपको दो साल हो गये आपकी सरकार और बोर्ड ने क्या किया? आपको यह पता है कि लाइनों पर ओवर लोड कनेक्शन हैं, ओवर लोड ट्रांसफार्मर हैं, कैसे कनेक्शन होंगे? आपने जवाब में माना है तो किस प्रकार किसानों को कनेक्शन दिये जायेंगे। 132 का सब ग्रिड स्टेशन हम 92-93 तक बनायेंगे। तब तक क्या किसान आपकी सरकार को रोयेंगे? कैसे आपने तुरन्त उनका पैसा जमा कर लिया? बिना किसी आधार के और बिना 132 के सब ग्रिड स्टेशन के बनाये कैसे आपने उनसे पैसा जमा कर लिया। जमा कर लिया तो आप कनेक्शन दीजिये या समय सीमा निर्धारित कीजिये या जितने भी पैंडिग कनेक्शन हैं उनको कब तक कनेक्शन दे दिये जायेंगे। आज आप कह रहे हैं कि 33 पर ओवर लोड है, 132 का सब ग्रिड स्टेशन है नहीं, तो किसान आपको रोयें या आपकी सरकार को रोयेंगे या हमको रोयेंगे। मैं मंत्री महोदय आपको विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा आप स्पेशल अपने विभाग को कहिये कि जितने पैंडिग हैं उनको कनेक्शन दें। अगले साल कहेंगे हम मार्च, 90 तक के लोगों को कनेक्शन देंगे। लालसोट दूसरी पंचायत समितियों में क्यों पीछे रहना चाहेगी? आप किस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं? यह आपका गत वर्ष का जवाब है। आपने कहा कि हम नीति में परिवर्तन करेंगे। आप कहें तो पढ़ कर सुना दूं। नहीं तो आपके पास होगा। आपने क्या नीति में परिवर्तन किया? क्या कार्यवाही की? मैं बताऊं आपने नीति में क्या परिवर्तन किया? एक साल में वहां पर कम से कम पांच बार ए. ईएन. का ट्रांसफर किया। अलग-अलग ए. ईएन. बदले, कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है। यह नीति में परिवर्तन किया होगा आपके विभाग ने और कुछ नहीं किया। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप कोई ऐसी नीति की घोषणा करें कि लाइन ओवर लोड है, कनेक्शन नहीं होंगे। मैं भी जानता हूं इस बात को पर आप 33 का जो रामगढ़ सतवाड़ा और ग्राम बगड़ी में जो दो साल से प्रपोज्ड है उसका दो साल में काम तक शुरू नहीं किया। आपने उन की कोई प्लानिंग नहीं की। आपने स्वीकृति निकाल दी, आपने साईड पर जाकर देखा नहीं कि काम शुरू हुआ या नहीं हुआ। 132 का सब ग्रिड स्टेशन जब तक नहीं बनेगा तब

(श्री परसादीलाल मीणा)

तक कनेक्शन होने की बात नहीं होगी। 400 लोगों के तुरन्त योजना में पैसे जमा कर लिये, कितने करोड़ रुपये जमा कर लिये ? लालसोट के कितने किसानों को लूट लिया। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कोई नीति बनायें। अपने जवाब में आपने गत वर्ष कहा था हम नीति बनायेंगे। यह मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। वर्ष 88-89, 89-90 में कुल 1233 लक्ष्य में से 701 आवेदकों से मांग-पत्र की राशि प्राप्त हुई, 610 आवेदकों से "एल" फार्म प्राप्त हुए थे। कृषि कनेक्शन देने की नीति में शीघ्र पुनर्विचार कर निर्धारित नीति के अनुसार लालसोट क्षेत्र के सभी 88-89, 89-90 के सन्दर्भित कृषि कनेक्शन आवश्यक सामान उपलब्ध करवाकर आवेदकों द्वारा आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद कनेक्शन दिये जायेंगे। आपको एक साल हो गया। क्या किया आपने ? पहले तो यह जानकारी दीजिये। क्या नीति में परिवर्तन किया जिससे लालसोट के किसानों को कनेक्शन मिल सकें।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात आ गयी।

श्री रामनारायण विश्नोई : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह बात सही है कि जहां तक लालसोट उपखण्ड का प्रश्न है लालसोट उपखण्ड के अन्दर अनुसूचित जाति के कृषकों के साथ वास्तव में जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा था वह सराहनीय नहीं था। लालसोट के जितने भी मार्च, 1985 के पहले के अनुसूचित जाति के आवेदन-पत्र पेंडिंग थे उसका कारण यह था कि व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था नहीं होने के कारण कनेक्शन नहीं दिये जा सके। दूसरा कारण यह था और माननीय सदस्य इससे परिचित हैं कि जो पुरानी नीति थी उस नीति के अन्दर कुछ एक दो प्रायोरिटी के लोग कनेक्शन ले जाते थे और अनुसूचित जाति के आदमी लालसोट में और विशेष तौर पर जयपुर जिले के वंचित रह जाते थे। उस पालिसी को दूर करने के लिये नई पालिसी बनायी गयी कि मार्च, 85 तक के जितने अनुसूचित जाति...

श्री परसादीलाल मीणा : यह कारण नहीं है। वहां अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग ही ज्यादा हैं। कनेक्शन लेने के लिये उनकी ही एप्लीकेशन ज्यादा हैं। आपको गलत जवाब दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी भी वही कह रहे हैं।

श्री रामनारायण विश्नोई : वही मैं कह रहा हूं कि अनुसूचित जाति के कनेक्शन की एप्लीकेशन ज्यादा पेंडिंग थीं और वह 1985 तक राजस्थान के दूसरे हिस्सों के बजाय यहां पर आपका नम्बर देर से आ रहा है इसको दूर करने के लिये यह नीति निर्धारित कर दी गयी कि अनुसूचित जाति के मार्च, 85 के पहले के जितने भी आवेदन-पत्र अनुसूचित जाति और जनजाति के होंगे उनको कनेक्शन दिये जायेंगे और उसके आधार पर कनेक्शन दिये जा रहे हैं। मैं सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अनुसूचित जन जाति के मार्च, 85 तक जो आवेदन-पत्र पेंडिंग हैं उनको अप्रेल-मई तक कनेक्शन दिये जाने की हर सम्भव कोशिश की जायेगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं भी पूछ लूं। क्या यह बात सही है कि जनरल कैटेगरी के 82 तक के और 85 के अनुसूचित जाति और जनजाति की एप्लीकेशन निपटा दी गयी हैं।

श्री रामनारायण विश्नोई : ज्यादातर नहीं निपटाई।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इतने उतावले मत होइये। पूरी बात सुन लीजिये। लेकिन जो अनुसूचित जाति, जनजाति की एप्लीकेशन्स हैं वह सन् 85 तक की अब तक ज्यादातर पैंडिग पड़ी हुई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी ने यह एडमिट किया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह अन्याय क्यों? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ यह अन्याय क्यों?

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय सदस्या की यह बात वास्तव में अनुसूचित जाति जनजाति के साथ सहानुभूतिपूर्ण है कि इस प्रकार से क्यों भेदभाव किया जाता है, यह बात सही है। परन्तु आप यह मान कर चलें कि जहां तक अनुसूचित जाति के आवेदकों का सवाल है जयपुर जिले में आज की तारीख में 22 सौ और 23 सौ जन जाति के लोगों की एप्लीकेशन 90 तक की और 1200 से ज्यादा जयपुर जिले की पैंडिग हैं और उसमें से 564 अकेले लालसोट उपखण्ड की हैं। इनको निपटाने की कार्यवाही अप्रेल मई से पहले कर दी जायेगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लालसोट का जवाब दिया है मैं पूरे राजस्थान का पूछ रही हूं।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं मंत्री महोदय आपसे पूछना चाहता हूं कि उनके डिमांड नोटिस नहीं निकले तो आप अगले मई तक कैसे कनेक्शन दे देंगे?

श्री रामनारायण विश्नोई : उनके डिमांड नोटिस निकाल कर अगले मई तक कनेक्शन दे दिये जायेंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : मई तक कैसे निकालेंगे? मार्च तक डिमाण्ड नोटिस निकालिये।

श्री रामनारायण विश्नोई : अब तक मांग ज्यादा थी अब मांग कम हो जायेगी इसलिये निकाल देंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं यह कह रहा हूं कि 31 मार्च, 91 तक जिन लोगों को अनुसूचित जाति और जनजाति के मार्च, 85 तक की एप्लीकेशन वाले और सामान्य वर्ग के 82 तक की एप्लीकेशन वाले उनके डिमाण्ड नोटिस नहीं निकले हैं तो मई तक कनेक्शन कैसे देंगे? डिमाण्ड नोटिस की तारीख तय कीजिये, ऐसा नहीं चलेगा तारीख तय कीजिये।

श्री रामनारायण विश्नोई : कोई निश्चित तारीख तय नहीं की जा सकती है।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह पूरे राजस्थान का सवाल है खाली लालसोट का नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तेजित न हों।

श्री परसादीलाल मीणा : मेरा निवेदन है कि दूसरी पंचायत समितियों में तो डिमांड नोटिस निकाल दिये गये हैं और कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा रही है लेकिन लालसोट को इसलिये वंचित किया जा रहा है कि वहां पर कांग्रेस का एम. एल. ए. है। आप तारीख तय कीजिये ।

श्री रामनारायण विश्नोई : इसकी कोई तारीख तय नहीं की जा सकती है । आपको मई तक कनेक्शन दे दिये जायेंगे । (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : क्यों नहीं की जा सकती है ? करिये आप । मैं धरने पर बैठता हूं आप तारीख तय कीजिये ।

(माननीय सदस्य श्री परसादीलाल मीणा द्वारा सदन में धरना)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने करोड़ों रुपये किसानों से ले लिये और आप उनको कनेक्शन नहीं देना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरा आपसे निवेदन है कि आप ऊपर आकर आसन ग्रहण करें । (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री परसादीलाल मीणा का धरना समाप्त)

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान का मामला है आपने इस मामले को नहीं सुना तो मैं भी धरने पर बैठूंगा । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सहयोग करें । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप तो बिजली की तरह कड़क रहे हैं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा ।

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

डा. चन्द्रभान : × × × (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नियमों के अनुसार चर्चा होती है । आप इनके साथ सहानुभूति रखते हैं तो बोलने दीजिये इनको आप ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय केवल एक बात स्पष्ट कर दें । एक ओर तो उन्होंने लोगों से ओ. वाई. टी. स्कीम के अन्तर्गत विशेष प्राथमिकता में 70 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया । अब आप उनको प्राथमिकता देंगे या 1982 के साधारण और 1985 के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जिनके लिये आश्वासन दिया है यहां पर ? जिन लोगों को लिखवा दिया है आपने कि दो महीने के भीतर-भीतर आप एक हार्सपावर के पीछे 1500 रुपये दीजिये और एक कनेक्शन पाइये । उनको छः-छः महीने हो गये । तो स्पष्टीकरण दे दें कि आया उनको प्राथमिकता देंगे या सन् 1982 के साधारण और 1985 के अनुसूचित जाति और जन जाति के जो लोग हैं उनको प्राथमिकता देंगे । जब आपको मालूम है कि आपके पास

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

बिजली अवेलेबल नहीं है, तो अन्धाधुन्ध लोगों से पैसा इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता थी ? जब आपने फार्म में लिखा कि दो महीनों में बिजली दे देंगे, और फिर छः-छः महीने बीत गये पैसे लेकर, और ब्याज भी नहीं देते आप उनको। आपको क्या हक था उनको लूटने का, बतायें आप। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है। महत्वपूर्ण बात है। इस सिलसिले में, बिजली के कनेक्शन किसे दिये जायेंगे और किसे मिलेंगे, राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने 8 नवम्बर को विश्वास प्रस्ताव का जवाब देते समय यह घोषणा की थी हाउस में कि हम इस नीति को बदलेंगे। और 30 अप्रैल, 1985—

श्री उपाध्यक्ष : यह इससे सम्बन्धित प्रश्न नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल : कनेक्शन के बारे में नीति बदलने की बात कही थी।

श्री उपाध्यक्ष : अब आपको समय बता दिया न निश्चित।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमने नहीं सुना। मैंने पूछा, उसका जवाब तो दिया नहीं उन्होंने। इस प्रश्न पर सभी सदस्यों को पूछने का हक है। मैंने जो पूछा है, उसका मंत्री महोदय ने जवाब दिया नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आप लालसोट के बारे में पूछें। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लालसोट के बारे में क्यों पूछूं ?

श्री उपाध्यक्ष : क्योंकि प्रस्ताव लालसोट के बारे में है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : लालसोट के लिए अलग नीति होती है क्या ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सहयोग करें।

डा. चन्द्रभान : यह किसानों से सम्बन्धित नीति है, उसका प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रस्ताव लायें। नियमों का पालन करें। उन्होंने लालसोट का प्रस्ताव रखा है, उनके क्षेत्र की समस्या है, उसका समाधान तो होने दीजिये आप।

डा. चन्द्रभान : माननीय सुमित्राजी ने जो सवाल उठाया है, वह लालसोट से सम्बन्ध रखता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सब नियमों के मुताबिक पूछ रहे हैं इसलिये आप जवाब दिलाइये और यह इतना अहम् प्रश्न है कि आसन को संवेदनशीलता से काम लेना चाहिये। आसन को भी संवेदनशील होना चाहिये।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन और है। आपने वर्ष 1990-91 में एक हजार गांवों का विद्युतीकरण करने का राजस्थान में लक्ष्य निर्धारित किया था और मुझे सूचना मिली थी कि लालसोट में इतने गांवों का विद्युतीकरण किया जायेगा। माननीय मंत्रीजी, जवाब दीजिये कि कितने गांवों का विद्युती

(श्री परसादीलाल मीणा)

करण इस साल में किया है। किया है या नहीं किया है आपने ? अगर नहीं किया तो आपने क्यों लालसोट के साथ भेदभाव किया? बता दीजिये, किया है ? कितने गांवों का विद्युतीकरण किया आपने ? लालसोट का बता दो कहीं भी। आप कागजों में कार्यवाही रखना चाहते हो, आप फील्ड में जाना नहीं चाहते और+++यहां आराम से बैठना चाहते हो। आपने कितने करोड़ रुपये लालसोट से जमा करा दिये तुरन्त प्राथमिकता में ? कितने लोगों के एल फार्म जमा करा रखे हैं ? दो-दो साल से किसानों की फिटिंग हो रखी है। आप कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। आप क्यों नहीं कनेक्शन दे रहे हैं ? कितने गांवों का विद्युतीकरण इस साल आपने किया ? एक हजार में से कितने गांवों को इस साल बिजली दी आपने ? यह बता दीजिये पहले आप।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर आप इतने जागरूक थे और आपने....

श्री परसादीलाल मीणा : मैं उतना ही जागरूक हूं। आपके चेयरमैन से मिला, आपसे मिला। कैसे कहते हो, मैं जागरूक नहीं हूं ?

श्री रामनारायण विश्नोई : मैंने अपने जवाब के अन्दर स्पष्ट कर दिया है कि पिछले साल के अन्दर केवल 230 कनेक्शन आपके लालसोट उपखण्ड के अन्दर जारी किये गये थे और इस साल हम मार्च, 1991 तक 268 कनेक्शन जारी करेंगे हमने यह नीति बना दी है कि 1985 तक किसी भी जनजाति के (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : किये 168 कनेक्शन हैं, 268 कैसे कहते हो।

श्री रामनारायण विश्नोई : इसके बावजूद आप कह रहे हैं आप कनेक्शन दे रहे हैं।

एक माननीय सदस्या ने सवाल पूछा है कि आपने ओ. आई. टी. स्कीम के अन्दर कितने पैसे जमा कर लिये हैं। क्यों नहीं आप कनेक्शन दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए खुशी जाहिर करूंगा कि माननीय सदस्या एक ही ऐसी सदस्या थी, दूसरों से कितनी भी आपस में विचारों में सहमति नहीं थी, सबसे पहले ओ. आई. टी. स्कीम को आपने सहमति दी थी, बहुत ही अच्छी स्कीम है और यह राजस्थान में लागू होनी चाहिये। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको इन्ट्रप्ट कर रही हूं। मैंने यह नहीं कहा था कि सारे कनेक्शन ओ. आई. टी. में दीजिये। मैंने कभी नहीं कहा। आप गलत बात कह रहे हैं। सदन को गुमराह कर रहे हैं आप। (व्यवधान) मैं ओ. आई. टी. स्कीम के पक्ष में थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ओ. आई.टी. में कनेक्शन दीजिये....केवल 10 पर्सेण्ट के पक्ष में थी....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : मैं जो पूछ

+++शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसादीलाल मीणा)

रहा हूं उसका जवाब दिलाइये। लालसोट पंचायत समिति में किस-किस गांव का विद्युतीकरण किया है ?

श्री रामनारायण विश्नोई : मेरी बात सुन लीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : और मैंने कहा था कि ओ. आई. टी. रखो लेकिन नौ कनेक्शन दो जनरल और एक अनुसूचित जाति के और ओ. आई. टी. का। इसका बिल्कुल उल्टा कर दिया गया। जनरल और अनुसूचित जाति तो गये अब तो सारा ओ. आई. टी. स्कीम ही हो गई पैसा इकट्ठा करने के लिये।

श्री रामनारायण विश्नोई : ओ. आई. टी. स्कीम के बारे में मैं मोटे तौर पर सूचना देना चाहता हूं कि ओ. आई. टी. स्कीम के अन्दर जिन लोगों ने पैसा जमा कराया है, ऐसे-ऐसे केसेज हैं जहां 5-5 दिन, 7-7 दिन और दो-दो दिन में कनेक्शन दिये गये हैं। जहां फिजिबिलिटी थी, वहां एक हफ्ते तक इन्तजार नहीं किया गया है और जहां फिजिबिलिटी नहीं थी जहां कुछ टेक्नीकल डिफिकल्टीज थीं, वहां पर हमको इन्तजार करना पड़ा है। हमने स्कीम इनिशियेट करके ओ. आई. टी. के तमाम आदमियों को समय के अन्दर कनेक्शन देंगे। इसलिये यह कहना बिल्कुल निराधार है कि लोगों के पैसे जमा करके कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उनके विषय को डाइल्यूट नहीं करें, कृपा करके। आपको इस विषय पर चर्चा करनी है तो प्रस्ताव लाइए।

श्री चन्द्रभान : लालसोट पर भी वही लागू होता है। अन्य जगहों पर भी वही लागू होता है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि पुरानी स्कीम लागू रहेगी जब अभी हम लोग मिले थे दिसम्बर के महीने में और दिग्विजय सिंहजी का खुद का बयान है प्रेस के अन्दर कि पुरानी स्कीम लागू रहेगी। ओ. आई. टी. स्कीम में जो पैसा लेकर जो बिजली....

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री परसादीलाल मीणा : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : मैं नहीं अलाउ करूंगा। जिनका प्रस्ताव है उनको अलाउ करूंगा। नहीं अलाउ करूंगा।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : उपाध्यक्ष जी, बिजली का मामला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रस्ताव लाइये। नियमों का पालन करना पड़ेगा।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्षजी, आपको प्रश्न करने की इजाजत देनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं डालें। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

(162)

डा. चन्द्रभान : × × ×

श्री रामेश्वर दयाल यादव : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

डा. चन्द्रभान : × × ×

श्री रामेश्वर दयाल यादव : × × ×

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री हरिसिंह (महुआ) : × × ×

श्रीमती सुमित्रा सिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य । माननीय सदस्य । (व्यवधान) माननीय सदस्य (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप स्वयं ही जागरुक नहीं हैं ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : जिन सदस्यों ने प्रस्ताव दिया है, उनके अलोवा मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा । आप प्रस्ताव क्यों नहीं लाये। आप प्रस्ताव लाइये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, एक मिनट बिराजिये । (व्यवधान) माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। नियमों का पालन कीजिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री रामेश्वर दयाल यादव : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रस्ताव लाइये, माननीय सदस्य । माननीय सदस्य मेरी बात सुनिये। एक मिनट मेरी बात सुनिये । (व्यवधान) आप प्रस्ताव लाइये ।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिजली के मामले में यह बात तो आप सही कह रहे हैं, प्रस्ताव लाने की बात । इस सदन में जब से बजट पर बहस शुरू हुई है, उसमें इस प्रश्न को बड़े प्रखर तरीके से, उखट तरीके से उठाया गया है और 8 तारीख को जब इस सदन में विश्वास के प्रस्ताव पर बहस हुई थी, तब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि सारी नीति में हम परिवर्तन ला रहे हैं और उसकी घोषणा सदन में करेंगे, आज इतने दिन हो गये हैं, बिजली के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ? क्यों नहीं वह बयान देते । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंत्रीजी को कहें और वह ध्यान दें । (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : यह सरकार किसान विरोधी है इसलिये किसानों की बिजली के बारे में कोई ध्यान नहीं रखती । 50-50 हजार रुपयों के कनेक्शन....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब कैसे जवाब दिलवाऊं, आपके प्रश्न का । आपके प्रश्न की गम्भीरता को माननीय सदस्य समाप्त कर रहे हैं ।

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं, यह प्रश्न नहीं है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य । आप न मेरी बात सुनते हैं....(व्यवधान) एक मिनट मेरी बात सुनिये । माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। प्लीज मेरी बात सुनिये। (व्यवधान) आप जो सदस्य प्रस्ताव लाये हैं, उनको क्यों महरूम कर रहे हैं ।

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

डा. चन्द्रभान : आप इस सवाल को डाइल्यूट कर रहे हैं असलियत यह है कि यह राजस्थान के किसानों से सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने चिन्ता क्यों नहीं की ? क्यों नहीं प्रस्ताव लाये ? (व्यवधान) यह स्थगित प्रश्न है लालसोट के बारे में कब मना कर रहा हूं। (व्यवधान) मैं कहां मना कर रहा हूं।

डा. चन्द्रभान : आप सुनना नहीं चाहते हैं। हम जब खड़े होते हैं, तब आप बैठा देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जिनका प्रस्ताव है उनको मैं पहले सुनूंगा।

डा. चन्द्रभान : प्रस्ताव पर हम सवाल पूछ सकते हैं। सवाल भी नहीं कर सकते ? हमें सवाल नहीं करने दिया आपने।

श्री हेतराम बेनीवाल : जो मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी, वह बता दें। मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम नीति को चेन्ज करेंगे। क्या मुख्य मंत्री दुबारा उस बात को बदलना चाहते हैं ? क्या विश्वास प्राप्त करने के लिये किया था, हमारे आदमियों को ललचाने के लिये यह घोषणा की थी ?

श्री उपाध्यक्ष : अब सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिये। उपाध्यक्ष महोदय, आज पंचायत समिति, लालसोट में 12 सौ कनेक्शन, 6 सौ लोगों ने तो पैसे जमा करा रखे हैं, एल फार्म लगा रखे हैं, फिटिंग करा रखी है। चार सौ लोगों ने तुरन्त योजना में पैसा जमा करा रखा है और 82 और 85 के लोगों को, जो राजस्थान में घोषणा की है, दूसरी पंचायत समितियों में पता नहीं कनेक्शन दिये या नहीं दिये, या तो सरकार अपनी नीति से मुकरे, या सरकार जनता से माफी मांगे और या 31 मार्च, 91 के पहले कनेक्शन दे, नहीं तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये। इन्होंने जो यह कनेक्शन देने की कार्यवाही की है, बताइये यह सरकार कब तक इन लोगों को डिमाण्ड नोटिस दे देगी। कनेक्शन नहीं तो क्या 31 मार्च, 1991 तक इनके डिमाण्ड नोटिस जारी कर देगी और 132 के जिसके कारण मंत्रीजी कह रहे हैं, कनेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो 132 का तो बनेगा। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्रीजी ने कहा, दो साल में, 12 सौ जो कनेक्शन हैं, जो किसान हैं, वह बैठे रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : स्पेशल प्रश्न करिये।

श्री परसादीलाल मीणा : स्पेशल प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : स्पेशल प्रश्न करिये।

श्री परसादीलाल मीणा : 31 मार्च, 85 वाले और 82 वाले लोगों के डिमाण्ड नोटिस कब निकाल देंगे और जो अब की योजना में विचाराधीन पत्र हैं, उनको आप कब तक निपटा देंगे, उनको कब तक कनेक्शन दे देंगे, और इस सरकार ने नई नीति के नाम पर लोगों की, किसानों की जिस कदर लूट की है, जिस कदर पैसा जमा किया है, हम उस

(श्री परसादी लाल मीणा)

नीति की आलोचना करते हैं, या तो किसानों को 2 महीने में कनेक्शन दें....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न करें।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, तो उनका पैसा लौटायें। उपाध्यक्ष महोदय, अगर मन्त्रीजी सही जवाब नहीं देंगे तो मेरा सदन में धरना है। मैं धरना दूंगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह किसानों का मामला है, अब मैं भी इनके साथ धरना देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्रीजी, आप कुछ कह रहे थे।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, हम सब धरना दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अब आपने प्रश्न किया है, आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए मंत्रीजी खड़े हुए हैं।

डा. चन्द्रभान : नयी कनेक्शन नीति को सरकार बन्द कर रही है, या इसको चालू रखना चाहती है।

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये। सुनिये।

डा. चन्द्रभान : और कितना पैसा सरकार ने नयी कनेक्शन नीति के माध्यम से इकट्ठा किया है, इसका जवाब दें :

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत के मामले में मुख्य मंत्रीजी के अलावा कोई नहीं जानता, क्या हो रहा है। इसलिए हम मुख्यमंत्रीजी को ही सुनना चाहेंगे। मुख्य मंत्रीजी ने इनको पावर मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस में ही नहीं बोलने दिया, यह हमें क्या कहेंगे, क्या बतायेंगे।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों का मामला है, आप इसको गम्भीरता से लें और मुख्य मंत्रीजी से जवाब दिलायें।

श्री रामस्वरूप मीणा : सरकार नयी नीति को बन्द कर रही है, या नहीं कर रही है, इस बात की भी घोषणा करें।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी कि जिन लोगों के पैसे जमा हैं, उन सबको कनेक्शन देंगे। राज्य सरकार ने बजट में यह घोषणा भी की थी कि 31 मार्च, 82 तक प्रायोरिटी की इतनी पेंडिग एप्लीकेशन्स हैं, उनको कनेक्शन देंगे। राज्य सरकार ने यह घोषणा भी की थी कि 31 मार्च, 1985 तक एस.सी. और एस टी. के जो पेंडिग फार्म हैं, उनको भी चालू वित्तीय वर्ष में कनेक्शन देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि इस केटेगरी के कितने व्यक्तियों को कनेक्शन दिये? उनके गये साल जो पैसे जमा थे वे आज भी लम्बित हैं, उनको कनेक्शन नहीं दिये। जहां तक ए. पी. एस. तुरन्त योजना और ओ. आई. टी. का मामला है, मैं कहना चाहूंगा कि 70 करोड़ रुपए वसूल कर लिये। मेरे चौमूं विधान सभा और चौमूं डिवीजन में, जिसमें बैराठ भी आता है, आमेर भी आता है, जिन लोगों ने चार महीने पहले ए.पी.एस. में पैसे जमा कराये थे, जिन्होंने एल फार्म दे रखे हैं आज तक उनके कुएं पर कनेक्शन नहीं हुए, जबकि इनका वायदा था कि ए.पी.

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

एस. में कनेक्शन देंगे, उनको 60 दिन के अन्दर हम कनेक्शन देंगे। आज 60 दिन नहीं 160 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। इसलिए मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि विद्युत मंत्रीजी बोल रहे हैं, लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने कहा, इनको तो वहां भी नहीं बोलने दिया। विद्युत के बारे में इनकी कितनी जानकारी है, यह खुद भी जानते हैं। अच्छा हो मुख्य मंत्री जी को आकर इस बात को स्पष्ट करना चाहिए।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, बेहतर होगा मुख्य मंत्रीजी आ जायं। यह किसानों से सम्बन्धित अहम् मसला है, मुख्य मंत्रीजी आकर इस बारे में जवाब दें।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह पूरे राजस्थान का मामला है। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि जिन लोगों के पैसे जमा हैं उनके कनेक्शन कब तक कर दिये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : पूरे राजस्थान का मामला नहीं यह लालसोट का है।

श्री रामस्वरूप मीणा : जिनके पैसे जमा हैं उनको कब तक कनेक्शन देंगे, इस बात की घोषणा करो सदन के अन्दर।

श्री रतनाराम चौधरी : राजस्थान लालसोट से जुड़ा हुआ है।

श्री किशनाराम : इसकी जो पूर्व मंत्री थीं वे इनके पास ही बैठी हैं। इन्होंने काम नहीं किया हमारी क्या कमी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको पूछना है, आपका भी नाम है इसमें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं इसीलिए तो खड़ा हुआ हूं, आपकी दया चाह रहा हूं।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है, मेरा 295 इसी विषय पर दिया हुआ था। मैं मंत्रीजी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : बहुत इम्पोर्टेण्ट सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अलाउ नहीं करूंगा, बैठिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सामान्यतः सम्पूर्ण राजस्थान और विशेष रूप से लालसोट, सभी से सम्बन्धित यह मामला है।

श्री रामनारायण विश्नोई : यह प्रश्न लालसोट तक ही सीमित है, आप जनरल क्वेश्चन नहीं उठा सकते इसमें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप मंत्रीजी हैं जवाब दे देना। लालसोट वाले प्रश्न में राजस्थान की बिजली की जो पालिसी आपने तय की है उसका इन्वाल्वमैण्ट है। आपसे विशेष अनुरोध कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महो- मेरे कुछ स्पेसिफिक प्रश्न हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप लालसोट

(186)

(श्री रामस्वरूप मीणा)

के नहीं सारे राजस्थान के मंत्री हो, राजस्थान के बारे में भी सोचो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय नष्ट न करें, स्पेसिफिक प्रश्न पूछें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सबसे ज्यादा व्यवधान तो मंत्रीजी पैदा कर रहे हैं। मैं स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने 30-3-90 को 295 में एक प्रस्ताव लगाया था। उसका जवाब राज्य सरकार से आया है। मैं उसमें से ही स्पेसिफिकली आप से कुछ पूछूंगा। लालसोट में, जैसा कि इसमें लिखा है, वर्ष 1989-90 में पंचायत समिति लालसोट में 656 कृषि कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित था। मंत्रीजी, जरा ध्यान से सुनिये। जिनमें से 512 कृषि आवेदकों से मांग पत्र की राशि प्राप्त हुई, जमा हो गयी आफिस में। कनेक्शन कितने दिये हैं इन्होंने ? 230, मंत्रीजी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि शेष जो 273 रह जाते हैं उन्होंने क्या अपराध किया है ? आपने उनका पैसा ले लिया। गरीब को गणेश मानकर उसे राज के कोष पर पहला हक बताने वाली सरकार के राज में किसानों के घर में इससे ज्यादा खुली लूट और डकेती दूसरी हो नहीं सकती। इसमें जवाब में आगे आपने यह लिखा है कि चूंकि हमें सामान उपलब्ध नहीं था। इस बात को आपके इंजीनियर्स जानते थे, आपके बोर्ड के अधिकारी जानते थे। जब आपके पास सामान नहीं था उपलब्ध तो श्रीमान् आपने डिमाण्ड राशि जमा क्यों करायी ? इससे बड़ी चीटिंग और क्या हो सकती है ? यह स्पेसिफिक प्रश्न है मेरा, क्यों नहीं दिया गया उनको।

इसके अलावा एक और शोषण किया है आपकी शोषण करने वाली सरकार ने। राजस्थान में कांग्रेस के शासन काल में बिजली बोर्ड का जो लक्ष्य था सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी में वह था सोशल वेलफेयर स्टेट का। आज आपका राजस्थान का बिजली बोर्ड बनिये की दुकान बन गया है। आप लॉस और प्राफिट पर किसान की आवश्यकता को आंकना चाह रहे हैं। किसान इस देश में सबसे आवश्यक जो जीवन की सामग्री है वह अनाज उत्पन्न करके देता है। उससे देश को कितना प्राफिट होता है। खाद में सब्सिडी गवर्नमेण्ट दे रही है, बिजली में भी किसान को सब्सिडी देती थी। वह किसान को एक इम्पल्स था कि वह ज्यादा पैदावार करेगा। आपने उसको भी तहस नहस कर दिया। बनिये की दुकान पर आपने तौलकर माल देना शुरू कर दिया। किसान की जो दूसरी सेवाएं हैं उनको उठाकर आपने ताक पर रख दिया। कितना मजाक किया है। फिर आपने प्राथमिकता के आधार पर पालिसी तय कर दी। उस पालिसी में लालसोट तहसील के चार सौ किसानों ने पैसा जमा करा दिये। 400 किसानों में से, यह विशेष प्राथमिकता की बात कर रहा हूं, मंत्री महोदय, 60 फीसदी किसान लघु और सीमान्त किसान हैं, 70 प्रतिशत किसान एस. टी. के हैं। आपकी सरकार अनुसूचित जनजाति के विरोध में कितना काम कर रही है, कितना आप उनको कुचलना चाह रहे हैं। आपने उन किसानों के करोड़ों रुपए अपने यहां जमा करा लिये और उसके बाद भी एक कनेक्शन उनको रिलीज नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : रिपीटिशन हो रहा है, माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह : रिपीटिशन नहीं हो रहा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष जो कनेक्शन हैं उनके....

श्री उपाध्यक्ष : बहुत स्पेसिफिक प्रस्ताव है, पढ़कर सुना दूं ? (व्यवधान) आपका इस बारे में तो कोई प्रस्ताव है नहीं। कृपया जनरलाइज नहीं करें।

श्री हरिसिंह : मैं मंत्री महोदय की जानकारी में एक और तथ्य लाना चाहता हूं। वहां विद्युत कनेक्शन देने की कोई प्रायोरिटी नहीं है। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ता वहां बैठे अफसरों की दलाली कर रहे हैं और एक-एक कनेक्शन में 2-2 हजार, तीन-तीन हजार रुपए....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विषयान्तर नहीं हों।

श्री रामप्रताप कासनिया : आपके टाइम में तो 20-25 हजार कनेक्शन की रिश्वत के तौर पर लिये जाते थे, अब, वह नहीं लिये जाते।

एक माननीय सदस्य : +++

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई।

श्री मदनलाल सैनी : +++ बाहर निकाल दिया, इसी कारण +++

एक माननीय सदस्य : +++ वजह से ही गयी सरकार आपकी।

एक माननीय सदस्य : +++ बता दीजिए ?

श्री मदनलाल सैनी : आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि सारी पंचायत समितियों में बिजली की प्रायोरिटी लिस्ट रखी गयी है, प्रायोरिटी लिस्ट आप जाकर वहां देख सकते हैं। कोई प्रायोरिटी को तोड़ नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री हरिसिंह : सिर्फ एक सिम्पल प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तेजना नहीं फैलायें।

श्री हरिसिंह : आप थोड़ा सा सहयोग करिये, आपसे भी सम्बन्धित मामला है। मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। राजस्थान में हजार गांवों के विद्युतीकरण का आपने लक्ष्य रखा, लेकिन लालसोट में एक भी गांव के विद्युतीकरण का आपने लक्ष्य क्यों नहीं रखा ? रखा तो विद्युतीकृत क्यों नहीं हुआ ? इसके पीछे आपकी दुर्भावना है कि लालसोट की जनता ने कांग्रेस के कैण्डिडेट को जिताकर भेजा है। राजनीतिक आधार पर आप निर्णय कर रहे हैं, राजनीतिक विद्वेष की भावना से आप लालसोट की जनता के साथ भेदभाव निकाल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, एक स्पेसिफिक सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. चन्द्रभान : एक सवाल है मेरा, एक सवाल रह गया है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि नयी कनेक्शन की नीति, जिससे आर. एस. ई. बी. ने 70 करोड़ इकट्ठे किये हैं जो कि किसी भी सोशल वैलफेयर गवर्नमैण्ट को नहीं करना चाहिए, सरकार इस पर जवाब दे कि इस नीति को जारी रखना चाहती है या इस नीति को बन्द करना चाहती है? मुख्य मंत्रीजी ने इस विषय में क्या कहा?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में जो चिन्ता माननीय सदस्यों ने प्रकट की है.... (व्यवधान) बैठिये, बिराजिये तो सही। मैं भी मन्त्रिमण्डल का सदस्य हूं। आप समझिये जरा, बिराजिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के विषय में माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता प्रकट की है, वर्तमान सरकार उसी प्रकार उसी दृष्टि से चिन्तित है। किन्तु उस चिन्ता के साथ-साथ.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर सुनिये न। विषय उठा रहे हो, उसका उत्तर नहीं सुनना चाहते हो तो फिर चर्चा समाप्त की जाय।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये एक प्रश्न उठाया था। वह एक बड़ा सीमित प्रश्न था। उस सीमित प्रश्न के विषय में जो तुरन्त योजना सरकार ने चलाई है उसमें 50 इस प्रकार की एप्लीकेशन आयी हैं जिनमें से 49 निपटाई जा चुकी हैं (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : 450 आई है, आप सुन लीजिये 450 एप्लीकेशन्स आयी थीं....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : भाई, एक मिनट बैठो तो सही....

श्री परसादीलाल मीणा : मैं तो आपको जानकारी दे रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : बीच में नहीं बोलें, माननीय सदस्य।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 464 के प्रार्थना-पत्र आये थे, 50 लोगों ने पैसे जमा कराये थे और उन 50 में से 49 व्यक्तियों को.... बिराजें तो सही, पूरी बात तो सुनें....

श्री परसादीलाल मीणा : सारे लोगों ने पैसे जमा करवाये, पूरी जानकारी से बोलिये आप।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बार-बार बोलते जा रहे हैं बीच में, एक मिनट बिराजें तो सही।

श्री परसादीलाल मीणा : पहले पूरी जानकारी लें और फिर अपना स्टेटमेंट दें। अधूरी जानकारी देकर मंत्रीजी गुमराह नहीं करें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बिराजें आप।

श्री उपाध्यक्ष : उसके लिये आपके पास सदन के नियम हैं कि गलत जानकारी दे रहे हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1982 और 1985 के विषय में राज्य सरकार ने जो नीति निर्धारित की है मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह बात सत्य है कि इन दिनों कृषि कनेक्शन्स का बहुत बड़ा दबाव था, आगामी जून तक जो राज्य सरकार ने अपनी ओर से घोषणा की है उसको हम निश्चित रूप से क्रियान्वित करेंगे...

श्री रामेश्वर दयाल यादव : जून तक रहेंगे ही नहीं आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप बिराजें। आप कह देना पालिटिकल बात।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि जब मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि 31 मार्च 1991 तक हम पूरा कर देंगे और उप नेता महोदय यह कह रहे हैं कि जून तक पूरा करेंगे....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप बिराजें तो सही।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : क्या आप बिराजने की बात करते हैं, मुख्य मंत्री जी की घोषणा को ओवर रूल कर रहे हैं आप। मुख्य मंत्रीजी जी ने कहा है कि 31 मार्च, 1991 तक पूरा करेंगे और आप जून के लिए कह रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : पूरी बात सुनिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पूरी बात तो सुन लें।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आप सुनिये मुख्य मंत्रीली ने 31 मार्च के लिए कहा है और आप जून तक करना चाहते हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैंने आपकी बात सुनी है, मेरी बात भी सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : पूरी बात तो सुनिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जहां तक नीति का प्रश्न है मैं आपकी मार्फत सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रीति-नीति के बारे में जो विषय दिये हैं उस विषय में वह निश्चित रूप से अपनी ओर से कहेंगे पर इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के परव्यू में वह रात नहीं आती है, उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्रसिंह (बनेड़ा) : क्यों नहीं आती है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बिराजें तो सही, एक मिनट बिराजें।

श्री देवेन्द्रसिंह : जो नीति राजस्थान में लागू होगी वह लालसोट में लागू नहीं होगी, क्या लालसोट राजस्थान में नहीं है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप बिराजें तो सही। मेरी बात पूरी कर लेने के बाद आप कह देना। पहले मेरी बात पूरी कह लेने दीजिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक दो बात और कहना चाहूंगा कि यहां बड़ी चर्चा की है कनेक्शन नहीं देने की लेकिन पिछले 10 सालों में यह पहला साल है जब 30 हजार कनेक्शन दिये गये हैं....(व्यवधान)

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : आपने एक भी कनेक्शन नहीं दिया है। + + + आपने केवल 22 सौ कनेक्शन दिये हैं पूरे राजस्थान में (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नोट नहीं करेंगे।

डा. चन्द्रभान : × × ×

श्री हरिसिंह (महुआ) : × × ×

श्री प्रेमसिंह दहिया : × × ×

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री मदनलाल सैनी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त होती है। किसी का अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : × × ×

श्री मदनलाल सैनी : × × ×

श्री हरिसिंह (महुआ) : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई। श्री हरीश कुमावत। (व्यवधान) माननीय सदस्य, नियमों का पालन करें। माननीय सदस्य, सीमा नहीं तोड़ें। स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री रामकरण सिंह : आन ए पाइण्ट आफ आर्डर, सर।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सदन को चिन्ता है, सरकार को भी चिन्ता है वह भी इस सम्बन्ध में अपनी नीति साफ करना चाहती है और हम लोगों ने भी 131 का प्रस्ताव दे दिया है वह आपके विचाराधीन है पर मेरा आपसे निवेदन है कि उसको आप कल लगवा दीजिये। हमारी बात भी आ जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप चैम्बर में आइये, चाय भी पीजिये। माननीय श्री हरीश कुमावत।

श्री रामकरण सिंह : पाइण्ट आफ आर्डर उपाध्यक्ष महोदय....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : यहां तो सुनना नहीं चाहते हैं और चेम्बर में बात करेंगे।

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री उपाध्यक्ष : आप काहे पर बोल रहे हैं ?

श्री रामकरण सिंह : मैं बताता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कोई सदन के सामने विषय नहीं है, पाइण्ट आफ आर्डर काहे पर है ? कौनसे नियमों के तहत है ?

श्री रामकरण सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह जो बिजली का मसला आया आपके सामने इसके बारे में आपको व्यवस्था देनी है और वह व्यवस्था क्या देनी है....

श्री उपाध्यक्ष : गाइड कर देना, चैम्बर में आइये मेरे।

श्री रामकरण सिंह : मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि जब माननीय सदस्य इधर से उठ कर उधर बैठ जाते हैं तो चिन्ता हो जाती है। मैंने पिछले सैशन में किसानों को बिजली का प्रश्न रखा था उस समय जो माननीय उधर बैठे थे और अब इधर बैठे हैं उन्होंने यह कहा था कि क्या आपने ही ठेका ले रखा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप इस सम्बन्ध में व्यवस्था दें....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामकरण सिंह : चुनाव आ रहे हैं इसलिए किसानों के बारे में सब माननीय सदस्यों को चाहे वह ट्रेजरी बैंचेज में बैठे हों, चाहे अपोजीशन में हों, उन सबको किसानों के सामने जाना पड़ेगा....

श्री उपाध्यक्ष : वहां सबको ही जाना पड़ेगा।

श्री रामकरण सिंह : इस तरह की नीति तो इस समय....

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीश कुमावत। माननीय मंत्रीजी का पहले स्टेटमेंट हो जाये। ध्यान आकर्षित कर दीजिये।

प्रधान पंचायत समिति कुचामन का भ्रष्ट आचरण

श्री हरिश्चन्द्र कुमावत : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत मैं राज्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कुचामन पंचायत समिति के प्रधान राम विलास चौधरी के खिलाफ भ्रष्ट आचरण के आरोप साबित होने के उपरान्त भी आज तक उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज राज्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा कुचामन सिटी पंचायत समिति के प्रधान के खिलाफ जांच के बारे में जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है उसके बारे में मेरा निवेदन है।

उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से यह प्रश्न उठाया कि गत वर्ष माह जुलाई के विधानसभा सत्र में उन्होंने इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था, जिसके सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, नागौर ने अपने पत्र क्रमांक 397 दिनांक 19-7-90 को तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवा दी थी परन्तु उसके बावजूद श्री प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार से है।

(172)

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

कुचामन सिटी पंचायत समिति के प्रधान श्री रामेश्वर लाल चौधरी के विरुद्ध विधायक महोदय एवं श्री महावीर प्रसाद कामदार सरपंच घाटवा के शिकायत पत्र पृथक से भी प्राप्त हुए थे, जिस पर जांच शाखा में पत्रावली ले ली गई थी। उनकी शाखाओं के आधार पर जिला कलक्टर, नागौर से जांच करके रिपोर्ट चाही गई एवं इसके लिए दिनांक 8-5-90 को जिला कलक्टर को लिखा गया कि इन प्रकरणों में किसी उच्च अधिकारी से जांच करवा कर रिपोर्ट भिजवाई जाए। रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 16-6-90 को स्मरण पत्र दिया गया। फिर भी जब रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई तो निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 6712 दिनांक 20-9-90 लिखा गया। पुनः दिनांक 20-11-90 व 15-1-91 को स्मरण पत्र दिया गया परन्तु जांच रिपोर्ट अब तक भी प्राप्त नहीं हुई है।

जुलाई में प्रेषित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सन्दर्भ में जिला कलक्टर ने दिनांक 19-7-90 को जो प्रत्युत्तर भिजवाया था वह प्रत्युत्तर तो विभाग की विधान सभा की शाखा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का प्रत्युत्तर दिये जाने के बाद संग्रहित कर दिया गया एवं दूसरी ओर जांच शाखा जिला कलक्टर के यहां से प्रत्युत्तर न आने के कारण विभागीय कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ा सकी एवं इसी कारण से जांच कार्य में विलम्ब हो गया।

पूर्व में प्रेषित किये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एवं अब विचाराधीन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में जिला कलक्टर से जो टिप्पणी प्राप्त हुई है उसके आधार पर 7 दिन की अवधि के भीतर ही राजस्थान पंचायत समिति (प्रधान एवं उप प्रधान को हटाना) नियम 1960 के नियम 4 के अन्तर्गत प्रधान श्री रामेश्वर लाल चौधरी को आरोप पत्र दे दिया जायेगा एवं बिना किसी विलम्ब के आगे की कार्यवाही कर ली जाएगी।

श्री हरिश्चन्द्र कुमावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में जिक्र किया है कि मैंने माह जुलाई में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था। उस समय जिला कलक्टर के यहां से जो रिपोर्ट आयी थी वह बिल्कुल जांच होकर रिपोर्ट आई है। उस समय जो जांच की गई थी उसमें आयोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण नागौर के तहसीलदार के प्रतिनिधि एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति, इन चारों ने मिलकर जांच की थी और पूरे विवरण के साथ यहां पर रिपोर्ट पेश की है। जांच की कोई आवश्यकता रहती ही नहीं, जांच रिपोर्ट पूरी, फोटोस्टेट और सारे प्रमाण सहित यहां पेश हुई है। उनमें साबित होता है कि प्रधान के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप साबित होते हैं। उसके बावजूद भी उसे लम्बित करना और देरी करना। यह जान-बूझकर देरी की गयी है। अन्यथा इस पर कब की ही कार्यवाही हो सकती थी जब अब सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि अब सात दिन में कर देंगे तो उस समय भी की जा सकती थी। पूरी की पूरी रिपोर्ट यहां पर आयी हुई है। जान-बूझकर यह रिपोर्ट छिपा ली गई है। उस रिपोर्ट को भी मंत्री महोदय के पास प्रेषित नहीं किया

(श्री हरिशचन्द्र कुमावत)

गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जब पूरे तथ्य आ गये हैं और सारी बातें सामने हैं तो इसमें देरी किस कारण से की जा रही है।

इसमें फर्जी कुएं बनाए गये हैं। फर्जी कुओं का भुगतान भी प्रधान द्वारा किया गया है और भी कर्मचारियों को वहां वेतन नहीं मिल रहा है। प्रधान के द्वारा चैक पर दस्तखत नहीं किये जा रहे हैं, 38 हजार की प्रधान के खिलाफ रिकवरी निकाली गयी है। पंचायत समिति का अध्यक्ष प्रधान होता है तो उसने रिकवरी रुकवा ली है। पद का दुरुपयोग इससे साबित होता है। यह भी आदेश अभी तक जारी नहीं किए गए हैं कि रिकवरी कब तक वसूल होगी। इसको लम्बित करके रिकवरी रुकवा दी गयी है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि जो रुकी हुई रिकवरी है वह कब तक वसूल की जायेगी।

ग्राम घाटवा के प्रधान को कोई अधिकार नहीं कि वहां पट्टा प्रधान दे सकता है लेकिन वहां पर जाकर प्रधान ने स्वयं ने दुकानों के पट्टे दिये हैं। उसके अधिकार की बात नहीं है। जब पट्टे दे दिए तो उन पट्टों को निरस्त कब तक करिाया जायेगा। दूसरा मारोठ पंचायत समिति के सामान्य अनुदान की राशि भी उनको नहीं दी गई और अकाल के समय में वहां जो सांडों का अनुदान था वह अनुदान का पैसा भी उनको नहीं दिया गया।

इस प्रकार इसी प्रधान के खिलाफ सहकारी विभाग की 22,580 रुपये के गबन का आरोप भी सिद्ध हुआ है तो यह नैतिक पतन की श्रेणी में आता है। एक केस सी. बी. आई. में चालू है और उसमें इसका चालान हो चुका है। ऐसे भ्रष्ट प्रधान को लम्बे समय तक बनाए रखना और वहां की जनता को तकलीफ देना यह न्यायसंगत नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यह पूरी कार्यवाही कब तक हो जायेगी?

श्री बिरदाराम चौधरी : मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है। आपकी आज्ञा से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या रामेश्वर लाल प्रधान ने माननीय हरिशजी कुमावत के सामने कांग्रेस (आई) के टिकट पर चुनाव लड़ा था? (व्यवधान) दूसरी बात यह सही है कि पंचायत समिति कुचामन का जो मोहनलाल विकास अधिकारी है जिसको शिकायतों पर एण्टी करप्शन ने पकड़ा है....

श्री उपाध्यक्ष : यह इससे सम्बन्धित नहीं है। (व्यवधान)

श्री बिरदाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि जो चैक हैं और जिनका भुगतान नहीं हुआ है, मैं यह कह रहा हूं कि वहां दो महीने से पंचायत समिति में विकास अधिकारी नहीं है। विकास अधिकारी नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही है। (व्यवधान) यह जो प्रधान है ईमानदार आदमी है और इनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए राजनैतिक द्वेष के लिए शिकायत कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, माननीय सदस्य बैठिए। माननीय मंत्रीजी।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो रामेश्वर लाल प्रधान के खिलाफ विलम्ब होने की बात कही उसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सही रूप में 19-7-90 को कलक्टर की रिपोर्ट पहले वाले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आ गई थी लेकिन बाबू की गलती के कारण वह फाइल विधान सभा शाखा में दब गई जब पीछा किया गया तो वह फाइल अब सामने आई है और इसमें अभी मैंने निवेदन किया कि जल्दी ही नोटिस दे दिया गया है और जल्दी ही आगे की कार्यवाही कर दी जाएगी। यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो सम्बन्धित बाबू है उनके खिलाफ भी मैंने अनुशासन की कार्यवाही के लिए लिख दिया है, उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है। यह बात सही है कि 7-8 महीने वह फाईल दबी रही इसमें कोई दो राय नहीं है....(व्यवधान) जो आरोप प्रधान पर लगाये गए थे वह हमने यूं ही नहीं लगाए। आपने आरोप लगाए विधान सभा में, हमने जांच करने के लिए भेजा जवाब के लिए कलक्टर को। कलक्टर ने पाइंटवाइज जांच करके रिपोर्ट भेजी है और उनमें वह दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। देरी हुई इसके लिए मैंने निवेदन किया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की राय है कि बैठक का समय दो घण्टे बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

बैठक का समय दो घण्टे बढ़ाया गया।

शासकीय वक्तव्य

बीगोद जिला (भीलवाड़ा) में शीतला अष्टमी के जुलूस पर पथराव

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 8-3-91 को कस्बा बिगोद में धार्मिक जुलूस पर पथराव, हिंसा व आगजनी की घटना के क्रम में।

कस्बा बीगोद जिला भीलवाड़ा में गत वर्षों के घटना क्रम व साम्प्रदायिक पृष्ठभूमि को दृष्टिकोण में रखते हुए इस कस्बे में दिनांक 25-2-91 से 10-3-91 तक धारा 144 जा. फो. लगा रखी थी, जिसके अन्तर्गत सभा का आयोजन, प्रदर्शन व जुलूस व हथियार ले जाना प्रतिबंधित थे।

दिनांक 7-3-91 को जिलाधीश भीलवाड़ा व पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा ने कस्बा बिगोद के दोनों समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमन्त्रित कर शान्ति समिति की मीटिंग आयोजित की जिसमें दोनों समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया। दोनों समुदाय के व्यक्तियों ने दिनांक 8-3-91 को शीतला अष्टमी पर शान्ति बनाये रखने हेतु जिला प्रशासन को आश्वासन दिया।

(श्री दिग्विजय सिंह)

उक्त परिप्रेक्ष्य में व शीतला अष्टमी के पर्व को ध्यान में रखते हुये उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ ने दिनांक 8-3-91 को कस्बा बीगोद में प्रातः 8 ए. एम. से 2.30 पी. एम. तक रंग गुलाल के खेलने व मुस्लिम समुदाय को नमाज अदा करने की छूट प्रदान कर दी थी। जिला प्रशासन ने समस्त परिस्थितियों को दृष्टि में रख कर पुलिस बन्दोबस्त लगाया। जिलाधीश एवं जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा, दिनांक 7-3-91 को ही बीगोद पहुंच गये।

दिनांक 8-3-91 को शीतला अष्टमी का जुलूस हमेशा की तरह रंग गुलाल खेलता हुआ दिन के 11.00 बजे बस स्टेण्ड बिगोद से रवाना होकर करीब 12.05 पी. एम. पर मकड़ मस्जिद के पास पहुंचा। जुलूस में करीब 800 व्यक्ति थे। जुलूस में उपस्थित व्यक्तियों ने हवा में खूब गुलाल उड़ाई जुलूस के कुछ लोगों ने एक पोलेथीन की थैली जिसमें गुलाल भरी थी मकड़ की मस्जिद की ओर फेंकी। मुस्लिम समुदाय के लोग जुम्मे की नमाज पढ़ने आये थे, को मालूम होने पर उन्होंने जुलूस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिये। इसके जवाब में जुलूस में से भी कुछ लोगों ने मुस्लिम समुदाय पर पत्थर फेंके मौके पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा दोनों समुदाय के लोगों को धकेल कर दूर किया तो वे लोग बालाजी के चौक में इकट्ठे हो गये और इनमें से कुछेक ने सम्भवतः प्रतिक्रिया स्वरूप कुमावतों के मोहल्ले में स्थित मुस्लिम समुदाय के तीन मकानों में से दो मकानों में रंजिश के कारण आग लगा दी। पुलिस ने तुरन्त मौके पर पहुंच कर स्थिति पर काबू पा लिया और आग पर फायर ब्रिग्रेड द्वारा तत्काल काबू पा लिया गया।

इस घटना में 20 व्यक्तियों को साधारण चोट आयीं, जिसमें 8 पुलिसकर्मी हैं। घायलों को चिकित्सा सुविधा प्रदान कराई गयी। आगजनी में लगभग 2500/- रु. के नुकसान का अनुमान है।

इस प्रकरण में दो अभियोग पंजीबद्ध किये गये :—

1. अ.सं. 17/91 धारा 147, 148, 149, 332, 353, 239, 307, 323 भा. द. सं. थाना बीगोद।
2. अ. सं. 18/91 धारा 147, 148, 149, 436, 452, 307, 380, 342, 323 भा. द. सं. थाना बीगोद।

इस घटना के क्रम में 7 लोगों को 151 सी. आर. पी. सी. में गिरफ्तार किया गया।

अपराध सं. 17/91 में दिनांक 9-3-91 को तीन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया।

सर्व श्री भंवरलाल, स्वायत्त शासन मंत्री, व रमजान खां, पुनर्वास राज्य मंत्री दिनांक 9-3-91 को कस्बा बीगोद पहुंचे। उन्होंने मौके का जायजा लिया व तनाव को समाप्त कराने के लिए दोनों समुदायों के लोगों को समझाया।

दिनांक 9-3-91 को कस्बे में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। दिनांक 10-3-91 को कस्बा बीगोद में

(176)

(श्री दिग्विजय सिंह)

बाजार सुचारू रूप से खुल गया था तथा अब स्थिति सामान्य है।

शीतला अष्टमी पर कस्बा बिगोद में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से बनाये रखने के लिए पुलिस जाप्ता लगाया गया था।

पुलिस बन्दोबस्त लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था कि पूर्व में जो 1985 व 1989 में घटनाएं घटीं और जिनमें भारी जान व माल का नुकसान हुआ उनकी पुनरावृत्ति न हो। जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक स्वयं मौजूद थे एवं फायर ब्रिगेड तक का प्रबन्ध कर रखा था व प्रशासन द्वारा तत्परता बरतने के कारण ही एक बहुत बड़ी साम्प्रदायिक घटना होने से बच गयी।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, 8 मार्च, 1991 को जो बिगोद में घटना हुई उसके सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया। मुझे उसके कुछ अंशों को सुन कर बड़ा आश्चर्य और दुःख हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, बीगोद एक ऐसा कस्बा है जिसमें प्रारम्भ से, बहुत अर्से से एक साम्प्रदायिक सद्भावना का वातावरण वहां पर रहा है। हम लोग बीगोद का दूसरी जगह उदाहरण दिया करते थे कि वह हिन्दू और मुस्लिम भाईचारे से रहते हैं। होली और मोहर्रम के अवसरों पर दोनों मिल कर काम करते हैं, प्रेम से रहते हैं लेकिन पिछले कुछ सालों से वहां असामाजिक तत्वों ने एक ऐसा वातावरण बीगोद के अन्दर पैदा किया है जिसके कारण हर साल कुछ ना कुछ वहां पर घटना घटती है और एक ऐसा अवसर आता है कि जब वहां पर बीगोद कस्बे को पुलिस की छावनी बनाना पड़ता है। दो साल पहले जिस प्रकार की घटना हुई जिस घटना का जिक्र अभी माननीय गृह मंत्रीजी ने किया। उसी प्रकार की घटना दो साल पहले वहां पर हुई। वह मकड़ वाली मस्जिद जिसके पास जुलूस गया और जुलूस के, पिछली बार भी जुलूस के किसी आदमी ने मस्जिद पर गुलाल फेंकी और वहां पर दंगा हुआ। अबकी बार और इसके पहले इसका इन्तजाम किया गया। जुलूस को निकालने के लिए पुलिस का पूरा इन्तजाम किया गया था और यह देखा गया गया था कि वहां पर खास तौर से मकड़ मस्जिद के पास जब जुलूस आये तो इस बात का ध्यान रखा जाये कि वहां पर किसी प्रकार की गुलाल नहीं फेंके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरे बैक ग्राउण्ड में जाना चाहता हूं। बिगोद में हमेशा अलग-अलग मोहल्लों में लोग होली खेला करते थे और सामूहिक रूप से प्रसन्नता से रहते। पिछले कुछ वर्षों से कुछ लोगों ने इसको एक कम्यूनल कलर देने की दृष्टि से वहां का जो चौराहा है वहां से एक बड़ा जुलूस निकाल कर और एक सामूहिक रूप से बाजार में मस्जिद के पास खास तौर से जुलूस बना कर दूसरे समुदाय को तंग करने की दृष्टि से योजना बनायी जाती है। अबकी बार भी वही घटना हुई। प्रशासन को चाहिए था कि वहां पर सामूहिक रूप से जुलूस को नहीं निकलने देने के लिए पहले से कुछ करना चाहिए था। आपने कहा कि बीगोद के चौराहे पर लोग इकट्ठे हुए वहां पर जुलूस बना कर सात सौ आठ सौ आदमी उस मकड़ वाली मस्जिद के पास जाकर उन्होंने होली मनाई और उसमें से, भीड़ में से किसी व्यक्ति ने एक पोलेथीन की

(श्री शिवचरण माथुर)

थैली में गुलाल मस्जिद की पहली मंजिल पर फेंकी और आपने कहा कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से चूंकि नमाज का वक्त था शुक्रवार का वक्त था और उनकी तरफ से भी कुछ पत्थर फेंके गये और इस प्रकार उधर से भी पत्थर फेंके गये। मैं 10 तारीख की रात को वहां पर गया। उपाध्यक्ष महोदय, आपको जान कर ताज्जुब होगा कि मुझे जिलाधीश और वहां के प्रशासन ने यह बात बताई कि साहब मुश्किल से 2-3 कंकरी कहीं से आयी, मालूम नहीं है आयी कहां से। लेकिन पत्थर फेंकने वाला खुद पकड़ा गया और मुस्लिम समुदाय के लोगों के नाम नहीं लिये गये। यहां पर जो आपने वक्तव्य दिया, बात कही है कि पहले वहां से पत्थर आया उसके बाद में जवाब देने की दृष्टि से दूसरे समुदाय ने पत्थर फेंके। यह मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। अल्पसंख्यक समुदाय इतना सीमित था, सारी घटनाओं को देख रहा था और कभी इस तरह की बात नहीं की गयी। लेकिन कुछ ऐसे तत्वों, जिनका धन्धा ही इस प्रकार की बातें करना है, खास तौर से उस मौके पर इस बात को बिगाड़ने की कोशिश की गयी। वहां 2-3 पत्थर आये और उसके बाद में वहां स्थिति पुलिस ने काबू की लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, वहां से करीब डेढ़ फर्लांग दूरी पर एक पटेलों के मोहल्ले में, कुमावतों का मोहल्ला आपने कहा था, जहां पर चार मकान अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। उन 4 मकानों में एक युसुफ पटवारी जो माण्डलगढ़ तहसील में लीव रिजर्व में काम करता है और जिसका साम्प्रदायिक दंगे से कोई ताल्लुक नहीं रहा। 30-40 लोग आकर के उसके मकान पर हमला कर देते हैं और उसमें 2 कमरों के मकान में रहने वाले 10-12 लोग अन्दर चले जाते हैं। बाहर से कुन्दी बन्द कर दी जाती है और उसके बाद पास के एक बाड़े में घास पड़ी हुई थी उस घास को लाया जा करके उनके जो ओढ़ने-बिछाने के कपड़े थे उनको बाहर रखकर जला दिया जाता है और उपाध्यक्ष महोदय, माननीय भंवर लाल जी व रमजान खां जी वहां पर गए और मुझे यहां पर आ करके दुःख हुआ कि कल जब यहां पर चर्चा हुई तो रमजान खां जी ने कहा कि यह साधारण घटना थी। मैं कहना चाहता हूं यदि समय पर पुलिस नहीं पहुंचती तो शायद गालव नगर में जो घटना हुई, यहां पर लोगों को जला दिया गया उसी प्रकार से कम से कम 12 आदमियों की नरबलि वहां पर हो जाती। उनको जिन्दा जला दिया जाता। कोशिश यह थी कि उनको अन्दर बन्द करके जिन्दा भून दिया जाय। वह तो ठीक हुआ कि आग लगने के कारण उस किंवाड़ की लकड़ी जलने के कारण वह कुन्दी खुल गई और युसुफ पटवारी अपनी जान बचाकर पुलिस को इत्तला करने के लिए भागा और पुलिस के आने के बाद में उन्होंने वहां शांति की, फायर ब्रिगेड भी आ गई लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, उस मकान के अन्दर जितने भी लोग थे उनको बेरहमी से पीटा गया। युसुफ पटवारी को पीटा गया, यासीन खां को पीटा गया, उसके लड़के इकबाल को पीटा गया। इकबाल की मां खालिरा को पीटा गया। उसकी पीठ पर अगर आपने देखा होगा तो आज भी उनके निशान हैं और यासीन खां के आज भी घाव के निशान पड़े हुए हैं। 6 साल की उसकी पोती उसको भी बुरी तरह से घायल किया गया और आप उसको साधारण बात मानते हैं। उनका सारा

(170)

(श्री शिवचरण माथुर)

सामान जला दिया गया और आप कहते हैं कि केवल ढ़ाई हजार रुपए का नुकसान हुआ है। मुझे युसुफ पटवारी ने खुद ने कहा कि हम तो सब परिवार के लोग सब छोड़कर चले आए थे और बाद में हमारा सामान कितना ही गया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि हमारे 2 तोले के सोने के जेवर थे और करीब आधा किलो चांदी का सामान था वह भी बाद में हमको नहीं मिला और आप कहते हैं ढाई हजार का नुकसान हुआ। चार मकानों में से 3 मकान जलकर खाक हो गये उनका सारा सामान जल गया और उसके बाद भी आप कहते हैं कि बहुत साधारण सी घटना हुई है।

श्री रमजान खाँ : किसने कहा साधारण घटना है ?

श्री शिवचरण माथुर : आपने कहा।

श्री रमजान खाँ : नहीं, गलत। मैंने नहीं कहा। मैंने कहा वहाँ पर सामान्य स्थिति है। वहाँ कहीं भी ऐसी बात नहीं है। साधारण घटना तो मैंने नहीं कहा।

श्री शिवचरण माथुर : आपने यहाँ पर कहा आपसे 10-12 लोग मुश्किल से मिलने आये।

श्री रमजान खाँ : वहाँ पर सामान्य स्थिति है, प्रेम-मोहब्बत हो गई है, आपस में मेल-मिलाप हो गया है। मैंने यह कहा।

श्री शिवचरण माथुर : आप वहाँ पर गए। माइनोरिटी के लोग आपसे मिलने नहीं आये। आपसे 10-12 लोग मुश्किल से मिलने आये।

श्री रमजान खाँ : यह भी आप गलत कह रहे हैं। मैंने मस्जिद में मीटिंग ली है। वहाँ पर कम से कम 200-300 आदमी इकट्ठे हुए थे।

श्री शिवचरण माथुर : आपसे कोई मिलने नहीं आये। 2-4 लोग आपसे मिलने गये।

श्री रमजान खाँ : सही बात यह थी कि आप जब वहाँ पर पधारे तो बाजार बन्द हो गए और आपसे मिलने के लिए कोई नहीं आये।

श्री शिवचरण माथुर : मुझे यह जानकर ताज्जुब और दुःख हुआ कि आपने यह कहा कि वहाँ पर साधारण घटना हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर पुलिस नहीं पहुँचती तो एक दूसरा गालव नगर वहाँ पर बन जाता। 12 आदमी वहाँ पर भून दिये जाते।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी की जगह कोई दूसरे माननीय सदस्य बैठे हैं। क्या कोई बदल गया है ?

श्री उपाध्यक्ष : आपके मित्र हैं आपको खुशी नहीं हो रही है।

श्री शिवचरण माथुर : इस सारी की सारी घटना के जेनेसिस में आपको जाना पड़ेगा। बात यह है कि वहाँ का आम हिन्दू, आम मुसलमान शांति चाहता है लेकिन 8-10 लोग ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो सरकार के प्रशासन पर हावी हैं। आप भी जायेंगे तो शान्ति वार्ता के लिए उन लोगों को बुलायेंगे जो वहाँ असामाजिक तत्व हैं।

(179)

(श्री शिवचरण माथुर)

जो अभी भी शांति स्थापित नहीं होने देना चाहते । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 8-10 लोगों को आप संभाल लें तो बीगोद में शांति स्थापित हो सकती है । लेकिन वे बी. जे. पी. के सक्रिय कार्यकर्ता हैं । कांग्रेस का कार्यकर्ता है तो बता दीजिए, उसको भी सजा दीजिए । जो भी गलत काम करे जो भी शांति भंग करना चाहता है चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बी.जे.पी. का हो उसको आप सजा दीजिए । लेकिन कुछ लोग जो दादागिरी करके असामाजिक तत्वों के जरिये वहाँ पर अशांति का वातावरण पैदा करना चाहते हैं सरकार यदि उनसे सही ढंग से नहीं निपटेगी तो बीगोद में शांति नहीं होगी ।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि यह विषय इतना गंभीर है इसको आसान नहीं माना जाय । अगर बीगोद में सरकार उसको रोक लेती तो शायद भीलवाड़ा की घटना नहीं होती । अभी थोड़ी देर पहले जब भीलवाड़ा का मामला आया था और जब श्री बंशीलाल पटवा यहाँ पर यह कह रहे थे बीगोद की घटना का असर था कि वहाँ पर इस घटना के एक दिन पहले भीलवाड़ा में एक छोटी सी गली में जो 7-8 फिट से ज्यादा चौड़ी नहीं है और कभी वहाँ पर जुलूस नहीं गया । इस साल वहाँ पर जुलूस निकालने की कोशिश की और वहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं । आखिर आप क्या करना चाहते हैं ? वहाँ जुलूस निकालने के साथ में ऐसे भड़कीले नारे लगाए जाते हैं, कहा जाता है कि आपको हिन्दुस्तान में रहना है तो इस प्रकार की बात करनी पड़ेगी । ये नारे लगाये गये, भीलवाड़ा में लगाये गये थे ।

(4.55 म. प.)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

बीगोद की घटना का असर था । इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर साम्प्रदायिक सद्भाव कायम करना चाहते हैं जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा हम साम्प्रदायिक सद्भाव पैदा करने के लिए आपका साथ देने के लिए तैयार हैं । (व्यवधान)

श्री भंवर लाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माथुर साहब, आप भड़कीले नारों का विरोध कर रहे हैं तो भड़कीला भाषण तो मत दो ।

श्री शिवचरण माथुर : भड़कीले भाषण देना हमारा क्षेत्र नहीं है । यह तो आपकी जेनेसिस है । (व्यवधान)

श्री रमजान खाँ : माथुर साहब, हमारे कारण बीगोद में भड़कीले नारे नहीं लगे ।

श्री शिवचरण माथुर : मैं भीलवाड़ा की बात कर रहा हूं । यही कारण था कि वहाँ पर ऐसी घटना हुई । यदि वहाँ पर रोक दिया जाता पहले ही तो शायद यह घटना नहीं होती ।

श्री सभापति : चर्चा बीगोद की हो रही है ।

श्री रमजान खाँ : बीगोद में मुसलमानों ने 8 तारीख को कहा कि आप जुलूस यहाँ

(श्री रमजान खाँ)

से निकालो । तब मुसलमान राजी-खुशी निकलवा रहे थे ।

श्री शिवचरण माथुर : नहीं, गलत कहा ।

श्री रमजान खाँ : एक दिन पहले शांति समिति की बैठक हुई थी । उसमें मुसलमानों और हिन्दुओं में आपस में बैठ करके बातचीत हुई । उन्होंने कहा निकालो, हम खड़े रहेंगे । पर एक शरारती तत्व ने एक छोटी सी पोटली मस्जिद की छत पर फेंक दी, वह बिल्कुल गलत थी । इसकी वजह से वह मामला खराब हो गया ।

श्री शिवचरण माथुर : लेकिन वहाँ तो नहीं हुआ । उसके बाद में तो है ।

श्री रमजान खाँ : बाद में दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई, मैं इसको मानता हूं ।

श्री शिवचरण माथुर : इस बात को आप स्वीकार कीजिए ना ।

श्री रमजान खाँ : कर रहे हैं न ।

श्री शिवचरण माथुर : आपने तो साधारण सी घटना मानकर कह दिया कि वहाँ बीगोद में कुछ नहीं हुआ ।

श्री रमजान खाँ : नहीं, मैंने यह नहीं कहा ।

श्री शिवचरण माथुर : लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि उस पटेलों के मोहल्ले में उस युसुफ पटवारी के मकान में 12 आदमी बन्द थे अगर वह कुन्दा नहीं टूटता और वह बाहर नहीं आता....

श्री रमजान खाँ : मेरी बात सुनिए । आप इतने बड़े आदमी हो करके यहाँ पर सदन में इस तरह की गलत बयानी कर रहे हैं । 12 आदमी नहीं थे केवल 3 थे । युसुफ पटवारी समेत 4 थे । युसुफ पटवारी पहले निकल गया । बाद में 3 थे । 2 बच्चे थे और एक उसकी बीबी थी ।

श्री शिवचरण माथुर : उसका सारा परिवार था । छोटे बच्चे थे और वह बाहर निकलकर भागा है, पुलिस को इत्तला दी है, पुलिस के आने पर शान्ति हुई है । इसलिए मैं बीगोद के सिलसिले में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । यदि आप चाहते हैं बीगोद में शांति हो तो आपको खुले दिमाग से उसे गंभीरता से लेना चाहिए । यदि आप वहां के असामाजिक तत्वों से निपटने की तैयारी रखते हैं तो बीगोद में शांति स्थापित हो जाएगी और मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि बीगोद में आम आदमी चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान हो, वह शांति चाहता है, वह शांतिप्रिय है । लेकिन सरकार दबा करके एक्शन नहीं लेना चाहती है । उन लोगों के खिलाफ जो कि सरकार के प्रशासन पर हावी हैं इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं । दूसरी बात जिनका नुकसान हुआ उनका ढाई हजार का नुकसान आप आंकते हैं । इन लोगों का मकान जल गया इन लोगों के कपड़े जल गए, इनका आप ढाई हजार रुपए के नुकसान का अंदाज लगाना चाहते हैं । उनको मुआवजा दीजिए और मुआवजा दे करके उनकी आर्थिक हानि को पूरा करने के लिए उनको रिहेबिलेट कीजिए । आपको पूरी मदद करनी चाहिए, यही मुझे आपसे कहना है । मैं आपसे

(श्री शिवचरण माथुर)

उम्मीद करता हूं आप इसको बहुत गम्भीरता से लेंगे और उन असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही करके बीगोद में शांति स्थापित करने की कोशिश करेंगे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, मैं भी इस पर कुछ कहना चाहता हूं। मैं भी बीगोद जाकर आया था, वहां ऐसा नहीं है कि एक तरफा बी. जे पी. के कार्यकर्ता ही कर रहे हों, कांग्रेस के सरपंच चांदमल व्यास भी उस साम्प्रदायिक दंगे में लिप्त हैं। असल जड़ जो है वह गुलाल की तो बाद में कहिये, दूसरी बात को लेकर विवाद है।

श्री सभापति : आप विराजिये, माननीय सदस्य। आप विराजिये, इनको बोलने दीजिये।

डा. चन्द्रभान : सभापतिजी, स्थगन प्रस्ताव तो मेरी ओर से था।

श्री सभापति : आप जरा ध्यान से सुनें।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय सभापति महोदय, इस सिलसिले में....

डा. चन्द्रभान : स्थगन प्रस्ताव मेरी ओर से था।

श्री हेतराम बेनीवाल : स्थगन प्रस्ताव सारों का है....(व्यवधान) हम तो सभी चाहते हैं कि स्थगन हो। यह बात नहीं है कि एक ही चाहता हो। सारे ही चाहते हैं कि स्थगन हो। इस मामले में हम तो अब एक हो गए हैं। लड़ोगे आप, मुझे डर लगता है कि आपके बीच में जो बैठे हैं वे लड़कर भागेंगे अभी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो इस सिलसिले में वक्तव्य दिया है, यह वक्तव्य निश्चित तौर से जिस रूप में आया है वह पुलिस की एक बनाई हुई कुक्ड चीज है, पकाई हुई कि इधर से पत्थर मुसलमान ने फेंका, उधर से हिन्दू ने फेंका। क्या समझ में आता है? मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस तरह के वातावरण में जहां पन्द्रह प्रतिशत मुसलमानों की आबादी है, पूरा माहौल सारे का सारा हिन्दू हो, होली के वक्त....

श्री महावीर प्रसाद जैन : 60 प्रतिशत थे वहां।

श्री हेतराम बेनीवाल : 60 प्रतिशत मुसलमान हों तो हिन्दू की हिम्मत नहीं हो वहां नारे लगाने की। मैं आपसे यह कह रहा हूं, कि सारी स्थिति इस तरह की है कि मुसलमान ने पत्थर फेंक दिया और हिन्दू ने गुलाल फेंक दी, असल चीज यह है कि इस वातावरण को पैदा किसने किया। वे कौन तत्व हैं जो उस वातावरण को पैदा करते हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन : चालीस साल हो गये आपको वातावरण पैदा करते।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप वही कर रहे हैं जो पैदा करना चाहते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, चेयर को सम्बोधित करें।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं चेयर को सम्बोधित कर रहा हूं पर कई सदस्य ऐसे बैठे हैं। (व्यवधान)

(श्री हेतराम बेनीवाल)

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि असल में यह बीगोद अकेले का मसला नहीं। यह घटना हुई, इसके बाद भीलवाड़ा में हुई, इससे पहले और घटनाएं हुयी। राज्य सरकार ने इस घटना का क्या कारण है, क्या उस कारण को खोजा है कि कौन लोग थे जो इकट्ठे हुए ? किसी राजनीतिक पार्टी के लोग इकट्ठे हुए या कोई असामाजिक तत्व इकट्ठे हुए ? एक मजहब के असामाजिक तत्व अगर इस तरह से दूसरे मजहब की मस्जिद पर पत्थर फेंकते हैं तो उनको पुलिस ने क्यों नहीं रोका ? क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की ? मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस का काम एक ही है. राजनैतिक तौर से उनको जो इन्स्ट्रक्शन मिलते हैं उनके खिलाफ मुकदमा बनाये। टाडा में बन्द कर दे या उनके खिलाफ मुकदमे बना दे। ऐसे ही ये मुकदमे दर्ज हुए हैं। 452, 436, 332, यह जिन-जिन लोगों के खिलाफ हैं उनकी बजाय जो गुण्डा तत्व हैं उन लोगों को अगर मौके पर काबू में किया जाता तो यह घटना नहीं होती।

दूसरी बात मैं माननीय गृह मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि यह जो मुसलमानों के मकानों में आग लगा दी, ढाई हजार रुपये का नुकसान हुआ, मुझे समझ में नहीं आता कि मकानों में आग लगने के बाद....

श्री भंवरलाल शर्मा : मकानों में आग लगी ही नहीं।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह कहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आग लगने का मतलब यह थोड़े ही है कि पूरा ही जल जाय।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी, इन्होंने कहा कि आग लगने के बाद ढाई हजार रुपये का नुकसान हुआ। किस तरह से ?

श्री हेमराज मीणा : जरूरी नहीं कि पूरा मकान जला हो।

श्री हेतराम बेनीवाल : मकानों में आग लगा दी। असल में राज्य सरकार की नीति ही है जिस अल्पसंख्यक का नुकसान हुआ हो, उसको पूरा नहीं करना। यह सिर्फ यहां की बात नहीं है, जयपुर के अन्दर भी आपने यही किया, जोधपुर के अन्दर भी आपने यही किया, ब्यावर के अन्दर यही किया और वही नीति आपकी वहां है, कि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि वातावरण को विषाक्त करने में जहां हमारे राजनीतिज्ञ दोषी हैं वहीं प्रशासन भी इसका दोषी है। हमने पुलिस लगा रखी है, उसको ला एण्ड आर्डर का मामला हमने सौंप रखा है। क्या इस मामले में गृह मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि इस तरह से हुड़दंग हुआ, इस तरह की तैयारी हुई और इस तरह से मस्त होकर लोग मस्जिद तक पहुंचे, उससे पहले पुलिस ने क्या कार्यवाही की ? मुझे यह लगता है कि इस मामले में पुलिस प्रशासन भी उनसे प्रभावित था। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन-जिन राजनीतिज्ञों का हाथ था चाहे वे किसी पार्टी के लोग हों, कांग्रेस के माननीय नेता अभी बोल रहे थे और

(श्री हेतराम बेनीवाल)

मोहम्मद माहिर आजाद भी पीछे से कह रहे थे....

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य। कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब तक राजनीतिक लोगों को, जो राजनीति खेलना चाहते हैं इन दंगों से और जो इन दंगों को करवाने के पीछे अपना राजनीतिक उद्देश्य हल करना चाहते हैं उनको हम बुक पर नहीं लायेंगे तब तक हम ईमानदारी से उसको हल नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहूंगा गृह मंत्रीजी से यह कहना, कि वे हाउस को यह बतायें कि कौन-कौन राजनीतिक पार्टी के लोग इसमें थे। होली का मामला इस तरह का है या गैर का मामला इस तरह का है कि वह राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है पर राजनीतिक लोग इसके बीच में आ गये हैं और उन्होंने दंगे करवाये हैं. यह चीज भी स्पष्ट होनी चाहिए। मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय डा. चन्द्रभान। कृपया समय का ध्यान रखें, कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

डा. चन्द्रभान : सभापतिजी, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि भीलवाड़ा के दंगों की वजह से कोई बीगोद की घटना का महत्व या गम्भीरता कम नहीं हो जाती। इन्होंने जो मुआवजे की राशि की घोषणा की है और इन दंगों की जांच के बारे में भी कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की है। जहां तक पुलिस अधिकारियों का या प्रशासन का सवाल है उसकी तारीफ करना या उनको बधाई देना, यह तो गृह मंत्रीजी की आदत में हो गया है। ये गृह मंत्री के रूप में नहीं, पुलिस आफिसर के रूप में इस तरह के जवाब देते हैं। एक बात मैं गृह मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा, माननीय शिवचरण जी ने भी कहा और यह बात सही है कि कम्युनल साइट्स के पाइंट आफ व्यू से बीगोद पिछले दो तीन वर्षों से सेंसिटिव है। दो साल पहले भी होली के अवसर पर, धुलण्डी के दिन इसी मस्जिद पर गुलाल फेंकने से दंगा हुआ था और अब फिर वही घटना रिपीट हो गई। पुलिस और प्रशासन उस मस्जिद के चारों तरफ विशेष इन्तजाम रखते तो क्या यह दुर्घटना या दंगा टाला नहीं जा सकता था? इसके लिए कोई विशेष इन्तजाम क्या पुलिस प्रशासन ने किया। सात तारीख को वहां पर कलक्टर, एस. पी. और एस. डी. ओ. पहुंच गये थे। ये कहते हैं कि प्रमुख लोगों से बातचीत हो गई थी और ज्यादा लोग भी इस जुलूस में इकट्ठा नहीं थे, कम लोग थे, उसके बावजूद भी यह दंगा फैला। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह बीगोद का ही दंगा है, इसी के रिएक्शन में कहिए या इसके सिक्वेंस में कहिए, यह भीलवाड़ा का दंगा फैला है। सभापति जी, यदि सरकार ने इन दंगों की इस कड़ी को नहीं तोड़ा या समाप्त नहीं किया तो ये दंगे दूसरी जगह भी फैल सकते हैं। अभी माननीय हेतरामजी ने कहा कि यह दंगों की राजनीति बन्द होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के शासन में, मैं एक बात पहले भी कहना चाहता था और अभी भी कहना चाहता हूं, विश्व हिन्दू परिषद्

(डा. चन्द्रभान)

और बजरंग दल खुल कर इस काम को कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक दल है, मैं यह नहीं कहता। सब की अपनी-अपनी भावनाएं हैं लेकिन थोड़ा बचकर या सरकार में है, यह भी जिम्मेदारी समझ कर काम करना चाहिए। किसी भी दल, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे जनता दल हो या भारतीय जनता पार्टी हो, के लोग इन दंगों में कहीं भी शामिल हों, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके साथ में पुलिस प्रशासन को गैर-जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

डा. चन्द्रभान : जिनके यहां पर आग लगी है उनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए और इसी के साथ इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री सभापति : श्रीमती मदन कौर।

श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मेरा नाम है इसमें। बीगोद का जो दंगा हुआ उस सम्बन्ध में विस्तार से माननीय माथुर साहब ने सारी बातें बतायीं। मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन अभी माननीय गृह मंत्री का स्टेटमेंट था उसमें उन्होंने कहा कि सन् 1985 में दंगा हुआ, सन् 1989 में दंगा हुआ और सन् 1991 में दंगा हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सन् 1985 से लेकर 1989 के बीच में क्यों वहां के हिन्दुओं ने होली नहीं खेली? क्यों वहां के मुसलमानों ने मोहर्रम पर ताजिया नहीं निकाला? और सन् 1989 से 1990 में क्यों उन्होंने होली नहीं खेली या मोहर्रम पर ताजिया नहीं निकाला। इस पृष्ठभूमि में इस बात को समझने की आवश्यकता है कि सन् 1985 में जब वहां पर दंगा हुआ उस समय चुनाव होने वाले थे और उस चुनाव में एक ऐसा वातावरण उस सारे क्षेत्र में फैला दिया गया। क्योंकि मेरा गांव भी उसी क्षेत्र में आता है, मैं स्वयं जानता हूं सारी स्थिति को कि उन्होंने यह फैला दिया कि यहां पर कांग्रेस बिल्कुल हिन्दू विरोधी है और कांग्रेस केवल मुसलमानों की हिमायती है। एक ऐसा वातावरण फैला दिया जिसमें कई दिनों तक बीगोद का कस्बा बन्द रहा, आसपास के क्षेत्र बंद रहे। उसके बाद चुनाव हुए। उनकी एक नहीं चली और वहां चुनाव में कांग्रेस जीती। ठीक यही बात 1989 में हुई। 1989 में जब चुनाव होने वाले थे उस वक्त भी इसी तरह का दंगा हुआ। उस दंगे में उन्होंने एक ही मसला खड़ा किया कि वहां के जो सरपंच हैं श्री चांदमल जी व्यास, इन्होंने यह दंगे करवाये हैं और इनको जब तक नहीं हटायेंगे तब तक ये दंगे बन्द नहीं होंगे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उस समय सरपंच भी कांग्रेस के थे। काफी दिनों तक हील हुज्जत होती रही। लेकिन उस समय मुख्य मंत्री माननीय शिवचरण जी माथुर साहब थे और उन्होंने इस बात को महसूस किया कि यदि हमारे कार्यकर्ता के त्याग करने से वहां शांति होती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। उनके अनुरोध पर उस सरपंच का त्यागपत्र दिलाया गया। उसके बाद में वहां शांति हुई। लेकिन उसके बाद

(श्री देवेन्द्र सिंह)

भी जब वापस पंचायतों के चुनाव हुए तो वहां चांदमल व्यास उसी बीगोद से वापस जीता। यह इस बात का प्रमाण है कि चांदमल व्यास जो सरपंच हैं वह वहां इतना गैर जिम्मेदार नहीं है और वहां की जनता जोरजबरदस्ती करना चाहती है और वह इस वातावरण को पैदा करना चाहती है। अब सन् 1991 में भी आज जो देश के हालात बने हैं कि यहां पर चुनाव होंगे, लोकसभा भंग होगी उसी को देखते हुए वापस बीगोद में दगे हुए हैं। इसलिए माननीय गृह मंत्री जी मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, ये दंगे न तो हिन्दू करा रहे हैं और न मुसलमान करा रहे हैं। जब 1947 में देश का विभाजन हुआ और बीगोद के मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते थे, उस समय वहां के हिन्दुओं ने सड़कों पर सो सो कर मुसलमानों को वहां पर रोका है। यह वह बीगोद है, जिसने राजस्थान को दिशा दिखाई है। वहां के लोगों ने सद्भावना पैदा की है और सद्भावना वहां पर कायम रखी है। लेकिन वहां पर जो स्थिति कुछ लोग बना रहे हैं उन लोगों को आपको राउण्ड-अप करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सन् 1985 में दंगा देखा, सन् 1989 में दंगा देखा और 1991 में भी दंगा हुआ। आम तौर से जब ऐसी घटनायें होने लगती हैं और जब प्रशासन वहां पर जाता है, व्यवस्था करता है तो असामाजिक तत्व वे चाहे किसी भी सम्प्रदाय के हों उनको भी राउण्ड-अप किया जाता है। आज कोई शहर बन्द होता है या कोई कस्बा बन्द होता है तो वहां पर प्रशासन ऐसे लोगों को राउण्ड-अप करता है। प्रशासन ने ऐसे लोगों को चाहे वे किसी भी समाज के हों उनको राउण्ड-अप क्यों नहीं किया? क्यों नहीं एहतियात बरती कि इस किस्म का दंगा नहीं होना चाहिए? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब चुनाव होने जा रहे हैं और बीगोद और उसके आसपास का क्षेत्र संवेदनशील इलाका बन चुका है तो वहां पर विशेष व्यवस्था करके इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। जो होना था वह हो गया। जो मुआवजे की बात माननीय माथुर साहब ने कही और दूसरे सदस्यों ने कही, वह करें लेकिन इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो उसके लिए परमावश्यक है कि वहां किसी भी समाज का व्यक्ति हो, आप दलगत राजनीति से उठकर उसको राउण्ड-अप करके उसका प्रबन्ध कीजिए।

श्री सभापति : श्री नत्थीसिंह (अनुपस्थित)

श्री दिलसुखराय — (अनुपस्थित)

श्री प्रद्युम्न सिंह — (अनुपस्थित)

श्री बुलाकीदास कल्ला — (अनुपस्थित)

श्री जुबेर खां — (अनुपस्थित)

श्री हरीसिंह (महुआ) — (अनुपस्थित)

श्री पूनमचन्द विश्नोई — (अनुपस्थित)

श्री कमलेन्द्र सिंह — (अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीलाल।

श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द) : सभापति महोदय, बीगोद के सन्दर्भ में जो वक्तव्य माननीय गृह मन्त्री महोदय ने दिया है उसमें दो बातें देखने की हैं। वे यह कि इस गांव में पहले भी तीन बार दंगे हो चुके हैं और इस बार जो दंगा हुआ वह पिछले दंगे की

(श्री लक्ष्मीलाल)

बिल्कुल पुनरावृत्ति था। वही अवसर जिसके ऊपर जुलूस निकला और उसी प्रकार से यह बात हुई। इस सम्बन्ध में मैं माननीय गृह मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि होली के अवसर या ऐसे अवसर जब आते हैं जहां प्रशासन को इस बात का आभास रहता है कि इन अवसरों पर ऐसे दंगे हो सकते हैं या कोई असामाजिक तत्व इन अवसरों पर कुछ इस तरह की शरारती बातें कर सकते हैं तो प्रशासन की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि प्रिवेन्टिव तौर पर अपनी सतर्कता का पूरा ध्यान रखे। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस दंगे के थोड़े ही दिन पहले वहां के थानेदार को बदला गया है। एक नया थानेदार जो भी आता है कौन आदमी किस तरह का है, किस तरह का एनवायर्नमैण्ट है, नयी जगह जब आता है तो वहां की परिस्थितियों को समझने में उनको समय लगता है। यह संवेदनशील समय था। होली के अवसर पर इस तरह के दंगे हो जाते हैं। उस समय इस तरह के थानेदार को बदलना, और यही नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हमारे भीलवाड़ा के एस. पी. साहब ने, आपकी जो ट्रान्सफर पालिसी बनी है उसको ताक में रखते हुए तमाम जगह के थानेदारों के होली के अवसर पर तबादले किये हैं। प्रिवेन्टिव बिजिलेंस होती और अगर दूरदृष्टि से प्रशासन को ऐसे अवसरों पर और ऐसे स्थानों पर तैनात करते तो यह बात नहीं होती। रहा सवाल इस जुलूस का तो इस तरह से बताया गया है कि अगले दिन दोनों समुदायों के लोग रजामन्द उस पर हो गए थे और उसके बाद में इस तरह का जुलूस निकला। तो क्या उस वक्त इस जुलूस के साथ पुलिस फोर्स थी? होली के अवसर पर शराब पीकर कोई भी असामाजिक तत्व कुछ भी बात कर सकते हैं। ऐसे अवसर पर जब जुलूस निकलता है तो जुलूस की अगुवाई के लिए, पिछवाई के लिए कुछ पुलिस के सिपाही तैनात होने चाहिए थे। मैं जानना चाहता हूं कि जुलूस के साथ में कितनी फोर्स थी? उस पुलिस फोर्स के रहते हुए क्या इस तरह की वारदात हुई? अगर ऐसी बात है तो माननीय गृह मंत्री जी इस का स्पष्टीकरण करें।

श्री सभापति : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बीगोद देखा है क्या आपने

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडभीम) : आप कृपया मुझे बोलने दें। इतना गम्भीर मसला है उस पर आप मजाक कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इनके मजाक को रोका जाय। बीगोद का मामला है जहां पर इतना भयंकर काण्ड हुआ है और इनको मजाक सूझ रही है। एक तरफ तो यह हिन्दुओं की बात करते हैं, राम की बात करते हैं और दूसरी तरफ लोगों को मारा जा रहा है उसके ऊपर विचार नहीं करने देते हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में चाहे वह हिण्डौन का काण्ड हो, चाहे वह बीगोद का काण्ड हो और चाहे वह भीलवाड़ा का काण्ड हो, लगातार काण्ड होते जा रहे हैं। हमारे त्यौहारों पर काण्ड होते हैं। एक तरफ सरकार हिन्दुओं की ओर राम की बात करती है और दूसरी तरफ हिन्दुओं के त्यौहारों के दिन ऐसी घटनायें घटने लग गयीं। लोगों के रीति-

(श्री रामस्वरूप मीणा)

रिवाज और परम्परायें बन्द होती जा रही हैं। इस प्रकार की वारदात अगर हिन्दुओं के त्यौहार पर हुई तो आप जानते हैं क्या परिणाम निकलेंगे? यह हिन्दुओं का त्यौहार जो होली का है, धुलण्डी का है यह एक पवित्र त्यौहार है जो इस बात की ओर संकेत करता है, इस बात की परम्परा डालता है कि हमारे अन्दर जो छोटे-मोटे मतभेद हैं धुलण्डी के दिन गले लगाकर एक दूसरे के जो बैरभाव हैं उनको बिसरायें। इस बात को लेकर यह त्यौहार मनाये जाते हैं। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इतने पवित्र त्यौहार के दिन दंगे होने लगे, भाई भाई लड़ने लगे, हिन्दू-हिन्दू लड़ने गये। ऐसी बड़ी विडम्बना, ऐसी बड़ी भयंकर स्थिति राज्य में हो जाये और उसके बाद सरकार जो मजाक करने वाले हैं उनको भी नहीं रोके तो इससे बुरी बात क्या होगी? ++ +माननीय सभापति महोदय, इस काण्ड के अन्दर सबसे बड़ी अगर कोई बात हुई है वह एक ही बात है जब पहले ही इन लोगों को पता था कि इस प्रकार का काण्ड हो सकता है... तो क्यों नहीं पूरी फोर्स लगा लगा दी गई ताकि वहां पर इस प्रकार की अव्यवस्था नहीं फैलती? इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि इसमें लापरवाही बरती गई है। हम जानते हैं, पुलिस प्रशासन की सारी व्यवस्था होती है, जिला प्रशासन उसके अन्दर लगता है। लेकिन उसके बाद भी हमारे देश में इस तरह का साम्प्रदायिक वातावरण, इस तरह की भावनाएं भड़कती हुई चली जा रही हैं, यह व्यवस्था लगातार दंगों को करवाने में सहयोग करती है। इसलिये सबसे पहले हमको सबको सद्भावनापूर्ण ऐसे विचार बनाने चाहिये, लोगों में भाईचारा फैलाना चाहिये ताकि भविष्य में इस प्रकार के कांड न हों। पहले हिण्डौन का काण्ड हुआ था और इसी प्रकार का यह दूसरा कांड आपके सामने और है। लगातार भीलवाड़ा काण्ड हो गया। इसलिये इस बारे में स्थायी हल कोई ढूंढना चाहिये। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, माननीय गृहमंत्रीजी यहां बिराजमान हैं, अगर इसी प्रकार कांड होते रहें तो एक दिन हमारा आपका त्यौहार मनाना दूर आपका और हमारा जिन्दा रहना भी दूभर हो जायगा। इसलिये इस बात के बारे में गंभीरता से विचार करें कि जब जब भी कोई त्यौहार आये उससे पहले सारा प्रशासन सतर्क हो जाना चाहिये. सारी फोर्स जहां पता है कि दंगा हो सकता है वहां पर लगा देनी चाहिये। इस प्रकार से जो विचाराधाराएं पैदा होती हैं, जो गुण्डा तत्व इस प्रकार की विचारधारा को फैलाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिये? चाहे वह किसी मंत्री का रिश्तेदार हो, चाहे वह किसी का भी रिश्तेदार क्यों नहीं हो। मेरा आपसे निवेदन है कि दंगों के अन्दर किसी भी दोषी व्यक्ति को नहीं बचाना चाहिये।

दूसरी बात मेरी यह है कि जिन लोगों को नुकसान ऐसे दंगों के अन्दर होता है उन लोगों को मुआवजा सरकार बहुत कम निर्धारित

++ +अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रामस्वरुप मीणा)

करती है यह नहीं होना चाहिये। उसके अन्दर मृतक लोगों को कम से कम पांच-पांच लाख रुपया दिया जाना चाहिये। जिन लोगों ने ऐसे कांड किये हैं, जिस किसी ने पत्थर फेंका है मकान के ऊपर से, जिसके मकान से पत्थर आये हैं उस शख्स के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं कर देनी चाहिये ? उसको अरेस्ट कर लेना चाहिये। सरकार कह देती है कि जांच चल रही है, मुकदमे दर्ज कर दिये गये हैं। कोई भी निश्चित व्यवस्था की घोषणा नहीं करती है कि जिसके खिलाफ किया गया है, कौन को गिरफ्तार किया गया है। उसमें भी मतभेद पैदा कर दिये जाते हैं और राजनैतिक रूप दे दिया जाता है दंगों को। इसलिये मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह जो दंगा वहां पर हुआ है इसके बारे में आप कोई स्थायी हल सोचेंगे ताकि भविष्य में आने वाला हमारा त्यौहार जो भाई चारे की भावना बढ़ाता है, हमारी दुश्मनी को खत्म करता है, एक-दूसरे पर रंग पटकते हैं, गुलाल से खेलते हैं....

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री रामस्वरुप मीणा : ऐसे त्यौहार को स्थायी कायम रखा जाय। दोषी व्यक्ति हैं उन लोगों को दंडित किया जाय और जिन प्रशासकों की लापरवाही से यह कांड हुआ है उन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जाय। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अन्त में यही कहना चाहता हूं, आज जो सरकार हमारे सामने बैठी हुई है इसको यह पता नहीं है। आज ये दंगे होते हैं, से कार्यरूप लेते हैं....

श्री सभापति : समाप्त करें। समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरुप मीणा : कल आने वाला समय, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, बिगुल बज चुका है, यह जनता ऐसे अत्याचारियों को सहन नहीं करेगी। हम आप सबको जनता के बीच में जाना है तो इन कांडों पर ध्यान दो वरना यह जनता हमको आपको निकाल कर फेंक देगी।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, बीगोद की जो घटना घटी है उसके ऊपर माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। खास तौर से भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी शिवचरणजी माथुर साहब ने और उन्होंने विशेष तौर से इस बात को कहा, दो वर्ष पुरानी जो घटना हुई, 1985 में होकर 1989 में हुई....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। आप नहीं थे, आपका नाम पुकारा था।

एक माननीय सदस्य : मैं पूछ तो सकता हूं, सर ? मैं प्रश्न तो पूछ सकता हूं कि नहीं पूछ सकता ?

श्री दिग्विजय सिंह : दोनों घटनाओं में जो क्षति हुई, वह बहुत भयंकर थी, बहुत भारी थी। मैं उस सारी बात में दुबारा नहीं जाऊंगा। पर, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रशासन ने उन दोनों घटनाओं को एनविसेज करते हुए सोचते हुए ये घटनाएं वापस इस प्रकार की नहीं घटें, दोनों समुदायों के लोगों को बुला कर बातचीत की है। बातचीत करने के बाद

(श्री दिग्विजय सिंह)

दोनों की सहमति हुई और दोनों समुदायों ने इस बात के लिये स्वीकार किया कि कोई इस प्रकार की घटना या कोई अप्रिय घटना नहीं होगी और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण के अन्दर हम मिल जुल कर जुलूस ताजिये वगैरह निकालेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में प्रशासन ने यह ढील दी। इसके साथ यह निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय कि प्रशासन की तरफ से पुलिस फोर्स और दूसरा इन्तजाम माकूल था। मेरे ख्याल से माननीय पूर्व मुख्यमंत्रीजी शिवचरणजी माथुर साहब इस बात को स्वीकार करेंगे। हम इस बात से पहले से ही सतर्क थे कि हो सकता है, सब सावधानी बरतने के बावजूद भी वे असामाजिक तत्व इस प्रकार की घटना कर सकते हैं, जो आगे जाकर बड़ी घटना स्वरूप धारण कर ले। इसलिये सारी फोर्स और सारा प्रोटेक्शन, सारा इन्तजाम हमने किया हुआ था। उसके साथ-साथ हमने दोनों समुदायों के लोगों से बातचीत की। दोनों ने जब इसकी रजामंदी की उसके बाद के अन्दर यह जुलूस निकला। इसलिये जो माथुर साहब ने फर्माया कि उसके अन्दर किसी को पीटा गया या घसीटा गया, यासीन खां के लिये जो आप बता रहे थे, मुझे जहां तक जानकारी है उन पटवारी से पुराने दंगों के मामले को लेकर भी कोई रंजिश थी। उसको ले करके उनके घर के अन्दर जो आग वाली आपने बात कही है, आग उनके घर के अन्दर लगायी नहीं, आगे का छप्पर था, थोड़ा सा फूस, वह जला है। उसको तुरन्त बुझा दिया गया और ज्यादा कोई नुकसान उनके घर के अन्दर उनकी कोई मिल्कियत का या कोई माल बिखरा हो या माल जला हो, ऐसा कोई नहीं हुआ।

श्री शिवचरण माथुर : घटना की जानकारी आप सही नहीं दे रहे हैं। यूसुफ के मकान में तो लोग बंद थे। उसका तो सारा घास लाकर के, कपड़े, ला करके बाहर जलाये हैं। जो आप छप्पर की थोड़ी-सी बात कहते हैं, वह दूसरे यासीन खां के मकान की बात है। लेकिन युसुफ पटवारी के मकान में तो अंदर लोग बंद थे....

श्री दिग्विजय सिंह : जो मेरे पास जानकारी है....

श्री शिवचरण सिंह : जानकारी आपकी गलत है।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं वह कर लूंगा।

श्री शिवचरण माथुर : आपकी जानकारी गलत है।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, आपने यहां यह भी फरमाया कि वहां पर आठ-दस कुछ इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो इस सारे वातावरण को बिगाड़ते हैं। मैं उस सारे परिप्रेक्ष्य में, उस बात में नहीं जाऊंगा मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जब दोनों समुदाय मिल कर इस बात के लिये रजामंदी होते हैं और सारा वातावरण अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं तो उसके अन्दर वे आठ-दस व्यक्ति कोई ज्यादा बिगाड़ नहीं सकते। कोई करेंगे इस प्रकार की कार्यवाही और आप अगर उनको नामजद करेंगे या पहले बतायेंगे तो निश्चित रूप से सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी उस पर कार्यवाही करने में कोताहेगी नहीं।

(190)

(श्री दिग्विजय सिंह)

सभापति महोदय, हेतरामजी बेनीवाल ने जो बात कही कि मुझे आश्चर्य हुआ, पुलिस ने उस जुलूस को क्यों नहीं रोका या जो जुलूस निकल रहा था उसको रोक लेना चाहिये था। मैंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया है कि दोनों ही समुदायों ने मिल कर तय कर लिया था कि हम जुलूस निकालेंगे और जुलूस खुल कर सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में निकालेंगे। इसलिये कोई पुलिस को उसको पहले से रोकने की बात करने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री शिवचरण माथुर : यह जो जलने की घटना हुई है वह वहां मस्जिद की जगह पर नहीं हुई है वह दो फर्लांग के ऊपर हुई है।

श्री दिग्विजय सिंह : मस्जिद के बाद। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल पटवा : और गुलाल वाली घटना डिफरेंट प्लेस पर है।

श्री शिवचरण माथुर : वही मैं कह रहा हूं। मकानों के जलने की जो घटना है, मकानों के जलने की घटना तो वहां से करीब दो फर्लांग दूर पर है। कुमावतों के मोहल्ले में, पटेलों के मोहल्ले में जो आपने बतलाया, वहां ये तीन मकान जले हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : वह तो मस्जिद में जब उन्होंने गुलाल की पोटली फेंकी उसके बाद की बात आप फर्मा रहे हो।

श्री शिवचरण माथुर : उसके बाद, हां।

श्री दिग्विजय सिंह : तो उसके बाद मैं बता रहा हूं। मौके पर उनको पकड़ लिया गया था।

श्री शिवचरण माथुर : जो मैं आपसे कह रहा हूं, दोनों ग्रुप्स के लोगों को बैठाकर बातचीत की, तो वहां तो आपने पुलिस का इन्तजाम कर दिया, वहां घटना नहीं घटी और घटना घटने से बच गई। लेकिन उन लोगों की शरारत इनको नुकसान पहुंचाने की थी और जो हमेशा इस प्रकार की घटनाएं करवाते हैं उन्हीं के नेतृत्व में वहां लोग गये। आप कहते हैं कि रंजिश के कारण यूसूफ पटवारी के घर पर आग लगाई गई। कोई रंजिश नहीं थी। एक योजनाबद्ध तरीके से चूंकि इस मोहल्ले में चार अल्प समुदाय के लोग रहते हैं....

श्री दिग्विजय सिंह : मैं इसके लिये भी निवेदन करूं कि आप इस बात को शायद स्वीकार करेंगे, मौके पर आप खुद जाकर आये हैं, तीन चार दिन बाद खुद पधारे थे आप, वह जो घटना हुई, इसके ऊपर जो पोटली फेंकी गई उसके बाद के अन्दर वह जो आग लगाई गई थी, उस आग के ऊपर तुरन्त काबू पा लिया गया था, फायर ब्रिगेड पहुंच गई थी और फायर ब्रिगेड ने कोई ज्यादा क्षति हो उसके पहले ही उस आग के ऊपर काबू पा लिया था।

सभापति महोदय, माननीय चन्द्रभानजी ने एक बात मेरे ऊपर खास तौर से कही कि साहब, मेरी तो आदत में शुमार हो गया है पुलिस प्रशासन की तारीफ कर देना। मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं, अगर कोई काम अच्छा करे तो उसकी तारीफ करना कोई गुनाह है? मैं आपसे फिर कहूंगा

(श्री दिग्विजय सिंह)

और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि अगर पुलिस तत्परता नहीं बरतती तो बड़ी भयंकर घटना घट सकती थी। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आप चाहे न कहें। बल्कि आपको भी चाहिए, अगर कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से अच्छा काम हुआ है तो एक दफा आप तारीफ कर देंगे, तो कोई छोटे नहीं हो जाएंगे।

डा. चन्द्रभान : ये दंगे हुए हैं यह कोई अच्छा काम हुआ है क्या ?

श्री दिग्विजय सिंह : आप मेरी तरफ देखो, ऊपर मत देखो। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : आप फंसे हुए हो चारों तरफ से, इसलिए महसूस हो रहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप अच्छा काम करोगे तो एक बार नहीं दस बार तारीफ करेंगे।

(5.30 म.प.)

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सारे सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने की बात है हम सब चाहते हैं कि प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव बना रहे और हर सूरत में इसे बनाये रखने की हम कोशिश करेंगे। हम इस सदन में इस प्रकार का वातावरण पैदा करें, इस प्रकार की बात कहें ताकि उसका प्रतिबिम्ब अखबारों के माध्यम से बाहर जाय-जो सही माने में इस बात का द्योतक हो कि हम सब चाहते हैं, साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए हम सब दृढ़ संकल्प हैं। अगर यहां पर एक दूसरे से इस बात के लिए करें कि इनकी वजह से होता है, इन कारणों से होता है तो मैं समझता हूं कि जो साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने की हम बात कह रहे हैं वह बन नहीं पाएगा और उल्टे बिगाड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। सभापति महोदय, मैं एक ही निवेदन करूंगा कि जो कुछ स्टेटमेंट में दिया है उसमें मैंने सारी बात कह दी है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है। जो माननीय सदस्यों ने कहा उसका उत्तर मैंने आपके सामने दे दिया।

श्री शिवचरण माथुर : मुआवजे का क्या कह रहे हैं ?

श्री दिग्विजय सिंह : मुआवजे का मेरे पास ढाई हजार का आया है अगर उससे ज्यादा है तो मैं जांच करवा लूंगा और अगर होगा तो राज्य सरकार को मुआवजा देने में कोई इन्कार नहीं है।

श्री बंशीलाल पटवा : वे तो केवल किवाड़ वगैरह जले हैं थोड़े-से, और क्या हुआ है ?

आय-व्ययक 1991-92 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री सभापति : बजट पर चर्चा, श्री ओम प्रकाश गुप्ता।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : सभापति जी, हमें अवसर ही नहीं दिया जाता है। कल, परसों और परले दिन भी हमारा अवसर नहीं आया।

श्री सभापति : आज आपका जरूर आएगा। (व्यवधान)

(192)

श्री रामस्वरूप मीणा : आप ऐसी +++ मत करो हमारे साथ, आप उनको तो बार-बार अवसर देते हो। हमारा पहले अवसर आना चाहिए, तीन दिन हो गये।

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमूं) : कल भी हमारा एक सदस्य बोला और बी. जे. पी. के तीन बोले थे। आज हिसाब से हमारा आना चाहिए, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : आन ए पाइंट आफ आर्डर। सभापति महोदय, कल भी लास्ट बीजेपी की तरफ से बोलने वाले थे और फर्स्ट भी उन्हीं का था तो क्रम के हिसाब से कांग्रेस का नम्बर आएगा या जनता दल का आएगा। वह नम्बर आना चाहिए। यह क्रम तोड़ना ठीक नहीं है।

श्री सभापति : अभी कर लेते हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : सभापति महोदय, न्याय करो, आप क्रम के हिसाब से लो। यह नहीं कि बी. जे. पी. को कल भी दे दिया और आज भी।

श्री सभापति : आप, बिराजिए, श्री ओम प्रकाश गुप्ता।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (बैराठ) : सभापति महोदय, राजस्थान की जनता के लिए वर्ष 1991-92 का जो बजट रखा गया है वह भ्रष्टाचार को समाप्त किये जाने, प्रशासन में मितव्ययता लाने, गरीब ग्रामीण और किसानों के सर्वांगीण विकास का दस्तावेज है। माननीय मुख्य मंत्री जी जो वित्त मंत्री भी हैं, जब उन्होंने बजट बनाया होगा तो शायद उनकी दृष्टि कुछ शहरों और गांवों में ही सीमित नहीं रही बल्कि राजस्थान के उन इलाकों तक गई जिन पर पहले की सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया था। उनकी नजर उन ढाणियों तक गई जहां कांग्रेस प्रशासन में गांवों के अलावा उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया था।

(5.35 सायं)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

उनकी नजर उन बीहड़ और जंगलों के क्षेत्रों में गयी जहां महिलाएं काफी दूरी से चल कर घड़े अपने सिर पर रख कर पीने के पानी की व्यवस्था करती थीं। उन्होंने यह भी महसूस किया होगा कि गांवों के और ढाणियों में रहने वाले लोग, वनवासी और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो इस राजस्थान के नागरिक हैं, जिन्होंने आजादी को देखा नहीं, शायद कभी आजादी सुनी होगी और 40-42 साल की आजादी के बावजूद जो आजादी का लाभ जनता को मिलना चाहिए, उसको कभी चखा भी नहीं होगा उनकी तरफ उनका ध्यान गया। मैं माननीय वित्त मंत्री जी की इस नजर पर बधाई देते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि बजट में जो लक्ष्य रखे गये हैं, जो दृढ़ संकल्प व्यक्त किया गया है वह संकल्प आगे भी जारी रहे। राजस्थान की जनता ने हम को पांच वर्षों के लिए निर्वाचित किया है, आने वाले सालों में मुझे पूरा विश्वास है इस दृढ़ निश्चय के साथ राजस्थान की गरीब जनता की निश्चित रूप से माननीय

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री ओमप्रकाश गुप्ता)

भैरोंसिहजी के नेतृत्व वाली सरकार पूरी सख्ती के साथ सेवा करेगी।

सभापति महोदय, बिजली, सिंचाई, सड़क, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं, कृषि और ग्रामीण विकास योजनाओं के मदों में बजट में वृद्धि हुई। कांग्रेस के भाई जब बोल रहे थे सामने से उन्होंने इस वृद्धि की कभी कोई चर्चा नहीं की। उनके पास चर्चा का कोई मामला भी नहीं था। वे बोलते-बोलते बोल गये कि यह बजट दिशा विहीन है, दिशा शून्य है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौनसी दिशा उन्होंने दी थी दस साल के इतिहास में? मैं ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहता। अभी विद्युत की बात हो रही थी, हम 1981-82 के कनेक्शन दे रहे हैं। आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा, अगर आप कनेक्शन देते तो माननीय भैरोंसिंह शेखावत सरकार को 1981-82 के कनेक्शन नहीं देने पड़ते व 1989-90 के कनेक्शन देते। लेकिन पिछले दस सालों से एक भी कनेक्शन नहीं दिया गया। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : (लालसोट) सभापति महोदय, मेरी बात सुनिये। आपने इस साल कितने गांवों का विद्युतीकरण किया है? एक हजार में से अब तक कितना कर चुके, यह बताइये आप।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : यह तो विद्युत मंत्रालय आपको बताएगा।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री परसादीलाल मीणा : आप संख्या बता दें, कितने गांवों का भैरोंसिहजी ने और आपने विद्युतीकरण किया?

श्री सभापति : आप इनका भाषण सुनिए।

श्री परसादीलाल मीणा : यह कोई चौपड़ का भाषण नहीं है, मुझे आंकड़े बताएं आप।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : 1981, 1982 और 1983 में जब हम बिजली के लिए आन्दोलन करते थे उस समय कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। जिन लोगों ने रिश्वत दे दी उनको कनेक्शन दे दिये बाकी किसी को नहीं दिये। इसी का परिणाम है कि आज हम 1981-82 के के कनेक्शन दे रहे हैं 1985 तक आपने नहीं दिये, 1990 तक नहीं दिये और इसका परिणाम आपको किसानों ने दिया। इधर से उधर बैठा दिया। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आप भी इधर आने को तैयार हो जाओ। कितने गांवों को विद्युतीकरण किया? नहीं बताएंगे तो हेलमेट पहन कर जाना चुनाव में, ऐसे मत जाना।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : कल जो जिलों की चर्चा हो रही थी और लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य दौसा में जिला बनाने के लिए काफी दुखी हो रहे थे, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारी सरकार ने निश्चय किया है....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बार-बार व्यवधान न डालें, माननीय परसादीलाल जी।

श्री परसादीलाल मीणा : इनकी सर-

(190)

(श्री परसादीलाल मीणा)

कार कुछ ही, चन्द दिनों में चली गई, चाहे भैरोंसिहजी को देख लो, या पहाड़ियाजी को देख लो और अब फिर भैरोंसिहजी को देख लेना। आप केवल घोषणा करते हो।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : हमारी सरकार ने सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने का निश्चय किया है। हमारी सरकार ने निर्वाचित संस्थाओं को एक सम्मान दिया है। पंचायतों में भ्रष्टाचार होते थे, पंचायत समितियों में भ्रष्टाचार होते हैं, जिला परिषदों में भ्रष्टाचार है लेकिन वे निर्वाचित हैं। हमने निर्वाचित संस्थाओं को इज्जत दी है। हमने जनता की आस्था में विश्वास किया है। हम जन आस्था में विश्वास करते हैं और उसके कारण, माननीय सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बार-बार व्यवधान नहीं डालें।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : जो सत्ता का विकेन्द्रीकरण है, आज तीन नए जिले बनाये हैं वह इस बारे में एक कदम है। आगे भी निश्चित रूप से तहसीलों के बारे में विचार किया जाने वाला है, उपखण्डों के बारे से विचार किया जाने वाला है। हमने चुनावों में घोषणा की थी, चुनावी घोषणा पत्र भी जारी हुए थे। सभी पार्टियों ने अपने-अपने घोषणा-पत्र जारी किये थे। कल जनता दल के माननीय नेता बोल रहे थे कि चुनावों के घोषणा पत्र का क्या हुआ ? मैं निवेदन करना चाहता हूं, कौन से घोषणा पत्र का कौनसा मद ऐसा है जिसमें सरकार ने कुछ करने का प्रयास नहीं किया हो ? जहां तक....

श्री रामेश्वरदयाल यादव : मण्डल आयोग है। मण्डल आयोग के बारे में इस सरकार ने कुछ नहीं किया। आपने जनता से वादा किया था।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : मण्डल आयोग? किसानों को मण्डल आयोग से कोई मतलब नहीं। किसानों को रोटी चाहिए रामेश्वर जी, किसानों को मकान चाहिये, रामेश्वर जी किसानों को रोजगार चाहिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, जो माननीय मुख्य सचेतकजी अपना भाषण दे रहे हैं, उसके अन्दर 140 कौमें है। उसके अन्दर किसान नहीं है क्या ? (व्यवधान)

श्री रामकरण सिंह ((कोटपूतली) : ठीक है, ये तो भाषण दे रहे हैं। लेकिन इस तरह की बात कह रहे हैं कि आप किसानों को वंचित रखना चाहते हैं। क्या आप यह चाहते हैं कि मण्डल आयोग में किसान नहीं हो ? आपको अपने आपको सुधारना चाहिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया आसन ग्रहण कीजिये। माननीय रामकरणजी, कृपया बिराजें। (व्यवधान)

श्री रामेश्वरदयाल यादव : ये सरकारी मुख्य सचेतक हैं। आप अपना भाषण सरकारी मुख्य सचेतक की हैसियत से दीजिये। (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने किसानों के ऋण माफ किये। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने विद्युतीकरण के लिए

(श्री ओमप्रकाश गुप्ता)

एक लक्ष्य निर्धारित किया है। गांवों के लिए भी किया है, कुओं के लिए भी किया है। (व्यवधान) आपने बजट नहीं पढ़ा है। पढ़ लेना। उसमें 700 गांव हैं, 25000 कुएं हैं जो इस वर्ष के लिए हैं। आपकी तरह, आपकी सरकार की तरह+++ की घोषणा नहीं है। ये वास्तविक घोषणाएं हैं, इनकी क्रियान्विति होगी। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आपने 100 गांवों में विद्युतीकरण के लिए कहा था। कितने गांव हो गये यह बताइये आप। आपकी सरकार तो सारी की सारी। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। आसन ग्रहण कीजिये।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : हमारी घोषणाओं का जो लक्ष्य है, वह बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। जैसा पिछले साल के बजट में हमारे मुख्यमंत्रीजी ने घोषणा की थी कि ग्रामीण विकास पर 60 प्रतिशत खर्चा होगा लेकि खर्चा हुआ 62 प्रतिशत। 700 गांवों की घोषणा थी, तो वह 1000 गांवों से कम नहीं होगा, ऐसी हमको उम्मीद है। हम कम बताते हैं, काम ज्यादा करते हैं। आप काम कुछ भी नहीं करते, और बताते हैं मानो कि बहुत कुछ कर दिया। आपने खाली कागजी कार्यवाही के अलावा कुछ नहीं किया। आपने जनता को बर्बाद कर दिया, आपने राजस्थान की जनता के साथ अन्याय कर दिया। आपने राजस्थान के ढोरों को पीने के पानी के अभाव में मरने के छोड़ दिया।

श्री परसादीलाल मीणा : सही मायने में आपने बर्बाद किया है। इसका नतीजा चुनावों में भुगतना पड़ेगा।

श्री सभापति : माननीय परसादीलाल जी, बिराजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वे ऊपर इशारा क्यों कर रहे हैं, सभापति महोदय ? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय परसादीलाल जी, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री शान्तिलाल चपलोत (विधि एवं न्याय मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, 20 सदस्यों को और बोलना है। ये यूं ही व्यवधान डालते रहेंगे तो समय समाप्त हो जायेगा और सदस्यों को बोलना है, उनको समय नहीं मिलेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप चुप होकर सुन लीजिये। हरेक का भाषण शान्ति से सुनना चाहिये। आपको जब बोलना हो, तब आप बोलना। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, मंत्री महोदय खड़े हैं। मंत्री महोदय खड़े होकर व्यवधान कर रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : मंत्री जी, आप तो बिराज जाओ, होने दो डिबेट को। (व्यवधान)

+++शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(198)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : मुझे अच्छी तरह याद है, जब इस सरकार ने अपना कार्यकाल शुरू किया था, सभापति महोदय, हम चुनावों के बाद जिन-जिन गांवों में जाते थे, पीने का पानी नहीं था। (व्यवधान)

श्री बिरदाराम चौधरी (मकराना) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय व्यवधान कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। कम से कम उनको तो समझा दीजिये। (व्यवधान)

श्री रामेश्वरदयाल यादव : माननीय सभापति महोदय, एक पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन है। वह यह है कि इस साइड के जब माननीय सदस्य या माननीय सचेतक जी बोलते हैं तो इस साइड के लोगों को + + + कहते हैं और इस साइड के बोलते हैं तो उनको कह देते हैं। मैं इनको स्पष्ट करना चाहता हूं। जनता दल को इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जनता दल की जब आगामी सरकार आएगी तो वह + + + नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय ओमप्रकाश जी। शान्ति रखें।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : सभापति महोदय, जब हम चुनावों बाद जनता का धन्यवाद देने गये तो जिस गांव में आते थे, वहां पीने का पानी नहीं। हैण्ड पम्पों की हालत यह थी कि हैण्ड पम्प लगे हुए थे लेकिन हैण्ड पम्प काम नहीं करते थे। किस तरह से पिछली सरकार ने हैण्ड पम्पों की घोषणा करके हैण्ड पम्प लगा दिये नाम मात्र के कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा, माननीय सभापति महोदय, आप कल्पना कर सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय जलदाय मंत्री जी को जिन्होंने गांव-गांव में इस समस्या हो हल करने का प्रयास किया। चाहे जोधपुर की समस्या हो, चाहे कोटा की हो, चाहे उदयपुर की हो, कहीं की भी समस्या हो। आज सारी योजनाओं को वे साकार रूप देने में लगे हुये हैं। आज राजस्थान में जो इस सरकार का पहला लक्ष्य है वह यह है कि हर नागरिक को, हर ढाणी में रहने वाले को और हर गांव और शहर में रहने वाले को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जावे। वह निश्चित रूप से करवाया जावेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अस्पतालों की हालत क्या थी? डाक्टर्स आते नहीं थे, अस्पताल खुलते नहीं थे, दवाइयां होती नहीं थीं। आज उसमें सुधार करने का काफी प्रयास किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, हमने वादा किया था कि हमारे नौजवान भाइयों के लिए कुछ करेंगे। ये कांग्रेस के भाई सामने बैठे हैं। पिछले आठ सालों से नौकरियों पर पाबन्दी लगाने वाले, कांग्रेस के भाई आज बेरोजगारों की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप किस मुंह से बेरोजगारों की बात करते हैं? 8 सालों से नौकरियों पर पाबन्दी लगा रखी है लेकिन अब इस बजट में बेरोजगार नौजवानों के लिए स्वरोजगार हेतु बैंक सहायता दिये जाने का जो लक्ष्य किया गया है....

श्री हेतराम बेनीवाल : यह पाबन्दी हट गई क्या?

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। आज विद्युत की बात की जाती है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के राज में कितने विद्युत उत्पादन केन्द्र नये खोले गये? क्या किया आप लोगों ने? आप लोगों ने केन्द्र से...: (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं डालें।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आप लोगों ने केन्द्र से, अन्य राज्यों से, जो राज्य का हिस्सा था, वह लेने की बात तो दूर रही, अपने राज्य में कोई नयी योजना चालू करने का प्रयास नहीं किया। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने, विद्युत आवंटन के फार्मूले में राज्य के हितों का पुनरावलोकन किया जाय, इस बात की घोषणा प्रधान मंत्रीजी के द्वारा केन्द्र सरकार से करवाने में सफलता प्राप्त की है।

मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारी वार्षिक योजना का आकार बढ़ा है। क्या आकार होता था आपके समय में? कितना आकार था? मंत्रियों के आकार तो बहुत बड़े-बड़े थे, मुख्य मंत्रियों के आकार तो बहुत बड़े-बड़े थे लेकिन योजना का आकार बहुत छोटा रहता था। लेकिन मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि आज वार्षिक योजना का आकार पिछले वर्ष के मुकाबले 22 प्रतिशत से बढ़कर अब 1166 करोड़ तक पहुंच गया। माननीय सभापति जी, राज्य के हितों को संरक्षित रखने तथा राज्य के अधिकारों को वापस लेने के लिये हमारी सरकार और माननीय मंत्रीजी भरसक प्रयास कर रहे हैं। वे चाहे विद्युत की योजनाएं हों, चाहे सिंचाई की योजनाएं हो, चाहे पिछड़े हुए प्रदेश को देश के नक्शे में एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने की योजनाएं हों। मुझे इस बात की खुशी है, हमारे कांग्रेस के भाई बोल रहे हैं, जनतादल के भी बोल रहे हैं। पहले जनता दल वाले दूसरी भाषा बोलते थे। हमारे यहां इस समय कई ग्रामीण विकास योजनाएं चल रही हैं। अन्त्योदय योजना चालू करने की घोषणा की गई है। जवाहर रोजगार योजना, "अपना गांव अपना काम" योजना तथा अन्य, एक जनवरी से लेकर 31 मार्च तक इन योजनाओं के मामले में काफी गति आई है। राजीव गांधी ने कहा था गांवों में 18 पैसा पहुंचता है। दिल्ली से चलते हुए राजस्थान के सचिवालय तक कितना अटक जाता है और फिर प्रशासन तक कितना जाता है, फिर उस गांव के मजदूर को 15 पैसे मिलते हैं। परन्तु आज हमको खुशी है कि उस गांव के मजदूर को 100 में से 100 पैसा दिया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको बोलने का अवसर मिलेगा, किसी गांव की बात बताना, किसी और शहर की बात बताना। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, कि आप बतायें? कहीं भ्रष्टाचार है तो बतायें। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि भ्रष्टाचार पर अंकुश हुआ है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि जो पुराने शासक थे उनके जो भ्रष्टाचार के कारनामे थे उनके ऊपर भी अंकुश आवश्यक है, उनके बारे में भी जांच करवायी जानी आवश्यक है और जांच के आधार पर अगर दोषी पाए जायं तो उनको भी दण्डित किया जाना आवश्यक है। आज अगर थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार कहीं नजर आता है तो उन

(श्री ओमप्रकाश गुप्ता)

लोगों की शह से ही नजर आता है। पुराने लोगों को वे लोग गुमराह करते हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय सभापति महोदय, माननीय सरकारी मुख्य सचेतक महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि 1977 में जनता शासन में माननीय सदस्यों की फैक्ट फाइंडिग कमेटी तय करके जांच की गयी थी। आपकी सरकार को कोई जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है। जो फैक्ट फाइडिंग कमेटी की रिपोर्ट है उसको आप लागू कीजिए।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : बहुत अच्छा सुझाव है आपका।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : मुंह से बोलो, आप लागू करेंगे, यह बहुत अच्छा सुझाव है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : फैक्ट फाइंडिग कमेटी की रिपोर्ट को आप लागू कीजिये।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय सभापति महोदय, जनता शासन में दृढ़ता लाने का प्रयास, भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाने का प्रयास, ग्रामीण जनता की सेवा करने का प्रयास, हमारी सरकार की जो मान्यता है उसको साकार रूप देने का प्रयास हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में किया है। उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा है कि राज्य की जनता को सस्ता न्याय प्राप्त हो। उसके नाते उन्होंने कई जगह न्याय अदालत, चाहे एडीशनल सैशन जज हो, चाहे सिविल जज हो, चाहे मुन्सिफ मजिस्ट्रेट हो, खोलने का निर्णय लिया है। इसके साथ-साथ राजस्थान की जो बहुत सालों से मांग थी, कोटा में मेडिकल कालेज खोलने के साथ-साथ राज्य में महाविद्यालय और अन्य विद्यालय खोलने का जो निर्णय लिया गया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है।

सभापति महोदय, राजस्थान का जो आर्थिक ढांचा है उससे सभी माननीय सदस्य परिचित हैं। राजस्थान की जो आर्थिक कठिनाई है, राजस्थान में जो गरीबी है उसे राज्य की जनता अच्छी तरह से जानती है और राज्य की जनता के माननीय निर्वाचित सदस्य भी अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बावजूद बिना एक पैसा टैक्स लगाये, बिना जनता के ऊपर टैक्स का भार डाले माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राज्य की जनता, सर्वांगीण जनता का, मैं कहना चाहता हूं, चाहे वह मध्य वर्ग के हों, चाहे शहरी हों, अधिकांश ग्रामीण और गरीब का जिस प्रकार से ध्यान रखा और जिस प्रकार से उनके लिए बजट में प्रावधान किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि बजट प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय सभापति महोदय, एक बात भूल गये।

श्री सभापति : वह आप कह देना, बाद में आपका नम्बर आयेगा तब।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आपकी कान्सीट्युएन्सी से ए. ईएन. आफिस आर. एस. ई. बी. का हटा दिया गया था वह अभी तक वापिस नहीं गया है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : मैंने बात की है, माननीय सभापति जी, मैंने विद्युत मंत्रीजी से बात की है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : एक बहुत अहम मसला है, सभापति महोदय, इनकी कान्स्टीट्युएन्सी का मामला है। वह आफिस आ जाना चाहिये था। मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : सुनिये वह वहीं कायम है। थोड़े दिनों के लिए ए. ईएन. को वहां बैठाया है। आप यह शुभ सूचना तुरन्त सुनेंगे।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मुझे खुशी होगी।

श्री सभापति : श्रीमती मदन कौर।

श्रीमती मदन कौर (गुढ़ामालानी) : माननीय सभापति महोदय, वर्ष 1991-92 का बजट जो इस सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत है वह मात्र वैधानिक औपचारिकता की पूर्ति करता है। इसमें कहीं कोई नयी बात नहीं, किसी परिवर्तन का, किसी बदलाव का कहीं कोई संकेत तक नहीं। समूचे देश की तरह, सभापति जी, हमारे प्रदेश की भी कुछ मूलभूत समस्यायें हैं। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी, प्रशासनिक पक्षपात और जनता के प्रति शासन का उदासीन और उपेक्षित व्यवहार। इन समस्याओं से जूझने के लिए निश्चित ही कुछ कठोर निर्णय लेने की, कुछ क्रान्तिकारी कदम उठाने की आवश्यकता थी। इनके अभाव में राज्य का मौजूदा बजट निःसन्देह एक घिसी पिटी परिपाटी की पूर्ति करता है। वास्तविकता तो यह है कि सरकार में साहस और संकल्प का अभाव है। आज के प्रशासनिक अव्यवस्था के माहौल में अगर आवश्यकता है तो कुछ कड़े प्रबन्ध करने की आवश्यकता है। लेकिन, मान्यवर, जो सरकार दलबदलुओं की बैसाखी पर टिकी हो, उस सरकार से कोई कठोर निर्णय लेने की, बदलाव के लिए क्रान्तिकारी कदम उठाने की उम्मीद करना ही निरर्थक है। मान्यवर, जिस शासन में क्षेत्र और पार्टी के आधार पर पक्षपात का बोलबाला हो वहां साधारण जनता कैसे राहत पा सकेगी? सरकार में बैठे मंत्रीगण की अपने विभागों पर पकड़ नहीं, उनका क्षेत्र सीमित और मान्यवर, जब क्षेत्र सीमित है तो ज्ञान, ध्यान और प्रभाव सारा का सारा सीमित है। पी. एच. ई. डी. मंत्रीजी यहां सामने बैठे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वे अपने इस जयपुर के हवामहल को छोड़ें, बाहर निकलें और बाड़मेर जिले के सुदूर गांवों को देखें वहां का दौरा करें कि वहां जनता की कैसी दयनीय हालत है। पी. एच. ई. डी. का बजट प्रावधान कितना है और आपका विभाग कितना अकुशल और निष्क्रिय है। मेरा आग्रह है माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्रीजी से कि वे बाड़मेर जिले की सिणधरी पंचायत समिति, बायतू पंचायत समिति, धोरमिन्ना पंचायत समिति और बाड़मेर पंचायत समिति के गांवों का दौरा करें और स्वयं देखें कि वहां की सड़कों की कैसी दुर्दशा है। कहीं तो इन सड़कों पर गहरे गड्ढे हैं। कहीं तथाकथित सड़क तीन-तीन फीट रेत के नीचे दबी पड़ी है। ऐसी सड़कों पर वाहन किस प्रकार से चलते होंगे और इन हालात में रहने वाली जनता के मन में इस सरकार के प्रति क्या धारणा होगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता

(श्रीमती मदन कौर)

है। इतना ही नहीं, मान्यवर, इस समय बाढ़ और अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को राहत नाम मात्र की दी गयी। मैं इस सदन को याद दिलाना चाहती हूं कि 1989 में जब लूणी नदी में बाढ़ आयी थी तब उस समय की सरकार ने किसानों को कुओं की मरम्मत के लिए, अपने सिंचाई के साधनों को बहाल करने के लिए, दस हजार रुपये प्रति कुएं की सहायता दी थी लेकिन मुझे दुःख है कि इस सरकार ने उन बाढ़ पीड़ितों को केवल खाने के पैकेट देकर उनके प्रति अपने कर्तव्य को पूरा समझ लिया।

मान्यवर, मुख्य मंत्री ने अपना बजट पेश करते हुए राज्य की ओवर ड्राफ्ट की स्थिति को सुधारने की बात कही, वित्तीय स्थिति सुधरने की बात कही और उस पर संतोष व्यक्त किया। लेकिन यह उपलब्धि किस कीमत पर है? जनता के हितों की आहूती देकर। इस पूरे साल में आपने कौनसा विकास का काम हाथ में लिया? प्राकृतिक आपदाओं से जूझते लोगों को राहत नहीं दी, विकास के काम हाथ में नहीं लिये। उसके बावजूद ये कहना चाहें कि सरकार ने विकास के बड़े आयाम प्राप्त कर लिये हैं तो यह आप कह जरूर सकते हैं लेकिन इसमें वास्तविकता कहीं भी नहीं है।

मान्यवर, मुख्य मंत्रीजी ने फिजूल खर्ची को रोकने और मितव्ययता बरतने के लिए बड़े जोर-शोर से कहा और 34 करोड़ की बचत की बात कही गयी। यह स्थिति नहीं सुधरी है। मितव्ययता वह क्षेत्र है जहां सरकार को अपना कौशल दिखाना होता है लेकिन आप इसका वातावरण नहीं बना सके। मात्र कहीं फर्नीचर नहीं खरीदा, कहीं अध्यापकों को नहीं लगाया, या कहीं खर्च में मामूली कमी कर दी। इससे प्रदेश में बचत का वातावरण नहीं बनता। मेरा निवेदन है इस राज्य सरकार से कि अगर आप मितव्ययता और फिजूलखर्ची को रोकने का वातावरण बनाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार को सभी क्षेत्रों में कठोर निगरानी बरतनी होगी। खास तौर पर जो सरकारी शक्ति के उच्च पदों पर आपको संयम और मितव्ययता का वातावरण बनाने की आवश्यकता है। इससे न केवल राज कोष धन की बचत होगी वरन जनता का इस सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा, विश्वसनीयता बढ़ेगी।

आपने आने वाले वर्ष में भी कुछ नये विकास के कामों की झलक दिखायी है। शिक्षा के क्षेत्र को आप ले लें। शिक्षा के क्षेत्र में किए गये प्रावधान तो, माननीय सभापति महोदय, निरे हास्यास्पद हैं और कुछ नहीं है। 25 मिडिल स्कूल और 30 जिले। एक जिले में एक मिडिल स्कूल भी आप नहीं देना चाहते हैं और नये साल के लिए आपने दावा किया है कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक पहलू की तरफ जोर दिया, शिक्षा के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि समूचे प्रदेश में अध्यापकों का अभाव रहा। इस बात का सबूत है कि माननीय सदस्यों ने इस सदन में बड़ी संख्या में स्थगन प्रस्ताव रखे और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने 295 के अन्तर्गत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि अध्यापकों की बड़ी भारी कमी है। मिडिल स्कूल में टीचर नहीं, प्राइमरी स्कूल में अध्यापक नहीं, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में

(श्रीमती मदन कौर)

अध्यापक नहीं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अधिकांश हायर सैकण्डरी स्कूलों में पूरे सत्र में प्रधानाध्यापक नहीं। प्रधानाध्यापकों के अभाव में आपके स्कूलों में किस प्रकार का प्रशासन रहा होगा, किस प्रकार का अध्यापन रहा होगा ? और शिक्षा का सुदृढ़ीकरण कैसे हुआ होगा ? यह मेरे समझ में आने वाली बात नहीं है, यह शिक्षा मंत्री जी के समझ में आ जाय तो अलग बात है।

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मंत्री) : आपके आयेगी भी नहीं।

श्रीमती मदनकौर : यह बात आने वाली भी नहीं है। मैं आपके क्षेत्र की स्कूलों का निवेदन करना चाहती हूं। मेरे क्षेत्र में धोरीमन्ना में सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल है। वहां पूरे सत्र में प्रधानाध्यापक की पोस्टिंग नहीं और इसके अलावा विज्ञान के विषय का कोई टीचर वहां आज तक नहीं है। अब, माननीय सभापति जी, शिक्षा मंत्रीजी यह बता दें कि विज्ञान के विषय को कला के अध्यापक ने पढ़ाया। वहां बोटनी का अध्ययन कैसे होगा ? बायलोजी का कैसे होगा ? फिजिक्स का कैसे होगा ? विज्ञान के इन तीनों विषयों का अध्ययन वहां विज्ञान के टीचर के बिना किस प्रकार सम्भव था, आप यह बता दें। आप कह रहे थे तो मेरी समझ में नहीं आयी यह बात। मुझे बता दीजिये कि विज्ञान के अध्यापक नहीं हैं और विज्ञान का विषय था। आप कह रहे हैं कि विज्ञान का अध्ययन वहां चला। किस तरह से चला होगा, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

इसी तरह अस्पताल और डाक्टरों के सम्बन्ध में भी इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। बीमारियां फैलती हैं, क्या यह सरकार की जानकारी में है ? नहीं है। बाढ़ग्रस्त इलाके गुढ़ा के अस्पताल में जहां चार डाक्टर के पद थे वहां एक ही डाक्टर की पोस्टिंग थी और बालोतरा के भी अधिकांश डाक्टरों के पद रिक्त थे। हमारे....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा मंत्री) : मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि बालोतरा में एक ही स्थान रिक्त है और सब भरे हुए हैं।

श्रीमती मदन कौर : मैं आज का निवेदन नहीं कर रही हूं, इस साल का निवेदन कर रही हूं। जिस समय बाढ़ की वजह से बीमारियां फैलीं, बालोतरा में केवल तीन डाक्टर पोस्टेड थे। जब मोबाइल यूनिट की मांग की गयी तो, सभापति महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मोबाइल यूनिट में कैसे-कैसे लोगों को भेजा गया। जोधपुर के नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र में 10 दिन पहले जिन लड़कियों को भर्ती किया गया था उनको बाड़मेर के सुदूर गांवों में मोबाइल यूनिट के साथ रवाना कर दिया गया। उन्होंने लोगों को क्या राहत दी होगी ? सच्चाई तो यह है कि मोबाइल यूनिट में जो लड़कियां गयीं उनकी साज-सम्भाल गांव के लोगों ने की क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं। उन्हें न पट्टी बांधनी आती थी, न दवाई का नाम पता था और न बीमारी का नाम पता था।

इसके साथ सभापति महोदय, कृषि के सम्बन्ध में किये गये कार्यों का निवेदन करना चाहती हूं। इस बार बाड़मेर, जालौर,

(श्रीमती मदन कौर)

पाली और जोधपुर जिलों में अच्छी वर्षा हुई। किसानों को यह उम्मीद थी कि रबी की फसल इस साल बहुत अच्छी होगी। किसान को आवश्यकता थी रायड़ा के बीज, तारामीरा के बीज, डी-65 किस्म के गेहूं के बीज और चने के बीज की। लेकिन इनमें से किसी बीज की उपलब्धि कृषि विभाग ने वहां के काश्तकारों को नहीं करायी। मैं इसलिए राज्य सरकार से कहना चाहती हूं कि क्या उपयोग है ऐसे कृषि विभाग का, ऐसी कृषि सेवाओं का? जो किसानों का मार्गदर्शन कर सके, न किसानों को सलाह दे सके। समय आने पर प्रमाणित और सही किस्म का बीज भी न दे सके तो ऐसी कृषि सेवाओं का क्या उपयोग है इस राज्य में?

इसके बाद भी जो रहा सहा काम था, इस बिजली बोर्ड ने वह किसानों के साथ अन्याय करके किया। जो कुछ बचा-खुचा था वह बिजली बोर्ड ने पूरा कर दिया। मैं कितने गांवों को बिजली कनेक्शन मिले इसमें नहीं जाना चाहूंगी, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। लेकिन बाड़मेर के जिन कुओं को बिजली कनेक्शन मिले हुए थे वहां किसी ट्रांसमिशन लाइन पर 300 का वोल्टेज नहीं था। एक महीने में किसान की चार-चार बार मोटरें जली हैं। देगा आपका विद्युत बोर्ड इसका मुआवजा, मैं आपसे यह जानना चाहूंगी। कितना अकुशल है आपका विद्युत बोर्ड, इसका एक नमूना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूं। लूणी और सूकड़ी नदी में बाढ़ आयी, बाढ़ में पानी सूख गया। पानी सूखने के चार महीने बाद तक भी भीनमाल से गुढ़ा तक की बिजली लाइन को आपका विद्युत बोर्ड मरम्मत करके सही नहीं कर सका। इससे बड़ी अकुशलता और क्या हो सकती है? मैं आपको सुझाव देना चाहती हूं, आप उस क्षेत्र को बिजली की आपूर्ति सही ढंग से करना चाहते हैं तो सांचौर से 132 की लाइन से आप रामजी की पोल तक 60 के. वी. की लाइन लायें। इसके अलावा उस क्षेत्र की बिजली आपूर्ति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

सभापति महोदय, लूणी नदी में पानी आता है, यह कोई नयी बात नहीं है। हर 6-7 साल बाद लूणी नदी में पानी आता आता है, बाढ़ आती है। लेकिन पिछले चालीस साल का तो मुझे निश्चित रूप से याद है कि बाढ़ के बाद एक-दो महीने से ज्यादा रास्ता बन्द नहीं रहा।

पर इस बार, आपको आश्चर्य होगा कि नदी में पानी आने के छः महीने बाद तक बालोतरा से बाड़मेर वाया सिमदड़ी का मुख्य मार्ग छः महीने तक अवरुद्ध रहा। उस रास्ते पर रोडवेज की बसें नहीं चलीं और वहां के लोगों का निजी वाहन मालिकों ने बहुत शोषण किया। इससे बड़ी इस विभाग की अक्षमता क्या हो सकती है कि छः-छः महीने बाद तक एक बरसाती नदी पर रास्ता रुका रहे। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आपने सड़कों के मामले में बाड़मेर जिले को बिल्कुल उपेक्षित मान लिया। कहीं कोई पैसा नहीं मिला खास तौर पर बाड़मेर सब-डिवीजन में।

इसी तरह से मैं, मान्यवर, आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं वन विभाग की तरफ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मरम्मत तो हुई है सड़कों की।

श्रीमती मदन कौर : बहुत मामूली-सी, वह भी सिर्फ बालोतरा सब-डिवीजन में। बाड़मेर सब-डिवीजन में एक पैसा नहीं दिया है आपने। इसलिये तो मैंने पक्षपात की बात कही आपसे।

सभापति जी, मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में राजस्थान को पेड़-पौधे लगाकर हरा-भरा करने का बीड़ा उठाने की बात कही वह केवल कागजी खेल है। आज वन विभाग की पौधशालाएं खाली पड़ी हैं। पोलीथिन की थैलियां नहीं, और बिजाई का समय जा रहा है। (व्यवधान) यह खाड़ी संकट शुरू हुआ, किसी को चिन्ता नहीं थी कि पौधे लगाने के लिए पोलीथिन की थैलियां चाहिए। पोलीथिन की थैलियां नहीं और बिजाई का समय जा रहा है। और बिजाई का समय निकलने के बाद आप पौधे तैयार कर भी लेंगे तो वे कमजोर और छोटे-छोटे पौधे लगाने के लिए किसान ओर विभाग को बाध्य होना पड़ेगा। नतीजा निकलेगा ढाक के वही तीन पात। यह स्थिति रहेगी आपके हरे-भरे राजस्थान की।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं बहुत जल्द खत्म कर रही हूं।

श्री सभापति : बीस मिनट हो गये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप महिलाओं को इण्टरप्ट न करें। एलर्जी है क्या आपको महिलाओं से....

श्री सभापति : बाद में बताऊंगा।

श्रीमती मदन कौर : मान्यवर, हमने लोकतन्त्र के नाम पर एक सस्ती लोकप्रियता का वातावरण बना लिया है और इस सस्ती लोकप्रियता के नाम पर एक ऐसे समाज का निर्माण हम करते जा रहे हैं जिसमें जिम्मेदारी का अभाव है। एक अनुत्तरदायी समाज का निर्माण हम करते चले जा रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि हम विकेन्द्रीकरण पर बड़ा जोर देंगे। मैं उनके इस निर्णय से सहमत नहीं हूं। लेकिन विकेन्द्रीकरण के साथ-साथ, जहां अधिकारों की बात हो, जहां हम कुछ देने की बात करें, तो उसके साथ-साथ हमको उनके ऊपर जिम्मेदारी भी डालनी होगी। हम जिम्मेदारी नहीं डालेंगे, तो ये पंचायतें, सहकारी संस्थाएं या स्वयंसेवी संस्थाएं, जिनको हम विकेन्द्रीकरण करके कुछ देना चाहते हैं, सरकार के ऊपर बोझ बनकर रह जाएगी।

मैं अन्त में उस ज्ञापन के सन्दर्भ में, जो मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्रीजी को प्रस्तुत किया वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में, दो शब्द कहना चाहती हूं। यह बात सही है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति निरन्तर खराब होती चली जा रही है और राज्य सरकारें अपने वित्तीय साधनों के लिए भारत सरकार पर निर्भर होती चली जा रही है। लेकिन यह कोई अच्छी दिशा नहीं है। यहां तक कि जो सैण्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम्स हैं उनको भी हम आगे नहीं चला पाते। हम अपने वित्तीय साधन जुटाने में भी पीछे सरक जाते हैं। स्थिति दयनीय होने की वजह तो यह है जो ज्ञापन मुख्य मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया, मैं समझती हूं, उसका कोई असर होने वाला नहीं है। अगर इसी ज्ञापन को राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी अकेले अपनी तरफ से प्रस्तुत करते तो निश्चय ही इसका प्रभाव पड़ता, अन्यथा जिन तीन भाजपा

(श्रीमती मदन कौर)

राज्यों को शामिल करके उन्होंने यह ज्ञापन प्रस्तुत किया, उस ज्ञापन का तो हश्र वही होने वाला है जो एक राजनीतिक स्टण्ट का होता है।

आखिर में, आप दुबारा घण्टी नहीं बजायें इसलिये मैं इतना ही कहकर बैठना चाहती हूं कि जो मूलभूत समस्यायें हमारे प्रदेश की हैं इस बजट में उनसे उबरने का हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री सांवर लाल। (अनुपस्थित)

श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय,....(व्यवधान) मेरे थकने की आपको चिन्ता क्यों हो रही है? कृपया शान्ति से सुनिये। धैर्य रखें।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें। कृपया प्रारम्भ करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, 1991-92 के इस बजट के बारे में आज विचार हो रहा है। इसके अन्तर्गत हमारे जो सत्ता पक्ष में बन्धु बैठे हैं, उन्होंने बड़ी खुशी मनाई है। बड़ी-बड़ी तारीफ की है आप लोगों ने। इस बात की आपने तारीफ की कि इस बजट के अन्दर कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से इस सरकार से कि क्या वह बजट अच्छा होता है जिसके अन्दर कोई भी कर नहीं लगता है? ऐसी बात नहीं है। जनता से जब कर वसूल नहीं होगा और सरकार के पास जब पैसा नहीं होगा तो जनता के जो भलाई के कार्य हैं, जनता के लाभ के जो कार्य हैं, वे कार्य किस से होंगे? इसलिये बगैर टैक्सेज का यह बजट जनता विरोधी बजट है। स्पष्ट इससे यह जाहिर होता है कि हमारे सत्ता पक्ष में बैठने वाले जो मंत्री हैं, या जो माननीय मुख्य मंत्री हैं, उनको यह स्पष्ट नजर आ गया कि चुनाव तो नजदीक आ ही गये हैं, आज घोषणा चुनाव की हो रही है और विधान सभा चुनाव की घोषणा होने वाली है इसलिये आपने यह सोचकर तो अच्छा ही किया जो बजट पेश किया है।

मैं आपसे निवेदन करूंगा इस बजट के अन्दर जो बातें लिखी गई हैं। यह पहला बजट पेश किया गया है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। आपने बहुत तारीफ की है कि यह किसानों का पक्षधर बजट है। इसमें किसानों के लिये बड़े-बड़े लाभ दिये गये हैं, किसानों के लाभ की चीज इस बजट के अन्दर है। माननीय सभापति महोदय, जो इसमें बिजली के बारे में कहा गया है कि बिजली की जो नई योजना सरकार ने दी है यह बड़ी लाभदायक योजना है, मैं स्पष्ट रूप से आपको यह बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार के टाइम में उन्होंने किसानों के लिये राहत दे रखी थी। एक फाइल किसान लगता था, उसके ऊपर केवल मात्र उसके 25 रुपये लगते थे। आज उसको कनेक्शन लेने के लिये सबसे पहले एक हजार रुपया जमा कराना पड़ता है। एक हजार रुपये। यह पहला बहुत बड़ा लाभ दिया गया है किसानों के लिये।

दूसरी बात, किसानों के लिये बिजली में राहत की इस सरकार ने जो घोषणा की है,

(श्री रामस्वरूप मीणा)

उसको मैं बताना चाहूंगा। पिछली सरकार में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिये प्रायोरिटी पर कनेक्शन दिये जाते थे। अगर उन लोगों की फाइल होती थी तो अन्य जातियों की फाइल बाद में स्वीकृत होती थी। लेकिन इस अनुसूचित जाति और जन-जाति, पिछड़ी जाति की भलाई करने वाली सरकार ने, घोषणाओं का पुलन्दा बांधने वाली सरकार ने अनुसूचित जाति और जन-जाति की जो प्रायोरिटी थी उसको खत्म करके इनके साथ अन्याय किया है। यह बहुत बड़ा लाभ किसानों के साथ किया है, पिछड़ी जातियों को लाभ दिया है। दो बात।

तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो इस बात में फायदा दिया है या जो इस सरकार ने किसानों को लाभ दिया है वह यह है कि पांच हार्स पावर की मोटर पर 5 लट्ठे फ्री मिलते थे पहले। पांच लट्ठे फ्री मिलते थे। लेकिन वर्तमान में सरकार ने एक लट्ठे की कीमत कितनी कर दी है? बत्तीस सौ रुपये। एक लट्ठे की कीमत बत्तीस सौ रुपये। बहुत बड़ा लाभ दिया किसानों के लिए। जो चीज फ्री थी उसको आपने बत्तीस सौ रुपये कर दिया और उसके अन्दर बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया, कुल 3250 रुपये, यह भी बहुत बड़ा लाभ आपने किसानों के लिए दिया है। तो इस प्रकार आप किसानों की भलाई की बात लगातार कर रहे हैं। मेरे बंधु, जिनके पास एक बीघा भी जमीन नहीं होगी, शायद उन्होंने खेती देखी भी नहीं होगी, बिजली का उनके नाम कोई कनेक्शन नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति यहां भाषण देने लग जाते हैं और बड़ी-बड़ी तारीफें करते हैं कि इस बजट के अन्दर बहुत बड़ा लाभ दिया गया है। असलियत को स्वीकार करो। हमारी सरकार ने कोई बुराई पहले की थी तो आप उसकी बुराई करिये, बहुत अच्छी बात है लेकिन जो आपकी सरकार ने भी बुरा काम किया है आप सब मिलकर उसकी भी आलोचना करो। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि आप चाहे कितना ही छिपायें, सच्चाई तो सच्चाई ही रहेगी। जैसा कि कहा भी गया है :—

सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से
कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से।

आप इन कागज के फूलों को खुशबू देना चाहते हो, यह असत्य बजट पेश करके आप किसानों को खुश करना चाहते हो, यह कभी नहीं हो सकता। मैं आशा करता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि जो यह किसान द्रोही बजट पेश किया है, इसमें यह सरकार पुनः संशोधन करेगी। साथ ही मैं कुछ सुझाव भी रखूंगा। सरकार चाहे कितना भी टैक्स बढ़ाती चली जाये, बिजली के बारे में चाहे आप कितना भी पैसा किसानों से इकट्ठा करें लेकिन जब तक आप किसानों की बिजली की चोरी को नहीं रोकेंगे तब तक आपके बजट का घाटा पूरा नहीं होगा। इसके बारे में मेरा एक सुझाव है। किसानों को जो लाइनें दी गई हैं वे तमाम लाइनें खुली होती हैं, नंगे तार होते हैं। उनके सिर के ऊपर से वह नंगा तार जाता है। अगर इन नंगे तारों को अण्डरग्राउण्ड रबड़ की लाइनें जो होती हैं उनके अन्दर डाल दिया जाये तो बहुत बड़ी चोरी बच सकती सकती है। जब खुले तार होते हैं, तब ही

(श्री रामस्वरूप मीणा)

किसान चोरी करता है। इस चोरी से जो घाटा हो रहा है उस पैसे को वसूल कर किसानों के लिए अण्डरग्राउण्ड लाईनें दी जायें, ताकि कोई भी डायरेक्ट बिजली न ले सके, तो बहुत अच्छा होगा। यह मेरा एक सुझाव है जिससे बिजली की चोरी बच सकती है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि बिजली के बारे में इन सुझावों को सरकार अवश्य नोट करेगी और इसमें संशोधन करेगी।

दूसरा मेरा निवेदन है कि ट्रांसफार्मर जो किसानों को दिये जाते हैं, अब की बार सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर जले। बिजली की चोरी होती है, लोड बढ़ता है ट्रांसफार्मर पर और वह जल जाता है और किसान की फसल सूखती है। जिन लोगों ने वास्तव में पैसा देकर कनेक्शन लिया है, उन लोगों की फसल बरबाद होती है। जो चोरी से मोटर चलाते हैं उन्हीं लोगों के कारण ट्रांसफार्मर जलते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों पर जो डाइरेक्ट मोटर चलाते हैं, पाबन्दी लगाई जाये और यह ट्रांसफार्मर का मामला किसानों पर छोड़ा जाय। पांच किसानों को मिलाकर के ट्रांसफार्मर की जिम्मेदारी दी जाय और उनको कह दिया जाय कि अगर यह ट्रांसफार्मर जलेगा तो इसका पैसा किसानों से लिया जायेगा। ट्रांसफार्मर आपकी बपौती होंगे। इस प्रकार की कोई व्यवस्था की जाय। यह किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, यह सरकार के के साथ भी अन्याय है। आपने कहा है कि जो पैसे जमा करायेगा उसको सबसे पहले कनेक्शन दिया जायेगा। यह तो एक दुकानदारी हो गई। गरीब आदमी तो इतना पैसा जमा नहीं कहा सकता। पन्द्रह हजार रुपये तो उसके कनेक्शन के बैठेंगे और 15 हजार की मोटर लगेगी। 30 हजार रुपये एक कनेक्शन में बैठेंगे। सभापति महोदय, 30 हजार रुपये गरीब किसान नहीं लगा सकता, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप इसके अन्दर सब्सिडी दें। अगर आपने पैसा बढ़ाया है, तो आप सब्सिडी की व्ययस्था भी करें। दो तरह की व्यवस्था की जाय, गरीब किसानों को सब्सिडी देकर कनेक्शन दिये जाय और मालदार लोगों से आप इसी तरह दुकान खोले रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार की बातें जो बजट में रखी गई हैं, सभापति महोदय, मैं आशा करता हूं कि बिजली के बारे में संशोधन होगा।

मेरा यह भी निवेदन है कि आप शिक्षा के बारे में भी व्यवस्था करें। शिक्षा में सबसे बड़ी कमी जो हमको नजर आई आज तक वह है, चाहे आप स्वीकार करें या नहीं करें, अध्यापकों का अभाव। स्कूल ज्यादातर बन्द पड़े हैं। या चल भी रहे थे तो अध्यापक नहीं थे, यह बहुत बड़ी समस्या है। परीक्षाएं नजदीक आ गई, और अध्यापकों की व्यवस्था न सकी। 6 हजार स्कूल आपने बन्द किये और एक हथार स्कूल आप खोलने जा रहे हैं। आपने अध्नापकों की एक पूरी सूची तक नहीं मंगवाई कि कौन से स्कूल में कितने अध्यापकों की अभी तक कमी कमी है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले अध्यापकों की व्यवस्था करवायें। जिन स्कूलों के अन्दर अध्यापक नियुक्त नहीं हैं, वहां अध्यापक नियुक्त करवायें।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तीसरी बात मेरी आयुर्वेदिक विभाग के बारे में है। आपने इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं की है। आप व्यवस्था तो क्या करोगे ! माननीय आयुर्वेदिक मंत्रीजी का एक उदाहरण, सभापति महोदय, मंत्री महोदय आपस में बात कर रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। आयुर्वेदिक विभाग के बारे में एक बहुत बड़ी बात हुई है कि एक दिवंगत कर्मचारी का तबादला कर दिया। मंत्री महोदय ने दिवंगत कर्मचारी का तबादला कर दिया, मरे हुए का तबादला कर दिया। बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। यह मामला सीकर का है और यह अखबार की कटिंग मेरे पास है। माननीय मंत्री महोदय इस बात को सुनें। सभापति महोदय, इस पत्र में जो लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ना अति आवश्यक समझता हूं। बहुत बड़ी बात है कि कितने + + + बैठे हुए हैं। कितना ही बजट में आप सब कुछ कर दो, अगर इस प्रकार का अन्याय होता रहा, मरे हुए आदमियों के तबादले होते रहे, तो इस सरकार के अन्दर इससे बड़ा अन्याय क्या होगा। मैं सुनाता हूं, "सीकर 25 फरवरी। राज्य सरकार एक मृतक राज्य कर्मचारी का मरणोपरांत स्थानान्तरण कर उसकी आत्मा को शांति प्रदान करने का नाजायज तरीका अपनाया है। राज्य के आयुर्वेदिक विभाग में सीकर जिले के ग्राम सीमराल जागीर में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में कार्यरत कम्पाउण्डर मुरलीधर शर्मा का स्वर्गवास मार्च, 1990 में हो चुका था। आयुर्वेद निदेशक निदेशक ने 20 फरवरी, 1991 को एक आदेश निकालकर स्वर्गीय शर्माजी का सीकर जिले के बावड़ी ग्राम में स्थानान्तरण कर दिया। इसके साथ ही आश्चर्य की बात है कि सीकर के जिला आयुर्वेदिक अधिकारी ने भी 23 फरवरी, 1991 को अपने कार्यालय से भी उक्त मृतक कर्मचारी के स्थानांतरण आदेश प्रसारित कर दिये।

ऐसे स्पष्ट जाहिर होता है, सभापति महोदय, कि कैसी + + + सरकार में कैसे + + + मंत्री बैठे हुए हैं, जो मरने वालों को भी ट्रांसफर कर देते हैं। ये तो मरने वालों को भी नहीं बख्शते। जिन्दों का ही ट्रांसफर कर दो, 6-6 महीने से डोल रहे हैं....

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा आपसे निवेदन है कि इतना बड़ा काण्ड हमारी राजस्थान सरकार में हो जाये, इस + + + सरकार में हो जाये और यह बजट आप पेश करने जा रहे हो। बजट क्या करेगा, इस बात के लिए ? सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार की बातें जो हमारे सामने आ रही हैं, उन पर विशेष तौर से गौर किया जायेगा।

चौथी बात के बारे में एक सुझाव देना चाहूंगा। हमारे इस बजट के अन्दर जो भी रजिस्टर्ड पत्रकार बंधु, दूरदर्शन के अधिकारी

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरुप मीणा)

कर्मचारीगण हैं, रेडियो के हैं, उन सबके निवास की सुविधा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। राजस्थान सरकार ही एक ऐसी सरकार है, जिसके अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, अन्य राज्यों के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। यह हमारा यह बहुत बड़ा माध्यम है जिसके जरिये आप और हमारी बात जनता तक पहुंचती है। ऐसे हमारे दूरदर्शन के अधिकारीगण को रहने के लिए आवास दिये जायें। हमारे पत्रकार बंधु जो हैं, जो उनके लिए भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाय जो अन्य राज्यों में सुविधाएं दी गई हैं। इसलिए मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि उनके लिए भी बंगले अलाट किये जाय, सरकारी बंगले दिये जायें, ताकि उनको लाभ मिल सके। मेरा यह निवेदन है।

श्री कालीचरण सराफ : पत्रकार बंधुओं की गैलेरी तो खाली है।

श्री रामस्वरुप मीणा : आप चिन्ता मत करो। मुझे प्रेस को नहीं सुनाना है। मैं तो जनता की भलाई की बात कर रहा हूं। वे हमारे बंधु हैं, सुनें या नहीं सुनें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। समय की सीमा है।

श्री रामस्वरुप मीणा : मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ अंत में एक बात और कहता हूं। सभापति महोदय, यह राज तो जाने वाला है, जाते-जाते, मंत्री महोदय, भलाई कर लो। अगर आपने अच्छा कार्य किया तो आपको स्वर्ग मिलेगा और अगर आप इसी प्रकार बुरा काम करते रहे तो नर्क मिलेगा। शास्त्र में लिखा हुआ है—

तासु राज प्रिय प्रजा दुखारी,
सो नृप होय नरक अधिकारी।

श्री सभापति : श्री नन्दकिशोर शर्मा।

श्री हरिकुमार औदिच्य : यह क्या + + + कह रहे हो?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कौन हैं इनके + + +?

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : माननीय सभापति जी, यह बजट जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने 1991-92 का रखा है ऐसा बजट पहली बार रखा गया है कि (जिसमें किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया गया बल्कि करों में राहत दी गयी है। सरकार इसमें 62 प्रतिशत राशि किसानों पर खर्च करने वाली है। इसका आकार एक वर्ष म बढ़ाकर 795 करोड़ से 1166 करोड़ कर दिया गया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, किसानों के बारानी लगान को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है चाहे कितनी ही जमीन हो। गत वर्ष कर्जे माफ किये और इस वर्ष किसानों की बारानी जमीन का लगान माफ कर दिया, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बजट में गत वर्ष जो घाटा था उसको प्रशासनिक अनुत्पादक व्यय कम करके 34

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

करोड़ कम किया गया है, यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बजट से यह स्पष्ट होता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में गरीबों, किसानों, अनुसूचित जाति-जनजाति और दस्तकारों के लिए कितनी व्यवस्था की है। बजट में किसानों के लिए दो लाख कुएं बनाने की एक योजना विचाराधीन है। इसके बाद गरीबों को उन कुओं से कितना लाभ होगा। कुओं पर जो बीमा योजना गत वर्ष लागू की थी वह भी किसान के लिए एक फायदे वाली बात थी। बता रहे है कि अनुसूचित जाति-जनजाति का कुछ नहीं हुआ। इस बजट में कितनी बड़ी बात है उनके लिए। उदयपुर में एकलव्य योजना, जिसमें प्रशिक्षण मिलता है तकनीक का, चालू की है। अन्य जिलों में अम्बेडकर योजना है जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इस बजट में अनुसूचित जनजाति के 64 हजार परिवारों को लाभ मिलेगा। अगले वर्ष इसे 70 हजार का रखा गया है। अन्त्योदय योजना का लाभ इस वर्ष 87 हजार को मिला है, अगले वर्ष एक लाख 36 हजार लोगों पर 47 करोड़ खर्च किये जायेंगे। यह सब गरीब की योजना है, किसान की योजना है, दस्तकार की योजना है। जनजाति क्षेत्र के लोगों को आरक्षण कांस्टेबल, वन रक्षक, सिपाही, लिपिक के लिए जो पहले 12 प्रतिशत था उसको बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया है, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो केवल बात करते हैं उनको मुख्य मंत्री जी और इस सरकार ने करके दिखाया है। इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

अभी बिजली की बात करते हैं बार-बार, यह एक समझ वाली बात है, सोचने की बात है। पहले तय कर दिया जाता था कि इस पंचायत समिति में 40 हजार कनेक्शन होंगे, 50 हजार होंगे। जहाँ पैसा मिल गया उनको हो गया। इसका उदाहरण है कि 1982 से लेकर 1990 तक आज फाइलें पेण्डिंग पड़ी हुई हैं, आठ साल से, और आज 1985 के लिए कह रहे हैं। एक-एक पंचायत समिति में चार-चार सौ और पांच-पांच सौ कनेक्शन का नम्बर लगा हुआ है, चाहे हो नहीं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिन्होंने चार-चार साल तक इसको पटके रखा उनको कहें नहीं और इस पर बात करते हैं। 20 हजार कनेक्शन, यह भी एक रिकार्ड है, जो गत वर्ष दिये गये हैं और आने वाले वर्ष में 25 हजार कनेक्शन रखे गये हैं।

कृषि उत्पादन में सरकार ने विशेष ध्यान रखा है। इन सारी योजनाओं से राजस्थान सरसों उत्पादन में हिन्दुस्तान में इस वर्ष प्रथम रहा है। आगे भी तिलहन संघ बनाकर और नयी-नयी योजनाएं देने की बात है। (व्यवधान) वास्तविक बात को तो मानो, जो हो रही है उसको तो मानना ही पड़ेगा।

आप कहते हो स्कूल की बात। हजारों स्कूल ऐसे ही छोड़ गये, जिनमें साढ़े सात हजार अध्यापक कम थे। उनकी पूर्ति इस वर्ष में शिक्षा मंत्री जी ने की है और आपके काम को ढो रहे हैं। वैसे ही सड़कों की मंजूरी कर गये, जिसे इस वर्ष में इस सरकार ने कायदे से पूरा किया है। यह सरकार मजदूरों और गरीबों की है, जिनकी

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

मजदूरी गत वर्ष 14 से बढ़ाकर 22 रुपए की। इस साल तेंदू पत्ते की कीमत दस रुपए से बढ़ाकर एकदम बीस कर दी गयी है। इसके लिए यह बजट और यह सरकार धन्यवाद की पात्र है। (व्यवधान) दस रुपऐ मिलते थे जिनको बीस रुपए किया, इसके लिए धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा, प्रति सौ के बण्डल पर।

एक ही विषय पर नहीं, इस बजट में हर बात को सोचा गया है। कर्मचारी कल्याण की एक नयी योजना सरकार ने चालू की है, जिसमें एक करोड़ रुपए जमा करके दो हजार कर्मचारियों को आवासीय ऋण मिला करेंगे बीस करोड़ के। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस विषय में सोचा गया है। बिक्री कर भी बढ़ाया नहीं गया है बल्कि जहां-जहां किसानों को और उनको जरूरत थी, कम किया गया है। राजस्थान विकास कोष नाम से 50 लाख रुपए जमा करके सरकार से एक नयी योजना की शुरूआत करेगी, यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

हरा-भरा राजस्थान नाम से एक नयी योजना शुरू की जा रही है वन विकास की, जिसमें पश्चिमी राजस्थान को हरा-भरा किया जायेगा। अतिक्रमण के मामले में किसानों पर कई जुर्माने होते थे, बहुत पेशियां चला करती थीं। उसमें भी 1984 तक के अतिक्रमण के मामले निपटाने के लिए वह कर दिया जायेगा, यह भी एक बहुत बड़ी बात हैं। महिला विकास के 125 केन्द्र थे, जिनमें 19 बढ़ाने की बात कही हैं। इसके अलावा स्कूलों में एक हजार प्राथमिक स्कूल, पांच कालेज और 80 उच्च प्राथमिक स्कूल खुलेंगे, ये सारी योजनाएं हैं। गत वर्ष क्यों नही खुले? गत वर्ष कर्जा माफ किया और जितने स्कूल खाली थे उनकी पूर्ति की। इस वर्ष हम ये सारे स्कूल खोलने जा रहे हैं, यह सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में बरसों से मांग चली आ रही थी कि ये जिले आवश्यक हैं। सन् 1977 में जब सरकार थी तब यह बात की थी और आज उसमें तीन जिले-बारां, राजसमन्द और दौसा बनाकर प्रशासनिक क्षमता को पूरा किया है। साथ ही मेडिकल कालेज से कोटा सम्भाग वंचित था, कोटा को मेडिकल कालेज देकर वहां की जनता को राहत पहुंचायी है। इसके साथ ही खालों के कर्जे को, जिसके लिए 20-20 साल से किसान परेशान थे, स्थगित करके आगे माफ करने वाली बात कही है। इन सारी बातों के लिए आज बजट की जो आलोचना करते हैं उनको सोचना चाहिए, जिन्होंने इस विषय में सोचा ही नहीं कि गरीब और किसान का भला किस योजना से होता है। उसकी आलोचना करने से क्या होगा, कोई सुझाव देने चाहिए।

सारे कर्जे माफ किये हैं लेकिन मेरा एक निवेदन है कि 1959-60 में किसानों को खाद और बीज के लिए....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पंचायत समिति के माध्यम से छोटे-छोटे कर्जे और खाद की बोरियां दे दी गयी थीं, जो उन्होंने काम में नहीं ली लेकिन 100 50-200 रुपए उनके मत्थे मढ़ दिये गये और आज तीस साल से बाकी हैं। मेरा निवेदन है कि उस ओर ध्यान देकर इस

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

कर्ज को भी, जो बहुत छोटा होगा, माफ किया जाय। इस बजट का जनता और मैं पूर्ण स्वागत करते हैं, स्वागत योग्य बजट है।

श्री सभापति : श्री हेतराम बेनीवाल। (अनुपस्थित) श्री महावीर प्रसाद जैन।

श्री गणपतराम गाडेगावलिया (दूदू) : सर, ये तीसरे हो गये एक ही पार्टी के, मेरा नम्बर नहीं आया अभी।

श्री सभापति : आ जायेगा। श्री गणपत राम जी।

श्री गणपतराम गाडेगावलिया : सभापति महोदय, यहां बजट भाषण पर बहस हो रही है। मैं कुछ आंकड़ों के आधार पर ही आपसे अर्ज करूंगा। यह जो तालिका दी है आपने, इसी स्टडी की बात करूंगा। डवलपमैण्ट एक्सपैंडीचर 1987-88 के अन्दर 78.60 था और 1990-91 में 72.68 जो कि इस साल घटकर 71.41 रह गया है। यह कोई सराहनीय काम नहीं है। रेवेन्यू क्षेत्र के विकास के लिए 1987-88 में 74.99 खर्चा हुआ था, जो कि 1991-92 में 66.42 रह गया, जब कि पिछले साल 67.68 था। ये आंकड़े वैसे नहीं हैं, ये आपकी किताब से लिये हुए आंकड़े हैं। अब बात आती है सामुदायिक सेवाओं पर खर्च करने की। 1981 की जनगणना के आधार पर 20.4 प्रतिशत एस. सी. थे और 12.20 एस. टी. थे। पिछले साल के बजट के अन्दर 2.66 था जो घटकर 2.63 रह गया। इन सेवाओं के अन्दर समाज कल्याण, चिकित्सा, श्रम कल्याण और अन्य महत्वपूर्ण विभाग आते हैं। यह गलती से रह गया या जान-बूझकर रह गया? इसी तरह से खाद्य तेल के बारे में बात की गई है, बढ़ा-चढ़ा कर बात की गई है कि 19 लाख टन से ज्यादा 24 लाख 80 हजार टन हुआ है लेकिन इसके लिए कितनी घाणियां तेल निकालने के लिये लगाई गई हैं? क्या बाकी बची हुई सरसों पड़ोसी प्रदेशों में भेजेंगे? इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि छोटी-छोटी घाणियां लगाकर इसके लिये कोई कार्यक्रम बनाया जायेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि 80 लाख टन गेहूं, चीनी 8.94 लाख टन, खाने का तेल 10,130 टन, कैरोसीन 3.14 किलोलीटर दिया है। चीनी की राजस्थान राज्य की आवश्यकता को देखते हुए 4 लाख 38 हजार टन, प्रति व्यक्ति प्रति माह अगर 500 ग्राम भी लगाई जाय तो 4 करोड़ आदमियों के लिये चाहिये। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सबसे ज्यादा आवश्यकता गरीब व्यक्तियों के लिये होती है, वही सबसे ज्यादा उसके उपभोक्ता होते हैं। अगर उनको वहां पर सामग्री नहीं मिलेगी तो वे ब्लैक में लेंगे। यह भी मात्रा कम रखी गई है। दूसरा तेल की आवश्यकता आपने 10,100 टन बतलाई है। प्रति व्यक्ति अगर लगाया जाय तो इसकी मात्रा भी आधे से कम पड़ जाती है। कैरोसीन प्रति व्यक्ति प्रति माह अगर 2 लीटर उपलब्ध कराया जाय तो राज्य की आबादी को देखते हुये 80 हजार किलो लीटर प्रति माह की जरूरत पड़ती है और 9 लाख 60 हजार प्रति वर्ष, लेकिन 3 लाख 14 हजार किलो लीटर ही उपलब्ध है। यह भी आधे से कम है। यानी गरीबों के लिये राहत की कोई व्यवस्था की बात नहीं की गई है। राज्य में

२१२

(श्री गणपतराम गाडेगावलिया)

30,000 गांवों में केवल 10,797 उपभोक्ता की दुकानें हैं। मेरा निवेदन यह है कि 10 हजार उपभोक्ता दुकानें खोल दी जायं तो 20 हजार आदमियों को रोजगार भी मिलेगा और गांवों में बसे हुए गरीब आदमियों को उचित दाम पर गेहूं, चीनी वगैरह आसानी से मिल सकेगी।

चिकित्सा के बारे में बात की गई है। 80 पर्सेन्ट आबादी चिकित्सा सुविधा के अभाव में रहती है? 30.91 प्रतिशत लोग बुखार, जुकाम से मर जाते हैं, एक से लेकर 14 वर्ष के बीच की जिनकी आयु होती है। साथ ही 80 पर्सेन्ट आबादी शहर के किसी बड़े अस्पताल का मुंह नहीं देख पाती है। और यह दावा सरकार का कि मलेरिया 0 6 पर्सेन्ट, कोई कार्यक्रम बताया गया था, तपेदिक 3.5 पर्सेन्ट। पर 80 पर्सेन्ट आबादी किसी बड़े अस्पताल का मुंह नहीं देख पाती है, जिनके आंकड़े दर्ज नहीं किये जाते हैं। चिकित्सा के अन्दर 50 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से रखे गये हैं। यह भी आज के हालात को देखते हुए बहुत कम है। चिकित्सालय वितरण में भी बड़ा उल्टा-सीधा हुआ है। गंगानगर जिले के अन्दर 20 लाख की आबादी में वहां 5 चिकित्सालय हैं और अजमेर जिले के अन्दर 14 लाख की आबादी पर 14 हास्पिटल्स हैं। सरकार का यह भी अनुपात ठीक नहीं रहा।

इसी तरह से कपास उत्पादन की बात की गई है कि 6 लाख गांठों के मुकाबले बढ़कर 9.86 लाख गांठें हो गई हैं। गत 2 वर्षों में कपास के निर्यात में वृद्धि भी हुई है, कपास निर्यात से विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है लेकिन सरकार ने वीविंग इण्डस्ट्रीज का कोई प्रावधान नहीं करके आगे बढ़ी हुई कपास की कोई व्यवस्था नहीं की है।

श्री प्रेमसिंह दहिया : निन्दा कर रहे हैं सरकार की? कमियां बता रहे हैं न हर क्षेत्र में?

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री गणपतराम गाड़ेगावलिया : मैं तो अपने सुझाव दे रहा हूं। सही दोस्त वही है जो साथी को कोई गलती हो तो बता दे कि गलती कर रहा है। और ये आंकड़े इस किताब के हैं मेरे नहीं हैं। (व्यवधान) कहें तो पेज बता दूं सब?

दालों की बढ़-चढ़ कर बात की गयी है कि राज्य में दालों का उत्पादन गत वर्ष 11.56 लाख टन था, उसकी जगह 16.93 लाख टन होने की सम्भावना है। दालों के जो कल तक भाव थे, चना 600 रुपये, अरहर और उड़द 700 रुपये थे। लेकिन दालें जब बाजार में आती हैं तो दुगने भाव से मिलती हैं। उसमें न तो किसानों को फायदा होता है और न उपभोक्ताओं को कोई फायदा होता है। इसका भी प्रबन्ध सरकार ने नहीं किया है।

अब मैं सड़कों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। सड़कों में राजस्थान में प्रति 100 किलोमीटर भूमि पर आज भी 16.64 है जबकि राष्ट्रीय औसत 53.92 है। यानी 54 किलोमीटर में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के पीछे 53.92। यह औसत भी कम है। पिछले साल 38 करोड़ रुपये रखे गये थे। जिसके अन्दर कम से

(श्री गणपतराम गाड़ेगावलिया)

कम दूदू क्षेत्र के अन्दर नई सड़कों का निर्माण तो नहीं हुआ लेकिन इतना जरूर हुआ कि जितनी पुरानी सड़कें थीं जो पिछले कई सालों से बेकार पड़ी थीं, एक-एक फीट के गड्ढे हो गये थे वे तकरीबन-तकरीबन ठीक कर दी गई हैं और आगे भी जारी रहेंगी।

अन्त में, बाकी जो बार-बार बातें दोहराई जा रही है उसके अलावा एक बात कर्जे माफी की करना चाहूंगा। कर्जे माफी के अन्दर, मान्यवर, मैं सदन से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग डिफाल्टर थे, जो जान-बूझकर बदमाशी करते थे उन लोगों की तो कर्जे माफी हो गई मगर जिन लोगों को डरा धमका कर बीच में किश्त ले ली गई थी उनके आज भी नोटिसेज आ रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते दूदू क्षेत्र में कम से कम 300 आदमियों के नोटिसेज आए हैं, जिसमें ढाई-ढाई हजार रुपये और उनके 800-800 रुपए ब्याज के लगे हुये हैं। इसलिए मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कर्जा माफी करनी है तो हुडको और खादी ग्रामोद्योग से गरीब और अनुसूचित जाति के लोगों ने जो दो-दो, ढाई-ढाई हजार रुपये लिये हैं उनकी कर्जा माफी कर दी जाय।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हेतराम बेनीवाल।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टा और बढ़ा दिया जाय। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घण्टा और बढ़ा दिया जाय?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति जी, एक घण्टे तक नहीं, जब तक कि श्री बेनीवालजी का भाषण समाप्त नहीं हो तब तक के लिए।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : नहीं, एक घण्टा बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

श्री सभापति : सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय सभापति महोदय, जो इस बार राज्य सरकार ने बजट पेश किया है उस बजट के पेश करने में और पिछले बजट में एक स्पष्ट अन्तर जो मैं महसूस करता हूं वह यह है कि इस बजट में चुनाव की झलक नज़र आती है। यह बजट पूरी तरह से राजस्थान का बजट नहीं होकर जो सत्ता में पार्टी बैठी है... (व्यवधान) आप चुप रहें। यह मैं आपके हित की बात कह रहा हूं। यह माननीय श्री भैरोंसिंहजी ने जो बजट पेश किया है वह....

श्री कालीचरण सराफ : आप एक से दो होंगे नहीं।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप घटेंगे, मेरे तो एक से दो होने की कोई बात नहीं है लेकिन आपका भट्टा बैठेगा। इसलिये बैठेगा,

(2/9)

(श्री हेतराम बेनीवाल)

माननीय सभापति महोदय, वैसे तो यह जनता दल (दिग्विजय) और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पर अगर इस बजट को देखा जाय तो यह सरकार केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसानों का नाम लेने वाले जो लोग बीच में बैठे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पूरे बजट में सीकर से लेकर गंगानगर तक, इन 5 जिलों के अन्दर कौनसे विकास के काम, कौनसी योजनाएं और प्रोग्राम्स हैं जो आप उनकी गोद में जाकर बैठे हैं ?

श्री लालचन्द डूडी (वन एवं पर्यावरण मंत्री) : आज तक इस एरिया के अन्दर इतना अच्छा काम नहीं हुआ जितना इन....

श्री हेतराम बेनीवाल : डूडीजी, आप जो बोल रहे हैं मुझे पता है....

श्री लालचन्द डूडी : नोहर फीडर और सिद्धमुख कैनाल के लिए 40 साल तक लोग घोषणा करते रहे, उसकी मंजूरी इस वक्त आई है।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपको पता नहीं है, सिद्धमुख कैनाल जब आई थी राजस्थान के अन्दर तब जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अगर आपके होते हुए आती तो मैं बताता हूं कि गंगानगर जिले का सबसे पहले क्लेम था कि उसके दो टुकड़े होने चाहिए। 1982 में जो रिपोर्ट दी, सबसे पहले कमेटी ने इसके जिले के बारे में उसके परिवर्तन में....(व्यवधान) सुन लीजिये मेरी बात। सबसे पहले हनुमानगढ़ का नाम था, हनुमानगढ़ जिला डिक्लेयर हो चुका था। और जो जिले डिक्लेयर हुए हैं.... आप मेरी बात सुन लें....(व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : गंगानगर जिले को बेच दिया आपने। चार मंत्री बनना स्वीकार किया। आप अगर जिले का वो नहीं कर सकते (व्यवधान)

श्री लालचन्द डूडी : चार मन्त्री बनने के बाद गंगानगर जिले के लोग चालीस साल जिन डिमाण्ड्स के आन्दोलन किया करते थे एक भी डिमाण्ड ऐसी नहीं है.... (व्यवधान) असली बात तो यह है कि गंगानगर जिले की कोई समस्या रही ही नहीं, अब क्या आन्दोलन करोगे ? आपको इस बात की तकलीफ हो रही है।

श्री हेतराम बेनीवाल : डूडी जी, एक बात कहना चाहता हूं, गंगानगर जिले में जिस दिन जाओगे उस दिन लोग पूछेंगे.... (व्यवधान) उस दिन लोग + + +

श्री लालचन्द डूडी : उस दिन लोग वाहवाही करेंगे। उस दिन लोग यह कहेंगे कि हमारे लोगों ने हमें गुमराह करके डराया, अब उनकी तस्वीर हमारे सामने आ गयी है।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपने सारे गंगानगर जिले के हितों को सीकर और चूरू के हितों को, बीकानेर के हितों को + + + बेचा है। आप चार मंत्री बनने के लिए चुप रहे। जब यह मेडिकल कालेज कोटा में बन सकता है तो गंगानगर में क्यों नहीं ? जब यह पोलिटेक्निक जोधपुर में बन सकता है तो उस क्षेत्र में क्यों नहीं ? (व्यवधान) आपने इस सदन के अन्दर घोषणा की थी,

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हेतराम बेनीवाल)

ये जो बैठे हैं बड़ी-बड़ी मूंछों वाले, इस सदन में घोषणा करके गये थे कि मैं लिंक कैनाल शुरू करवा दूंगा। कहां गई लिंक कैनाल? किस जगह है लिंक कैनाल? (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया आसन को सम्बोधित करें। सीधे बात नहीं करें।

श्री हेतराम बेनीवाल : सभापति महोदय, जो राजस्थान का नक्शा बदला है पूरी तरह से सरेण्डर कर दिया। पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान को, सारे राजस्थान के बजट में से जो पांच अरब रुपया राजस्थान के गरीब लोगों से इकट्ठा किया, उन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए और वोट प्राप्त करने के लिए इन्होंने खर्च किया है। पूरा का पूरा इलाका, सारा का सारा पश्चिम और उत्तर का इलाका उपेक्षित रहा है। इसमें खास तौर से गंगानगर, बीकानेर, चूरू और सीकर का जिला है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मंत्री जो मेरे सामने बोल रहे हैं, चार मंत्री जो बनाए हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं....(व्यवधान) चार मंत्रियों के सिवाय आपने लिया क्या है? सभापति महोदय, जो मन्त्री उछल रहे हैं उनसे मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने पिछली बार यह घोषणा की थी कि हम खालों की किश्तें माफ करेंगे। इस बार भी घोषणा की है कि खालों की किश्तें माफ करेंगे। हनुमानगढ़ के कोर्ट में सैकड़ों मुकदमे किसानों के चल रहे हैं। फसलें कुर्क हो गई, जमीनें कुर्क हो गई। उन खालों की किश्तों के मामले में आज राजस्थान का मुख्य मंत्री असत्य बोलता है।

श्री लालचन्द डूडी : आप एक केस भी दिखला दीजिये जिसमें जमीन कुर्क हुई है। खालों की किश्तों के बारे में आप एक केस दिखा दीजिये... (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : अगर मुकदमे चल रहे हों तो इस्तीफा दोगे? अगर मुकदमे चल रहे हों और पेशियां भुगत रहे हों तो इस्तीफा दोगे? आज कहो हाउस में....(व्यवधान) सभापति महोदय, सैकड़ों किसान तारीखें भुगत रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं वसूली के और आप ऐलान करते हो कि हमने खालों की किश्तें माफ कर दीं (व्यवधान)

श्री कुन्दनलाल मिगलानी(समाज कल्याण राज्य मंत्री) : आप दिखलाइये, कौनसी ज़मीन कुर्क हुई है? (व्यवधान)

श्री लालचन्द डूडी : आपको एलर्जी इस बात की हो रही है कि गंगानगर के लोगों की समस्याओं का समाधान क्यूं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : खालों की किश्तों के बारे में एक भी किसान....(व्यवधान) डूडी, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाली जो अब मिल गई है....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया आसन को सम्बोधित करें। प्रोवोक नहीं करें।

श्री हेतराम बेनीवाल : पर आप बोलने किस हक से देते हो? किस तरह से इन सदस्यों को बोलने की इजाजत देते हैं आप?

श्री सभापति : आप मेरी तरफ होकर बोलेंगे तो बीच में व्यवधान होगा ही नहीं।

श्री हेतराम बेनीवाल : सभापति जी, मैं आपसे कह रहा हूं मंत्री होते हुए भी.... (व्यवधान)

श्री बिरधाराम चौधरी : एक आदमी चार-चार मंत्रियों का मुकाबला कर रहा है.... (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। मुझे दूसरी सबसे बड़ी बात यह कहनी है, मुख्य मन्त्री ने इस पूरे दस्तावेज के बारे में कहा है कि हमने सारा केन्द्र अपना गरीब को बनाया है और गरीब ही हमारा गणेश है। इसमें यह कहा गया है कि साढ़े तीन लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। कौनसा रोजगार देंगे आप ? पूरे राजस्थान में एक भी कारखाना खोलने का प्रोग्राम नहीं है। मैं आज चैलेन्ज करता हूं कि सारे राजस्थान में जितने रुग्ण कारखाने हैं, बन्द कारखानें हैं वे सब के सब बन्द पड़े हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी और यह जो दल है पता नहीं कौनसा दलदल है, यह बताएंगे मुझे कि एक भी कारखाना, जिस मीणा ने यहां पर मुख्य मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया और ऐलान किया, जो आज का मुख्य मंत्री है....(व्यवधान)

श्री लालचन्द डूडी : यह वो दल हैं जिसके 26 माननीय सदस्य यहां हैं और यह वो दल है जिसका आज तक एक से दो नहीं हुआ।

श्री हेतराम बेनीवाल : सभापति महोदय, ये मुख्य मंत्री के जो चहेते हैं सिर्फ अपने मंत्रि मण्डल की कुर्सी बचाने के लिए उछल रहे हैं और कुछ नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा जो यह कहते थे....(व्यवधान)

श्री लालचन्द डूडी : आप तो जब तक इस पार्टी में रहोगे, जीवन भर मंत्री पद आपको मिलना नहीं और यह एलर्जी आपको हमेशा रहेगी। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : ऐसे मंत्री पद को + + +। इस तरह से जो आपने मंत्री पद प्राप्त किया है, इस तरह दल बदल कर मंत्री पद प्राप्त किया है उसका जवाब भादरा की जनता देगी। आपको पता लगेगा जब उसके पास पहुंचोगे।

श्री लालचन्द डूडी : जनता अगर आपके साथ होती तो आप एक ही नहीं रहते। जनता आपके साथ है ही कहां।

श्री हेतराम बेनीवाल : सभापति महोदय, मीणा ने यहां प्रदर्शन किया। सवाई माधोपुर का कारखाना नहीं चलेगा तो कांग्रेस का धुआं निकाल देंगे। कांग्रेस का धुआं निकल गया। अब एक-डेढ़ साल हो गया, आप बताओ भंवरलाल जी, आपका धुआं निकला कि नहीं निकला ? अब भेजना मीणा को सवाई माधोपुर में। अब जाना आप सवाई माधोपुर के क्षेत्र में। सारे राजस्थान में एक भी कर्मचारी को रोजगार देने के लायक आप नहीं हो। आपने किस बात पर यह घोषणा कर दी कि हम साढ़े तीन लाख लोगों को रोजगार देंगे....(व्यवधान) जिस जवाहर रोजगार योजना की आप बात करते हैं, सारे राजस्थान में एक ही चीज है जिसका आप प्रचार करते हैं वह है जवाहर रोजगार योजना, यह पूरा का पूरा

+ + +अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हेतराम बेनीवाल)

कांग्रेस का बैच बैठा है। जवाहर रोजगार योजना के नकली प्रोग्राम ने उनको अगर नहीं तारा तो आपका कैसे तारेंगे? क्या रोजगार है उसमें? पांच दिन काम मिलेगा, सात दिन काम मिलेगा। नकली, फर्जी मस्टररोल बनाते हैं और सरपंच उसको पास करवा कर पैसा ले लेते हैं। इसके भरोसे आपने साढ़े तीन लाख लोगों के आंकड़े दिए हैं, ये बिल्कुल फर्जी आंकड़े हैं।

श्री लालचन्द डूडी : आपका मतलब सारे सरपंच फर्जी हैं?

श्री हेतराम बेनीवाल : सभापतिजी, ये जो मन्त्री हैं इनसे कहो कि यह बोलना सीखें, हाउस में बैठना सीखें।

श्री लालचन्द डूडी : आपसे पहले आने लगा हूं।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, संयम बरतें।

(7.00 सायंकाल)

श्री हेतराम बेनीवाल : सभापति जी, गरीबों के प्रोग्राम में एक प्रोग्राम बनाया है, और मैं उसको आपके सामने स्पष्ट कराना चाहूंगा। गरीब के नाम पर इन्होंने यह तय किया है कि 1991-92 में एक लाख पैंतीस हजार लोगों को लाभान्वित करेंगे। क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी बतायेंगे कि उनको क्या लाभ देंगे? जमीन देंगे? राजस्थान की जमीन तो आप नीलाम करोगे स्पेशल अलाटमेंट के नाम से। गांवों में आप बड़े-बड़े जागीरदारों की जमीन लेंगे नहीं, सीलिंग आप लागू नहीं करेंगे। उनको आप क्या रोजगार देंगे? आपके यहां रोजगार देने का कोई धन्धा सिवाय जवाहर रोजगार योजना के कुछ नहीं और आपने उसमें आंकड़े दिखा दिये कि इन लोगों को लाभान्वित करेंगे। आपने प्रोग्राम बनाया बाल्मिकी ग्राम योजना। 100 गांवों में आप इस तरह का प्रोग्राम चलाएंगे जहां व्यवस्था करेंगे पीने के पानी की, उनके स्वास्थ्य की, चिकित्सा की और खर्चा कितना करेंगे 50 लाख रु.। यह ऐसा नकली प्रोग्राम है। मैं देख कर आया हूं वह कक्ष जिसमें 6 लाख रुपये के फर्नीचर सजाये हैं आपने कमरे में। आप 50 लाख रुपये से, राजस्थान में 12 हजार ग्राम हैं, हरिजनों और अनुसूचित जाति के इन 12 हजार गांव को 2 सौ साल के अन्दर भी इस तरह से लाभ नहीं पहुंच सकता जिसका आपने प्रचार किया है कि हम लाभ पहुंचायेंगे।

श्री जुबेर खान : पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन।

श्री सभापति : इनका खत्म हो जाने दीजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, मुझे इस मामले में यही कहना है कि इन्दिरा गांधी नहर सिचाई योजना राजस्थान के अन्दर राज्य सरकार ने मजदूर के नाम से, गरीब के नाम से प्रचार की योजना बनाई है, किसान के नाम से प्रचार किया है कि हम सिंचाई की क्षमता बढ़ायेंगे। इन्दिरा गांधी नहर का जो पहले से चल रहा है, आज भी राजस्थान सरकार 8 हजार क्यूसेक पानी इस्तेमाल नहीं कर सकती और वह पानी पाकिस्तान जाता है। राजस्थान की सरकार में जब तक आप मुख्य मंत्री नहीं थे, इन्होंने

(श्री हेतराम बेनीवाल)

खूब दहाड़ा कि यह पाकिस्तान में जाने वाला पानी इनकी बुजदिली की वजह से, कमजोरी की वजह से जाता है। मैं आज पूछता हूं कि किसकी वजह से जाता है? अब भी 8 हजार क्यूसेक पानी राजस्थान के हिस्से का पाकिस्तान में जाता है, हम उसकी क्षमता क्यों नहीं बांधते?

श्री सभापति : समाप्त करिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं अन्तिम बात कहूंगा। जो भ्रष्टाचार पर माननीय सचेतक महोदय ने, लम्बे-चौड़े शरीर से फाड़कर कहा था कि कान खोलकर सुन लो, आपने एक मीणा जाति के आई. ए. एस. अधिकारी को गिरफ्तार करके सारे राजस्थान में घुमाया कि हम भ्रष्टाचार को मिटायेंगे। पिछली बार विधान सभा के अन्दर राजस्थान कैनाल के सीमेंट घोटाले में भरतपुर से आने वाले सदस्य माननीय श्री पण्डितजी ने इल्जाम लगाया था कि + + + सारी सीमेंट खा गया। घोटाला किया है। आपके मुख्य मंत्री ने जांच करवायी 24 अगस्त को और 18 अक्टूबर को उस जांच का फैसला आ गया कि उसके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज नहीं हुई। क्या आप समझते हैं, भ्रष्टाचार मिटाने की हिम्मत है? भ्रष्टाचार मिटाओगे कैसे? हरिजन को पकड़ोगे या किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को पकड़ोगे? जब सवाल आयेगा इन जातियों का, आप चुप हो जाओगे और बुजदिली से बैठ जाओगे। अगर है हिम्मत, करो ऐलान....

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : भ्रष्टाचारी की जाति नहीं होती है। आपने मुझे कहा, मैंने आपसे....(व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : आपने अनुसूचित जाति के लोगों को पकड़ कर एक ड्रामा किया है। जब यह सवाल आया कि + + +

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय सभापति महोदय, मेरा जितना टाइम लिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि + + + के खिलाफ इल्जाम लगा, जालौर की कालोनियों को बेचकर उसने 50 लाख का गबन किया। आपने जांच करवायी। आपने इस बात की जांच करवायी है। पता लग गया कि बेईमानी है, एफ. आई. आर. दर्ज करवायी जाये। (व्यवधान) मैं आप पर भी आता हूं। आपने वायदा किया था इसी विधान सभा के फ्लोर पर कि हम 6 महीने में भ्रष्टाचार मिटा देंगे। माननीय सभापति महोदय, यह जो मेरे सामने मंत्री खड़े हैं, इसी विधान सभा में वायदा किया था कि 6 महीने में भ्रष्टाचार मिटा देंगे, नहीं तो इस्तीफा दे दूंगा। यह 6 महीने से ऊपर गुजर गये। सारे भ्रष्टाचार की जड़ आपकी को-आपरेटिव सोसायटीज हैं जो शहरों की जमीन को बेचकर खा गयीं। आज भी जयपुर के अन्दर घाटे की बात करते हैं। माननीय सभापति महोदय, अकेले जयपुर की को-आपरेटिव सोसायटीज के पास जो जमीनें हैं वह ले ली जायें, अगर यह हिम्मत करें भैरोंसिंहजी, अकेला अमरूद को बाग जो

+ + + नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हेतराम बेनीवाल)

महाराजा भवानीसिंह के पास है 50 एकड़ जो कम से कम 80-90 करोड़ का है, एक भी आप ले लो तो राजस्थान की भूख चली जायेगी। आपकी हिम्मत है उनके खिलाफ कुछ करने की ? आपकी हिम्मत नहीं है। आप सिर्फ ड्रामा करते हो।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आप भी उनके साथ हो, पैरवी कर रहे हो उनकी।

श्री हेतराम बेनीवाल : हम उनके साथ नहीं हैं। आप उनके पीछे फिरते हो। उनको साथ लेकर राजस्थान की जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हो। मैं आपसे कहता हूं, आप हिम्मत करें उनके खिलाफ। आज बड़े-बड़े पूंजीपतियों के, जिन्होंने करोड़ों रु. चोरी किये बिजली में और चोरी करके बैठे हैं, उनके खिलाफ आपकी हिम्मत नहीं है। कदम उठाना चाहिये। उसके बजाय राजस्थान के गरीब काश्तकारों के पीछे आप पड़े हो, उनके 2-2 हजार रुपये एक हार्सपावर, डेढ़ हजार रुपये रखा है। जब जाओगे डूंडीजी तब पता लगेगा जिस दिन लट्ठ लेकर किसान खड़ा मिलेगा खेत के अन्दर उस दिन आपको पता लगेगा कि राजस्थान का किसान क्या चाहता है और क्या सोचता है उसके बारे में। मैं कहना चाहता हूं कि यह राजस्थान की सरकार का बजट ने इन बड़े-बड़े लोगों को छेड़ा नहीं और ऐसी यथास्थिति का बजट है जिसमें विकास नाम की चीज नहीं है।

श्री सभापति : बहुत समय ले लिया, कृपया समाप्त करें।

श्री हेतराम बेनीवाल : एक अन्तिम बात कहनी है, वह है राजस्थान का जो बजट बनाया है उसमें बड़े-बड़े पूंजीपतियों को नहीं छेड़ना और किसी पर कोई टैक्स नहीं लगाना। मैं इसके हित में नहीं हूं कि टैक्स नहीं लगाये जाये। जिन लोगों को रियायत दी है वह गोटाकिनारी, मतीरे की बीज। यह नकली ड्रामा है। उसकी बजाय राजस्थान के इन बड़े-बड़े लोगों से टैक्स वसूल करके और उन बड़ी-बड़ी चोरियों और जमीनों को पकड़ कर करोड़ों रुपयों का टैक्स इकट्ठा किया जाय और राजस्थान का विकास किया जाय। यही एक राजस्थान के विकास का एक रास्ता है अन्यथा यह ड्रामा है। चुनाव के दिनों में ढपली बजाये उसके सिवाय कुछ नहीं है। जो ये करते थे, मेरी समझ में, वैसा का वैसा आपने किया, उसके सिवाय कुछ नहीं किया।

सूचना

वित्तीय समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम में आंशिक संशोधन

श्री सभापति : मुझे सूचना देनी है। माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि चारों वित्तीय समितियां अर्थात् जनलेखा समिति 1991-92, राजकीय उपक्रम समिति 1991-92, प्राक्कलन समिति (क) 1991-92 तथा प्राक्कलन समिति (ख) 1991-92 के निर्वाचन के कार्यक्रम में आंशिक संशोधन कर दिया गया है जो इस प्रकार है :

(श्री सभापति)

1.	मनोनयन पत्र प्रस्तुत करना	13 मार्च, 1991 से 15 मार्च, 1991 (म. पू. 11-00 बजे से म. प. 3-00 बजे तक)
2.	मनोनयन पत्रों की जांच	18 मार्च, 1991 को म. प. 2-00 बजे
3.	मनोनयन वापस लेना	21 मार्च, 1991 के म. प. 3-00 बजे तक
4.	मतदान यदि आवश्यक हो	25 मार्च, 1991 को म. पू. 11-00 बजे से म. प. 3-00 बजे तक।
5.	मतपत्रों की गणना	25 मार्च, 1991 को म. प. 3-00 बजे से

सूचना

चाकसू में डकैती

श्री जुबेर खान : एक इन्फार्मेशन देनी थी। एक व्यक्ति अभी चाकसू से आया है। रात को 4 अज्ञात व्यक्तियों ने पुलिस की ड्रेस में डाका डाला है। वहां गोलियां चली है। एक व्यक्ति खलील नाम का 25 वर्ष का नौजवान है उसकी मृत्यु हुई है। उसके पिताजी के गोलियां लगी हैं, उसके मामाजी के लगी हैं तथा एस. एम. एस. में एडमिट है। सुबह 7, 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक पूरा रास्ता जाम रहा है। जयपुर रोड बन्द कर रखी है वहां की जनता ने। जनता में भयंकर आक्रोश है। मैं सूचना देना चाहता हूं कि सरकार उसके ऊपर अपना वक्तव्य दे।

श्री सभापति : आप नोटिस दीजिये समय पर। श्री महावीर प्रसाद जैन।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, 1991-92 का बजट सदन के सामने प्रस्तुत है। इस बजट को पढ़ने के बाद वैसे भी इस सदन के माननीय सदस्य सारी चर्चा में इस बात का लोहा मानते हैं कि हमारे सदन के नेता माननीय भैरोंसिंहजी का अपना व्यक्तित्व है और केन्द्र सरकार में भी उनकी अपनी पहुंच है। इस बजट भाषण को आप पढ़ें तो उसमें आपको लगेगा कि केन्द्र सरकार से कई योजनाएं और कई अनुदान जो नहीं मिले थे या जो देने पड़े, उन पर रियायतें मिली हैं और बिजली के मामले में, पानी के मामले में कई योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। इस बजट के विकास के लिए जहां ये चुनाव की बात करते हैं, जहां भी विकास की बात नजर आती है तो चुनावी बजट आपको नजर आता है। मैं नहीं समझता कि कल तक जो इधर बैठे थे, जिनकी जिम्मेदारी इस सरकार को चलाने की थी, वे अपने कार्यालय की जिम्मेदारी अपने ऊपर न लेकर जिस समय वे मंत्रिमण्डल के सदस्य थे उस समय वे+++बनकर यहां पर बैठे थे। ऐसा लगता है कि उनको यहां पर केवल झण्डी और कार दिखती थी तथा राज्य सरकार की कोई बुराई उनको नहीं दिखती थी।

+++शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

22

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : हम तो कोई + + + नहीं थे, हम तो + + + थे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : चेयरमैन श्री आपके बस में नहीं हुआ। आप कहते हैं चेयरमैन नहीं मानता। आप ऐसी तो मंत्री थी। एक अधिकारी आपके बस में नहीं आया। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, वह जानकारी हमारे पास है और इसकी विस्तृत जानकारी हम वहां से कर रहे हैं। इसके ऊपर कल बात कर लेंगे।

श्री सभापति : माननीय महावीर जी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, हमारा जो बजट पेश किया गया है, वह इस बात को दर्शाता है, हमारे मुख्य मंत्री की पीड़ा को दर्शाता है। इसमें एक-एक बूंद का राजस्थान की धरती में किस प्रकार उपयोग हो, किस प्रकार राजस्थान की धरती में गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में बिजली पहुंचे, किस प्रकार पेयजल की समस्या, हम सभी जानते हैं, जब यह सरकार बनी थी उस समय पेयजल की भयंकर समस्या थी। उस समय किसी प्रकार का योजनाबद्ध विकास नहीं होता था और ये सारे सदस्य विरोधी दल के रूप में सामने बैठे हैं + + + और उन्होंने सारी योजनाओं को ठप्प कर रखा था, + + + भूमिका अदा कर रहे थे। (व्यवधान) जनता यह सब कुछ जानती है। ये किसान के रूप में व्यापारी बोल रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : किसानों के बारे में नहीं, दुकानों के बारे में बोलें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : वो अरहर का हिसाब लाएं कि नहीं ? मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि यह सरकार बनी तो जो हमारे चुनावी वायदे थे, ऋण माफी हमें देनी थी, वह हमारा बहुत बड़ा बर्डन था। इन्होंने इस प्रकार की घोषणा कर दी थी कि हमने पेयजल समस्या से मुक्त कर दिया है राजस्थान को, ऐसा कोई गांव और ढाणी नहीं थी जहां पेयजल की समस्या नहीं थी, त्राहि-त्राहि मची हुई थी लेकिन हमारे पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर और हमारी सरकार ने मिलकर तात्कालिक योजनाएं बनाकर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में पानी की व्यवस्था की। आज पेयजल के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस बजट में प्रावधान है। जहां बीसलपुर से हमारे अजमेर, किशनगंज, ब्यावर और जयपुर तक के बीच में पड़ने वाले सारे गांवों को पानी मिलेगा....(व्यवधान)

श्री घासीराम यादव : बीसलपुर आपने देखा है क्या ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : बीसलपुर आपके + + + लिए पर्याप्त है। + + + बीसलपुर की योजना वहां पर चल रही है और आपको यह पता नहीं है कि वहां पर

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(222)

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

क्या हो रहा है और बीसलपुर के बारे में भी मेरे से ही पूछ रहे हैं। मैं वहां की धरती के बारे में, एक-एक ढाणी के बारे में जानता हूं। वहां की क्या समस्यायें हैं, मैं जानता हूं। कल ही मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। आपको याद है 6 करोड़ रुपये बाद में पहुंचे थे। याद है आपको? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : ढाणी की परिभाषा तो बताओ। ढाणी किसे कहते हैं? ढाणी क्या होती है?

श्री सभापति : कृपया व्यर्थ की बातों से विघ्न न डालें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने घोषणा की है कि वहां से इसी साल पानी की सप्लाई अजमेर, किशनगंज, ब्यावर को की जायेगी। इसी साल वहां का मुआवजा दिया जायेगा 6 करोड़ रुपये। इसी साल सारी बातें तय कर दी हैं लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपको जन-प्रतिनिधि के रूप में वहां की जनता ने भेजा था, आपने यहां बैठकर केवल साफा लाकर दुनिया को दिखा रहे हैं कि आप किसान हैं। वहां की जनता जानती है कि किसान के रूप में आप भारी बोझ हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं और किसानों की समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं है। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि किसान की समस्या इस सरकार में नहीं रहेगी।

श्री रामस्वरूप मीणा : समस्या तो रहेगी लेकिन सरकार नहीं रहेगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमारे मुख्य मंत्रीजी ने पिछली जुलाई में यह संकल्प दोहराया था कि मितव्ययता लायेंगे और 20 करोड़ रुपये की बचत करेंगे। मुझे आज इस बात की खुशी है और मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि 20 करोड़ की बजाय 24 करोड़ की बचत करके उन्होंने बताया है, उदाहरण कायम किया है एक पहल की है। हमने प्रशासनिक खर्चों में कटौती करके, अपनी सुख-सुविधाओं में कटौती करके हमारी जनता को, गरीब को गणेश माना है और हम उसकी सेवा करेंगे। यह बात आपके दर्द का विषय है। यह मेरी समझ में नहीं आता।

बिजली के मामले में 1990-91 में जहां 238.41 करोड़ रुपये का प्रावधान था वहीं 1991-92 में 317.51 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो 27.23 पर्सेन्ट पिछले वर्ष से ज्यादा है और 700 गांवों तथा 25 हजार कुओं का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है। जो विद्युत योजनाओं पर बहुत बड़ा भार था, बहुत बड़ा, 600 करोड़ रुपये का जो विद्युत विभाग में ऋण था, उस ऋण को हटाकर उसमें भागीदारी, हिस्सेदारी राज्य सरकार की रहेगी यह घोषणा करके विद्युत विभाग का भारी दबाव कम किया है। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं विद्युत विभाग....

श्री बिरदाराम चौधरी (मकराना) : आपको फ्रिज और कूलर याद रह गये हैं। गांव में बिजली नहीं गई है।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि अगर कोई

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

व्यक्ति सदन में असत्य बोलता है तो उसका क्या होता है ?.

श्री महावीर प्रसाद जैन : विद्युत विभाग घाटे में होने के बावजूद भी किसी भी योजना से सरकार ने गांवों को विद्युतीकृत करने के लिए आदेश दिया कि 31 मार्च तक सारे गांव विद्युतीकृत होंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि विद्युत विभाग में जिस तरह की फिजूलखर्ची, जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं, उन पर और नियंत्रण रखने की आवश्यकता है।

जहां मैं इस सरकार की बजट के लिये रुपयों का प्रावधान करने की प्रशंसा करता हू वहीं पर साथ में निवेदन करना चाहता हूं कि विद्युत विभाग में बहुत सारी जो गड़बड़ियां मौजूद हैं. यह बात ठीक है कि पिछली सरकार के समय कांग्रेस के माननीय सदस्य और कुछ इस प्रकार के दलाल पाल रखे थे, जो विद्युत विभाग से मिलकर दलाली का धंधा करते थे और उन दलालों के मार्फत ही कनेक्शन हो सकते थे। आज की बात देखिए, आज मैं कह सकता हूं कि आज चाहे विद्युतीकरण का मामला हो, चाहे कनेक्शन का मामला हो, आज कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा और न किसी प्रकार की दलाली की व्यवस्था की गई है। दलालों की व्यवस्था समाप्त करके यह व्यवस्था की गई है कि पंचायत समितियों में प्रायोरिटी लिस्ट टकेगी। इस बात की, मैं समझता हूं, प्रशंसा करनी चाहिए।

दूसरा, हमारे सिंचाई विभाग में बजट का प्रावधान बढ़ाया गया है। 1990-91 में 182·73 करोड़ थे, वहां पर 1991-92 में 232·57 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। हमारे टौंक जिले में बीसलपुर की एक महत्वपूर्ण योजना है, जो पिछले समय से धीमी गति से चल रही थी, इस बार 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो पिछली बार केवल 9 करोड़ का था। 23 करोड़ रुपये का प्रावधान रखकर आज वहां पर 23 करोड़ रुपये खर्च किया जा रहा है।

आज दस करोड़ का प्रावधान किया गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना है जो केवल सिंचाई की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। मैं इस बजट भाषण के दौरान मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस राशि को बढ़ाया जाय और बीसलपुर को जो जून, 1991 में पानी रोकने का प्रावधान था उस प्रावधान के अन्तर्गत ही जो आप 92 में करने जा रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1991 में ही पानी रोका जाये। उसका पानी 1991 में ही अजमेर में पहुंचाया जाये। साथ ही ईसरदा बांध को बनाने का काम प्रारम्भ किया जाय। ईसरदा बांध को यदि आप तुरन्त शुरू करते हैं तो जो वहां पर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जो वहां पर पानी का जल स्तर नीचे चला गया है, आज जब फ्लो बहता है उस समय यह समस्या है। जिस समय आप पानी रोक लेंगे उस समय और भी समस्याएं पैदा हो जायेंगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सिंचाई की महत्वपूर्ण योजना को जहां हमने बजट में भी माना है, मुख्य

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

मंत्रीजी ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है कि एक-एक बूंद पानी का उपयोग किया जायेगा, राजस्थान की धरती पर पानी बेकार नहीं जाने दिया जायेगा, आज वहां पर पानी बेकार जा रहा है। पानी उत्तर प्रदेश में जा रहा है राजस्थान से बह कर, इसलिए ईसरदा और बीसलपुर का काम तुरन्त शुरू किया जाये। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

मुख्य मंत्रीजी ने इस प्रदेश के विकास के लिए किस प्रकार आगे बढ़ा जाये, इसके लिए अपने बजट भाषण में बहुत कुछ कहा है और कई इस प्रकार की योजनाएं जैसे गोपालन योजना और भूमि रोजगार गारन्टी कार्यक्रम....

श्री हेतराम बेनीवाल : यह मंत्री पालन योजना है, गोपालन नहीं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप इसको मंत्री पालन समझते हैं। आपको गौ के नाम से चिढ़ है, आपको राम के नाम से चिढ़ है। आप+ + +आदमी यहां कहां से आ गये ? आपको अच्छा लगता है, (व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री हेतराम बेनीवाल : इसमें गाय नहीं सांड पालोगे आप तो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बिना गाय के दूध पिये पैदा हो गये क्या आप ? आपने मां का खून चूसा और गाय का खून चूसा, बड़े अफसोस की बात है।

श्री सभापति : माननीय उजलाजी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको रूस अफगानिस्तान पर हमला करता हुआ अच्छा लगता है....

श्री सभापति : माननीय उजलाजी, बिराजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप गाय को, राम को और जो हमारी भावना सम्बन्धी जो चीजें हैं, वह आपकी समझ में ही नहीं आती। आप कहां से आ गये ?

श्री हेतराम बेनीवाल : आप किसको पाल रहे हैं ? आप तो सांड पाल रहे हैं....

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय हेतरामजी से निवेदन करता हूं....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कि जो उनकी पार्टी का अस्तित्व रशिया में था, आज वहां पर समाप्त हो रहा है। राजस्थान की धरती पर तो इनका कोई लेना-देना नहीं है, एक नाम मात्र के लिए कि यहां भी एक रहना चाहिए....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

+ + +शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री हेतराम बेनीवाल : केरल में आप आकर देख लीजिए...

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसा व्यवहार करिये जिससे आप एक तो बने रहो। आप नियमों को, परम्पराओं को समझें और सही बात कहने की आदत डालिये। नहीं तो आने वाले समय में यह लाल निशान राजस्थान की धरती में नहीं रहेगा। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : महावीर, केरल में आजमाया है। यह पीला रंग नहीं होगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इस राजस्थान की बहबूदी के लिए मुख्य मन्त्रीजी ने कहा है कि मैं इस का ट्रस्टी हूं, मैं इस सरकार का मालिक नहीं हूं। मैं इसका सेवक हूं, गरीब को गणेश मानकर मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ने के लिए उन्होंने सारे बजट भाषण में छोटी-छोटी योजनाओं के द्वारा किस प्रकार रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा, फव्वारों की खेती से किस प्रकार उत्पादन बढ़ाया जायेगा, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को पन्द्रह-पन्द्रह हजार रुपये अनुदान देकर किस प्रकार कुएं बनवाये जायेंगे, इसके लिए लम्बा-चौड़ा प्रावधान किया गया है। आप कहते थे कि सीकर और गंगानगर की तरफ प्रावधान नहीं किया गया है, मरु विकास कार्यक्रम...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। समय की सीमा देखिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी तो मैंने शुरू किया है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : नहीं, तो आप कीजिए, बहुत समय हो गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए पिछली बार कैम्प लगाये गये, हमारे सहकारी विभाग के द्वारा। एक हजार करोड़ रुपये के घोटाले इन लोगों ने किये जो आज सामने बैठते हैं। आज यह सदन को नहीं चलाना चाहते। बोलने के लिए कुछ नहीं होता है, यहां आ जाते हैं और अध्यक्ष के सामने आकर कहते हैं कि हम तो यहां धरना देंगे। किस बात का धरना देंगे? यह धरना इसलिए दे रहे हैं कि एक हजार करोड़ रुपये, जो हमारे सहकारिता मंत्रीजी ने कैम्प लगा-लगा कर सामने लाये हैं कि किस प्रकार फर्जी एग्रीमेंट इ सेल कर के जमीनों को हड़पा गया है, आज वह दर्द इनको सता रहा है। इसलिए....(व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह दहिया : हो गया आपका सौदा मंत्रीजी से...

श्री महावीर प्रसाद जैन : आज वह कटघरे में खड़े हैं, एफ. आई. आर. दर्ज है, थानों में बंद हैं, आज कई लोगों को सस्पेण्ड किया गया है....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मुझे बताते हुए दुःख है कि उसमें नब्बे प्रतिशत लोग कांग्रेस के इन्वाल्व हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो अब पदाधिकारी हैं और वहां पर बैठे हुए हैं।

श्री प्रेमसिंह दहिया : सभापति महोदय, यह कोई भाषण है या भौंपू बजा रहे हैं ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। बहुत समय हो गया है, समय की सीमा है, बाकी सदस्यों को बोलना है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह बजट ऐसा है जिस पर बोलना .. मैं जब पढ़ने लगा, मैं यह जानता हूं कि अधिकारियों पर अभी हमारी पकड़....

श्री सभापति : आप बहुत समय ले चुके।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह इतनी मजबूत नहीं है इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं ...

श्री सभापति : आगे भी समय मिलेगा, बजट पर बहुत डिस्कशन है। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कि मुख्य मंत्रीजी की भावना पवित्र है, मुख्य मंत्रीजी देश का विकास चाहते हैं, मुख्य मंत्रीजी इस प्रदेश की बहबूदी चाहते हैं....

श्री प्रेमसिंह दहिया : आपकी बिदाई हो रही है दो-तीन महीने में।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी + + + निकल रही है उसकी तैयारी करो। आपकी + + + निकलेगी, मैं आपको आज कहता हूं कि आने वाला समय....

श्री प्रेमसिंह दहिया : आप अपना विकास कर लो, मंत्रियों ने तो अपना विकास कर लिया। मंत्री अपना विकास कर चुके हैं, अब आप अपना विकास कर लो। आपने बहुत + + + आपने बिजली में + + + सभी जगह ट्रांसफरों में + + + कर रहे हो, अब तो आप अपना विकास कर लो, तीन महीने में हरी झण्डी हो रही है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप चिंता मत करो, आपकी + + + + धूमधाम से निकाली जायेगी और दुनिया देखती रहेगी कि कांग्रेस ने यहां पर क्या किया। आज धरती खिसक रही है। माननीय सभापति महोदय, आज वकालत करते हुए मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि जिस प्रकार मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि पहली बार सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन पर सारे लोगों को सांप सूंघ रहा था, तीन-तीन मुख्य मंत्री, एक हमारे यहां पर जो है....(व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह दहिया : जितना विकास करना है कर लो, यह तीन महीने के लिए है आपका। राजस्थान का विकास तो हम करेंगे, हम ही कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते वह विकास।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो प्रश्न किये जाने चाहिए थे, वह भी नहीं कर के....

श्री सभापति : माननीय महावीर प्रसादजी, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और केवल इसलिए कि हिन्दू होना अपराध है, इस बात का इन्होंने अपने सारे भाषण से वह

+ + + शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

किया, इसके लिए आने वाला समय आपको बतायेगा....

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, ऐसे-ऐसे प्रावधान किये हैं कि आप आश्चर्य करेंगे कि लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के तहत हम यहां की धरती की सिंचाई करेंगे....

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय सभापतिजी, हमारी पार्टी का दस मिनट इनको और दिया जाये।

श्री सभापति : बोलिये। (व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह दहिया : आप तो हिन्दू कहां, आप तो अपने आप को जैन लिखाते हो। आप तो अपने आप को हिन्दू कहते ही नहीं हो, आप हिन्दू की बात कहां करते हो? (व्यवधान)

श्री सभापति : आपको समय दिया जायेगा, इस प्रकार व्यवधान न करिये। कृपया बिराजिए। वह अपनी पार्टी का समय ले रहे हैं।

श्री प्रेमसिंह दहिया : आप तो हिन्दुओं से अलग लिखते हो अपने आप को।

श्री सभापति : वह अपनी पार्टी का समय ले रहे हैं, आपको क्या लेना-देना है? आपको समय दिया जायेगा।

श्री प्रेमसिंह दहिया : आपने तो अपना धर्म अलग कर रखा है (व्यवधान)

श्री सभापति : तशरीफ रखिये। कृपया जारी रखें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, हमने सरकार में आते ही आज जहां पर पानी की समस्या थी, बिजली की समस्या थी, सारा राज अव्यवस्थित था, बाढ़ आई और सब प्रकार के नुकसान हुए, उन सब से निपटते हुए कृषि का उत्पादन हमने बढ़ाया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां 176 लाख हैक्टेयर का लक्ष्य बुवाई का था, वहां 191 लाख हैक्टेयर बुवाई की गई। यह हमारे कुशल प्रशासन का नमूना है, यह हमारी राज्य सरकार की चिन्ता का एक नमूना है कि उन्होंने लक्ष्य के मुकाबले कितने लक्ष्य अर्जित किये हैं बुवाई के मामले में। केवल बुवाई के मामले में ही नहीं, खाद्यान्न के मामले में 85 लाख टन का हम अनुमान लगाते थे, यह लक्ष्य था कि 85 लाख टन खाद्यान्न उत्पन्न होगा लेकिन हमारे कुशल प्रबन्ध के कारण, हमारी संवेदनशीलता के कारण मुझे आज इस बात की खुशी है, मैं बधाई देना चाहता हूं सरकार को कि उन्होंने 108 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन किया। आप समझ सकते हैं कि 23 लाख टन लक्ष्य से उत्पादन ज्यादा हुआ है और आप कहते हैं किसान। याने केवल किसानों की बातें करने वाले राजस्थान की राजधानी नहीं छोड़ते। यदि कहीं कोई घटना हो जाती है तो यहां पाइन्ट आफ इनफार्मेशन से कहते हैं कि वहां पर दंगे हो गये। फिर यहां पर आकर कहते हैं कि दंगे नहीं हुए, वह तो पुलिस में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गयी। आप तो अपनी भूमिका अदा नहीं कर सकते। आपको सूचना मिली थी तो आपको वहां जाना चाहिए लेकिन केवल कल्पनाओं के आधार पर जिस प्रकार की

228

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं, अय्याशी की आदतें डली हुई हैं, राजस्थान की राजधानी को नहीं छोड़ना चाहते हैं और केवल यहां बैठकर किसान की बातें करते हैं। किसानों की बात करने वाले सुनो कि 23 लाख टन उत्पादन हमने ज्यादा करके बताया है। केवल खाद्यान्न का ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, 1989-90 में जहां 18.45 लाख टन का उत्पादन तिलहन में हुआ था, वहां आज 24.80 लाख टन यानी 6 लाख टन तिलहन का हमने ज्यादा उत्पादन किया है। हिन्दुस्तान में पहला प्रान्त है राजस्थान जिसमें सरसों सबसे ज्यादा उत्पन्न हुई है। यह हमारा परिणाम है। अभी वह यहां नहीं हैं बाड़मेर से या किधर से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थीं कि बीज उपलब्ध नहीं है। यह बिना बीज उपलब्ध हुए हैं? तारामीरा उपलब्ध नहीं है, यह फलां उपलब्ध नहीं हुआ, खाद नहीं मिला, बीज नहीं मिला मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह जो लक्ष्यों के मुकाबले में ज्यादा हमने टार्गेट अचीव किये हैं वह किस बात का सबूत है? लेकिन मुझे शर्म आती है यह कहते हुए, यह बताते हुए कि जो सारा किताबों में लिखा हुआ है, वह तो कम से कम पढ़ लिया करो।

एक माननीय सदस्य : फर्जी आंकड़े हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ....मैं आपको चैलेन्ज करता हूं। यदि यह आप फर्जी आंकड़े साबित कर देंगे तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा।....

श्री हेतराम बेनीवाल : वही अधिकारी दे रहे हैं जो आपको दे रहे थे। इन्हें + + + बनाया और आपको भी बना रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, केवल इतना ही नहीं है, हमारी सरकार के दर्द को यह किसान विरोधी लोग नहीं पहचान सकते। हमने प्रावधान किया है कि किसान के खेत में पानी पहुंचे। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा योजनाएं सिंचाई की स्वीकृत की हैं। वहां पर लाइनिंग का काम है, वेस्टेज पानी नहीं हो और केवल सिंचाई योजनाओं में ही नहीं बल्कि एक किसान के खेत में नाली बनाने का काम करने के लिए हमने उसमें अनुदान 50 प्रतिशत देने की घोषणा की है। किसान अपने खेत में नाली बनाकर पानी पूरा ले, अपनी जमीन को सिंचित करे और कृषि का उत्पादन बढ़ाये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हमें इस बात की कल्पना की है कि यह पानी वहां पर पहुंचे, मुझे याद है एक बार मदेरणा साहब यहां पर कह रहे थे और मुख्य मंत्रीजी को सुझाव दे रहे थे कि यह जो आपका ढीला प्रशासन है इसको सुधारने की आवश्यकता है। तो यह आंकड़े बताते हैं कि हमने प्रशासन में बहुत गति लाने का प्रयास किया है। मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि जिस प्रकार की गति आनी चाहिए और जो हमारी कल्पना थी उस प्रकार का तो नहीं हो रहा है, उसमें गति लाने की और आवश्यकता है। यह जो योजनाएं हमने दी हैं, मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि योजनायें समय पर पूरी हों, योजनाबद्ध तरीके से काम हो। हालांकि उन्होंने इसको स्वीकार करके योजनाओं की सारी

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

मीटिंगें, जब यह बजट प्रारम्भ होगा, एक अप्रेल जब आयेगी, उससे पहले प्रारम्भ होगी। उसकी सारी योजनाओं पर हमने विचार किया है। इस सारे बजट में उसकी भी चर्चा है लेकिन फिर भी सावधानी आवश्यक है। सरकार को और प्रशासन को अपना उत्तरदायित्व का पूर्णतः निर्वहन करना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रशासन को और गति दी जाये और यह सारी योजनाएं समय पर पूरी हों, इस बात की व्यवस्था की जाये....

श्री रतनाराम चौधरी : सभापति महोदय, यह समय ज्यादा ले रहे हैं।

श्री सभापति : अपनी पार्टी के समय में से समय ले रहे हैं। माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने समय इनको और दिया है। समय काटकर दिया है।

श्री रतनाराम चौधरी : जो समय आपने दिया है उसको भी आप नोट करें कि उस पार्टी ने कितना समय लिया।

श्री सभापति : इधर के सदस्यों को भी समय से दुगना समय अपने आप दिया है मैंने। जितने भी सदस्य आज मेरे सामने बोले हैं, सब को दस मिनट के बजाय 25-25 मिनट दिये हैं।

श्री नत्थी सिंह : मैं यही अर्ज कर रहा हूं। हमारा एक बोला है। दूसरे का अभी नम्बर ही नहीं आया है।

श्री सभापति : समय के अनुपात के हिसाब से जो मेरे पास लिस्ट है उससे चल रहा हूं मैं।

श्री नत्थी सिंह : अनुपात के हिसाब से सदस्यों को भी बोलने दो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, मैं तो केवल टौंक जिले की बातें करता हूं। मुझे खुशी है कि हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री जिस प्रकार कई सदस्यों ने कहा कि पहली बार राजस्थान में यह दिखाई दिया कि जो एस. आर. के प्रोग्राम हैं, जो बेस रिपेयरिंग के कार्यक्रम हैं सारे राजस्थान में लिए गये हैं और जो बेस रिपेयरिंग का पैसा राजनेताओं और अधिकारियों की जेब में जाता था आज सड़कों पर लगने लगा है। योजनाबद्ध तरीके से आज सड़कों का विकास हो रहा है। योजनाबद्ध तरीके से आज चिकित्सा सुविधाओं का विकास हो रहा है। योजनाबद्ध तरीके से आज पानी की योजनाएं स्वीकार करके पानी की व्यवस्था की जा रही है। मैं टौंक जिले के बारे में आपसे केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि टौंक की वह धरती है जहां हमने इस बात की चिन्ता की है कि वहां तीन नदियां हैं बनास, सोजना और माही नदी। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर पानी होते हुए पिछली सरकार की अकर्मण्यता के कारण वहां की योजनाएं बनी ही नहीं हैं। उनकी योजनाएं बनाकर जगह-जगह बांध बनाये जा सकते हैं, एनीकट बनाये जा सकते हैं, लिफ्ट योजनाएं बनाकर लिफ्ट से वहां पर पानी पहुंचाया जा सकता है और वहां की प्यासी धरती को पानी पहुंचा कर कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। मैं आमंत्रित करता हूं और राज्य सरकार को निवेदन करता हूं मुख्य मंत्रीजी से और सिंचाई मंत्री जी से कि वहां की पर्याप्त योजनाएं

(230)

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

बनाकर, स्वीकृति देकर विकास की गति को और आगे बढ़ायें और आप अपनी कल्पना के इस भारत को, इस राजस्थान को और हमारे टौंक की धरती को सरसब्ज करें।

श्री सभापति : श्री रतनाराम चौधरी।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : सभापति महोदय, आज यह बजट हमारी शेखावत की सरकार ने और वित्त मन्त्री भी वही हैं, उन्होंने पेश किया है। यह बजट चुनावी बजट के सिवाय और कुछ नहीं है। चुनावी बजट का यह ढकोसला है और अभी हमारे सामने जो उनकी पार्टी के कई सदस्य विकास की बात कर रहे हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि साल भर में कुछ किया हो। बाकी 1977 में भी आपके वही हालात हुए थे। 1977 में भी आपको जनता ने चुनकर भेजा था, आप सरकार नहीं चला पाये और आपकी दुर्गति हुई थी। आपको मालूम है। अब की बार आपको पांच साल के लिए पार्लियामेन्ट और विधान सभा में सरकार चलाने के लिए जनता ने जनादेश दिया था लेकिन कुछ महीनों के अन्दर ही पार्लियामेन्ट भंग हो गयी। राजीव गांधी ने पांच साल तक राज चलाया और उस समय किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनको चैलेन्ज किया जाय। जनता जनार्दन जो फैसला करती है उसको हम शिरोधार्य करते हैं। उन्होंने आपको सत्ता में बैठाया परन्तु आपने देश के साथ गद्दारी की। चुनावों में करोड़ों रुपया खर्च होता है, वह देश का ही पैसा होता है लेकिन आप पांच साल के बजाय एक साल में पार्लियामेन्ट को भंग कर बोरिया बिस्तर बांधकर अपने-अपने घर जा रहे हैं। अब जनता के सामने किस मुंह से जाओगे ? जनता कोसेगी कि हमने आपको पांच साल तक राज करने के लिए भेजा था और आप शासन नहीं सम्भाल सके। आप लड़ पड़े, आप झगड़ पड़े और आपने पार्लियामेन्ट में भी जनता दल के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की, धोखा करके आपने उनकी टांग खींची। आपने जनता के सामने वायदा किया था, कहा था कि हम मिल जुल कर सरकार चलायेंगे। परन्तु आपने उस वायदे को नकार दिया। गई बार तो आप रामजी के नाम से जीत कर आ गये, यह प्रोपेगण्डा चलने वाला नहीं है। लोग काम मांगते हैं, लोग पेट की आग बुझाना चाहते हैं। जमीन, धरती विकास मांगती है। लोगों का काम तो हुआ नहीं, रामजी के नाम से आपने लोगों को भ्रमित किया और उस वक्त आप जीत कर आ गये परन्तु यह प्रोपेगण्डा अब चलने वाला नहीं है। अब आप राम और रोटी को जोड़ने जा रहे हैं परन्तु लोग समझ गये, आपके प्रोपेगण्डा से अबकी बार भ्रमित नहीं होंगे, कभी आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे और आपकी वही हालत होगी जो पार्लियामेंट में अभी हुई है। ऐसी दशा आपकी होने वाली है थोड़े महीनों के अन्दर। इस वर्ष भयंकर अतिवृष्टि हुई, बाढ़ आई, कई लोग मर गये, कई पशु मर गये परन्तु आपने नाम मात्र भी सहायता नहीं दी। लोग मरे उनको पांच-पांच हजार रुपये दिये, पांच-पांच हजार रुपये, + + +

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(231)

सुश्री पुष्पा जैन : +++ शाम के टाइम असत्य बोलते हो ।

श्री रतनाराम चौधरी : पशुपालकों को तो आपने एक पैसा भी नहीं दिया । हमारे जालोर जिले में जो बहुत बढ़िया बांध बने हुए थे, अतिवृष्टि के कारण वह....

सुश्री पुष्पा जैन : वह बांध टूटे हैं जो आपके जमाने में बने थे । हम मदद नहीं देते तो पड़े होते कहीं पर आप लोग ।

श्री रतनाराम चौधरी : हम लोगों ने बनाये थे ।

श्री जुबेर खान : मंत्री महोदया, कोई आपने अहसान नहीं किया । आपने कौनसी अपनी जेब से निकाल कर दे दिया ? (व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : मैं इनसे बात कर रही हूं, आपसे बात नहीं कर रही हूं । मैं बात इनसे कर रही हूं ।

श्री जुबेर खान : जनता का पैसा था, अगर जनता को दे दिया तो कोई बड़ी बात नहीं की गई है ।

सुश्री पुष्पा जैन : कच्चे बांध बना कर, असत्य राजनैतिक एनीकट बनाये आपने ।

श्री जुबेर खान : आप इस तरह से कह रही हैं जैसे आपने अपनी तिजोरियों से निकाल कर दिया है । जनता का पैसा है, अगर जनता में दे दिया तो कोई अहसान नहीं किया । (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री रतनाराम चौधरी : हमारी बात भालाजी ने सहानुभूतिपूर्वक सुनी है परन्तु अभी तक उस पर अमल नहीं किया है । इसलिये कृपा कर....

सुश्री पुष्पा जैन : आप हो ही इस काबिल । आप इसी काबिल हो कि आपकी बात पर अमल किया ही नहीं जाय । नेकी कर और दरिया में डाल ।

श्री रतनाराम चौधरी : क्योंकि पार्टी में सब लोग ऐसे नहीं होते कई लोग ऐसे होते हैं, सज्जन भी होते हैं, यह बहुत ही भद्र और अच्छे सज्जन पुरुष हैं, उनको फिर मैं यही निवेदन करना चाहता हूं अब गर्मी के दो तीन महीने बाकी हैं फिर बाद में बरसात आ जायगी, बरसात आने के बाद वह बांध ज्यादा टूट जायेंगे इसलिये आपको ज्यादा पैसा उस पर खर्च करना पड़ेगा । कृपा कर जो टूटे हुए बांध हैं तमाम, मैं तो कहूं एक मेरा नहीं, कई जो बांध टूट गये हैं उनका पूर्ण निर्माण करके, पूर्ण मरम्मत करके बरसात आने के पहले तैयार करवा दें, यह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है । उस पानी के संग्रह से हमारे वहां इरिगेशन होता है, सिंचाई होती है, पशु को पीने के लिये पानी भी मिलता है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप अपने एरिया में जा नहीं सकते हैं, मंत्री महोदया कह रही हैं ।

श्री रतनाराम चौधरी : और कुओं के पानी का स्तर भी ऊपर आता है । अभी हमारे मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, मेरे

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री रतनाराम चौधरी)

क्षेत्र की समस्या की तरफ उनका ध्यान खींचना चाहता हूं क्योंकि रामनारायणजी एक काश्तकार वर्ग से हैं। अभी जो बोल रहे थे एक भाई, वह काश्तकार की परिभाषा ही नहीं जानते और काश्तकारों की बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहे थे। हमने यहां इतना तिलहन, इतना सरसों पैदा कर दिया। सरसों आपकी वजह से पैदा नहीं हुआ, इस साल मालिक की कृपा हुई है, अच्छी वर्षा हुई है....

सुश्री पुष्पा जैन : और अच्छी सरकार आ गई।

श्री रतनाराम चौधरी : और कुओं में पानी का स्तर बढ़ा और किसानों ने अपनी मेहनत और मजदूरी....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : और भ्रष्टाचार का राज बड़ी मुश्किल से खतम हुआ।

श्री रतनाराम चौधरी : इसमें आपका क्या लगा ?

सुश्री पुष्पा जैन : रामजी की कृपा से अच्छा राज आ गया तो इसलिये बरसात आ गई।

श्री रतनाराम चौधरी : इसलिये मैं श्री रामनारायणजी विश्नोई साहब जो हैं, बिजली मंत्री, हमारे यहां सामने विराजे हैं और कृपया नोट कर लें, हम शुक्रगुजार हैं इनके इसलिये बात कर रहा हूं, मंत्रीजी, रामनारायणजी साहब, आसन की ओर से मैं....

श्री सभापति : आप बोलिये, बोलिये। सुन रहे हैं वह।

श्री रतनाराम चौधरी : जो हमारे रानीवाड़ा में 132 के. वी. की लाइन दो साल पहले खड़ी कर दी गई थी....

श्री महावीर प्रसाद जैन : किसने ?

श्री रतनाराम चौधरी : हमने और हमारी सरकार ने। वाह भइया....

श्री महावीर प्रसाद जैन : जाओ, क्या बावली बात कर रहे हैं आप भी।

श्री रतनाराम चौधरी : हमारी सरकार ने और बूटासिहजी ने जो बिजली दे करके 132 के. वी. की लाइन रानीवाड़ा में खड़ी कर दी थी, एक नहीं सौ 132 के. वी. के के ग्रिड स्टेशनों की जो घोषणा की वही उसका कार्य....

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या होता है इसमें ? 132 के. वी. की लाइन क्या होती है ?

श्री रतनाराम चौधरी : अब ग्रिड स्टेशनों का काम अविलम्ब शुरू करावें। नहीं तो किसानों को अपने कुओं पर जो कनेक्शन लिये हुए हैं, उनकी वोल्टेज नहीं मिलने के कारण मोटरें जल रही हैं। अभी जब मैं मिला था तो आपने यह वायदा किया था, फरमाया था कि मैं 132 के. वी. ग्रिड स्टेशन अविलम्ब चालू करवा दूंगा। कृपा कर आपके वायदे के अनुसार....

एक माननीय सदस्य : करा देंगे, करा देंगे। हो जायगा।

श्री रतनाराम चौधरी : आपकी भी है। इसलिये आप कृपा करके 132 के वी का ग्रिड स्टेशन अविलम्ब चालू करें। 33 के वी के ग्रिड स्टेशन जो बड़े बनाये हैं उन पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और सिर्फ उनका....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रतनाराम चौधरी : कनेक्शन ही जोड़ना है परन्तु वह भी आपसे नहीं हो रहा है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रतनाराम चौधरी : इसलिये आप आप जल्दी से जल्दी जो करना है वह कर लीजिये। जो यश कमाना है वह कमा लीजिये वरना आप फिर बाद में पछताओगे और लोगों के सामने आप किस मुंह से जाओगे। जैसे अभी जो कोआपरेटिव की बात कर रहे थे, कोआपरेटिव के चुनाव हुए, कोआपरेटिव के चुनाव में....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रतनाराम चौधरी : बहुत बढ़िया रिजल्ट आये। भाजपा का एक भी अध्यक्ष नहीं बना इस कारण से ऊपर वाले कृषि बैंक के चुनाव रोक दिये, भूमि विकास बैंक के चुनाव रोक दिये। इस कारण से वह घबरा गये चुनाव से। इसलिये आपने नीचे तो चुनाव करवा दिया परन्तु भूमि विकास बैंक और कृषि बैंक के चुनाव नहीं करवाये हैं। इसलिये अविलम्ब चुनाव करवाया जाय। यही बात कहता हुआ मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र सिंह गहलोत। (अनुपस्थित) श्री राजेन्द्रसिंह गहलोत, अनुपस्थित। श्री शिवजीराम मीणा।

श्री शिवजीराम मीणा : माननीय सभापति महोदय, वर्ष 1991-92 का प्रस्तावित बजट, बजट न होकर राजस्थान की जनता को भ्रमित करने वाला, भ्रामक स्थिति में डाल कर राजनैतिक लाभ लेने के उद्देश्य से....

श्री महावीर प्रसाद जैन : कहां फंस गये ? (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय मंत्रीजी को सदस्य का उत्साहवर्धन करना चाहिये। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : आप लोग बोलने दो।

श्री शिवजीराम मीणा : माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा यह बजट प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में मुख्य मंत्री महोदय ने चुनाव की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए कोई कर प्रस्तावित नहीं किया ताकि वे चुनावों में अपनी पार्टी के प्रति जनता की सद्भावनाएं अर्जित कर सकें वहीं दूसरी ओर व्यापारियों को भी खुश बना सकें। यह बजट व्यावहारिक एवं आम आदमी की आवश्यकता के अनुसार नहीं है एवं सैद्धांतिक बजट है जिसमें प्रमुख समस्याओं के निराकरण के नाम पर केवल अल्प कार्य प्रस्तावित किये गये हैं। जैसे शहरी क्षेत्रों में 6 डिस्पेंसरी, ग्रामीण क्षेत्रों में 50 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शहरी क्षेत्रों में 25 प्राथमिक

(श्री शिवजीराम मीणा)

विद्यालय। मनुष्य के विकास के लिये स्वास्थ्य एवं शिक्षा की परम आवश्यकता है जिस पर इस बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया है, मानव संसाधन विकास को नेग्लेक्ट किया गया है। प्रशासनिक मितव्ययता निश्चय ही प्रशंसनीय कार्य है जिसके बारे में माननीय महावीरजी भी अभी चर्चा कर रहे थे लेकिन क्या सरकार वास्तविक रूप में प्रशासनिक मितव्ययता कर रही है या विभाग के स्टाफ में कमी कर आवश्यक वस्तुओं के क्रय पर-प्रतिबंध लगाना चाहती है।

श्री सभापति : कृपया पढ़ें नहीं। कृपया पढ़ें नहीं।

श्री शिवजीराम मीणा : मैं नोट्स देख रहा हूं, माननीय सभापति महोदय।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नोट देख रहे हो या नोट्स देख रहे हो?

श्री शिवजीराम मीणा : नोट तो आप ही देखते हैं।

श्री सभापति : व्यवधान नहीं डालें। चालू रखें।

श्री शिवजीराम मीणा : वस्तुस्थिति यह है कि सरकार के ऐसे कार्यों से विकास के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। जैसे आवश्यक सामान, व्हीकल्स आदि की परचेजिंग में प्रतिबंध लगाने से प्रशिक्षण, ग्रामों के विकास आदि कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। यदि वास्तव में सरकार मितव्ययता करना चाहती है तो मैं कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहूंगा।

जो सरकारी विभाग किराये के भवनों में चल रहे हैं उनको तुरन्त प्रभाव से बैंकों से ऋण दिलाकर उनके भवन बनाये जाने चाहिए और जो किराये के रूप में राशि दी जाती है उनको किश्तों के रूप में दिया जाना चाहिए जिससे स्थायी बचत हो सकेगी। इसी प्रकार सरकारी वाहनों और जीपों पर तुरन्त प्रभाव से प्रतिबन्ध लगाना चाहिए, अधिकारियों को बैंकों से वाहनों के लिए ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए और उनके खर्चे का इन्द्राज कराना चाहिए जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग न होकर 10 करोड़ का लाभ होगा। इसी प्रकार कुछ अनुत्पादक और फर्जी कार्यक्रम समाप्त किये जाने चाहिए जैसे समाज कल्याण विभाग द्वारा कुछ संस्थाएं चलाई जा रही हैं उसकी विभाग द्वारा सीनियर ए. ओ. से जांच करवाने पर 54 में से 47 संस्थाएं फर्जी पायी गई हैं। ऐसी संस्थाओं को तुरन्त बन्द करना चाहिए और सरकारी धन की बचत करनी चाहिए। इसी प्रकार ट्राइसम योजना में मास्टर क्राफ्टमैन के जो ट्रेनिंग सेंटर चलाये जाते हैं उससे राशि का दुरुपयोग होता है। ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों को बन्द किया जाना चाहिए। इसी प्रकार जिन विभागों में कोई कार्यक्रम नहीं हैं उनको तुरन्त प्रभाव से बन्द किया जाना चाहिए। जैसे अभी टौंक से पधारने वाले माननीय सदस्य बिजली बोर्ड में सरकार द्वारा प्रावधान अधिक करने पर गुणगान कर रहे थे लेकिन मैं आपको कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। गत वर्ष सामान्य योजना में 25 हजार कुओं को....(व्यवधान) अभी गुणगान कर रहे थे सरकार का।

श्री सभापति : व्यवधान नहीं डालें।

श्री शिवजीराम मीणा : विद्युत बोर्ड द्वारा सामान्य योजना में 25 हजार कुओं को कनेक्शन देने का प्रावधान था। 27,900 को कनेक्शन दिये गये लेकिन इसमें केवल 15 हजार कुओं को ही कनेक्शन सामान्य योजना में दिये गये हैं साढ़े बारह हजार कनेक्शन ओ. आई. टी. योजना में दिये गये हैं।

इसी प्रकार इस साल 125 हरिजन बस्तियों को विद्युतीकृत किया गया। 1989-90 में 1696 बस्तियों को विद्युतीकृत किया गया था, 1988-89 में 1041 बस्तियों को विद्युतीकृत किया गया था। इसी प्रकार गांवों का विद्युतीकरण 1988-89 में 1446, 1989-90 में 2039 और 1990-91 में फरवरी, 1991 तक केवल मात्र 369 है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह तो मार्च में पूरे कर देंगे।

श्री शिवजीराम मीणा : मार्च में कौन-सा तीर मार लोगे, महावीरजी, 15 दिन में ? इस प्रकार कुओं के कनेक्शन के विषय में मैं आपसे निवेदन कर ही चुका हूं कि ओ. आई. टी. योजना को मिला कर आपने लक्ष्य पूरे किये हैं। (व्यवधान) सभापति महोदय, इस बजट में नवयुवकों को भ्रमित करने के लिए मुख्य मंत्री महोदय ने 3·50 लाख युवकों को बैंकों से ऋण दिला कर उन्हें स्वरोजगार दिलाने की बात कही है लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, यह आश्चर्यजनक है कि यह संख्या बिना किसी योजना को बनाये ही मुख्य मंत्रीजी ने असत्य वाहवाही लूटने के लिए सदन में रख दी है। आज स्वरोजगार योजना के नाम पर सी. यू; ट्राइसम और आई. आर. डी. के क्षेत्र मुख्य हैं। क्या कभी मुख्य मंत्रीजी ने यह जानकारी करने का प्रयास किया है कि इन योजनाओं में बैंकों के द्वारा वास्तव में कितने व्यक्तियों को ऋण दिया गया ? भौतिक रूप से क्या उनका व्यवसाय लाभदायक है ? यह कभी जानकारी करने का प्रयास किया है मुख्य मंत्रीजी ने ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : सर्वे करवाया है।

श्री शिवजीराम मीणा : बैंकों से ऋण जो स्वीकृत किया जाता है, उसके आंकड़े सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं। (व्यवधान) उन आंकड़ों से भ्रमित होकर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मान लिया है कि बैंकों के माध्यम से काफी काम हो रहा है।

श्री सभापति : अब समाप्त करें, 10 मिनट हो गये। एक वक्ता और है, उनको बुलवा लें, फिर समाप्त करेंगे।

श्री शिवजीराम मीणा : इन असत्य स्वीकृत योजनाओं से मुख्य मंत्रीजी चुनावी माहौल में युवकों को फसाने का प्रयास कर रहे हैं किन्तु वह नहीं जानते कि गरीब और दिशाहीन युवकों को स्व-रोजगार कैसे मिलेगा। यदि जानते होते तो मैं जानना चाहता हूं कि सी. यू. योजना में, जो 1985 से चल रही है, कितने आदमियों, को ऋण स्वीकृत किया गया और कितनों को भुगतान किया गया ? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन लोगों को ऋण स्वीकृत किया गया है उनमें से 50 प्रतिशत को

236

(श्री शिवजीराम मीणा)

ही ऋण का भुगतान किया गया है। यह मैं सदन को बता देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री शिवजीराम मीणा : आपके टौंक का बताऊं क्या मैं ? व्यवधान मंत्रीजी, मैं टौंक में तो रह कर आया हूं, मुझे अच्छी तरह से पता है कि कितने आदमियों को पेमेंट किया है।

इसी प्रकार इस बजट में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की गई है जैसे पेयजल योजना पर 47·95 करोड़ शहरी क्षेत्रों में और 46 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च करने का प्रावधान किया गया है।

इसी प्रकार अभी माननीय मुख्य सचेतक महोदय भ्रष्टाचार समाप्त करने का दावा कर रहे थे लेकिन बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिनके नाम लिये थे....

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपका सहयोग अपेक्षित है।

श्री शिवजीराम मीणा : हमारा पूरा सहयोग है लेकिन आप यह नहीं कर सकते। कल माननीय सदस्य, बी डी. कल्लाजी जिन आदमियों के लिए फरमा रहे थे, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की आपने ?

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री शिवजीराम मीणा : माननीय पंडितजी ने जिन राजेन्द्र जैन के लिए सीमेंट घोटाला की बात की, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की आपने ? एम. डी. को रानी के खिलाफ कोई कार्यवाही की ? आप नहीं कर सकते।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री शिवजीराम मीणा : सभापति महोदय, आर. एफ. सी. में करोड़ों रुपये का फर्जी ऋण वितरण किया गया है। उनके खिलाफ कोई चार्ज शीट नहीं दी गई। अभी गत वर्ष अलवर में एक कम्प्यूटर कम्पनी को एक करोड़ का फर्जी, बोगस पेमेन्ट किया गया जिसका कोई अता पता ही नहीं हैं। क्या कार्यवाही की आपने ? आज तक उनको चार्ज शीट तक नहीं दी गई।

श्री हरिकुमार औदिच्य : आप तो कम्प्यूटर ही नहीं खरीद सकते, यह खबर लाये कहां से ?

श्री शिवजीराम मीणा : माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपको जानकारी नहीं है। वह कम्प्यूटर फैक्टरी डाल रहे थे भिवाड़ी क्षेत्र में। उसको फाइनेंस किया गया, फ़र्जी फाइनेंस किया गया। शायद आपको पता नहीं है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया आसन को सम्बोधित कीजिए।

श्री शिवजीराम मीणा : उसमें डिप्टी जनरल मैनेजर कैडर के आदमी को चार्जशीट की कार्यवाही नहीं की गई जिसने एक करोड़ का घपला किया है।

श्री मदनलाल सैनी : उन अधिकारों के खिलाफ कार्यवाही हो रही है और नोटिस भी इश्यू कर दिये गये हैं। यह मेरा ही मूल प्रश्न था इसलिए मुझे ध्यान है, इनमें कार्यवाही हुई है।

श्री शिवजीराम मीणा : माननीय सैनीजी, मैंने अभी एक असेम्बली में क्वेश्चन लगाया था। उसका जवाब आया है, उसमें केवल चार्जशीट देने की कार्यवाही को जा रही है। इसलिए कोई कार्यवाही नहीं हुई है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सभापति महोदय, बजट में महिलाओं एस. सी. और एस. टी. के लोगों के आर्थिक, सामाजिक शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम नहीं दिया गया है। यह समझ में नहीं आता कि सरकार किस प्रकार भावी समाज का निर्माण करना चाहती है। सोशल इम्बैलेन्स की समाप्ति करने के लिए कोई ठोस योजनाबद्ध कार्यक्रम नहीं अपनाया गया है।

श्री सभापति : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य और भी बोलना चाहते हैं।

श्री शिवजीराम मीणा : मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जनजाति उप योजना क्षेत्र में आदिवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वन रक्षक, कांस्टेबल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, लिपिक, वाहन चालक और तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए रिजर्वेशन को बढ़ा कर 50 प्रतिशत किया है, उसके लिए तो मैं इनकी प्रशंसा करता हूं लेकिन यह कहीं व्यवस्था नहीं की गई कि इन खाली होने वाले पदों को स्थानान्तरण से भरा नहीं जायेगा। यह इसमें कहीं भी प्रावधान नहीं किया है।

अंत में संक्षेप में यही कह सकता हूं कि यह बजट न तो विकासशील प्रवृत्ति वाला है तथा न इसमें उत्पादन पर प्रभाव पड़ने वाला है। अतः यह प्रतिगामी और राजस्थान की जनता के लिए भ्रामक है और गरीब जनता के साथ धोखा है।

श्री सभापति : श्री नवनीत लाल नीनामा।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री नीनामा के भाषण तक सदन की कार्यवाही चालू रखी जावे।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय श्री नवनीत लाल नीनामा के भाषण तक बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय जब तक श्री नीनामा बोलते हैं, बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) : मान्यवर सभापति महोदय, आज की बैठक के अन्तिम समय में जो टाइम दिया गया है, उसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, जो हमारे मुख्य मंत्रीजी ने बजट प्रस्तुत किया है, इस

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

बजट को पढ़ करके जानकारी लेने के बाद मैंने यह अनुभव किया है कि इन गत 40-42 वर्षों में जो सरकारें थीं, इन सरकारों ने केन्द्रीय बजट और राज्य सरकारों का बजट खर्च किया है। आज सारे दिन बजट पर मैंने चर्चा सुनी, मेरा आसन से भी यह निवेदन होगा कि मेरी आत्मा में दर्द है कि इस प्रकार तीन और चार व्यक्ति एक साथ बोलते रहे। मुझे यह कहना नहीं चाहिये था परन्तु कहना पड़ रहा है। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने और पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने सन् 1949 में पंचायती राज का नागौर स्थान पर दीपक जला करके उद्घाटन किया था। क्या यह पंचायती राज सफल हुआ है? उस पर हमें विचार करना पड़ेगा। हमारे देश के नेताओं ने जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर आजादी प्राप्त की, दिनोंदिन हमारा देश टूटता चला जा रहा है। जिस पर बांग्लादेश, पाकिस्तान और आज पंजाब पर चर्चाएं चल रही हैं। मान्यवर, देश को सम्भालने वाले नेताओं से भी मेरा निवेदन है कि इस प्रकार जो आजादी का दुरुपयोग होता गया और आज दिनोंदिन देश की सरकार जो गड़बड़ा गई है, इसका कारण प्रथम प्रधान मन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू जी ने कुर्सी की लालच में पाकिस्तान का जो निर्णय किया उसी से आज हमारा देश गड़बड़ा रहा है। चाहे राम मन्दिर की बात को लेकर हो, चाहे साम्प्रदायिक दंगे की बात को लेकर हो लेकिन वह हमारे देश के प्रथम नेता की भूल के कारण हमारे देश में आज दंगे और परेशानियां पैदा हुई हैं। अतः मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार बजट के आंकड़ों पर हमें यह देखना है, चाहे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हो या विपक्ष के हो लेकिन बजट में जो आंकड़े दिये गये हैं, धन तो खर्च होने वाला है और होगा लेकिन हमारी निगरानी यह होगी कि क्या यह पैसा स्कूल तक पहुंचा है या नहीं? क्या यह पैसा तालाब और डैम तक गया या नहीं? क्या यह पैसा सड़क तक गया या नहीं? उस पैसे का क्या-क्या उपयोग हुआ, यह हमारी निगरानी करने का कर्तव्य बनता है। हमारे यहां पर एक-दूसरे पर आरोप लगाने से इस बजट में कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। अतः मेरा यह मानना है कि इस प्रकार हमारे देश की आजादी है, उस आजादी का उपयोग करते हुए मैं इस बजट पर आना चाहता हूं।

मान्यवर, सिंचाई विभाग की तरफ से आज मैंने इस बजट में देखा कि करोड़ों रुपया खर्च करने की भावना है। मेरा यह सुझाव है, राजस्थान में मुझे अनुसूचित जनजाति कल्याण कमेटी के सदस्य के नाते कुछ जिलों का दौरा करने का मौका मिला, जानकारी यह पायी है कि एनीकट्स बनाए हैं, तालाब बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं लेकिन उन बिन्दुओं पर हमें जाना पड़ेगा कि सिंचाई के लिए जहां रकम खर्च की जा रही है। हर नाला और छोटी नदी पर अस्थायी डैम बनाया जाय। अस्थायी डैम बनाने से क्षेत्रीय कुओं में पानी का रुख बनेगा। वहां की जनता ऊंची-नीची घाटियों में पुराने जमाने में रहट, कुआ, चड़स थे, जिससे अपनी खेती में पानी पिलाया करती थी। उन ऊंची-नीची घाटियों में नहर बनने की सम्भावना आज भी नहीं है। आज बांसवाड़ा से ले करके जालौर का इलाका पूरा जो इस प्रकार का एरिया है, वहां पर हर गांव, हर खेत में नहर से पानी

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

पहुंचने की सम्भावना भविष्य में नहीं है। अतः मेरी मांग यह है कि इस प्रकार छोटे डेम बनाए जाएं ताकि सरकार पर मुआवजे का भार नहीं पड़े और जन साधारण को सुविधा हो। यह सिंचाई के बारे में मेरा सुझाव है।

साथ ही हमारे जिला बांसवाड़ा में माही डेम बना है, इस तालाब से नहरें जो बनाई गई हैं वे आज भ्रष्टाचार के कारण टूट-फूट की हालत में है। ठेकेदारों के माध्यम से जो नहरें बनाई गई, चाहे जाखमा डेम हो चाहे माही डेम हो, कमला आभा हो, मैंने अनुसूचित जन जाति कल्याण कमेटी के साथ इन नहरों का मौके पर जा करके निरीक्षण किया है, जहां पर क्षतिग्रस्त हो रही है. अगर इन नहरों की मरम्मत नहीं की गई तो आने वाले 10 सालों में वहां की जमीन खेती के लायक नहीं रहेगी। अतः मेरा निवेदन है कि इसका पूरा सर्वे करवाया जाकर इन डेम से सम्बन्धित जो नहरें हैं, उनका सही काम कराया जाये।

मान्यवर, शिक्षा की जो व्यवस्था की गई है, जंगलों में, दूर-दराज के गांवों में, प्राथमिक शालाएं खोली गई हैं, आज सड़क हर गांव में बनी नहीं है। दूर-दराज के गांवों में महिलाओं को अध्यापकों की जगह लगा दिया जाता है, जहां पर न रहने की व्यवस्था है और न सड़क है। महिला का अकेली जंगल में जाकर सुबह 10 बजे पढ़ाना और शाम को चार बजे छुट्टी करके आना सम्भव नहीं है। अतः मेरी मांग है कि जहां महिला मास्टर प्राथमिक शालाओं में लगाई जाती हैं, उनके लिए सड़क की व्यवस्था को देखा जाये और उस महिला मास्टर की इज्जत की ओर ध्यान दिया जाना भी अनिवार्य है। जहां-जहां भी मैं इलाके में इलाके में घूमता हूं, महिलाएं शाला के लिए जल्दी रवाना होती हैं और उन्हें छुट्टी के पहले घर की ओर रवाना होना पड़ता है। उनके लिए अगर समय की पाबन्दी लगाई जाती है तो उनके लिए असुविधा होगी क्योंकि वहां सड़क नहीं है और मोटर गाड़ियां जाती नहीं हैं। अतः मेरा यह निवेदन है कि जंगल और दूर-दराज में रहने वाले गांवों में स्थानीय मास्टर लगाये जायें। बी. ए. और एम. ए. पढ़े-लिखे डिग्रीधारी मास्टर्स को आप भेजते हैं लेकिन वे पढ़ाना जानते नहीं हैं, वहां की भाषा समझते नहीं हैं। अतः वहां पढ़ाई का भारी नुकसान हो रहा है। मेरा निवेदन है कि हमें पढ़ाई की ओर विशेष ध्यान देना होगा।

मान्यवर, वन विभाग के बारे में मेरा कहना है कि इस साल मैंने कई माननीय सदस्य हैं, के साथ बांसवाड़ा से लेकर उदयपुर तक के जंगलों का दौरा किया। केन्द्र सरकार द्वारा जो डूंगरपुर में हवाई बीजारोपण किया गया उसकी जानकारी हमने मौके पर जाकर ली। वन अधिकारियों से भी जानकारी प्राप्त की, जिला अधिकारियों से भी जानकारी ली। केन्द्र सरकार का यह बीजारोपण कार्यक्रम सफल होगा या स्थानीय व्यवस्था जो है, वह सफल होगी? वहां जानकारी यह मिली है कि सिर्फ विदेशी बबूल और रतनजोत के बीज हवाई जहाज से गिराये गये हैं। इससे हमें यह अनुभव हुआ कि वन विभाग के अधिकारी और केन्द्र सरकार का जो पैसा खर्च हो रहा है, वह व्यर्थ हो रहा है। जंगल लगाने वाले अधिकारियों को अनुभव नहीं है। अतः मैं सुझाव

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

देना चाहता हूं कि वन विभाग की तरफ से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि स्थानीय पौधे वनों में लगाए जायं। वहां सागवान, बांस, खांकरा, छाजेड़ लगाये जायं जो अकाल के समय में पशु जिन्दा रखने के काम भी आयेगा। इस प्रकार जंगलों पर जो करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, उसकी रक्षा करना अनिवार्य है। मैं उदाहरण के लिए बांसवाड़ा जिले के हांडिया माल नाम का जो जंगल है, जहां पर एक ऐसी व्यवस्था पायी गई हैं जिसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर 4000 के करीब पौधे लगाये गये और इस वक्त वहां पर पौधे नहीं हैं। इस सम्बन्ध में प्रश्न लगा था और प्रश्न के उत्तर में मुझे जवाब मिला कि वहां पर वर्तमान में 25,800 पौधे मौजूद हैं। मैंने मौके पर जाकर देखा कि वहां पर एक भी पौधा लगाया हुआ नहीं हैं। अगर इसी प्रकार केन्द्र और राज्य सरकारों का पैसा बरबाद होता रहा, हम सोते रहे और अधिकारियों के आंकड़ों के आधार पर विधान सभा में सफलताएं बताई गईं तो यह बड़ा दुःख का विषय है। मैंने मौके पर जाकर देखा कि बांसवाड़ा जिले के हांडिया माल के जंगल में एक भी पौधा नहीं है और अभी उत्तर आया मेरे पास कि 25,800 पौधे मौजूद हैं। मौके पर एक भी पौधा मौजूद नहीं है। तो इस प्रकार से जो जगल लगाये जाते हैं वे बरबाद होते हैं।

सभापति महोदय, पौधों की जो जड़ें हैं, जितना पौधा उपर बढ़ता है उतनी ही पौधे की जड़ बढ़ती हैं। जब 3 से 4 फीट पौधा बड़ा हो जाता है तो उसको थैले में बन्द करके रखा जाता है। अतः मेरा सुझाव है कि वन विभाग द्वारा जो पौधे की जड़ काटने का तरीका है उसको रोकना पड़ेगा क्योंकि पौधों की जड़ें हर वर्ष काटी जाती हैं और उस पौधे को ले जा करके फिर जंगल में लगाया जाता है जिससे जंगल में लगाने से नाजायज खर्चा बढ़ता है और पौधा पनपता नहीं है। अतः इस पौध शाला पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा।

मान्यवर, पेयजल समस्या। पानी के सम्बन्ध में हमारी सरकार ने सुझाव मांगे थे, मैंने सुझाव भी दिये हैं लेकिन जानकारी में यह पाया गया कि जो हैण्ड पम्प लगाने की हमारी व्यवस्था है, हर बिखरी आबादी में हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था हो नहीं सकती है। अतः मेरा सुझाव बनता है कि हैण्ड पम्प के अलावा सार्वजनिक कुओं पर विचार करना पड़ेगा क्योंकि 100 घरों की आबादी पर एक हैण्ड पम्प की बात कही गयी है और वह भी बिखरी आबादी पर। पीने के पानी के लिए 10 मजदूर होंगे, जंगल में खेत पर रहने वाले जो किसान हैं, उनको पानी की जरूरत पड़ती है। अतः सार्वजनिक कुओं पर विचार करना जरूरी है। हैण्ड पम्प मरम्मत करने वाला कोई नहीं है। हैण्ड पम्पों का जिम्मा पंचायत समितियों को दे रखा है लेकिन मरम्मत की वहां पर व्यवस्था हो नहीं पाती है। जिले के अधिकारी कहते हैं कि पंचायत समिति के जिम्मे हैण्ड पम्प है और मिस्त्री लोग अपने सामान के अभाव में हैण्ड पम्प मरम्मत नहीं कर पाते हैं। अतः इस ओर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा।

मान्यवर, अनुसूचित जन जाति विकास। अनुसूचित जन जाति विकास के नाम से

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

राजस्थान की राजधानी जयपुर होने के बावजूद अनुसूचित जन जाति विकास को आगे बढ़ाने के लिए उदयपुर में सन् 1975 में एक कार्यालय खोलकर इस प्रकार व्यवस्था की है। उन अधिकारियों से कमेटी के माध्यम से हमने जानकारी ली। वहां के अधिकारियों के सामने भी समस्या है और वहां की जनता के सामने समस्या है। हमें एक विशेष विचार करके जिस तरीके से जो पैसा खर्च होता है उस तरीके को बदलना पड़ेगा। उदाहरण के लिये हमने दौरा किया, आज भी इन दिनों में डूंगरपुर, ग्राम माण्डा जहां पर 3-3 हजार उधार लेकर के नसबंदी करायी गयी.... (व्यवधान) यह सरकार की बुराई नहीं है, व्यवस्था की बात कह रहा हूं, व्यवस्था सही नहीं हो पाई है। इस परिपाटी को हमें भूलना पड़ेगा। तो उधार लिया जाकर के वहां कुएं किसानों को दिये गये। तो इस प्रकार आपरेशन और कोई करवाता है और कुएं और कोई पाता है। इस प्रकार माण्डा गांव की जो ग्राम पंचायत है जहां पर कालू और काना नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने इस तरह से उधारी लेकर के काम किया। तो इस प्रकार से उस परिवार को सही फायदा हो नहीं पाया। अतः मेरी मांग बनती है कि इसके सत्यापन के लिए हमें विशेष विचार करना पड़ेगा।

पोषाहार कार्यक्रम, बाल विकास कार्यक्रम। बांसवाड़ा, डूंगरपुर की तरफ के गांवों में इन दिनों देखा जाय, गत वर्षों में करोड़ों रुपये खर्च किये गये हैं। मौके पर पैसा उन महिलाओं के पास ही नहीं गया। प्रधान, प्रमुख और जिम्मेदार अधिकारी हैं वे पैसा हड़प जाते हैं। अतः मेरा यह निवेदन है कि इन पैसों की निगरानी के लिए हमें विशेष कमेटी बनानी पड़ेगी और इसको देखना पड़ेगा। इन दिनों में जिलों में बैठकें होती हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच और विकास अधिकारी जवाहर रोजगार का काम जिम्मेदारी से करते हैं लेकिन क्षेत्रीय विधायक उस जिले की कमेटी में न बैठता है, सरपंच जिले की कमेटी का सदस्य नहीं है और जो पैसा खर्च होता है, उसके लेन-देन में वह आ नहीं रहा है। कलेक्टर से मिल करके बैठक में निर्णय करके पैसा विकास अधिकारी के माध्यम से वितरित होता है।....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री नवनीतलाल नीनामा : अतः मेरा यह निवेदन है कि इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा तभी जाकर के जवाहर रोजगार का पैसा सही खर्च होगा अन्यथा यह नाजायज तरीके से खर्च होगा।

मान्यवर, निवेदन इस प्रकार है कि आज सड़कें विकास का नाम देकर के करोड़ों रुपयों खर्च किया गया। हर विभाग सड़क से चलता है। हमारी ग्राम पंचायतें इन दिनों सड़क से जुड़ी नहीं है।....

श्री सभापति : इस कहानी का कोई अन्त नहीं है। समाप्त करें।

श्री नवनीतलाल नीनामा : अर्थ यह है कि ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर सड़क से जुड़े नहीं हैं क्या वहां पर किसी ने निरीक्षण किया है, कौन जाता है, कौन आता है? अतः मेरी यह मांग बनती है कि तीन हजार, चार हजार, पांच हजार की जनसंख्या वाले गांवों को सड़क से जोड़ने की बात का निर्णय तो लिया गया है लेकिन उन ग्राम पंचायतों

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

को पहले जोड़ने का निर्णय लिया जाय, ऐसी मेरी मांग है।

अब मैं अन्त में मेरे जिले व इलाके की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। हमारा जिला बांसवाड़ा दक्षिणी राजस्थान की ऊंची-नीची घाटियों का जिला है जहां पर माही डैम के बनने से कागदी नदी में माही डैम का पानी डाला गया है और उस पानी को आधी रात को छोड़ा जाता है और नदी में आये दिन....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इतना तो समय बड़े-बड़े नेताओं ने नहीं लिया। कृपया समाप्त करें।

श्री नवनीतलाल नीनामा : अतः मेरा निवेदन है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बीच-बीच में मेरा समय तो आप ले लेते हैं।....

श्री सभापति : कृपया जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री नवनीतलाल नीनामा : मैं सदन में बुराई नहीं करना चाहता। आज की प्रोसिडिंग्स निकालेंगे तो क्या परिस्थिति बनेगी। मेरा निवेदन यह है कि कागदी नदी पर इसरवाला और पुघला तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के गांव हैं। इन गांवों के बीच में कागदी नदी है। तो गढ़ी और घाटोल के गांवों को आवागमन के लिए जोड़ने के लिए पुल का निर्माण कराया जाय, ऐसी मेरी मांग है।

अन्त में मेरा यह निवेदन है कि हमारे देश का पैसा अनुसूचित जन जाति के नाम से उदयपुर डिविजन में कई वर्षों से बहाया गया है और आज भी बहाया जा रहा है। जहां हमने जाकर के बैठक ली। वहां पर कई आफिसर ऐसे बैठे हैं जो अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति की भाषा को नहीं समझ रहे हैं। इसमें हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। यानि खेती के नाम से, सड़क के नाम से, स्कूल के नाम से इस प्रकार जो व्यवस्था करने के लिए अधिकारी पहुंचते हैं वह वहां की स्थानीय भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं। अतः मेरा यह निवेदन है, यह मानना है कि भाषा अगर व्यक्ति नहीं समझ पाता है तो वहां का विकास सम्भव नहीं है। अतः मेरा यह निवेदन है कि जहां की भाषा जैसी हो उस भाषा के उन इलाकों में मास्टर, डाक्टर, पटवारी, अधिकारी, नेता, मजिस्ट्रेट को नियुक्त करना पड़ेगा, यह मेरा निवेदन है। जय भारत।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 14 मार्च, 1991 के म. पूर्व 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.18 बजे गुरुवार, दिनांक 14 मार्च, 1991 के म. पूर्व 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 283 की सूची

नगर परिषद, बीकानेर क्षेत्र में सरकारी विभागों द्वारा कब्जे की गई जमीनों का विवरण

जलदाय विभाग	उत्तर रेलवे	विद्युत विभाग	अन्य सरकारी विभाग
1. खारियां कुआं टंकी पशु चिकित्सालय के सामने	1. रेलवे डी. आर. एम. आफिस के आगे अतिक्रमण	1. शिवबाड़ी रोशनीघर सब स्टेशन	1. पुलिस चौकी जस्सूसर गेट के अन्दर
2. सूरसागर के पास पम्पिग स्टेशन	2. रेलवे विभाग द्वारा चौखूंटी फाटक के पास कब्जा	2. नवलसागर रोशनीघर सब-स्टेशन	2. शीतला गेट के अन्दर
3. रोशनीघर के पास पम्पिग स्टेशन	3. रानीबाजार क्रासिंग के पास दीवार बनाकर कब्जा	3. नत्थूसर गेट के बाहर सब-स्टेशन	3. नत्थूसर गेट के अन्दर
4. नया शहर थाने के पास टंकी व कार्यालय	4. —	4. गोगागेट के बाहर कार्यालय	4. गोगा गेट के अन्दर
5. नत्थूसर गेट के बाहर टंकी व कार्यालय	5. —	5. रामपुरिया छींपा का मौहल्ला चार दीवारी	5. —
6. लक्ष्मीनाथ जी की घाटी पर टंकी	6. —	6. उस्तों की बारी के अन्दर सब-स्टेशन	6. —
7. सैटेलाइट हास्पिटल के पास कुआं	7. —	7. गंगाशहर सब स्टेशन	7. —
8. भीनासर में पानी टंकी	8. —	8. —	8. —

आयुक्त,
नगर परिषद, बीकानेर

परिशिष्ट "ब"

कार्यालय नगर विकास न्यास, बीकानेर

क्रम सं. 1	विभाग का नाम 2	उद्देश्य 3	स्थान 4	क्षेत्र वर्गफुटों में 5	विशेष विवरण 6
1.	जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग बीकानेर	पानी के डद तथा टंकियां हेतु	जैलवैल के पास	39922 वर्गफुट	उक्त क्षेत्र नगर परिषद को सन् 1980 में हस्तान्तरण किया जा चुका है।
2.	,, ,,	,,	नत्थूसरगेट के बाहर	54340 वर्गफुट	
3.	,, ,,	,,	स्टेडियम के पास	143942 वर्गफुट	उक्त क्षेत्र नगर परिषद को सन् 1986 में हस्तान्तरण किया जा चुका है।
4.	,, ,,	,,	लक्ष्मीनाथजी मन्दिर के पास	28350 वर्गफुट	
5.	,, ,,	,,	जयनारायण व्यास नगर	360000 वर्गफुट	
6.	,, ,,	कार्यालय भवन व प्रयोगशाला के निर्माण हेतु	उरमल डेयरी के उत्तर में गंगानगर रोड	224848 वर्गफुट	
7.	,, ,,	बंगलों हेतु	सादूलगंज हनुमानजी मन्दिर के पास	21401 वर्गफुट	
8.	,, ,,	सर्विस रिजर्वायर वेवर बनाने हेतु	जयनारायण व्यास नगर	15000 वर्गफुट	

1	2	3	4	5	6
9.	राजस्थान राज्य विद्युत मंडल	ग्रेड सब स्टेशन हेतु	गजनेर रो डूडी पैट्रोल पम्प के पास	67200 वर्गफुट	
10.	,,	,,	इण्डस्ट्रियल एरिया	29240 वर्गफुट	
11.	,,	स्टाफ क्वार्टर	जयनारायण व्यास नगर	40000 वर्गफुट	
12.	परियोजना निदेशक, जिला विकास अभिकरण बीकानेर	कार्यालय भवन हेतु	गंगानगर रोड पर पी. एच.डी. कार्यालय के पास	20000 वर्गफुट	
13.	वन संरक्षक, बीकानेर,	कार्यालय भवन हेतु	जयनारायण व्यास नगर जयपुर रोड पर	41600 वर्गफुट	
14.	भारतीय सेना	मिलिट्री एरिया के पास कार्यालय भवन हेतु	मिलिट्री एरिया के पास	3·20 एकड़ भूमि पर अधिक कब्जा है।	
15.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन	कार्यालय भवन एवं बस स्टेण्ड हेतु	इन्द्रा नगर	236000 वर्गफुट	

सचिव
नगर विकास न्यास
बीकानेर

परिशिष्ट—2

तारांकित प्रश्न संख्या 286 का विवरण

राजस्थान वाटर रिसोर्सेज डवलपमेंट कारपोरेशन लि०,
16, देवी भवन, परिवहन मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

बोरिंग द्वारा गहरे किये गये कुओं की सूचना
प्रारम्भ से जनवरी, 91 तक (संख्या)

जिला	84-85	85-86	86-87	87-88	88-89	89-90	90-91 जनवरी 91 तक	योग
जयपुर	—	4	8	150	85	140	10	397
सवाईमाधोपुर	—	—	—	51	—	72	33	156
टोंक	—	—	—	29	1	100	79	209
झुन्झुनू	8	39	89	12	2	4	—	154
कोटा	—	—	—	1	23	1	1	26
सीकर	—	12	30	2	—	—	—	44
अलवर	—	—	—	12	91	45	12	160
धौलपुर	—	—	—	21	81	58	25	185
झालावाड़	—	—	—	—	9	28	—	37
अजमेर	—	—	—	—	3	—	—	3
भरतपुर	—	—	—	—	3	1	—	4
बूंदी	—	—	—	—	—	1	—	1
चित्तौड़गढ़	—	—	—	—	—	1	—	1
	8	55	127	278	298	451	160	1377

राजस्थान वाटर रिसोर्सेज डवलपमेंट कारपोरेशन लि०,
16, देवी भवन, परिवहन मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

राजस्थान जल संसाधन विकास निगम द्वारा निर्मित नलकूपों की सूचना

(संख्या)

क. सं.	जिला	प्रारम्भ से जनवरी, 90 तक निर्मित नलकूप
1.	अलवर	48
2.	टोंक	19
3.	सवाईमाधोपुर	15
4.	कोटा	10
5.	जयपुर	7
6.	झालावाड़	6
7.	अजमेर	2
8.	भरतपुर	3
9.	चित्तौड़गढ़	1
10.	जोधपुर	1
11.	सीकर	1
12.	धौलपुर	3
		116

(248)

परिशिष्ट—3

तारांकित प्रश्न संख्या 287 की सूची

खण्डार विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के पेच रिपेयर का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	खण्डार विधान सभा क्षेत्र में लम्बाई	स्वीकृत राशि	व्यय 1990-91 (फर. 91 तक)
1	2	3	4	5
1.	ईसरदा शिवाड़ सड़क किमी. (0/0 से 14/0 तक)	14 किमी	25,000-00	22,825-00
2.	स्टेट हाईवे 29 के किमी. 127 से — सरवाल भगवतगढ़ सड़क (किमी. 0/0 से 16/0 तक)	16 किमी	1,10,000-00	1,02,367-00
3.	स्टेट हाईवे नं. 30 के किमी. 55 सें चौरू से चौथका बरवाड़ा (किमी. 9/0 से 12/0 तक)	3 किमी.	50,000-00	47,000-00
4.	स्टेट हाईवे नं. 29 बूंदी, इन्द्रगढ़ सवाई माधोपुर सड़क (किमी. 90/0 से 108/0 तक)	18 किमी.	1,20,000-00	1,09,028-00
5.	स्टेट हाईवे नं. 30 टौंक सवाईमाधोपुर, शिवपुरी सड़क (किमी. 63/0 से 69/0 (एवं) 89/0 से 112/0)	29 किमी.	3,00,000-00	2,85,866-00
6.	स्टेट हाईवे नं. 30 के किमी. 89/200 से टोडरा फलौदी सड़क (किमी. 0/0 से 14/0 तक	14 किमी.	1,40,000-00	1,30,916-00

1	2	3	4	5
7.	स्टेट हाईवे नं. 30 के किमी. 103/400 से बहरावण्डा सड़क (0/0 से 16/0 तक)	16 किमी.	1,70,000-00	1,50,744-00
8.	खण्डार बालेर सड़क (किमी. 0/0 से 19/0 तक)	19 किमी.	1,60,000-00	1,47,550-00
9.	खण्डार तलावड़ा सड़क (किमी. 0/0 से 8/0 तक)	8 किमी.	60,000-00	60,000-00
10.	बहरावण्डा खण्डार सड़क के किमी. 7/600 से मई गंडावर सड़क (किमी. 0/0 से 7/0 तक)	7 किमी.	70,000-00	67,210-00
11.	बहरावण्डा खण्डार सड़क के किमी. 14/400 से खंडार रामेश्वर घाट सड़क (किमी. 0/0 से 10/0 तक)	10 किमी.	60,000-00	60,000-00
		154 किमी.	12,65,000-00	11,83,206-00

परिशिष्ट–4

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके, तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

केशोरायपाटन (बूंदी) का प्राचीन कमलेश्वर महादेव का मन्दिर

288. श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या पुरातत्व विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बून्दी जिले के केशोरायपाटन तहसील में कमलेश्वर महादेव का प्राचीन मन्दिर है ? यदि हां, तो क्या यह प्राचीन मन्दिर जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने इसकी मरम्मत हेतु गत वर्षों में 40 एवं 60 हजार रुपये स्वीकृत किये थे ? यदि हां, तो इस राशि के व्यय नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ? अब कब तक यह राशि व्यय की जायेगी ?

उत्तर

(2) जी, हां । वर्तमान में इस प्राचीन मन्दिर के गर्भ गृह व शिखर भाग में मरम्मत अपेक्षित है ।

(2) जी, नहीं । इस मंदिर की मरम्मत हेतु वर्ष 1989-90 में केवल 60,000 – रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति के अन्तर्गत 40,000/– रुपये व्यय करने की स्वीकृति दिनांक 12.3.90 को जारी हुई थी । उक्त वित्तीय वर्ष में पर्याप्त समयाभाव के कारण मदिर/परिसर की मरम्मत पर लगभग 8,000/– ही व्यय करना संभव हुआ । अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् चालू वित्तीय वर्ष में भी इस मंदिर पर मरम्मत कार्य किया जा रहा है । इसमें अब तक लगभग 45,000/– व्यय किया जा चुका है । शेष 15,000/– का कार्य प्रगति पर है ।

मैनेजर, भोजपुर कृषि फार्म के विरुद्ध शिकायतें

289. श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी लक्ष्मणगढ़, अलवर ने कार्यालय आदेश 8369 दि. 15-11-1990 के द्वारा भोजपुर कृषि फार्म के मैनेजर पर कर्तव्य के प्रति उदासीनता व शराब पीने का आरोप लगाया है ? यदि हां, तो कार्यालय आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि कृषि फार्म भोजपुर के मैनेजर ने अपने स्पष्टीकरण में विकास अधिकारी को ही शराब पीने एवं फार्म पर अनुचित व्यवहार करने को दोषी बताया है ?

(3) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी शराब पीकर शाम को फार्म हाउस पर पहुंचे और वहां पर इच्छानुसार व्य-

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

वस्था नहीं होने पर मैनेजर से नाराज होकर उन पर असत्य आरोप लगाये ?

(4) क्या यह सही है कि सरपंच भोजपुर श्री रतन द्वारा विकास अधिकारी को शराब की बोतल दी गई जिसके पैसे बाद में मैनेजर से वसूले गये ? मैनेजर की तरफ से दिये गये स्पष्टीकरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या इस प्रकरण की शिकायत लक्ष्मण गढ़ पंचायत समिति के बहुत से सरपंचों ने राज्य सरकार व जिलाधीश अलवर को की है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जांच विचाराधीन है।

(4) जांच विचाराधीन है। मैनेजर के स्पष्टीकरण की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) जी हां। जिला कलक्टर अलवर को शिकायत की है वह जांच विचाराधीन है।

कार्यालय पंचायत समिति, लक्ष्मणगढ़ (अलवर)

क्रमांक : संस्थापन:90/8369 दिनांक : 15-11-90

श्री मामचन्द जोशी,
फार्म प्रबंधक,
कृषि फार्म मौजपुर (अलवर)

विषय :—दिनांक 13-11-90 को फार्म से अनुपस्थित मिलने बाबत।

उपरोक्त विषय लेख है कि दिनांक 13-11-90 से अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अचानक निरीक्षण सायं को 5 बजे लगभग किया गया। आप फार्म पर नहीं थे, और मालूम करने पर पता लगा कि आप मौजपुर में किसी अन्य व्यक्ति साथ शराब पी रहे थे उसी समय अधोहस्ताक्षरकर्ता ने भी आपको शराब पीते देखा आपने अनुशासनहीनता की कार्यवाही की है और नियमों की अवहेलना की है। ऐसा क्यों ? आप फार्म के कार्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जिससे फार्म पर हानि होने की सम्भावना है। अतः पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के अन्दर 2 अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाने हेतु बाध्य होना पड़ेगा। सूचित रहे।

हस्ताक्षर
विकास अधिकारी (15-11-90)
पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़
(अलवर)

252

श्री विकास अधिकारी जी, दि. 22-11-90
पं. सं. लक्ष्मणगढ़ (अलवर)

विषय :—दिनांक 13-11-90 को फार्म से अनुपस्थिति के क्रम में।

प्रसंग :—आपके पत्र क्रमांक 2369 दिनांक 15-11-90 के सन्दर्भ में।

मान्यवर महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा मुझे दिनांक 13-11-90 में कृषि फार्म मौजपुर से सायं 5 बजे के लगभग अनुपस्थित माना है। जबकि आपके आदेशानुसार मुझे कृषि फार्म मौजपुर एवं ग्राम पंचायत मौजपुर दोनों का कार्य करने को लगाया है। मैं समय 2 पर दोनों स्थानों का कार्य सम्पन्न करा रहा हूं।

आप उक्त दिनांक को जब मौजपुर गये हुए थे तब मैं उस दिन बास पालकी जहां सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। सरपंच के साथ गया हुआ था जब वापसी में मैं स्याल की बास से रकीब $5\frac{1}{2}$ बजे जब मौजपुर आया तब आप मुझे मौजपुर मिले और आपसे विचार विमर्श भी हुआ। इसके बाद आप फार्म पर गये तथा मैं व सरपंच महो० दोनों मोटर साईकिल से फार्म पर पहुंचे और वहां पर भी सरपंच के साथ आपको फार्म का निरीक्षण करवाया।

मैं समझ नहीं पाया कि आपसे मौजपुर व कृषि फार्म पर दोनों जगह मिला तो अनुपस्थित रहने का प्रश्न कहां रह जाता है।

तथा आपके द्वारा शराब पीने का अनावश्यक आरोप लगाया है तो आपने मुझे कहां शराब पीते हुए देखा। और हम कौन 2 वहां उपस्थित थे यह आपने खुलासा नहीं किया। बल्कि आप स्वयं ही कृषि फार्म मौजपुर से वापसी में शराब की बोतल श्री रतनलाल सरपंच मो. से लेकर आये जिन्होंने मुझे सुबह बतलाया व उसके 50/– मुझे रतनलाल जी को जेब से पेमेंट करना पड़ा है।

इसके अलावा आपके साथ पूर्ण समय तक फार्म पर रहा तो अनुशासनहीनता व नियमों की अवहेलना कहां पर की है तथा आपके द्वारा लगाये गये आरोप निराधार हैं।

अतः उपरोक्त बातों को मध्य नजर रखते हुए स्पष्ट है कि जो आरोप मेरे ऊपर लगाये हैं बिल्कुल-गलत हैं तथा ऐसे आरोपों से मुझे मानसिक चिन्ता हुई है व समाज में प्रतिष्ठा गिरी है।

अतः लगाये गये आरोपों से मुझे दोष मुक्त समझा जावे व भविष्य में ऐसे आरोप अनावश्यक नहीं लगाये जावें जिससे मानसिक चिन्ता हो व समाज में प्रतिष्ठा

गिरे। अन्यथा मुझे मान हानि का दावा करने हेतु कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी जिसके हर्जे खर्चे के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अतः स्पष्टीकरण सेवा में प्रेषित है।

ह०
फार्म मैनेजर,
कृषि फार्म मौजपुर.
पं. स. लक्ष्मणगढ़ (अलवर)

प्रतिलिपि :—श्री प्रधान महोदय पं. स. लक्ष्मणगढ़ को वास्ते सूचनार्थ।

ह०
फार्म मैनेजर,
कृषि फार्म मौजपुर,
प. स. लक्ष्मणगढ़ (अलवर)

खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

290. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी), **श्री हजारीलाल** (खेतड़ी) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले छः माह में खाने-पीने व रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है ?

(2) गेहूं, तेल, चाय, तिलहन, साबुन शक्कर, दालें, प्याज, लहसुन के भावों में वृद्धि के कारण रहे हैं ? इन भावों की वृद्धि को रोकने के लिए पिछले छः माह सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये ?

(2) क्या यह सही है कि पिछले 10 वर्षों के मुकाबले राज्य में अच्छी फसल होने के बावजूद की चीजों के भाव बढ़े हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) पिछले छः माह में कालाबाजारी, करने वालों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पिछले छः माहों में खाने-पीने व रोजमर्रा की चीजों में हुई वृद्धि का विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) गेहूं, तेल, चाय, तिलहन, साबुन, शक्कर, दालें, प्याज, लहसुन के भावों में वृद्धि के कारण आवश्यकता के अनुरूप उपलब्धि नहीं होना, परिवहन दरों में वृद्धि, खाड़ी युद्ध आदि रहे हैं। भावों की वृद्धि को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा पिछले छः माहों में उठाये गये कदमों का विवरण परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(3) भावों में वृद्धि के कई कारण रहे हैं देश की सम्पूर्ण आर्थिक स्थिति मूल्य सूचकांक में वृद्धि एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जैसे खाड़ी युद्ध आदि।

(4) पिछले छः माह में आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी करने वालों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण प्रश्न के भाग (2) में अंकित किये गये परिशिष्ट "ख" में अंकित है।

254

भाग (1) का विवरण

क्र. सं.	नाम आवश्यक वस्तु	वृद्धि प्रति किलोग्राम (रुपयों में)
1.	गेहूं	1.07
2.	चना	0.07
3.	चावल सैला	0.54
4.	बाजरा	0.10
5.	ज्वार	0.39
6.	मक्का	0.30
7.	मूंग दाल	1.00
8.	उड़द दाल	0.70
9.	चना दाल	0.20
10.	मूंगफली तेल	5.22
11.	सरसों तेल	0.07
12.	तिल्ली तेल	1.85
13.	वनस्पति घी	3.79
14.	चीनी	0.40
15.	आलू	0.50
16.	प्याज	3.07
17.	कपड़े धोने का साबुन	0.04
18.	चाय पत्ती (50 ग्राम)	0.04

भाग (2) का विवरण

1. जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी करने वालों के विरुद्ध प्रचलित कानूनी आदेशों के प्रावधानों की कड़ाई से अनुपालना कराई गई।
2. गेहूं, खाद्य तेल आदि का अतिरिक्त आवंटन केन्द्र सरकार से प्राप्त किया गया।
3. फ्री सेल के गेहूं का आवंटन प्राप्त कर इसका आटा, मैदा, सूजी रोलर फ्लोर मिलों से तैयार करवा कर वितरण की व्यवस्था की गई।
4. गेहूं थोक विक्रेताओं के लिये खरीदे गये गेहूं के स्टाफ को खरीदने की दिनांक से 7 दिवस में विक्रय करने का प्रतिबन्ध लगाया गया।
5. गेहूं की स्टाक सीमा 500 क्विन्टल से घटा कर 250 क्विन्टल की गई।
6. पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य नियंत्रण हेतु राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1990 प्रभावशील किया गया।

7. राज्य में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि एवं मूल्यों के लिए जिला स्तर एवं पर राज्य स्तर मानीटरिंग की व्यवस्था की गई ।

8. पिछले छः माहों में 1035 छापे मारे गये । 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । 107 व्यक्तियों को अभियोजित किया गया । 1028 व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई और 6,94,463/– रुपये मूल्य की आवश्यक वस्तुएं जब्त की गईं ।

कश्मीर व पंजाब प्रान्तों के विस्थापित

291. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या पुनर्वास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

कश्मीर व पंजाब से कितने परिवार राज्य में किस-किस स्थान पर आये हैं तथा उन परिवारों की कुल संख्या कितनी है ? सरकार उनके प्रवास के सम्बन्ध में क्या कारगर कदम उठा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

कश्मीर एवं पंजाब से राज्य में 368 परिवारों के 1507 सदस्य संलग्न सूची में दर्शाये अनुसार आये थे ।

कश्मीर से आने वाले परिवार वर्तमान में जयपुर में श्री खण्डेलवाल वैश्य भवन ट्रस्ट, चांदपोल बाजार में ठहरे हुए हैं जबकि अजमेर, भीलवाड़ा एवं उदयपुर में अपने रिश्तेदार एवं मित्रों के यहां रह रहे हैं । राज्य सरकार द्वारा दैनिक आवश्यकताओं एवं राशन आदि की पूर्ति हेतु सितम्बर 1990 से 150 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा अधिकतम 500 रुपये प्रति परिवार प्रति माह देने का प्रावधान किया गया है । उक्त सहायगा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर जयपुर में 134 व्यक्तियों को 70 हजार रुपये, भीलवाड़ा में 17 व्यक्तियों को 5600 रुपये तथा अजमेर में 2 व्यक्तियों को 1200 रुपये कुल 153 व्यक्तियों को 76,800 रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई गई । पंजाब से आये व्यक्ति भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी एव श्रीगंगानगर जिले में अपने पैतृक मकान अथवा रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं । प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर भीलवाड़ा में 5 व्यक्तियों को 1000 रुपये प्रति व्यक्ति के अनुसार 5000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई । इसके अतिरिक्त 6 व्यक्तियों की राजस्थान बैंक से 5-5 हजार रुपये का ऋण भी उपलब्ध करवाया गया ।

कश्मीर एवं पंजाब से राज्य में आये परिवारों की संख्या

क्र. सं.	नाम जिला	आये परिवार		वापिस जाने वाले परिवार		निवास कर रहे परिवार		विशेष विवरण
		परिवार सं.	सदस्य सं.	परिवार सं.	सदस्य सं.	परिवार सं.	सदस्य सं.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कश्मीर से आये परिवार								
1.	अजमेर	5	15	2	5	3	9	एक परिवार के 4 सदस्यों में से एक सदस्य चले गये।
2.	अलवर	6	13	6	13	—	—	
3.	भीलवाड़ा	4	17	—	—	4	17	
4.	जयपुर	52	134	—	—	52	134	
5.	उदयपुर	15	30	—	—	15	30	
	योग	82	209	8	18	74	190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पंजाब से आने वाले परिवार								
1.	भरतपुर	5	29	2	9	3	20	
2.	भीलवाड़ा	5	21	4	13	1	8	
3.	बूंदी	14	81	—	—	14	81	
4.	श्रीगंगानगर	262	1167	—	—	262	1167	
		286	1298	6	22	280	1276	
	कुल योग	368	1507	14	40	354	1466	

कमानी इन्जीनियरिंग कम्पनी द्वारा सेवा से पृथक् श्रमिक का प्रकरण

292. **श्री जनार्दन सिंह गहलोत** (करौली) : क्या श्रम व नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कमानी इन्जीनियरिंग कम्पनी जयपुर द्वारा श्री शंकर लाल को गैरकानूनी रूप से सेवा से पृथक् कर दिया था ? यदि हां, तो क्या श्री शंकर लाल के पक्ष में श्रम आयुक्त, राजस्थान ने फैसला दिया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्रम आयुक्त के फैसले की कमानी इन्जीनियरिंग कम्पनी, जयपुर ने क्रियान्विति नहीं की ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फैसले की क्रियान्विति कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि कमानी इंजीनियरिंग कम्पनी, जयपुर द्वारा श्री शंकर लाल को सेवा से पृथक किया गया था। जिसके विवाद को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 2-8-82 द्वारा श्रम न्यायालय को न्याय निर्णयार्थ प्रेषित किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 1-8-85 को अवार्ड पारित कर श्री शंकर लाल की सेवा मुक्ति के आदेश को निरस्त किया गया। श्रम न्यायालय के अवार्ड के विरुद्ध नियोजक द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई तथा स्थगन आदेश के प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने पिछले वेतन की 50% राशि भुगतान किये जाने के आदेश पारित किये। श्रमिक को उच्च न्यायालय के आदेशानुसार भुगतान कर दिया गया एवं उसे सेवा में वापस ले लिया गया, लेकिन रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अभी भी विचाराधीन है।

(2) यह सही नहीं है कि कमानी इंजीनियरिंग कम्पनी, जयपुर ने श्रम आयुक्त के फैसले की क्रियान्विति नहीं की है। वस्तुस्थिति यह है कि कथित फैसला श्रम न्यायालय द्वारा दिया गया था न कि श्रम आयुक्त द्वारा, श्रम न्यायालय द्वारा दिनांक 1-8-85 को जो अवार्ड पारित किया गया उसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 29-1-86 को अपने स्थगन आदेश के तहत 50 प्रतिशत राशि पिछले वेतन को दिलाये जाने सहित सेवा में लिये जाने के जो आदेश दिनांक 29-1-86 को दिये गये थे उनकी क्रियान्विति की जा चुकी है तथा उक्त प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अभी भी विचाराधीन है।

मण्डी यार्ड डेगाना का निर्माण

293. **श्री मोहन लाल** (परबतसर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में मण्डी यार्ड डेगाना के निर्माण की स्वीकृत धनराशि कितनी है ?

(2) इस यार्ड के निर्माण हेतु कब-कब

(श्री मोहन् लाल)

टेण्डर आमन्त्रित किये गये ? क्या टेण्डर स्वीकृत कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो किसके नाम ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या इस मण्डी यार्ड के लिये पुनः टेण्डर आमन्त्रित किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या पूर्व में आमन्त्रित किये गये टेण्डरों की लागत राशि व वर्तमान टेण्डरों की लागत राशि में काफी अन्तर है ? यदि हां, तो इस निर्माण कार्य पर अधिक राशि व्यय की जिम्मेदारी किस की होगी ?

उत्तर

(1) जिला नागौर में मण्डी यार्ड डेगाना के निर्माण की स्वीकृत राशि रुपये 66.21 लाख है।

(2) टेण्डर सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट "क" व "ख" पर संलग्न है।

(3) टेण्डर आमन्त्रित किये जा चुके हैं एवं संधिवार्ता हेतु टेण्डर विचाराधीन है। विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(4) जी हां। जो टेण्डर निरस्त कर वर्तमान में पुनः आमन्त्रित किये गये हैं वे अभी स्वीकृत नहीं किये गये हैं। अतः जिम्मेदारी निश्चित करने का प्रश्न ही नहीं है।

(260)

परिशिष्ट "क"

स्वीकृत टेण्डरों की सूची

क. सं.	कार्य का नाम	निविदा की दिनांक			निविदा की स्वीकृति दिनांक	ठेकेदार का नाम जिसे कार्य आवंटित किया गया	अस्वीकृत होने का कारण	विशेष विवरण
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	चार दीवारी मय गेट एवं चैक पोस्ट	30-11-88	—	—	3-10-89	श्री रामरतन	—	प्रथम ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ न किये जाने पर पंचम न्यूनतम ठेकेदार को कार्यादेश दिया गया।
2.	आंतरिक सड़क	07-07-90	—	—	9-10-90	मैसर्स डी. एस. कन्सट्रक्शन	—	—
3.	जल व्यवस्था (प्रथम भाग)	07-07-90	24-11-90	7-12-91	19-01-91	एस. एस. कन्सट्रक्शन	दोनों बार दरें अधिक होना	तीसरी बार दर दोनों बार से कम होने पर, स्वीकृत की गई।
4.	स्ट्रीट लाइट	07-07-90	—	—	9-10-90	मैसर्स भारत रेडियो एण्ड इलैक्ट्रिकल्स स्टोर	—	—

परिशिष्ट "ख"

विचाराधीन टेण्डरों की सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	पूर्व में आमन्त्रित टेण्डरों की प्राप्ति दिनांक एवं लागत राशि				पुनः आमन्त्रित किये गये टेण्डरों की प्राप्ति की दिनांक एवं लागत राशि		अन्तर	विशेष विवरण
		प्रथम बार दिनांक	प्रथम बार राशि	द्वितीय बार दिनांक	द्वितीय बार राशि	दिनांक	राशि		
1	2	3				4		5	6
1.	जल व्यवस्था (द्वितीय चरण)	7-7-90	137436.00	—	—	7-1-91	134940.00	– 2496.00	संधिवार्ता हेतु निविदाएं विचाराधीन
2.	टायलेट ब्लाक	7-7-90	29613.00	24-11-90	30553.00	7-1-91	27991.00	– 1622.00	"
3.	वाटर हट	7-7-90	33747.00	24-11-90	35682.00	30-1-91	32887.00	– 860.00	"
4.	वाटर ट्रफ	7-7-90	12123.00	24-11-90	12196.00	7-1-91	11388.00	– 735.00	"
5.	क्योस्क नं. 2	7-7-90	33128.00	24-11-90	56292.00	7-1-91	52606.00	+ 19478.00	"
6.	कवर्ड आक्सने प्लेटफार्म	7-7-90	783347.00	30-11-90	873781.00	7-1-91	799068.00	+ 15721.00	"
7.	कार्यालय भवन	7-7-90	296929.00	24-11-90	330514.00	30-1-91	307872.00	+ 10943.00	"
8.	12 नं. दुकान मय गोदाम मय प्लेटफार्म	7-7-90	2188625.00	30-11-90	2519521.00	30-1-91	2302980.00	+114355.00	"
9.	दुकान मय गोदाम नं. 18.	7-7-90	2321549.00	—	—	16-1-91	2494977.00	+173428 00	"
10.	10 नं. रिटेल शॉप	7-7-90	251886.00	—	—	16-1-91	293811.00	+ 41925.00	"

(261)

262

राजसमन्द एवं आमेट के मार्बल व्यवसायियों को उच्चशक्ति के ट्रान्सफार्मर्स

294 **श्री शान्ति लाल** (राजसमन्द) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विद्युत् मण्डल द्वारा राजसमन्द एवं आमेट तहसीलों के मार्बल व्यवसायियों को कितनी-कितनी शक्ति के ट्रान्सफार्मर उपलब्ध कराये गये हैं ?

(2) क्या वर्तमान में आवश्यकतानुसार विद्युत् प्रवाह के लिए, पर्याप्त शक्ति के ट्रान्सफार्मर हैं ?

(3) यदि नहीं, तो विद्युत बोर्ड कब तक शक्तिशाली ट्रान्सफार्मर उपलब्ध करा देगा ?

उत्तर

(1) विद्युत मण्डल द्वारा राजसमन्द एवं आमेट तहसीलों के अन्तर्गत मार्बल व्यवसाइयों को निम्नानुसार विभिन्न क्षमता के 53 ट्रान्सफार्मर लगाकर कनेक्शन दिये गये हैं :—

क्षमता		संख्या
315 के. वी. ए.		4
250	,,	2
100	,,	24
63	,,	17
25	,,	6

(2) व (3) वर्तमान में 132 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन कांकरोली में 10/12.5 एम. वी. ए. का एक पावर ट्रान्सफार्मर लगा हुआ है जो कि ओवर लोड है। इसके लिये एक 16/20 एम. वी. ए. क्षमता का ट्रान्सफार्मर कांकरोली जी. एस. एस. पर लगाने का प्रस्ताव है, जिसको लगाने का कार्य प्रगति पर है।

जनजाति क्षेत्र के आश्रम भवन

295. **श्री दयाराम परमार** (खेरवाड़ा) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनजाति क्षेत्र में कुल कितने ऐसे आश्रम भवन हैं जो बन कर तैयार हैं और उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त बने हुए भवनों में आश्रम चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ऐसे 4 छात्रावास हैं परन्तु उनका चार्ज अभी सार्वजनिक निर्माण विभाग ने नहीं सम्भलवाया है।

(2) जुलाई, 1991 से इनका उपयोग होना सम्भव है।

(तारांकित प्रश्न संख्या 296 स्थगित किया गया)

रायसिंहनगर क्षेत्र मुख्यालयों पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय

297. **श्री रामस्वरूप मेघवाल** (रायसिंहनगर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक मुख्यालय पर आयुर्वेद

(श्री रामस्वरूप मेघवाल)

औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार आयुर्वेद औषधालय के लिए भवन निर्माण का भी विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में सरकार ने आयुर्वेद औषधालय तो खोल दिया, परन्तु भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) अब कब तक उन आयुर्वेद औषधालयों को भवन निर्माण की स्वीकृति दे देगी जो बिना भवन के संचालित हैं ?

उत्तर

(1) प्रश्न स्पष्ट नहीं है ।

(2) जी नहीं । विभागीय औषधालयों के संचालन हेतु स्थानीय निःशुल्क भवन व्यवस्था ही अपेक्षित है । भवन निर्माण हेतु विभागीय बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है ।

(3) नवीन स्वीकृत औषधालयों के लिए राजकीय व्यय पर भवन-निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है ।

(4) औषधालयों के लिए नवीन भवन निर्माण कराने का पृथक् से कोई प्रावधान नहीं होने से ऐसी किसी प्रकार की स्वीकृति दी जाना वर्तमान में सम्भव नहीं है । यदि निःशुल्क भवन उपलब्ध नहीं होता है तो किराये पर भवन लेकर औषधालय आरम्भ करने का भी प्रावधान है ।

जीवनधारा योजनान्तर्गत कुओं का निर्माण

298. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जीवन धारा योजनान्तर्गत प्रान्त में वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 में कुल कितने कुएं बनाने का लक्ष्य था तथा उस पर कुल कितनी राशि खर्च की जानी थी ? उसमें से अब तक कुल कितने कुओं का निर्माण किया गया है ?

(2) उक्त योजनान्तर्गत कोटा एवं बूंदी जिले के गत दो वर्षों के लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त योजना की सफल क्रियान्विति हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या विशेष प्रयास किये गये और क्या प्रयास किये जाने का विचार है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जीवन-धारा योजनान्तर्गत राज्य में वर्ष 1989-90 व 1988-89 में कुल 20,000 कुएं बनाने के लक्ष्य निर्धारित किए गये थे । वर्ष 1990-91 में 12,350 कुएं बनाने के लक्ष्य थे । वर्ष 1989-90 में रु. 1560.87 लाख की राशि खर्च की जानी थी तथा वर्ष 90-91 में रु. 2561.06 लाख खर्च की जानी थी । जनवरी, 1991 तक कुल 15245 कुओं का निर्माण किया गया ।

(264)

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

(2) जीवनधारा योजनान्तर्गत कोटा एवं बून्दी जिलों में गत दो वर्षों के लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण पंचायत समितिवार (परिशिष्ट "अ") सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(3) उक्त योजना की सफल क्रियान्विति हेतु राज्य सरकार ने दिनांक 29-11-90 से जीवनधारा के स्वीकृत योग्य कुओं की संख्या में वृद्धि कर दी गई एवं दिनांक 1-1-91 से कुओं की इकाई लागत में भी वृद्धि की गई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

डार्क जोन क्षेत्र घोषित करने का मापदण्ड

299. **श्री लक्ष्मीलाल** (आसीन्द) एवं **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या भू-जल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) किसी क्षेत्र को डार्क जोन घोषित करने का मापदण्ड क्या है ?

(2) क्या इस वर्ष ठीक वर्षा के कारण तथा बांधों में पानी की आवक से जल स्तर में परिवर्तन आया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः सर्वे करा कर डार्क जोन हटाने की कार्यवाही करेगी ?

(3) क्या यह सही है कि आसीन्द तहसील में इस वर्ष सामान्य वर्षा के कारण जल स्तर ऊपर उठा है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र डार्क जोन हटाने की कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) भू-जल आंकलन समिति के निर्देशानुसार जिन क्षेत्रों में भू-जल विकास का स्तर 85 प्रतिशत से अधिक हो उन क्षेत्रों को डार्क जोन वर्गीकृत किया जाता है।

(2) जी हां, इस वर्ष अच्छी वर्षा के कारण तथा बांधों में पानी के आने से भू-जल स्तर में परिवर्तन आया है। विभिन्न क्षेत्रों में स्थिर आधारभूत कुओं के मानसून पूर्व व मानसून उपरान्त आंकड़ों के आधार पर भू-जल उपलब्धि का पुनर्मूल्यांकन हर वर्ष किया जाता है। इस वर्ष की वर्षा के अनुसार भू-जल पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है, कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही पूर्व में निर्धारित डार्क जोन को पुनः वर्गीकृत किया जा सकेगा।

(3) जी हां, यह सही है कि आसीन्द तहसील में इस वर्ष सामान्य वर्षा के कारण कुओं के जल स्तर में वृद्धि हुई है। वर्ष 1988 में आसीन्द तहसील में केवल एक डार्क जोन था परन्तु हाल ही में किए गए भू-जल सर्वेक्षण उपलब्धि के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर इस तहसील में डार्क जोन नहीं है।

ग्रामों की सड़कों का डामरीकरण का मापदण्ड

300. **श्री फूलचन्द** (नीम का थाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार की कितनी जन संख्या वाले गांवों को डामर सड़क से जोड़ने की योजना है ?

(श्री फूलचन्द)

(2) क्या सरकार द्वारा राजस्थान में अब तक उक्त मापदण्ड की पालना की गई है ?

(3) क्या यह सही है कि पांच हजार की जनसंख्या वाला गांव रामपुर पाटन (नीम का थाना) अब भी डामर सड़क से वंचित है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम को माप दण्ड के आधार पर अब कब तक डामर सड़क से जोड़ दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) योजना आयोग के अनुसार (1971 की जनगणनानुसार) गांवों को किसी भी प्रकार की सड़क से जोड़ने की सरकार की योजना निम्न प्रकार है :—

(अ) सामान्य क्षेत्र :—

(1) 1500 से अधिक आबादी वाले गांव 100%

(2) 1000 से 1500 तक की आबादी वाले गांव 50%

(ब) जनजातिय, तटीय तथा मरुस्थलीय क्षेत्र :—

(1) 1000 से अधिक आबादी वाले गांव 100%

(2) 500 से 1000 तक की आबादी वाले गांव 50%

(स) पहाड़ी क्षेत्र :—

(1) 500 से अधिक आबादी वाले गांव 100%

(2) 200 से 500 तक की आबादी वाले गांव 50%

(2) जी नहीं। उक्त मापदण्डों की अनुपालना में योजनान्तर्गत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार राज्य में गांवों को सड़कों से जोड़ने की वर्षवार योजना बना कर सतत क्रियान्विति की जा रही है।

(3) जी हां। गांव रामपुर-पाटन (नीम का थाना) जिसकी आबादी 1971 की जनगणनानुसार 2379 है, ग्रेवल सड़क से जुड़ा हुआ है तथा इसे डामर की सड़क से जोड़ना वित्तीय साधनों पर निर्भर करता है।

सड़कों से बिना जुड़े गांवों की स्थिति दिनांक 31–3–90 को 1971 की जनगणना के अनुसार 1500 से अधिक आबादी के गांव

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	जिले का नाम	सड़कों से बिना जुड़े गांव	मैटल्ड व ग्रेवल्ड से जुड़े गांवों की बीटी बनाने की लागत	बिना जुड़े गांवों का बीटी बनाने की लागत	कुल लागत
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	—	167.00	—	167.00
2.	अलवर	20	—	148.00	148.00
3.	बांसवाड़ा	1	13.00	—	13.00
4.	बाड़मेर	1	956.50	93.00	1049.50
5.	भरतपुर	15	14.00	241.00	255.00
6.	भीलवाड़ा	—	91.50	—	91.50
7.	बीकानेर	4	98.00	164.50	262.50
8.	बून्दी	2	132.25	48.00	180.25
9.	चित्तौड़गढ़	3	94.20	33.00	127.20
10.	चूरू	19	115.42	469.87	585.29
11.	धौलपुर	17	24.00	195.00	219.00
12.	डूंगरपुर	2	76.25	29.00	105.25
13.	गंगानगर	31	—	635.00	635.00
14.	जयपुर	31	—	328.25	328.25
15.	जैसलमेर	—	10.00	—	10.00
16.	जालौर	5	461.75	285.00	746.75
17.	झालावाड	2	—	27.00	27.00
18.	झुन्झुनू	24	59.00	209.00	268.00
19.	जोधपुर	1	521.00	8.00	529.00
20.	कोटा	11	17.50	110.00	127.50

1	2	3	4	5	6
21.	नागौर	12	860.25	32.50	892.75
22.	पाली	8	345.70	—	345.70
23.	सवाईमाधोपुर	31	413.50	147.50	561.00
24.	सीकर	32	89 00	303.50	392.50
25.	सिरोही	—	21.00	—	21.00
26.	टौंक	10	155.50	207.64	363.14
27.	उदयपुर	3	424.70	28.00	452.70
	योग	285	5238.27 यानि 52.38 करोड़	3742.76 37.43 करोड़	8981.03 89.81 करोड़

सड़कों से बिना जुड़े गांवों की स्थिति दिनांक 31–3–90—1981 की जनगणना के अनुसार 1500 से अधिक आबादी के गांव

(लागत लाखों में)

क्र. सं.	जिले का नाम	सड़कों से बिना जुड़े गांव	मैटल्ड व ग्रेवल्ड से जुड़े गांवों की बीटी बनाने की लागत	बिना जुड़े गांवों का बीटी बनाने की लागत	कुल लागत
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	—	285.00	—	285.00
2.	अलवर	53	42.75	500.85	543.60
3.	बांसवाड़ा	7	36.00	99.50	135.50
4.	बाड़मेर	1	1863.50	30.00	1893.00
5.	भरतपुर	33	20.00	316.00	336.00
6.	भीलवाड़ा	2	230.80	12.80	243.60

1	2	3	4	5	6
7.	बीकानेर	18	277.00	508.00	785.00
8.	बून्दी	4	398.75	94.50	493 25
9.	चित्तौड़गढ़	—	94.50	—	94.50
10.	चूरू	26	283.12	438.90	722.02
11.	धौलपुर	26	32.00	200.50	232.50
12.	डूंगरपुर	1	182.00	15.00	197.00
13.	गंगानगर	70	—	1551.60	1551.60
14.	जयपुर	72	173.00	653.00	826.00
15.	जैसलमेर	1	130.00	15 00	145.00
16.	जालौर	10	1062.00	271.50	1335.50
17.	झालावाड़	6	55.00	155.00	210.50
18.	झुन्झुनू	43	48.00	264 00	312.00
19.	जोधपुर	9	901.00	88.00	989.00
20.	कोटा	22	17.50	255.00	272.50
21.	नागौर	14	1636.50	269.35	1905.85
22.	पाली	4	595.65	24.00	619.65
23.	सवाईमाधोपुर	62	177.00	958.00	1135.00
24.	सीकर	63	209.00	723.00	932 00
25.	सिरोही	—	91.00	—	91.00
26.	टौंक	22	241.00	407.14	648.14
27.	उदयपुर	24	531.35	296.50	825.85
	कुल	593	9613.92	8147.14	17761.06 या 177.61 करोड़ रु.

बाड़मेर जिले में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त भवनों का पुनर्निर्माण

301. श्रीमती मदन कौर (गुडामालानी) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जुलाई-अगस्त, 1990 में बाड़मेर जिले में अतिवृष्टि से बड़ी संख्या में मकान क्षतिग्रस्त हुए थे ? यदि हां, तो कितने ?

(2) क्या सरकार ने अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत और पुर्न-निर्माण हेतु किसी प्रकार की सहायता उप-लब्ध कराई है ? यदि हां, तो कितने लोगों को ? इस हेतु राज्य सरकार ने कितनी धन-राशि व्यय की ?

उत्तर

(1) जी हां। जुलाई-अगस्त, 90 में बाड़मेर जिले में हुई आकस्मिक अतिवृष्टि से 1,01,748 मकान क्षतिग्रस्त हुए थे।

(2) जी नहीं।

पंचायत समिति क्षेत्र बाली के अधीन निर्माण कार्य

302. श्री अमृतलाल (बाली) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाली क्षेत्र में पंचायत समिति के अधीन चल रहे निर्माण कार्यों में घटिया मैटीरियल के प्रयोग को रोकने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि इस कार्य में वहां के विकास अधिकारी का हाथ है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार उस विकास अधिकारी को वहां से हटाकर उसकी निष्पक्ष जांच कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होना नहीं पाया जाता।

(2) जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जांच का कोई मुद्दा ही विचारा-धीन नहीं है।

आयातीत पामोलीन व पाम आयल का आवंटन

303. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के किन-किन जिलों में पिछले तीन वर्षों में आयातीत पामोलीन अथवा पाम आयल कितना-कितना आवंटित किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पाम आयल अथवा पामोलिन उपभोक्ताओं को वितरण नहीं कर सीधा चोरी छिपे बेच दिया गया ? ऐसे कितने मामले विभाग ने पिछले 3 वर्षों में पकड़े ? उन पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के जिन-जिन जिलों को पिछले तीन वर्षों में आयातित पामोलीन अथवा पाम आयल जितना-जितना आवंटन किया गया उसका विवरण संलग्न है।

(2) जी नहीं। पिछले तीन वर्षों में पाम आयल अथवा पामोलीन के वितरण सम्बन्धी अन्य अनियमितताओं के 45 मामले पकड़े गये थे जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की गई ?

2-70

आयातित खाद्य तेल का जिलों का आवंटन

(मात्रा मै. टनों में)

क्र. सं.	नाम जिला	वर्ष 1988	वर्ष 1989	वर्ष 1990
1.	अजमेर	780	245	700
2.	अलवर	230	50	290
3.	बाड़मेर	500	80	270
4.	बून्दी	500	80	200
5.	बांसवाड़ा	540	60	255
6.	भरतपुर	240	50	290
7.	भीलवाड़ा	320	80	295
8.	बीकानेर	510	165	645
9.	चूरू	1000	90	275
10.	चित्तौड़गढ़	440	50	290
11.	डूंगरपुर	390	70	280
12.	श्रीगंगानगर	340	40	345
13.	जयपुर	1500	345	1230
14.	जोधपुर	860	190	745
15.	जैसलमेर	520	80	225
16.	जालौर	380	70	265
17.	झुंझनू	370	80	260
18.	झालावाड़	370	60	235
19.	कोटा	960	160	670
20.	नागौर	450	80	385
21.	पाली	320	80	330
22.	सीकर	240	80	290
23.	सवाईमाधोपुर	280	40	315
24.	सिरोही	960	50	260
25.	टोंक	440	80	230
26.	उदयपुर	820	125	895
27.	धौलपुर	100	10	225

काश्तकारों को संकर बीज का प्रदाय

304. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य बीज निगम ने बीज उत्पादन खरीफ प्रक्रिया एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत सन् 1988 से 1990 तक राजस्थान में कितने गांवों के किन-किन काश्तकारों को संकर बीज उगाने के लिए पेटेन्ट मैटीरियल दिया गया ?

(2) राज्य बीज निगम द्वारा उक्त पेटेन्ट मैटीरियल प्राप्त काश्तकारों से कितनी राशि का कितना-कितना बीज खरीदा ?

(3) राज्य बीज निगम द्वारा विक्रय किये गये बीज की कितने काश्तकारों द्वारा बीज मिलावट की शिकायतें की गई ? काश्तकारों को निगम के बीज से कितना नुकसान हुआ ? राज्य सरकार ने काश्तकारों को कितना मुआवजा दिया ? किन-किन काश्तकारों को मुआवजा देना शेष है ?

(4) क्या खरीफ के लिए शेष ज्वार किसानों को वितरित किये जाने से पूर्व उसका ग्रो आउट टैस्ट करवाया गया ? दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त संकर ज्वार सी. एस. एच. 5 बीज काण्ड से निगम को कितनी हानि हुई ?

उत्तर

(1) चाही गई सूचना "प्रपत्र" अ" में संलग्न है।

(2) राज्य बीज निगम द्वारा उक्त पेटेन्ट मैटीरियल काश्तकारों से निम्नानुसार खरीदा गया :—

खरीफ 1988	किस्म	क्रय मात्रा कि.व.	दर रुपये	राशि रुपये
1988	बाजरा एम. एच. 179	125.09	600/–	75054.00
	ज्वार सी. एस. एच.–5	2533.13	600/–	1519878.00
	मक्का जी–2	1541.87	340/–	524235.80
1989	एम. एच.–179	203.75	625/–	127343.75
	ज्वार सी. एस. एच.–5	1636.40	650/–	1063660.00
	मक्का जी–2	811.24	350/–	283934.00
1990	एम. एच. 179	300.00	650/–	195000.00

(कृषि मन्त्री)

(3) कृषि विभाग के अधिकारियों से वर्षवार जो शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन पर जो कार्यवाही की गई वह निम्न प्रकार है :—

1988-89 : कांकरोली चित्तौड़ एवं कोटा में खरीफ 89 में वितरित संकर ज्वार सी. एस. एच. 5 के बीज में मिश्रण के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई। राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जांच कराकर निगम के दो अधिकारियों एवं प्रमाणीकरण संस्था के एक अधिकारी को निलम्बित किया जा चुका है और प्रभावित काश्तकारों को अगले वर्ष के लिये बीज की राशि के मूल्य के पांच गुणा मूल्य के बराबर कीमत का बीज उपलब्ध करा दिया गया है।

1990-91 : 1. खरीफ 90 में झालावाड़ में वितरित सोयाबीन बीज की 11.20 क्वि. मात्रा के सम्बन्ध में कम अंकुरण की शिकायत प्राप्त हुई। स्थानीय अधिकारियों द्वारा जांच करवाने के बाद 8 क्वि. बीज वापस कृषकों को उपलब्ध करवा दिया गया।

2. क्रय विक्रय सहकारी समिति सांभर द्वारा मूंग के–851 के खराब बीज की शिकायत प्राप्त हुई। क्रय विक्रय समिति द्वारा जो बीज वापस लौटाया गया उसकी राशि उन्हें वापस लौटा दी।

3. जयपुर, चाकसू, सांगानेर एवं जोधपुर क्रय विक्रय सहकारी समितियों से बाजरा एम. एच. 179 की कम अंकुरण की शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत की जांच की गई। बीज कीड़ों से प्रभावित था। बीज की बिक्री रोक दी गई एवं एन. एस. सी. व आई. टी. सी. से यह बीज लिया गया उन्हें वापस लौटाकर उसकी जगह दूसरा बीज प्राप्त कर वितरण किया गया।

4. रबी 90 में गेहूं बीज एच. डी. 2329 में जल्दी बाले आने की शिकायत पाली जिले से प्राप्त हुई। इस शिकायत की आवश्यक जांच में पाया गया कि बीज की गुणवत्ता का कोई विपरीत असर न होकर व मात्र जल्दी बुवाई एवं विपरीत वातावरण के कारण हुआ है। कृषि विभाग को सवाईमाधोपुर एवं सीकर जिले में दिये गये चने के मिनिकट के बीज के धुने हुए के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई।

इस सम्बन्ध में जांच के बाद जब शिकायत सही पाई गई कृषि विभाग को खेद प्रकट करने के साथ ही उप क्षेत्रीय प्रबन्धक सूरतगढ़ के विरुद्ध कार्यवाही की गई। काश्तकारों को लगभग पांच लाख रुपये का निगम के बीज से नुकसान हुआ।

निगम ने लगभग 5 लाख रुपये के मूल्य का खराब बीज के बदले अच्छे किस्मों का बीज दिया गया।

सभी काश्तकारों को मांग के अनुसार बीज के बदले बीज दे दिया गया है।

(4) जी हां, जायद 90 में धरियाबाद फार्म पर खरीफ 88 में उत्पादित संकर ज्वार सी. एस. एच. 5 को ग्रो आउट टैस्ट में लगाया गया। शिकायतों के आधार पर तीन अधिकारी, जिन में एक बीज प्रमाणीकरण

(कृषि मन्त्री)

संस्था, दो. राज. राज्य बीज निगम के थे, को निलम्बित कर विभागीय जांच की कार्यवाही की जा रही है।

(5) निगम को लगभग 5 लाख रुपये की हानि क्षतिपूर्ति देने के कारण हुई।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सहरिया परियोजना हेतु केन्द्रीय सहायता

305. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या किशनगंज व शाहबाद को वर्ष 1989-90 में सहरिया परियोजना में विकास हेतु 34 लाख रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई थी ?

(2) क्या केन्द्रीय सहायता को खर्च करने की योजना सहरिया विकास समिति ने बनायी थी ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) वर्ष 1989-90 में प्राप्त केन्द्रीय सहायता में से कितनी राशि व्यय की गयी व कितनी शेष रही ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वास्तव में किशनगंज व शाहबाद को वर्ष 1989-90 में सहरिया परियोजना के विकास हेतु 62.583 लाख रुपये की राशि विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत प्राप्त हुई थी जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(राशि लाख रु. में)

1.	विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत राशि	24.000
2.	बिखरी आबादी कार्यक्रम अन्तर्गत उदयपुर जिले से व्ययवर्तन से स्थानान्तरित विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि	3.183
3.	अति.विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि	35.400
	कुल योग	62.583

(2) जी हां। केन्द्रीय सहायता को खर्च करने की योजना सहरिया विकास समिति की सहमति से बनायी थी।

योजना परिशिष्ट-1 में संलग्न है।

(3) वर्ष 1989-90 में व्ययवर्तन के उपरान्त 27.183 लाख रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता में से मार्च 1989 तक 17.460 लाख रुपये की राशि व्यय की गयी तथा 9.723 लाख रु. की राशि शेष रही। अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत प्राप्त 35.40 लाख रुपये की राशि का व्यय होना शेष है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(224)

परिशिष्ट—1

1. वर्ष 1989-90 में व्ययवर्तन के पश्चात् 27.183 लाख रुपये की प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि को खर्च करने के प्रस्ताव :—

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	सैक्टर/कार्यक्रम	आवंटन
1	2	3
1.	**कृषि**	2.400
	अ–कृषि प्रदर्शन	0.200
	ब–फल विकास	0.700
	स–कृषि उत्पादन हेतु रिवाल्विंग फण्ड	1.500
2.	**लघु सिंचाई**	8.580
	अ–एनीकट	2.000
	ब–जलोत्थान सिंचाई	4.580
	स–समूह डीजल पम्पसैट	2.000
3.	**शिक्षा**	6.920
	अ–आश्रम छात्रावास संचालन	6.040
	ब–आश्रम छात्रावासों का आधुनिकीकरण	0.080
	स–मुफ्त पोशाक वितरण	0.800
4.	**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य**	0.500
	अ–शिविर आयोजन	0.500
5.	**पेयजल**	5.383
	अ–हैण्डपम्प स्थापना	2.200
	ब–डीप वैल हैण्डपम्प	3.183
6.	मुफ्त कानूनी सहायता	0.100
7.	पुनर्वास सहायता	0.500

1	2	3
8.	ग्रामीण गृह निर्माण	0.300
9.	कोर बजट	2.080
10.	प्रशासन	0.420
	योग	27.183

2. 35.40 लाख रुपये की अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता से प्राप्त राशि के प्रस्ताव :—

1.	**एनीकट निर्माण**	
	अ–खेराई एनीकट निर्माण	6.411
	ब–हाटरी—द्वितीय एनीकट निर्माण	7.491
	स–मोहनपुरा एनीकट निर्माण	1.220
	द–मटियाखारा एनीकट निर्माण	4.970
2.	**वानिकी कार्य**	
	अ–महुआ–आचार पौध रोपण	3.750
	ब–महुआ–आचार को बांदा रोग से ग्रसित पेड़ों का उपचारात्मक कार्य	0.750
3.	**जलोत्थान सिंचाई योजना**	
	अ–दौलतपुरा जलोत्थान सिंचाई परियोजना	5.480
	ब–डूडावर जलोत्थान सिंचाई परियोजना	1.614
4.	दरी बुनाई प्रशिक्षण-कम-उत्पादन केन्द्र	3.650
5.	समूह डीजल पम्पसेट कार्यक्रम	0.064
	योग	35.40
	कुल योग	62.583

मालवीया नगर क्षेत्र में पुलिया का निर्माण

306. **श्री काली चरण सराफ** (जौहरी बाजार) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मालवीय नगर सैक्टर 9 से 13 एवं 5 से 8 के मध्य कोई गहरा बरसाती नाला है ?

(2) उक्त सैक्टर्स के मध्य आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार कोई पुलिया या सुगम रास्ता बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो जन सुविधा हेतु यह निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मालवीय नगर के सैक्टर 9 से 13 एवं 5 से 8 के मध्य बरसाती नाले का विकास कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। आवागमन हेतु इस नाले पर एक पुलिया जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर तथा एक पुलिया आगरा बाइपास पर बनी हुई है। पैदल आवागमन हेतु इस नाले पर भी सीढ़ियां बनायी हुई हैं, जिससे सैक्टर 5 से 8 व 9 से 13 के मध्य पैदल आवागमन में सुविधा हो सके। मण्डल के पास इस नाले पर पुलिया बनाने हेतु वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

औषधियों के निर्माण हेतु वित्तीय प्रावधान

307. **श्री रमाकान्त शर्मा** (थानागाजी): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990-91 के वित्तीय वर्ष में औषधियों के निर्माण हेतु बजट में कितना प्रावधान था और कितना व्यय किया गया ?

(2) क्या किया गया व्यय प्रदेश के सभी औषधालयों की आवश्यकता की पूर्ति करता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1990-91 में कच्ची औषधियों व जड़ी-बूटियों के क्रय हेतु विभागीय बजट में मूल प्रावधान 55.35 लाख रुपये था जो फरवरी, 91 में बढ़ाकर संशोधित बजट में 73.35 लाख रुपये कर दिया गया। इसमें से जनवरी, 1991 तक 16.80 लाख रुपये के क्रय आदेश दिये जा चुके हैं जिसके विरुद्ध 7.03 लाख रुपये का माल प्राप्त हो चुका है। चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में बजट का पूर्ण उपयोग किये जाने के पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) जी नहीं। निम्न कारणों से समस्त औषधालयों की औषध आवश्यकता की पूर्ति कर पाना सम्भव नहीं है :—

1. क्रय की प्रक्रिया जटिल होना।
2. रसायनशालाओं की वर्तमान में निर्माण क्षमता आवश्यकता के अनुरूप नहीं होना।
3. कच्ची औषधियों एवं जड़ी बूटियों के क्रय हेतु बजट का सीमित होना।

(तारांकित प्रश्न संख्या 308 स्थगित किया गया)

हाड़ौती से कैलादेवी सड़क निर्माण

309. **श्री प्रभुलाल** (सपोटरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार हाड़ौती सड़क निर्माण 50 ग्रामों की यातायात सुविधा को मद्देनजर रखते हुए हाड़ौती से कैलादेवी तक सड़क का निर्माण करवाना चाहती है ?

(2) इस सड़क पर अब तक कौन-कौन सी योजनाओं में कितना-कितना पैसा खर्च किया गया है और कहां से कहां तक सड़क निर्माण की जा चुकी है ?

(3) क्या सरकार इस सड़क का निर्माण शीघ्र पूरा करवाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस सड़क पर विभिन्न योजनाओं में व्यय एवं सड़क निर्माण प्रगति का विवरण निम्न प्रकार है :—

व्यय :—

1.	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम रुपये	5,64,933
2.	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम	2,76,875
3.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम रुपये	2,05,649
4.	अकाल राहत कार्य रु.	73,522
	कुल रुपये	11,21,009

हाड़ौती से कैलादेवी सड़क (किमी.0/0 से 31/0) की (अब तक निर्मित) निर्माण सम्बन्धी स्थिति निम्न प्रकार है :—

1. बूकना से सपोटरा (किमी.14/500 से 18/00)	3.5 किमी. ग्रेवल सड़क तथा मेटल कलेक्शन प्रगति पर
2. सपोटरा से अमरवाड़ (किमी. 18/0 से 23/00 किमी.)	1.5 किमी. मेटल सड़क तथा शेष लम्बाई में मिट्टी का कार्य व मेटल कलेक्शन प्रगति पर
3. लोहरा से कैलादेवी (किमी. 28/0 से 31/0)	3 किमी. लम्बाई में डामर सड़क का कार्य पूर्ण।

(3) इस सड़क का शेष निर्माण कार्य (19.5 किमी. लम्बाई) योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

रेलवे स्टेशन, उदयपुर सिटी का पर्यटन सूचना केन्द्र

310. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर शहर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर पर्यटन सूचना केन्द्र लगभग 2 वर्ष से बन्द पड़ा है और उसके अभाव में पर्यटकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? इसे पुनः कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

(2) क्या पर्यटकों को आकर्षित करने की दृष्टि से मोती मगरी से फतेहसागर,

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

सज्जनगढ़ तक रोप-वे का कार्य शुरू करने के सम्बन्ध में विभाग ने नगर परिषद्, उदयपुर को अवगत करा दिया है ? यदि हां, तो कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा ?

(3) क्या सरकार ने उदयपुर, जैसलमेर, माउण्ट आबू-रणकपुर-बीकानेर के मध्य वायुदूत सेवा प्रारम्भ करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उदयपुर शहर के पर्यटक स्थल-दूधतलाई स्थित मगरी पर लक्ष्मण भूला बनाने हेतु शिलान्यास किया गया था और जनवरी, 1990 से कार्य प्रारम्भ करने की राज्य सरकार ने घोषणा की थी ? यदि हां, तो कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा ?

(5) क्या पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उदयपुर जैसे पर्यटक नगर में अप्पू एवं प्लेनेटोरियम बनाने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ?

(6) उदयपुर के पर्यटन विकास हेतु जिला पर्यटन विकास समिति में किन-किन सदस्यों को आमन्त्रित किया जाता है ? क्या इस समिति में नगर की सांस्कृतिक एवं साहित्यिक तथा पर्यटन सम्बन्धी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को उनके बहुमूल्य सुझाव प्राप्त करने के लिए समिति का पुनर्गठन अथवा समिति का विस्तार करने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। रेलवे स्टेशन, उदयपुर पर सूचना केन्द्र जो लगभग 1½ वर्ष से बन्द था, को जुलाई, 1990 से पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है।

(2) जी नहीं। रोप-वे हेतु स्थान का अन्तिम चयन होने के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

(3) जी नहीं। उदयपुर-जैसलमेर-सिरोही, बीकानेर, रणकपुर, जयपुर, जोधपुर हेतु वायुदूत सेवा प्रारम्भ करने के लिए अभी हाल ही केन्द्रीय पर्यटन मंत्रीजी के उदयपुर आगमन पर मौखिक अनुरोध किया गया था। केन्द्रीय पर्यटन मंत्रीजी ने एक हैलीकाप्टर देने का तत्काल आश्वासन दिया है।

(4) विभाग के पास इस तरह के शिलान्यास की कोई सूचना नहीं है।

(5) विभाग द्वारा उदयपुर में अप्पू घर के लिए जिला कलक्टर को उपयुक्त स्थान पर भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। प्लेनेटोरियम बनाने की कोई योजना इस विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(6) पर्यटन के विकास हेतु जिला स्तर पर गठित स्थायी समिति में निम्न सदस्य होते हैं :—

1. जिला कलक्टर—अध्यक्ष
2. सचिव, नगर विकास न्यास/आयुक्त नगरपालिका/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका—सदस्य

(पर्यटन मन्त्री) मनोनीत प्रतिनिधि—सदस्य

3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मनोनीत अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता के स्तर का)—सदस्य

4. निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि—सदस्य

5. पर्यटक अधिकारी—सदस्य सचिव

इस समिति के पुनर्गठन की कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। समिति के गठन हेतु प्रसारित आदेशों की प्रति संलग्न है।

राजस्थान–सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(प्रशासनिक सुधार, अनु. 3)

क्रमांक प. 6 (20) प्र. सु. 3/90 जयपुर, दिनांक 9 जुलाई, 1990

–: आज्ञा :–

राज्य में पर्यटन के विकास हेतु राज्यपाल महोदय निम्नलिखित सदस्यों की जिला स्तर पर स्थायी समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. जिलाधीश — अध्यक्ष
2. सचिव, नगर विकास न्यास/आयुक्त नगरपालिका/अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका — सदस्य
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मनोनीत अधिकारी (अधिशाषी अभियन्ता के स्तर का) — सदस्य
4. निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि — सदस्य
5. पर्यटन अधिकारी — सदस्य सचिव

उक्त समिति की बैठक तीन माह में एक बार होगी। जिस जिले में पर्यटक सूचना केन्द्र नहीं है उनमें पास के जिले के पर्यटक अधिकारी कार्यभार देखेंगे। समिति का प्रशासनिक विभाग पर्यटन विभाग होगा।

आज्ञा से,

ह०/-

उप शासन सचिव

280

अपना गांव अपना काम योजना के अन्तर्गत राशि आवण्टन का मापदण्ड

311. श्री गुलाब सिंह (सुमेरपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में आरम्भ की गई "अपना गांव अपना काम" योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा गांवों में दी जाने वाली 70 प्रतिशत राशि की अधिकतम एवं न्यूनतम सीमा के मापदण्ड क्या हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या इस योजना के तहत दानदाता या संस्था द्वारा 30 प्रतिशत सहयोग देने पर अपना या संस्था का नामकरण कर सकेगा ? यदि हां, तो क्या ऐसी योजना सरकार शहरों में भी लागू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) 'अपना गांव–अपना काम" योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार 30 प्रतिशत राशि जन सहयोग से उपलब्ध कराने पर शेष 70 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी जाती है । प्रत्येक विधान-सभा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपये की राशि के कार्य लिये जा सकते हैं ।

(2) जी नहीं ।

रोजगार कार्यालयों में पंजीबद्ध बेरोजगार आशार्थी

312. श्री हरीश झामनानी (अजमेर पश्चिम) : क्या नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के रोजगार कार्यालयों में जीवित पंजिका पर 31-12-1990 को बेरोजगार आशार्थियों की संख्या क्या थी ?

(2) राज्य में रोजगार कार्यालयों में पंजीबद्ध अनुसूचित जाति के बेरोजगारों की संख्या कितनी है ?

(3) अजमेर जिले के रोजगार कार्यालय में पंजीबद्ध बेरोजगार आशार्थियों की संख्या 31-12-1990 तक कितनी थी ?

(4) राज्य में 1 अप्रेल, 1990 से 31 जनवरी, 1991 तक विभिन्न रोजगार कार्यालयों द्वारा स्वरोजगार के लिये कितने आशार्थियों को स्वरोजगार दिलवाया गया ?

उत्तर

(1) राज्य के रोजगार कार्यालयों में जीवित पंजिका पर 31–12–90 को 9,15,018 बेरोजगार आशार्थी पंजीकृत थे ।

(2) राज्य में रोजगार कार्यालयों में 31-12-90 तक पंजीबद्ध अनुसूचित जाति के बेरोजगारों की संख्या 1,32,048 थी ।

(3) अजमेर जिले के रोजगार कार्यालय में 31-12-90 को पंजीबद्ध बेरोजगार आशार्थियों की संख्या 51,636 थी ।

(4) राज्य में 1 अप्रेल, 1990 से 31 जनवरी, 1991 तक रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 5413 आशार्थियों को स्वरोजगार दिलाया गया ।

शीत लहर एवं ओलों से फसलों को हुई क्षति

313. डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(डा. चन्द्रभान)

(1) क्या यह सही है कि राज्य में शीत लहर एवं ओले पड़ने से रबी की फसलों जैसे, गेहूं, सरसों, चना एवं जौ को काफी नुकसान पहुंचा है? क्या सरकार किसानों की फसलों के नुकसान का क्षतिपूर्ति हेतु सर्वे करवा कर मुआवजा देने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो प्रति एकड़ कितने रुपये का मुआवजा देने का विचार है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। किसानों की फसलों को हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। किसानों की फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु मुआवज़ा देने का प्रावधान नहीं है। सीमान्त कृषक एवं लघु कृषकों को 200/– रुपये प्रति हैक्टेयर खाद, बीज हेतु अनुदान देय है जो कि क्षतिपूर्ति की आंकलन रिपोर्ट आने के पश्चात् दिया जायेगा।

मकराना औद्योगिक क्षेत्र के लघु उद्योगों को कनेक्शन हेतु विचाराधीन प्रार्थना-पत्र

314. **श्री बिरधाराम चौधरी** (मकराना) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मकराना औद्योगिक क्षेत्र में फरवरी, 1991 तक कितने लघु एवं बड़े उद्योगों के विद्युत कनेक्शन के प्रार्थना पत्र पैण्डिग हैं? क्या जो प्रार्थना पत्र पैण्डिग हैं उनके बाद के प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर विद्युत कनेक्शन दे दिये गये हैं। पैण्डिग प्रार्थना-पत्रों पर कब तक कनेक्शन दे दिये जायेंगे?

(2) ग्राम बूडसू की आबादी करीब 5000 है एवं उसके आसपास के ग्राम विद्युतीकृत हैं जिनमें करीब 250 कुओं पर कनेक्शन हैं लेकिन बूडसू में 33 के. वी. का जी. एस. एस. नहीं होने से किसानों को बड़ी भारी कठिनाई होती है। इस संबंध में किसानों ने कई बार बूडसू में 33 के.वी. का जी. एस. एस. लगाने हेतु प्रार्थना पत्र दिये हैं, क्या विद्युत विभाग बूडसू में 33 के.वी. का जी. एस. एस. लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) मकराना उपखण्ड के अधीन लघु उद्योग, मध्यम उद्योग एवं वृहत् उद्योगों के क्रमशः 181,68 एवं शून्य प्रार्थना-पत्र माह फरवरी, 1991 तक कनेक्शन हेतु विचाराधीन हैं। लम्बित प्रार्थना-पत्रों में से बाद में आने वाले प्रार्थना पत्रों में से 3 कनेक्शन उक्त उपखण्ड के अधीन वरीयता लांघ कर मण्डल की नीति के अनुसार ट्रान्सफार्मर की कीमत जमा कराने पर आवेदक को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर दिये गये हैं। शेष लम्बित प्रार्थना पत्रों का निपटारा उपलब्ध वित्तीय साधनों, बजट एवं सामान की उपलब्धता के अनुसार किया जा सकेगा। अतः निश्चित समयावधि बताना अभी संभव नहीं है।

(2) ग्राम बूडसू में 33 के. वी. सब स्टेशन बनाने के प्रस्ताव की तकनीकी दृष्टि से जांच की जा रही है। स्वीकृति से पूर्व समयावधि बताना संभव नहीं है।

स्पेशल स्कीम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता

315. **श्री केदार नाथ शर्मा** (श्रीगंगानगर) : क्या एकीकृत ग्रामीण विकास एवं विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने स्पेशल स्कीम के अन्तर्गत अधिक सहायता प्राप्त करने के लिये केन्द्र सरकार को कब-कब लिखा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या केन्द्र सरकार ने स्पेशल स्कीम के अन्तर्गत कुछ राज्यों को आर्थिक सहायता देना तय किया है ? यदि हां, तो क्या उसमें राजस्थान राज्य को भी सम्मिलित किया है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार स्पेशल स्कीम के नाम से कोई योजना नहीं चला रही है, अतः केन्द्र सरकार को लिखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) केन्द्र सरकार स्पेशल स्कीम के नाम से कोई सहायता नहीं दे रही है। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

सोजत एवं मारवाड़ जंक्शन (पाली) के चिकित्सालयों में रिक्त पद

316. **श्री प्रभूराम गरासिया** (पिंडवाड़ा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की सोजत एवं मारवाड़ जंक्शन की पंचायत समितियों के आयुर्वेदिक औषधालयों में कितने एवं कहां-कहां पर चिकित्सकों एवं कम्पाउण्डरों के पद कब कब से रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

(3) उक्त औषधालयों में जनवरी, 1990 से आज तक किन किन चिकित्सालयों में कितनी-कितनी राशि की दवाइयां भेजी गयीं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वांछित विवरण (परिशिष्ट–"क") सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) चिकित्सकों एवं नर्स कम्पाउण्डर के रिक्त पदों पर नियुक्तियां शीघ्र ही की जा रही हैं।

(3) वांछित विवरण (परिशिष्ट–"ख") सदन की मेज पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट—"क"

पाली जिले की सोजत एवं मारवाड़ जंक्शन पंचायत समितियों में संचालित आयुर्वेद औषधालयों में चिकित्सक एवं नर्स/कम्पाउण्डर के रिक्त पदों का विवरण

क. सं.	नाम औषधालय	पंचायत समिति	पदस्थापित/रिक्त पद का विवरण	
			चिकित्सक	नर्स/कम्पाउण्डर
1.	खारिया नींव	सोजत	पदस्थापित	पदस्थापित
2.	बगडी	,,	,,	,,
3.	बिलावास	,,	,,	,,
4.	रूपावास	,,	फरवरी, 91 से	पदसृजित नहीं
5.	सुरायता	,,	रिक्त पदस्थापित	पदस्थापित
6.	रेन्दडी	,,	,,	,,
7.	धाकडी	,,	,,	,,
8.	बीजागुढा	,,	,,	पदसृजित नहीं
9.	दूदोड	मारवाड जंक्शन	,,	पदस्थापित
10.	कन्टालिया	,,	,,	,,
11.	बोपारी	,,	,,	,,
12.	देवली	,,	,,	,,
13.	पांचोटिया	,,	,,	,,
14.	खारची-मारवाड जंक्शन	,,	,,	,,
15.	सिनला	,,	,,	पदसृजित नहीं
16.	सेवाज	,,	,,	पदस्थापित
17.	भिमालिया	,,	,,	जुलाई, 90 से
18.	निपल	,,	,,	पदस्थापित
19.	कराडी	,,	फरवरी, 90 से	,,
20.	आऊवा	,,	रिक्त पदस्थापित	,,
21.	मुसालिया	,,	,,	,,
22.	जाणून्दा	,,	जनवरी 90 से	,,
23.	जोजावर	,,	रिक्त पदस्थापित	,,
24.	सोजत सिटी	शहरी क्षेत्र	,,	,,
25.	सोजत रोड	,,	,,	,,
26.	मान्डा	मारवाड जंक्शन	पदस्थापित	पदस्थापित

नोट :—पांचोटिया औषधालय में चिकित्सक श्री रामेश्वरलाल का पदस्थापन किया हुआ है, किन्तु उन्होंने स्थानान्तरण पर न्यायालय से स्टे ले रखा है। वे अपने पूर्व पदस्थापित स्थान औषधालय अमरपुरा (जिला-उदयपुर) में कार्यरत हैं।

284

परिशिष्ट—"ख"

पाली जिले की सोजत व मारवाड जंक्शन पंचायत समिति क्षेत्र में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालय/चिकित्सालय को जनवरी 1990 से 21–2–91 तक वितरित औषधियों की राशि का विवरण

क्र. सं.	स्थान औषधालय	पंचायत समिति	दिनांक	वितरित औषधियों की राशि (रुपयों में)	
1	2	3	4	5	
1.	मारवाड जंक्शन	मारवाड जंक्शन	24-3-90	2099 80	
2.	कराड़ी	,,	25-7-90	1309.85	3409.65
3.	आउवा	,,	25-7-90		1309.85
			24-3-90	2019.90	
			3-8-90	1309.85	3329.75
4.	जोजावर	,,	3-8-90		1309.85
5.	कन्टालिया	,,	24-3-90	2019.90	
			3-8-90	1309.85	3329.75
6.	देवली	,,	3-8-90		1222.85
7.	माण्डा	,,	27-8-90		1554.60
8.	मुसालिया	,,	8-3-90	1630 35	
			3-8-90	1309.85	2940.20
9.	जाणुन्दा	,,	3-8-90		1309.85
10.	दूदोड	,,	3-8-90		1309.85
11.	वोपारी	,,	3-8-90		1222.85
12.	पाचेटिया	,,	25-7-90		1309.85
13.	सिनला	,,	3-8 90		1222.85
14.	सेवास	,,	27-8-90		1554.60
15.	भिमालिया	,,	27-8-90		1554.60
16.	निपल	,,	24-3-90	2019.90	
			25-7-90	1309.85	3329.75
17.	सोजत सीटी	शहरी क्षेत्र	8-3-90	1630.35	
			19-7-90	1979.50	3608.85
18.	सोजत रोड	,,	24-3-90	2099.80	
			19-7-90	1978.50	4078.30
19.	बगडी	सोजत	24-3-90	2099 80	
			27-8-90	1554.60	3654.40
20.	बिलावास	,,	24-3-90	2019.90	
			19-7-90	1978.50	3988.40

1	2	3	4		5
21.	खारियानीव	सोजत	19-7-90		1978.50
22.	रूपावास	,,	19-7-90		1978.50
23.	सुरायता	,,	24-3-90	2019 90	
			19-7-90	1978.50	3998.40
24.	बिजागुडा	,,	27-8-90		1554.60
25.	रेन्दडी	,,	24-3-90	1912.20	
			27-8-90	1554.60	3466.80
26.	धाकडी	,,	19-7-90	1978.50	
			25 7-90	1309.85	3288.35

पुलिस स्टेशन डीग का क्रमोन्नयन

317. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (डीग) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ डीग क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार डीग पुलिस स्टेशन को अपग्रेड करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) डीग विधान सभा क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम हेतु सरकार क्या कोई नयी पुलिस चौकी अथवा थाना खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां पर ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उत्तरप्रदेश से जुड़ा हुआ डीग क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पुलिस स्टेशन डीग के अपग्रेड करने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय स्तर पर विचाराधीन है।

(2) डीग विधान सभा क्षेत्र में नयी पुलिस चौकियां खोलने के प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, जिला भरतपुर से प्राप्त हुए हैं, जो कि अभी पुलिस मुख्यालय, जयपुर के स्तर पर विचाराधीन है। नया थाना खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पुलिस मुख्यालय पर विचाराधीन प्रस्तावित नयी चौकियों के नामों का विवरण (परिशिष्ट—"अ") सदन की मेज पर रख दिया गया है।

चौकियों का विवरण

1. पुलिस थाना डीग के अंतर्गत प्रस्तावित चौकी :—
   1. ग्राम पूंछरी
   2. ग्राम सिनसिनी
2. पुलिस थाना सीकरी के अंतर्गत प्रस्तावित चौकी :—
   1. ग्राम गुलपाड़ा
3. पुलिस थाना पहाड़ी के अन्तर्गत प्रस्तावित चौकी :—
   1. ग्राम कैथवाड़ा
4. पुलिस थाना जुरहरा के अन्तर्गत प्रस्तावित चौकी :—
   1. ग्राम नौनेरा

डी. पी. ए. पी. व समूह नलकूप योजना के अन्तर्गत नलकूपों का निर्माण

318. **श्री परसादी लाल** (लालसोट) : क्या भू-जल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डी. पी. ए. पी. व समूह नलकूप योजना के अन्तर्गत नलकूप का निर्माण करने हेतु कुछ शर्तों के अन्तर्गत एक निश्चित प्रक्रिया अपनाना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या-क्या शर्तें हैं ? शर्तों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या परियोजना अधिकारी भू-जल विभाग जालौर ने डी. पी. ए. पी. के व समूह जल योजना के अन्तर्गत नलकूप निर्माण हेतु निर्धारित शर्तों का पालन किया है ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी ने किस-किस स्थान पर किस-किस किसान के खेत पर कब कब नलकूप का निर्माण करवाया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी ने एक ही किसान की जमीन पर नियमों के विपरीत दो नलकूप खुदवाये हैं ? यदि हां, तो किसके खेत पर व क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त अधिकारी के द्वारा किये गये 20 लाख रुपयों के गबन व बुरे आचरण के आरोप पर मुख्य मन्त्रीजी की सिफारिश पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने प्रकरण सं. 932/90 श्री सत्येन्द्र मोहन कंवर अधिशाषी अभियंता भू-जल विभाग जालौर के विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज की है ?

(5) क्या दिनांक 4-5-1990 को लिखित में देने के बाद भी विभाग ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि "समूह नलकूप योजना" एवम् डी. पी. ए. पी. योजना हेतु निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत नलकूपों के निर्माण में निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती थी। नलकूप निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपलब्ध अभिलेख के अनुसार प्रक्रिया/शर्तों के उल्लंघन की कोई शिकायत नहीं आयी है। योजना अन्तर्गत निर्माण किये गये नलकूपों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। यह सही है कि वर्ष 72 से 78 के बीच एक ही किसान की जमीन पर समूह नलकूप योजना एवम् डी. पी. ए. पी. योजना के अन्तर्गत एक से अधिक नलकूपों का निर्माण किया गया है। सामान्यतः ऐसा प्रथम नलकूप असफल रहने व क्षेत्र में भू-जल संभावित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण द्वितीय नलकूप का निर्माण किया गया। जिन किसानों की जमीन पर एक से अधिक नलकूप खोदे गये हैं उनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) जी नहीं। एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की गई है। परन्तु उक्त अधिकारी के विरुद्ध माननीय मुख्य मंत्री जी के निदेशानुसार भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (वर्तमान में राज्य अन्वेषण ब्यूरो) में परिवाद सं० 932/90 पंजीबद्ध किया गया है।

(5) राज्य अन्वेषण ब्यूरो से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही आगे कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 482 की सूची

भारत सरकार को भेजे गये प्रस्ताव

	प्रस्तावित लागत लाखों में	प्राप्त स्वीकृति लाखों में
1. ऊटगिर–करणपुर	63.25	63.00
2. करणपुर–रोंधई	210.18	210.18
3. रोंधई–मण्डरायल	60.50	60.50
4. मण्डरायल–औंध	68.00	70.00
5. ओंध–भोमपुरा	67.81	67.61
6. कैलादेवी से करणपुर	123.40	123.40
7. लांगरा–कालीखेत–रोंधई	132.30	230.00
8. कैलादेवी–लांगरावाया चौबे की भादरपुर	119.62	180.90
9. ओंध–चन्देलीपुरा	62.35	65.00
10. चन्देंलीपुर–तीनपोखर लांगरा	75.10	113.50
11. चन्देलीपुरा से सरमथुरा	62.93	62.92
12. बालेर से ऊटगिर	72.30	84.00

(288)

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 483 की सूची

स्वीकृत सड़कों के कार्यों का ब्योरा :—

क्र. सं.	सड़कों का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति राशि (लाखों में)	प्रशासनिक स्वीकृति की तारीख	कार्य पूर्ण होने की सम्भावना
1	2	3	4	5
1.	निर्माण कार्य सम्पर्क सड़क करडवाली से रायसिंह नगर वाया मोहननगर रेल्वे स्टेशन किमी. 0/0 से 7/0	19.50	18.6.84	6.450 किमी. सड़क पर कारपेट हो चुका है केवल 550 मीटर लम्बाई का कार्य शेष है जो कि 30-6-91 तक पूर्ण होने की संभावना है।
2.	निर्माण कार्य सड़क 20 पी. एस. से रिडमल सर किमी. 0/0 से 7/0	22.50	18-6-84	7 किमी. लम्बाई तक कारपेट हो चुका है।
3.	निर्माण कार्य सम्पर्क अनूपगढ़-रायसिंहनगर मार्ग से ग्राम 32 पी एस. तक किमी. 0/0 से 5/0	15.00	18-6-84	सड़क का निर्माण नहर की बाउण्ड्री में किया जाना है जिसके लिए सिंचाई विभाग स्वीकृति नहीं दे रहा है।
4.	निर्माण कार्य सम्पर्क सड़क अनूपगढ़-रायसिंह नगर मार्ग से ग्राम 30 पी. एस. तक किमी. 0/0 से 2/500	4.50	18-6-84	मैटीरियल सप्लाई कार्य जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत चल रहा है। सड़क 30-3-91 तक पूर्ण होने की संभावना है।

1	2	3	4	5
5.	निर्माण कार्य सम्पर्क सड़क करणपुर-गजसिंहपुर से ग्राम 71 आर. बी. किमी. 0/0 से 1/0	1.50	18-6-84	डब्ल्यू. बी. एम. के लिए 400 मीटर लम्बाई में पत्थर की सप्लाई का कार्य पूर्ण हो चुका है कुटाई का कार्य प्रगति पर है। जो कि 31-3-91 पक पूर्ण हो जायेगा।
६.	निर्माण कार्य सम्पर्क सड़क करणपुर-गजसिंहपुर से ग्राम 78 आर. बी. किमी. 0/0 से 2/0	3.00	18-6-84	पूर्व में प्रशासनिक स्वीकृति एम. एन. पी. योजना में प्राप्त हुई थी परन्तु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं हुआ उसके उपरान्त एन. आर. ई. पी. के अन्तर्गत एक किलोमीटर लम्बाई तक मिट्टी का कार्य हो चुका है। अब इस कार्य वास्ते वित्तीय प्रावधान उपलब्ध करवाने के लिए डी. आर. डी. ए. श्री गंगानगर से निवेदन किया गया है।
7.	निर्माण कार्य सम्पर्क सड़क 20 पी. एस. 8.00 लाख से रिडमलसर (पार्ट लेन्थ) रायसिंहनगर किमी. 7/0 से 9/500 तक	3.00	21-10-89	मैटीरियल सप्लाई का कार्य धीमी गति से चल रहा है सड़क 31-12-91 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।
8.	निर्माण कार्य सड़क रिडमलसर से 20 पी. एस. (पार्ट लेन्थ) पदमपुर किमी. 0/0 से 2/0	6.00	21-10-89	1.750 किमी. लम्बाई तक कारपेट कार्य पूर्ण हो चुका है इस स्वीकृति में इतना ही कार्य है।

(290)

1	2	3	4	5
9.	निर्माण कार्य सड़क मांजुवास से बींझबायला 0/0 1/500 तक	5.00	21-10-89	1.500 किमी. लम्बाई तक कारपेट हो चुका है।
10.	निर्माण कार्य सम्पर्क सड़क सी. सी. हैड से हनुमानगढ़ तक किमी. 0/0 से 3/0	4.50	22-1-90	कार्य शुरू नहीं किया गया।
11.	निर्माण कार्य सम्पर्क सड़क पदमपुर-जैतसर ग्राम तामकोट किमी. 0/0 से 1/0	1.50	22-1-90	कार्य शुरू नहीं किया गया है।
12.	निर्माण कार्य सम्पर्क सड़क पदमपुर-जैतसर से ग्राम 3 एम. के. किमी. 0/0 से 1/0	1.50	22-1-90	उपरोक्तानुसार
13.	निर्माण कार्य सम्पर्क सड़क पदमपुर से ग्राम 11 पी. एस. किमी. 0/0 से 1/0	1.50	22-1-90	उपरोक्तानुसार

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 485 की सूची

बांसवाड़ा जिले में अकाल राहत कार्य की अधूरी सड़कों की सूची :—

क. सं.	सड़क का नाम	क. सं.	सड़क का नाम
1	2	1	2
1.	खोडन उम्बाड़ा रोड़	23.	अरनिया देवलिया
2.	हिम्मतगढ़ का गढ़ा से लसाड़ा	24.	भालडिया साकलिया
3.	कुशलकोट पारसोलिया	25.	कुशलपुरा सागेता
4.	परतापुर हरमतिया	26.	निचली मोरडी ईसरवाला
5.	एप्रोच रोड़ रोहिडा	27.	मोटागांव रन्छोडिगा
6.	रैयाना पादेडी वाया पंचवाड़ा	28.	एप्रोच रोड़ निचली मोरडी
7.	भीमपुर रातडिया (पाडा)	29.	एप्रोच रोड़ नागदेला जेदला
8.	बेखतपुरा उदेला	30.	घाटोल बडी पडाल
9.	खेडा चिबूडा तलाई	31.	पाडोली गोर्धन बस्सी
10.	चौपासिंग धनकोट मोटा वाया बाकावाड़ा	32.	एप्रोच रोड़ कामजी का घाटा
		33.	घाटोल चोकडी
11.	अरथुना, भानोका पाडा रोड़	34.	एप्रोच रोड़ बोडी डिगामा
12.	सुन्दनी जनतोडा	35.	एप्रोच रोड़ कुवानिया
13.	एप्रोच रोड़ सरेडी (छोटी)	36.	दानपुर डूंगलावानी
14.	बाका कपडा वाया गलकिया	37.	एप्रोच रोड़ मौकमपुरा
15.	छिछ तलवाड़ा	38.	एप्रोच रोड़ खजूरी
16.	कूपडा सालिया खिकरिया	39.	एप्रोच रोड़ सोडलपुर
17.	सागवाडिया वजवाया	40.	एप्रोच रोड़ वोरक्ट
18.	आसन अकलेश्वर महादेव	41.	एप्रोच रोड़ कूपडा
19.	एप्रोच रोड़ बोदला सियापुर	42.	एप्रोच रोड़ सरवन फेफर
20.	सुखानिया सामरिया	43.	एप्रोच रोड़ कोटडा
21.	कोहाला सागवाड़िया	44.	घाटोल नेगरेट
22.	गलकिया अरनिया सड़क	45.	तलवाड़ा मसोदिया

1	2	1	2
46.	सुन्दरपुर गामदी	53.	आनन्दपुरी डोकर
47.	सुरपुर भीलवन	54.	कूपा आनन्दपुरी
48.	बडोदिया नोगाम	55.	लिंक रोड़ भील कुआ-कुशलगढ़-उदयगढ़
49.	शेरगढ़ डाबरी फलवा	56.	चोरा कसारवाडी
50.	बडोदिया करजी बूड़वा	57.	सज्जनगढ़ इटाला
51.	पाड़लिया बड़ोदिया		
52.	छींछ नोगामा पिण्डारमा		

अकाल राहत कार्यों की अधूरी पड़ी हुई सड़कों की वर्ष 1990–91 में जवाहर रोजगार योजना (सामान्य) के तहत दी गई स्वीकृतियों की सूची।

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि लाखों में
1.	केसरपुरा से पादेडी सड़क	1.00
2.	पीपलखूंट दानपुर सड़क	0.50
3.	सुखानिया सांभरिया	2.00
4.	निचली मोरडी से सागथली वाया नागदला जेदला	2.00
5.	नेगरेट से घाटोल	2.00
6.	बस्सी आडा से पाडोली गोर्धन	2.00
7.	शेरगढ़ फलवा मार्ग	2.00
8.	आनन्दपुरी कोबा	2.00
9.	छींछ पिंडारमा रोड़	2 00
10.	आनन्दपुरी डोकर मार्ग	1.00
11.	सज्जनगढ़-ईटाला सड़क	2.00

कुशलगढ़ क्षेत्र में जवाहर रोजगार योजना के तहत वर्ष 1990–91 में स्वीकृत सड़कों का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	कुल लम्बाई किमी. में	स्वीकृत राशि लाख रुपये में	स्वीकृत लम्बाई किमी. में
1.	कुशलगढ़-बड़वास	5.00	2.00	2.0
2.	भोयन घाटी से बिलडी	8.0	2.00	2.0
3.	(अ) रामगढ़ से बसूनी सड़क	7.0	2.00	2.0
	(ब) अंकाला से बसूनी सड़क	6.0	2.00	2.0
4.	छोटा डूंगरा से फेरवाया जालिमपुरा	9.0	2.00	2.0

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न संख्या 487 की सूची

Resident Doctor's Association

(R. N. T. Medical College & Attached Group of Hospitals)

Udaipur-1987-88

To,
The Minister of Health,
Government of Rajasthan,
Jaipur.

Through :—Proper Channel.

Subject :—Indefinite Strike of Resident Doctors, CAS (PG) Doctors, Diploma Doctors and Undergraduate Students of R. N. T. Medical College, Udaipur From 1st August, 1988 In Protest of Negligence and Mismanagement of Dr. Raj Kumari, Who Expired on 31-7-88 and for Immediate Action Against Responsible Senior Doctors.

Hon'ble Sir,

With great regret it is to state that Dr. Raj Kumari Verma, who was a Resident Doctor in Obst. & Gynaec. Deptt. of S. M. S. Hospital, Jaipur, wife of Dr. Kamal Kishore Verma, Resident Doctor in Tuberculosis and Chest Disease Department of R. N. T. Medical College, Udaipur was expired on 31-7-1988 (3.00 A. M.) in R. N. T. Medical College Hospital due to negligence and mismanagement of some senior doctors.

Dr. Raj Kumari was having fever with vomitting, for which she attended Accident-Emergency Deptt. of the Hospital at about 8.30 on 30-7-88. She was shifted to Ward No. 6D at about 10.30 P. M. and expired at 3.00 A. M. (31-7-88). She was misdiagnosed and mismanaged by Dr. Girish Verma, (Assistant Professor in Medicine) in Emergency as well as Ward and due to his wrong treatment her condition deteriorated speedily. Dr. D. C. Kumawat (Asstt. Professor in Medicine) who is staying in Govt.

Quarter of Hospital Campus and Dr. M. M. Mangal (Asstt. Professor in Surgery) refused to attend her in the ward. Due to mismanagement & negligence of atleast these three Doctors, she expired.

In protest of this mismanagement and extreme negligence and for immediate action against concerncd Senior Doctors, Resident Doctors, CAS (P. G.) Doctors, Diploma Doctors and undergraduate Students of R. N. T. Medical College, Udaipur are on indefinite strike from 1st August, 1988.

Principal & Controller of R. N. T. Medical College was informed times and again regarding our grievances. Although, concerned Preliminary Committee (though report was incomplete and some facts were distrorted) proved some Senior Doctors to be responsible, but College Authority failed to take any action against guilty doctors.

Hence, we request you to interfere into the matter urgently.

We demand that :

(1) Concerned Senior Doctors should be punished immediately in the form of Vacating the Government Quarter, suspension, transfer warnings and issue of Charge–Sheets.

(2) A Full-Fliedged Enquiry Committee is to be formed under Chairmanship of an Impartial Competent Authority, and Committee should Consist of atleast one Member of R. D. A.

We once again request you to take immediate action, till then our indefinite strike will be continued. Authorities shall remain responsible for all the consequences.

Sincerely yours,

Sd.
(Dr. H. S. Meena)
President

Sd.
(Dr. Dhiraj Khandelwal)
General Secretary

The Enquiry Committee consisting of :-

1. Dr. M. R. Mehta, Professor in Medicine S. N. Medical College, Jodhpur.
2. Dr. Harbans Singh, Professor in Surgery And S. N. Medical College, Jodhpur.
3. Gurjot Kaur, Deputy Secretary, Medical & Health Deptt. Govt. of Rajasthan, Jaipur.

Met on 24th and 26th of July, 1989 in the R. N. T. Medical College, Udaipur in pursuance of the Govt. of Rajasthan's Order No. F. 16 (7) ME/GR. I/88 dated 10-7-1989.

The Committee was to enquire whether any carelessness or negligence on the part of any doctors/staff was responsible for the death of Dr. Raj Kumari.

The Enquiry Commitee perused the documentary proof of treatment given to Dr. Raj Kumari.

(a) Bed-head tickets

(b) Ambulance slips

(c) New Admission Register-28/6 CD.

The Enquiry Committee also remained the complaints lodged by the Resident doctors and by the relatives.

The statements of the following persons were recorded on 24th and 25th of July, 1989.

1. Dr. Kamal Kishore Verma, husband of the deceased Dr. Raj Kumari.
2. Shri H. L. Verma, Father in Law of the deceased Dr. Raj Kumari.
3. Shri Mohan Lal Meena, Brother of the deceased Dr. Raj Kumari.
4. Dr. Manju Chandel, Registrar Medicine.
5. Shri Vipin Chobisa, Nursing Student.
6. Dr. Sunanda Gupta, Associate Professor in Anaesthesia.

7. Shri Virdhi Chand Sogani, Ward Boy.
8. Shri Bhagwati Prasad, Male Nurse Grade II.
9. Shri Abdul Shakura, Male Nurse Grade II.
10. Dr. K. K. Agrawal, Assistant Professor in Opthhalomology.
11. Dr. M. M. Mangal, Asstt. Professor in Surgery.
12. Dr. Rajiv Saxena, Registrar in Medicine.
13. Dr. L. K. Bhatnagar, Associate Professor in Medicine.
14. Dr. D. C. Kumawat, Assistant Professor in Medicine.
15. Dr. Girish C. Verma, Assistant Professor in Medicine.
16. Dr. H. N. S. Bhatnagar Professor in Medicine,
17. Dr. Mohan Lal Vaid, Senior Registrar, JBD CD.
18. Dr. Arun Sharma, CMO, Resident Radiology.
19. Dr. B. S. Bomb, Associate Professor in Medicine.
20. Dr. R. S. Meena, P. G. Student.
21. Dr. Suresh Bhatnagar, CMO, Resident in Orthopaedics.
22. Dr. Mahesh Bhatnagar, CAS (P. G.) in Medicine.
23. Dr. Dheeraj Khandelwal and
24. Dr. Pradep Bhowanik–who represented the R. D. A. were also given a personal hearing.
25. Dr. Ajay Swami, Registrar in Anaesthesia.

Shri Bhagwan Das, father of the deceased Dr. Raj Kumari and Dr. N. L. Khainal, then Resident in Surgery, could not be present but their written statements were given to the Enquiry Committee which were kept in the record.

Some of the above mentioned witnesses too, gave their written statements too as weel as some documents/letters which were also kept in the record by the Committee.

The Enquiry Committee addressed itself to the following questions. :—

1. Whether the diagnosis of Dr. Girish Verma was correct or not ?

2. When Dr. Girish Verma came to attend on the patient Dr. Raj Kumari, was he in a state of drunkenness ?

3. Was any interference made by Dr. Girish Veıma in the treatment being given to the patient Dr. Raj Kumari in the Ward 6-ED. ?

4. Whether the patient was in a fit condition to be shifted to the ward ?

5. Whether Dr. D. C. Kumawat was negligent in not attending the call in the ward ?

6. Whether Dr. M. M. Mangal was negligent in not attending the call in the ward for vene section ?

7. Was there any delay on the part of Dr. L. K. Bhatnagar in attending the call in the ward ?

8. Whether ths ventilation was needed. If yes, was it available ?

9. Was the treatment in the Emergency and in the ward (6 CD) adequate ?

The Enquiry Committee went through all the documents and statements of the witnesses. Its findings are as follows :

1. Dr. Girish Verma has mentioned that the patient had een given the Injection perinevm and that the patient showed the symptoms like dystonia, which led it his diagnosis of Extra Pyramidial syndrome (E. P. S.) for which he advised treatment subsequently the final diagnosis arrived in the ward was Anaphylactic shock. This was an error judgement on the part of Dr. Girish Verma.

2. As far as the question of Dr. Girish Verma being drunk while he attended on the patient Dr. Raj Kumari is concerned, it

is only the relatives and the friends of the deceassed, who have mentioned that Dr. Girish Verma had been drunk at that time. The other doctors who were on duty in the Emergency and in the ward did not provide any positive proof that Dr. Girish Verma had been drunk while he was attending on Dr. Raj Kumari. On the other hand; Dr. H. N. S. Bhatnagar and L. K. Bhatnagar, Professor and Associate Professor in Medicine respectiely have categorically denied that he was drunk while attending on the patient Dr. Raj Kumari in the ward.

4. The parameters of the patient had not been recorded at the time of shifting the patient to the ward either by the CMO's Dr. Arun Sharma and Dr. Suresh Bhatnagar, nor by Dr. G. C. Verma (Physicin on call) on arrival in the ward, the Resident doctor Mahesh Bhatnagar noted that the pulse and the blood pressure was not recordable! This provides an obviovs inference that she was in a bad state, when the patient was shifted from the Emergency.

There is a record of now recordable blood pressure at 11.00 P. M. and 12.45 A. M. onwards. But for the interviewing period there is no record of any parameters available. Therefore, It is difficult to conclude whether the treatment advised by Dr. Girish Verma in the ward, had an adverse effect on the condition of the patient.

5. Though Dr. D. C. Kumawat was not on call duty in the ward yet he was expected to attend the call when informed on phone twice by the Resident doctor, Dr. Mahesh Bhatnagar especially since he was doctor of the same Unit and was residing in the campus.

6. Dr. M. M. Mangal received the call on an Ambulance slip but no ambulance was sent. The ambulance slip did not mention the details of the call (regarding the ward, condition of the patient) therefore he directed the call to his Registrar for doing the Vene-section. Thus there was no negligence on the part of Dr. M. M. Mangal.

(300)

7. There was no delay on the part of Dr. L. K. Bhatnagar in attending the patient, as he reached the ward. As soon as the ambulance was available at his residence, the first call was sent to Dr. L. K. Bhatnagar 11.45 P. M. but the ambulance was not available and a second call was sent at 12.40 A. M. when Dr. L. K. Bhatnagar came immediately. There is thus, no negligence on the part of Dr. L. K. Bhatnagar.

8. According to the statements given by Dr. Sunanda Gupta and by Dr. Ajay Swami, there was no need of ventilater when they attended the call in the ward and the patient was resusaitated by amber beg and Endo-trachial Intubation and Oxygen.

9. Upon arrival in the Emergency, the treatment prescribed by Dr. B. S. Bomb was instituted by the Resident doctors without informing the Associate Professor on duty in the Emergency. Dr. K. K. Aggarwal. After the patient developed Rigors, initially the patient was managed by the Resident doctors without again informing Dr. K. K. Aggarwal. In the meantime, the relatives of the patient called Dr. G. C. Verma who reached soon and institued his treatment which has been discussed above. After this the gravity of the situation was not assessed neither by the Resident doctors nor by the attending Physicians, because the parameters of the patient were not recorded and the patient reached the ward without a recordable pulse or blood pressure.

The treatment given in the ward instituted by the Resident doctors and by Dr. L. K. Bhatnagar was adequate.

on 25-7-1989 Sh. H. L. Verma mentioned that an important document written by the Rajiv Saxena is missing from the record, Both Dr. Shri H. L. Verma and Dr Rajiv Saxena were re-examined by the Committee. Dr. Rajiv Saxena mentioned that the record said to be missing is the notes of progress and treatment of the patient Dr. Raj Kamari on 30-7-1988, in ward 6 C. D. from 11.00 P M. to 12.45 A. M. A perusal of the record placed before the first

enquiry committee. instituted on 1-8-1988 shows that the said record was not produced even at that time. Therefore is no likelihood of any tampering with the record.

The patient Dr. Raj Kumari was attended by Dr. G. C. Verma, Assistant Professor in Medicine, Dr. L. K. Bhatnagar then Assistant Profesor in Medicine, Dr. H. N. S. Bhatnagar, then Associate Professor in Medicine and Dr. Sunanda Gupta Associate Professor in Anaesthecia.

Enclosed.

Documents/statments with a list thereof.

Sd.
25-7-1989
(Gurjit Kaur)
D. S. (Medical)

Sd.
25-7-1989
Dr. Man Raj Mehta
(Dr. Harbans Singh)
Prof. Surgery.

(302)

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 490 का विवरण

स्वीकृत पद	कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यरत तिथि	पद कब से रिक्त है।
1	2	3	4
कनिष्ठ विशेषज्ञ–4	1. डा. जगदीश बड़गूजर (मेडिसन) चि. अ.	2/91	—
	2. रिक्त (सर्जरी)	—	7/88
	3. रिक्त (गायनी)	—	7/88
	4. रिक्त (शिशु)	—	7/88
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी–2	1. डा. आनन्दीलाल शर्मा	7/90	—
	2. रिक्त	—	88-89
चिकित्सा अधिकारी–2	1. डा. (श्रीमती) प्रिती बड़गुर्जर	1/91	—
	2. डा. (सुश्री) हसीना बानू	11/90	—
मेल नर्स श्रेणी प्रथम–2	1. श्री चांदमल अलावत	5/88	—
	2. श्री डालचन्द सालवी	11/90	—
मेलनर्स श्रेणी–II–5	1. श्री घनश्याम पुर्बिया	7/90	—
	2. श्री महेन्द्र भाणावत	8/88	—
	3. श्री उमाकान्त	9/89	—

1	2	3	4
मेल नर्स श्रेणी–II–5	4. श्री भोलीराम	9/89	—
	5. श्रीमती मन्जू आहरी	8/88	—
स्टाफ नर्स–1	1. श्रीमती इन्द्र निमाना	1/91	—
नेत्र सहायक–1	1. श्री चौथमल सैनी	8/87	—
रेडियोग्राफर–1	1. श्री मणीराम मीणा	7/89	—
लैब. टैक्नी.–1	1. श्री सीताराम नाई	9/87	—
वरिष्ठ लिपिक–1	1. रिक्त	—	6/90 से
कनिष्ठ लिपिक–1	1. श्री मांगीलाल	10/89	—
वाहन चालक–1	1. श्री रामलाल	3/75	—
प्रसाविका–6	1. श्रीमती विनीता वायलेट	9/84	—
	2. श्रीमती जमना खाराडी	6/89	—
	3. श्रीमती नवल देवी	2/76	—
	4. श्रीमती जयनम्मा सी. एम.	9/87	—
	5. श्रीमती दुर्गा सोनी	6/90	—
	6. श्रीमती राजकुमारी यादव	12/90	—
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–8	1. श्री गहरी लाल	10/85	—
	2. श्री भैरू लाल चौधरी	9/70	—

1	2	3	4
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-8	3. श्री गोतमलाल हरिजन	6/84	—
	4. श्रीमती सुन्दरबाई	4/74	—
	5. श्री दीताराम कटारा	8/89	—
	6. श्री छगनलाल	9/89	—
	7. श्री मिठालाल	10/89	—
	8. श्री हीरालाल	2/90	—
कनिष्ठ लेखाकार-1	1. रिक्त	—	11/90

परिशिष्ट—10

अतारांकित प्रश्न संख्या 507 की सूची

अनु जाति/अनु. जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत 1 जुलाई, 1990 से 31 दिसम्बर, 1990 तक धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दर्ज हुए अभियोगों का विवरण :—

: परिशिष्ट : "क"

क्र. सं.	नाम जिला	दर्ज अभि.	पुलिस द्वारा दर्ज करने पर इस्तगासा	चालान	अंतिम प्रति-वेदन	अन्वेषणा-धीन	न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	8	—	1	5	2	—
2.	भीलवाड़ा	—	—	—	—	—	—
3.	नागौर	11	6	—	11	—	—
4.	जयपुर (शहर)	1	1	—	1	—	—
5.	जयपुर (ग्रा.)	5	—	2	3	—	—
6.	झुंझुनू	4	—	—	4	—	—
7.	सीकर	1	1	—	1	—	—
8.	टौंक	—	—	—	—	—	—
9.	भरतपुर	40	—	2	5	3	—
10.	अलवर	85	—	9	70	6	—
11.	स० माधोपुर	20	—	3	8	9	—
12.	धौलपुर	9	2	1	7	1	—
13.	बीकानेर	—	—	—	—	—	—
14.	चूरू	3	—	—	3	—	—
15.	श्रीगंगानगर	14	1	2	12	—	—
16.	जोधपुर	6	—	1	5	—	—
17.	जालौर	2	2	—	1	1	—
18.	जैसलमेर	3	—	—	3	—	—

(306)

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	बाड़मेर	8	—	—	8	—	—
20.	पाली	4	4	1	3	—	—
21.	सिरोही	4	—	1	3	—	—
22.	कोटा (शहर)	2	2	—	1	1	—
23.	कोटा (ग्रा.)	15	—	6	8	1	—
24.	बून्दी	4	—	—	4	—	—
25.	झालावाड़	18	—	6	8	4	—
26.	उदयपुर	25	—	7	18	—	—
27.	बांसवाड़ा	8	—	3	5	—	—
28.	चित्तौड़गढ़	1	—	—	1	—	—
29.	डूंगरपुर	—	—	—	—	—	—
30.	जी. आर. पी.	2	—	1	1	—	—
	कुल योग	273	19	46	199	28	—

परिशिष्ट—11

अतारांकित प्रश्न संख्या 508 की सूची

जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में स्वीकृत कार्यों की सूची

सार्वजनिक निर्माण विभाग

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	2	3
1.	सुन्दलक रेल्वे स्टेशन से ग्राम तक सड़क निर्माण कार्य	2.05
2.	सम्पर्क सड़क बरवटखेड़ी	0.70
3.	सम्पर्क सड़क बड़गांव किमी. 0/0 से 2/0	1.00
4.	सम्पर्क सड़क बड़गांव किमी. 2/0 से 5/0	1.97
5.	सम्पर्क सड़क मुडियर से राजपुर सड़क किमी. 8/500 से म. प्र. सीमा तक	6.00
6.	गऊघाट से ब्यावर सड़क किमी. 12/0 से 14/0	4.00
7.	सम्पर्क सड़क सीसवाली रायथल किमी. 2/0 से 4/0	5.00
8.	सम्पर्क सड़क हिंगोनिया	3.00
9.	सम्पर्क सड़क सहजनपुर	2.00
10.	आमली से धरडाना सड़क	1.70
11.	बामला से बामली सड़क	2.00
12.	सम्पर्क सड़क बमोरीकलां	7.00
13.	सम्पर्क सड़क रायथल	5.00
14.	सम्पर्क सड़क कुन्जेड	14.00
15.	सम्पर्क सड़क ग्राटोन	4.00
16.	सम्पर्क सड़क जलवाडा	13.00
17.	सम्पर्क सड़क बालदडा	2.00
18	सम्पर्क सड़क हरनावदा शाहजी	6.00
19.	सम्पर्क सड़क ढोलम	4.00
20.	सम्पर्क सड़क सीसवाली से मांगरोल शेष कार्य	2.40
21.	सम्पर्क सड़क रायथल	0.96

1	2	3
22.	सम्पर्क सड़क अन्ता से सांगोद	1.20
23.	सम्पर्क सड़क बड़गांव ग्राम	2.16
24.	सम्पर्क सड़क बमोरीकलां किमी. 5/0 से 8/0	6.30
25.	सम्पर्क सड़क खेडली तवरांन पं. स. सुल्तानपुर	1.60
26.	सम्पर्क सड़क कोटडादीपसिह ,,	3.40
27.	सम्पर्क सड़क बमोरी से सारोला ,,	6.00
28.	सम्पर्क सड़क सांगोद से जोल्पा ,,	5.00
29.	सम्पर्क सड़क कुन्दनपुर से मण्डाप पं. स. सांगोद	2.00
30.	सम्पर्क सड़क लक्ष्मीपुरा पं. स. इटावा	5.00
31.	सम्पर्क सड़क आंवा–खजूरना किमी. 1,2,3 पार्ट लैन्थ	4.00
32.	सड़क गऊघाट-ब्यावर 14/0 से 15/0 किमी.	3.00
33.	मिसिंग लिंक बायीं मुख्य नहर से पुलिया बालाजी का थाक	1.91
34.	सम्पर्क सड़क नोसाडा	1.00
35.	सम्पर्क सड़क लुहावद	7.00
36.	सम्पर्क सड़क कुन्दनपुर से मण्डाप	1.80
37.	सम्पर्क सड़क अडूसा से पालकिया	1.80
	योग	141.40

वन विभाग

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	2	3
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्य कैनाल प्ला.	0.325
2.	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्य	
	I. वर्ष 87 के कार्य II. वर्ष 86 के कार्य	0.14

1	2	3
	अ. वृक्ष विहीन पहाड़ियों पर वृक्षारोपण	0.095
	ब. वृक्ष विहीन पहाड़ियों पर प्रोसो. का वृक्षारोपण	0.19
	स. वृक्ष विहीन पहाड़ियों पर प्रोसो. का बीजारोपण	0.066
3.	वर्ष 89–90 में जेरोबों के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य में वृक्षारोपण	
	अ. परिभाषित वनों का वृक्षारोपण (कट स्टाक सहित)	0.63
4.	वर्ष 88 के वृक्षारोपण कार्यों का संधारण	
	अ. वृक्षारोपण कुन्जीस्वास	0.043
	ब. वृक्षारोपण पाली	0.042
5.	वर्ष 87 के वृक्षारोपण का संधारण	
	अ. वृक्षारोपण कुन्जीस्वास	0.119
	ब. वृक्षारोपण शेरगढ़	0.024
	स. वृक्षारोपण कोलूखेडी	0.095
	द. वृक्षारोपण राई	0.095
6.	पौध संधारण	
	अ. वर्ष 89 की पौधशालाओं का संधारण	0.60
	ब. वर्ष 89 के अर्जुन पौध संधारण	0.337
7.	वर्ष 87–88 में वृक्षारोपण का संधारण	
	I. मुण्डयर 87	0.095
	II. रनवाणा नयागांव 8 बी.	0.119
	III. रनवासा नयागांव 9 बी.	0.119
	I. तेलनी बी–6	0.095
	I. बाडदाबसई नं. 13	0.099
	I. ,, 17	0.119
	I. पमांवुबीड सी	0.119
8.	वर्ष 88–89 के वृक्षारोपण	
	अ. पमांवुबीड सी	0.0475
9.	वर्ष 89–90 के वृक्षारोपण	

(310)

1	2	3
	I. प्ला. बावड़ीखेडा	0.124
	II. प्ला. जाधरोन	0.077
10.	इको रेस्टोरेशन आफ डिग्रेटेड हिल्स योजना के तहत फ्लोजर एवं वृक्षारोपण कार्य दरा अगराण्य 100 है.	
	I. जीरो वर्ष (90–91)	0.205
	II. प्रथम वर्ष (91–92)	0.032
	III. द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष (92–95)	0.008
	II. एनीकट निर्माण दरा जगरापथ वन क्षेत्र झागरा लक्ष्मीपुरा	0.077
	योग	4.1165

सिंचाई विभाग

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	2	3
1.	हिंगी एनीकट	1.95
2.	दांता एनीकट	3.05
3.	डोलिया लघु सिंचाई परियोजना	5.00
4.	दांता लघु सिंचाई परियोजना	2.00
5.	धतुकिया (धतिकिया) एनीकट	2.70
6.	मोतीपुरा एनीकट	2.70
7.	काली सोत एनीकट	3.50
8.	पी. एण्ड एस. आफ राजवाह ब्रान्च	1.70
9.	कालीसोत तालाब	3.29
10.	महोदरी तालाब	2.88
11.	डिसिल्टिंग वर्क आफ पार्वती कैनाल	0.70
12.	रतई तालाब	0.35

1	2	3
13.	पी. एण्ड ऑफ पार्वती कैनाल	5.24
14.	फलिया परियोजना	2.00
15.	उतावली परियोजना	2.00
16.	बादीपुरा परियोजना	2.00
	योग	41.06

भू-संरक्षण विभाग

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1.	फलिया एनीकेट	2.98
2.	डोलिया एनीकेट	2.10
	योग	5.08

ह०/–
अतिरिक्त कलक्टर (विकास)
कोटा

परिशिष्ट—12

अतारांकित प्रश्न संख्या 509 की सूची

क्र. सं.	विधानसभा क्षेत्र	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत आवासों की संख्या	स्वीकृत राशि	आवासों की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	फागी	फागी	फागी	1985–86	10	0.90	अपूर्ण
2.	,,	,,	माधोराजपुरा	1985–86	20	1.80	पूर्ण
3.	,,	,,	कांसेल (जयसिंहपुरा)	1987–88	24	2.16	अपूर्ण
4.	,,	,,	पहाड़िया (बासडीजोगियान)	1988–89	10	1.02	अपूर्ण
5.	,,	,,	पचाला (जोडिन्दाभोजपुरा)	1989–90	20	2.04	पूर्ण
6.	,,	,,	मण्डोर (टीकेलपुरोहितान)	1989–90	20	2.40	अपूर्ण
7.	,,	,,	किशोरपुर (समेलिया)	1990–91	28	3.136	चालू
8.	,,	,,	पीपला	1990–91	27	3.024	चालू
9.	,,	,,	गोहन्दी	1990–91	21	2.352	चालू
10.	,,	,,	मादी	1990–91	24	2.688	चालू

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	फागी	फागी	डाबिच	1990–91	12	1.344	चालू
12.	चाकसू	चाकसू	थली	1986–87	10	0.90	पूर्ण
13.	,,	,,	तामड़िया	1987–88	20	0.04	अपूर्ण
14.	,,	,,	टूटोली	1990–91	10	1.12	चालू
15.	,,	,,	तितरिया	1990–91	22	2.464	चालू
16.	,,	,,	कादेड़ा	1990–91	5	0.56	चालू
17.	,,	,,	निमोडिया	1990–91	5	0.56	पूर्ण
18.	,,	,,	बडोदिया	1990–91	6	0.672	चालू
19.	,,	,,	तामडिया	1990–91	4	0.448	चालू
					298	31.228	

ह०

अतिरिक्त कलेक्टर (विकास)

(314)

पंचायत समिति फागी एवं चाकसू में इन्दिरा आवास के और प्राप्त प्रस्तावों की ग्राम पंचायतवार सूची

क. सं.	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	और प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
1.	फागी	पंचाला	18
2.	,,	मण्डोर	28
3.	,,	चकवाडा	10
4.	,,	डाबिच	28
5.	,,	भांकरोटा	8
6.	,,	पीपला	2
7.	,,	चांदमाकला	25
8.	,,	फागी	10
		योग	129
1.	चाकसू	गरूडवासी	2
2.	,,	ग्रामदानी गांव जयप्रकाशपुरा	4
3.	,,	काठावाला	22
4.	,,	निमोडिया	3
5.	,,	खेडारानीवास	4
6.	,,	थली	4
7.	,,	ग्रामदानी गांव वोरियां की ढाणी	4
8.	,,	मोहम्मदपुरा	4
		योग	47
		महायोग	176

ह०

अति. कलक्टर (विकास)

315

परिशिष्ट—13

अतारांकित प्रश्न संख्या 510 की सूची

परिशिष्ट—"क"

क्र. सं.	कार्य का नाम	पं. स.	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	बरनाली एनीकट	गिर्वा	0.38
2.	मल्लो का गुड़ा एनीकट	,,	16.80
3.	गुड़ामानी एनीकट	,,	1.00
4.	सागर की केनाल	,,	19.18
5.	सालिगा तालाब	सराड़ा	9.68
6.	गयाराम तालाब	,,	9.50
7.	बद्रीनारायण का नाका	,,	12.50
8.	सुखरामपुरा तालाब	,,	30.00
9.	झाड़ोल पिकअप वियर	,,	10.10
10.	गोपालपुरा माइनर	,,	13.10
11.	जागवडा तालाब	,,	1.00
12.	शिवसागर तालाब	सराड़ा	3.00
13.	वार्ड एनीकट को पूर्ण कराना	मावली	1.00
14.	खेमपुर एनीकट	,,	2.00
15.	ओखला एनीकट	,,	1.00
16.	चंगेड़ी एनीकट	,,	2.00
17.	वायलिया तालाब	भिण्डर	2.00
18.	सिंघाडिया तालाब	,,	3.00
19.	भानपुरा	,,	17.10
20.	भट्टा प्रोजेक्ट	,,	45.13
21.	भोपालपुरा	सलूम्बर	13.15
22.	सजेला तालाब	,,	19.87

(316)

1	2	3	4
23.	अम्बामाता	सलूम्बर	212.00
24.	लणावली फीडर	गडगांव	5.00
25.	बग्गड तालाब	भीण्डर	2.60
26.	कार्पडियो का खेडा	,,	5.00
27.	मावली डांगीमान तालाब को पूर्ण कराना	,,	5.00
28.	बल्लभनगर एनीकट	,,	5.00
29.	बूरवाखेडी एनीकट	,,	3.00
30.	तारावट एनीकट	,,	5 00
31.	कुचौली एनीकट	मावली	3.50
32.	बिरोठी एनीकट	,,	3.00
33.	रामजी का गुडा एनीकट	,,	5.00
34.	बिरोठी तालाब नहरें	खैरवाड़ा	2 50
35.	पीपलबार एनीकट	,,	8.60
36.	समलाल एनीकट	,,	1.80
37.	बूरडा एनीकट	,,	46.82
38.	रावमादडा तालाब	गोगुन्दा	1.50
39.	सुखेर का नाका	,,	3.00
40.	मदारडा	,,	14.54
41.	भुज का नाका	,,	87.21
42.	अम्बावी एनीकट	झाड़ोल	3.00
43.	झाड़ोल तालाब की नहरें	,,	2.00
44.	गुमानी का नाका	कोटडा	3.30
45.	सावन क्यारा	,,	47.70
46.	जोनीदारा	,,	28.68
47.	बसपरा	,,	49.42
48.	बास मादडा	,,	51.10
49.	काली डूंगरी एनीकट	,,	4.75

1	2	3	4
50	सन्दरप एनीकट	कोटडा	4.50
51.	बोरली का नाका एनीकट	"	5.00
52.	खादरा एनीकट	"	4.90
53.	करेली का नाका एनीकट	"	5.00
54.	बरवाडा एनीकट	गोगुन्दा	4.68
55.	भीमसागर एनीकट	झाड़ोल	5.00
56.	ऋषभदेव एनीकट	खैरवाड़ा	3.57
57.	फरारा एनीकट	"	5.07
58.	उगमणा एनीकट	"	4.07
59.	काहन डूंगरा एनीकट	"	4.00
60.	सावन का नाका	"	5.08
61.	बाकडी एनीकट	"	3.20
62.	फरारा को पूर्ण कराना	राजसमन्द	1.00
63.	गोवित फीडर	"	17.00
64.	सांगठ तालाब	"	12.12
65.	कदमाल	बड़गांव	2.20
66.	डूलावतो का गुडा	"	6.60
67.	देलवाडा तालाब की फीडर	"	1.00
68.	सिसवी एनीकट	"	2.00
69.	नेगडिया फीडर	"	2.25
70.	कोटडी केरन फीड़र	"	0.50
71.	जेतपुरा एनीकट	आमेट	2.00
72.	सालम सागर को पूर्ण कराना	"	2.50
73.	बन्जारिन तालाब	देवगढ़	4.50
74.	धोली वाकर तालाब	"	18.00
75.	सांगवाल एनीकट	"	41.00
76.	केलवाडा की नहरें	कुम्भलगढ़	4.99
77.	थोरिया	"	10.00

1	2	3	4
78.	मेवाडिया	कुम्भलगढ़	25 00
79.	उमरवास तालाब	,,	3.06
80.	होपडा को पूर्ण कराना	खमनोर	2.00
81.	भैसा कमेडी एनीकट	,,	2.05
82.	डाबिया को पूर्ण करानां	भीम	1.32
83.	कोठो का नाका	,,	4.56
84.	धर्मराडी	,,	4.32
85.	पिपली आचार्यान	राजसमन्द	5.00
86.	चावण्डिया एनीकट	रेलमगरा	0.68
87.	रेलमगरा एनीकट	,,	3.00
88.	सियार का नाका	देवगढ़	5.58
89.	पबराना एनीकट	आमेट	5.00
90.	गोविन्द सागर	खमनोर	5.00
91.	देवडो का गुडा	आमेट	5.00
92.	बिजनोल फीडर	खमनोर	2.00
93.	उठारडा एनीकट	,,	3.00
94.	देवला तालाब को पूर्ण कराना	धरियावद	1.84
95.	वेल्वी एनीकट	,,	5.00
96.	केलवा कूण	,,	4.95
97.	कसुमरा एनीकट	,,	4.95
98.	कालीभींत	,,	4.87
99.	सोम-अमरपुरा केनाल	,,	5.00
100.	नेगडिया एनीकट	बड़गांव	0.92
101.	हरभुज की भागल	भिण्डर	0.27
102.	पिण्डोलिया एनीकट	गिर्वा	4.91
103.	बूडल एनीकट	,,	1.00
104.	देवडा एनीकट	,,	1.00
105.	आमोड एनीकट	झाडोल	3.00

1	2	3	4
106.	नाथेला एनीकट	कुम्भलगढ़	0.90
107.	कुचौली एनीकट	,,	0.15
108.	मालवा का चौरा एनीकट	कोटडा	0.35
109.	बूझारिया एनीकट	गोगुन्दा	0.25
110.	डिप्टीखेडा एनीकट	राजसमन्द	0.88
111.	केरोट एनीकट	,,	0.40
112.	भीलों की भागल	,,	4.00
113.	महादेव का नाका	,,	0.42
114.	कालजी का खेडा	आमेट	0.55
115.	हवाला एनीकट	,,	4.50
116.	उन्डावाला एनीकट	,,	7.00
117.	मियाला एनीकट	देवगढ़	4.50
118.	बस्सी का खेडा एनीकट	,,	2.40
119.	मन्धाना एनीकट	भीम	0.45
120.	पावडिया की धानिनर्णनकर	,,	4.50
121.	चम्पाखेडी	रेलमगरा	2.50
122.	प्रेमपुरा	,,	2.50
123.	पिपलीआहरान एनीकट	,,	0.64
124.	ईडणा एनीकट	सलूम्बर	4.25
125.	पटावेला एनीकट	खैरवाड़ा	4.60
126.	पापड़ीवाला एनीकट	गिर्वा	1.65
127.	बासानिया टिडी एनीकट	,,	1.84
128.	तराला एनीकट (सरू)	,,	1.84
129.	डायीखेडा एनीकट	धरियावद	1.69
130.	फूटाला तालाब एनीकट	रेलमगरा	1.25
131.	शिवपुरा एनीकट	,,	1.00
132	मालागुडा एनीकट	भिण्डर	8.00
133.	फसारिया एनीकट	,,	2.85

1	2	3	4
134.	अडिन्दा तालाब	भिण्डर	1.60
135.	भीमाखेडा एनीकट	,,	2.06
136.	कालादन्ता एनीकट	राजसमन्द	1.96
137.	धायला एनीकट	,,	1.57
138.	नया तालाब एनीकट	खैरवाड़ा	1.23
139.	चेचिया का गुडा एनीकट	कुम्भलगढ़	1.00
140.	सोनियाणा एनीकट	,,	0.95
141.	परसरामजी महादेव एनीकट	,,	0.90
142.	मावली का गुडा एनीकट	,,	0.95
143.	फूटा तालाब एनीकट	,,	1.20
144.	गंगदेवजी का वाला एनीकट	,,	0.80
145.	देविखेडा की मेरडा एनीकट	आमेट	1.40
146.	धूकल खेडा एनीकट	,,	1.30
147.	डीडवाना एनीकट	,,	1.40
148.	अरनिया एनीकट	,,	1.30
149.	वडाग का नाका एनीकट	,,	1.75
150.	तालाब सात बडलिया से नहर निर्माण	,,	1.90
151.	लोहियाणा एनीकट	,,	1.97
152.	माकरडा एनीकट	,,	1.65

परिशिष्ट—14

अतारांकित प्रश्न संख्या 511 का विवरण

पंचायत समितिवार विवरण

क्र. सं.	पं. स. का नाम	1988 से 1990 तक प्रारम्भ कार्यों की सं.	अधूरे कार्यों की संख्या	वर्षवार भुगतान राशि का विवरण (लाखों में)				मानव दिवसों की संख्या
				1988	1989	1990	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मंडोर	9	—	0.246	0.259	—	0.505	3784
2.	लूनी	36	8	2.50	1.50	0.67	4.67	33385
3.	शेरगढ़	49	18	4.251	4.013	—	8.264	20030
4.	बालेसर	33	4	2.121	1 62	—	3.741	26500
5.	भोपालगढ़	33	—	7.65	—	—	7.65	27321
6.	बिलाड़ा	176	42	8.549	15.807	0.13	24.486	159925
7.	फलौदी	41	10	5.61	—	—	5.61	41000
8.	बाप	44	8	2.30	1.15	0.545	3.995	19750
9.	ओसियां	67	46	19.096	14.138	2.258	35.492	366870
	योग	488	136	52.323	38.487	3.603	94.413	698565

अतिरिक्त कलेक्टर (विकास)
जोधपुर।

परिशिष्ट—15

अतारांकित प्रश्न संख्या 518 की सूची

नगर परिषद कार्यालय, टोंक

आर. डी. अकाउण्ट्स की कर्मचारीवार सूचना—वर्ष 1990

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	राशि	क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	राशि
1.	श्री शराफत बुलन्द खां	1650	23.	श्री शिखर चन्द	100
2.	श्री मुरलीधर	975	24.	श्री भाग चन्द	1100
3.	श्री शआदत हुसेन	825	25.	श्री चेतन कुमार	975
4.	श्री घनश्यामदास	825	26.	श्री मोहम्मद इब्राहीम	1100
5.	श्री सुगनचन्द	975	27.	श्री पुरुषोत्तम दास	1300
6.	श्री मोहसिनुर्रशीद	825	28.	श्री मोहन लाल	500
7.	श्री सूरजमल चेंडवाल	2500	29.	श्री शंकर लाल	1100
8.	श्री रामबाबू	1550	30.	श्री राम स्वरूप	1100
9.	श्री राशिद हमीद	2650	31.	श्री गोपाल दास	3850
10.	श्री राम गोपाल	550	32.	श्री वहीदुल्ला खां	1100
11.	श्री रमेशचन्द्र	880	33.	श्री भरत लाल	1100
12.	श्री समीउल्ला	500	34.	श्री रामनिवास	825
13.	श्री रामपाल वर्मा	1100	35.	श्री जफरूल्ला खां	1100
14.	श्री जेफूल आरेपित	1650	36.	श्री इकबाल अहमदरशीद टोंक	650
15.	श्री जसवन्त कुमार	1650	37.	श्री अबदुल्ला खां	825
16.	श्री महावीर प्रसाद	550	38.	श्री चेताराम वर्मा	1100
17.	श्री नाथूराम	825	39.	श्री आशाराम मीणा	500
18.	श्री रामलाल	1100	40.	श्री मोहम्मद रफीक	1100
19.	श्री बद्रीनारायण	1980	41.	श्री ओम प्रकाश	825
20.	श्री डाल चन्द	100	42.	श्री शोकत अली	1100
21.	श्री विजय कुमार	450	43.	श्री चिरन्जीलाल	1100
22.	श्री चन्द्र मोहन	480	44.	श्री मुरारीलाल मीणा	500

क. सं.	कर्मचारी का नाम	राशि	क. सं.	कर्मचारी का नाम	राशि
45.	श्री जगदीश राव	770	73.	श्री मोहम्मद इस्लाम	550
46.	श्री हामिद अहमद	500	74.	श्री मोहम्मद अहमद	200
47.	श्री सैयद जाहिद हुसैन	1100	75.	श्री अहमद अली	100
48.	श्री शाहिद अली	765	76.	श्री उम्मेद सिंह	500
49.	श्री हरदेव लाल	1100	77.	श्री शान्ति लाल	825
50.	श्री राधाकिशन	1100	78.	श्री जगदीशनारायण	1100
51.	श्री रामसहाय राव	1100	79.	श्री रोडूलाल	1430
52.	श्री शम्भू लाल	1100	80.	श्री तेज मल	2200
53.	श्री नारायणसिंह	750	81.	श्री विजय सिंह	1660
54.	श्री रामचन्द्र	550	82.	श्री प्यारेलाल	1100
55.	श्री मोहनलाल खंगार	550	83.	श्री राधेश्याम	825
56.	श्री बाबू/मोती	605	84.	श्री बन्सी लाल	825
57.	श्री राम स्वरूप स्वामी	550	85.	श्री पूरण	825
58.	श्री उमरमियां	1060	86.	श्री रामनिवास	1950
59.	श्री जमना लाल	550	87.	मोहम्मद इकबाल	880
60.	श्री नन्ना/अमीरखां	550	88.	श्री दौलत सहाय	550
61.	श्री नाथूलाल	1100	89.	श्री सूरजमल सैनी	550
62.	श्री इब्राहिम	550	90.	श्री याकूब	605
63.	श्री रघुनन्दन	605	91.	श्री गोपी	200
64.	श्री राम लाल	550	92.	श्री श्रीनारायण	550
65.	श्री इस्माईल	880	93.	श्री बन्ना	550
66.	श्री राम देवा	550	94.	श्री मुन्ना लाल	1100
67.	श्री मोहम्मद अतीक	550	95.	श्री रूप नारायण	825
68.	श्री गोपाल लाल	1630	96.	श्री अब्दुल हफीज	550
69.	श्री बाबू/छीतर	550	97.	श्री शंकरसिंह	825
70.	श्री श्रीनारायण	550	98.	श्री भौंरी लाल	600
71.	श्री नवलकिशोर	1430	99.	श्री सैयद इकबाल हैदरी	550
72.	श्री बन्सीलाल	1650	100.	श्री सीताराम	450

(324)

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	राशि	क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	राशि
101.	श्री नन्नू/कल्लन	550	107.	श्री बृजेश कुमार	825
102.	श्री लाडला	550	108.	श्री गप्पू	550
103.	श्री नन्ना/लालमोहम्मद	550	109.	श्री लल्लू लाल	550
104.	श्री एम. से. किजन	2200	110.	श्री कालू/चौथू	100
105.	श्री रूपनारायण शर्मा	900	111.	श्री पीरू लाल	700
106.	श्री राधेश्याम शर्मा	1100	112.	श्री भूरा	550

योग— 1,01,755/– रुपये मात्र

आयुक्त
नगर परिषद, टौंक

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	राशि	क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	राशि
1.	श्री नाथू/नानगा	450	15.	श्री रामनिवास/पून्या	600
2.	श्री मनफूल/शंकर	600	16.	श्री कालू/बन्सी प्रथम	660
3.	श्री करमचन्द/जौहरी	600	17.	श्री बसन्ता/बन्सी	500
4.	श्री रामधन/नारायण	910	18.	श्रीमती चम्पा/रामनिवास	600
5.	श्री श्यामलाल/बुद्धा	1800	19.	श्रीमनी लाडा/केसरा	600
6.	श्री बिहारी/काला	600	20.	मनफूल/काला	600
7.	श्री बाबू/घीसा	600	21.	श्रीमती गीता/मोहन	550
8.	श्री लल्लू/काला	600	22.	श्री सन्ता/बन्सी	660
9.	श्री नारायण/पून्या	600	23.	श्री लादू घीसा	1500
10.	श्रीमती गीता/सन्नू	500	24.	श्री घनश्याम/बन्सी	100
11.	श्री रामस्वरुप/प्रभू	350	25.	श्री छोटा/हरी	600
12.	श्री छीतर/रामदास	450	26.	श्री रामपाल/चन्दा	600
13.	श्रीमती मूली नारायण	1500	27.	श्री नाथू/धूल्या	325
14.	श्री केसरा/सूवा	600	28.	श्री रामदयाल/मिसरा	960

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	राशि	क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	राशि
29.	श्री रामपाल/रामदयाल	600	56.	श्रीमती कलावती/कन्हैया	4800
30.	श्री गणपत/शंकर	600	57.	श्रीमती रामपाली/प्यारेलाल	600
31.	श्री प्रभाती/सूवा	600	58.	श्री पवनकुमार/करमचन्द	1800
32.	श्री चिरंजी/कन्हैया	1500	59.	श्रीमती पन्नी/लच्छू	600
33.	श्री पांचू/बिहारी	500	60.	श्रमती बसन्ती/नाथू	75
34.	श्री राजू/सूवा	570	61.	श्रीमती गुल्ली/धूल्या	600
35.	श्रीमती जमना/सीताराम	605	62.	श्रीमती कस्तूरी/हरी	150
36.	श्री लच्छू/किशना	600	63.	श्रीमती कोका/घीसा	150
37.	श्री बाबू/रामधन	1500	64.	श्रीमती बदाम/रामपाल	300
38.	श्रीमती ममता/सुरेश	425	65.	श्री चेतन/जंगली	600
39.	श्री लालचन्द/रामनाथ	600	66.	श्रीमती फूलां/चमन	3000
40.	श्रीमती फूल/बन्सी	600	67.	श्री रमेश/मांगीलाल	1050
41.	श्रीमती गुलाब/घीसा	600	68.	श्रीमती मनभर/रामदास	1500
42.	श्री छोटा/भौरा	600	69.	श्रीमती लाली/बिहारी	600
43.	श्रीमती सन्तरा/कालू	900	70.	श्रीमती नाथी/मनफूल	600
44.	श्रीमती रामकन्या/लटूर	750	71.	श्रीमती अमोलक/रामनाथ	1800
45.	श्री लालू/मांग्या	600	72.	श्रीमती ग्यारसी/रामधन	600
46.	श्रीमती सोनी/घीसा	600	73.	श्री राधेश्याम/ममता	2700
47.	श्री लल्लू घीसा	600	74.	श्री दौलत/प्रभू	600
48.	श्री गुलाबचन्द/भंवरलाल	450	75.	श्रीमती चांद/सूरज	2700
49.	श्रीमती प्रेम/रामनिवास	600	76.	श्रीमती मीरां/रामप्रसाद	1500
50.	श्रमती धापू/सूवा	600	77.	श्रीमती नाथी/भोदिया	315
51.	श्री रामप्रसाद/केसरा	600	78.	श्रीमती घीसी/मदन	680
52.	श्री लीला/कालू	750	79.	श्रीमती संवरी/भगवानदास	1950
53.	श्रीमती चिल्लो/रामजीलाल	1500	80.	श्री चांद/घीसा	600
54.	श्रीमती प्रेम/लादू	600	81.	श्रीमती गीता/श्यामलाल	2100
55.	श्रीमती नूर प्रभाती	600	82.	श्रीमती रामकन्या/मदन	900

326

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	राशि	क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	राशि
83.	श्रीमती कोका/पांच्या	150	111.	श्री प्रहलाद/बरुता	600
84.	श्रीमती शांति/लल्लू	600	112.	श्री सोहन/छीतर	600
85.	श्रीमती गुलाब/मोती	600	113.	श्री राजेन्द्र/जगदीश	400
86.	श्री प्रेमचन्द/घीसा	600	114.	श्रीमती कस्तूरी/ईश्वर	600
87.	श्रीमती सन्तोष/बाबू	600	115.	श्री रामपाल/पांचू	580
88.	श्री राजेश/रामदयाल	400	116.	श्री लटूर/रामदेवा	600
89.	श्रीमती छोटी/भाणिया	600	117.	श्रीमती सन्तोक/रामदयाल	500
90.	श्री मोती/मांग्या	600	118.	श्री हीरा/नानगा	600
91.	श्री छगन/आत्माराम	600	119.	श्री धन्ना/बुद्धा	4200
92.	श्री फकीरचन्द/धूल्या	600	120.	श्री भगवानदास/गब्दू	600
93.	श्री किशन/मांगीलाल	1600	121.	श्री गोगा/भूरा	600
94.	श्रीमती गंगा/लालू	600	122.	श्रीमती बदाम/भगवानदास	1200
95.	श्रीमती मोहनी/श्यामलाल	1800	123.	श्रीमती कमला/सफरी	600
96.	श्री प्रभाती/कन्हैया	600	124.	श्रीमती चम्मो/रामदास	600
97.	श्री बाबूलाल/	500	125.	श्रीमती पन्नी/बन्सी	600
98.	श्री रामचरण/लादू	600	126.	श्री महावीर/लड्डू	600
99.	श्री रामप्रसाद/काना	600	127.	श्री कुन्दन/बुद्धा	1500
100.	श्री बद्री/घीसा	900	128.	श्री चिरन्जी/केसरा	600
101.	श्री बाबू/कस्तूरा	600	129.	श्री फूलचन्द/बन्सी	600
102.	श्री कजोड़/लादू	600	130.	श्री मोहन/मथरा	600
103.	श्री मोडू/मथुरा	600	131.	श्री पूरण/चोथू	600
104.	श्री प्रभात/सुन्दरा	600	132.	श्री बद्री/किशना	600
105.	श्री बादू/अजमेरी	525	133.	श्री रवीन्द्र/पूरण	600
106.	श्री बलराम/शंकर	600	134.	श्रीमती तारा/कैलाश	600
107.	श्री कन्हैया/लीला	525	135.	श्री प्रभू/घीसा	600
108.	श्री बिहारी/घीसा	600	136.	श्रीमती सोसर/लल्लू	600
109.	श्रीमती सन्तोष/कन्हैया	600	137.	श्री गुलाबचन्द/चन्दा	600
110.	श्री ताराचन्द/कन्हैया	800	138.	श्रीमती फूलां/चांद	550

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	राशि	क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	राशि
139.	श्री गोपाल/प्रताप	600	154.	श्री रामजीलाल/बुद्धा	500
140.	श्रीमती सागर/मदन	600	155.	श्रीमती बिमला/राधेश्याम	660
141.	श्री कालू/बन्सी द्वितीय	600	156.	श्रीमती कमला/नन्दकिशोर	600
142.	श्रीमती रामप्यारी/रामचरण	600	157.	श्रीमती लाड/नन्दकिशोर	2100
143.	श्री सप्पू/रामा	600	158.	श्री मुन्नालाल/काना	900
144.	श्री रमेश/ईश्वर	600	159.	श्री छुट्टू/सुभान	600
145.	श्री रतन/भेरू	600	160.	श्री मोहम्मद सईद/अजीम	600
146.	श्री रामदास/सुवा	360	161.	श्री अजीज बेग	660
147.	श्री प्रकाश/फूलचन्द	600	162.	श्री छोटा/छुट्टू	600
148.	श्री ओमप्रकाश/रामपाल	600	163.	श्री भूरा/नजीरा	600
149.	श्री चिरन्जी/भैरू	300	164.	श्री नन्ना/वजीर	600
150.	श्री रामपाल/धूल्या	350	165.	श्री करामत/अहमद	600
151.	श्री गुलाबचन्द/रामनाथ	650	166.	श्री जाहिदअली	1500
152.	श्री रामनाथ/धूल्या	600	167.	श्री राजेश कुमार	600
153.	श्री ओमप्रकाश/घीसा	900	168.	श्री शब्बीर/सुबराती	600

योग 1,31,335/- रुपये मात्र

आयुक्त
नगर परिषद, टोंक

परिशिष्ट-16

अतारांकित प्रश्न संख्या 520 का विवरण

कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल की सड़कों के विवरण की सूची

क्र सं.	कार्य का नाम	कि. मी.	व्यय
1.	बी. टी. सड़क सिहाली से कुमपुर 0/0 कि. मी. से. 2.0	2.5	82,993,00
2.	बी. टी. सड़क जोडिया से हरियाणा बार्डर	5.00	154,270,00
3.	बी. टी. सड़क किशनगढ़ से कांकरा	3.5	186,452,00
4.	स. स. चिरखाना से भजेड़ा	4.40	642,093,00
5.	ग्रेवाल सड़क कोटकासिम से जोडिया	3.7	52,557,00
6.	बी. टी. सड़क जटियाना से भनेगी	5.0	429,931,00
7.	बी. टी. सड़क कोटकासिम से जोडिया	3.7	640,00
8.	बी. टी. सड़क कुण्डावर से सराजकंला	2 से 4	207,498,00
9.	स. स. कादियां से बासनी	2 से 4	289,958,00
10.	ग्रेवल सड़क भिवाना जोडिया से हरियाणा बोर्डर	0 से 5	262,330,60
11.	डब्ल्यू. बी. एम. सड़क उल्हाड़ी बस स्टेण्ड से जवाई ग्राम	2 से 4	101,183,00
12.	ग्रेवल सड़क कुमपुर से सिहाली कलां	2	38,180,00
13.	ग्रेवल सडक कुमपुर से सिहाली कलां	2 से 4	93.447,00
14.	ग्रेवल सड़क जटियाना से भगेरी	2 से 5	108,294,00
15.	डब्ल्यू. बी. एम. सड़क इस्माईलपुर ग्राम से जालोटा	1.0	51,615,00
16.	डब्ल्यू. बी. गम. भगेरी से गुरमचका	3.75	196,234,00
17.	बी. टी. सड़क कादिया से बासनी	2.0	27,666,00
18.	स. स. तिजारा से टपूकड़ा		35,800,00
19.	सड़क अलवर किशनगढ़ सड़क से वासकृपाल नगर	1.0	41,246,00
20.	डब्ल्यू. बी. एम. सड़क खानपुर ग्राम से अलवर किशनगढ़ सड़क	2.8	178,291,00
21.	डब्ल्यू. बी. एम. सड़क उल्हाड़ी बस स्टेण्ड से ग्राम जवाई	2.0	159,643,00
22.	किशनगढ़ से ग्राम मोठूका तक	1.0	70,000,00

क. सं.	कार्य का नाम	कि. मी.	व्यय
23.	स. स. तहसील भवन से किशनगढ़	3.0	16,000,00
24.	डब्ल्यू. बी. एम. सड़क अलवर किशनगढ़ रोड से ग्राम कारोली	0.76	50,000,00
25.	स. स. ज्ञानपुरा से कराना	1.25	125,015,00
26.	आंतरिक सड़क सबयार्ड तिजारा	0.25	77,800,00
27.	डब्ल्यू. बी. एम. सड़क मुण्डावर से सराय कलां	3.00	138,424,00
28.	ग्रेवल सड़क तिनकी रूड़ी फार्म से खानपुर अहीर	2.0	47,848,00
29.	ग्रेवल सड़क तिनकी रूड़ी फार्म से खानपुर अहीर	2 से 5	147,921,00
30.	ग्रेवल सड़क मुडिया खेड़ा से शियाखो वायामऊ	2.0	72,140,00
31.	ग्रेवल सड़क मुडिया खेड़ा से शिखाखी वाया मऊ	2 से 5	6,595,00
32.	20 एम. एम. थिक कार्मेट सड़क मगेपी से गुरमचका	0.40	150,670,00
33.	ग्रेवल सड़क जटियाना से मगेरी	2 से 5	71,781,00
34.	आन्तरिक सड़क सिनेमा घर से मंडी यार्ड	0.2	72,000,00
35.	ग्रेवल सड़क टपूकड़ा नूंह से सराय खेड़ी	2.0	76,438,00
36.	सड़क करनपुरा से भूरेड़ा	1.00	33,630,00
37.	सड़क ग्रेवल टपूकड़ा नूंह सड़क से सराय खेड़ी	2 से 3.5	54,382,00
38.	सड़क माजरोली से गोठडा	9.0	
39.	सड़क कोटकासिम से जोडिया	3.0	339,121,00
40.	अप्रोच सड़क भजेड़ा से टपूकड़ा	1.0	50,713,00
41.	ग्रेवल सड़क किशनगढ़ से कांकरा	2.0	77,649,00
42.	ग्रेवल सड़क किशनगढ़ से कांकरा	2 से 3	21,178,00
43.	डब्ल्यू. बी. एम. सड़क चिरखाना से भजेडा वाया सेंथली	4.4	403,387,00
44.	बी. टी. सड़क मुण्डावर सराय कलां	2.00	102,919,00
45.	बी. टी. सड़क उल्हाड़ी बस स्टेण्ड से जसाई ग्राम	2 से 4	73,624,00
46.	स. स. नूरनगर	0.4	403,387,00
47.	बी. टी. सड़क हरसोली से भाकड़ा	2	132,203,00
48.	बी. टी. सड़क ज्ञानपुरा से कराना	2.5	227,889,00
49.	बी. टी. सड़क रेल्वे क्रासिंग से बलल्भ ग्राम	1.00	143,010,00

(३३)

क्र. सं.	कार्य का नाम	कि. मी.	व्यय
50.	बी. टी. सड़क उल्हाड़ी बस स्टेण्ड से ग्राम जसाई	3 से 6	187,677,00
51.	बी. टी. सड़क कुमपुर से सिहालीकला	2	93,396,00
52.	अप्रोच सड़क चूना गड़ा अहीर	1	56,913,00
53.	बी. टी. सड़क सियाखो से मैनपुर बास	1	113,437,00
54.	बी. टी. सड़क नूरनगर से जटिवाना	2.2	208,156,00
55.	बी. टी. सड़क कोटकासिम से लाडपुर	2.00	166,914,00
56.	बी. टी. सड़क सिहालीकलां से अजरका	3.00	186,616,00
57.	बी. टी. सड़क होलीटीबा से गिवाहेड़ा	1.5	167,432,00
58.	बी. टी. सड़क गुलसाखेड़ा में चांवडी कलां	1.0	336,793,00
59.	बी. टी. मुण्डावर से पेहल	1.0	386,726,00
60.	बी. टी. सड़क हरसोलीपुर से झाड़का	1.0	160,212,00
61.	बी. टी. सड़क नवलपुरा से बासदयाल वाया रसनाली	5.5	532,267,00
62.	अप्रोच सड़क जोट बहरोड से जालावास	3	301,801,00
63.	बी. टी. सड़क नयावास से बास करनीवल वाया शेखावत	5.1	1039,461,00
64.	बी. टी. सड़क सियाखो से मुडियाखेड़ा	2.5	485,707,00
65.	स. स. डिंगवाहेड़ा	4.5	453,674,00
66.	बी. टी. सड़क मोराड़ी से बवेड़ी	4.0	143,074,00
67.	बी. टी. सड़क मुण्डावर से सरायकलां	4 से 6	201,250,00
68.	बी. टी. सड़क गंहनकर	2.0	152,257,00
69.	बी. टी. सड़क मुण्डावर सोडावास रोड से ग्राम सागर	1.5	383,084,00
70.	बी. टी. सड़क चमरोदा से लंगड़वास	1.0	74,974.00

परिशिष्ट—17

अतारांकित प्रश्न संख्या 522 की सूची

ग्राम पंचायत मुण्डनवाड़ा को गत 10 वर्षों में जनवरी से अब तक निम्नांकित मदों में निम्नांकित रूप से वित्तीय सहायता निम्नांकित वर्षों में दी गई

वर्ष	पंचायत को अंशदान	एन. आर. ई. पी. के अन्तर्गत	आर. एल. ई. जी. पी. के अन्तर्ग्रत	जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत
1980–81	1548.40	—	—	—
1981–82	4645.20	—	—	—
1982–83	10743.80	—	—	—
1983–84	3728.58	—	—	—
1984–85	14793.05	—	—	—
1985–86	—	—	—	—
1986–87	3648.15	—	7000.00	—
1987–88	3699.80	40,000,00	18500.00	—
1988–89	—	—	14000.00	—
1989–90	1836.85	21.000.00	—	139541.00
1909–91	1156.85	—	—	47845.00
				28,000.00
				10000.00
योग	56213.68	61,000.00	39500.00	2,25,386.00

निर्माण कार्य वर्ष 1980 से अब तक का विवरण ग्राम पंचायत मुण्डनवाड़ाकलां

क्र. सं.	नाम ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	कार्य जो पंचायत द्वारा किया गया	वर्ष	पंचायत द्वारा कार्य पर किया गया व्यय	योजना का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	मुण्डनवाड़ाकला	मुण्डनवाड़ाकलां	सार्वजनिक कूप पर विद्युत कोठरी	82–87	5,485.00	पंचायत अनुदान से
2.	,,	,,	पंचायत भवन	85–86	39,070.00	काम के बदले अनाज योजना
3.	,,	हुलमानाकलां	प्राथमिक शाला	86–87	45,240.00	आर.एल.ई.जी.पी.
4.	,,	मुण्डनवाड़ाकलां	कन्या प्राथ. शाला	86–87	38,800.00	एन. आर. ई. पी.
5.	,,	हुलमानाकलां	सामू. विकास भवन	86–87	39,752.00	एन. आर. ई. पी.
6.	,,	शहजादपुर	प्राथ. शाला का करा मय बरामदा	87–88	39,465.00	एन. आर. ई. पी.
7.	,,	,,	खुर्रा निर्माण	90–91	13,637.00	जवाहर रोजगार योजना
8.	,,	मुण्डनवाड़ाकलां	खुर्रा निर्माण (हरिजन कोलोनी)	90–91	33,090.00	,,

1	2	3	4	5	6	7	
9.	मुण्डनवाड़ाकलां	हुलमानाकला	खुर्रा निर्माण (हरिजन बस्ती)	90–91	14,190.00	,,	
10.	,,	भोजपुरी	,,	90–91	10,903.00	,,	
11.	,,	हुलमानाखुर्द	खुर्रा एवं जोहड की मोरी	90–91	6,000.00	,,	(कार्य चालू है)
12.	,,	मुण्डनवाड़ाकला	हरिजन इन्द्रा आवास कालोनी 14 भवन	90–91	1,26,000.00	,,	(कार्य चालू है)

नोट :—उक्त राशि में गेहूं की राशि भी सम्मिलित है ।

परिशिष्ट—18

अतारांकित प्रश्न संख्या 537 की सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	फ्लैट रेट क़नेक्शनों की संख्या (लगभग)
1.	अजमेर	24359
2.	अलवर	6716
3.	बांसवाड़ा	14444
4.	भरतपुर	20333
5.	बाड़मेर	15320
6.	भीलवाड़ा	6447
7.	बीकानेर	26403
8	बूंदी	6933
9.	चित्तौड़गढ़	15187
10.	चूरू	41584
11.	धौलपुर	8020
12.	डूंगरपुर	10872
13.	गंगानगर	74229
14.	जयपुर	49138
15.	जैसलमेर	5553
16.	जालौर	33009
17.	झालावाड़	7911
18.	झुन्झुनू	40924
19.	जोधपुर	23019
20.	कोटा	13789
21.	नागौर	43258
22.	पाली	37258
23.	सवाई माधोपुर	24742
24.	सीकर	46929
25.	सिरोही	14357
26.	टौंक	7744
27.	उदयपुर	30942
	कुल योग	649421

परिशिष्ट—19

अतारांकित प्रश्न संख्या 539 का विवरण

क्र. सं	नाम माह	गेहूं (मात्रा टनों में)		लेवी चीनी (टनों में)		चावल (मात्रा टनों में)		खाद्य तेल (मात्रा टनों में)	
		आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव
1.	जनवरी, 90	2500	2500	381	400	30	—	5	—
2.	फरवरी, 90	3000	3000	381	310	30	—	—	—
3.	मार्च, 90	3000	2745	381	350	30	—	5	—
4.	अप्रैल, 90	3000	2680	381	400	30	—	—	—
5.	मई, 90	2500	770	381	430	30	—	10	—
6.	जून, 90	2500	820	381	300	30	—	10	—
7.	जुलाई, 90	1500	1500	381	320	30	—	20	—
8.	अगस्त, 90	2000	1490	381	500	30	—	40	20
9.	सितम्बर, 90	2000	1300	438.5	450	30	10	40	5
10.	अक्टूबर, 90	2000	900	438.5	362	30	—	60	10
11.	नवम्बर, 90	2000	1170	381	300	30	—	30	—
12.	दिसम्बर, 90	2000	1790	381	340	30	—	—	—
13.	जनवरी, 91	2800	2800	381	403	30	30	—	—
14.	फरवरी, 91	2000	—	381	—	30	—	15	—
	योग	32800	23465	5449	4865	420	40	235	35

परिशिष्ट—20

अतारांकित प्रश्न संख्या 540 का विवरण

क्र. सं	फर्म का नाम	लाइसेन्स नं.	ग्राम	वितरणकर्ता का नाम
1.	मै. जगदीश पैट्रोल पम्प	11/83	प्रतापगढ़	जगदीशचन्द्र पोरवाल (पार्ट)
2.	मै. पुरुषोत्तमलाल रमेश चन्द्र पैट्रोल पम्प	12/83	प्रतापगढ़	पुरुषोत्तमलाल पालीवाल (पार्ट.)

भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन (मात्रा कि. ली. में)

नवम्बर, 1990		दिसम्बर, 1990		जनवरी, 1991		फरवरी, 1991	
दिनाक	डीजल मात्रा	दिनांक	डीजल मात्रा	दिनांक	डीजल मात्रा	दिनांक	डीजल मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
1-11-90	12	1-12-90	12	1-1-91	12	2-2-91	14
3-11-90	24	3-12-90	12	1-1-91	12	4-2-91	12
5-11-90	12	4-12-90	12	4-1-91	9	6-2-91	14
6-11-90	12	5-12-90	16	5-1-91	12	10-2-91	27
7-11-90	12	6-12-90	26	7-1-92	12	12-2-91	15
9-11-90	14	8-12-90	22	10-1-91	12	14-2-91	12
11-11-90	15	14-12-90	14	11-1-91	12		
12-11-90	12	15-12-90	12	12-1-91	9		
15-11-90	12	16-12-90	14	13-1-91	15		
16-11-90	25	17-12-90	12	15-1-91	12		
17-11-90	12	18-12-90	12	16-1-91	14		
20-11-90	9	19-12-90	21	17-1-91	15		
21-11-90	39	20-12-90	12	19-1-91	12		
22-11-90	24	21-12-90	12	22-1-91	14		

1	2	3	4	5	6
23-11-90	24	23-12-90	14	23-1-91	15
24-11-90	14	24-12-90	9	24-1-91	14
25-11-90	12	26-12-90	14	25-1-91	12
26-11-90	24	27-12-90	9	28-1-91	15
27-11-90	12	29-12-90	12		
28-11-90	16	31-12-90	12		
29-11-90	12				
30-12-90	16				

हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन

नवम्बर, 1990		दिसम्बर, 1990		जनवरी, 1991		फरवरी, 1991	
दिनांक	डीजल मात्रा	दिनांक	डीजल मात्रा	दिनांक	डीजल मात्रा	दिनांक	डीजल मात्रा
1-11-91	12	4-13-90	8	2-1-91	12	2-2-91	8
6-11-90	9	7-12-90	8	7-1-91	8	6-2-91	8
12-11-90	9	10-12-90	12	12-1-51	8	9-2-91	8
16-11-90	9	12-12-90	9	16-1-91	6	14-2-91	8
20-11-90	6	16-12-90	6	22-1-91	6		
29-11-90	12	22-12-90	8	25-1-91	8		
30-11-90	8			30-1-91	8		

(मात्रा लीटर में)

नवम्बर, 1990		दिसम्बर, 1990		जनवरी, 1991		फरवरी, 1991	
दिनांक	ट्रैक्टर व पम्पसैट को दी गई डीजल मात्रा	दिनांक	ट्रैक्टर व पम्पसैट को दी गई डीजल मात्रा	दिनांक	ट्रैक्टर व पम्पसैट को दी गई डीजल मात्रा	दिनांक	ट्रैक्टर व पम्पसैट को दी गई डीजल मात्रा
1-11	7000	1-12	13325	21-1	—	1-2	—
2-11	8000	2-12	10269	22-1	—	2-2	—
3-11	7000	3-12	5826	23-1	14132	3-2	11523
4-11	13145	4-12	9354	24-1	7000	4-2	590
5-11	1000	5-12	10572	25-1	9000	5-2	6343
6-11	6483	6-12	10156	26-1	3569	6-2	—
7-11	12985	7-12	10300	27-1	4876	7-2	14027
8-11	7995	8-12	10600	28-1	3961	8-2	—
9-11	10120	9-12	1400	29-1	7275	9-2	—
10-11	3160	10-12	—	30-1	2475	10-2	13605
11-11	—	11-12	6000	31-1	—	11-2	9977
12-11	11150	12-12	—			12-2	—
13-11	9650	13-12	3400			13-2	10082
14-11	4845	14-12	11000			14-2	340
15-11	6491					15-2	7415
16-11	11375						
17-11	9640						
18-11	—						
19-11	8855						
20-11	9060						
21-11	13145						
22-11	17365						
23-11	14807						
24-11	19127						
25-11	14100						
26-11	5820						
27-11	13945						
28-11	7530						
29-11	7995						
30-11	13094						

परिशिष्ट—21

अतारांकित प्रश्न संख्या 542 की सूची

क. सं.	नाम	पता
1.	श्री नील रत्न खेतान	हिमालय हाऊस, बी-72, सातवीं फ्लोर, 23, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली।
2.	श्री श्यामसुन्दर चमडिया	6–क्लाइबेरो, कलकत्ता।
3.	श्री देवकीनन्दन सिंघानिया	102, फ्रैण्ड्स कालोनी (पूर्व) नई दिल्ली–65
4.	श्री भूपेन्द्र कुमार गंगवाल	ए–12, वेस्ट एण्ड रावतुलाराम मार्ग, नई दिल्ली–21
5.	श्री बी. एल. जैन	2/10, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली-2

(340)

परिशिष्ट—22

अतारांकित प्रश्न संख्या 544 की सूची

क्र. सं.	नाम जिला फोरम	अध्यक्ष	सदस्य
1	2	3	4
1.	अजमेर	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अजमेर	1. श्री प्रभुदास भाऊ 2. श्रीमती रेणुका भाटी, पत्नि श्री चन्द्रवीर सिंह
2.	अलवर	,, अलवर	1. श्री शिवनारायण शर्मा एडवोकेट 2. श्रीमती शालिनी शर्मा, बसन्तविहार, अलवर।
3.	बून्दी	,, बून्दी	1. श्री अनिल सक्सैना, एडवोकेट 2. श्रीमती शालिनी विजय, खोजागेट, बून्दी।
4.	बांसवाड़ा	,, बांसवाड़ा	1. श्री श्रीपतराम दवे, एडवोकेट 2. श्रीमती विजयलक्ष्मी श्रीपाल
5.	भरतपुर	,, भरतपुर	1. श्री आत्मासिंह, बी एन सेठ 2. श्रीमती गितेश तिवाड़ी भरतपुर।
6.	भीलवाड़ा	,, भीलवाड़ा	1. श्री दयाराम मेठानी, एडवोकेट। 2. श्रीमती मंजू वर्मा, एम.ए. बी. एड.।
7.	बीकानेर	,, बीकानेर	1. श्री मोतीसिंह राजपूत, एडवोकेट। 2. श्रीमती शांति कुवर, पत्नि श्री चन्द्रसिंह भाटी।

(341)

1	2	3		4
8.	चूरू	जिला एवं सत्र न्यायाधीश,	चूरू	1. श्री घीसाराम चौधरी, एल. एल. एम.। 2. श्रीमती सत्यभाभा वर्मा, द्वारा श्री सत्यदेव वर्मा
9.	डूंगरपुर	,,	डूंगरपुर	1. श्री शंकरसिंह, एडवोकेट 2. श्रीतमी बसन्ती देवी
10.	गंगानगर	,,	गंगानगर	1. श्री सत्यपाल विजय एडवोकेट। 2. श्रीमती पुष्पा नाहटा पत्नी श्री प्रेम नाहटा, पीलीबंगा।
11.	जयपुर	,,	जयपुर	1. श्री राजकुमार जैन, 27, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर। 2. श्रीमती विजय लुणिया।
12.	जोधपुर	,,	जोधपुर	1. श्री शान्तिलाल शकलेचा, एडवोकेट। 2. श्रीतमी सरोजनी भाटी, पत्नी श्री नरेन्द्रसिंह भाटी।
13.	जालौर	,,	जालौर	1. श्री अर्जुन सिंह। 2. श्रीमती माया देवी, पत्नी श्री बाघूमल।
14.	झुन्झुनू	,,	झुन्झुनू	1. श्री बजरंग लाल धाबाई, एडवोकेट, पोस्ट मंडावा 2. श्रीमती जहांआरा, बेगम कोलियान खेतडी।
15.	झालावाड़	,,	झालावाड़	1. श्री श्यामसुन्दर शर्मा, एडवोकेट। 2. सुश्री रीटा भाटिया, एडवोकेट।
16.	कोटा	,,	कोटा	1. श्री रमारमण शर्मा, एडवोकेट।

1	2	3	4
		जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोटा	2. श्रीमती सुमन श्रृंगी।
17.	पाली	,, पाली	1. श्री सोहनराज मेहता, एडवोकेट। 2. श्रीमती हर्षलता राठौड़, मारवाड़ जंक्शन।
18.	सीकर	,, सीकर	1. श्री मोहनलाल पुरी, एडवोकेट, श्रीमाधोपुर। 2. श्रीमतो राजकुमारी शर्मा
19.	सवाईमाधोपुर	,, सवाईमाधोपुर	1. श्री हरिसिंह मीणा, एम.ए. एल.एल. बी., करौली। 2. श्रीमती कमला शर्मा, पत्नी श्री किशनलाल शर्मा गंगापुरसिटी।
20.	सिरोही	,, सिरोही	1. श्री लक्ष्मण भंभाषी, मा. आबू। 2. श्रीमती शकुन्तला वाजपेयी
21.	टोंक	,, टोंक	1. श्री कपूरचन्द गोयल, एडवोकेट। 1. सुश्री उषा राजपूत, एडवोकेट।
22.	उदयपुर	,, उदयपुर	1. श्री रोशनलाल चौधरी 2. श्रीमती श्यामा सेंगर, सालेरा हाउस, उदयपुर।
23.	धौलपुर	,, धौलपुर	1. श्री हरिबाबू सर्राफ। 2. श्रीमती दमयन्ती देवी पत्नी श्री भगवत शरण रस्तौगी।

343

परिशिष्ट—23

अतारांकित प्रश्न संख्या 546 की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	चन्द्रपुरा	26-6-133
2.	परथीगढ़	166
3.	डोली सरना	164
4.	दरियावपुरा	179
5.	ऐरी	26-4-48
6.	देवगढ़	72
7.	कोचरिया खेड़ी	26-4-105

344

परिशिष्ट—24

अतारांकित प्रश्न संख्या 560 की सूची

सिवाना जिला बाड़मेर के विद्युतीकृत/अविद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र. सं. ग्राम का नाम	कोड न.	क्र. सं. ग्राम का नाम	कोड नं.
1. पादउश्री खुर्द	16/5/1	24. खेजडीयाली	24
2. मूटली	2	25. गिराड–का–ढाणा	25
3. थापन	3	26. चिरडिया	26
4. इन्द्राणा	4	27. मियों का बाडा	27
5. बलियाना	5	28. पातो का बाडा	28
6. सिणेर (सिठोर)	6	29. दूदों का बाडा उर्फ अजीत	29
7 नाल	7	30. चारणों का बाडा	30
8. गुढा	8	31. कोटडी	31
9. थान माता हिंगलाज	9	32. बूर्ड (बूरड)	32
10. पादरडी कलां	10	33. तिरगटी	33
11. कुसीप	11	34. करमावास	34
12. खाखरलाई	12	35. सुइली	35
13. खेडा खिदावडा	13	36. बामसीन	36
14. कुम्भावास	14	37. टेवडा	37
15. लालाना	15	38. मांगला	38
16. जेठन्तरी	16	39. मेली	39
17. सिलोर	17	40. दन्ताला	40
18. देवयाली	18	41. अरजीयाना	41
19. समदड़ी	19	42. देवडी	42
20. मोखण्डी	20	43. मवडी	43
21. रानी देशीपुरा	21	44. गोलिया	44
22. भानावास	22	45. पीपूलन	45
23. भालडो–का–बाडा	23	46. मूंगरोट	46

क्र.सं. ग्राम का नाम	कोड नं.
47. कुण्डल	47
48. धारणा	48
49. मिथोडा	49
50. पादरू	50
51. पाउ	51
52. कारवी	52
53. मुबारी	53
54. सेला	54
55. तेलवाड़ा	55
56. जिनपुर	56
57. मांगी	57
58. ढीरा	58
59. भागवा	59
60. दरवला	60
61. काठाडी	61
62. रामनियां	62
63. मोकलसर	63
64. लुदराड़ा	64
65. बालू	65
66. बिजलियां	66
67. फूलन	67
68. खेड़ा सुजेर	68
69. भूती	69
70. सांवरडा	70
71. सेवाली	71
72. कांमा का बाडा	72
73. अम्बो का बाडा	73
74. लालियां	74
75 खरन्टियां	75
76. मठ खरन्टियां	76
77. गोदो का बाडा	77
78. रामपुरा	78

क्र. सं. ग्राम का नाम	कोड नं.
79. सामूजा	79
80. ढीढस	80
81. सजल	81
82. रातडी	82
83. अर्थनडी	83
84. छियाली	84
85. राखी	85
86. मोतीसरा	86
87. ढाबली	87
88. खण्डप	88
89. सरवडी	89

अविद्युतीकृत ग्राम

90. गोलिया महेचान	16/2/247
91. धनवा	248
92. भाटा	249
93. जूना मिठा खेडा	250
94. भाल खेडी	259
95. पायला खुर्द	260
96. नीमली	261
97. खारा महचान	251
98. चडो की ढाणी	252
99. गाला नडी	254
100. धारवा	246
101. करना	226
102. भूखा भगसिंह	231
103. भरोखा	221
104. बावडी खुर्द	222
105. गरली की तपाल	223
106. गरली चारणान	224

क्र. सं. ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र. सं. ग्राम का नाम	कोड नं.
107. डंडाली	227	**अविद्युतीकृत/स्वीकृत ग्राम**	
108. एवाडीमानजी	233	1. बामणी	16/2/244 (फैज्ड 90–91)
109. लोहिडा	232	2. लूना कलां	255
110. सिंदरी चारणान	243	3. डागवां	256 (फैज्ड 90–91)
111. सिंदरी चुसेरी	262	4. अमरपुरा	257
112. गोदेसरा	258	5. अरनियालो महेचान	253
113. पायला कलां	295	6. ढन्ढ	245
114. दरगुरा	296	7. मनावास	229
115. मण्डावला	297	8. भूंका थान	230
116. सडा	298	9 अमजर	225
117. टुंकिया	308	10. गांगली	228
118. खरवा खर्फ भाटाला	299	11. सिन्दरी पनाइड	240
119. लोलावा	302	12. नाकोरा	242 (फैज्ड 90–91)
120. फुलेरी	303		
121. गोलिया जीवराज	304		

परिशिष्ट—25

अतारांकित प्रश्न संख्या 561 की सूची

पंचायत समिति बेगूं एवं भैसरोड़गढ़ क्षेत्र के अविद्युतीकृत गांवों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
	पंचायत समिति बेगूं		23.	अन्दारियों की झोपड़िया	97
			24.	गोरला	98
1.	छोटा खेड़ा	3/3/3	25.	नया गांव चोपानों का	99
2.	सागजी का खेड़ा	9	26.	बांडा	101
3.	मुरलिया	12	27.	तीखी का खेड़ा	105
4.	लोहारिया	16	28.	सादलपुर	106
5.	रूपपुरा	17	29.	भंवरिया कलां	110
6.	संग्रामपुरा	24	30.	पलाना का रामनगर	121
7.	नाथावतों का खेड़ा	28	31.	पन्डुलिया	131
8.	रतनपुरा	30	32.	खेडी अनोपपुरा	132
9.	तोरनिया	33	33.	आम्बा	133
10.	कुन्डालिया	42	34.	तलेटी	134
11.	पाटकला	43	35.	देलवालगढ	135
12.	पाट खुर्द	44	36.	भवरडी	136
13.	रामपुरिया	45	37.	सेमला डेर	138
14.	अभयपुर	47	38.	फतेहपुर	140
15.	आमझरिया	48	39.	नीलादेही	141
16.	बूजरा	56	40.	फलाटोल	142
17.	किशनगढ	59	41.	भीलों की बैठक	143
18.	उल्लूपुरा	64	41.	खुमावास	182
19.	घटाबाव	67	43.	हरिपुरा	183
20.	किशनपुरिया	84	44.	माहुपुरा	184
21.	तूम्बा	86	45.	आम्बा	185
22.	कुरातिया	89			

(348)

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
46.	रामनिवास	187
47.	रान्दोला	189
48.	उदयपुरिया	190
49.	जलसागर	195
50.	गढवाडा	200
51.	करून्डिया	208
52.	सिंहपुर	216
53.	अमरपुरा	219
54.	भाट खेडा नया	226
55.	डोबिया	229
56.	भाट खेडा जूना	230
57.	बोराकुडी	333
58.	धर्मदासजी का खेडा	235
58.	फटेहपुर उर्फ भपुन्दामजरी	237
60.	सरली का का खेडा	246
61.	घाटी	245
62.	खोरडिया	244
63.	जाम्बू कुडी	246
64.	कल्याणपुरा	247
65.	हरिपुरा	248
66.	कजोडिया	249
67.	जालमपुरा	250
68.	सागा की बडी	251
69.	बालेछा	256

पंचायत समिति भैंसरोड़गढ़

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	नासेरा	24/3/266
2.	खालगांव	268
3.	आम्बा	269
4.	भाऊपुरा	284
5.	कल्याणपुरा	300
6.	वाणा का खेडा	321
7.	नाई की तलाई	325
8.	गोपालपुरा	432
9.	मालपुरा	328
10.	खेडली	334
11.	कुन्डालिया	335
12.	एमती	336
13.	गंगा का खेडा	337
14.	सारंगपुरा	338
15.	टोडा का खेडा	339
16.	बरवन	340
17	धुनिया	351
18.	अजपुरा	350
19.	बडगांव	352
20.	रावतपुरा	353
21.	खरनाई	354
22.	कृपापुर	355
23	आगरा	556
24.	ओगडिया	357
25.	राजपुरा	358
26.	अरेणा कलां	359
27.	गणेशपुरा	360
28.	अरेणा खुर्द	361
29.	ढुढी तलाई	362

क्र. सं. ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र. सं. ग्राम का नाम	कोड नं.
30. रातोली	363	57. जसवन्तपुरा	405
31. केशा का खेडा	365	58. जगल्या रूण्डी	406
32. मानोली	366	59. दरीबा	407
33. छतरपुरा	367	60. परलाई खुर्द	409
34. डाबरवास	368	61. खेराट	434
35. रायपुर	369	62. बखारी	436
36. बाम्बोरी खुर्द	375	63. मेघपुरा	437
37. मातासरा	385	64. खंगारपुरा	438
38. चरमी	386	65. बावडी खेडा	439
49. बन्धा	387	66. मैनपुरा	440
40. अन्तरालिया	388	67. प्रेमपुर	441
41. गोयत	389	68. डुंगरिया	442
42. अरणिया	390	69. आंवलहेडा	443
43. कैरपुरा	391	70. हीपलखेडी	445
44. चक बावडी की माल	392	71. मवाडा	446
45. थाह का खेडा	393	72. गोविन्दपुरा	447
46. मोरडी	394	73. लटूर	449
47. अमलात	395	74. नयागांव	450
48. अनन्दपुरा	396	75. चित्तोडिया	453
49. अरनिया	397	76. केकला	452
50. मोतीपुरा	398	77. रामपुरिया	453
51. नीम का खेडा	399	78. कांटी	454
52. रूपपुरा	400	79. दोतारा	455
53. उदपुरिया	401	80. पीपल्दा	456
54. नारायणपुरा	402	81. बरखेडा	457
55. मालगढ	403	82. कंवरपुरा	458
56. तलवार	404	83. रोडी	459

(350)

गत वर्ष 1989-90 में पंचायत समिति बेगूं एवं पं. स. भैंसरोड़गढ़ के विद्युतीकृत किये गये ग्रामों में जारी कृषि कनेक्शनों की सूची

पंचायत समिति बेगूं

क. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	कृषि कनेक्शनों की संख्या
1.	आकोडिया	2/3/15	—
2.	बडा खेडा	4	—
3.	स्वरूपजी की खेडी	217	—
4.	अमरपुरा	219	3
5.	करणपुरिया	158	—
6.	सुरपुर	149	—
7.	चांदपुर	125	—
8.	हरीपुरा	91	—
9.	अमरपुरा	51	1
10.	फतेहपुर	52	1
11.	जावडिया जूना	139	—
12.	जावडिया नया	137	—
13	हनुतिया	220	8
14.	मक्खनगंज	60	—
15.	मण्डावरी	53	1
16.	देवरिया	167	—
17.	निमोदा	87	—
18.	नरसिंहपुरा	74	—
19.	मकनपुरा	21	—
20.	दौलतपुरा	20	—
21.	सामरो का लेवा	242	—
	पंचायत समिति भैंसरोड़गढ़		
22.	हतोलि	310	—
23.	उमरचा	304	—
24.	शोगढ़	464	—
25.	थमलाव	316	1
26.	अमरपुरा	326	—

351

परिशिष्ट—26

अतारांकित प्रश्न संख्या 571 की सूची

कार्यालय नगरपरिषद् जोधपुर

मार्च 1990 से फरवरी 91 तक कराये गये मरम्मत कार्य की सूची :—

---

1. कारपेट का कार्य–वार्ड संख्या 18
2. रिकारपेट का कार्य–त्रिपोलिया बाजार से कबूतरों का चौक
3. चापों की सड़क मरम्मत का कार्य, जालप मोहल्ला
4. चापों की सड़क मरम्मत का कार्य, जालप मोहल्ला
5. फर्श का कार्य, घोड़ों का चौक, हरिजन बस्ती
6. फर्श का कार्य, जालोरियों का बास
7. फर्श का कार्य, बरकतुल्ला खां कोलोनी
8. सड़क मरम्मत का कार्य, गुन्दी का मोहल्ला
9. सड़क मरम्मत का कार्य, सिन्धयों का बास, नूरजी का मकान
10. सड़क एवं नाली मरम्मत का कार्य रावतों की गली
11. सड़क मरम्मत का कार्य जालोरी सर्किल
12. सड़क मरम्मत का कार्य, सोजतिया सर्किल
13. रिपेयर आफ रोड़कटिंग विभिन्न स्थानों पर
14. फर्श का कार्य, शेरसिंह हाऊस, गोलनाड़ी
15. फर्श का कार्य, चामी का दड़ा
16. फर्श का कार्य पानगली
17. फर्श का कार्य कसाइयों की गली
18. फर्श का कार्य भाटियों का बास
19. फर्श का कार्य नायों की गली
20. फर्श का कार्य, नायों की पोल
21. फर्श का कार्य फतेहपोल स्कूल
22. पेचवर्क का कार्य, माणक चौक–चित्रा सिनेमा
23. सड़क मरम्मत का कार्य, कसीयों की गली
24. सड़क मरम्मत का कार्य, कोलरी मौहल्ला

ह०/–

आयुक्त

नगरपरिषद् जोधपुर

(352)

-: कार्यालय नगरपरिषद् जोधपुर :-

परिशिष्ट—"ब"

31 मार्च, 1991 तक पूर्ण होने वाले कार्यों की सूची :—

1. सड़क का कार्य, बाइजी का तालाब, जोधपुर।
2. सड़क का कार्य, कालिया धुक्का, हरिजन बस्ती, जोधपुर।
3. सड़क का कार्य, श्यामगढ़, कच्ची बस्ती, जोधपुर।

ह०/-
आयुक्त
नगरपरिषद् जोधपुर

जोधपुर शहर में मार्च, 1990 से फरवरी, 1991 तक रोशनी व्यवस्था हेतु लगाये गये व लगाये जाने वाले सामान की सूची :—

खम्भों पर लगाये गये सामान की सूची

क्र. सं.	सामान का नाम	संख्या
1.	बल्ब	5541
2.	ट्यूब रॉड	2228
3.	नये ट्यूब फिक्सर	90
4.	नये सोडियम फिक्सर	51
5.	सोडियम बल्ब	9
6.	मरकरी बल्ब 400 वाट	2
7.	मरकरी बल्ब 125 वाट	5

लगाये जाने वाले सामान की सूची

क्र. सं.	सामान का नाम	संख्या
1.	ट्यूब लाइट फिक्सर नये	110
2.	ट्यूब लाइटें	367
3.	बल्ब	656

353

कार्यालय नगरपरिषद् जोधपुर

परिशिष्ट "स"

1985 से 89 तक परिषद द्वारा सड़कों के रख-रखाव व गटर के ढक्कनों पर व्यय की गई राशि का विवरण :—

क्र. सं.	मद वर्ष	सड़क रख-रखाव/मरम्मत रुपये	गट्टर के ढक्कन रुपये
1.	85–86	3352767/–	130489/–
2.	87–87	1604707/–	86732/–
3.	87–88	1916725/–	125780/–
4.	88–89	1582276/–	95890/–

ह०/-

आयुक्त
नगरपरिषद् जोधपुर